पंचदश माला, खंड 17, अंक 2

मंगलवार, 2 अगस्त, 2011
11 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 83
Dated 19 July 2013

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

2 अगस्त 2011

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

के.बी. तिवारी
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 17, आठवां सत्र, 2011/1933 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 2 अगस्त, 2011/11 श्रावण, 1933 (शक)

विषय	**कॉलम**
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21	5-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 22 से 40	39-140
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	140-984
सभा पटल पर रखे गए पत्र	984-988
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	988-989
वित्त संबंधी स्थायी समिति	989
33वें से 38वां प्रतिवेदन	989-990
ग्रह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 149वें से 151वां प्रतिवेदन प्रतिवेदन	990
(दो) साक्ष्य	990
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 236वां और 237वां प्रतिवेदन	991
(दो) साक्ष्य	991
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
223वां और 224वां प्रतिवेदन	991-992
अनुपूरक अनुदानों की मांगें - (सामान्य), 2011-12	991
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011	992-993

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　कॉलम

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2011

श्री एस. गांधीसेलवन 993

(दो) राष्ट्रमंडल केल (सी.डब्ल्यू.जी.) 2010

श्री अजय माकन 993

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तराखंड में चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दिए जाने की आवश्यकता।

श्री सतपाल महाराज 994

(दो) केरल में कालीकट रेलवे स्टेशन को एक विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन 994-995

(तीन) राज सहायता प्राप्त एल.पी.जी. सिलेंडरों की वर्तमान योजना को जारी रखे जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थॉमस 995

(चार) मदुरई और कन्याकुमारी खंड के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के ठहराव तमिलनाडु के तिरूनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नंगुनरी, वल्लीयूर और पानागुड़ी रेलवे स्टेशनों पर दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू 996

(पांच) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए एक समय-सीमा नियत किए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह 996-997

(छह) केरल के मवेलीकारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल्लूमाला और बुथा जंक्शन के बीच समपार पर रेल ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 997-998

(सात) यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल के विषाक्त खतरनाक अपशिष्ट का नागपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में पारिस्थितिकीय पर संभावित पर्यावरण संबंधी कुप्रभाव को देखते हुए इसका निपटान डी.आर.डी.ओ. संयंत्र, नागपुर में करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 998

विषय **कॉलम**

(आठ) ओडिशा के सम्बलपुर के चावल, सब्जियों और मौसमी फलों की खरीद और भण्डारण के लिए उच्च तकनीकी टर्मिनल मंडी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री अमरनाथ प्रधान 998-999

(नौ) हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं पर कार्य आरंभ करने और रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 999

(दस) गुजरात में कैरोसिन का कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 999-1000

(ग्यारह) बिहार के नवादा जिले में रजौली में परमाणु बिजली स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह 1000

(बारह) गुजरात के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक 1001

(तेरह) देश में जाति आधारित जनगणना में अन्य पिछड़े वर्गों का पृथक आंकड़ा दिए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मेन्द्र यादव 1001-1002

(चौदह) बिहार के नालन्दा में बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाएं देने और बिहार शरीफ से चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 12392/12391 में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 1002

(पंद्रह) दक्षिण रेलवे में संविदा आधार पर कार्यरत कामगारों को पर्याप्त मजदूरी देने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समुचित विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश 1003

(सोलह) देश में मोबाइल ऑपरेटरों की ग्राहक सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे 1003-1004

(सत्रह) राष्ट्रीय कृषि उत्पादन नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 1004

विषय **कॉलम**

(अठारह) देश में प्राकृतिक रबड़ का आयात करने के निर्णय की समीक्षा करने और उसे प्रतिसंहृत किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि 1004-1006

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1013-1014

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1014-1022

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1023-1024

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1024-1026

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 2 अगस्त, 2011/11 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नहीं, यह कोई तरीका नहीं है। आप तख्तियों को सभा के भीतर नहीं ला सकते हैं। आप नियम जानते हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियम जानते हैं। तख्तियां नीचे कीजिए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, हमने क्वश्चन आवर सस्पैंड करने के बारे में नोटिस दिया है।

...(*व्यवधान*)

पूर्वाहन 11.01 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदया: अब महासचिव शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान करने के लिए श्री दिनेश कश्यप का नाम पुकारेंगे।

महासचिव: श्री दिनेश कश्यप।

श्री दिनेश कश्यप (बस्तर), छत्तीसगढ़

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों, श्री रामचन्द्र विकल तथा श्री इन्द्रजीत के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री रामचन्द्र विकल 1971 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री रामचन्द्र विकल 1952 से 1971 तक पांच बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1967 से 1968 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पशुपालन, उत्पाद शुल्क, जेल और मात्स्यिकी विभाग के मंत्री रहे। वह 1967 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता रहे और 1969-1970 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा में सभापति तालिका के सदस्य रहे।

श्री रामचन्द्र विकल 1984 से 1990 तक राज्य सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्री रामचन्द्र विकल ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया।

एक कृषिविद् के रूप में श्री रामचन्द्र विकल ने विद्यार्थियों, किसानों, श्रमिकों और दलितों के हितों के लिए संघर्ष किया। कृषि क्षेत्र और कृषकों के विकास में उनकी गहरी रुचि रही और उनसे जुड़े मुद्दों को विभिन्न मंचों पर उठाने में वे सदैव अग्रणी रहे।

एक शिक्षाविद् के रूप में श्री रामचन्द्र विकल ने देश के विद्यालयों में युवा संसद की परिकल्पना को मूर्तरूप देने और उसे प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद के 40 वर्षों में वे इससे जुड़े रहे। उन्होंने बुलंदशहर जिले में एक सौ से अधिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा बुलंदशहर और सहारनपुर जिलों में 15 इंटर कॉलेज और दो डिग्री कॉलेजों की स्थापना भी की गई।

सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी सेवाओं के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा उन्हें 'डॉक्टर ऑफ लिटरेचर' की उपाधि प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र विकल का निधन 95 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ दिन बीमार रहने के बाद 26 जून, 2011 को हुआ।

श्री इन्द्रजीत 1989 से 1996 तक नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

नौवीं लोक सभा के दौरान, श्री इन्द्रजीत नियम समिति; वन और पर्यावरण संबंधी समिति और विदेश मंत्रालय की

परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। दसवीं लोक सभा के दौरान, वह विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक प्रतिष्ठित सम्पादक-पत्रकार, श्री इन्द्रजीत ने 'इंडिया न्यूज एंड फीचर एलायंस' की ओर से राष्ट्रीय मुद्दों पर साप्ताहिक 'सिंडिकेटिड' स्तम्भ लिखे। उन्होंने इंडिया न्यूज एंड फीचर एलायंस के प्रबंध निदेशक, सम्पादक और प्रकाशक के रूप में भी कार्य किया। श्री इन्द्रजीत 'सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी', लाजपत भवन, नई दिल्ली के साथ भी जुड़े रहे।

एक खेल प्रेमी, श्री इन्द्रजीत दिल्ली गोल्फ क्लब; प्रेस क्लब ऑफ इंडिया; इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के सदस्य थे।

उन्होंने विश्व के अनेक देशों का भ्रमण किया। श्री इन्द्रजीत 1977 में और 1990 में दोबारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाग लेने वाले भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की 1977 में होने वाली छठी समिति की बैठक और 1990 में तीसरी समिति की बैठक में शिष्टमंडल के सदस्य थे। श्री इन्द्रजीत ने मलेशिया के 1990 के आम चुनावों के पर्यवेक्षण हेतु नौ राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल पर्यवेक्षण दल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सितम्बर, 1991 में वाशिंगटन में आयोजित 'नई विश्व व्यवस्था संबंधी सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय मंच' में भी भाग लिया।

श्री इन्द्रजीत का निधन 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में 31 जुलाई, 2011 को हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी और सभा की ओर से शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): अध्यक्ष महोदया, नया भूमि अधिग्रहण बिल जल्दी आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

पूर्वाह्न 11.07 बजे

इस समय श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया: यह बहुत गलत बात है।

[हिन्दी]

आप इन प्लेकार्ड्स को नीचे कीजिए। इन्हें सदन में नहीं लाया जाता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप पहले इन प्लेकार्ड्स को नीचे कीजिए। इन्हें सदन में नहीं लाया जाता।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह चौहान जी, आप इस प्लेकार्ड को नीचे कीजिए और अपने मैम्बर्स को भी कहिये कि वे उन्हें नीचे करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप यह क्या आप कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री जोस के. मणि।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप सबको मालूम है कि इन प्लेकार्ड्स को सदन में नहीं लाया जाता।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: यह बहुत गलत बात है। आप सबको मालूम है कि इन प्लेकार्ड्स को सदन में नहीं लाया जाता। आप सब बैठ जाइये।

...(*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल, प्रश्न संख्या 21.

श्री जोस के. मणि

...(*व्यवधान*)

भंडारण सुविधा

\+

***21. श्री जोस के. मणि:**

प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के फसल कटाई मौसम के दौरान खुले में भंडारण करने से तथा सुरक्षित भंडारण स्थान की कमी के कारण खाद्यान्न बर्बाद हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार उपलब्ध भंडारण स्थान, खरीद की गई खाद्यान्न की मात्रा एवं खराब भंडारण के कारण बर्बाद हुए खाद्यान्न की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त भंडारण स्थान का निर्माण करने और निर्यात की अनुमति देकर तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन करके भंडार को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण करने हेतु एक व्यय अध्ययन पैनल गठित करने सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। हाल की फसल कटाई मौसम के दौरान खुले भंडारण में रखे होने तथा सुरक्षित भंडारण के लिए स्थान की कमी होने के कारण खाद्यान्नों के किसी भण्डार (स्टाक) को क्षति नहीं पहुंची है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार 2008-09 में कुल भंडारण क्षमता 252.79 लाख टन, 31-3-2010 की स्थिति के अनुसार 2009-10 में 288.36 लाख टन थी जबकि 31-3-2011 की स्थिति के अनुसार 2010-11 में यह क्षमता 316.10 लाख टन हो गई थी। इसके राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-1क, 1ख, और 1ग में दिए गए हैं। तथापि, 30-6-2011 की स्थिति के अनुसार कुल भंडारण क्षमता बढ़कर 332.50 लाख टन हो गई है जिसकी 91% क्षमता का उपयोग किया गया है। चावल और गेहूं की पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यवार खरीदे गए खाद्यान्नों की मात्रा के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-IIक और IIख में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) खाद्यान्न के क्षेत्रवार स्टाक के ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों के जरिए खरीद और खपत वाले दोनों क्षेत्रों में ढके हुए गोदामों का निर्माण करके कैप (खुला भंडारण) पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की एक स्कीम तैयार की है। इस विभाग ने खाद्यान्न भंडारण का निर्माण करने के लिए किसी "व्यय अध्ययन पैनल" का गठन नहीं किया है, तथापि, इस स्कीम के अधीन "अतिरिक्त भंडारण की जरूरत" का आकलन समूची खरीद/खपत और पहले से ही उपलब्ध भंडारण क्षमता पर आधारित होता है। उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए भंडारण क्षमता का सृजन किसी राज्य विशेष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की चार माह की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। खरीद क्षेत्रों के लिए अपेक्षित भंडारण क्षमता का निर्णय करने के वास्ते पिछले तीन वर्षों में अधिकतम स्टाक स्तर पर विचार

किया जाता है। इस स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम अब निजी उद्यमियों को 10 वर्ष तक सुनिश्चित किराया देने के लिए गारंटी देगा। निजी उद्यमियों और केन्द्रीय तथा राज्य भंडारण निगमों के जरिए इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में लगभग 152.97 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। इसमें से अभी तक निजी उद्यमियों द्वारा 52.32 लाख टन भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगम इस स्कीम के अधीन क्रमशः 5.31 और 15.49 लाख टन का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगमों द्वारा लगभग 3.5 लाख टन क्षमता का पहले ही निर्माण कर लिया गया है।

सरकार केन्द्रीय पूल के स्टाक में से खाद्यान्नों का कोई वाणिज्यिक निर्यात करने का प्रस्ताव नहीं कर रही है। तथापि, केन्द्रीय पूल में से निम्नानुसार राजनयिक आधार पर निर्यात करने की अनुमति दी गई है:-

(मात्रा टन में)

देश	चावल	गेहूं
बांग्लादेश	3,00,000	2,00,000
नेपाल	-	50,000
अफगानिस्तान	-	2,50,000

तथापि सरकार ने प्राइवेट खाते पर 10 लाख टन गैर-बासमती चावल का निर्यात करने की हाल में अनुमति दी है। इसके अलावा मालदीव के लिए राजनयिक अवधारणा पर प्राइवेट खाते पर 36521 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति भी दी गई थी।

वर्तमान वर्ष 2011-12 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 488.71 लाख टन खाद्यान्नों (जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर का 50 लाख टन अतिरिक्त आबंटन शामिल है) का आबंटन करने के अलावा मार्च, 2012 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वितरण करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के निर्गम मूल्य पर मई, 2011 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50 लाख टन चावल और गेहूं का तदर्थ अतिरिक्त आबंटन किया गया है। आपदा राहत कार्यों के लिए अब तक लगभग 1 लाख टन खाद्यान्न रिलीज किया गया है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14-5-2011 के आदेश में समाज के अत्यंत गरीब और कमजोर वर्गों में वितरण करने के लिए देश के 150 निर्धनतम जिलों को खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन करने संबंधी दिए गए निदेश के अनुसरण में सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी केन्द्रीय सतर्कता समिति की सिफारिश के अनुसार 8 राज्यों के 45 जिलों में पहचान किए गए गरीब परिवारों के लिए तीन माह हेतु गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के निर्गम मूल्य पर 2,57,336.67 टन खाद्यान्न का आबंटन किया है।

अनुबंध-I क

31-3-2009 की स्थिति के नुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन)

क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य श्रेत्र	ढकी						
		भा.खा.नि. के अपने	किराए की					
			राज्य सरकार	के.भ.नि.	रा.भं.नि.	निजी पार्टियां	कुल किराए की	कुल ढकी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बिहार	3.66	0.03	0.66	0.79	0.48	1.96	5.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	झारखंड	0.66	0.02	0.13	0.17	0.2	0.52	1.18
3.	ओडिशा	2.93	0	0.9	2.94	0.15	3.99	6.92
4.	पश्चिम बंगाल	8.59	0.2	0.88	0	0.61	1.69	10.28
5.	सिक्किम	0.1	0.01	0	0	0	0.01	0.11
कुल (पूर्व जोन)		**15.94**	**0.26**	**2.57**	**3.9**	**1.44**	**8.17**	**24.11**
6.	असम	2.07	0	0.17	0.1	0.39	0.66	2.73
7.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.02	0	0	0	0.02	0.2
8.	मेघालय	0.14	0	0.07	0.05	0	0.12	0.26
9.	मिजोरम	0.22	0.01	0	0	0	0.01	0.23
10.	त्रिपुरा	0.27	0.05	0.17	0	0	0.22	0.49
11.	मणिपुर	0.2	0	0	0	0	0	0.2
12.	नागालैण्ड	0.2	0	0.12	0	0	0.12	0.32
कुल (पूर्वोत्तर जोन)		**3.28**	**0.08**	**0.53**	**0.15**	**0.39**	**1.15**	**4.43**
13.	दिल्ली	3.36	0	0	0	0	0	3.36
14.	हरियाणा	7.68	3.84	1.92	3.99	2.55	12.3	19.98
15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0	0	0.11	0.25
16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.16	0	0	0.1	0.26	1.29
17.	पंजाब	21.84	0.04	3	27.27	3.67	33.98	55.82
18.	चण्डीगढ़	0.4	0	0.37	0.2	0	0.57	0.97
19.	राजस्थान	7.06	0	0.36	0.17	0.79	1.32	8.38
20.	उत्तर प्रदेश	14.95	0.07	2.22	4.51	0.23	7.03	21.98
21.	उत्तराखंड	0.66	0.27	0.39	0.56	0.05	1.27	1.93
जोड़ (उत्तर जोन)		**57.12**	**4.44**	**8.31**	**36.7**	**7.39**	**56.84**	**113.96**
22.	आन्ध्र प्रदेश	12.66	0	3.1	15.09	0.45	18.64	31.3
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.07	0	0	0	0	0	0.07
24.	केरल	5.17	0	0	0	0	0	5.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	कर्नाटक	3.78	0	1.13	1.24	0	2.37	6.15
26.	तमिलनाडु	5.8	0	2.04	0.53	0	2.57	8.37
27.	पुड्डुचेरी	0.44	0	0	0.02	0	0.02	0.46
जोड़ (दक्षिण जोन)		**27.92**	**0**	**6.27**	**16.88**	**0.45**	**23.6**	**51.52**
28.	गुजरात	5	0.19	0.79	0	0.02	1	6
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
31.	महाराष्ट्र	11.77	0.13	1.96	2.03	0.88	5	16.77
32.	गोवा	0.15	0	0	0	0	0	0.15
33.	मध्य प्रदेश	3.37	0.23	1.49	1.56	0.89	4.17	7.54
34.	छत्तीसगढ़	5.12	0.13	0.12	0.99	0.07	1.31	6.43
जोड़ पश्चिम जोन)		**25.41**	**0.68**	**4.36**	**4.58**	**1.86**	**11.48**	**36.89**
	सकल जोड़	129.67	5.46	22.04	62.21	11.53	101.24	230.91

(आंकड़े लाख टन)

क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य श्रेत्र	कैप			सकल जोड़	रखा स्टाक	उपयोग (%)
		अपनी	किराए की	जोड़			
1	2	10	11	12	13	14	15
1.	बिहार	0	0	0	5.62	4.2	75
2.	झारखंड	0	0	0	1.18	0.93	79
3.	ओडिशा	0	0	0	6.92	4.87	70
4.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	10.28	9.12	89
5.	सिक्किम	0	0	0	0.11	0.08	73
	कुल (पूर्व जोन)	**0**	**0**	**0**	**24.11**	**19.2**	**80**
6.	असम	0	0	0	2.73	1.48	54

1	2	10	11	12	13	14	15
7.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0.2	0.09	45
8.	मेघालय	0	0	0	0.26	0.11	42
9.	मिजोरम	0	0	0	0.23	0.12	52
10.	त्रिपुरा	0	0	0	0.49	0.26	53
11.	मणिपुर	0	0	0	0.2	0.06	30
12.	नागालैण्ड	0	0	0	0.32	0.21	66
	कुल (पूर्वोत्तर जोन)	**0**	**0**	**0**	**4.43**	**2.33**	**53**
13.	दिल्ली	0.34	0	0.34	3.7	3.35	91
14.	हरियाणा	3.18	0	3.18	23.16	14.24	61
15.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0.25	0.2	80
16.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1.29	1.03	80
17.	पंजाब	6.31	0	6.31	62.13	49.19	79
18.	चण्डीगढ़	0.08	0	0.08	1.05	1.06	101
19.	राजस्थान	1.58	0.07	1.65	10.03	5.98	60
20.	उत्तर प्रदेश	4.15	0	4.15	26.13	14.53	56
21.	उत्तराखंड	0.09	0.08	0.17	2.1	1.95	93
	जोड़ (उत्तर जोन)	**15.73**	**0.15**	**15.88**	**129.84**	**91.53**	**70**
22.	आन्ध्र प्रदेश	2.85	0	2.85	34.15	30.14	88
23.	अंडमान और निकोबार द्वीसमूह	0	0	0	0.07	0.03	43
24.	केरल	0	0	0	5.17	4.34	84
25.	कर्नाटक	0.92	0	0.92	7.07	5.85	83
26.	तमिलनाडु	0.58	0	0.58	8.95	8.32	93
27.	पुड्डुचेरी	0.08	0	0.08	0.54	0.39	72
	जोड़ (दक्षिण जोन)	**4.43**	**0**	**4.43**	**55.95**	**49.07**	**88**
28.	गुजरात	0.3	0	0.3	6.3	5.37	85
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0

1	2	10	11	12	13	14	15
30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
31.	महाराष्ट्र	0.92	0	0.92	17.69	12.41	70
32.	गोवा	0	0	0	0.15	0.17	113
33.	मध्य प्रदेश	0.35	0	0.35	7.89	6.23	79
34.	छत्तीसगढ़	0	0	0	6.43	6.27	98
	जोड़ पश्चिम जोन)	**1.57**	**0**	**1.57**	**38.46**	**30.45**	**79**
	सकल जोड़	21.73	0.15	21.88	252.79	192.58	76

अनुबंध-I (ख)

31-3-2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य श्रेत्र	ढकी						
			भा.खा.नि. के अपने	किराए की					कुल ढकी
				राज्य सरकार	के.भ.नि.	रा.भं.नि.	निजी पार्टियां	कुल किराए की	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.62	0.97	0.47	2.09	5.75
	2.	झारखंड	0.66	0.03	0.13	0.15	0.20	0.51	1.17
	3.	ओडिशा	2.93	0.00	0.67	2.68	0.15	3.50	6.43
	4.	पश्चिम बंगाल	8.59	0.19	0.85	0.00	0.92	1.96	10.55
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
कुल (पूर्व जोन)			**15.94**	**0.26**	**2.27**	**3.80**	**1.74**	**8.07**	**24.01**
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.07	0.00	0.18	0.11	0.37	0.66	2.73
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22
	8.	मेघालय	0.14	0.00	0.07	0.05	0.00	0.12	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	मिजोरम	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23
	10.	त्रिपुरा	0.29	0.05	0.17	0.00	0.00	0.22	0.51
	11.	मणिपुर	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
	12.	नागालैण्ड	0.20	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.34
कुल (पूर्वोत्तर जोन)			**3.30**	**0.10**	**0.56**	**0.16**	**0.37**	**1.19**	**4.49**
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
	14.	हरियाणा	7.68	4.07	2.22	4.96	2.18	13.43	21.11
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0.00	0.00	0.11	0.25
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.15	0.00	0.00	0.13	0.28	1.31
	17.	पंजाब	21.17	0.34	3.45	34.74	4.31	42.84	64.01
	18.	चण्डीगढ़	1.07	0.00	0.71	0.84	0.00	1.55	2.62
	19.	राजस्थान	7.06	0.00	1.32	2.69	1.88	5.89	12.95
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	0.07	2.26	4.06	0.23	6.62	21.57
	21.	उत्तराखंड	0.66	0.30	0.50	0.56	0.05	1.41	2.07
जोड़ (उत्तर जोन)			**57.12**	**4.99**	**10.51**	**47.85**	**8.78**	**72.13**	**129.25**
दक्षिण	22.	आन्ध्र प्रदेश	12.66	0.07	5.30	16.39	1.07	22.83	35.49
	23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
	24.	केरल	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
	25.	कर्नाटक	3.78	0.00	1.76	1.42	0.25	3.43	7.21
	26.	तमिलनाडु	5.80	0.00	2.27	0.50	0.57	3.34	9.14
	27.	पुडुचेरी	0.44	0.00	0.05	0.05	0.00	0.10	0.54
जोड़ दक्षिण जोन)			**27.92**	**0.07**	**9.38**	**18.36**	**1.89**	**29.70**	**57.62**
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	0.14	1.39	0.00	0.00	1.53	6.53
	29.	महाराष्ट्र	11.77	0.13	2.41	2.42	2.23	7.19	18.96
	30.	गोवा	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	0.41	1.63	1.79	1.95	5.78	9.15
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	0.18	0.70	2.31	0.12	3.31	8.43
		जोड (पश्चिम जोन)	**25.41**	**0.86**	**6.13**	**6.52**	**4.30**	**17.81**	**43.22**
		सकल जोड़	129.69	6.28	28.85	76.69	17.08	128.90	258.59

(आंकड़े लाख टन)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य श्रेत्र	कैप			सकल जोड़	रखा स्टाक	उपयोग (%)
			अपनी	किराए की	जोड़			
1	2	3	11	12	13	14	15	16
पूर्व	1.	बिहार	0.97	0.00	0.97	6.72	4.62	69
	2.	झारखंड	0.02	0.00	0.02	1.19	1.04	87
	3.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	6.43	3.41	53
	4.	पश्चिम बंगाल	0.51	0.00	0.51	11.06	9.07	82
	5.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.11	0.08	73
		कुल (पूर्व जोन)	**1.50**	**0.00**	**1.50**	**25.51**	**18.22**	**71**
पूर्वोत्तर	6.	असम	0.00	0.00	0.00	2.73	2.00	73
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.22	0.09	41
	8.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.26	0.17	65
	9.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.23	0.15	65
	10.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.51	0.40	78
	11.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.20	0.17	85
	12.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.34	0.32	94
		कुल (पूर्वोत्तर जोन)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.49**	**3.30**	**73**
उत्तर	13.	दिल्ली	0.31	0.00	0.31	3.67	2.32	63
	14.	हरियाणा	3.33	0.01	3.34	24.45	17.37	71

1		2	10	11	12	13	14	15
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	80
	16.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	1.31	0.68	52
	17.	पंजाब	6.35	2.97	9.32	73.33	58.14	79
	18.	चण्डीगढ़	0.18	0.16	0.34	2.96	2.39	81
	19.	राजस्थान	1.82	1.31	3.13	16.08	17.13	107
	20.	उत्तर प्रदेश	5.20	0.10	5.30	26.87	15.62	58
	21.	उत्तराखंड	0.16	0.14	0.30	2.37	2.01	85
		जोड़ (उत्तर जोन)	**17.35**	**4.69**	**22.04**	**151.29**	**115.86**	**77**
दक्षिण	22.	आन्ध्र प्रदेश	2.62	0.00	2.62	38.11	35.65	94
	23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	43
	24.	केरल	0.20	0.00	0.20	5.37	4.24	79
	25.	कर्नाटक	1.16	0.00	1.16	8.37	6.83	82
	26.	तमिलनाडु	0.56	0.00	0.56	9.70	8.28	85
	27.	पुडुचेरी	0.05	0.00	0.05	0.59	0.56	95
		जोड़ (दक्षिण जोन)	**4.59**	**0.00**	**4.59**	**62.21**	**55.59**	**89**
पश्चिम	28.	गुजरात	0.27	0.00	0.27	6.80	6.80	100
	29.	महाराष्ट्र	1.02	0.00	1.02	19.98	12.51	63
	30.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.15	0.12	80
	31.	मध्य प्रदेश	0.35	0.00	0.35	9.50	7.70	81
	32.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	8.43	5.55	66
		जोड (पश्चिम जोन)	**1.64**	**0.00**	**1.64**	**44.86**	**32.68**	**73**
		सकल जोड़	25.08	4.69	29.77	288.36	225.65	78

अनुबंध-I (ग)

15-7-2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य श्रेत्र	ढकी						
			भा.खा.नि. के अपने	किराए की					कुल ढकी
				राज्य सरकार	के.भ.नि.	रा.भं.नि.	निजी पार्टियां	कुल किराए की	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.80	1.02	0.47	2.32	5.98
	2.	झारखंड	0.66	0.03	0.19	0.21	0.20	0.63	1.29
	3.	ओडिशा	3.02	0.00	0.80	2.19	0.15	3.14	6.16
	4.	पश्चिम बंगाल	8.59	0.19	0.91	0.00	0.90	2.00	10.59
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
कुल (पूर्व जोन)			**16.03**	**0.26**	**2.70**	**3.42**	**1.72**	**8.10**	**24.13**
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.07	0.00	0.23	0.11	0.37	0.71	2.78
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.23
	8.	मेघालय	0.14	0.00	0.07	0.05	0.00	0.12	0.26
	9.	मिजोरम	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23
	10.	त्रिपुरा	0.29	0.05	0.14	0.00	0.00	0.19	0.48
	11.	मणिपर	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21
	12.	नागालैण्ड	0.20	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.33
कुल (पूर्वोत्तर जोन)			**3.30**	**0.12**	**0.57**	**0.16**	**0.37**	**1.22**	**4.52**
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
	14.	हरियाणा	7.68	4.17	3.08	5.60	2.27	18.14	22.80
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0.00	0.00	0.11	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.15	0.00	0.00	0.03	0.18	1.21
	17.	पंजाब	21.17	0.59	4.72	38.61	4.27	48.19	69.36
	18.	चण्डीगढ़	1.07	0.17	0.83	1.08	0.00	2.08	3.15
	19.	राजस्थान	7.06	0.00	1.68	3.12	1.89	6.69	13.75
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	0.17	4.71	12.30	0.22	17.30	32.25
	21.	उत्तराखंड	0.66	0.27	0.46	0.60	0.05	1.38	2.04
जोड़ (उत्तर जोन)			**57.12**	**5.48**	**15.53**	**61.31**	**8.73**	**91.05**	**148.17**
दक्षिण	22.	आन्ध्र प्रदेश	12.66	0.05	7.08	19.98	2.09	29.20	41.86
	23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
	24.	केरल	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
	25.	कर्नाटक	3.78	0.00	1.58	1.61	0.25	3.44	7.22
	26.	तमिलनाडु	5.80	0.00	2.35	0.51	0.56	3.42	9.22
	27.	पुडुचेरी	0.44	0.00	0.08	0.06	0.00	0.14	0.58
जोड़ (दक्षिण जोन)			**27.92**	**0.05**	**11.09**	**22.16**	**2.90**	**36.20**	**64.12**
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	0.14	1.62	0.00	0.00	1.76	6.76
	29.	महाराष्ट्र	11.90	0.00	2.63	3.17	2.31	8.11	20.01
	30.	गोवा	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	0.07	1.36	0.98	1.87	4.28	7.65
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	0.06	0.87	2.71	0.23	3.87	8.99
जोड़ (पश्चिम जोन)			**25.54**	**0.27**	**6.48**	**6.86**	**4.41**	**18.02**	**43.56**
		सकल जोड़	129.91	6.18	36.37	93.91	18.13	154.59	284.50

(आंकड़े लाख टन)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य श्रेत्र	कैप			सकल जोड़	रखा स्टाक	उपयोग (%)	क्षेत्र के अनुसार कुल प्रभावी भंडारण क्षमता	प्रभावी क्षमता पर उपयोग (%)
			अपनी	किराए की	जोड़					
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18
पूर्व	1.	बिहार	1.00	0.00	1.00	6.98	4.06	58.00	6.60	62
	2.	झारखंड	0.05	0.00	0.05	1.34	0.72	54.00	1.34	54
	3.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	6.16	2.75	45.00	6.16	45
	4.	पश्चिम बंगाल	0.51	0.00	0.51	11.10	5.43	49.00	10.49	52
	5.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.11	0.01	9.00		
कुल (पूर्व जोन)			**1.56**	**0.00**	**1.56**	**25.69**	**12.57**	**50.00**	**24.59**	**53**
पूर्वोत्तर	6.	असम	0.00	0.00	0.00	2.78	1.15	41.00	2.72	42
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.23	0.07	30.00	0.23	30
	8.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.26	0.07	27.00	0.26	27
	9.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.23	0.13	57.00	0.23	57
	10.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.48	0.29	60.00	0.48	60
	11.	मणिपर	0.00	0.00	0.00	0.21	0.08	38.00	0.21	38
	12.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.33	0.13	39.00	0.33	39
कुल (पूर्वोत्तर जोन)			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.52**	**1.92**	**42.00**	**4.46**	**43**
उत्तर	13.	दिल्ली	0.31	0.00	0.31	3.67	1.16	32.00	2.86	41
	14.	हरियाणा	3.33	0.11	3.44	26.24	20.04	76.00	26.24	76
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.25	0.12	48.00	0.25	48
	16.	जम्मू और कश्मीर	0.10	0.00	0.10	1.31	0.75	57.00	1.12	67

1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	पंजाब	7.14	3.28	10.42	79.78	63.60	80.00	83.22	79
	18.	चण्डीगढ़	0.17	0.12	0.29	3.44	2.22	65.00		
	19.	राजस्थान	1.85	1.72	3.57	17.32	15.82	91.00	17.26	92
	20.	उत्तर प्रदेश	5.19	0.00	5.19	37.44	24.94	67.00	35.35	71
	21.	उत्तराखंड	0.21	0.11	0.32	2.36	1.99	84.00	2.30	87
जोड़ (उत्तर जोन)			**18.30**	**5.34**	**23.64**	**173.81**	**130.64**	**76.00**	**168.60**	**77**
दक्षिण	22.	आन्ध्र प्रदेश	2.62	0.00	2.62	44.48	39.67	89.00	43.85	91
	23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	71.00		
	24.	केरल	0.20	0.00	0.20	5.37	3.50	65.00	5.37	65
	25.	कर्नाटक	1.16	0.00	1.16	8.38	6.50	78.00	8.38	78
	26.	तमिलनाडु	0.61	0.00	0.61	9.83	5.21	53.00	9.94	56
	27.	पुडुचेरी	0.06	0.00	0.06	0.64	0.33	52.00		
जोड़ (दक्षिण जोन)			**4.65**	**0.00**	**4.65**	**68.77**	**55.26**	**80.00**	**67.54**	**82**
पश्चिम	28.	गुजरात	0.27	0.00	0.27	7.03	5.44	77.00	6.96	78
	29.	महाराष्ट्र	1.02	0.10	1.12	21.13	13.36	63.00	17.72	76
	30.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	67.00		
	31.	मध्य प्रदेश	0.36	0.00	0.36	8.01	5.87	73.00	7.88	74
	32.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	8.99	7.90	88.00	8.99	88
जोड़ (पश्चिम जोन)			**1.65**	**0.10**	**1.75**	**45.31**	**32.67**	**72.00**	**41.55**	**79**
		सकल जोड़	26.16	5.44	31.60	316.10	233.46	74.00	306.74	76

प्रभावी क्षमता: क्षेत्रों द्वारा यथासूचित खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध क्षमता।

अनुबंध-II (क)

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चावल की राज्यवार खरीद को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खरीफ विपणन मौसम 2007-08	खरीफ विपणन मौसम 2008-09	खरीफ विपणन मौसम 2009-10	खरीफ विपणन मौसम 2010-11#
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	75.97	90.58	75.55	88.07
असम	0.00	0.03	0.08	0.14
बिहार	5.56	10.83	8.90	8.31
चण्डीगढ़	0.09	0.10	0.14	0.10
छत्तीसगढ़	27.43	28.48	33.57	36.38
गुजरात	0.23	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	15.74	14.25	18.19	16.87
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.01
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.07	0.00	0.09
झारखंड	0.19	1.43	0.23	0.00
कर्नाटक	0.18	1.07	0.86	1.68
केरल	1.68	2.37	2.61	2.61
मध्य प्रदेश	0.69	2.47	2.55	4.06
महाराष्ट्र	1.60	2.61	2.30	2.71
ओडिशा	23.57	28.01	24.96	24.26
पुड्डुचेरी	0.06	0.08	0.08	0.00
पंजाब	79.81	85.54	92.75	86.35
राजस्थान	0.19	0.11	0.00	0.00
तमिलनाडु	9.69	12.01	12.41	14.35
उत्तर प्रदेश	28.91	40.07	29.01	-

1	2	3	4	5
उत्तराखंड	1.47	3.49	3.75	4.17
पश्चिम बंगाल	14.29	17.44	12.40	10.60
जोड़	287.35	341.04	320.34	324.81

#खरीद आंकड़े 27-7-2011 की स्थिति के अनुसार।

अनुबंध-II (ख)

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गेहूं की राज्यवार खरीद को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रबी विपणन मौसम 2008-09	रबी विपणन मौसम 2009-10	रबी विपणन मौसम 2010-11	रबी विपणन मौसम 2011-12*
1	2	3	4	5
बिहार	5.00	4.97	1.83	4.37
चण्डीगढ़	0.10	0.12	0.09	0.07
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	-
दिल्ली	0.07	0.00	0.10	0.08
गुजरात	4.15	0.75	0.01	1.05
हरियाणा	52.37	69.24	63.47	68.91
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.01	0.01	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.01	0.01	0.00	0.00
झारखंड	0.01	0.00	neg	0.00
मध्य प्रदेश	24.10	19.68	35.39	48.94
महाराष्ट्र	0.10	0.00	0.00	0.00
पंजाब	99.41	107.25	102.09	109.57
राजस्थान	9.35	11.52	4.76	13.02
उत्तर प्रदेश	31.37	38.82	16.45	34.60

1	2	3	4	5
उत्तराखंड	0.85	1.45	0.86	0.42
पश्चिम बंगाल	-	-	0.09	-
जोड़	226.89	253.82	225.14	281.05

*खरीद आंकड़े 27-7-2011 की स्थिति के अनुसार।

अनुबंध-III

2008-09 से 2010-11 तक पिछले तीन वर्षों में जारी न किए जाने योग्य (क्षतिग्रस्त) पाया गया राज्यवार स्टाक

(आंकड़े टन)

क्र.सं.	क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	बिहार	14	726	200
2.	झारखंड	15	17	39
3.	ओडिशा	84	0	18
4.	पश्चिम बंगाल	1789	1357	922
5.	असम	83	38	49
6.	पूर्वोत्तर सीमांत	212	77	175
7.	एन एंड एम	6	0	1
8.	दिल्ली	0	5	1
9.	हरियाणा	16	0	53
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0	11	0
12.	पंजाब	16798	2273	182
13.	राजस्थान	0	12	21
14.	उत्तर प्रदेश	62	14	520
15.	उत्तराखंड	4	0	1338

1	2	3	4	5
16.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	3
17.	केरल	98	19	99
18.	कर्नाटक	74	70	17
19.	तमिलनाडु	1	1	12
20.	गुजरात	655	814	2595
21.	महाराष्ट्र	189	245	97
22.	मध्य प्रदेश	14	49	2
23.	छत्तीसगढ़	0	974	2
	जोड़	20114	6702	6346

श्री जोस के. मणि: अध्यक्ष महोदया, भंडारण क्षमता के निर्माण हेतु पूंजीगत परिणाम का मुख्य संघटक भूमि की लागत और उपलब्धता से संबंधित है। रेलवे अपनी अतिरिक्त भूमि के वाणिज्यिकरण के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वे रेलवे टर्मिनलों पर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु माल गोदाम के साथ रेलवे के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि अथवा गोदाम सुविधाओं का अधिग्रहण करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. के.वी. थामस: महोदया, रेल साइड वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन इस विशेष आधार पर कार्य कर रहा है...*(व्यवधान)*

हम भी रेलवे प्राधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं...*(व्यवधान)* यह प्रक्रिया चल रही है...*(व्यवधान)*

श्री जोस के. मणि: महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मेरे साथ ऐसा मत कीजिए

[हिन्दी]

इसको पीछे रखिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*...*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

टेलीविजन विषय-वस्तु का विनियमन

***22. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर हिंसा, दहशत तथा अश्लीलता के प्रदर्शन पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे दोषी टी.वी. चैनलों के खिलाफ चैनल-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी विषय-वस्तु के चित्रण को रोकने के लिए संगत नियमों/अधिनियमों में परिवर्तन/संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर दिखाई गई हिंसा, अश्लीलता एवं अशिष्टता आदि के कुछ मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं।

(ख) टेलीविजन चैनलों में हुए ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध को गई कार्रवाई को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) निजी टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों की कोई पूर्व-सेंसरशिप नहीं होती है। तथापि, सभी निजी टेलीविजन चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना आवश्यक होता है। जब कभी इन संहिताओं का किसी प्रकार का उल्लंघन मंत्रालय की जानकारी में लाया जाता है, तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। सरकार ने बेहतर विषय-वस्तु तैयार करने और विषय-वस्तु से संबंधित शिकायतों का कारगर निदान करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्व-विनियमन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रसारण उद्योग के साथ मिल-जुलकर भी कार्य किया है। इस दिशा में, समाचार एवं गैर-समाचार टीवी चैनलों - दोनों के मामले में उद्योग के प्रतिनिध्यात्मक निकायों द्वारा स्व-विनियमन तंत्र की स्थापना की गई है। समाचार प्रसारक संघ ने समाचार चैनलों के स्व-विनियमन हेतु आचार-संहिता और प्रसारण मानक तैयार किए हैं। भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान ने भी गैर-समाचार चैनलों के स्व-विनियमन के लिए विषय-वस्तु संहिता व प्रमाणन-नियम तैयार किए हैं।

विषय-वस्तु से संबंधित शिकायतों का निदान करने के प्रयोजन से समाचार प्रसारक संघ और भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान - दोनों ने एक द्वि-स्तरीय संरचना की स्थापना की है। स्तर-I पर शिकायतों का निदान प्रसारकों के स्तर पर किया जाना होगा। समाचार चैनलों के लिए समाचार प्रसारक संघ ने स्तर-II पर समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एन.बी.एस.ए.) की स्थापना की है जोकि एक नौ सदस्यीय निकाय है और सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हैं। गैर-समाचार चैनलों के लिए भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आई.बी.एफ.) ने भी स्तर-II पर प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद (बी.सी.सी.सी.) की स्थापना की है जोकि 13 सदस्यीय निकाय है जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।

टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के विनियमन के संबंध में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी.आई.) नामक एक स्व-विनियामक निकाय द्वारा अंगीकृत सिंहिता को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित विज्ञापन संहिता में शामिल किया गया है। ए.एस.सी.आई. ने विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद (सी.सी.सी.) की स्थापना की है। ये उपाय टेलीविजन चैनलों पर दिखाई जा रही विषय-वस्तु के स्व-विनियमन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

प्रिंट मीडिया के संबंध में भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखने और उनमें सुधार लाने तथा प्रेस के बीच स्व-विनियमन के सिद्धांतों को आत्मसात कराने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद (पी.सी.आई.) नामक

एक सांविधिक स्वायत्त-शासी निकाय की स्थापना की गई है। तदनुसार, भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस के बीच स्व-विनियमन को प्रचलित कराने के उद्देश्य से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ख) के अंतर्गत 'पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंड' तैयार किए हैं। इन मानदंडों में पत्रकारिता के सामान्य सिद्धांत व आचार-संहिता और साम्प्रदायिक उपद्रव, आतंकवाद, एड्स, वित्तीय पत्रकारिता, चुनाव से संबंधित रिपोर्टिंग आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों पर दिशानिर्देश भी शामिल हैं। 'मानदंडों' का पैरा-17 "परहेज की जाने वाली अश्लीलता व अशिष्टता" नामक विषय से संबंधित है जबकि पैरा-19 'हिंसा को महिमा-मंडित न करना' नामक विषय से संबंधित है। 'पत्रकारिता संबंधी आचरण' के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद के मानदंडों का विगत वर्षों के दौरान विकास होता रहा है और इस समय प्रेस द्वारा वर्ष 2010 के संस्करण का अनुसरण किया जा रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम और विज्ञापनों में हिंसा, अभद्रता एवं अश्लीलता के लिए निजी उपग्रह टीवी चैनलों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे का विवरण

क्र. सं.	चैनल का नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
		वर्ष 2008		
1.	एम टीवी	'न्यू एक्स डियोड्रेंट' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22-02-2008	एम टीवी चैनल को दिनांक 02-05-2008 के आदेश के तहत तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया था। चैनल ने इसका अनुपालन किया। **मामला बंद कर दिया गया है।**
2.	स्टार न्यूज	'न्यू एक्स डियोड्रेंट' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22-02-2008	स्टार न्यूज चैनल को दिनांक 02-05-2008 के आदेश के तहत तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया था। चैनल ने इसका अनुपालन किया। **मामला बंद कर दिया गया है।**
3.	इंडिया न्यूज	आरुषि हेमराज के यौन क्रिया-कलापों वाले एम.एम.एस. पर आधारित समाचार का प्रसारण	09-06-2008	चैनल को दिनांक 05-09-2008 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
4.	सभी टीवी चैनल	'फ्रेंची-X' का विज्ञापन	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	विज्ञापन का प्रसारण बंद करने के लिए सभी टीवी चैनलों को दिनांक 15-05-2008 को सलाहपत्र जारी किया गया।
5.	सभी टीवी चैनल	'लक्स कोजी अधोवस्त्र' का विज्ञापन	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	विज्ञापन का प्रसारण बंद करने के लिए सभी टीवी चैनलों को दिनांक 10-06-2008 को सलाहपत्र जारी किया गया।

1	2	3	4	5
6.	हैडलाइन्स टुडे	बिकिनी के 62 वर्ष पूरे होने पर बर्थ डे सूट नामक अश्लील समाचार का प्रसारण	11-08-2008	चैनल को दिनांक 23-03-2009 को सलाहपत्र जारी किया गया।
7.	एम टीवी	स्पिलिट्स विला नामक अश्लील रियलिटी शो का प्रसारण	11-08-2008	कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। **मामला बंद कर दिया गया है।**
8.	ई टीवी बंगला	एक्स डार्क टेम्पटेशन डियोड्रेंट के अभद्र और अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22-08-2008	विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है।
9.	आज तक	एक्स डार्क टेम्पटेशन डियोड्रेंट के अभद्र और अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22-08-2008	विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है।
10.	डिस्कवरी	एक्स डार्क टेम्पटेशन डियोड्रेंट के अभद्र और अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22-08-2008	विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है।
11.	बिंदास	'दादागिरी' नामक अभद्र कार्यक्रम का प्रसारण	11-09-2008	चैनल को दिनांक 25-11-2008 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
12.	स्टार मूवीज	'वर्जिन मोबाइल' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	19-09-2008	विज्ञापन को वापस ले लिया गया है। **मामला बंद कर दिया गया है।**
13.	डिस्कवरी	'वर्जिन मोबाइल' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	19-09-2008	विज्ञापन को वापस ले लिया गया है। **मामला बंद कर दिया गया है।**
14.	हंगामा	'शिन चैन' नामक कार्टून शो में अश्लील दृश्यों का प्रसारण जिससे बच्चों की छवि खराब होती है।	23-09-2008	कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि कार्यक्रम पहले ही बंद कर दिया गया है। **मामला बंद कर दिया गया है।**
15.	चैनल [वी]	'गेट गार्जियस 5' नामक अश्लील रियलिटी ब्यूटी शो का प्रसारण	08-10-2008	चैनल को दिनांक 03-07-2009 को चेतावनी जारी की गई है। **मामला बंद कर दिया गया है।**
16.	न्यूज 24	'विग बॉस सीजन 2' नामक रियलिटी शो का प्रसारण	18-11-2008	चैनल को दिनांक 03-06-2009 को चेतावनी जारी की गई है। **मामला बंद कर दिया गया है।**
17.	कलर्स	'विग बॉस सीजन 2' नामक रियलिटी शो का प्रसारण	18-11-2008	चैनल को दिनांक 03-06-2009 को चेतावनी जारी की गई है। **मामला बंद कर दिया गया है।**
18.	इंडिया टीवी	बच्चों की छवि खराब करता 'ये बच्चों का खेल नहीं' नामक समाचार आइटम का प्रसारण	12-12-2008	इंडिया टीवी चैनल ने एन.सी.पी.सी.आर. को मामला प्रस्तुत किया और क्योंकि वे चैनल से संतुष्ट हैं उन्होंने मंत्रालय से

1	2	3	4	5
				मामले पर आगे कार्रवाई न करने का अनुरोध किया है। अत: मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
		वर्ष 2009		
1.	एम टीवी	एमटीवी रोडीज नामक अभद्र, असभ्य और अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण	31-03-2009	चैनल को दिनांक 01-07-2009 के आदेश के तहत तीन दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया था। **मामला बंद कर दिया गया है।**
2.	एम.टीवी चैनल	दूसरे प्रतिभागी पर अनुचित टिप्पणी करने वाले वोडाफोन एम टीवी स्पिलिट्स विला-2 नामक कार्यक्रम का प्रसारण	02-06-2009	चैनल को दिनांक 04-01-2010 को तीन दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए चेतावनी जारी की गई। चैनल ने निदेश का पालन किया। **मामला बंद कर दिया गया है।**
3.	इंडियाविजन चैनल	तिरुवनंतपुरम में एक नन द्वारा खुदकुशी की वारदात से संबंधित समाचार	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	चैनल को दिनांक 23-06-2009 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
4.	एशिया नेट	तिरुवनंतपुरम में एक नन द्वारा खुदकुशी की वारदात से संबंधित समाचार	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	चैनल को दिनांक 23-06-2009 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
5.	इंडिया टीवी	स्टार प्लस चैनल पर प्रसारित 'सच का सामना' शो पर आधारित समाचार का प्रसारण	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	चैनल को दिनांक 24-08-2009 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
6.	आज तक	स्टार प्लस चैनल पर प्रसारित 'सच का सामना' शो पर आधारित समाचार का प्रसारण	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	चैनल को दिनांक 24-08-2009 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
7.	9X टीवी	भयानक दृश्य दिखाने वाले 'ब्लैक' नामक धारावाहिक का प्रसारण	27-07-2009	चैनल को दिनांक 04-01-2010 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
8.	एनडी टीवी इमैजिन	असभ्य दृश्य दिखाने वाले बंदिनी नामक धारावाहिक का प्रसारण	28-07-2009	चैनल को दिनांक 01-12-2009 को सलाह-पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया है।**
9.	बिंदास	अश्लील धारावाहिक 'सुन यार चिल मार' का प्रसारण	29-07-2009	चैनल को दिनांक 29-12-2009 को सलाह-पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया है।**

1	2	3	4	5
10.	चैनल [वी]	'लांच पैड' नामक असभ्य कार्यक्रम का प्रसारण	29-07-2009	चैनल को दिनांक 11-12-2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
11.	वीएच 1	असभ्य दृश्य दिखाते 'सैटरडे नाइट लाइव' कार्यक्रम का प्रसारण	19-08-2009	चैनल को दिनांक 08-12-2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
12.	बिंदास	'दादागिरी' नामक रियलिटी शो का प्रसारण	26-08-2009	चैनल को दिनांक 04-03-2010 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
13.	सोनी	'इस जंगल से मुझे बचाओ' नामक रियलिटी शो का प्रसारण	26-08-2009	चैनल को दिनांक 11-12-2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
14.	एफटीवी कॉम इंडिया	अश्लील दृश्यों का प्रसारण	11-09-2009	चैनल को 9 दिन तक प्रसारण बंद करने के लिए 10-03-2010 को आदेश जारी किया गया।
15.	कलर्स चैनल	'बिग बॉस सीजन-3' नामक रियलिटी शो का प्रसारण	26-10-2009	चैनल को दिनांक 18-12-2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
		वर्ष-2010		
1.	बिंदास	'इमोशनल अत्याचार' नामक रियलिटी शो का प्रसारण	02-02-2010	चैनल को कार्यक्रम का समय रात्रि 11.00 बजे के बाद किसी भी समय करने के निदेश देने हेतु पत्र भेजा गया। चैनल ने उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन किया।
2.	एम टीवी	'स्पिलिट्स विला-3' नामक रियलिटी शो का प्रसारण	03-02-2010	चैनल को दिनांक 26-04-2010 को तीन दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए चेतावनी जारी की गई। चैनल ने उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन किया। **मामला बंद कर दिया गया है।**
3.	टीवी 5	चिंतामणि और बिग स्क्रीन नामक कार्यक्रम में अभद्र दृश्यों का प्रसारण	25-02-2010	चैनल को दिनांक 18-08-2010 को तीन दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए चेतावनी जारी की गई। चैनल ने उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन किया। **मामला बंद कर दिया गया है।**

1	2	3	4	5
4.	एनडी टीवी	टेनिस खिलाड़ी 'सेरेना विलियम्स' के नग्न चित्रों का प्रसारण	26-04-2010	चैनल को दिनांक 16-11-2010 को चेतावनी जारी की गई।
5.	फॉक्स हिस्ट्री चैनल	'मैडवेंचर्स' कार्यक्रम में अभद्र दृश्यों का प्रसारण जिसमें एक व्यक्ति नग्न लेटा हुआ था और उस पर सुशी फैली हुई थी।	26-04-2010	चैनल को दिनांक 23-08-2010 को चेतावनी जारी की गई।
6.	जय हिंद टीवी	लाइफ स्केचेज नामक कार्यक्रम में महिलाओं का अश्लील चित्रण जिससे उनकी छवि धूमिल हुई है।	26-04-2010	चैनल को दिनांक 23-08-2010 को चेतावनी जारी की गई।
7.	एसएस म्यूजिक	'सिजलिंग हिट्स' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जो अभद्र और अश्लील था।	13-05-2010	चैनल को दिनांक 16-11-2010 के आदेश के तहत सात दिन के लिए प्रसारण/पुनः प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए। चैनल ने आदेश के विरुद्ध माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी और अपने पक्ष में निर्णय ले लिया। मंत्रालय ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ में अपील की है।
8.	हंगामा	'शिन चैन' नामक एनीमेटेड धारावाहिक में अश्लील और अभद्र सामग्री का प्रसारण	06-07-2010	कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
9.	स्टार प्लस	'तेरे लिए' धारावाहिक में एक समुदाय के विरुद्ध अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणी का प्रसारण	26-08-2010	चैनल को दिनांक 28-02-2011 को चेतावनी जारी की गई।
10.	इमैजिन टीवी	'राखी का इंसाफ' रियलिटी शो का प्रसारण जो कि अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपर्युक्त नहीं था।	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	चैनल को अन्य के साथ-साथ कार्यक्रम का समय रात्रि 11.00 बजे के बाद किसी भी समय करने के निदेश देते हुए दिनांक 16-11-2010 को आदेश जारी किया गया। चैनल ने उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन किया।
11.	कलर्स	बिग बॉस सीजन-4 रियलिटी शो का प्रसारण जो कि अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपर्युक्त नहीं था।	09-12-2010	दिनांक 23-12-2010 को चैनल को कार्यक्रम का समय रात्रि 11.00 बजे के बाद किसी भी समय करने के निदेश के साथ क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का आदेश जारी किया गया। चैनल ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। कार्यक्रम जनवरी 2011 में समाप्त हो गया है।

1	2	3	4	5
12.	कलर्स	'रिश्तों से बड़ी प्रथा' धारावाहिक का प्रसारण जिसमें अत्यधिक हिंसा, महिलाओं की खराब छवि का प्रदर्शन किया गया जो कि अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है।	29-12-2010	चैनल कार्यक्रम को वापस लेने के लिए सहमत हो गया है।
13.	इमैजिन टीवी	'अरमानों का बलिदान-आरक्षण' धारावाहिक का प्रसारण	30-12-2010	चैनल को दिनांक 23-02-2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
		वर्ष-2011		
1.	बिंदास	'इमोशनल अत्याचार सीजन-2' कार्यक्रम में अभद्र दृश्यों, असभ्य और अश्लील भाषा का प्रसारण	22-02-2011	चैनल को दिनांक 26-07-2011 को सात दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए आदेश दिए गए।
2.	बिंदास	'दादागिरी-रिवेंज ऑफ सेक्सेस' कार्यक्रम में असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण	19-04-2011	चैनल का उत्तर प्राप्त हो गया है। मामला विचाराधीन है।
3.	टी.एल.सी.	विभिन्न कार्यक्रमों में अभद्रता और अश्लीलता का प्रसारण	19-04-2011	चैनल का उत्तर प्राप्त हो गया है। मामला विचाराधीन है।
4.	सोनी टीवी	'कामेडी सर्कस महासंग्राम' रियलिटी शो में असभ्य और बच्चों को छवि खराब करती विषय वस्तु का प्रसारण	20-04-2011	चैनल को दिनांक 25-07-2011 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
5.	बिंदास	'लव लॉक अप' नामक असभ्य रियलिटी शो का प्रसारण	05-05-2011	चैनल को दिनांक 28-07-2011 को चेतावनी जारी की गई।
6.	चैनल [वी]	'फुल टॉस वेला ब्वायज' रियलिटी शो में अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण	05-05-2011	चैनल को दिनांक 25-07-2011 को चेतावनी जारी की गई।
7.	पीपल टीवी	'अझाता कझाचा' कार्यक्रम में अश्लील विषय वस्तु का प्रसारण	19-05-2011	चैनल का उत्तर प्राप्त हो गया है। मामला विचाराधीन है।
8.	बिंदास	'मेरी तो लग गई नौकरी' कार्यक्रम में अभद्रता एवं अश्लीलता और असभ्यता का प्रसारण	27-05-2011	चैनल का उत्तर प्राप्त हो गया है। मामला विचाराधीन है।
9.	न्यूज 9	'शीला साइज प्रोब्लम्स' कार्यक्रम में अभद्रता एवं अश्लील दृश्यों का प्रसारण जिनमें महिलाओं की छवि को अपमानित और खराब किया गया है।	01-06-2011	चैनल का उत्तर प्राप्त हो गया है। मामला विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
10.	सोनी पिक्स	कुछ अंग्रेजी फिल्मों में अभद्र एवं असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण	11-07-2011	चैनल का उत्तर प्राप्त हो गया है। मामला विचाराधीन है।
11.	एफएक्स चैनल	विभिन्न कार्यक्रमों में अभद्र, अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण	18-07-2011	चैनल से उत्तर आना अभी बाकी है।
12.	एनडी टीवी गुड टाइम्स	'लाइफ इज ए बीच' कार्यक्रमों में अभद्र एवं असभ्य दृश्यों का प्रसारण	25-07-2011	चैनल से उत्तर आना अभी बाकी है।
13.	स्टार वर्ल्ड	विभिन्न कार्यक्रमों में अभद्र, अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण	27-07-2011	चैनल से उत्तर आना अभी बाकी है।
14.	फाक्स क्राइम चैनल	विभिन्न कार्यक्रमों में अभद्र, अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण	28-07-2011	चैनल से उत्तर आना अभी बाकी है।
15.	विभिन्न टीवी चैनल	एक्स इपेक्ट डियोड्रेंड के विज्ञापन का प्रसारण	कोई कारण बताओं नोटिस नहीं	मामले को ए.एस.सी.आई. के साथ उठाया गया। ए.एस.सी.आई. ने विज्ञापन को संशोधित करने/प्रासरण से हटाने के लिए प्रसारकों को निदेश जारी किए हैं।
16.	विभिन्न टीवी चैनल	सेट वेट डियोड्रेंट के विज्ञापन का प्रसारण	कोई कारण बताओ नोटीस नहीं	-वही-
17.	विभिन्न टीवी चैनल	जटैक डियोड्रेंट के विज्ञापन का प्रसारण	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	-वही-

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का आबंटन

***23. श्रीमती ऊषा वर्मा:**

श्री आर. थामराईसेवलन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने बढ़ते मूल्य से गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए और साथ ही अधिशेष भंडार को समाप्त करने के लिए सरकार को देश के निर्धनतम जिलों में खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त व्यवस्था के अंतर्गत कितनी मात्रा में खाद्यान्न आबंटित तथा वितरित किए गए;

(ग) क्या अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शामिल जिलों को भी इस व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की अधिशेष उपलब्धता और खाद्यान्नों के अतिरिक्त आबंटन के लिए राज्यों से प्राप्त अनुरोध तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर विचार करते हुए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियों को वितरण करने के लिए खाद्यान्नों का समय-समय पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आबंटन करती रही है। सरकार ने 2010-11 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 50 लाख टन खाद्यान्न सहित 105.66 लाख टन चावल और गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया है। इसी प्रकार वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में गरीबी रेखा से नीचे के निर्गम मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वितरण करने के लिए 50 लाख टन चावल और गेहूं का तदर्थ अतिरिक्त आबंटन किया है।

खाद्यान्न के अधिकार के संबंध में पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ और अन्य की 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14-5-2011 के अपने आदेश में निदेश दिया है कि एक बारगी उपाय के रूप में व्यापक जनहित में यह नितांत अनिवार्य है कि 150 निर्धनतम जिलों अथवा समाज के अत्यंत गरीब और कमजोर वर्गों में वितरण करने के लिए 5 मिलियन टन खाद्यान्न सुरक्षित रखा जाए। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी केन्द्रीय सतर्कता समिति से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गई है कि वे निर्धनतम जिलों अथवा समाज के निर्धनतम वर्गों की पहचान करें और यह सुनिश्चित करे कि इस वर्ग तक समय-समय पर अतिरिक्त रूप से आबंटित खाद्यान्न पहुंचे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी केन्द्रीय सतर्कता समिति ने योजना आयोग और राज्य सरकारों द्वारा दी गई जिलों की सूचियों के आधार पर 174 पिछड़े जिलों की पहचान की है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी केन्द्रीय सतर्कता समिति से प्राप्त सिफारिशों के अनुसरण में 21 जुलाई, 2011 को 8 राज्यों में 45 जिलों को 3 महीनों के लिए 2,57,336.67 टन चावल और गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

कृषि विकास दर

***24. श्रीमती जे. शांता:**

श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य से पीछे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत आबंटन किया गया; और

(घ) उक्त योजना की शेष अवधि में लक्ष्य प्राप्त करने तथा देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 4% वृद्धि लक्ष्य की तुलना में, योजना अवधि के पहले चार वर्षों अर्थात 2007-08 से 2010-11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 3.2% रही है। 2009-10 के दौरान देश के अधिकांश भागों में अत्यधिक सूखे तथा 2010-11 में कुछ राज्यों नामतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में सूखे/कम वर्षा के कारण कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि को भारी झटका लगा।

(ग) उक्त अवधि (2007-08 से 2011-12) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात रूप में कृषि क्षेत्र (कृषि एवं सहकारिता, पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग तथा डेयर) को आबंटन की प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

वर्ष	बजट आबंटन (संशोधित, अनुमान) कृषि एवं सह-कारिता, पशुपालन, डेयरी एवं मात्सियकी विभाग तथा डेयर) (करोड़ रुपए)	मौजूदा मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपए)	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बजट आबंटन की प्रतिशतता
2007-08	9171.94	836518.00	1.1
2008-09	12588.22	928943.00	1.4
2009-10	13716.55	1089297.00	1.3
2010-11	21040.26	1386882.00	1.5

स्रोतः कृषि एवं सहकारिता, पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग, डेयर तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

(घ) देश में कृषि विकास में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से, कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न फसल विकास योजनाएं तथा कार्यक्रम, नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) आदि क्रियान्वित कर रही है। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन तथा तिलहन गांवों के एकीकृत विकास के लिए दो नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी है। दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के दलहन घटक को मिलाकर तथा दो नए संभावित राज्यों नामतः असम तथा झारखंड को शामिल करने के साथ 1-4-2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों में से प्रत्येक को 1000 हैक्टेयर के 1000 यूनिटों को शामिल करने के लिए ब्लाक प्रदर्शनों के रूप में 'त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)" नामक एक नए कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी है। इसके अलावा, देश में उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, विस्तार, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन तथा बागवानी फसलों के विपणन के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

सरकार द्वारा किए गए उक्त उपायों तथा कृषि क्षेत्र को बढ़ी हुई बजटीय सहायता के परिणामस्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि सुधार के संकेतों को दर्शा रही है। केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद (2004-05 मूल्यों पर) के संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2010-11 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि 6.6% पर अनुमानित है जो गत 6 वर्षों के दौरान उच्चतम प्राप्त वृद्धि दर है।

आतंकी हमला

***25. श्री प्रदीप माझी:**

श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2010 से प्रकाश में आए बम विस्फोटों/आतंकी हमलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आतंकी घटनाओं में कथित रूप से शामिल होने के कारण कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया/उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए और कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए तथा इन गतिविधियों के पीड़ितों/निकट संबंधियों को कितने मुआवजे/अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या इन घटनाओं की जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो जांच की क्या स्थिति है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) (i)

केन्द्रीय आसूचना और राज्य पुलिस एजेंसियों के आकलन के अनुसार वर्ष 2010 से मुख्य बू-भाग में हुए बम धमाकों की निम्नलिखित दो घटनाओं के लिए आतंकवादी कार्रवाई जिम्मेदार थी, अर्थात्,

- 13 फरवरी 2010-पुणे में "जर्मन बेकरी" में बम धमाका।
- 13 जुलाई, 2011-मुंबई के झावेरी बाजार, आपेरा हाऊस और दादर क्षेत्र में क्रमिक बम धमाके।

(ii) उपर्युक्त दो घटनाओं के अलावा जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट 9 सितंबर, 2010 और शीतलाघाट, वाराणसी में 7 दिसम्बर, 2010 को हुए दो पृथक बम धमाकों और जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट 9 सितंबर, 2010 को हुई गोलीबारी की घटना में कुछ आतंकवादी समूहों ने इसकी जिम्मेदारी का दावा किया है। इस घटना और दावों की जांच पड़ताल की जा रही है।

(iii) अन्ततः जिन बम धमाकों की घटनाओं की सूचना दी गई है और जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है और जिनमें इस समय आतंकवादी संलिप्तता का कोई संकेत/तथ्य नहीं मिल रहा है वे निम्नवत् हैं:

- 29 मार्च, 2010-महरोली, नई दिल्ली में बम धमाका।
- 17 अप्रैल, 2010-जिन्नास्वामी स्टेडियम, बैगलूरू में बम धमाके।
- 25 मई, 2011-दिल्ली उच्च न्यायालय के निकट बम धमाका।

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों/दायर किये गये मामलों के साथ-साथ मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या पीड़ितों को दिये गए मुआवजे का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। भाग (ख) के उत्तर में दिये गए विवरण के अनुसार।

विवरण

गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों/दायर किये गए मामलों के साथ-साथ मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों तथा पीड़ितों को दिये गए मुआवजे का ब्यौरा

क्र. सं.	घटना	मारे गये	घायल हुए व्यक्ति	मृतकों (एन.ओ.के. को दिया गया मुआवजा (लाख रुपए)	घायलों को दिया गया मुआवजा (लाख) रुपए)	दर्ज किए गए मामले/जांचकर्ता एजेंसी	अभियुक्तों/ गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	मामले की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13-02-2010: जर्मन बेकरी, पुणे में बम धमाका	17	56	85.00	22.00	अदालत में मामला दर्ज और दायर किया गया है/जांच-कर्ता एजेंसी एटीएस, मुम्बई है	7 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है	अदालत के मामला संख्या 5183/10 के तहत दिनांक 4 दिसंबर, 2010 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
2.	29-03-2010 महरौली, नई दिल्ली में बम धमाका	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मामला दायर किया गया है/जांचकर्ता एजेंसी विशेष सेल, दिल्ली पुलिस हैं	शून्य	मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	17-04-2010: एम.सी. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, बैंगलुरू में बम धमाके	शून्य	17	शून्य	3.90	पांच मामले दर्ज किये गए हैं जांच-कर्ता एजेंसी अपराध शाखा, बैंगलुरू पुलिस है।	शून्य	मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
4.	09-09-2010: जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट गोलीबारी और बम धमाका	शून्य	गोली-बारी की घटना में 2	शून्य	शून्य	मामले दर्ज कर दिया गया है। जांचकर्ता एजेंसी विशेष सेल, दिल्ली पुलिस है।	शून्य	मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
5.	07-12-2010: शीतला घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बम धमाका	02	37	2.00	11.75	मामले दर्ज कर दिया गया है। जांचकर्ता एजेंसी ए.टी.एस., उत्तर प्रदेश है।	शून्य	-तदैव-
6.	25-05-2011: उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के बाहर पार्किंग स्थल में धमाका	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मामले दर्ज कर दिया गया है। जांचकर्ता एजेंसी विशेष सेल, दिल्ली पुलिस है।	शून्य	-तदैव-
7.	13-07-2011: मुंबई में क्रमिक, बम धमाके	26	123	75.00	47.30	मामले दर्ज कर दिये गए हैं। जांचकर्ता एजेंसी ए.टी.एस., मुंबई है।	शून्य	-तदैव-

पुलिस का आधुनिकीकरण

***26. श्रीमती सुप्रिया सुले:**

डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंटरनेशनल पुलिस एक्जिक्यूटिव सिम्पोजियम के सहयोग से एक दो दिवसीय ग्लोबल कम्युनिटी पुलिसिंग कन्कलेव का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कन्कलेव के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पुलिस कार्मिकों की कमी तथा पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि पुलिस के सामने कुछ मुद्दे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) केरल पुलिस द्वारा इन्टरनेशनल पुलिस एक्जीक्यूटिव सिम्पोजियम (आई.पी.ई.एस.) के सहयोग से दिनांक 3-4 नवम्बर, 2010 को कोची में एक दो-दिवसीय ग्लोबल कम्युनिटी पुलिसिंग कन्क्लेव का आयोजन किया गया था। सामुदायिक पुलिस-व्यवस्था संबंधी पहलों पर चर्चा करने के लिए इस कनक्लेव में लगभग 35 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पुलिस अनुसंधानकर्ताओं और प्रैक्टीनशनरों

ने प्रतिनिधियों के बीच क्रास-कल्चरल, अन्तर-अनुशासनिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को सुकर बनाना। यह सामुदायिक पुलिस व्यवस्था में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर एक दो-दिवसीय विचार-विमर्श कार्यक्रम (इन्टरफेस) था।

गृह मंत्री द्वारा अपने उद्‌घाटन भाषण में विद्यमान रिक्तियों को भरने और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के मुद्दों पर विशेष बल दिया गया।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इसलिए, पर्याप्त जन शक्ति उपलब्ध कराने और पुलिस में रिक्त पदों को भरने के उपाय करने तथा आन्तरिक सुरक्षा की उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य पुलिस बलों की क्षमता के निर्माण में राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय पुलिस बलों का आधुनिकीकरण नामक एक योजनेतर योजना कार्यान्वित करती रही है। इस योजना के तहत, राज्यों को सुरक्षित पुलिस स्टेशनों, चौकियों, पुलिस लाइनों के निर्माण, आवागमन, सुरक्षा आधुनिक हथियारों, संचार माध्यमों, विधिविज्ञान उपकरणों, प्रशिक्षण अवसंरचना के उन्नयन, पुलिस-आवास के प्रावधान हेतु निधियां प्रदान की जाती हैं।

गृह मंत्रालय राज्यों को अपने पुलिस बलों के रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए समय-समय पर जोर देता रहा है। अपेक्षित कार्रवाई राज्यों द्वारा स्वयं की जाती होती है। राज्य पुलिस बल की वर्तमान संख्या 20,41,372 है जिसमें से 14,22,644 पदों को भर लिया गया है और 6,18,728 पद रिक्त हैं। रिक्तियों का प्रतिशत स्वीकृत संख्या का 30.31% है। वर्ष 2010 के दौरान, 90359 रिक्तियों को भरा गया है।

[हिन्दी]

आतंकवाद का वित्तपोषण

***27. श्री लालचन्द कटारिया:**
श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आतंकवाद का वित्तपोषण किए जाने के मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार आतंकवाद के वित्तपोषण तथा धनशोधन के मामलों से निपटने के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा धनशोधन पर प्रतिबंध लगाने तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के संबंध में वैश्विक मानदंड लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006 से और दिनांक 31 मार्च 2011 तक की स्थिति के अनुसार, 148 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और 56 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं। सक्षम न्यायालयों द्वारा 5 व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया है।

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से 5,61,10,492 रुपए जब्त/कुर्क किए गए हैं/खाते में रोक दिये गये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में एक पृथक प्रकोष्ठ (सी.एफ.टी. सेल) का गठन किया है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली मुद्रा के मामलों पर विशेष ध्यान देने के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) में एक आतंकवाद वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ (टी.एफ.एफ.सी.) का भी गठन किया है।

जहां तक, धन शोधन का संबंध है, प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी.एम.एल.ए.) के तहत नामित सांविधिक प्राधिकरण है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनुसूचित अपराध के आधार पर धन शोधन के अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिए पी.एम.एल.ए. के तहत 23 मामले दर्ज किए हैं।

(ङ) भारत, जून, 2010 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफ.ए.टी.एफ.) का सदस्य बन गया है। भारत के एफ.ए.टी.एफ. का सदस्य बनाने से धनशोधन-रोधी एवं आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी विश्व स्तरीय मानकों को लागू करने के मामले में भारत के उच्च स्तरीय अनुपालन की पुष्टि होती है।

सरकार का अपनी प्रवर्तन क्षमताओं में सुधार लाने के उपायों को शुरू करने/कार्यान्वित करने का विचार है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दूरगामी (आउटरीच) कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना, संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टों के सूचकों का सृजन, विशेष अदालतों का सृजन, अन्तर-एजेंसी समन्वय बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करना इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

मूल्य वृद्धि

***28. श्री पी.के. बिजू:**
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों, सब्जियों, फलों, खाद्य तेलों आदि सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं तथा गत एक वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति ने भी वृद्धि का रुझान दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसे रोकने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा आम आदमी पर बढ़ते मूल्यों/मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) थोक मूल्य सूचकांक आधारित खाद्य (प्राथमिक विनिर्मित वस्तुएं) मुद्रास्फीति दर जून, 2010 के 15.30% से घटकर जून, 2011 में 8.42% हो गई है। जबकि उसी अवधि में खाद्यान्नों की मुद्रास्फीति दर 10.38% से घटकर 1.61%, सब्जियों की 12.24% से घटकर (-) 7.54% हो गई। गत एक वर्ष के दौरान खाद्य तेलों की मुद्रास्फीति दर 0.52% से बढ़कर 15.28% हो गई, जबकि फलों के मामले में यह उसी अवधि में 25.35% से बढ़कर 26.43% हो गई है।

चूंकि भारत खाद्य तेलों की अपनी आवश्यकता का लगभग 50% आयात करता है, अतः खाद्य तेलों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का संचलन घरेलू मूल्यों को प्रभावित करता है, जैसा गत वर्ष के दौरान देखा गया था। फलों के मूल्य मौसमी कारकों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सरकार, जनसंख्या के कमजोर वर्गों पर बढ़ते मूल्यों के प्रभाव से अवगत है। उनके कष्टों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जो अनुलग्नक-I में दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी, 2010 में 20.22% के अपने उच्च स्तर से घटकर जून, 2011 में 8.42% रह गई है।

विवरण

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदम निम्नानुसार हैं:

(क) अल्पकालिक उपाय

I. राजकोषीय उपाय

(i) चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) और मक्खन व घी के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया है। रिफाइण्ड और हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया।

(ii) स्किम्ड मिल्क पाउडर के लिए शुल्क दर कोटे के तहत शुल्क को एक वित्तीय वर्ष में 10,000 मीट्रिक टन समग्र तक के आयात के लिए 15% से घटाकर 5% कर दिया।

(iii) वर्ष 2010-11 के दौरान एन.डी.डी.बी. को टी.आर.क्यू. के अंतर्गत शून्य शुल्क पर 30,000 टन मिल्क पाउडर और 15,000 टन मिल्क फैट के आयात की अनुमति दी गई।

(iv) चीनी मिलों को दिनांक 17-04-2009 को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत (ओ.जी.एल.) तक शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइण्ड चीनी के आयात की अनुमति दी गई। बाद में यह सुविधा, कार्य की मात्रा के आधार पर निजी व्यापारियों को भी प्रदान कर दी गई।

(v) आरंभ में 1 मिलियन टन की सीमा निर्धारित

करते हुए दिनांक 17-04-2010 को एस.टी.सी./एम.एम.टी.सी./पी.ई.सी. और नेफेड को आयात शुल्क मुक्त सफेद/रिफाइण्ड चीनी के आयात की अनुमति प्रदान की गई। केंद्रीय/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियों और निजी व्यापारियों को भी बिना किसी सीमा के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर दी गई।

II. प्रशासनिक उपाय

(i) सभी प्रकार की आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी की अनिवार्यता को हटा दिया गया।

(ii) गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर आगामी आदेशों तक खाद्य तेलों (नारियल तेल और बन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (काबुली चना और जैविक दलहन के अधिकतम 10,000 टन प्रति वर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर दिनांक 30-09-2011 तक प्रतिबंध लगाया गया।

(iii) खाद्य तेलों के 5 कि.ग्रा. ब्राण्डेड उपभोक्ता पैकों में निर्यात की अनुमति दी गई जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 टन प्रति वर्ष होगी।

(iv) खाद्य तेलों के शुल्क दर मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं।

(v) दालों, धान, चावल, खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और चीनी के मामले में स्टॉक सीमा आदेशों को बढ़ा दिया गया।

(vi) जुलाई, 2011 माह में बंगलौर राज प्याज और कृष्णा पुरम प्याज के अतिरिक्त अन्य किस्मों के प्याजों का न्यूनतम निर्यात मूल्य 230 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन था। बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य 350 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन और गैर-बासमती चावल की सोना, मसूरी एवं पोन्नी सांबा किस्मों का न्यूनतम निर्यात मूल्य 850 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन था।

(vii) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्यों को 2002 से कायम रखा गया।

(viii) वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में चावल, उड़द और तूर के बावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलम्बन वर्ष 2010-11 के दौरान जारी रहा। चीनी के भावी सौदा व्यापार को 27-5-2009 से 30-9-2010 तक निलम्बित किया गया। तथापि, 27-12-2010 से इसे पुनः आरंभ कर दिया गया।

(ix) 2009-10 के चीनी मौसम के लिए लेवी चीनी के रूप में अपेक्षित चीनी उत्पाद के अनुपात को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तथापि, वर्ष 2010-11 के चीनी मौसम के लिए लेवी की अनिवार्यता को घटाकर 10% कर दिया गया है।

(x) 25 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन 6-1-2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी से जून, 2011 तक के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत मूल्यों पर किया गया है।

(xi) 50 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन 16 मई, 2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मार्च, 2012 तक वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत के मूल्यों पर किया गया है।

(xii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी से जून 2011, के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को वितरण हेतु 25 लाख टन के खाद्यान्न का एक अतिरिक्त तदर्थ आबंटन किया गया जिसमें 8.45 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूं और 11.85 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल दिया गया।

(xiii) इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 30 जून, 2011 को 50 लाख टन खाद्यान्न का तदर्थ आबंटन, चालू वर्ष के जून, 2011 से मार्च, 2012 माहों के बीच गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए निर्धारित निर्गम दर पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए किया गया।

(xiv) सरकार ने जनवरी, 2011 से सितम्बर, 2011 की अवधि के दौरान ओ.एम.एस.एस. (डी), 2011 के अंतर्गत 25 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल आबंटित किया है।

(xv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 1 कि.ग्रा. की दर पर 10 रुपए की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित दालों के वितरण के लिए स्कीम।

(xvi) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को 1 कि.ग्रा. प्रति राशन कार्ड की दर पर प्रतिमाह 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण के लिए स्कीम।

गैर लाइसेंसी बीटी कपास बीजों का उपयोग

***29. श्री नरहरि महतो:**

श्री नृपेन्द्रनाथ राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसानों द्वारा गैर लाइसेंसी बीटी कपास बीजों का उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कपास की उत्पादकता तथा किसानों के हितों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) गैर लाइसेंसी/नकली बीटी कपास बीज के संबंध में कृषि मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विगत हाल में ही शिकायतें मिली हैं, जिनका की गई कार्रवाई सहित ब्यौरा संलग्न विवरण पर है। देश में कपास की कुल उत्पादकता 2004-05 में (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार) 563 कि.ग्रा. लिन्ट/हैक्टेयर से बढ़कर 2010-11 में 513.95 कि.ग्रा. लिन्ट/हैक्टेयर हो गयी और इसी अवधि में उत्पादन 243 लाख गांठ से बढ़कर 334.25 लाख गांठ हो गया।

खतरनाक सूक्ष्म अवयवों, आनुवंशिक रूप से तैयार अवयवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा नियमावली 1989 के अधीन तथा बीटी कपास बीजों सहित नकली/घटिया बीजों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अधीन पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

विवरण

नकली/अवमानक बीज की आपूर्ति की भारत सरकार को प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	किसे प्राप्त हुई	शिकायत का ब्यौरा	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	कृषि मंत्रालय	खरीफ 2011 से नकली बीटी कपास बीजों की बिक्री	हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 5 एफ.आई.आर. रजिस्टर की गई हैं और 11 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।
2.	गुजरात, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को गुजरात, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में गैर अनुमोदित शाक-नाशी सहिष्णु (एच.टी.) कपास	इस संबंध में शिकायत का सत्यापन करने और गैर कानूनी बीटी कपास बीजों की बिक्री कर रहे विक्रेताओं/वितरकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने

1	2	3	4	5
			बीजों की बिक्री और खेती किए जाने के संबंध में मैसर्स मान्सेंटों से 11-01-2008 का एक पत्र मिला। बाद में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इसी मुद्दे के संबंध में 2005 के डब्ल्यू.पी. (सिविल) 260 में याचिकाकर्ता मैसर्स अरुणा रोड्रिग्युस से एक शिकायत प्राप्त हुई।	के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया था। तदनुसार, संबंधित राज्य सरकार द्वारा नमूने लिए गए तथा शाकनाशी सहिष्णु (एच.टी.) कपास की उपस्थिति की पुष्टि की गई। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है वे विभिन्न शिकायतों पर संज्ञान लेना जारी रखें और ओटाई यूनिटों, अनुसंधान फार्मों, आदि पर कड़ी सतर्कता सुनिश्चित करें। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे भ्रष्ट कम्पनियों और व्यक्तियों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत अभियोजन कार्रवाई शुरू करें। शाकानाशी सहिष्णु बीज का उत्पादन करने वाले मैसर्स उषा एण्टरप्राईजेज के लाइसेंस को आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। इस संबंध में कड़ी सतर्कता के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा फ्लाइंग स्क्वैड भी लगाई गई थी।

राजीव आवास योजना का कार्यान्वयन

***30. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलिन बस्ती निवासियों को सस्ते आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए राजीव आवास योजना का प्रथम चरण शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत नगरों के चयन हेतु सरकार द्वारा क्या मापदंड अपनाए गए हैं और इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले नगरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार मलिन बस्ती निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने की सरकार की परिकल्पना के अनुसरण में, दिनांक 02-06-2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है।

(ख) इस स्कीम में स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए

वित्तीय सहायता दी जाएगी। बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं और किराया आवास समेत आवास तथा स्लमों में स्व-स्थाने पुनर्विकास हेतु पारगमन आवासों के प्रावधान की लागत का 50 प्रतिशत इस स्कीम के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के परिचालन एवं अनुरक्षण सहित केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केन्द्र सरकार का अंश भूमि अधिग्रहण, यदि अपेक्षित हो, की लागत समेत 90 प्रतिशत होगा।

स्लमों को रोकने की नीति के एक भाग के रूप में, भूमि जुटाने को प्रोत्साहन देने तथा सस्ते आवासों की संख्या को बढ़ाने के लिए भागीदारी में किफायती आवास योजना को राजीव आवास योजना के साथ समन्वित जाएगा और किफायती आवास ईकाइयों को प्रति ईकाई 50 हजार रु. या नागरिक अवसंरचना (बाहरी तथा भीतरी) की लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ऋण सामर्थ्य बनाने के उपाय के रूप में, शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम को भी राजीव आवास योजना के साथ समन्वित किया जाएगा जिसकी सब्सिडी ऋण की विद्यमान सीमा एक लाख रुपये होगी।

शहरी गरीबों के आवासीय उद्देश्य के लिये ऋण को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने चालू वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये के समग्र कोष से ऋण जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

(ग) शहरों का चयन केंद्र के साथ परामर्श करके किया जाएगा। इस स्कीम में 12वीं योजना (2017) के अंत तक देश भर में लगभग 250 शहरों को शामिल किए जाने का अनुमान है। शहरों का चयन केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। राज्यों द्वारा शहरों के विकास की गति, स्लमों अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता और क्षेत्रों जहां संपत्ति का अधिकार दिया गया है, पर उपर्युक्त विचार करते हुए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के सभी मिशन शहरों अधिमानतः 2001 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और अन्य छोटे शहरों को शामिल करना अपेक्षित है। स्कीम राज्यों द्वारा निर्धारित गति पर प्रगति करेगी। स्लम मुक्त शहरी योजना स्कीम के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यकलाप करने अर्थात् राजीव आवास योजना के प्रारम्भिक चरण के लिए जिन 157 शहरों को धन राशि जारी की गई है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राजीव आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राज्यों द्वारा किए गए सुधारों के अध्यधीन हैं। यहां अपेक्षित सुधार सीधे-सीधे इस योजना के उद्देश्यों से जुड़े हैं तथा योजना की सफलता के लिये आवश्यक हैं। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत किया जाने वाला मुख्य सुधार कार्य, संबंधित राज्यों को सम्पत्ति संबंधी अधिकार सौंपने हेतु कानून बनाना है।

विवरण

157 शहरों की सूची

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु. में)/शहरों की संख्या	शहर एस.एफ.सी.पी. द्वारा जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	472.72 (10 शहर)	1. ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम (जी.एच.एम.सी.)
		949.40 लाख की दूसरी किश्त मार्च 2011 में निर्मुक्त की गई।	2. ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर-निगम (जी.वी.एम.सी.)

1	2	3	4
			3. विजयवाड़ा
			4. तिरुपति
			5. गुंटूर
			6. नैल्लोर
			7. करनूल
			8. राजामुन्दरी
			9. वारंगल
			10. काकीनाड़ा
2.	अरुणाचल प्रदेश	111.29 (दो शहर)	11. नाहरलागुन
			12. ईटा नगर
3.	असम	76.34 (एक शहर)	13. गुवाहाटी
4.	बिहार	191.59 (चार शहर)	14. पटना
			15. गया
			16. भागलपुर
			17. मुज्जफ्फरपुर
5.	छत्तीसगढ़	182.88 (चार शहर)	18. भिलाई नगर
			19. रायपुर
			20. बिलासपुर
			21. कोरबा
6.	दिल्ली	981.96 (डी.एम.सी.)	22. दिल्ली क्षेत्र का नगर-निगम
7.	गोवा	111.70 (तीन शहर)	23. मारमागोवा
			24. पणजी
			25. मारगोवा
8.	गुजरात	431.64 (आठ शहर)	26. अहमदाबाद
			27. सूरत
			28. वदोदरा

1	2	3	4
			29. राजकोट
			30. जामनगर
			31. भावनगर
			32. भड़ूच
			33. पोरबन्दर
9.	हरियाणा	151.3 (तीन शहर)	34. फरीदाबाद
			35. पानीपत
			36. यमुना नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	63.84 (एक शहर)	37. शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	236.80 (छह शहर)	38. जम्मू
			39. श्रीनगर
			40. अनंतनाग
			41. उधमपुर
			42. बारामूला
			43. कठुआ
12.	झारखंड	206.11 (चार शहर)	44. जमशेदपुर
			45. धनबाद
			46. रांची
			47. बोकारो स्टील सिटी
13.	कर्नाटक	400.4 (आठ शहर)	48. बंगलोर
			49. मैसूर
			50. हुबली-धारवाड़
			51. मैंगलोर
			52. बेलगांव
			53. गुलबर्ग
			54. देवनगरी

1	2	3	4
			55. बिल्लारी
14.	केरल	263.31 (छह शहर)	56. कोच्ची
			57. तिरुअनंतपुरम
			58. कोझीकोड़े
			59. कन्नूर
			60. कोल्लम
			61. थ्रिसूर
15.	मध्य प्रदेश	282.25 (छह शहर)	62. इंदौर
			63. भोपाल
			64. जबलपुर
			65. ग्वालियर
			66. उज्जैन
			67. सागर
16.	महाराष्ट्र	944.67 (सौलह शहर)	68. ग्रेटर मुम्बई
			69. पूना
			70. नागपुर
			71. नासिक
			72. औरंगाबाद
			73. सोलापुर
			74. भिवांडी
			75. अमरावती
			76. कोल्हापुर
			77. संगली-मिराज कुपवाड़
			78. नांदेड़- वागला
			79. मालेगांव
			80. अकोला

1	2	3	4
			81. जलगांव
			82. अहमद नगर
			83. धुले
17.	मणिपुर	55.79 (एक शहर)	84. इम्फाल
18.	मेघालय	95.63 (एक शहर)	85. शिलोंग
19.	मिजोरम	467.07 (आठ शहर)	86. आइजवाल
			87. चमफई
			88. कोलासिब
			89. लोंगतई
			90. लुंग
			91. मामित
			92. साईहा
			93. सरचिप
20.	नागालैण्ड	108.03 (दो शहर)	94. कोहिमा
			95. दिमापुर
21.	ओडिशा	184.12 (पांच शहर)	96. भुवनेश्वर
			97. पुरी
			98. कटक
			99. राउरकेला
			100. ब्रह्मपुर
22.	पुडुचेरी	79.01 (दो शहर)	101. पुडुचेरी
			102. ओझूकरी
23.	पंजाब	583.34 (पांच शहर)	103. लुधियाना
			104. अमृतसर
			105. जालंधर
			106. पटियाला

1	2	3	4
			107. भटिंडा
24.	राजस्थान	281.15 (छह शहर)	108. जयपुर
			109. जौधपुर
			110. कोटा
			111. बीकानेर
			112. अजमेर
			113. उदयपुर
25.	सिक्किम	62.39 (एक शहर)	114. गंगटोक
26.	तमिलनाडु	480.14 (नौ शहर)	115. चैन्नई नगर-निगम
			116. कोयम्बटूर
			117. मदुरई
			118. तिरुचुरापल्ली
			119. सालेम
			120. तिरुपुर
			121. तिरुनावेली
			122. एरोडे
			123. वेल्लौर
27.	त्रिपुरा	54.68 (एक शहर)	124. अगरतला
28.	उत्तर प्रदेश	733.17 (अट्ठारह शहर)	125. कानपुर
			126. लखनऊ
			127. आगरा नगर-निगम
			128. वाराणसी
			129. मेरठ
			130. इलाहाबाद
			131. गाजियाबाद
			132. बरेली

1	2	3	4
			133. अलीगढ़
			134. मुरादाबाद
			135. गोरखपुर
			136. झासी नगर-निगम
			137. सहारनपुर
			138. फिरोजाबाद
			139. मुजफ्फर नगर
			140. मथुरा
			141. शाहाजहानपुर
			142. नोएडा ,
29.	उत्तरांचल	114.63 (तीन शहर)	143. देहरादून
			144. नैनीताल
			145. हरिद्वार
30.	पश्चिम बंगाल	423.27 (चार शहर)	146. कोलकाता
			147. आसनसोल
			148. दुर्गापुर
			149. सिलीगुड़ी (भाग)
31.	दमन और द्वीव	58.06 (दो शहर)	150. दमन
			151. द्वीव
32.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	43.45 (दो शहर)	152. सिलवासा
			153. अमली
33.	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	76.18 (एक शहर)	154. पोर्ट ब्लेयर
34.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	38.94 (तीन शहर)	155. आमीनी
			156. कवरत्ती
			157. मिनीकोए

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के उपस्कर तथा हथियारों का उन्नयन

***31. श्री रामसिंह राठवा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की क्षमता में सुधार हेतु बल के कार्मिकों के लिए नवीनतम उपस्कर तथा हथियार खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है और ऐसे उपस्कर कब तक खरीद लिए जाने और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कार्मिकों को प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के उपस्कर तथा हथियारों के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.) के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु 86.25 करोड़ रुपए की खरीद के लिए (बजट शीर्ष 'हथियार एवं गोलाबारूद', 'मशीनरी एवं उपकरण', 'सूचना प्रौद्योगिकी', 'मोटर वाहन' तथा 'वस्त्र, टेन्ट एवं भंडारण' के लअन्तर्गत) बजट का प्रावधान किया गया है।

(ग) बल का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

डोप परीक्षण

***32. श्री विजय बहादुर सिंह:**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेन्सी द्वारा कराए गए डोपिंग परीक्षणों में कई खिलाड़ियों को पॉजिटिव पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या खिलाड़ियों में कथित डोपिंग के मामलों की जांच करने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के क्या परिणाम निकले तथा इस चूक के लिए जिम्मेदार संबद्ध खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) की डोपिंग रोधी नियमावली 1 जनवरी, 2009 से लागू हुई। 30-6-2011 तक नाडा ने खिलाड़ियों के 6607 नमूने एकत्र किए हैं जिनमें से 242 नमूने डोप पदार्थों के लिए सकारात्मक पाए गए हैं।

(ग) सरकार ने डोपिंग के प्रचलन से संबंधित मुद्दे के सभी पहलुओं की जांच के लिए 7-7-2011 को न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया गया है। जांच समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:-

(1) एथलेटिक विधाओं में बड़े पैमाने पर तथाकथित डोपिंग की हाल की घटनाओं के तथ्यों और परिस्थितियों का निर्धारण।

(2) बड़े पैमाने पर ऐसी डोपिंग की घटनाओं के कारणों की तथा इसमें सन्निहित कार्यप्रणाली की जांच करना जिसमें प्रशिक्षण कैम्पों/प्रतियोगिताओं में तथा उसके इर्द-गिर्द प्रतिबंधित पदार्थों की उपलब्धता भी शामिल है।

(3) इसमें शामिल एजेंसियों, यदि कोई है, की भूमिका की जांच करना।

(4) डोप परीक्षण के प्रोटोकाल तथा इसकी सत्यनिष्ठा और संवर्धन में सुधार के लिए उपचारी उपाय सुझाना ताकि ऐसी चूक यदि कोई है, भविष्य में फिर से न हो।

(5) कोई अन्य विषय।

समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है।

(घ) और (ङ) समिति की रिपोर्ट अभी लंबित है, फिर भी सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

(1) जो विदेशी कोच 4x400 मीटर महिला रिले टीम के साथ जुड़ा था उसे 5-7-2011 को कोचिंग कार्य से वापस ले लिया गया। उनकी सेवाएं 7-7-2011 को समाप्त कर दी गईं।

(2) एक भा.खे.प्रा. एथलेटिक कोच जो पटियाला में राष्ट्रीय कैम्प में 4x400 मीटर रिले टीम से जुड़ा हुआ था, उसे निलंबित कर दिया गया है और दूसरे कोच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(3) एन.एस., एन.आई.एस., पटियाला के न्यू गर्ल्स हास्टल के केयर टेकर को स्थानांतरित कर दिया गया है। उसी प्रकार एन-एस.एन.आई.एस. पटियाला में सिल्वर जुगली गर्ल्स हास्टल के वार्डन को हटा दिया गया है।

(4) एथलीटों के कल्याण की देखभाल करने के लिए 6-7-2011 से एन.एस.एन., आई.एस., पटियाला में अनुबंध पर दो डॉक्टर (महिला डॉक्टर सहित) के रूप में नियुक्ति की गई है।

(5) परीक्षण और भोज्य सामग्री के समुचित वितरण के बारे में भारतीय खेल प्राधिकरण से एक रिपोर्ट मांगी गई है।

(6) उन स्थानीय केमिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एक एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है जो डॉक्टर/वैध लाइसेंस धारक द्वारा दिए गए नुस्खे के बगैर ही काउंटर के बाहर शिड्यूल-एच दवाएं बेच रहे हैं। यह सूचित किया जाता है कि पुलिस ने केमिस्टों के विभिन्न दुकानों पर छापे मारे हैं।

(7) भारत के औषध महानियंत्रक तथा राज्य औषध नियंत्रक से उन केमिस्टों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संपर्क किया गया है जो डॉक्टरों के नुस्खे के बगैर शिडायूल-एच दवा बेच रहे हैं.

(8) सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद से केमिस्टों द्वारा कदाचार में संलिप्तता पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए भी संपर्क किया गया है।

(9) राष्ट्रीय कोचिंग कैम्प में भाग ले रहे शीर्ष खिलाड़ियों, राष्ट्रीय कोचों और सहायक स्टाफ को प्रतिबंधित दवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेष व्याख्यानों की भी व्यवस्था की जा रही है। एन.एस.एन.आई.एस. पटियाला ने भी दवा मुक्त खेल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी को अनुदेश जारी किए हैं।

(10) भा.खे.प्रा. एन.एस.एस.सी. बंगलौर ने राष्ट्रीय कोचिंग कैम्प के दो कैम्पर परीक्षाण में सकारात्मक पाए गए और अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे उनके कोचों की सेवाएं 6-6-2011 से समाप्त कर दी गई हैं।

(11) नाडा ने डोपिंग नियंत्रण अधिकारियों को बारी-बारी से तैनात करने के लिए पहले ही कार्रवाई कर ली है।

नाडा द्वारा खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए किए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय निम्न प्रकार हैं:-

(1) लंदन ओलंपिक, 2012 के लिए विभिन्न केन्द्रों पर प्रशिक्षण पा रहे शीर्ष संभावितों की जांच की आवृत्ति बढ़ाना।

(2) प्रशिक्षण संस्थानों में एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मियों के कमरों की औचक जांच तथा नमूनों का औचक संग्रह।

(3) खिलाड़ियों, कोचों तथा सहायक कर्मियों के बीच डोप संबंधी विषयों से संबंधित शैक्षिक सामग्रियों का वितरण।

(4) एथलीटों और कोचों के साथ सेमिनार/कार्यशालाओं, शैक्षिक सत्रों में वृद्धि।

(5) कोचों और सहायक कर्मियों पर उनके नियोक्ताओं के माध्यम से बारीकी से नजर रखना तथा सतर्कता रखना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध

***33. श्री एस.आर. जेयदुरई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध के कई मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बरलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़-छाड़, हत्या, बैंक-लूट/वाहनों/मोबाइलों/लैपटॉपों की चौरी, डकैती, अपहरण, चेन छीनने आदि सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध-वार ऐसे कुल कितने मामले सामने आए/दर्ज किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनमें से पृथक-पृथक कुल कितने मामले सुलझाए गए/अनसुलझे रहे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और सभी मामलों का सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रैंक-वार पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा गैर कानूनी हथियार और गोला बारूद रखने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए है तथा महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष अर्थात 2008, 2009, 2010 एवं 2011 (30-06-2011 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कुल आपराधिक मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	2008	2009	2010	30-06-2011 तक
1	2	3	4	5	6
1.	डकैती	24	36	32	20
2.	हत्या	554	552	565	271
3.	हत्या का प्रयास	389	369	311	187
4.	लूटपाट	541	515	599	308
5.	दंगा	71	57	53	31
6.	फिरौती के लिए अपहरण	24	29	18	07
7.	बलात्कार	466	469	507	258
8.	झपटमारी	1377	1345	1671	716
9.	घायल करना	1936	1938	1925	956
10.	सेंधमारी	1926	1733	1502	756
11.	मोटर वाहन की चोरी	11020	13224	14966	7340
12.	घर में चोरी	1539	1948	1868	902
13.	अन्य चोरी	6308	6559	6254	3378
14.	महिला के साथ छेड़छाड़	611	552	601	352
15.	अपहरण/व्यपहरण	1567	2536	3208	1893

1	2	3	4	5	6
16.	घातक दुर्घटना	2015	2272	2104	944
17.	सामान्य दुर्घटना	6589	5342	5116	2614
18.	अन्य आई.पी.सी. अपराध	12393	10775	9992	5137
	कुल आई.पी.सी.	49350	50251	51292	26070

वर्ष 1998 में दिल्ली की जनसंख्या 128.3 लाख थी और कुल आई.पी.सी. अपराध 64882 थे, जबकि वर्ष 2010 में जनसंख्या बढ़कर 163.84 लाख हो गई, कुल आई.पी.सी. अपराध 51292 ही रहे जिससे यह पता चलता है कि जनसंख्या बढ़ने के बावजूद दिल्ली में अपराध कम हुए हैं। किसी अवधि के दौरान अपराधों की तुलना करने के लिए सामान्यतः जो मापदण्ड अपनाया जाता है उसके अनुसार दिल्ली में एक लाख की जनसंख्या पर अपराधों की संख्या में कुल आई.पी.सी. अपराधों के साथ-साथ जघन्य अपराधों के संदर्भ में पिछले दशक में लगातार गिरावट आई है। दिल्ली में वर्ष 1998 में एक लाख की जनसंख्या पर कुल आई.पी.सी. अपराध 505.71 थे जो वर्ष 2011 में कम हो कर 311.23 हो गए। इसी प्रकार वर्ष 1998 में एक लाख की जनसंख्या पर कुल 21.88 जघन्य अपराधों की तुलना में ये अपराध वर्ष 2011 में घटकर 12.92 रह गए।

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष अर्थात 2008, 2009, 2010 एवं 2011 (30-6-2011 तक) के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित ऐसे सुलझाए गए/अनसुलझे मामलों की कुल संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	मामलों का निपटान			की गई कार्रवाई
	सूचित किए गए	सुलझाये गए मामले	अनसुलझे मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2008	49350	29906	19444	43381
2009	50251	27829	22422	40890
2010	51292	24702	26590	34683
2011 (30-6-2011 तक)	26070	11360	14710	16014

(घ) वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 (30-06-2011 तक) के दौरान कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रति लापरवाही बरतने के लिए पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

रैंक/वर्ष	2008	2009	2010	2011 (30-06-2011 तक)
1	2	3	4	5
निरीक्षक	84	196	196	147

1	2	3	4	5
उप-निरीक्षक	139	259	213	197
सहायक उप-निरीक्षक	186	330	309	322
हैड कान्सटेबल	228	428	475	512
कांस्टेबल	350	600	717	671
कुल	987	1813	1910	1849

वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 (30-06-2011 तक) के दौरान जिन पुलिस कार्मिकों के पास अनधिकृत हथियार और गोलाबारूद पाए गए उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

रैंक/वर्ष	2008	2009	2010	2011 (30-06-2011)
निरीक्षक	00	00	00	00
उप-निरीक्षक	00	00	00	00
सहायक उप-निरीक्षक	00	00	00	00
हैड कान्सटेबल	00	00	00	00
कांस्टेबल	00	01	02	01
कुल	00	01	02	01

(ङ) अपराध की घटनाओं को रोकने और महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) अपराध-बहुल क्षेत्रों का पता लगाया गया है और स्पष्टता बढ़ाने और अपराध रोकने के लिए पिकेट, पैदल गश्त लगाने और पी.सी.आर. वाहनों को बारी-बारी से तैनात करने सहित पुलिस संसाधनों का उपयोग किया गया है।

(ii) नए आपात कार्रवाई वाहनों (ई.आर.वी.) को तैनात किया गया है और तुरन्त कार्रवाई करने तथा अपराध स्थल को प्राराक्षित करने के लिए उन्हें अपराध-बहुल पुलिस स्टेशनों में तैनात किया गया है।

(iii) वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने के कार्य में तेजी लाई गई है ताकि उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशनों से विशेष सुरक्षा प्रदान की जा सके।

(iv) जिन क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है उनकी पहचान की गई है और वहां पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है और उन से अधिक से अधिक बातचीत की जा रही है।

(v) नौकरों और किरायेदारों के सत्यापनों पर विशेष जोर दिया गया है।

(vi) सक्रिय अपराधियों पर प्रभावी ढंग से नजर रखी जा रही है।

(vii) विश्वविद्यालय क्षेत्र, बस स्टाप आदि जैसे क्षेत्रों में महिला पुलिस कार्मिकों की अपेक्षित उपस्थित

वाले सुभेद्य क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध वाले ऐसे संभावित क्षेत्रों को कवर करने के लिए बीट और पी.सी.आर. वाहनों में महिला पुलिस कार्मिक तैनात किये गये हैं। उत्तरी और दक्षिणी कैम्पस में महिला कार्मिकों से युक्त विशेष रूप से दो पुलिस स्टेशन खोले गये हैं।

(viii) सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क स्थापित किये गये हैं और बी.पी.ओ., कारपोरेट और मीडिया हाउसेज में सुरोक्षापाय करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निर्देश जारी करके महिला कर्मचारियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किये गए है।

(ix) पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने के कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं। पी.सी.आर. वाहनों को निर्देश दिये गए हैं कि वे संकट में पड़ी महिलाओं की सहायता करें।

(x) महिला हैल्प लाइन-1091 और असलील कॉल विरोधी/अनुचित कॉल विरोधी हैल्प लाईन-1096 जैसी हैल्प लाइन शुरू की गई हैं।

(xi) दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में मानव के अवैध व्यापार-रोधी यूनिटें (ए.एच.टी.यू.) स्थापित की हैं और गुमशुदा बच्चों के संबंध में एस.ओ.पी. तैयार की है जिसमें यह अधिदेश है कि वह गुमशुदा बच्चों के संबंध में तुरन्त प्राथमिकी दर्ज की जाए और इन मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामलों का निपटान

***34. श्रीमती दीपा दासमुंशी:**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश भर में विभिन्न उपभोक्ता मंचों के समक्ष वर्ष-वार तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मामले दायर किए गए तता कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या विभिन्न मंचों द्वारा ऐसे मामलों के निपटान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनका शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में विशेषकर पस्चिम बंगाल राज्य में कोई उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त जागरूकता अभियान किस तरह से शुरू किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश भर में राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग तथा जिला मंचों में वर्षवार तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार दायर किए गए तथा लंबित उपभोक्ता मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13(3क) के अनुसार प्रत्येक शिकायत की सुनवाई यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी और यदि प्रतिपक्ष द्वारा की गई शिकायत पर किसी प्रकार की वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता न हो तो शिकायत का निपटान, प्राप्ति की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर करने और यदि वस्तुओं के विश्लेषण और परीक्षण की आवश्यकता हो, तो पांच महीनों के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा। उपभोक्ता मंच को मजबूत बनाने और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उनकी क्षमता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता मामले विभाग ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को शामिल करते हुए देश भर में एक व्यापक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों में वर्षवार दायर किए गए और निपटाए गए मामले

(30-06-2011 तक)

	2008		2009		2010		2011	
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए
राष्ट्रीय आयोग	5873	5456	5399	7350	5444	4497	1283	968

राज्य	2008		2009		2010		2011	
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	2014	1595	1485	552	1518	221	31	229
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.				
अरुणाचल प्रदेश	3	4	0	0				
असम	146	20	79	194	73	133		
बिहार	616	755	720	717	700	389		
चंडीगढ़	2376	1448	783	1127	575	1061	87	123
छत्तीसगढ़	962	451	891	1232	843	1109	205	185
दमन और द्वीप/दादरा और नगर हवेली	0	0	4	0				
दिल्ली	1464	1859	1359	1129				
गोवा	89	176	73	119				
गुजरात	2428	1739	2248	2516				
हरियाणा	2274	2134	1923	3906	2013	4201	480	1709
हिमाचल प्रदेश	1508	1521	1694	1789	1722	1689	637	426
जम्मू और कश्मीर	187	234						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखण्ड	583	515	448	418	368	435		
कर्नाटक	3149	3105	4610	4500	5569	3056	1514	1001
केरल	463	1632	834	1684	792	1545		
लक्षद्वीप	0	0	2	2	0	0	0	
मध्य प्रदेश	3250	3201	2764	1962	2880	2228		
महाराष्ट्र	4673	3935	3839	3783	3532	3645		
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.				
मेघालय	22	4	11	6				
मिजोरम	21	25	9	9	12	12		
नागालैण्ड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.				
ओडिशा	1122	573	1216	1136	840	1725	172	270
पुडुचेरी	48	34	19	25	9	12	8	24
पंजाब	1742	1926	2020	1791	2339	1681	618	448
राजस्थान	3196	4604	2887	3902	3535	3201	1021	882
सिक्किम	0	2	4	0	3	6		
तमिलनाडु	1039	933	566	309	1056	1180		
त्रिपुरा	68	121	71	63	53	57		
उत्तर प्रदेश	2832	3569	2733	2161	2760	6998		
उत्तराखण्ड	290	289	242	391	482	330	108	127
पश्चिम बंगाल	502	694	769	825	967	743		
कुल	37087	37098	34303	36248	32641	35857	4881	5424

टिप्पणी: उ.न. - उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

जिला मंचों में वर्षवार दायर किए गए और निपटाए गए मामले

(30-06-2011 तक)

राज्य	2008		2009		2010		2011	
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	5561	5358	5015	4075	5418	1749	1368	85
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.				
अरुणाचल प्रदेश	16	13						
असम	743	802	154	60				
बिहार	2873	2326	3952	4046	3044	4002		
चंडीगढ़	2908	2791	2600	2477	2509	2123	506	458
छत्तीसगढ़	1976	2105	2064	2271	2123	2018	527	579
दमन और द्वीप/दादरा और नगर हवेली	6	0						
दिल्ली	11378	10358	11288	9411				
गोवा	213	334	191	225				
गुजरात	9418	7895	9970	9636				
हरियाणा	10986	8751	12050	11732	12165	12649	2798	3025
हिमाचल प्रदेश	2153	2290	2387	2253	2229	1956	957	889
जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.				
झारखण्ड	1748	2308	1488	1802	918	843		
कर्नाटक	10073	10189	10041	9672	11799	10744	3002	2650
केरल	5119	5802	5608	6177	5115	5991		
लक्षद्वीप	2	3	5	0	8	4		
मध्य प्रदेश	12267	11006	13889	11644	13125	12166		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	16956	16375	17933	14578	13708	13614		
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.				
मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.				
मिजोरम	253	214	869	248	72	462		
नागालैण्ड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.				
ओडिशा	4099	4108	4420	4250	4271	3376	1096	898
पुडुचेरी	104	61	102	12	123	67	42	51
पंजाब	8684	8917	10559	10247	10745	10961	2570	2298
राजस्थान	17690	15558	15543	10518	18943	16360	5361	3861
सिक्किम	19	6	7	13	12	13		
तमिलनाडु	3363	3354	3985	2520	3904	6672		
त्रिपुरा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.				
उत्तर प्रदेश	24895	19671	24868	18829	25804	24514		
उत्तराखण्ड	1073	939	1037	890	1218	1626	477	406
पश्चिम बंगाल	3907	3325	5207	4911	3849	4467		
कुल	158483	144859	165232	142497	141102	136377	18704	15200

टिप्पणी: उ.न. - उपलब्ध नहीं।

विवरण-III

उपभोक्ता मंचों को सुदृढ़ करने और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा वर्तमान में 'उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण' की स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला मंच ओर राज्य आयोगों (भवन और गैर-भवन परिसम्पत्तियों) के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। देश भर में सभी उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जरिए 'कन्फोनेट' स्कीम के तहत किया जा रहा है।

(ii) कुछेक राज्य आयोग और जिला मंच मामलों के शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने की प्रक्रिया को अंगीकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग ने भी लोक अदालतें आयोजित करना आरंभ कर दिया है।

(iii) राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 22ग के उपबंधों के अनुसार सर्किट बैंच की बैठकें भी आयोजित करता है। अब तक राष्ट्रीय आयोग ने हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, एर्णाकुलम और अहमदाबाद में सर्किट बैंच की बैठकें आयोजित की हैं।

(iv) राष्ट्रीय आयोग की मौजूदा पांच पीठों के अलावा केंद्रीय सरकार ने पिछले लंबित मामलों के निपटान के

लिए हाल ही में राष्ट्रीय आयोग के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए एक अतिरिक्त पीठ के गठन की मंजूरी दी है।

(v) सर्किट पीठें/अतिरिक्त पीठें निम्नलिखित राज्यों में कार्य कर रही हैं।

(क) गुजरात	03 अतिरिक्त पीठें
(ख) महाराष्ट्र	नागपुर और औरंगाबाद में सर्किट पीठ
(ग) उत्तर प्रदेश	01 अतिरिक्त पीठ
(घ) पश्चिम बंगाल	01 अतिरिक्त पीठ
(ङ) मध्य प्रदेश	01 अतिरिक्त पीठ
(च) पंजाब	01 अतिरिक्त पीठ

विवरण-IV

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को शामिल करते हुए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए गए व्यापक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम पर संक्षिप्त नोट:-

विभाग ने अन्य मंत्रालयों, जैसे रसायन एवं उर्वरक विभाग, राष्ट्रीय औषधि उत्पाद प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.), भारतीय रिजर्व बैंक, आई.आर.डी.ए., कृषि एवं सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एच.आर.डी.), नागर विमानन मंत्रालय, फार्मास्युटिकलस विभाग, भारतीय बैंक एसोसिएशन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी (बी.ई.ई.) इत्यादि के सहयोग से उपभोक्ता मुद्दों पर उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के लिए अनेक विज्ञापन प्रसारित किए हैं। यह विज्ञापन, ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया, ऑनलाइन माध्यम इत्यादि के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के व्यापक प्रचार अभियान 'जागो ग्राहक जोगा' के अंतर्गत प्रसारित किए गए हैं।

विभाग ने स्थानीय माध्यम के जरिए स्थानीय भाषा में उपभोक्ता जागरूकता क्रियाकलापों को चलाने के लिए भी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान प्रदान किया है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को उपभोक्ता संरक्षण क्रियाकलापों को चलाने के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 से लेकर अब तक रिलीज की गई अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	रिलीज की गई राशि (रुपए)
1.	पश्चिम बंगाल	2006-07	23,75,000.00
2.	(विशेष परियोजना)	2006-07	1,02,00,000.00
3.		2007-08	शून्य
4.		2008-09	शून्य
5.		2009-10	शून्य
6.		2010-11	35,77,079.00
		योग:	1,61,52,079.00

चलाई गई गतिविधियों में उपभोक्ता मंचों और प्रमुख जगहों पर अन्य प्रतितोष एजेंसियों के पते वाले होर्डिंगों के प्रतिष्ठापन, एनिमेटेड चलचित्रों के विकास, इलैक्ट्रानिक निष्पादन साधन, लोक गीतों/नोटकों, ग्राम पंचायत ब्लाकों, पुलिस थानों में वितरण हेतु दृश्य-श्रव्य सिनेमा स्लाइडों के साथ-साथ दूरदर्शन, आकाशवाणी के कार्यक्रमों के प्रिंट

मीडिया और प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से विज्ञापनों के जरिए जागरूकता का प्रसार करना शामिल है।

उपभोक्ता कल्याण कोष से रिलीज किया गया सहायता - अनुदान

उपभोक्ता साक्षरता एवं जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, उपभोक्ता शिक्षा, समुदाय आधारित ग्रामीण जागरूकता परियोजनाओं, स्कूलों/कॉलेजों में उपभोक्ता क्लबों और अधिक उपभोक्ता जागरूकता शोध/सेमिनारों में उपभोक्ता शिक्षा क्रियाकलापों के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करने, उपभोक्ता कार्यक्रमों को मजबूत करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त-पोषित करने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों/संगठनों/उपक्रमों/वी.सी.ओ./एन.जी.ओ. को अधिकतम 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पश्चिम बंगाल को उपभोक्ता कल्याण कोष से निम्नलिखित की स्वीकृति दी गई है-

1. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को वर्ष 2006 में स्कूलों में 400 उपभोक्ता क्लब चलाने के लिए 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

2. एक गैर सरकारी संगठन आई-लैंड इन्फोर्मेटिक्स लि. को आई.ई.सी. कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 57.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। आई-लैंड इंजोर्मेटिक्स लि., कोलकाता ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा, बीरभूम, मालदा, कूच बिहार, जलपाईगुडी और पुरुलिया जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई, 2008 से जून, 2009 की अवधि के दौरान 720 थियेटर सो और 240 पेटबोली या टॉकिंग डॉल शो संचालित किए। आई-लैंड इन्फोर्मेटिक्स लि., कोलकाता ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, पस्चिम मिदनापुर, दक्षिण मिदनापुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नवम्बर, 2009 से अप्रैल, 2010 की अवधि के दौरान 720 थियेटर शो और 240 पेटबोली या टॉकिंग डॉल शो संचालित किए।

3. मैसर्स फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल को सम्बद्ध पक्षों को सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से ओर विधि प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा नियमित सेमिनारों/जागरूकता कैंप गठित करने के उद्देश्य से विद्यमान जल और भोजन परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए 2,18,13,686 रु. की स्वीकृति प्रदपन की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों में हुई अनियमितताओं पर रिपोर्ट

***35. श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के कथित मामलों की जांच करने हेतु सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा उक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पैनल के निष्कर्षों/उसकी सिफारिशों के आधार पर दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां।

(ख) श्री वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति (एच.एल.सी.) ने छः रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं:- ये (1) मेजबान प्रसारण (2) राष्ट्रमंडल खेल गांव (3) नगर अवंरचना (4) खेल स्थल (5) आयोजन समिति (6) राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली-2010 का आयोजन और संचालन से संबंधित हैं। उच्चस्तरीय समिति में अपनी विभिन्न रिपोर्टों में अनियमितताओं, प्रक्रियात्मक चूकों, निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब, सरकार को वित्तीय हानि, ठेकेदारों के प्रति पक्षपात, ठेका देने में समुचित प्रक्रिया का पालन न करना, घटिया सामग्री का प्रयोग तथा अधिक लागत पर सामग्री की खरीद, विभिन्न स्टाफ तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति, ठेकेदारों/स्टाफ आदि पर पर्यवेक्षण/नियंत्रण का अभाव से

संबंधित है। उच्चस्तरीय समिति ने कुछ मामलों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच की भी सिफारिश की है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को ठेका देने से संबंधित मामले में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा एक गैर-सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मंत्रियों के एक समूह ने सरकार और प्रसार भारती तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रसार भारती बोर्ड के बीच संबंध के बारे में उच्च स्तरीय समिति द्वारा व्यक्त मतों पर विचार किया है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती अधिनियम के प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की है और अधिनियम में कतिपय संशोधनों की सिफारिश की है तथा कथित जालसाजी, झुठलाना, अभिलेख सृजन से संबंधित अन्य विषयों के आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) और प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित कर दिया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष और 13 अन्यों सहित 14 अधिकारियों के विरुद्ध ओवरलेज, क्वीन्स बेटन रिले, टाइमिंग, स्कोरिंग एण्ड रिजल्ट सिस्टम तथा मर्कैंडाइजिंग और लाइसेंसिंग से संबंधित 5 मामले पहले ही पंजीकृत किए है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के 11 अधिकारियों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दो अधिकारियों और कुछ प्राइवेट लोगों के विरुद्ध शिवाजी और तालकटोरा स्टेडियमों से संबंधित मामलें में तीन मामले भी पंजीकृत किए गए हैं। उसी प्रकार जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में लान बाल स्थल से संबंधित एक मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 7 अधिकारियों और एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। दिल्ली सरकार की बारापुला परियोजना के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के 8 अधिकारियों तथा 2 प्राइवेट कंपनियों/व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला पंजीकृत किया गया है और दिल्ली नगर निगम की स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना के मामले में दिल्ली नगर निगम के 6 अधिकारियों और एक प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग भी कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) भी खेलों से संबंधित विभिन्न शिकायतों की जांच कर रहा है। सरकार द्वारा संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से सुधारात्मक कार्रवाई से संबंधित विषयों सहित उच्च स्तरीय समिति की अन्य सिफारिशों की जांच भी सावधानीपूर्वक की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं

***36. श्री गोपीनाथ मुंडे:**

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्मिकों एवं उचित दर दुकान मालिकों की सांठ-गांठ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने, गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के कार्यकरण की मानीटरिंग करने तथा उनका पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

देश में कुछ क्षेत्रों/राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। जब कभी भी व्यक्तियों और संगठनों तता प्रेस रिपोर्टों के जरिए सरकार को शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो इन्हें जांच और उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया है। इस विभाग में 2008 से 2011 तक (जून, 2011 तक) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इनके वितरण की निगरानी करने के लिए केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) अदेश, 2001 जारी किया है जिसके अधीन राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार हैं और उक्त आदेश के खंड 8 और 9 के प्रावधान लागू करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जून, 2011 तक की गई कार्रवाई के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने नियमित रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की है और मानीटरिंग तंत्र तथा सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाकर, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र अपना कर, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करके तथा उचित दर दुकानों की क्षमता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी किए हैं।

विवरण-I

2008 से 2011 (जून, 2011 तक) तक व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों आदि के जरिये विभाग में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	-	3	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	2	2
3.	असम	4	6	1	1
4.	बिहार	5	16	13	3
5.	छत्तीसगढ	1	4	5	-
6.	दिल्ली	26	29	37	9
7.	गोवा	-	-	1	-
8.	गुजरात	-	4	3	1
9.	हरियाणा	6	5	24	6
10.	हिमाचल प्रदेश	1	-	-	-
11.	जम्मू और कश्मीर	-	1	3	-
12.	झारखंड	1	6	5	3
13.	कर्नाटक	2	6	2	1
14.	केरल	4	1	3	1

1	2	3	4	5	6
15.	मध्य प्रदेश	2	9	13	2
16.	महाराष्ट्र	7	12	5	3
17.	मणिपुर	2	-	-	-
18.	नागालैण्ड	-	1	1	-
19.	ओडिशा	-	1	3	1
20.	पंजाब	1	1	2	-
21.	राजस्थान	7	7	6	6
22.	सिक्किम	-	3	2	-
23.	तमिलनाडु	2	6	2	-
24.	उत्तराखंड	-	1	1	-
25.	उत्तर प्रदेश	17	46	33	27
26.	पश्चिम बंगाल	4	4	2	-
27.	चण्डीगढ़	-	-	2	-
28.	पुड्डुचेरी	1	-	-	-
	जोड़	94	169	174	66

विवरण-II

जनवरी, 2008 से जून, 2011 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 8 और 9 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामों को दर्शाने वाला विवरण

(30-06-2011 को तैयार किया गया)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार/ अभियोजित/ दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	उचित दर दुकानों की संख्या जिनके लाइसेंस लंबित/ रद्द किए गए/ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए/प्राथमिकी दर्ज की गई
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2008	9245	5852	02	1747

1	2	3	4	5	6	7
		2009	*	*	*	*
		2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	2008	50	25	00	39
		2009	63	00	06	15
		2010	82	00	00	04
		2011	*	*	*	*
3.	असम	2008	9879	607	29	577
		2009	6941	456	41	397
		2010	743	94	03	75
		2011	*	*	*	*
4.	बिहार	2008	53305	23	10	4333
		2009	54934	19	08	4822
		2010	64332	81	31	7721
		2011	*	*	*	*
5.	छत्तीसगढ	2008	33088	1510	108	961
		2009	25048	353	73	630
		2010	31123	694	20	547
		2011	*	*	*	*
6.	दिल्ली	2008	195	153	309	160
		2009	02	88	71	00
		2010	55	55	24	01
		2011	*	*	*	*
7.	गोवा	2008	242	04	00	18
		2009	605	00	00	24
		2010	366	00	00	10

1	2	3	4	5	6	7
		2011	*	*	*	*
8.	गुजरात	2008	20788	06	59	358
		2009	18544	03	74	381
		2010	15508	00	143	338
		2011	*	*	*	*
9.	हरियाणा	2008	2254	635	80	3112
		2009	12320	1267	33	5084
		2010	5972	388	32	2160
		2011	*	*	*	*
10.	हिमाचल प्रदेश	2008	27718	00	13	2220
		2009	22994	00	04	1849
		2010	24009	00	01	2458
		2011	*	*	*	*
11.	जम्मू और कश्मीर	2008	*	*	*	*
		2009	*	*	*	*
		2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
12.	झारखंड	2008	*	*	*	*
		2009	00	00	00	1590
		2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
13.	कर्नाटक	2008	72311	3395	79	622
		2009	78503	1876	99	428
		2010	67671	23687	175	347
		2011	*	*	*	*
14.	केरल	2008	199694	97980	24	289

1	2	3	4	5	6	7
		2009	149222	51715	25	183
		2010	47648	15059	25	103
		2011	*	*	*	*
15.	मध्य प्रदेश	2008	*	*	*	*
		2009	98115	2964	178	736
		2010	90172	2078	60	00
		2011	*	*	*	*
16.	महाराष्ट्र	2008	*	*	*	*
		2009	*	*	*	*
		2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
17.	मणिपुर	2008	20	04	02	00
		2009	*	*	*	*
		2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
18.	मेघालय	2008	1082	80	05	79
		2009	849	10	00	35
		2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
19.	मिजोरम	2008	149	141	02	45
		2009	317	395	05	155
		2010	353	246	00	24
		2011	*	*	*	*
20.	नागालैंड	2008	284	01	00	01
		2009	185	00	00	00
		2010	197	08	00	00

1	2	3	4	5	6	7
		2011	60	01	00	00
21.	ओडिशा	2008	49925	1734	97	962
		2009	16006	60723	24	1007
		2010	00	56341	245	1643
		2011	00	18539	88	715
22.	पंजाब	2008	*	*	*	*
		2009	28265	2126	27	1986
		2010	*	*	*	*
		2011		*	*	**
23.	राजस्थान	2008	00	813	296	00
		2009	00	814	154	00
		2010	00	359	214	00
		2011	*	*	*	*
24.	सिक्किम	2008	00	00	00	00
		2009	00	00	00	00
		2010	87	00	00	00
		2011	00	00	00	00
25.	तमिलनाडु	2008	271092	22268	1266	00
		2009	225803	12565	1650	00
		2010	239993	27485	3981	00
		2011	*	*	*	*
26.	त्रिपुरा	2008	9790	540	14	572
		2009	10111	279	16	660
		2010	12379	419	12	760
		2011	*	*	*	*
27.	उत्तराखंड	2008	7732	4781	58	133

1	2	3	4	5	6	7
		2009	13059	6517	41	303
		2010	10853	5419	45	181
		2011	*	*	*	*
28.	उत्तर प्रदेश	2008	237377	39474	2781	15245
		2009	221076	39324	2398	15105
		2010	194259	40124	2375	10619
		2011	*	*	*	*
29.	पश्चिम बंगाल	2008	9815	348	60	963
		2009	7826	239	05	760
		2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2008	329	00	00	14
		2009	156	00	00	09
		2010	263	00	00	15
		2011	*	*	*	*
31.	चंडीगढ़	2008	20	00	00	03
		2009	42	00	00	10
		2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
32.	दादरा और नगर हवेली	2008	20	21	01	00
		2009	72	01	00	09
		2010	43	00	00	04
		2011	00	00	00	00
33.	दमन और दीव	2008	00	00	00	00
		2009	00	00	00	00
		2010	18	00	00	19

1	2	3	4	5	6	7
		2011	*	*	*	*
34.	लक्षद्वीप	2008	12	00	00	00
		2009	12	00	00	00
		2010	02	02	00	00
		2011	*	*	*	*
35.	पुड्डुचेरी	.2008	5406	795	114	00
		2009	3150	449	67	01
		2010	154	00	00	01
		2011	*	*	*	*
	जोड़	2008	1021822	181190	5409	32453
		2009	994220	182183	5162	36179
		2010	806282	172539	7386	27030
		2011	60	18540	88	715
सकल जोड़ = 2008-+2009+2010+2011			2822384	554452	18045	96377

*सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

घटिया बीजों का उपयोग

***37. श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसानों द्वारा घटिया/नकली बीजों के उपयोग के मामलों का पता चला हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कृषि उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन में राज्य-वार कितनी कमी दर्ज की गई; और

(घ) किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय ने हाल ही में घटिया/नकली बीजों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त की हैं, जिसका ब्यौरा तथा साथ ही की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-I पर है। देश के कुछ भागों में सूखे के कारण वर्ष 2009-10 को छोड़कर पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(घ) देश में बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने तथा नकली/घटिया बीजों की आपूर्ति को रोकथाम करने के लिए बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968 और बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के अधीन पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है। राज्य सरकारों को ऐसे सभी मामलों में उनके अपने स्तर पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। साथ ही कृषि मंत्रालय के पास नियमित रूप से क्षेत्रीय

बैठकें करके तथा सार्वजनिक क्षेत्र में राज्यों और बीज एजेंसियों के बीच टाईअप करके प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी मौसमों के पहले गुणवत्ताप्रद/प्रमाणित बीजों की मांग और आपूर्ति पर ध्यान देने के लिए प्रणाली विद्यमान है।

विवरण-I

वर्ष 2009 से अब तक भारत सरकार द्वारा प्राप्त घटिया/नकली बीज की आपूर्ति की शिकायतों तथा की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	शिकायत का ब्यौरा	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	पंजाब	मैसर्स टैक्नीको एग्री साईंस लिमि. से प्राप्त आलू के मीनीटयूबर बीज के संबंध में वर्ष 2009 में श्री सुरजीत सिंह भाटी, जालंधर (पंजाब) से प्राप्त शिकायत जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रश्नगत का बीज अच्छी फसल का कार्यनिष्पादन नहीं है।	केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, जालंधर द्वारा मामले का विश्लेषण किया गया तथा इसकी जांच की गई। पक्ष के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई। पक्ष ने प्रथम सूीचना रिपोर्ट को चुनौती देते हुए पंजाब उच्च न्यायालय में समादेश याचिका (रिट पेटिशन) (2009 का सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 1838) दायर की है।
2.	छत्तीसगढ़	खरीफ 2010 के दौरान धान संकर (के.आर.एच.-2) के संबंध में शिकायत। 16 जिलों में बीज वितरित किए गए। केवल आठ जिलों से पौधों की उचाई में अंतर तथा बन्ध्यापन के साथ पुष्पन के समय में अंतर के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।	राज्य कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी.) और छत्तीसगढ़ बीज और कृषि विकास निगम के अधिकारियों से गठित समिति ने 86 प्रखण्डों को शामिल करते हुए इन आठ जिलों में फसल का निरीक्षण किया। ढेरों से नमूने लिए गए तथा डी.एन.ए. फिंगरप्रिन्टिग परीक्षण हेतु कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर, चावल अनुसंधान निदेशालय और परियोजना निदेशक, हैदराबाद को भेजे गए। विस्तृत परीक्षण/डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग के बाद राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा भेजे गए लगभग 47 नमूनों (106 में से) को 95 प्रतिशत शुद्धता से कम पाया गया। राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय बीज निगम ने बीज की पूरी लागत जो 201.70 लाख रुपए बनती है, छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम लिमि. को वापिस की। इसके अलावा राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एस.एफ.एस.सी.) छत्तीसगढ़ ने 10-5-2011 को सम्पन्न अपनी बैठक में आर.के.वी.वाई. के अधीन प्रभावित किसानों को सहायता करने के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 1351.60 लाख रुपए की लागत की दर से चावल और गेहूं का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रभावित किसानों को आर.के.वी.वाई. के अधीन सहायता के रूप में 1051 लाख रुपए की

1	2	3	4
			धनराशि प्रदान की जाएगी। प्रभावित किसानों को सहायता करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा तथा साथ ही आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत 2604.30 लाख रुपए की कुल धनराशि प्रदान की गई है।
3.	हरियाणा	खरीफ 2011 में नकली बीटी कपास बीजों की बिक्री	राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पांच एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

विवरण-II

कुल खाद्यान्न उत्पादन का राज्यवार अनुमान

(उत्पादन हजार मी. टन)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	19303.0	20421.0	15295.0	20182.8
अरुणाचल प्रदेश	248.5	255.8	308.9	
असम	3470.0	4143.0	4481.1	4896.0
बिहार	10864.1	12220.7	10150.6	9884.0
छत्तीसगढ़	6291.9	5167.3	4902.8	7026.8
गोवा	133.6	134.3	109.9	
गुजरात	8206.0	6481.0	5761.0	78523
हरियाणा	15307.8	15613.7	15357.0	16040.9
हिमाचल प्रदेश	1558.1	1401.2	1017.2	1531.1
जम्मू और कश्मीर	1572.1	1721.3	1314.2	1371.5
झारखण्ड	4164.5	4188.7	2152.2	1823.6
कर्नाटक	12186.0	11275.0	10955.0	13290.0
केरल	539.7	598.3	610.8	548.7
मध्य प्रदेश	12070.5	13914.6	16016.4	14957.0
महाराष्ट्र	15191.7	11427.6	12586.3	15066.0

1	2	3	4	5
मणिपुर	421.8	415.0	338.9	
मेघालय	231.8	236.3	239.1	
मिजोरम	19.1	58.9	62.4	
नागालैण्ड	473.2	514.2	354.2	
ओडिशा	8143.3	7399.1	7553.1	7641.0
पंजाब	26815.1	27329.8	26950.1	27224.0
राजस्थान	16058.7	16680.2	12350.1	18691.9
सिक्किम	111.6	107.5	117.3	
तमिलनाडु	6582.3	7102.3	7511.4	8313.6
त्रिपुरा	633.3	634.7	647.9	
उत्तर प्रदेश	42094.8	46729.3	43195.3	47243.7
उत्तराखण्ड	1796.0	1765.0	1796.0	1818.0
पश्चिम बंगाल	16050.2	16295.6	15741.6	13743.8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24.1	23.9	27.1	
दादरा और नगर हवेली	33.1	32.7	21.3	
दिल्ली	119.9	118.2	125.8	
दमन और द्वीप	5.1	8.7	4.9	
पुडुचेरी	54.1	51.5	52.9	
अन्य				2419.1
सम्पूर्ण भारत	230775.0	234466.4	218107.7	241565.7

*चतुर्थ अग्रिम अनुमान

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन का विस्तार

***38. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का देश के 28 और नगरों में विस्तार करने का था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सरकार

द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) 5 लाख और उससे अधिक आबादी वाले निम्नलिखित 28 शहरों/शहरी समूह को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी अवसंरचना एवं शासन घटक के अंतर्गत शामिल करने के लिए जून 2010 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	गुंटूर वारंगल
2.	छत्तीसगढ़	दुर्ग-भिलाई नगर
3.	गुजरात	भावनगर जामनगर
4.	कर्नाटक	बेलगाम हबली-दारवाड मंगलौर
5.	केरल	कोझीकोड
6.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
7.	महाराष्ट्र	अमरावती औरंगाबाद भिवंडी कोल्हापुर सोलापुर
8.	ओडिशा	कटक
9.	पंजाब	जालंधर
10.	राजस्थान	बीकानेर जोधपुर कोटा
11.	तमिलनाडु	सलेम त्रिरुचिरापल्ली त्रिरुपुर
12.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ बरेली गाजियाबाद गोरखपुर मुरादाबाद

11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल बजटीय सहायता पूर्ण रूप से वचनबद्ध होने और संसाधनों की कमी के कारण इन शहरों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी अवसंरचना एवं शासन घटक में शामिल नहीं किया जा सका।

(ग) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी का मूल्य

***39. श्री सी.आर. पाटिल:**

श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांच लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लेने से पूर्व घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता तथा इसके मूल्यों का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन, मांग, निर्यात तथा आयात कितना-कितना रहा; और

(ङ) घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने तथा इसके मूल्य को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन पूर्व में मार्च/अप्रैल, 2011 में अनुमत 5 लाख टन चीनी के निर्यात के अलावा जून, 2011 में 5 लाख टन कच्ची, व्हाइट/रिफाइंड चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय देश में चीनी स्टॉक, अनुमानित घरेलू खपत, आगामी चीनी मौसम के लिए गन्ने की रोपाई के बारे में आरम्भिक अनुमान और चीनी के घरेलू मूल्यों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसका उद्देश्य चीनी स्टॉक को इकट्ठा होने और मूल्यों में परिणामी गिरावट को रोकना है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को देय गन्ने के मूल्य की बकाया राशि बढ़ जाती है, और कम वैश्विक चीनी शेष और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का लाभ लेकर चीनी क्षेत्र को अतिरिक्त भुगतान क्षमता मुहैया कराना है। चीनी के घरेलू खुदरा मूल्य वर्तमान में स्थिर हैं। इसके अलावा, सरकार ने लगभग 11.23 लाख टन चीनी अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत निर्यात करने, पड़ोसी देशों को निर्यात करने तथा यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को तरजीही कोटे के प्रति निर्यात की अनुमति भी दी थी।

(घ) शर्करा निदेशालय ने विभिन्न स्कीमों के तहत 25-7-2011 की स्थिति के अनुसार लगभग 18.74 लाख टन के निर्यात रिलीज आदेश जारी किए हैं। ऐसे निर्यात के लिए चीनी मिलों को जारी रिलीज आदेशों के प्रति वास्तविक निर्यात किए जा रहे हैं। गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन, मांग, निर्यात और आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) पूरे वर्ष चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और मूल्यों को भी स्थिर रखने के लिए सरकार खुले घरेलू बाजार में बिक्री के लिए गैर-लेवी चीनी और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के जरिये लेवी चीनी की आपूर्ति के लिए अंशांकित मासिक चीनी कोटा निर्मुक्त कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने 30-9-2011 तक चीनी व्यापारियों की स्टॉक रखने और कारोबार करने की तथा खांडसारी चीनी की भी सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। चीनी के बड़े उपभोक्ताओं पर भी स्टॉक रखने की सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं जोकि 13-8-2011 तक लागू हैं।

विवरण

चीनी मिलों के पास पिछले मौसम से आगे लाए गए स्टॉक चीनी का उत्पादन

(लाख टन)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अ)
1	2	3	4	5
चीनी मिलों के पास पिछले मौसम से आगे लाए गए स्टॉक	105	100	35.83	48.69
चीनी का उत्पादन	263	147	188	242
आयात	-	24.47**	41.08**	-
कुल उपलब्धता	368	271.47	265.63	290.9
घरेलू मांग के लिए घरेलू निर्मुक्तियां	215	230.8	208.78+ ###3.2	210-2015
निर्यात	58*	2.18*	2.4*	21

1	2	3	4	5
चीनी मौसम के अंत में चीनी मिलों के पास इतिशेष स्टॉक)	105	38.57	51.25	54.9-59.9

*डी.जी.सी.आई.एस., कोलकाता से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

**राजस्व विभाग के अनुसार।

###सीधे आयात-बड़े उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के लिए अनुमानित।

अ-अनंतिम।

नोटः क्षतिग्रस्त/गीली चीनी और न्यायालय के आदेशों आदि के अधीन बेची गई चीनी को हिसाब में लेने के लिए एक मौसम का इतिशेष अगले मौसम के अथशेष से भिन्न होता है।

[अनुवाद]

इंडोसल्फान पर प्रतिबंध

***40. श्री एम.के. राघवनः**
श्री पी.सी. मोहनः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इन्डोसल्फान का उपयोग मानव जाति, पशुधन तथा कृषि क्षेत्र के लिए हानिकारक बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इन्डोसल्फान के उत्पादन, भंडारण तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और समुचित अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो अनुदेशों का पालन करने वाले उत्पादकों की वर्तमान स्थिति तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इन्डोसल्फान का प्रभाव देश के कई भागों में फैल गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) इन्डोसल्फान सहित कीटनाशक विषाक्त हैं तथा उनको कृमिनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार प्रयोग में लाए जाने की अपेक्षा होती है। यदि निर्धारित तरीके से उसके लेबल या चस्पे पर मुद्रित है, जिसे उपयोग में लाया जाता है तो कीटनाशक (इन्डोसल्फान सहित) मानव प्राणी, पशुधन या कृषि में फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। केरल के कासारगोड जिले में तथा हाल ही में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में राज्य सरकार द्वारा काजू के बागानों में इन्डोसल्फान के हवाई छिड़काव के कारण तथा कथित रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की रिपोर्टें दी गई है।

"डैमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम् भारत संघ एवं अन्य", 2011 की दायर याचिका (सिविल) सं. 213 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी आदेशों तक के लिए देश में इन्डोसल्फान के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए 13-5-2011 को एक अंतरिम आदेश जारी किया और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महा निदेशक तथा कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति इस प्रश्न पर वैज्ञानिक अध्ययन कराने के लिए गठित की कि क्या इन्डोसल्फान के उपयोग से मानव प्राणी को कोई गंभीर समस्या या पर्यावरण में प्रदूषण हो सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा इस समिति को निदेश दिया गया था कि इन्डोसल्फान के विकल्पों पर सुझाव दें। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने 14-5-2011 को सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश जारी किए कि न्यायालय के अंतरिम आदेश को जो सभी निर्माताओं पर लागू होता है, पूरी तरह क्रियान्वित करें।

[हिन्दी]

एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास परियोजना

231. श्री इज्यराज सिंहः क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास परियोजना (आई.एच.एस.डी.पी.) राजस्थान के सभी शहरों में चलायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए मलिन बस्ती विकास कार्य क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत राजस्थान राज्य में 51 शहरों/कस्बों के लिए स्वीकृत 57 परियोजनाओं के शहर-वार/कस्बा-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आई.एच.एस.डी.पी. के तहत, शहरी गरीबों को शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकार की पहले से मौजूद अन्य समग्र सेवाओं के समन्वय के जरिए सुपुर्दगी सुनिश्चित करने और किफायती आवास एवं बुनियादी सुविधाओं यथा किफायती कीमतों पर स्वामित्व की सुरक्षा, बेहतर आवास, जलापूर्ति, साफ-सफाई के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) दी जाती है।

विवरण

एकीकृत और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) कुल अनुमोदित परियोजनाएं
दिनांक 12-7-2011 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला का नाम	कस्बों/ यूएलबी के नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की कुल सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी इकाईयों की कुल सं. (नई+ उन्नयन)	कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	प्रथम किश्त (अनुमोदित केन्द्रीय अंश का 50%)	अनुमोदित दूसरी किश्त	जारी कुल ए.सी.ए.	सी.एस.सी. बैठक की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	राजस्थान	अलवर	अलवर	1	19.71	2456	14.60	5.11	7.30		7.30	10-अक्तू. 07
2.	राजस्थान	भीलवाड़ा	असिंद	1	5.08	694	3.91	1.18	1.95		1.95	28-सितं. 06
3.	राजस्थान	श्री गंगानगर	अनूपगढ़	1	16.39	592	10.75	5.65	5.37		5.376	5-अगस्त-10
4.	राजस्थान	जोधपुर	बिलरा	1	13.96	574	9.35	4.61	4.68		4.68	17-जनवरी-11
5.	राजस्थान	हनुमानगढ़	भद्र	1	37.69	1332	24.25	13.44	12.12		12.12	17-जनवरी-11
6.	राजस्थान	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1	4.23	217	2.66	1.56	1.33		1.33	5-अगस्त-10
7.	राजस्थान	पाली	बाली नगर	1	3.30	523	2.64	0.66	1.32		1.32	28-सित.06
8.	राजस्थान	बारमर	बलोत्र	1	8.48	447	5.47	3.01	2.73	2.73	5.47	24-जनवरी-08
9.	राजस्थान	बरन	बरन	1	9.70	407	7.37	2.33	3.68	3.68	7.37	8-दिस.-06
10.	राजस्थान	बारमेर	बारमर	1	23.71	1281	15.22	8.50	7.61		7.61	24-जनवरी-08
11.	राजस्थान	झालावर	भवानी मंडी	1	1.82	114	1.43	0.38	0.72	0.72	1.43	28-सित.-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	राजस्थान	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1	19.13	1704	15.10	4.03	7.55	7.55	15.10	21-मार्च,-07
13.	राजस्थान	बीकानेर	बीकानेर फेज-I	1	3.3	0	2.66	0.66	1.33	1.33	2.66	30-मार्च-06
14.	राजस्थान	बीकानेर	बीकानेर फेज-II	1	35.57	1216	21.85	13.67	10.95		10.95	30-सित.-08
15.	राजस्थान	जलोरे	भीनमल	1	10.59	639	5.38	5.21	2.69		2.69	27-जनवरी-10
16.	राजस्थान	प्रतापगढ़	छोति सद्रि	1	9.22	380	6.20	3.02	3.10		3.10	17-जनवरी-11
17.	राजस्थान	बरन	छाबरा	1	4.47	312	3.58	0.89	1.79	1.79	3.58	28-सित-06
18.	राजस्थान	चित्तौर्गर्ह	चित्तौड़गढ़ फेज-I	1	6.70	540	5.12	1.58	2.56	2.56	5.12	28-सित-06
19.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ फेज-II	1	10.93	433	7.33	3.61	3.66		3.66	5-अगस्त-10
20.	राजस्थान	पाली	फल्ना	1	4.46	361	3.52	0.95	1.76	1.76	3.52	11-अक्तू.-06
21.	राजस्थान	सवाई माधोपुर	गंगापुर	1	3.52	161	2.46	1.06	1.23		1.23	26-सित.-07
22.	राजस्थान	भीलवाड़ा	गुलाबपुरा	1	1.24	0	1.00	0.25	0.50	0.50	1.00	30-मार्च-06
23.	राजस्थान	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	1	22.25	651	17.54	4.71	8.77	8.77	17.54	21-मार्च-07
24.	राजस्थान	जैसलमेर	जैसेल्मेर फेज-I	1	16.76	1042	12.64	4.12	6.32		6.32	26-सित.-07
25.	राजस्थान	जैसलमेर	जैसेल्मेर फेज-II	1	32.81	1497	21.87	10.94	10.94		10.94	29-सित.-10
26.	राजस्थान	पाली	जैतरन	1	4.84	214	3.23	1.62	1.61		1.61	14-अगस्त-08
27.	राजस्थान	झालावर	झलर्पतन	1	4.21	413	3.16	1.05	1.58		1.58	28-सित.-06
28.	राजस्थान	झालावर	झालवार	1	4.58	245	3.48	1.10	1.74		1.74	21-मार्च-07
29.	राजस्थान	जलोरे	झलोरे	1	7.90	291	4.89	3.01	2.45		2.45	30-सित.-08
30.	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर फेज-I	1	20.56	883	12.14	8.41	6.07		6.07	24-जनवरी-08
31.	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर फेज-II	1	44.40	1832	26.52	17.87	13.26		13.26	27-फरवरी-08
32.	राजस्थान	कोटा	कैथून	1	5.06	327	3.45	1.61	1.73		1.73	26-अगस्त-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	राजस्थान	अजमेर	केकरी	1	18.60	871	12.77	5.83	6.38		6.38	14-दिस.-10
34.	राजस्थान	कोटा	कोटा फेज-I	1	21.62	1478	17.04	4.58	8.52		8.52	21-मार्च-07
35.	राजस्थान	कोटा	कोटा फेज-II	1	28.58	845	15.14	13.44	7.57		7.57	9-फरवरी-11
36.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	नीमबहेड़ा	1	11.06	457	7.59	3.47	3.79		3.79	5-अगस्त-10
37.	राजस्थान	पाली	पाली	1	22.06	2722	17.64	4.41	8.82	8.82	17.64	21-मार्च-07
38.	राजस्थान	जोधपुर	फलोदी	1	23.27	764	13.79	9.47	6.90		6.90	15-जुलाई-09
39.	राजस्थान	जैसलमेर	पोखरन	1	21.83	787	12.20	9.63	6.10		6.10	15-जुलाई-09
40.	राजस्थान	चितौर्गर्ह	प्रतापगढ़	1	11.20	711	7.20	4.00	3.60	3.60	5.40	26-सित.-07
41.	राजस्थान	सिरोही	पिंडवारा	1	13.26	686	8.00	5.26	4.00		4.00	29-सित.-10
42.	राजस्थान	सिरोही	पिलिबंगा	1	6.41	244	4.27	2.14	2.14		2.14	29-सित.-10
43.	राजस्थान	हनुमानगढ़	रवत्सर	1	30.69	1398	18.51	12.18	9.26		9.26	26-अगस्त-10
44.	राजस्थान	पाली	रानी नगर	1	0.79	19	0.63	0.16	C.32	0.32	0.63	28-सित.-06
45.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	रवत्भाटा	1	36.55	1439	25.16	11.38	12.58		12.58	14-दिस.-10
46.	राजस्थान	पाली	सद्रि	1	1.29	46	1.03	0.26	0.52	0.52	1.03	28-सित.-06
47.	राजस्थान	सवाई मधोपुर	सवाई मधोपुर	1	13.48	976	9.93	3.56	4.96		4.96	29-अक्तू.-07
48.	राजस्थान	सीकर	सीकर	1	5.44	556	4.35	1.09	2.18		2.18	28-सित.-06
49.	राजस्थान	जलोरे	संचोर	1	9.47	390	5.31	4.16	2.66		2.66	27-जन.-10
50.	राजस्थान	कोटा	सांगोड़	1	9.01	442	6.09	2.93	3.04		3.04	14-दिस.-10
51.	राजस्थान	पाली	सोजत	1	3.16	196	2.53	0.63	1.27	1.27	2.53	8-दिस.-06
52.	राजस्थान	पाली	सुमरपुर	1	10.36	529	6.64	3.72	3.32		3.32	26-अगस्त-10
53.	राजस्थान	गंगानगर	सूरतगढ़	1	35.05	1493	22.10	12.95	11.05		11.05	30-सित.-08
54.	राजस्थान	पाली	तखतगढ़	1	16.69	635	9.25	7.44	4.63		4.63	15-जुलाई-09
55.	राजस्थान	टोंक	टोंक फेज-I	1	4.46	136	3.57	0.89	1.78	1.78	3.57	30-मार्च-06
56.	राजस्थान	टोंक	टोंक फेज-II	1	9.45	384	5.97	3.48	2.99		2.99	12-दिस.-10
57.	राजस्थान	उदयपुर	उदयपुर	1	24.55	1737	16.07	8.48	8.03		8.03	20-दिस.-07
	योग		51	57	804.96	41719	533.59	274.17	266.80	47.69	312.69	

ओडिशा में स्मारक

232. श्री यशवंत लागुरी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा राज्य में कई ऐतिहासिक स्मारक जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं और इन पर अवैध कब्जे किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्मारक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) ओडिशा में निम्नलिखित चार केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के क्षेत्र के भाग अवैध रूप से दखल कृत हैं:

1. बाराबटी किला, कटक

2. शिशुपालगढ़; भुवनेश्वर

3. खण्डगिरी और उदयगिरी गुफा, भुवनेश्वर

4. चौड़वार किला, चौड़वार, जिला कटक

(ग) प्रथम सूचना रिपोर्टें (एफ.आई.आर.) दर्ज करा दी गई हैं। इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राज्य सरकार और जिला प्राधिकारियों से लगातार समन्वय बनाए हुए है और ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय में मामले भी हैं।

राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति

233. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति तैयार करने के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य साझेदारों के परामर्श से कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों को सस्ते दर पर मकान उपलब्ध कराने के लिए कृतिक बल द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और उठाए गए हैं; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकार और आवास क्षेत्र से जुड़े वित्तीय तथा अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ 27-1-2005 को तत्कालीन सचिव, शहरी रोजगार और गरबी उपशमन मंत्रालय की अध्यक्षता मों एक कृतिक बल का गठन किया गया था।

(ख) और (ग) उक्त कृतिक बल ने कानूनी, विनियामक, वित्तीय मामले में तथा प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों पर विभिन्न सूचनाओं/पर आधारित इस मंत्रालय को एक औपचारिक प्रारूप नीति प्रस्तुत की थी।

(घ) और (ङ) कृतिक बल की संस्तुतियों के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य पक्षकारों से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2007 का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया है जिसमें अन्य मुद्दों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए आवास की संख्या बढ़ाने हेतु उपायों पर भी विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एन.यू.एच. एच.पी.), 2007 का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए किफायती कीमतों पर भूमि, आश्रय और सेवाओं की समान आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश में पर्यावास का तेजी से सुस्थिर विकास करना है। तथापि, 'भूमि' तथा 'कालोनी बसाना' राज्य का विषय होने के नाते यह सरकारों का दायित्व है कि वे एन.यू.एच.एच.पी.: 2007 के अंतर्गत किए गए पहल-प्रयासों को आगे बढ़ाएं। तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न योजनागत हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है।

सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गये जावहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप मिशन के अंतर्गत निर्दिष्ट 65 शहरों तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत अन्य शहरों और कस्बों में स्लमों में शहरी गरीबों के लिए आवास और बुनियादी सेवाओं के प्रावधान हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आई.एस.एच.यू.पी.), के तहत ऋण समर्थता उपायों के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) और कम आय वर्ग (एल.आई.जी.) के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी मुहैया कराती है तथा आवास निर्माण/अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से ऋण तथा एक लाख रु. तक के ऋण हेतु ब्याज भुगतान पर 5 प्रतिशत तक की सब्सिडी की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

भागीदारी में किफायती आवास संबंधी स्कीम का उद्देश्य किफायती आवास के निर्माण हेतु भूमि जुटाने और इसके तहत आंतरिक तथा वाह्य अवसंरचना की सुलभता के प्रावधान हेतु केन्द्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

नई शुरू की गई राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) का उद्देश्य स्लम पुनर्विकास हेतु आश्रय और बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक सेवाओं को सहायता प्रदान करना तथा किफायती आवासों के निर्माण हेतु उन राज्यों, जो स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं, किफायती आवासों का निर्माण करना है।

[अनुवाद]

कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

234. श्री संजय निरुपम: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य में और विशेषकर मुंबई में चलाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र को आबंटित राशि तथा उपयोग हुई राशि कितनी है;

(ग) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत मुंबई के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है;

(घ) क्या इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मुंबई समेत देश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच योजना स्कीमें हैं अर्थात (i) अवसंरचना विकास स्कीम (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम (iii) मानव संसाधन विकास स्कीम (iv) संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम; और (v) अनुसंधान एवं विकास, प्रयोगशाला और गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीम।

मुंबई समेत महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देरी भूमि संबंधी मुद्दों, वित्तीय समापन आदि के कारण हो सकती है। तथापि, समय से कार्यान्वयन हेतु इस प्रक्रिया की गहन निगरानी की जाती है।

विवरण

मुंबई समेत महाराष्ट्र राज्य में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

2008-09 (लाख रुपए)

अवसंरचना विकास			खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण	गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान तथा विकास	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
मेगा फूड पार्क/ फूड पार्क*	शीत श्रृंखला	बूचड़खाना				
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	1802.633	125.31	31.20	7.7

1	2	3	4	5	6	7
2009-10						
0	750.00	85.102	1717.3	273.72	117.41	0
2010-11						
1.76	0.97	0	1031.52	4.12	4.52	2.50
2011-12 (28-07-2011 तक)						
0	0	0	1182.54	0	17.3	0

*मेगा फूड पार्क/फूड पार्क का आशय मेगा फूड पार्क/फूड पार्क के लिए है।

नोट: अवसंरचना विकास के अंतर्गत, मुंबई में कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अवैध निर्माणों में दिल्ली नगर निगम की संलिप्तता

235. **श्रीमती रमा देवी:**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवैध निर्माण में दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) की संलिप्तता संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार को प्राप्त ऐसी शिकायतों तथा ऐसी शिकायतों के संबंध में दर्ज मामलों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) अवैध निर्माण की अनुमति देने में लिप्त होने के दोषी पाए गए एम.सी.डी. के कर्मियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई, दोषसिद्ध हुए तथा सेवा से बर्खास्त किए गए कर्मियों का एम.सी.डी. जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी गतिविधियों के जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों की संख्या और इनमें से अभी भी सेवारत अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ङ) उनकी सेवा जारी रहने के क्या कारण हैं; और

(च) दिल्ली में भविष्य में अवैध निर्माण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत आवास और अवसंरचनागत सुविधाएं

236. **डॉ. क्रुपारानी किल्ली:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सहित देश में शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं (बी.एस.यू.पी.) तथा एकीकृत आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत आवास और अवसंरचनागत सुविधाओं के सृजन के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सहित देश में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बी.एस.यू.पी.) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत आवास और अवसंरचनात्मक

सुविधाओं के सृजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे लेकिन औसत लागत और कुल वित्तीय परिव्यय के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया था कि बुनियादी सुविधाओं सहित 1.5 मिलियन आवासों का लक्ष्य बनाया जा सकता था। योजना आयोग द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में राज्य-वार वित्तीय आबंटन निर्धारित किए गए थे। अतिरिक्त, केन्द्रीय सहायता आबंटन, वचनबद्धता और जारी राशियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जहां तक आन्ध्र प्रदेश राज्य का संबंध है, ब्यौरे निम्नवत हैं:-

(करोड़ रु.)

राज्य	7 वर्षीय अतिरिक्त सहायता		वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय अंश		जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	
	बी.एस.यू.पी.	आई.एच.एस.डी.पी.	बी.एस.यू.पी.	आई.एच.एस.डी.पी.	बी.एस.यू.पी.	आई.एच.एस.डी.पी.
आन्ध्र प्रदेश	1547.42	764.57	1496.32	783.10	1053.97	614.37

(घ) लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सुलभ कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी करना, राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई और यू.एल.बी./कस्बा स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन ईकाइयों की स्थापना, शहर विकास योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने सहित सांस्थानिक और मानव संसाधन क्षमता दोनों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता करना, हैंड होल्डिंग सहायता, परियोजना तैयार करने में सहायता करने के लिए टूल किट, साफ्टवेयर और दिशानिर्देश जारी करना और परियोजना की योजना बनाने, प्रबंधन, मूल्यांकन और मॉनीटरिंग में राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं संचालन करना शामिल है।

विवरण

वित्तीय प्रगति (बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7-वर्षीय नया आबंटन			अनुमोदित जारी कुल केन्द्रीय अंश			जारी ए.सी.ए.		
		बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1547.42	764.57	2311.99	1496.32	783.10	2279.42	1053.97	614.37	1668.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.95	24.52	68.47	43.95	8.96	52.91	12.67	4.48	17.15
3.	असम	121.94	67.25	189.19	97.60	70.22	167.82	48.80	35.11	83.91
4.	बिहार	531.54	168.07	699.61	312.76	229.88	542.64	78.19	81.24	159.43
5.	छत्तीसगढ़	385.21	158.83	544.04	364.99	158.83	523.82	169.29	118.31	287,60
6.	गोवा	11.43	35.79	47.22	4.60	0.00	4.60	1.15	0,00	1.15
7.	गुजरात	1015.56	256.25	1271.81	827.38	243.20	1070.58	656.68	125.81	782.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हरियाणा	57.31	209.70	267.01	31.18	209.70	240.88	31.18	124.66	155.84
9.	हिमाचल प्रदेश	31.29	37.07	68.36	18.27	48.79	67.06	4.57	24.39	28.96
10.	जम्मू और कश्मीर	140.18	117.34	257.52	134.44	114.32	248.76	36.80	44.91	81.71
11.	झारखंड	351.09	136.00	487.09	328.74	131.33	460.07	82.18	55.05	137.23
12.	कर्नाटक	407.97	222.69	630.66	407.97	222.56	630.53	214.46	171.30	385.76
13.	केरल	250.00	198.83	448.83	233.56	201.60	435.16	125.37	130.70	256.07
14.	मध्य प्रदेश	351.10	276.54	627.74	344.26	249.56	593.82	193.74	124.88	318.62
15.	महाराष्ट्र	3372.56	1130.60	4503.16	3256.29	1431.32	4687.61	1453.03	683.69	2136.72
16.	मणिपुर	43.91	32.35	76.26	43.91	32.35	76.26	10.98	22.52	33.50
17.	मेघालय	40.35	28.97	69.32	40.35	22.43	62.78	16.03	11.21	27.24
18.	मिजोरम	80.11	29.18	109.89	80.11	29.78	109.89	27.26	14.89	42.15
19.	नागालैंड	105.60	44.14	149.74	105.60	44.74	150.34	79.20	29.92	109.12
20.	ओडिशा	78.74	176.33	255.07	54.18	197.30	251.48	23.49	95.33	118.82
21.	पंजाब	444.46	172.56	617.02	36.15	133.54	169.69	26.39	66.77	93.16
22.	राजस्थान	383.46	424.56	808.02	267.65	533.59	801.24	85.47	312.69	398.16
23.	सिक्किम	29.06	20.90	49.96	29.06	17.92	46.98	15,23	8.96	24.19
24.	तमिलनाडु	1107.80	349.38	1457.18	1041.80	372.10	1413.90	605.35	316.55	921.90
25.	त्रिपुरा	23.66	28.36	52.02	13.96	38.05	52.01	13.96	34.55	48.51
26.	उत्तर प्रदेश	1165.22	854.41	2019.63	1149.04	846.08	1995.12	639.51	484.25	1123.76
27.	उत्तराखंड	97.84	63.58	161.42	65.33	90.57	155.90	17.61	45.28	62.89
28.	पश्चिम बंगाल	2126.98	661.04	2808.02	1962.59	826.59	2789.18	724.04	503.50	1227.54
29.	दिल्ली	1481.28	0.00	1481.28	1469.43	0.00	1469.43	357.19	0.00	357.19
30.	पुडुचेरी	83.20	26.95	110.15	83.20	5.48	88.68	22.93	2.74	25.67
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	27.29	27.29	0.00	13.64	13.64	0.00	5.53	5.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	चंडीगढ़	446.13	0.00	446.13	396.13	0.00	396.13	227.22	0.00	227.22
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	20.56	20.56	0.00	3.34	3.34	0.00	1.67	1.67
34.	लक्षद्वीप	0.00	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	दमन और द्वीप	0.00	21.97	21.97	0.00	0.58	0.58	0.00	0.29	0.29
	योग	16358.35	5828.33	23184.66	14740.80	7311.42	22052.22	7053.94	4295.54	1349.48

[हिन्दी]

निम्न और मध्य आय समूहों के लिए आवास

237. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में निम्न और मध्य आय समूहों के लिए 5000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आवासों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर बिहार में निर्माण हेतु प्रस्तावित आवासीय इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधवाओं एवं गरीबों के लिए आवासों का कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने की सरकार की परिकल्पना के अनुसरण में, दिनांक 02-06-2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। राजीव आवास योजना के चरण-I की अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष, की है जिसके लिए 5000 करोड़ रु. के बजट की व्यवस्था की गई है और व्यय को वास्तविक योजना परिव्यय तक सीमित किया गया है। इस स्कीम में स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ख) इस स्कीम में 12वीं योजना (2017) के अंत तक देश भर में लगभग 250 शहरों को शामिल किए जाने का अनुमान है। शहरों का चयन केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। राज्यों द्वारा शहरों के विकास की गति, अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता वाले स्लमों और क्षेत्रों जहां संपत्ति का अधिकार दिया गया है, पर उपयुक्त विचार करते हुए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के सभी मिशन शहरों अधिमानतः 2001 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और अन्य छोटे शहरों को शामिल करना अपेक्षित है। स्कीम राज्यों द्वारा निर्धारित गति पर प्रगति करेगी। स्लम मुक्त शहरी योजना स्कीम के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यकलाप करने के लिए 157 शहरों को धन राशि जारी की गई है। बिहार में शहरों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) इस स्कीम में स्लम वासियों और शहरी गरीबों को लक्ष्य बनाया गया है। विधवाओं के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

बिहार में शहरों की सूची

जारी राशि (लाख रु. में/ शहरों की संख्या)	शहर-एस.एफ.सी.पी. के लिए जारी धनराशी
191.59 (4 शहर)	पटना
	गया
	भागलपुर
	मुजफ्फरपुर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

238. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) का गठन तथा इसे पूर्ण क्रियाशील कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ मामलों की जांच का कार्य एन.आई.ए. को सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है पिछले तथा तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार नक्सल प्रभावित राज्यों सहित अन्तर्राज्य आतंकवाद सहित एन.आई.ए. को जांच हेतु सौंपे गए ऐसे कुल मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसी जांचों में क्या प्रगति हुई है तथा एन.आई.ए. द्वारा अब तक हासिल की गयी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) का गठन दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को किया गया था और इसे अनुसूचित अपराधों की जांच करने तथा अभियोजन चलाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत पूर्ण रूप से क्रियाशील बना दिया गया है। एन.आई.ए. का मुख्यालय नई दिल्ली में है और हैदराबाद तथा गुवाहाटी में इसके दो शाखा कार्यालय हैं।

(ग) से (ङ) एन.आई.ए. के सृजन के समय से संघ सरकार ने एन.आई.ए. को आतंकवाद संबंधी 29 मामले [असम (20), महाराष्ट्र (03), दिल्ली (03), केरल (07), गोवा (02), मणिपुर (03), गुजरात (01), आन्ध्र प्रदेश (02), हरियाणा (01), पश्चिम बंगाल (02), राजस्थान (01), जम्मू और कश्मीर (01) और मध्य प्रदेश (01)] सौंपे थे। इन 29 मामलों में से, 20 मामलों में आरोप-पत्र दायर कर दिए गए हैं, जो एन.आई.ए. की एक बड़ी उपलब्धि है।

जी.यू.जे.सी.ओ.सी. विधेयक

239. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 को केन्द्र सरकार की अनुमति हेतु पुनर्प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक केन्द्र सरकार को कब प्राप्त हुआ तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अन्य राज्यों के ऐसे ही विधेयकों का अनुमोदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जी.यू.जे.सी.ओ.सी. विधेयक कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) राज्य विधानसभा द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित गुजरात आतंकवाद तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 नामक विधेयक दिनांक 11-11-2009 को इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य सुपारी लेकर हत्या करने, अवैध वसूली, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, स्वापक द्रव्यों के अवैध व्यापार, व्यपहरण, धन-शोधन इत्यादि से उत्पन्न संगठित अपराध को रोकना है।

इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

(i) संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों, दुष्प्रेरकों और आश्रयदाताओं को कड़ा दण्ड;

(ii) अपराधों का विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण;

(iii) कम से कम पुलिस अधीक्षक के रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्तियों को विचारण के लिए स्वीकार्य मानना;

(iv) गवाहों की पहचान की सुरक्षा के प्रावधान;

(v) संगठित अपराध के माध्यम से प्राप्त सम्पत्ति की कुर्की और जब्ती;

(vi) पुलिस अधिकारियों को सम्पत्ति की कुर्की करने के आदेश देने संबंधी शक्तियां;

(vii) कोई प्रतिकूल बात सिद्ध न होने पर, कतिपय परिस्थितियों में अपराध की उपधारणा।

(घ) सगठित अपराध के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित राज्य विधानों को सरकार की तत्कालीन नीति के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई है:-

क्र. सं.	विधेयक का नाम	मंजूरी की तारीख
1.	महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 1999	23-04-1999
2.	आन्ध्र प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2001 (तीन वर्ष के लिए वैध)	16-10-2001
3.	कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2000	22-12-2001

(ङ) राज्य विधायनों की जांच यह देखने के लिए की जाती है कि उनका कोई प्रावधान (क) केन्द्रीय कानूनों के विरुद्ध तो नहीं है, (ख) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति के प्रतिकूल नहीं है और (ग) विधिक एवं संवैधानिक दृष्टि से वैध है। जब कभी आवश्यक होता है, राज्य सरकारों को उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर ऐसे विधानों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने की सलाह दी जाती है। किसी निर्णय पर शीघ्रता से पहुंचने के लिए, राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है। अतः इस संबंध में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

कृषि विपणन संस्थान

240. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कृषि विपणन संस्थानों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

[हिन्दी]

राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

241. **श्री हरीश चौधरी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित वस्तुओं के नाम तता उनकी मात्रा और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा कितनी है; और

(ग) इन उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) राजस्थान में 506 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं जो विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं।

(ख) निर्यात संबंधी राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा), निर्यात के प्रोत्साहन हेतु अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता देता है। वे अपने निर्यातक सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भी भाग लेते हैं। वे निर्यातकों के साथ नियमित रूप से पारस्परिक क्रिया करते हैं, जब कभी आवश्यक होता है वे अवसंरचना सुविधाओं तथा अनुसंधान एवं विकास सृजन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तथा वेबसाइट एवं कृषि व्यापार पोर्टल के जरिए बाजार आसूचना का प्रसार करते हैं।

तूर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य

242. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि

किसान अपनी दालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर बेचने में समर्थ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तूर दाल के एम.एस.पी. में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तूर दाल का एम.एस.पी. कितना रहा है तथा उक्त अवधि के दौरान किसानों से खरीदी गयी मात्रा का एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) पर दलहनों को बेचने में असमर्थ हैं।

(ग) और (घ) 2008-11 के दौरान अरहर (तूर) के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ लिमिटिड (नैफेड) तथा केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा प्रापण की गयी मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

	2008-09	2009-10	2010-11
न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)	2000	2300	3000
प्रापण $ (नैफेड)	-	-	457.25
प्रापण $ (सी.डब्ल्यू.सी.)	-	-	0.14

$ मीट्रिक टन में

2011-12 के लिए अरहर (तूर) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान दो महीनों की फसल कटाई/आगमन अवधि के दौरान प्रापण एजेंसियों को बेचे गए तूर पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देय है।

केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा धान की खरीद

243. श्री मधुसूदन यादव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा खरीदे गए धान की मात्रा तथा इनकी दरें क्या हैं;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में एफ.सी.आई. के माध्यम से धान खरीदने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर राज्यों द्वारा धान की खरीद से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई विशेष सहायता योजना बनायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खीरदे गए धान की राज्यवार मात्रा को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप वाले धान की ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है।

(ख) और (ग) जी हां, चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार विकेन्द्रिकृत खरीद योजना के तहत केन्द्रीय पूल के लिए चावल की खरीद कर रही है, इसलिए धान की खरीद करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तदनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित किया गया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा टन)

	खरीफ विपणन मौसम 2007-08	खरीफ विपणन मौसम 2008-09	खरीफ विपणन मौसम 2009-10
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	57684	194344	147947
असम	0	4104	12146
बिहार	222357	402861	193941
चण्डीगढ़	12948	8490	19909
छत्तीसगढ़	716053	851748	200005
दिल्ली	0	0	0
गुजरात	0	0	0
हरियाणा	10333	10110	43406
हिमाचल प्रदेश	0	0	0
झारखंड	21429	28170	2580
जम्मू और कश्मीर	0	2410	0
कर्नाटक	0	0	0
केरल	0	0	0
मध्य प्रदेश	77409	63409	0
महाराष्ट्र	113098	0	0
नागालैण्ड	0	0	0
ओडिशा	773113	91442	179351
पुड्डुचेरी	8719	11191	1421
पंजाब	132099	205219	670397
राजस्थान	0	0	0

1	2	3	4
तमिलनाडु	0	0	0
उत्तर प्रदेश	599540	874354	773
उत्तराखंड	0	0	1810
पश्चिम बंगाल	8510	14826	0
जोड़	2753292	2762678	1473686

कृषि आदानों की कीमतों में वृद्धि

244. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों आदि जैसे कृषि आदानों के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश के धान उत्पादकों को आदान लागत की तुलना में अपने उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त होता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कृषि को और लाभदायक क्षेत्र बनाने के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के अनुसार 2009-10 की अपेक्षा 2010-11 में मुख्य कृषि आदानों के मूल्यों में वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

आदान	प्रतिशत वृद्धि
उर्वरक	8.1
विद्युत (सिंचाई)	7.6
कीटनाशक	1.9
ट्रैक्टर	3.7
डीजल तेल (एच.एस.डी.ओ.)	11.4

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा अनुमानित भिन्न-भिन्न आदान मूल्य सूचकांक के अनुसार छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के बीजों के मूल्यों में 3 से 3.50% की परिधि में वृद्धि हुई है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुसार विगत वर्ष की अपेक्षा 2010 में कृषि मजदूर के लिए प्रति दिन मजदूरी दर में 17.94% की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) 2011-12 के लिए धान हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) को सामान्य किस्म के लिए 1080 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए किस्म के लिए 1110 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा उत्पादन लागत जिसमें धान के लिए सभी आदान लागतें शामिल हैं, छत्तीसगढ़ के लिए 777 रुपये प्रति क्विंटल अनुमानित किया गया है। सरकार, छत्तीसगढ़ सहित, राज्यों में केन्द्रीय, राज्य तथा सहकारी एजेंसियों द्वारा किए गए प्रापण संचालनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करती है।

(ङ) और (च) सरकार, कृषि को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न योजनाएं अर्थात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) आदि क्रियान्वित करती है।

शहरों में बढ़ती जनसंख्या

245. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शहरों में बसने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के प्रवास के कारण शहरों में बढ़ती जनसंख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो शहरों की जनसंख्या में सतत वृद्धि के कारण भविष्य में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना बनायी गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों का प्रवास रोकने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) शहरों की आबादी विभिन्न कारणों जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास शामिल है, से बढ़ रही है। शहरी विकास राज्य का विषय है। तथापि, शहरी क्षेत्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए राज्य सरकारों/शहरों की सहायता हेतु अनेक स्कीमें जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचा विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.), सैटलाइट कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (यू.आई.डी.एस.एस.टी.), पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.पी.) आरंभ की हैं।

(ग) से (ङ) सरकार की नीति शहरों की ओर प्रवास को रोकना अथवा उसे सुविधाजनक बनाना नहीं है क्योंकि प्रवास की प्रक्रिया जनसांख्यिकी एवं आर्थिक कारकों से प्रेरित होती है और इसमें किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ का अवांछित प्रभाव आर्थिक वृद्धि एवं विकास पर पड़ सकता है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का ई-वितरण

246. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशिष्ट पहचान कार्ड या आधार के केन्द्रीय आंकड़े संग्रहण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) जुड़ने के बाद राशन कार्ड धारकों को इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से खाद्य हकदारिता का अंतरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित ऑनलाइन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस ऑनलाइन पी.डी.एस. योजना से कितने फर्जी राशन कार्डधारकों की पहचान एवं उसकी समाप्ति होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) सरकार ने लक्षित सार्वजनित वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने और आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी करने संबंधी पायलट परियोजना चला कर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियों को इलेक्ट्रानिक प्रणाली के जरिए खाद्य हकदारी अंतरित करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के कंप्यूटरीकरण संबंधी पायलट स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ सही समय पर सूचना उपलब्ध कराने, सुपुर्दगी सेवा की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने और शिकायत निपटान तंत्र लागू करने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों से इतर व्यक्तियों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों का उठान करने को समाप्त करना है।

कृषि विश्वविद्यालय का उन्नयन

247. श्री ए. सम्पत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उनके कृषि विश्वविद्यालयों का उन्नयन करने के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और इनका संचालन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बुनियादी डांचे तथा सुविधाओं के उन्नयन से संबंधित प्रस्ताव समस्त राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। कृषि शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार तथा इसे बनाए रखने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में "उच्च कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और विकास" नामक योजना के तहत इन्हें व्यावसायिक तथा आंशिक वित्तीय सहायता दी जाती है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आवास परियोजना

248. श्री उदय सिंह: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत अनुमोदित आवासों के निर्माण की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकारी और निजी आवास परियोजनाओं में कम-से-कम 20-25 प्रतिशत विकसित भूमि को जे.एन.एन. यू.आर.एम. मानकों के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है एवं उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जवाहलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के संघटक, शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं (बी.एस.यू.पी.) के उप-मिशन और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत आवासों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत आवासों के ब्यौके संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जे.एन.एन.यू.आर.एम. दिशा निर्देशों में एक वैकल्पिक सुधार के रूप में "सभी आवास परियोजनाओं (सरकारी और निजी एजेंसियों दोनों) के लिए विकसित भूमि का न्यूनतम 2025% भाग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह की श्रेणियों के लिए समस्त आर्थिक सहायता की प्रणाली के साथ निर्धारित किया जाना तय है"। अभी तक 22 राज्यों (51 मिशन शहरों) ने सरकारी और/अथवा निजी आवास परियोजनाओं में विकसित भूमि को आरक्षित करने के लिए नीतिगत नमिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों और उनके प्रतिनिधियों को अनेक बैठकों में परिचर्चा के दौरान यह सलाह दी गई है कि वे केन्द्रीय स्तर पर संस्वीकृति समिति के करार ज्ञापन में निर्धारित और स्वीकृत सुधारों को क्रियान्वित करें।

विवरण-I

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)

शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) (उप मिशन II)

(12-07-2011 तक की स्थिति)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	2008-09		2009-2010		2010-2011	
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	40699				

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	752				
3.	असम	1	1028				
4.	बिहार	9	7776				
5.	छत्तीसगढ़	1	888	1	1136		
6.	चंडीगढ़ (यूटी)						
7.	दिल्ली	2	2848			7	35940
8.	गोवा						
9.	गुजरात	3	7580	3	10960	2	544
10.	हरियाणा						
11.	हिमाचल प्रदेश						
12.	जम्मू और कश्मीर	3	1469				
13.	झारखंड	6	5008			3	4498
14.	कर्नाटक	11	6272				
15.	केरल	1	1369				
16.	मध्य प्रदेश	3	8157				
17.	महाराष्ट्र	19	32506	5	14323		
18.	मेघालय	1	168				
19.	मणिपुर	1	1250				
20.	मिजोरम	2	688				
21.	ओडिशा	1	192				
22.	पंजाब						
23.	पुडुचेरी			1	1660		
24.	सिक्किम	2	202				
25.	नागालैंड						
26.	राजस्थान					3	17814
27.	तमिलनाडु	27	5111				

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	त्रिपुरा						
29.	उत्तर प्रदेश	55	46240			एडीशनल	0
30.	उत्तराखंड	4	249	4	1026		
31.	पश्चिम बंगाल	15	24872			12	15240
	योग	185	195924	14	29105	27	74036

*17-6-2011 को हैदराबादियों के लिए दो परियोजनाओं में से एक परियोजना संशोधित की गई और एक परियोजना वडोदरा के लिए संशोधित की गई।

30-12-2010 को दिल्ली के लिए उन दो परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया जिन्हें वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमोदित किया गया था और एक परियोजना जयपुर के लिए रद्द कर दी गई जिसे वर्ष 2006-07 में अनुमोदित किया गया था।

**दो परियोजनाएं (विशाखापट्टनम) 09-02-2011 को रद्द कर दी गई जिन्हें वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमोदित किया गया था और दो परियोजनाओं और बंगलौर प्रत्येक के लिए एक, में संशोधन किया गया है।

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)

(12-07-2011 तक की स्थिति)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	2008-09		2009-2010		2010-2011	
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	18639				
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	176	0	0		
3.	असम	3	1974	1	1301		
4.	बिहार	8	3264	4	3192	5	5722
5.	छत्तीसगढ़	4	3076				
6.	गोवा						
7.	गुजरात	9	6364	6	3655		
8.	हरियाणा	3	1785				
9.	हिमाचल प्रदेश	3	800			2	338

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	15	3408	12	608	13	953
11.	झारखंड	8	6578			3	3676
12.	कर्नाटक**	9	4164				
13.	केरल	11	5800	16	7636		
14.	मध्य प्रदेश	4	1708	7	1869	5	1104
15.	महाराष्ट्र	58	51678	1	1488		
16.	मणिपुर	1	663	3	1083		
17.	मेघालय	2	458				
18.	मिजोरम	7	1450				
19.	नागालैंड			1	265		
20.	ओडिशा	16	7709	1	456	2	316
21.	पंजाब	1	720			11	5326
22.	राजस्थान	4	3214	5	3215	18	12647
23.	सिक्किम			1	39		
24.	तमिलनाडु	52	15500	2	2322		
25.	त्रिपुरा	2	1150	2	1565		
26.	उत्तर प्रदेश	124	29733	10	5456	15	8479
27.	उत्तराखंड			19	4801		
28.	पश्चिम बंगाल	34	19706	26	7580		
29.	दिल्ली				0		
30.	पुडुचेरी						
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0				
32.	चंडीगढ़						
33.	दादरा और नगर हवेली			1			
34.	लक्षद्वीप						

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	दमन और द्वीप						
		396	189733	118	46655	74	38561

विवरण-II

बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत रिहायशी यूनिटों की स्थिति

(जून 2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित			कार्य चल रहा है			पूरे		
		बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल	बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	134694	47896	182590	34974	14350	49324	86211	21503	107714
2.	अरुणाचल प्रदेश	852	176	1028	100	0	100	90	0	90
3.	असम	2260	8668	10928	2196	152	2348	352	1040	1392
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	40	40	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	22372	18942	41314	1536	4010	5546	112	2087	2199
6.	छत्तीसगढ़	30000	17922	47922	13090	9038	22128	0	1174	1174
7.	दिल्ली	25728	0	25728	10624	0	10624	2112	0	2112
8.	दादरा और नगर हवेली	71796	0	71796	1316	0	1316	13528	0	13528
9.	दमन और द्वीप	0	144	144	0	0	0	0	0	0
10.	गोवा	0	16	16	0	0	0	0	14	14
11.	गुजरात	155	0	155	0	0	0	0	0	0
12.	हरियाणा	105312	28424	133736	20967	3514	24481	69568	3255	72823
13.	हिमाचल प्रदेश	3248	16426	19674	118	2523	2641	2778	5960	8738
14.	जम्मू और कश्मीर	636	1954	2590	176	456	632	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	झारखंड	6677	7623	14300	200	4254	4454	40	327	367
16.	कर्नाटक	16724	11544	28268	0	0	0	0	0	0
17.	केरल	28118	17237	45355	11277	5141	16418	12857	10403	23260
18.	लक्षद्वीप	23577	26295	49872	4258	4387	8645	10038	11722	21760
19.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	महाराष्ट्र	41446	22249	63695	20707	2270	22977	5988	1181	7169
21.	मणिपुर	182841	97249	280090	62978	15754	78732	40829	10398	51227
22.	मेघालय	1250	2829	4079	600	1766	2366	0	0	0
23.	मिजोरम	768	912	1680	236	634	870	48	48	96
24.	नागालैंड	1096	1950	3046	961	680	1641	135	476	611
25.	ओडिशा	3504	2761	6265	762	360	1122	750	480	1230
26.	पंजाब	2508	13365	15873	1094	5000	6094	814	2208	3022
27.	पुडुचेरी	5152	9986	15138	4152	4658	8810	1000	0	1000
28.	राजस्थान	2964	432	3396	815	72	887	262	0	262
29.	सिक्किम	23151	41719	64870	1222	4525	5747	755	5461	6216
30.	त्रिपुरा	254	39	293	100	0	100	0	0	0
31.	तमिलनाडु	256	3115	3371	0	484	484	256	1084	1340
32.	उत्तर प्रदेश	91318	37585	128903	32523	12062	44585	18561	21228	39789
33.	उत्तराखंड	67992	47399	115391	30676	16637	47313	15139	7211	22350
34.	पश्चिम बंगाल	1799	5032	6831	120	2089	2209	63	997	1060
35.		155353	60171	215524	28395	9229	37624	49483	31439	80922
	कुल	1053801	550100	1603901	286173	124045	410218	331769	139696	471465

आर्थिक आसूचना संबंधी बहुअनुशासनिक स्कूल

249. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आतंकी शातिरों पर लगाम रखने के लिए देश में आर्थिक आसूचना संबंधी बहुअनुशासनिक स्कूल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे देश में कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 18-01-2010 को हुई आर्थिक आसूचना परिषद (ई.आई.सी.) की बैठक में आर्थिक आसूचना के क्षेत्र में क्षमता निर्माण को विकसित करने हेतु मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। स्कूल की स्थापना संबंधी तौर-तरीकों (मॉडलटीज) की रूप रेखा तैयार करने और इसके पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए एस.एस. सह महानिदेशक, सी.ई.आई.बी. अध्यक्षता में महानिदेशक, एन.ए.सी.ई.एन. (नेशनल अकैडमी ऑफ कस्टम इक्साइज एण्ड नारकोटिक्स), अपर महानिदेशक, एन.ए.सी.ई.एन., मुंबई और उप महानिदेशक (ए.सी.), केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी.ई.आई.बी.) को मिलाकर एक समिति का गठन किया गया है। आर्थिक आसूचना स्कूल की परिकल्पना मुख्य रूप से आतंकी मास्टर माइन्ड्स पर निगरानी रखने वाले संगठन के रूप में नहीं की गई है।

(ग) चूंकि अभी स्कूल की स्थापना करने संबंधी तौर-तरीकों (मॉडलटीज) की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसलिए इस स्तर पर इन स्कूलों की स्थापना की समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

खेलों का विकास

250. डॉ. संजय सिंह:

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश में खेलों के संवर्द्धन एवं विकास हेतु कोई वित्तीय/अवित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त ऐसी सहायता का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी वित्त प्रदायगी पैटर्न क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी सहायता पाए खिलाड़ियों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में खेलों का कितना विकास हुआ है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी हां। सरकार वर्ष 2008-09 से "पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" (पायका) योजना कार्यान्वित कर रही हैं। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्राम/ब्लॉक पंचायतों में खेल-मैदानों के विकास तथा ब्लॉक, जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश समेत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) तथा चालू वित्तीय वर्ष के 30 जुलाई, 2011 तक के फंडिग पैट्रन तथा जारी की गई राशि से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II, III, IV और V में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2010-11 से एक नई योजना "शहरी खेल अवसंरचना योजना" प्रायोगिक आधार पर शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खेल-सुविधाओं के उन्नयन/आधुनिकीकरण, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास, कोचिंग, खेल मैदानों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए सहायता-अनुदान मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2010-11 के दौरान फंडिंग पैट्रन तथा मुहैया कराये गये फंड से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-VI पर है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) देशभर में 310 प्रशिक्षण केन्द्र चलाता है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में 8-21 वर्ष आयु समूह के लगभग 15626 खेल प्रतिभावान बच्चों/युवाओं को पोषित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 24 केन्द्र हैं जहां 915 बच्चों/युवाओं को पोषित किया जा रहा है। हाल ही में साई प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.), लखनऊ में तीन विधाएं नामत: एथलेटिक, जूडो और ताईक्वांडो अलग से शामिल की गई हैं। उपर्युक्त के अलावा सी.डब्ल्यू.जी., 2010 हेतु अवसंरचना कार्यक्रम के अंतर्गत एस.टी.सी., लखनऊ में आधुनिक फिटनेस केन्द्र, 100 बिस्तरों वाला वातानुकूलित छात्रावास, खेल औषधि केन्द्र और बहु-उद्देशीय हाल का निर्माण किया गया है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं

को विशेष पुरस्कार की स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) तथा चालू वित्तीय वर्ष की 30 जुलाई 2011 तक, 1554 खिलाड़ियों को 49.00 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार बांटे गए हैं। वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-VII में दिए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, 26 उच्च शिखर के खिलाड़ियों को जिनका ओलंपिक, सी.डब्ल्यू.जी., एशियन गेम्स तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्टों में पदक जीतने की प्रत्याशा है, उन्हें पिछले तीन वर्षों (2008-09) तथा चालू वित्तीय वर्ष 30 जुलाई 2011 तक 12.95 करोड़ रुपयों की राशि उनके भारत तथा विदेश में प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में दी गई है। वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-VIII में दिया गया है।

(ङ) उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ग्रामीण तथा ब्लॉक पंचायतों के खेल-मैदानों में खेल सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010-11 में वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में 180157 लड़कियों/महिलाओं समेत 5,79,690 युवाओं और बच्चों ने भाग लिया। भारतीय एथेलिटों ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में 38 स्वर्ण, 27 रजत तथा 36 कांस्य पदक एवं एशियाई खेल-2010 में 14 स्वर्ण, 17 रजत तथा 33 कांस्य पदक जीते।

विवरण-I

"पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" (पायका) योजना के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न

(क) अवसंरचना अनुदान

क्र. सं.	घटक	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत
1.	खेल अवसंरचना के विकास के लिए एक बार पूंजीगत अनुदान केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 आधार पर विशेष श्रेणी के राज्यों/उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामलों में 90:10 आधार पर	1 लाख रुपये	5 लाख रुपये
	100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान		
2.	खेल उपस्करों, सहायक उपकरणों, खेल से जुड़ी वस्तुओं आदि हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक अर्जन अनुदान	10,000 रुपये	20,000 रुपये
3.	मरम्मत पर खर्च/अवसंरचना के रखरखाव समेत प्रचालन खर्चों पर वहन करने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक प्रचालन अनुदान	12,000 रुपये	24,000 रुपये

(ख) वार्षिक प्रतियोगिताएं (100% केन्द्रीय अनुदान)

पायका ग्रामीण प्रतियोगिताएं

1.	ब्लॉक स्तर प्रतियोगिता	50,000 रुपये, 5 विधाओं के लिए 10,000 प्रति विधा की दर से + 45,000 रुपये पुरस्कार राशि
2.	जिला स्तर परियोगिताएं	दो लाख रुपये, 10 विधाओं के लिए 20,000 प्रति विधा की दर से + 90,000 रुपये पुरस्कार राशि

3.	राज्य स्तर प्रतियोगिताएं	राज्य के लिए 10 लाख रुपये, 10 विधाओं के लिए 1 लाख रुपये प्रति विधा की दर से संघ राज्यों के लिए 5 लाख रुपये, 10 विधाओं के लिए 50,000 रुपये प्रति विधा की दर से
4.	राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता	70 लाख रुपये (20 विधाओं के लिए 3.5 लाख रुपये प्रति विधा के हिसाब से) राज्य की मेजवानी करने के लिए

II. महिला प्रतियोगिताएं

(वर्ष 2010-11 से पायका के अंतर्गत समाकलित कर निम्नलिखित फंडिंग नार्म के साथ)

1.	जिला स्तर	1.2 लाख रुपये, 12 विधाओं के लिए 10,000 रुपये प्रति विधा की दर से
2.	राज्स स्तर	राज्य के लिए 06 लाख रुपये, 12 विधाओं के लिए 50,000 रुपये प्रति विधा की दर से। संघ राज्य क्षेत्र के लिए 03 लाख रुपये 12 विधाओं के लिए 25,000 रुपये प्रति विधा की दर से।
3.	राष्ट्रीय स्तर	42 लाख रुपये, 12 विधाओं के लिए 3.5 लाख प्रति विधा की दर से।

III. अंतः विद्यालय प्रतियोगिताएं

(वर्ष 2010-11 से पायका के अंतर्गत समाकालित कर, निम्न फंडिंग नार्म के साथ)

1.	जिला स्तर	1 लाख रुपये, 10 विधाओं के लिए 10,000 रुपये प्रति विधा की दर से
2.	राज्य स्तर	3 लाख रुपये, 10 विधाओं के लिए 30,000 रुपये प्रति विधा की दर से
3.	राष्ट्रीय स्तर	35 लाख रुपये (10 विधाओं के लिए 3.5 लाख रुपये प्रति विधा की दर से + विधाओं में 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में प्रदर्शन करने पर तथा साथ में रोलिंग ट्राफी।

IV. उत्तर पूर्वी खेल

1.	जिला स्तर	50,000 रुपये
2.	राज्य स्तर	6 लौख रुपये 8 विधाओं के लिए 75,000 रुपये प्रति विधा की दर से
3.	राष्ट्रीय स्तर	राज्य मेजवानी के लिए अधिकतम 55.90 लाख रुपये तक

विवरण-II

वर्ष 2008-09 के दौरान पायका योजना के अंतर्गत खेल-सुविधाओं के विकास तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन से संबंधित जारी किया गया राज्यवार अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि	
		खेल सुविधाएं	प्रतियोगिताएं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.99	0.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	0.93
3.	असम	-	1.88
4.	बिहार	5.22	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-
6.	गोवा	-	-
7.	गुजरात	-	-
8.	हरियाणा	3.26	-
9.	हिमाचल प्रदेश	2.01	-
10.	जम्मू और कश्मीर	2.66	-
11.	केरल	0.80	-
12.	मध्य प्रदेश	11.82	-
13.	महाराष्ट्र	8.91	-
14.	मणिपुर	0.87	-
15.	मिजोरम	0.85	-
16.	नागालैण्ड	1.18	-
17.	ओडिशा	3.67	-
18.	पंजाब	6.27	1.97
19.	राजस्थान	3.71	-
20.	सिक्किम	0.54	-

1	2	3	4
21.	तमिलनाडु	5.00	-
22.	त्रिपुरा	1.09	0.37
23.	उत्तर प्रदेश	10.00	-
24.	उत्तराखंड	3.00	-
25.	पश्चिम बंगाल	-	-
	कुल	83.85	5.93

विवरण-III

वर्ष 2009-10 के दौरान पायका योजना के अंतर्गत खेल-सुविधाओं के विकास तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन से संबंध में जारी किया गया राज्यवार अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि	
		खेल सुविधाएं	प्रतियोगिताएं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.99	0.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.44	-
3.	असम	3.85	-
4.	बिहार	5.02	3.42
5.	छत्तीसगढ़	5.06	1.17
6.	गोवा	0.18	-
7.	गुजरात	7.10	-
8.	हरियाणा	3.25	1.10
9.	हिमाचल प्रदेश	2.01	0.70
10.	जम्मू और कश्मीर	2.10	-
11.	झारखंड	2.39	1.42
12.	कर्नाटक	3.12	-

1	2	3	4
13.	केरल	0.80	-
14.	मध्य प्रदेश	-	2.64
15.	महाराष्ट्र	4.86	-
16.	मणिपुर		0.47
17.	मेघालय	1.06	-
18.	मिजोरम	0.21	0.37
19.	नागालैण्ड	0.30	0.56
20.	ओडिशा	8.05	2.11
21.	पंजाब	6.27	1.18
22.	राजस्थान	4.72	1.93
23.	सिक्किम	0.13	0.32
24.	त्रिपुरा	-	0.36
25.	तमिलनाडु	1.91	2.63
26.	उत्तर प्रदेश	-	2.55
27.	उत्तराखंड	5.90	1.03
28.	पश्चिम बंगाल	2.32	-
29.	राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताएं: मेजबान राज्यों/ एस.ए.आई. आदि को जारी की गई निधि		0.61
		105.00	25.51

विवरण-IV

वर्ष 2010-11 के दौरान पायका योजना के अंतर्गत खेल-सुविधाओं के विकास तथा प्रतियोगिताओं के आयोजन से संबंधित जारी किया गया राज्यवार अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि	
		खेल सुविधाएं	प्रतियोगिताएं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.98	11.26

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.51	2.05
3.	असम	-	3.34
4.	बिहार	-	6.19
5.	छत्तीसगढ़	-	2.01
6.	गुजरात	2.55	2.69
7.	गोवा	-	0.26
8.	हरियाणा	14.43	1.81
9.	हिमाचल प्रदेश	8.80	1.33
10.	जम्मू और कश्मीर	-	2.10
11.	झारखंड	-	3.16
12.	कर्नाटक	14.86	2.94
13.	केरल	11.17	1.32
14.	मध्य प्रदेश	-	4.79
15.	महाराष्ट्र	41.94	4.36
16.	मेघालय	1.19	0.79
17.	मिजोरम	2.27	0.71
18.	नागालैण्ड	2.96	0.13
19.	ओडिशा	5.98	4.27
20.	पंजाब	26.66	1.85
21.	तमिलनाडु	-	5.10
22.	सिक्किम	2.02	-
23.	त्रिपुरा	3.24	0.78
24.	उत्तर प्रदेश	62.27	9.47
25.	उत्तराखंड	19.43	1.47
26.	पश्चिम बंगाल	2.32	3.31
	संघ राज्य क्षेत्र		
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.06	-

1	2	3	4
28.	चंडीगढ़	-	0.03
29.	लक्षद्वीप	0.51	-
30.	पुडुचेरी	0.69 #	-
	एन.वाई.के.एस. द्वारा	-	3.32
	अतः विद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित करने संबंधी एन.वाई.जे.के.एस. को जारी की गई निधि	-	7.31
	कुल	285.40	88.05

विवरण-V

वर्ष 2011-12 (30 जुलाई 2011) तक के दौरान पायका योजना के अंतर्गत खेल-मैदानों के विकास हेतु जारी किया गया राज्यवार अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई निधि (30 जुलाई 2011 के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.98
2.	मिजोरम	2.07
3.	ओडिशा	7.34
4.	उत्तर प्रदेश	18.39
	कुल	53.78

विवरण-VI

(क) शहरी खेल अवसंरचना के अंतर्गत खेल सुविधाओं के विकास हेतु फंडिंग पैटर्न

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्टेन्डर्ड यूनिट कोस्ट
1	2	3
1.	सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रेक (सामान्य लाईटिंग के साथ)	5.50

1	2	3
2.	सिंथेटिक हॉकी (सामान्य लाइटिंग के साथ)	4.50 अथवा 5.00
3.	सिंथेटिक टर्फ फुटबाल ग्राउंड (सामान्य लाइट के साथ)	4.50
4.	6x40 के आकार का बहुउद्देशीय हाल	6.00

(ख) वर्ष 2010-11 के दौरान शहरी खेल अवसंरचना योजना के अंतर्गत मुहैया कराई गई सहायता का ब्यौरा।

क्र सं.	राज्य और खेल प्रोजेक्टों का नाम	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपयों में)	जारी की गई राशि (पहली किश्त) (करोड़ रुपयों में)
1.	पंजाब (बहुउद्देशीय हाल)	3.98	2.00
2.	हिमाचल प्रदेश (सिंथेटिक हाकी फील्ड)	5.00	3.50
3.	मिजोरम (एस्ट्रोटर्फ हाकी फील्ड)	5.00	4.00
4.	पश्चिम बंगाल (इन्डूर स्पोर्टस काम्पलेक्स, ईडन गार्डन कलकत्ता का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु)	6.00	3.00
	कुल	19.98	12.50

विवरण-VII

अंतर्राष्ट्रीय खेल विधाओं के पदक विजेताओं को विशेष पुरस्कार योजना के अन्तर्गत नगद पुरस्कार से संबंधित वर्ष-वार ब्यौरे

क्र सं.	वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	जारी की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	2008-09	493	8.75
2.	2009-10	286	5.50
3.	2010-11	734	34.00
4.	2011-12	41	0.75
	कुल	1554	49.00

विवरण-VIII

वर्ष 2008-09 तथा 30 जुलाई 2011 तक के दौरान सर्वोत्कृष्ट एथेलिटों को मैडल प्रत्याशा के प्रशिक्षण के लिए जारी किया गया वर्षवार अनुदान

क्र सं.	वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	जारी की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	2008-09	19	2.77
2.	2009-10	17	3.11
3.	2010-11	07	2.58
4.	2011-12	25	4.49
	कुल	68	12.95

अपराध में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता

251. **श्री वीरेन्द्र कश्यप:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में राज्य पुलिस कर्मियों द्वारा भ्रष्टाचार एवं अपराध किए जाने के मामलों की खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सूचित/दर्ज ऐसे मामलों की कुल संख्या और आरोपित कर्मियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई राज्य-वार एवं अपराध-वार क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पुलिस विभाग में कार्यकरण और भ्रष्टाचार के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकारों की कोई निदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(छ) राज्य पुलिस में सुधार करने तथा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रभावी उपाय क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं और भ्रष्टाचार तथा दांडिक अपराधों में लिप्त राज्य पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, वर्ष 2007-2009 की अवधि के दौरान पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध सूचित किए गए मामलों की संख्या, आरोप-पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या और दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई ज्यादतियों के विरुद्ध पुलिस शिकायत प्राधिकरण का फोरम बनाने की आवश्यकता रेखांकित की थी। गृह मंत्रालय ने भी एन.पी.सी. की 49 सिफारिशों में से कार्यान्वयन के लिए इस सिफारिश को चुना था। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1996 की दिनांक 22-09-2006 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 310 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए इस सिफारिश को चुना था। उच्चतम न्यायालय ने राज्य स्तर और जिला स्तर पर भी पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन का अधिदेश दिया था और ऐसे प्राधिकरणों कागठन का निर्धारित किया था। उच्चतम न्यायालय ने कार्यान्वयन की प्रगति पर रिपोर्ट देने के लिए न्यायमूर्ति थॉमस समिति की नियुक्ति भी की थी, जिसने अगस्त, 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

कर दी है। यह सूचित किया गया है कि राज्यों में इस सिफारिश का कार्यान्वयन एक समान नहीं है। राज्यों के पास भी चूककर्ता पुलिसकर्मियों की पहचान करने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आन्तरिक अनुशासनात्मक प्रणालियां जैसी सतर्कता मशीनरी है।

विवरण

वर्ष 2007-2009 के दौरान पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध सूचित किए गए मामलों, आरोपपत्रित मामलों की संख्या, दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	2007			2008			2009		
		सूचित किए गए मामले	आरोपपत्रित मामले	दोशसिद्ध व्यक्ति	सूचित किए गए मामले	आरोपपत्रित मामले	दोशसिद्ध व्यक्ति	सूचित किए गए मामले	आरोपपत्रित मामले	दोशसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	200	121	1	129	84	2	128	90	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	6	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	18	2	0	12	6	0	9	4	0
4.	बिहार	7	19	0	27	5	0	38	2	0
5.	छत्तीसगढ़	6	14	6	413	246	9	68	17	13
6.	गोवा	11	3	0	11	3	1	9	3	0
7.	गुजरात	226	196	5	246	182	1	352	234	7
8.	हरियाणा	19	10	0	42	21	0	167	7	0
9.	हिमाचल प्रदेश	6	0	5	8	5	0	10	4	0
10.	जम्मू और कश्मीर	17	4	0	40	58	0	39	23	0
11.	झारखंड	0	0	0	1	0	0	1060	519	0
12.	कर्नाटक	86	59	0	77	39	0	76	36	1
13.	केरल	89	28	1	132	45	0	81	22	0
14.	मध्य प्रदेश	4562	28	2	23	26	1	4014	22	0
15.	महाराष्ट्र	354	157	9	373	130	6	323	174	0
16.	मणिपुर	0	0	0	1	0	0	1	1	0
17.	मेघालय	16	8	0	6	2	0	3	1	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	12	10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	नागालैंड	3	3	0	3	3	0	6	2	0
20.	ओडिशा	45	17	0	41	0	0	192	153	0
21.	पंजाब	144	24	7	477	34	4	69	21	10
22.	राजस्थान	84	39	2	66	31	5	161	51	0
23.	सिक्किम	3	1	0	0	0	0	23	0	0
24.	तमिलनाडु	141	76	2	124	75	0	111	69	1
25.	त्रिपुरा	23	10	2	23	18	0	5	3	4
26.	उत्तर प्रदेश	1693	96	0	3008	92	0	7912	122	4
27.	उत्तराखंड	9	5	0	12	10	3	14	11	0
28.	पश्चिम बंगाल	17	7	1	37	11	1	6	4	0
	कुल राज्य	**7795**	**933**	**43**	**5332**	**1126**	**33**	**14889**	**1605**	**43**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	5	0	15	6	0	15	11	0
30.	चंडीगढ़	3	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	87	0	0	93	0	0	69	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	3	3	0	5	0	0	2	2	0
	कुल संघ शासित	**113**	**8**	**0**	**113**	**6**	**0**	**86**	**13**	**0**
कुल अखिल भारत		7908	941	43	5445	1132	33	14975	1618	43

[अनुवाद]

दिल्ली में हरित क्षेत्र का रख-रखाव

252. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसानी:

श्री रुद्रमाधव राय:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हरित क्षेत्र के रख-रखाव के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) आस्था कुंज तथा समीपवर्ती कैलाश हिल्स में छोटे पार्कों के विकास के लिए आवंटित धनराशि कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हरियाली (बागवानी कार्य के लिए) के रख-रखाव हेतु 300.55 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्ष 2011-12 के दौरान आस्था कुंज (बागवानी कार्य के लिए) के विकास हेतु 40.00 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है। कैलाश हिल्स के आस-पास के छोटे पार्क दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि मार्च 2012 तक इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की संभावना है।

पशुपालन का संवर्द्धन/विकास

253. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तराखंड सहित राज्यों में पशुपालन के संवर्द्धन और विकास हेतु योजनाएं लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में किए गए आबंटन तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तराखंड में सूअर एवं मुर्गी पालन व्यवहार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं तथा इस संबंध में किया गया आबंटन कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार उत्तराखंड के साथ-साथ राज्यों में पशुपालन के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिसमें (1) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एन.पी.सी.बी.बी.) (2) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (3) कुक्कुट विकास (4) पशुधन बीमा (5) केन्द्रीय प्रायोजित चारा और आहार विकास योजना (6) संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण (7) ग्रामीण वधशालाओं की स्थापना/आधपुनिकीकरण (8) पशु स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्ता; और रोग नियंत्रण केन्द्र महानिदेशालय (9) एवियन इंफ्लूएंजा के लिए तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम (10) केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन (11) पशुधन संगणना (12) एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (13) केन्द्रीय चारा विकास संगठन (14) केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (सी.पी.डी.ओ.) (15) केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसाल (हरियाणा) (16) छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास (17) कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष (18) नर भैंस बछड़ों का पालन और बचाना (19) मृत पशुओं का उपयोग (20) सूअर विकास।

(ग) विभिन्न राज्यों के मांगों के अनुसार उन्हें किसी विशिष्ट केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं और तत्पश्चात् उन्हें समय-समय पर अनुमोदित किया जाता है। विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में जारी निधियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सूअर पालन को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार नाबार्ड के माध्यम से "सुअर विकास" योजना क्रियान्वित कर रही है। उत्तराखंड के लिए ऐसा कोई अलग से आबटन नहीं किया गया है, यद्यपि "सुअर विकास" के लिए इस वर्ष कुल 500.00 लाख रुपए का आबंटन किया गया है। कुक्कुट पालन के प्रोत्साहन के लिए तीन घटकों यानि (1) राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता (2) ग्रामीण घरेलू कुक्कुट पालन का विकास 93) कुक्कुट संपदा और "कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष" वाली "कुक्कुट विकास" नामक योजना को वर्ष 2011-12 के दौरान क्रमशः 4621.00 लाख रुपए और 5000.00 लाख रुपए के कुल आबंटन से क्रियान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं में किसी प्रकार के राज्यवार आबंटन की व्यवस्था नहीं है। समय-समय पर राज्यवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	905.95	1,000.00	1000.00	500.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	162.70	0.00	133.55	0.00
3.	असम	0.00	614.14	74.08	565.12
4.	बिहार	508.25	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	284.06	0.00	100.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	643.24	1000.00	0.00
8.	हरियाणा	774.35	1,200.00	1000.00	1000.00
9.	हिमाचल प्रदेश	155.46	297.19	500.37	0.00
10.	झारखंड	417.40	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	300.00	250.00	300.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	500.00	0.00	0.00
13.	केरल	792.39	865.73	491.15	400.00
14.	मध्य प्रदेश	500.00	750.00	900.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	250.00	678.85	1140.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	323.80	361.75	0.00
17.	मेघालय	65.34	0.00	200.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	65.00	171.57	0.00
19.	नागालैण्ड	68.29	69.76	227.28	167.49
20.	ओडिशा	882.98	390.58	646.94	300.00
21.	पंजाब	646.00	441.81	1000.00	0.00

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	632.73	700.00	0.00	500.00
23.	सिक्किम	131.82	77.30	100.00	0.00
24.	तमिलनाडु	234.15	700.00	1000.00	0.00
25.	त्रिपुरा	256.82	0.00	237.76	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	737.60	487.01	0.00
27.	उत्तराखंड	415.68	0.00	200.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	352.60	1,300.00	927.54	400.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	4.86	0.00	0.00
	कुल	8,736.97	11,609.86	12199.00	3832.61

पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	750.00	1.129.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	86.85	94.14	100.00
3.	असम	350.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	400.00.	347.00	926.00	400.00

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	0.00	300.00	625.00	500.00
6.	गोवा	0.00	26.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	509.00	667.28	563.37	0.00
8.	हरियाणा	384.00	0.00	387.69	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	99.85	99.74	144.88	100.00
10.	झारखंड	150.00	0.00	150.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	250.00	400.00	150.00	0.00
12.	कर्नाटक	700.00	913.00	999.59	0.00
13.	केरल	100.00	100.00	250.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	450.00	200.00	275.00	900.00
15.	महाराष्ट्र	1000.00	1,535.00	500.00	0.00
16.	मणिपुर	190.00	150.00	0.00	150.00
17.	मेघालय	149.00	88.37	0.00	100.00
18.	मिजोरम	203.00	50.00	50.00	75.00
19.	नागालैण्ड	273.00	150.00	100.00	0.00
20.	ओडिशा	650.00	1,059.98	0.00	600.00
21.	पंजाब	200.00	250.00	226.00	0.00
22.	राजस्थान	158.00	250.00	150.00	0.00
23.	सिक्किम	125.00	83.43	25.00	40.00
24.	तमिलनाडु	1271.87	1,100.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	330.00	0.00	286.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	750.00	700.00	1,000.00	700.00
27.	उत्तराखंड	31.00	100.00	50.00	100.00
28.	पश्चिम बंगाल	756.28	750.00	1173.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	10.00	10.00	0.00
30.	चंडीगढ़	6.50	3.50	4.00	4.00

1	2	3	4	5	6
31.	दादरा और नगर हवेली	7.00	6.30	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	1.50	3.72	0.00	0.00
33.	दिल्ली	23.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	5.00	6.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	25.00	0.00	20.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	10,423.00	10,565.17	8160.01	3769.00

राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	20.00	30.00	0.00	20.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	25.00	15.00	15.00
3.	असम	10.00	0.00	15.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	10.00	20.41	0.00	0.00
6.	गोवा	5.00	5.00	5.00	0.00
7.	गुजरात	30.00	25.00	16.00	0.00
8.	हरियाणा	20.00	0.00	10.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4.82	14.44	0.00	8.00
10.	झारखंड	0.00	00.00	10.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	15.00	25.00	20.00	0.00
12.	कर्नाटक	20.00	20.00	15.00	0.00
13.	केरल	23.00	20.00	20.00	0.00

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	20.00	30.00	43.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	8.00	30.00	0.00	20.00
16.	मणिपुर	20.00	0.00	10.00	0.00
17.	मेघालय	15.00	15.00	10.00	0.00
18.	मिजोरम	5.00	0.00	10.00	0.00
19.	नागालैण्ड	15.00	15.00	10.00	15.00
20.	ओडिशा	20.00	20.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	20.00	0.00	6.00	15.00
22.	राजस्थान	8.00	20.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	10.00	0.00	10.00	10.00
24.	तमिलनाडु	10.00	0.00	15.00	16.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	00.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	19.18	12.15	20.00	25.00
27.	उत्तराखंड	10.00	5.00	8.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	20.00	25.00	15.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.00	5.00	5.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	4.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	70.23	0.00	0.00
	कुल	387.00	362.00	288.00	144.00

व्यावसायिक दक्षता विकास

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.00	4.00	4.00	7.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	20.00	0.00
3.	असम	8.80	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	3.08	1.55	5.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	10.00	12.00	15.00	15.00
6.	गोवा	3.00	0.00	5.00	0.00
7.	गुजरात	15.00	15.00	15.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	5.00	10.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	10.00	0.00	5.00
10.	झारखंड	20.00	0.00	5.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	10.00	14.00	21.00	15.00
13.	केरल	10.00	15.00	10.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	14.00	0.00	16.72	15.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	20.00*	4.871	0.00
16.	मणिपुर	16.00	25.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	2.20	5.00	8.00	8.00
18.	मिजोरम	15.00	20.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	13.00	15.00	14.00	0.00
20.	ओडिशा	9.21	15.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	15.00	0.00
22.	राजस्थान	18.75	24.00	11.00	15.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	5.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	10.13	0.00
25.	त्रिपुरा	10.00	0.00	8.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	21.27	9.22	5.00	10.00
27.	उत्तराखंड	6.69	20.23	15.28	8.00
28.	पश्चिम बंगाल	15.00	15.00	25.00	15.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.00	5.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	15.00	15.00	10.00	7.00
	अन्य	0.00	160.12	96.59	86.50
	कुल	250.00	425.12	349.59	206.50

खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.00	75.00	173.50	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	0.00	0.00	8.50	0.00
7.	गुजरात	35.00	40.00	215.00	0.00
8.	हरियाणा	50.00	30.00	158.50	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	333.05	0.00
13.	केरल	25.00	40.00	130.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	70.00	25.00	335.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	30.00	60.00	147.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	5.00	0.00	257.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	150.00	182.00	141.45	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.00	2.00	2.00	0.00
30.	चंडीगढ	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	2.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	1.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	4.00	0.00
	टीकों की लागत	0.00	2,520.76	0.00	0.00
	कुल	404.00	2,974.76	1,906.00	0.00

राष्ट्रीय ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	89.90	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	48.05	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	170.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	130.70	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	22.75	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	23.42	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	84.87
13.	केरल	0.00	0.00	40.83	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	33.50

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	614.70
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	11.46	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	41.18
20.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	98.18	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	92.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	262.22	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	819.51	944.25

राष्ट्रीय पेस डेस पेट्टिस रियूमिनेंटस कार्यक्रम

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	1175.20	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	6.48	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	596.98	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	37.70	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	539.20	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	383.20	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	2,738.76	0.00

**राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता*

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	34.00	0.00	68.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	96.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	32.30	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	14.49	8.51	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	44.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	34.00	63.20	0.00	97.20
13.	केरल	167.40	170.00	102.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	34.00	0.00	64.00
15.	महाराष्ट्र	61.81	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	40.00	0.00	23.75	0.00
20.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	32.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	100.00	107.50	42.50	0.00
24.	तमिलनाडु	120.00	34.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	83.76	0.00	0.00	85.00
26.	उत्तर प्रदेश	136.00	134.91	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	84.00	0.00	414.80	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	38.50	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	973.76	764.62	583.05	346.20

राष्ट्रीय घरेलू कुक्कुट विकास

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	187.22	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	69.20	0.00
3.	असम	0.00	0.00	157.33	0.00
4.	बिहार	0.00	163.00	162.50	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	10.50	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	364.90	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	244.11
13.	केरल	0.00	164.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	570.92	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	49.10	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	20.00	40.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	77.76	0.00
20.	ओडिशा	0.00	0.00	150.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	69.1
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	72.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	46.50	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	60.50	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	54.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	73.00	1,379.66	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	18.00		0.00
	कुल	0.00	559.10	3330.99	313.20

टिप्पणी: आंकड़ों में नाबार्ड को जारी राशि शामिल है।

कुक्कुट सम्पदा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	0.00	0.00	369.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	0.00	98.25	60.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	203.27		0.00
	कुल	0.00	301.52	429.00	0.00

पशुधन बीमा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	500.00	800.00	349.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	50.00	148.50	100.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	0.00	0.00	19.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	200.00	300.00
8.	हरियाणा	100.00	300.00	100.00	250.00
9.	हिमाचल प्रदेश	25.00	20.00	40.00	50.00
10.	झारखण्ड	0.00	0.00	90.33	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	67.72	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	150.00	350.00	300.00
13.	केरल	0.00	0.00	160.00	100.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	54.75	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	40.00	50.00	0.00
20.	ओडिशा	163.12	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	361.88	600.00	200.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	650.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	25.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	104.67	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुंचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	650.00	2,432.47	2262.50	1574.90

केन्द्रीय प्रायोजित आहार और चारा विकास योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	82.25	622.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	55.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	100.00	0.00
5.	छत्तीसगढ	0.00	6.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	165.00	224.00	550.00	0.00
8.	हरियाणा	000	0.00	145.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	258.75	0.00
10.	झारखंड	93.50	0.00	255.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	56.70	66.50	53.19	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	435.00	0.00
13.	केरल	0.00	138.95	112.01	0.00
14.	मध्य प्रदेश	140.00	0.00	114.00	0.00

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	0.00	54.50	160.75	0.00
16.	मणिपुर	80.00	80.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	27.61	0.00
18.	मिजोरम	199.50	0.00	100.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	71.00	26.00
20.	ओडिशा	0.00	12.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	190.21	0.00	465.51	0.00
22.	राजस्थान	0.00	129.26	145.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	50.00	65.00	124.00
24.	तमिलनाडु	0.00	63.50	121.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	32.25	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	118.34	123.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	230.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	57.91	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य संस्थान	2.99	29.70	0.00	0.00
	कुल	927.90	1,110.00	4243.98	150.00

संकटापन पशुधन नस्लों का संरक्षण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	50.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	28.50	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	102.25	56.81	32.25	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	70.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	6.00	20.00	50.00	35.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	34.45	20.75	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	44.95	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	30.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	30.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	20.00	18.25	0.00	28.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	45.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	2.25	0.00	0.00	0.00
	कुल	194.95	355.76	110.75	63.00

एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी; नियंत्रण और रोकथाम

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	13.22	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.91	0.00	0.00	0.00
3.	असम	12.33	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	21.20	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	9.54	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	0.17	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	8.71	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	3.27	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	9.32	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	15.33	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	3.13	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	13.86	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.64	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	26.03	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	20.55	0.00	2.33	0.00
16.	मणिपुर	1.12	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	2.83	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.38	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.62	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	24.13	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	5.98	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	19.43	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.21	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	7.67	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.42	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	50.49	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	7.90	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	19.17	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.26	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.03	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और द्वीप	0.01	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.08	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.04	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.0	1,224.36	28.52	0.00
	कुल	300.00	1,224.36	30.85	0.00

पशुधन बीमा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1100.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	950.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	1000.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	120.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	10.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	600.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	150.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	10.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	250.00	204.42	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	100.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	650.00	0.00	18.00	0.00
13.	केरल	400.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	900.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	900.00	145.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	63.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	36.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	20.00	1.22	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	65.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	430.00	0.00	182.38	0.00
21.	पंजाब	250.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	700.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	1.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	827.85	300.00	175.40	0.00
25.	त्रिपुरा	125.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	1750.00	626.08	109.62	0.00
27.	उत्तराखंड	10.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	900.00	800.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.97	1.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	4.50	1.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	1.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	2.50	0.00	0.60	0.00
33.	दिल्ली	290.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	1.00	1.50	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	10.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	10.00	26.70	0.00
	कुल	12,668.82	2,090.22	512.70	0.00

एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	9.88	5.00	10.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.91	30.37	20.00	0.00
3.	असम	2.22	3.30	5.00	0.00
4.	बिहार	9.90	23.50	35.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	17.00	2.00	0.00	0.00
6.	गोवा	7.10	6.98	5.00	0.00
7.	गुजरात	47.86	44.21	70.00	0.00
8.	हरियाणा	15.00	91.18	10,00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	26.00	27.00	15.00	0.00
10.	झारखंड	10.29	2.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	1.98	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	30.00	50.00	25.00	0.00
13.	केरल	38.04	55.00	30.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	40.00	55.00	35.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	48.00	73,48	22.00	0.00
16.	मणिपुर	2.54	2.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	3.81	12.33	10.00	0.00
18.	मिजोरम	35.50	30.00	46.00	0.00
19.	नागालैंड	5,40	3.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	54.65	55.66	25.00	0.00
21.	पंजाब	17.98	5.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	26.35	14.17	30.00	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	5.00	3.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	15.84	5.00	15.00	0.00
25.	त्रिपुरा	8.57	16.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	26.76	103.80	40.00	0.00
27.	उत्तराखंड	10.06	2.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	17.00	35.00	40.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.13	18.00	10.00	0.00
30.	चंडीगढ़	10.53	15.00	15.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	1.00	0.50	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	1.10	1.50	1.00	0.00
33.	दिल्ली	7.00	1.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	9.24	30.00	25.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	6.26	7.59	2.86	0.00
	कुल	577.90	829.57	541.86	0.00

जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का समेकित विकास

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	50.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	44.87	110.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	25.55		0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	100.00	50.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	22.85	50.00
20.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	58.39	44.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	32.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	300.00	200.00	0.00
	कुल	0.00	444.87	498.79	134.00

कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	74.84	830.84	1,178.87	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	25.00	2.50	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	1.83	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	4.25	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	8.92	29.38	29.94	0.00
13.	केरल	12.50		28.28	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	276.83	18.74	124.75	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	3.60	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	15.04	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	7.15	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	1.50	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	11.70	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	12.50	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली		0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	415.63	903.96	1,379.37	0.00

सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	334.53	100.00	171.64	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	148.30	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	119.39	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	40.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	90.51	80.27	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	400.00	516.66	0.00	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	250.00	149.89	227.89
10.	झारखंड	0.00	19.76	25.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	524.76	238.24	150.38	0.00
14.	मध्य प्रदेश	132.00	0.00	410.68	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	350.00
16.	मणिपुर	24.61	175.00	200.00	100.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	50.00	50.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	70.80	120.00	0.00
20.	ओडिशा	345.17	180.57	399.16	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	284,52	762.40	200.00	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	274.89	129.76	0.00	34.24
24.	तमिलनाडु	273.59	275.00	404.36	0.00
25.	त्रिपुरा	120.44	26.14	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	95.00	24.59	77.80	0.00
27.	उत्तराखंड	128.96	50.00	50.26	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	55.86	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	13.86	33.32	0.22	0.00
	कुल	3,161.72	3,196.91	2,439.66	812.13

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	50.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	148.52	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	61.68	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	429.44	697.32	561.02	207.37
8.	हरियाणा	31.56	20.49	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	26.00	68.60	50.39
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	135.36	0.00
12.	कर्नाटक	243.06	216.00	30.00	0.00
13.	केरल	538.78	340.06	99.15	100.74
14.	मध्य प्रदेश	43.15	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	17.43	171.80	249.75	90.00
16.	मणिपुर	7.25	0.00	0.00	8.75
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	109.40	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	15.00	10.00	0.00
20.	ओडिशा	0.00	67.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	120.95	286.90	353.84	0.00
22.	राजस्थान	0.00	38.41	0.00	0.00
23.	सिक्किम	8.74	8.74	6.67	0.00
24.	तमिलनाडु	382.46	281.66	224.40	130.88
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	7.03	26.66	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	43.71	0.00	51.22	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	2.16	0.00	0.00	0.00
	कुल	2,129.25	2,176.41	1,926.07	588.13

सहकारिताओं को सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	45.00	320.00	88.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	89.00	65.49	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	250.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	5.00	5.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	336.00	604.93	619.14	467.24
22.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	100.00	35.49	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	75.00	89.09	102.86	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	900.00	1120.00	810.00	0.00

सुअर विकास योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्ति (2008-09)	निर्मुक्ति (2009-10)	निर्मुक्ति (2010-11)	निर्मुक्ति (2011-12)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	43.05	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	1.02	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	33.57	0.00
20.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	77.64	0.00

तटीय पुलिस के लिए प्रस्ताव

254. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तटवर्ती राज्यों ने तटवर्ती क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था तथा गश्त हेतु वर्तमान अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से तटवर्ती पुलिस गठित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां। 9 तटीय राज्यों एवं 4 संघ राज्य क्षेत्रों में तटीय क्षेत्रों में गश्त एवं निगरानी के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ बनाते हुए तटीय सतर्कता को बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय सुरक्षा योजना (चरण-I) नामक एक अनुपूरक योजना वर्ष 2005-06 से 2010-11 के दौरान कार्यान्वित की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत, 204 नावों, 153 जीपों और 312 मोटरसाइकिलों से लैसे कुल 73 तटीय पुलिस स्टेशनों, 97 जांच चौकियों, 58 सीमा चौकियों तथा 30 कार्रवाई बैरकों का प्रावधान किया गया था। उपकरण, कम्प्यूटरों तथा फर्नीचर आदि के लिए प्रति तटीय पुलिस स्टेशन 10 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता का भी प्रावधान किया गया था।

तटीय राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर, देश की तटीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) तैयार की गयी है। यह योजना 15798.91 करोड़ रुपये के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 5 वर्षों की अवधि के लिए समस्त नौ तटीय राज्यों एवं चार संघराज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने हेतु दिनांक 24-9-2010 को सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

(ख) इस योजना में किए गए प्रावधानों का राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटीय पुलिस स्टेशन	नाव/पोत		जेट्टियों की संख्या	चार-पहिया वाहन	मोटर साइकिल	टिप्पणी
			12 टन	अन्य				
1.	गुजरात	12	31		5	12	24	
2.	महाराष्ट्र	7	14		3	7	14	
3.	गोवा	4	4		2	4	8	
4.	कर्नाटक	4	12		2	4	8	
5.	केरल	10	20		4	10	20	
6.	तमिलनाडु	30	20		12	30	60	
7.	आन्ध्र प्रदेश	15	30		7	15	30	
8.	ओडिशा	13	26		5	13	26	
9.	पश्चिम बंगाल	8	7		4	8	16	
10.	दमन और द्वीप	2	4		2	2	4	
11.	लक्षद्वीप	3	6	12*	2	3	6	
12.	पुडुचेरी	3	6		2	3	6	
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20		10** 23***	10	20	20	*एलवी **आरआईबीएस ***10 एमओसीएस
	कुल	131	180		60	131	242	

*एलवी-बड़े पोत

**आरआईबी-रिजिड इंफ्लेटेबल बोट

***मरीन ऑपुरेशनल सेंटर

निगरानी उपकरण, कम्प्यूटर प्रणालियों तथा फर्नीचर के लिए प्रति तटीय पुलिस स्टेशन 15 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता भी दी जाती है।

(ग) जैसा कि उपयुक्त (क) में दर्शाया गया है।

अमरनाथ यात्रा में विराम

255. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वर्ष की यात्रा के दौरान कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा में जम्मू में कोई ठहराव आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तीर्थयात्रा के दौरान कश्मीर घाटी में हजारों

तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी हां।

(ख) जम्मू में यात्रा तीन दिनों अर्थात् 02-07-2011 (पूरे दिन), 03-07-2011 (पूरे दिन) और 04-07-2011 (पूर्वाह्न 11 बजे तक) तक खराब मौसम के कारण रोकी गई थी।

(ग) अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करके यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं में राज्य सरकार की सहायता करती है। इस वर्ष के लिए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 73 कम्पनियां तैनात की गई हैं।

[हिन्दी]

अपराधियों की अंगुलियों के निशान

256. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जहां देश में अपराधियों की अंगुलियों के निशान रिकार्ड करने की कोई प्रभावी प्रणाली है;

(ख) सभी राज्यों में इस प्रणाली की स्थापना करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) अपराधियों के आपराधिक रिकार्ड तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करने हेतु लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमण एवं दीव, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के सिवाय सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पास अंगुलियों के निशान रिकार्ड करने की प्रभावकारी प्रणाली है। 24 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास अपराधियों के अंगुलियों के निशान को रिकॉर्ड करने की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (ए.एफ.आई.एस.) है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, सिक्किम तथा चण्डीगढ़ नामक सात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अपराधियों के अंगुलियों के निशान को रिकॉर्ड करने की पुरानी मैनुअल प्रणाली है।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय की एक मिशन मोड परियोजना - दि क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पुलिस कार्यालयों को जोड़ने की अपेक्षा की गई है। इस परियोजना में पुलिस स्टेशनों, जिला कार्यालयों, राज्य कार्यालयों के स्तर पर आपराधिक रिकार्डों की एन.सी.आर.बी. में राष्ट्रीय सर्वर के साथ नेटवर्किंग की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से अपराधियों के आपराधिक रिकार्ड तक आन-लाइन पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि विपणन अवसंरचना ग्रेडिंग एवं मानकीकरण

257. श्री मनोहर तिरकी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि विपणन अवसंरचना ग्रेडिंग एवं मानकीकरण योजना के सुदृढ़ीकरण/विकास के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में पूंजीगत राजसहायता के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है; और

(ग) लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहचान करने के मानदंड क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण योजना (ए.एम.आई. जी.एस.) के सुदृढ़ीकरण/विकास के तहत अवसंरचना परियोजनाओं संबंधी राजसहायता हेतु सहायता देने के लिए 28 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पात्र घोषित किया गया है। ये हैं - आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप और लक्षद्वीप।

(ग) यह योजना उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है जो सीधे विपणन एवं ठेका कृषि की अनुमति देने एवं निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में कृषि उत्पाद बाजार की अनुमति देने के लिए राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में सुधार करते हैं।

[हिन्दी]

बी.पी.एल. के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या पर रोक लगाना

258. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के लाभार्थियों की संख्या पर रोक लगाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस समय राज्यों को आवंटित किये जा रहे खाद्यान्नों की मात्रा योजना आयोग के वर्ष 1993-1994 के गरीबी आकलन पर आधारित है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का पता लगाने हेतु नया सर्वेक्षण करने का निदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के 1 मार्च, 2000 के आबादी अनुमानों अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए ऐसे परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों, जो भी कम हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की यह संख्या 6.52 करोड़ है, जिसमें 2.44 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के इन परिवारों की 6.52 करोड़ की स्वीकृत संख्या के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 2.44 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के लिए 10.76 करोड़ राशन कार्ड जारी करने की सूचना (30-6-2011 तक) दी है। उनके द्वारा गरीब परिवारों की सही पहचान न करने तथा परिवारों को शामिल करने और शामिल न करने में हुई त्रुटियों के कारण अधिक संख्या में गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना करने की विधि को निम्नलिखित सुधारों के साथ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है:

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय डॉ. एन.सी. सक्सेना समिति से शामिल करने/बाहर निकालने के मानदंड पर आगे चर्चा करे, और

(ii) दिसम्बर, 2011 तक जनगणना पूरी कर दी जाए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना त्रिपुरा राज्य में 29-6-2011 से औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। इसे अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी तैयारियों और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। दिसम्बर, 2011 तक जनगणना पूरी करने का लक्ष्य है।

शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए विस्तृत विधि की संस्तुति करने हेतु प्रो. एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में योजना आयोग ने विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपर्युक्त विशेषज्ञ समूह ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस संशोधन के साथ आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है कि गरीबी रेखा से नीचे की प्रस्तावित जनगणना दिसम्बर, 2011 तक पूरी कर ली जाए:-

(i) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए शहरी

गरीब क्षेत्रों की पहचान करने संबंधी हाशिम विशेषज्ञ समूह की अंतरिम रिपोर्ट में संस्तुत दृष्टिकोण को अनुमदोन; और गरीबी रेखा से नीचे का सर्वेक्षण करने के लिए तैयार सर्वेक्षण प्रश्नावली; और

(ii) प्रस्तावित जाति संख्या सहित शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे का सर्वेक्षण करने और ऊपर प्रस्तावित दृष्टिकोण के अनुसार भारत के महापंजीयक की सहायता से ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे के सर्वेक्षण का अनुमोदन।

आम के उत्पादन में वृद्धि

259. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में आम का उत्पादन बढ़ाने हेतु आम की कलम की नयी किस्म का विकास करने सहित किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को देश के विभिन्न राज्यों में किसानों तक पहुंचाने के लिये इसे शुरू करने का है;

(ग) क्या सरकार आम की कलम की नयी किस्म को उगाने हेतु किसानों को कोई वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) जी हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषक समुदाय के बीच वितरण किए जाने हेतु आम की नई किस्म की गुणवत्ताप्रद पौध के बड़े पैमाने पर बहुलीकरण सहित बागवानी फसलों के समग्र विकास हेतु दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, अर्थात् (i) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.) और (ii) शेष राज्यों में और संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)। इन स्कीमों के अधीन, आम की नई किस्मों की पौदों के विकास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है ताकि इनका उत्पाद बढ़ाया जा सके। आम की फसल की नर्सरियां तैयार करने तथा पौध रोपण करने के लिए मुहैया कराई जाने वाली सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण पर है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आम सहित फल फसलों की गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री के उत्पाद के लिए भी सहायता मुहैया कराता है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात एच.एम.एन.ई. एवं एन.एच.एम. के अधीन मुहैया कराई जाने वाली सहायता

मद	अधिकतम अनुज्ञेय लागत	सहायता का प्रतिमान
1	2	3
पौध रोपण सामग्री का उत्पादन		
(क) माडल नर्सरी/बड़ी नर्सरी (2-4 है.)	6.25 लाख रु./है.	सार्वजनिक क्षेत्र को 25.00 लाख रु./इकाई तक सीमित 100% और निजी क्षेत्र के मामले में परियोजना आधारित कार्यकलाप के रूप में अधिकतम 4 है. के लिए अधिकतम 12.50 लाख रु./इकाई की शर्त पर लागत की 50% की दर पर ऋण संबद्ध पार्श्वांत राजसहायता।

1	2	3
(i) छोटी नर्सरी (1 है.)	6.25 लाख रु./है.	सार्वजनिक क्षेत्र को 100% और निजी क्षेत्र के मामले में परियोजना आधारित कार्यकलाप के रूप में अधिकतम या 3.125 लाख रु./इकाई की शर्त पर लागत की 50% की दर पर ऋण संबद्ध पार्श्वांत राजसहायता।
नए बागानों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार)		
फल फसलें (आम सहित) (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 है. क्षेत्र के लिए)		
(ख) उच्च सघनता वाली पौध रोपण (सेब, नाश्पाती, आडु, आम, अमरूद, नींबू, वर्गीय, लीची, बेर, काजू आदि)	80,000 रु./है.	एच.एम.एन.ई.एच. के अधीन लागत का 75% अर्थात् 60000 रु./है. और एन.एच.एम. के अधीन लागत का 50% अर्थात् 40000 रु./है. जिसमें दूसरे वर्ष में 75% की और तीसरे वर्ष में 90% उत्तरजीर्वता दर की शर्त पर 60:20:20 की तीन किस्तों में पौध रोपण सामग्री पर होने वाले व्यय तथा आई.एन.एम./आई.पी.एम. आदि हेतु सामग्री की लागत शामिल है।
(ii) सामान्य दूरी का उपयोग करते हुए लागत गहन फसलों के अलावा फल फसलें	40,000 रु./है.	लागत का 75% अर्थात 30000 रु./है. जिसमें दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की उत्तरजीर्वता की शर्त पर 60:20:20 की 3 किस्तों में पौध रोपण सामग्री पर होने वाले व्यय और आई.एन.एम./आई.पी.एम. आदि हेतु सामग्री की लागत शामिल है।

[अनुवाद]

ए.एफ.आई.एस. का क्रियान्वयन

260. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी राज्यों में आटोमेटेड फिंगरप्रिन्ट आइडेन्टीफिकेशन सिस्टम (ए.एफ.आई.एस.) लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रणाली को कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(घ) देश को आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। आटोमेटेड फिंगरप्रिन्ट आइडेन्टीफिकेशन सिस्टम (ए.एफ.आई.एस.) को इस समय राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.), नई दिल्ली तथा 24 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मणिपुर तथा सिक्किम नामक छह राज्यों और चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमन और द्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप नामक पांच संघ राज्य क्षेत्रों ने इस सिस्टम को कार्यान्वित नहीं किया है।

(घ) देश में सुरक्षा एवं आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा चालू प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में कई कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की क्षमता को बढ़ाना, महत्वपूर्ण सरकारी एवं निजी क्षेत्र के उद्यमों में सी.आई.एस.एफ. की

तैनाती करना, विभिन्न स्थानों पर एन.एस.जी. के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना, कमाण्डो कम्पनियों का गठन करना, आतंकवाद से निपटने के लिए विभिन्न आसूचना एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करना, राष्ट्रीय जांच एजेन्सी का गठन करना, निगरानी, सुरक्षा, चौकसी तथा अन्य संबंधित उपकरणों के लिए सहायता के माध्यम से राज्य विशेष शाखाओं (एस.एस.बी.) को सुदृढ़ बनाना शामिल हैं। केन्द्र सरकार ने सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, तटीय सुरक्षा योजना, महानगर पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) की प्रतिपूर्ति योजना, इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य को निधियां प्रदान करती है।

मछुआरों का कल्याण

261. **श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र से राज्य में मछुआरों के कल्याण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तोवों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) वर्ष 2010 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" के "आदर्श मछुआरा गांवों का विकास" घटक के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार से 133.40 लाख रुपए की कुल लागत से 321 मछुआरा घरों, 5 नलकूपों और 2 सामुदायिक हालों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्ष 2008-09 के दौरान 243 मछुआरा घरों के निर्माण के लिए अनुमोदित परियोजना को राज्य सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है।

किसानों के लिए विपणन सुविधा

262. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों की विपणन समस्याओं को हल करने हेतु उन्हें सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कृषि विपणन के क्षेत्र में किसानों के हित के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें निम्नलिखित हैं:

(i) **विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एम.आर.आई.एन.) स्कीम** किसानों को विपणन सूचना के प्रसारण के लिए मार्च, 2000 से कार्यान्वित की जा रही है। एग्मार्कनेट पोर्टल जनता की पहुंच में है एवं 300 जिन्सों एवं 2000 किस्मों के संबंध में 1800 से अधिक मण्डियों से संबंधित विपणन सूचना नियमित आधार पर प्रसारित की जाती है। इस स्कीम के तहत कुल 3026 कम्प्यूटर देश में विभिन्न कृषि उत्पाद मंडियों को प्रदान किये गये हैं।

(ii) **श्रेणीकरण एवं मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण (ए.एम.आई.जी.एस.) की स्कीम** कृषि विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण की स्कीम (ए.एम.आई.पी.एस.) 20/10/2004 से कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य श्रेणीकरण तथा मानकीकरण सुविधाओं सहित कृषि विपणन अवसंरचना के विकास में बड़ी मात्रा में निवेश लाना है। इस स्कीम के तहत कृषि जिन्सों के विपणन और फसलोपरान्त अवसंरचना की पूंजी लागत और विद्यमान कृषि मण्डियों, थोक एवं ग्रामीण आवधिक मण्डियों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए ऋण से जुड़ी निवेश राजसहायता प्रदान की जा रही है। स्कीम में डेयरी, कुक्कुट, मात्स्यिकी, पशुधन और गौण वन उत्पाद सहित कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र कवर किए गए हैं। 30 जून, 2011 तक 440.38 करोड़ रु. की धनराशि की कुल 6287 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(iii) **"ग्रामीण भण्डारण परियोजना"** 1-4-2011 से शुरू की गई थी। इस स्कीम के प्रमुख उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बद्ध सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का सृजन शामिल है ताकि कृषि उत्पाद के भण्डारण, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, कृषि आदान आदि हेतु किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और रेहन ऋण एवं विपणन ऋण की सुविधा का सृजन करके मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोका जा सके। ग्यारहवीं पंचवर्षीय

योजना के दौरान 1-4-2007 से 30 जून, 2011 तक कुल 3031 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया एवं राजसहायता के रूप में 35731.3996 लाख रु. निर्मुक्त किए गए हैं।

(iv) **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) स्कीम** के तहत प्राथमिक प्रसंस्करण, फसलोपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन अवसंरचना सहित बागवानी के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मण्डी अवसंरचना घटक में ग्रामीण प्राथमिक मण्डियों, थोक मण्डियों और टर्मिनल मण्डी काम्प्लेक्स शामिल हैं। स्कीम के तहत अब तक 1111.55 लाख रु. एवं 11582.91 लाख रु. की सहायता से क्रमशः 244 ग्रामीण प्राथमिक मण्डियों एवं 91 थोक मण्डियों का अनुमोदन किया गया है।

उपरोक्त स्कीमों के आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण पर हैं।

विवरण

स्कीम के राज्यवार भौतिक एवं वित्तीय ब्यौरे

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/के.शा.प्रदेश का नाम	एमआरआईएन (कम्प्यूटरों की संख्या)	एएमआईजीएस परियोजनाओं की संख्या (राजसहायता)	ग्रामीण गोदाम परियोजनाओं की संख्या (निधियां)	एनएचएम	
					ग्रामीण प्राथमिक मण्डियों की संख्या (निधियां)	थोक मण्डियों की सं. एवं (निधियां)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	334	710 (4433.1483)	325 (3675.3001)	16 (60.00)	16 (719.96)
3.	अरुणाचल प्रदेश	15	0	0	0	
4.	असम	23	7 (179.6810)	74 (772.7958)	0	
5.	बिहार	58	0	458 (461.8515)	0(0)	
6.	चंडीगढ़	1	00	0	0	
7.	छत्तीसगढ़	73	118 (2669.821)	108 (724.593)	0	2 (1245.78)
8.	दादरा और नगरहवेली	1	0	0	0	
9.	दमन और द्वीप	2	0	0	0	
10.	गोवा	10	0	3 (0.897)	1 (3.75)	

1	2	3	4	5	6	7
11.	गुजरात	319	1583	4782 (4812.0839)	1 (3.75)	1 (सिद्धांततः अनुमोदित)
12.	हरियाणा	150	0	1149 (4074.5478)	0	30 5863.75)
13.	हिमाचल प्रदेश	39	43 (1190.3793)	25 (8.9717)	0	
14.	जम्मू और कश्मीर	41	0	3 (9.433)	0	
15.	झारखंड	26	0	6 (6.328)	38 (225.72)	
16.	कर्नाटक	171	37 (85.5170)	1459 (2968.2463)	13 (40.00)	21 (1143.62)
17.	केरल	92	253 (3137.8214)	92 (115.9001)	3 (33.25)	
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	
19.	मध्य प्रदेश	267	815 (16297.77)	615 (6563.5127)	7 (25.25)	1 (918.62)
20.	महाराष्ट्र	346	427 (9507.152)	804 (5290.3255)	10 (30.70)	
21.	मणिपुर	5	0	0	0	
22.	मेघालय	11	0	6 (39.8854)	0	
23.	मिजोरम	9	0	1 (2.5198)	0	
24.	नागालैंड	14	35 (570.82)	3 (0.8333)	0	
25.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश	9	0	0	0	
26.	ओडिशा	91	4 (73.8620)	119 (502.3274)	48 (216.89)	
27.	पुडुचेरी	2	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
28.	पंजाब	199	847 (5575.85)	99 (1.6063)	11 (41.25)	7 (58.46)
29.	राजस्थान	166	333 (5118.911)	551 (1302.2919)	16 (59.97)	
30.	सिक्किम	7	1 (15.5160)	0	0	
31.	तमिलनाडु	190	1072 (2923.1474)	1116 (1147.3956)	50 (187.50)	1 (27.50)
32.	त्रिपुरा	21	0		0	
33.	उत्तर प्रदेश	257	0	148 (1374.7007)	4 (9.84)	12 (1605.22)
34.	उत्तराखंड	21	0	94 (523.414)	0	
35.	पश्चिम बंगाल	56	1	991 (1351.6388)	26 (92.68)	
	कुल	3026	6287 (44038.7106)	13031 (35731.3996)	244 (1111.55)	91 (11582.91)

बी.पी.एल. परिवार

263. श्री शिवकुमार उदासी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पात्र गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) कार्डधारकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) राष्ट्र और राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आबंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए ऐसे परिवारों और उन्हें जारी राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 6.52 करोड़ है जिसमें 2.44 करोड़ अंत्योदय अन्न

योजना परिवार शामिल हैं। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान रूप से मापदंड अपना रही है, इसलिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के लिए इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सके। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त अनुरोध को बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरकण-II पर दिया गया है।

राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) तथा चीनी का वितरण करने के लिए समाज के गरीब वर्गों को विशेष रूप से लक्षित करने की दृष्टि से जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों के जरिए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर वितरण करने हेतु गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की 6.52 करोड़ स्वीकृत संख्या के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। फिलहाल, गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों के आबंटन 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करने के अलावा सरकार मध्याह्न भोजना योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन भी खाद्यान्नों का आबंटन करती है। इसके अलावा यह विभाग बाढ़, सूखा आदि जैसी आकस्मिकताओं के मामले में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन कर रहा है। स्टाक की उपलब्धता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकता/अनुरोध पर निर्भर करते हुए समय-समय पर खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

विवरण-I

अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 के गरीबी अनुमानों पर आधारित 1-03-2000 को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अनुमानित संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99
3.	असम	18.36
4.	बिहार	65.23
5.	छत्तीसगढ़	18.75
6.	दिल्ली	4.09
7.	गोवा	0.48
8.	गुजरात	21.20
9.	हरियाणा	7.89
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14
11.	जम्मू और कश्मीर	7.36
12.	झारखंड	23.94
13.	कर्नाटक	31.29
14.	केरल	15.54
15.	मध्य प्रदेश	41.25
16.	महाराष्ट्र	65.34
17.	मणिपुर	1.66
18.	मेघालय	1.83

1	2	3
19.	मिजोरम	0.68
20.	नागालैण्ड	1.24
21.	ओडिशा	32.98
22.	पंजाब	4.68
23.	राजस्थान	24.31
24.	सिक्किम	0.43
25.	तमिलनाडु	48.63
26.	त्रिपुरा	2.95
27.	उत्तर प्रदेश	106.79
28.	उत्तराखंड	4.98
29.	पश्चिम बंगाल	51.79
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28
31.	चण्डीगढ़	0.23
32.	दादरा और नगर हवेली	0.18
33.	दमन और द्वीप	0.04
34.	लक्षद्वीप	0.03
35.	पुड्डुचेरी	0.84
	जोड़	652.03

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटनोंके लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अधिक संख्या को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनोंसे प्राप्त अनुरोध को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटनों के लिए भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या (लाख में)	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या जिनके लिए आवंटन का अनुरोध किया गया (लाख में)
1.	बिहार	65.23	140.00
2.	गुजरात	21.20	26.00
3.	कर्नाटक	31.29	63.00
4.	मध्य प्रदेश	41.25	60.00
5.	महाराष्ट्र	65.34	71.34
6.	पंजाब	4.68	14.50
7.	उत्तर प्रदेश	106.79	117.39

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादन

264. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी की घरेलू मांग को पूरा करने हेतु देश में गन्ने का उत्पादन पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो देश में गन्ने की मांग और गन्ना उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या देश के गन्ना उत्पादकों को उनकी उपज का पर्याप्त लाभकारी मूल्य मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां, महोदया। लगभग 210-215 लाख टन की अनुमानित घरेलू मांग की तुलना में, मौजूदा चीनी मौसम 2010-11 के दौरान देश में चीनी का कुल उत्पादन अनंतिम रूप से लगभग 242 लाख टन तक अनुमानित है जो इस वर्ष के दौरान चीनी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने 139.12 रुपए प्रति क्विंटल पर 2010-11 चीनी मौसम के लिए चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) को निर्धारित किया है जो उस स्तर से ऊपर वसूली में प्रति 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 1.46 रुपए प्रति क्विंटल की प्रीमियम की शर्तों पर 9.5% की मूल वसूली दर के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा निर्धारित चीनी मौसम 2011-12 को सुनिश्चित करने के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 145 रुपए प्रति क्विंटल पर अभी भी अधिक है जो उस स्तर से ऊपर वसूली में प्रति 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 1.53 रुपए प्रकि क्विंटल की प्रीमियम की शर्तों पर 9.5% की मूल वसूली दर के साथ जुड़ा हुआ है। उचित एवं लाभकारी मूल्य के तहत, किसान लाभ एवं जोखिम के कारण अतिरिक्त राशि का अग्रिम भुगतान पाएंगे जो गन्ने के लिए पहले सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) के तहत उपलब्ध नहीं थी।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की बिक्री

265. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री अलग-अलग मूल्यों पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) सहकारी समितियों द्वारा क्रय लागत में अपने मार्जिन को जोड़ने के पश्चात आवश्यक वस्तुएं बेची जा रही हैं। स्वायत्त संस्थान होने के कारण, समिति का मार्जिन निदेशक मण्डल द्वारा तय किया जाता है। इन वस्तुओं के मूल्य, परिवहन लागत, गोदाम प्रभार, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर आदि को ध्यान में रखने के पश्चात निर्धारित किए जाते हैं। सरकार, सहकारी समितियों की वाणिज्यिक गतिविधियों में सामान्यत: हस्तक्षेप नहीं करती।

[हिन्दी]

तटीय निगरानी हेतु मोटरबोट

266. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय निगरानी हेतु खरीदे गये मोटर बोट गुजरात के तटीय क्षेत्रों हेतु उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। तटीय सुरक्षा योजना (चरण-I) के तहत मार्च, 2011 तक गुजरात राज्य सरकार को सभी अनुमोदित 30 नौकाएं (12 टन के आकार वाली 20 नौकाएं और 5 टन के आकार वाली 10 नौकाएं) सौंप दी गई हैं। ये नौकाएं, भारतीय तट रक्षक के साथ उपयुक्तता संबंधी परामर्श करने के पश्चात् खरीदी गई हैं।

तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II), के तहत गुजरात के लिए 31 नौकाएं अनुमोदित की गई हैं, जो 1 अप्रैल, 2011 से 5 वर्ष के लिए कार्यान्वयनाधीन है। इन नौकाओं की उपयुक्तता और तकनीकी विविष्टताओं के बारे में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विस्तृत परामर्श/विचारविमर्श किया गया है।

फसलों के मूल्य

267. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश के किसानों को फसलों का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश में किसानों को सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सरकार मुख्य कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) का निर्धारण करती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर उत्पाद को खरीदने का प्रस्ताव करती है। तथापि किसान अपने उत्पाद को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं यदि बाजार में उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक मूल्य मिलता है।

सरकार उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में केन्द्रीय, राज्य तथा सहकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रापण संचालनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करती है।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकारों को समय-समय पर सावधान किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.), आदि जैसी विभिन्न योजनाओं को उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में किर्यान्वित करती है जिसके तहत कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रोत्साहन दिये जाते है।

चीनी की बिक्री हेतु कोटा

268. श्री राकेश सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी मिलों को चीनी की बिक्री का कोई कोटा आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की जानकारी मिली है कि चीनी मिलें सरकार द्वारा उन्हें आवंटित कोटे का उल्लंघन करके चीनी की अंधाधुंध बिक्री कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार बाजार में अस्थिरता को रोकने के लिए इन मिलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है तथा चीनी के मूल्य में अनावश्यक गिरावट आने से कितनी हानि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां। विनियमित निर्मुक्ति तंत्र नीति के अंतर्गत सभी चीनी मिलों को चीनी का विशिष्ट कोटा अर्थात् लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण के लिए लेवी चीनी और घरेलू मंडी में विक्रय के लिए गैर-लेवी चीनी आवंटित की जाती है।

(ख) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जैसा कि उपरोक्त में इंगित किया गया है, सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि चीनी मिलें चीनी को अंधाधुंध बेच रही हैं। चीनी मूल्यों में गिरावट या बढ़ोत्तरी कई घटकों जैसे घरेलू मंडी में चीनी की मांग और आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति स्थिति, वैश्विक मूल्यों, भावी उत्पादन के लिए सम्भावना तथा मंडी रुझानों इत्यादि पर निर्भर करती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत लक्ष्य

269. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अंतर्गत फसल-वार लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार क्या लक्ष्य प्राप्त हुये?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन रबी, 2007-08 से ग्यारहवीं योजना के अन्त तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं एवं 2 मिलियन टन दलहनों समेत खाद्यान्नों का कुल 20 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह मिशन आन्ध्र प्रदेश राज्य समेत 17 राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।

गेहूं का उत्पादन 2006-07 (एन.एफ.एस.एम. से पहले का वर्ष) में 75.81 मिलियन टन से बढ़कर 2010-11 के दौरान 85.93 मिलियन टन हो गया अर्थात 8 मिलियन टन की लक्षित वृद्धि की तुलना में लगभग 10 मिलियन टन। चावल का उत्पादन 2006-07 (एन.एफ.एस.एम. से पहले का वर्ष) के दौरान 93.35 मिलियन टन से बढ़कर 2008-09 में 99.18 मिलियन टन हो गया है जो 10 मिलियन टन की लक्षित वृद्धि की तुलना में लगभग 6 मिलियन टन है। हालांकि, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में सूखे जैसी स्थिति के विद्यमान होने के कारण 2010-11 के दौरान चावल का उत्पादन घटकर 95.33 मिलियन टन हो गया। इसके अलावा दलहनों का उत्पादन 2006-07 के दौरान 14.20 मिलियन टन से 2010-11 में बढ़कर 18.09 मिलियन टन हो गया जो 2 मिलियन टन की परिकल्पित लक्षित वृद्धि की तुलना में लगभग 4 मिलियन टन की वृद्धि है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उत्पादन के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को राज्यवार एवं फसलवार दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण-I से III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

विगत 3 वर्षों के दौरान चावल का उत्पादन, लक्ष्य और उपलब्धियां

(लाख टन में)

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	126.50	142.41	132.00	105.38	139.50	143.85
2.	अरुणाचल प्रदेश		1.64		2.16		
3.	असम	33.40	40.08	36.40	43.36	39.00	47.52
4.	बिहार	42.50	55.90	42.50	35.99	52.00	33.20
5.	छत्तीसगढ़	53.00	43.92	53.00	41.10	53.00	61.59
6.	गोवा		1.23		1.00		
7.	गुजरात	15.20	13.03	15.20	12.92	14.20	15.23
8.	हरियाणा	40.00	32.98	36.00	36.25	36.00	34.72
9.	हिमाचल प्रदेश	1.20	1.18	1.20	1.06	1.20	1.31
10.	जम्मू और कश्मीर	5.50	5.63	5.50	4.97	5.50	5.07

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	31.00	34.20	34.20	15.38	34.20	11.37
12.	कर्नाटक	36.00	38.02	54.00	36.91	51.00	40.47
13.	केरल	6.15	5.90	6.15	5.98	6.15	5.53
14.	मध्य प्रदेश	13.50	15.60	14.90	12.60	15.00	17.72
15.	महाराष्ट्र	29.50	22.84	31.00	21.83	31.00	26.69
16.	मणिपुर		3.97		3.19		
17.	मेघालय		2.04		2.07		
18.	मिजोरम		0.46		0.44		
19.	नागालैंड		3.45		2.40		
20.	ओडिशा	69.00	68.13	67.00	69.17	68.00	68.58
21.	पंजाब	105.00	110.00	105.00	112.36	105.00	108.37
22.	राजस्थान	1.80	2.41	2.41	2.28	2.30	2.65
23.	सिक्किम		0.22		0.24		
24.	तमिलनाडु	63.00	51.82	66.00	56.65	66.00	61.39
25.	त्रिपुरा		6.27		6.40		
26.	उत्तर प्रदेश	125.00	130.97	128.00	108.07	126.00	120.14
27.	उत्तराखंड	6.25	5.82	6.43	6.08	6.45	5.43
28.	पश्चिम बंगाल	156.00	150.37	159.00	143.41	161.00	123.33
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0.22		0.25		
30.	दादरा और नगर हवेली		0.23		0.13		
31.	दमन और द्वीप		0.04		0.03		
32.	दिल्ली		0.31		0.29		
33.	पुडुचेरी		0.51		0.52		
34.	अन्य			9.11		7.5	19.15
	अखिल भारत	970.00	991.82	1005.00	890.93	1020.00	953.25

*चौथा अग्रिम अनुमान।

विवरण-II

विगत 3 वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पादन, लक्ष्य और उपलब्धियां

(लाख टन में)

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.05	0.16	0.08	0.10	0.05	0.10
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.05		0.05		
3.	असम	0.65	0.55	0.75	0.63	0.65	0.64
4.	बिहार	40.00	44.10	44.50	45.71	50.00	46.70
5.	छत्तीसगढ़	0.52	0.92	0.90	1.22	1.00	1.27
6.	गोवा						
7.	गुजरात	38.00	25.93	38.00	23.52	30.25	38.54
8.	हरियाणा	103.00	108.08	104.00	105.00	105.00	110.41
9.	हिमाचल प्रदेश	6.10	5.47	6.10	3.27	6.00	6.70
10.	जम्मू और कश्मीर	4.80	4.83	4.80	2.90	4.80	2.90
11.	झारखंड	1.30	1.54	1.30	1.73	1.50	1.51
12.	कर्नाटक	2.40	2.47	2.60	2.51	2.60	2.45
13.	केरल	0.00	0.00				
14.	मध्य प्रदेश	67.00	65.22	63.00	84.10	72.00	76.27
15.	महाराष्ट्र	21.00	15.16	21.00	17.40	21.00	22.92
16.	मणिपुर						
17.	मेघालय				0.01		
18.	मिजोरम						
19.	नागालैंड		0.02		0.02		
20.	ओडिशा	0.10	0.07	0.10	0.06		0.05
21.	पंजाब	157.00	157.33	155.00	151.69	160.00	158.28

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	71.00	72.87	71.00	75.01	65.00	72.14
23.	सिक्किम		0.07		0.06		
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00				
25.	त्रिपुरा		0.01		0.01		
26.	उत्तर प्रदेश	255.00	285.54	260.00	275.18	284.00	300.01
27.	उत्तराखंड	8.00	7.97	8.00	8.45	8.00	8.87
28.	पश्चिम बंगाल	8.30	7.64	8.15	8.46	8.00	8.42
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह						
30.	दादरा और नगर हवेली		0.01		0.01		
31.	दमन और द्वीप						
32.	दिल्ली		0.74		0.93		
33.	पुडुचेरी						
34.	अन्य			0.72		0.15	1.09
	अखिल भारत	785.00	806.79	790.00	808.03	820.00	859.28

*चौथा अग्रिम अनुमान।

विवरण-III

विगत 3 वर्षों के दौरान दलहन का उत्पादन, लक्ष्य और उपलब्धियां

(लाख टन में)

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.20	14.48	14.80	14.29	16.00	14.39
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.09	0.09	0.10	0.09	
3.	असम	0.66	0.64	0.66	0.65	0.41	0.63

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	6.00	4.69	7.20	4.72	4.87	5.55
5.	छत्तीसगढ़	5.80	4.98	4.95	4.89	4.84	5.36
6.	गोवा		0.10	0.11	0.09	0.11	
7.	गुजरात	6.05	6.09	5.95	5.17	4.93	7.20
8.	हरियाणा	1.70	1.78	1.65	1.00	1.53	1.59
9.	हिमाचल प्रदेश	0.20	0.23	0.20	0.21	0.20	0.16
10.	जम्मू और कश्मीर	0.30	0.14	0.30	0.14	0.30	0.23
11.	झारखंड	1.65	2.80	1.15	2.24	2.22	2.67
12.	कर्नाटक	10.70	9.72	11.15	11.18	13.85	14.97
13.	केरल	0.20	0.06	0.70	0.10	0.70	0.05
14.	मध्य प्रदेश	34.20	36.83	35.75	43.04	38.00	33.91
15.	महाराष्ट्र	22.00	16.56	24.85	23.70	28.00	31.46
16.	मणिपुर		0.06	0.05	0.07	0.05	
17.	मेघालय		0.04	0.04	0.04	0.04	
18.	मिजोरम		0.03	0.06	0.06	0.06	
19.	नागालैंड		0.39	0.30	0.35	0.30	
20.	ओडिशा	3.45	3.87	4.05	3.99	4.12	4.14
21.	पंजाब	0.70	0.21	0.70	0.18	0.24	0.18
22.	राजस्थान	15.10	18.26	16.95	7.14	17.00	32.16
23.	सिक्किम		0.12	0.16	0.13	0.16	
24.	तमिलनाडु	4.70	1.64	4.80	2.04	4.00	2.96
25.	त्रिपुरा	24.00	0.04	0.05	0.05	0.05	
26.	उत्तर प्रदेश	24.00	19.98	25.80	19.01	20.00	20.12
27.	उत्तराखंड	0.32	0.39	0.33	0.46	0.33	0.52
28.	पश्चिम बंगाल	2.10	1.28	2.10	1.50	2.50	1.61
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		0.01	0.01	0.02	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दादरा और नगर हवेली		0.05	0.05	0.05	0.05	
31.	दमन और द्वीप		0.01	0.01	0.01	0.01	
32.	दिल्ली		0.01	0.02	0.01	0.02	
33.	पुडुचेरी		0.01	0.01	0.00	0.01	
34.	अन्य						1.05
	अखिल भारत	155.00	145.67	165.00	146.62	165.00	180.93

*चौथा अग्रिम अनुमान।

बाजारों का उन्नयन

270. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के पास राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रमुख बाजारों का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) यह कार्य कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट

271. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट (एन.सी.आर.एम.पी.) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के क्रियान्वयन की समय सारणी क्या है;

(घ) एन.सी.आर.एम.पी. कार्यक्रम के लिये कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया; और

(ङ) इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी विदेशी सहायता मिली तथा इस परियोजना के अंतर्गत कौन-कौन से क्रियाकलाप शुरू किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने "नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट" (एन.सी.आर.एम.पी.) चरण-I नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस चरण में आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों को कवर किया गया है। इस परियोजना में निम्नलिखित चार घटक हैं:-

(i) घटक-'क'-अंतिम छोर तक सम्पर्कता,

(ii) घटक-'ख'-अवसंरचनात्मक एवं गैर-अवसंरचनात्मक उपाय,

(iii) घटक-'ग'-चक्रवात जोखिम खतरा प्रशमन, क्षमता निर्माण एवं जानकारी सृजन के लिए तकनीकी सहायता,

(iv) घटक-'घ' परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन सहायता,

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि निश्चित की गई है।

(घ) वर्तमान परियोजना की कुल लागत लगभग 1496.71 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए गृह मंत्रालय के बजट में 246.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ङ) विश्व बैंक द्वारा एडैप्टेबल प्रोग्राम लोन के रूप में 1198.44 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख कार्यकलापों में बहुजोखिम खतरा प्रबंधन के क्षेत्र में चक्रवातीय भविष्यवाणी करने, उनके स्थान को चिन्हित करने के कार्य एवं चेतावनी-प्रणालियों को उन्नत बनाना, चक्रवात जोखिम प्रशमन एवं क्षमता निर्माण करना, बहु-प्रयोजनीय चक्रवात आश्रयों (आश्रय सह गोदाम सहित), बसावटों एवं तटबंधों तक जाने के लिए सम्पर्क सड़कों/पुलों का निर्माण (लवणीय तटबंधों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार सहित) शामिल हैं।

[हिन्दी]

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध

272. श्री महाबल मिश्रा:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रतिबंध को हटाने से मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में गेहूं के मूल्य पर नियंत्रण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए दिनांक 9-2-2007 से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 09-09-2006 से आयात शुल्क 0% कर दिया गया है। सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2011-12 के दौरान 10 मिलियन टन चावल और गेहूं का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किया है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के निर्गम मूल्यों पर गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को 55 मिलियन टन का आबंटन शामिल है।

[अनुवाद]

गेहूं और चीनी के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाना

273. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उस समय तक गेहूं और चीनी के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने से मना कर दिया है जब तक कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कोई अन्तिम विचार नहीं बन जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के विचार क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) गेहूं के मूल्य में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने और देश में इसकी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए दिनांक 9-2-2007 की डी.जी.एफ.टी. की अधिसूचना संख्या 44 (आर.ई.-2006)/2004-2009 द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने केंद्रीय पूल में तथा देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता की तुलना में उसकी उपलब्धता की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की है और मूल्य वृद्धि को रोकने तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने का निर्णय लिया है। तथापि, राजनैतिक आधार पर केंद्रीय पूल से मित्र देशों को गेहूं के निर्यात की अनुमति दी गई है। अधिकारप्राप्त मंत्रियों के समूह के समक्ष दिनांक 11-7-2011 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। अधिकारप्राप्त मंत्रियों के समूह के निदेशों के अनुसरण में, विधेयक का प्रारूप विधि और न्याय मंत्रालय को विधिक्षा के लिए भेजा गया है। विधेयक की कानूनी विधिक्षा होने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श करने के उपरांत उचित स्तर पर सरकार का अनुमोदन लिया जाएगा।

चीनी के संबंध में, सरकार की अनुमति से अग्रिम प्राधिकार स्कीम (ए.ए.एस.)/खुले सामान्य लइसेंस (ओ.जी.एल.)

के तहत समय-समय पर निर्यात की अनुमति दी जाती है। सरकार चीनी मौसम 2010-11 के दौरान ए.ए.एस. और ओ.जी.एल. के तहत लगभग 21 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दे रही है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद

274. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

श्री नरहरि महतो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों की खरीद के लिये निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य रहे हैं तथा किन ल7यों की प्राप्ति की गई;

(ग) 2011-12 के दौरान देश में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन एवं आश्यकता क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त बोलियों और स्वीकृत बोलियों और आयातित खाद्यान्नों की मात्रा तथा उनका मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने 2011-12 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन/खरीद की कमी को पूरा करने के लिये कुछ अन्य देशों के साथ खाद्यान्नों के आयात हेतु कोई नया समझौता किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान उचित दरों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं, रबी विपणन मौसम (आर.एम.एस. 2011-12) (फसल वर्ष 2010-11) के लिए 262.75 लाख टन गेहूं की अनुमानित खरीद के प्रति, 281.05 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है। दिनांक 27-7-2011 की स्थिति के अनुसार खरीफ विपणन मौसम 2010-11 (फसल वर्ष 2010-11) में 327.52 लाख टन चावल की अनुमानित खरीद के प्रति 325.27 लाख टन चावल की खरीद की गई है।

(ग) वर्ष 2011-12 के लिए गेहूं और चावल की आवश्यकता की तुलना में इनका अनुमानित उत्पादन निम्नवत है:-

	उत्पादन	आवश्यकता
गेहूं	75.61	77.36
चावल	94.21	98.79

(घ) वर्ष 2008-09 से केंद्रीय पूल के लिए गेहूं और चावल का आयात नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) रबी विपणन मौसम 2011-12 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1,120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक और ऊपर 50 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की भी घोषणा की है।

(ii) खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर सामान्य धान के लिए 1080 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 1110 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है।

(iii) अगले आदेश तक शून्य शुल्क पर गेहूं के आयात की अनुमति दी गई है।

(iv) दिनांक 30-9-2011 तक सून्य शुल्क पर चावल का आयात करने की अनुमति दी गई है।

(v) केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों की तैनाती

275. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो सहित सभी प्रमुख सरकारी संस्थापनाओं को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) की तैनाती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को शहरी विकास मंत्रालय से नवनिर्मित दिल्ली मेट्रो एअरपोर्ट लिंक के लिए सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों की तैनाती किये जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सभी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थापनाओं को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) की तैनाती की जाती है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, दिल्ली सहित 301 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सी.आई.एस.एफ. तैनात है। इसके अतिरिक्त, 58 विमानपत्तनों पर भी सी.आई.एस.एफ. की तैनाती की गई है।

(ग) और (घ) नवनिर्मित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लिंक पर सी.आई.एस.एफ. तैनात की गई है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए सी.आई.एस.एफ. को 419 पदों की मंजूरी प्रदान की है।

पी.वाई.के.के.ए. योजना के अंतर्गत निधियां

276. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण ने ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धा हेतु पी.वाई.के.के.ए. योजना के अंतर्गत सभी आवंटित/स्वीकृत निधियां जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्वीकृत निधियों के कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) पिछले वर्ष प्राप्त किए गए अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के अनुसार वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्यों को निधि जारी की जाती है। वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए जारी की गई राज्यवार निधि संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 के दौरान ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए जारी की गई राज्यवार निधि

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत/जारी की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.93
3.	असम	1.88
4.	पंजाब	1.97
5.	त्रिपुरा	0.37
	कुल	5.93

विवरण-II

वर्ष 2009-10 के दौरान ग्रामीण प्रतियोगिताएं आयोजित करने से संबंधित राज्यवार जारी की गई निधि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत/जारी की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	-
3.	असम	-

1	2	3
4.	बिहार	3.42
5.	छत्तीसगढ़	1.17
6.	गुजरात	-
7.	हरियाणा	1.10
8.	हिमाचल प्रदेश	0.70
9.	झारखंड	-
10.	कर्नाटक	1.42
11.	केरल	-
12.	मध्य प्रदेश	2.64
13.	महाराष्ट्र	-
14.	मणिपुर	0.47
15.	मिजोरम	0.37
16.	नागालैण्ड	0.56
17.	ओडिशा	2.11
18.	पंजाब	1.18
19.	राजस्थान	1.93
20.	सिक्किम	0.32
21.	तमिलनाडु	2.63
22.	त्रिपुरा	0.36
23.	उत्तर प्रदेश	2.55
24.	उत्तराखंड	1.03
	संघ राज्य क्षेत्र	
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
	कुल	**24.91**
26.	राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताएं: मेजबान राज्यों/एस.ए.आई. आदि को जारी की गई निधि	00.60
	कुल जोड़	25.51

विवरण-II

वर्ष 2010-11 के दौरान पायका वार्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने से संबंधित जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत/जारी की गई (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.05
3.	असम	2.96
4.	बिहार	6.19
5.	छत्तीसगढ़	2.01
6.	गोवा	0.18
7.	गुजरात	2.69
8.	हरियाणा	1.50
9.	हिमाचल प्रदेश	1.18
10.	जम्मू और कश्मीर	2.10
11.	झारखंड	2.81
12.	कर्नाटक	2.52
13.	केरल	1.32
14.	मध्य प्रदेश	4.13
15.	महाराष्ट्र	3.88
16.	मेघालय	0.67
17.	मिजोरम	0.58
18.	नागालैण्ड	-
19.	ओडिशा	3.85
20.	पंजाब	1.55
21.	तमिलनाडु	4.66

1	2	3
22.	त्रिपुरा	0.67*
23.	उत्तर प्रदेश	9.47
24.	उत्तराखंड	1.38
25.	पश्चिम बंगाल	3.31
	संघ शासित क्षेत्र	
26.	चंडीगढ़	-
27.	एन.वाई.के.एस. द्वारा	3.22
	कुल	76.14

*इसमें पूर्वोत्तर खेल आयोजित करने हेतु जारी 7.2 लाख रु. शामिल हैं।

इसमें पूर्व स्कूलों में खेलकूद के संवर्धन की स्कीम में से एन.एस., एन.आई.एस. पटियाला द्वारा एन.वाई.के.एस. को जारी 3.20 करोड़ रु. शामिल हैं।

[हिन्दी]

उग्रवाद में सुरक्षा बलों की संलिप्तता

277. **डॉ. संजय जायसवाल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के उग्रवादी और अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त होने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र की इकाइयों को सुरक्षा कवर

278. **डॉ. रत्ना डे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को सुरक्षा कवर प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी क्षेत्र की ऐसी इकाइयों की संख्या कितनी हैं जिन्हें देश में सरकार द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) सरकार निजी क्षेत्र की इकाइयों को उनके अनुरोधों और ऐसी इकाइयों को खतरे की जानकारी के आधार पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) सुरक्षा कवर उपलब्ध कराती है। ऐसी तैनाती वर्ष 2009 में यथासंशोधित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अनुसार की जाती है।

(ग) अब तक, 6 निजी क्षेत्र की इकाइयों की सुरक्षा के लिए सी.आई.एस.एफ. की तैनाती की गई है।

[हिन्दी]

एन.एच.आर.सी. द्वारा दर्ज की गई शिकायतें

279. **श्रीमती उषा वर्मा:**
श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री महाबल मिश्रा:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मुंबई सहित राज्यों में महिलाओं और शांति पूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अत्याचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एन.एच.आर.सी. तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को ऐसे अत्याचार रोकने और राज्यों में सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने की कोई सलाह जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में

सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार ने अन्य क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। 1 अप्रैल, 2008 से 25 जुलाई, 2011 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) को महिलाओं एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध अत्याचार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	शिकायतों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1
असम	1
बिहार	1
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	164 संबद्ध मामलों के साथ 1
मध्य प्रदेश	1
ओडिशा	11
झारखंड	1
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	12

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) द्वारा 23 मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाहें जारी की हैं। इन सलाहों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाना, महिलाओं के विरुद्ध हिरासत में हिंसा के लिए दोषी पाए गए लोक सेवकों को तत्काल और निवारक दण्ड के लिए उचित उपाय अपनाना; प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न करना, इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। अतः उचित कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार हथियार, संचार, उपस्कर, प्रशिक्षण आदि के रूप में राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

तटीय क्षेत्रों में गश्त

280. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समुद्र तट पर गश्त कर रही एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि समुद्र तट पर गश्ती में चूक होती है जिससे देश में तस्करी एवं घुसपैठ के मामले बढ़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) देश में समुद्र तट पर गश्त लगाने का कार्य भारतीय नौसेना के समग्र कमान के अधीन भारतीय नौसेना, तट रक्षक, राज्य समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क एवं अन्य सुरक्षा/आसूचना एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

(ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, समुद्र तट पर गश्त लगाने के कार्य में कोई चूक नहीं पाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अर्धसैनिक बलों के लिए कैंटीन सुविधाएं

281. श्री के. सुधाकरण: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) सहित सभी अर्धसैनिक बलों के लिए कैंटीन सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार को कैंटीन सुविधा प्रदान करने के संबंध में रक्षा मंत्रालय की कोई टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., एस.एस.बी. और आई.टी.बी.पी. कार्मिकों सहित सभी अर्ध-सैनिक बलों (अब केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल) को मिलिटरी सी.एस.डी. सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया था, किन्तु सीमित संसाधनों और अवसंरचना के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। सी.एस.डी. की तरह ही सरकार ने पूर्व-सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों और उनके परिवारों सहित सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों के लिए दिनांक 18-9-2006 को एक केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन प्रणाली शुरू की है। आज की तारीख तक इस प्रणाली के तहत पूरे देश में 124 मास्टर और 657 यूनिट कैन्टीनें कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

तिलहनों और दलहनों की कमी

282. श्री हर्षवर्धन:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

श्री अशोक कुमार रावत:

श्री अब्दुल रहमान:

श्री हरीश चौधरी:

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

श्री एस. अलागिरी:

डॉ. भोला सिंह:

श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तिलहनों और दलहनों का उत्पादन मांग की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त फसलों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कमी की पूर्ति के लिए विदेश में खेती हेतु पट्टे पर भूमि लेने तथा संकर बीजों के उपयोग का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) तिलहन एवं तलहन का उत्पादन देश में मांग के मुकाबले कम है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहन एवं दलहन की मांग एवं उत्पादन निम्नलिखित है:-

(मांग एवं उत्पादन मिलियन टन में)

वर्ष	तिलहन		दलहन	
	मांग	उत्पादन	मांग	उत्पादन
1	2	3	4	5
2007-08	45.46	29.76	16.77	14.76
2008-09	47.43	27.72	17.51	14.57

1	2	3	4	5
2009-10	49.35	24.88	18.29	14.66
2010-11*	51.34	31.10	19.08	18.09

*चतुर्थ अग्रिम अनुमान

तिलहन एवं दलहन उत्पादन में प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं:

(i) मुख्यतया असिंचित क्षेत्रों में खेती के कारण कम उत्पादकता। तिलहन के तहत लगभग 73% एवं दलहन के तहत 84% क्षेत्र वर्षा सिंचित है।

(ii) तिलहन एवं दलहन फसलों जैसे मूंगफली, तिल, सोयाबीन, रामतिल, अरहर, चिकपी, मूंग, उड़द आदि संकर के विकास के माध्यम से किस्म सुधार की आवश्यकता।

(iii) कृमियों एवं रोगों के कारण उत्पादन हानि।

(iv) प्राकृतिक कारणों एवं कई कीट-कृमियों और रोगों की आशंका के कारण उच्च जोखिम।

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान प्रमुख राज्यों में तिलहन एवं दलहन का उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कृषि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय को विभिन्न देशों और विदेशों में हमारे दूतावासों से भारतीय कार्पोरेट एवं किसानों को उनके देशों में व्यावसायिक कृषि शुरू करने के लिए आमंत्रित करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। अतः स्वाभाविक है कि विभिन्न देशों में कृषि जलवायु स्थितियों, समझौते के नियम एवं शर्तों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी लेने हेतु भारतीय कम्पनियों/किसानों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस मामले में कोई नीति तैयार नहीं की है, इसने इन देशों में कृषि जलवायु स्थितियों, कृषि की स्थिति और अन्य जानकारी से संबंधित उपयोगी जानकारी के प्रदान किए जाने में सहायता के लिए 6-7 मई, 2010 को कार्यशाला आयोजित करने में फिक्की के प्रयासों का समर्थन किया है जिसमें विभिन्न देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और भारतीय कार्पोरेट घरानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इसके अलावा, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार 1-4-2004 से 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का (आइसोपाम) स्कीम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) में 16 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायता का प्रावधान है। वृहत कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) में तिलहन और दलहन विकास कार्यक्रम को सहायता का प्रावधान है। वृहत कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.) स्कीम में आइसोपाम एवं एन.एफ.एस.एम. के तहत कवर न किये गए राज्यों में तिलहन एवं दलहन विकास हेतु सहायता का प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के तहत किसी भी फसल के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित फसल विकास कार्यकलाप का राज्य समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान 300.00 करोड़ रु. के आवंटन के साथ आर.के.वी.वाई. के तहत वर्षा सिंचित क्षेत्रों में साठ हजार दलहन ग्रामों के आयोजन की एक विशेष स्कीम भी शुरू की है। इसके अलावा, दलहन एवं तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इन उपायों से वर्ष 2011-12 में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि हुई है।

विवरण

गत 4 वर्षों के दौरान प्रमुख राज्यों में तिलहनों और दलहनों का उत्पादन

(उत्पादन: लाख टन)

क्र.सं.	राज्य	तिलहन				दलहन			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
1.	आन्ध्र प्रदेश	33.9	21.89	15.00	19.86	16.97	14.48	14.29	14.39
2.	असम	1.39	1.38	1.45	1.52	0.63	0.65	0.65.	0.63
3.	बिहार	1.38	1.38	1.45	1.55	4.97	4.69	4.72	5.56
4.	छत्तीसगढ़	1.93	1.94	2.00	2.17	5.37	4.99	4.89	5.36
5.	गुजरात	47.25	40.16	30.97	39.12	7.43	6.09	5.17	7.20
6.	हरियाणा	6.43	9.33	8.78	9.64	1.02	1.78	1.00	1.59
7.	झारखंड	0.69	0.73	0.80	0.89	3.02	2.81	2.24	2.67
8.	कर्नाटक	15.49	12.12	10.05	12.12	12.65	9.72	11.18	14.97
9.	मध्य प्रदेश	63.52	69.77	76.36	80.35	24.54	36.83	43.05	33.91
10.	महाराष्ट्र	48.74	34.10	28.14	49.97	30.24	16.56	23.70	31.46
11.	ओडिशा	1.97	1.83	1.72	1.83	3.84	3.87	3.99	4.14
12.	पंजाब	0.77	0.76	0.83	0.71	0.23	0.22	0.18	0.18
13.	राजस्थान	41.98	51.78	44.07	60.90	15.53	18.26	7.14	32.16
14.	तमिलनाडु	11.47	10.43	9.40	11.32	1.85	1.65	2.04	2.96
15.	उत्तर प्रदेश	11.47	11.65	8.16	9.11	15.77	19.98	19.01	20.12
16.	पश्चिम बंगाल	7.05	5.83	7.27	7.61	1.48	1.29	1.50	1.61
17.	अन्य	2.12	2.11	2.37	2.34	2.08	1.80	1.87	2.03
	अखिल भारत	297.55	277.19	248.82	311.01	147.62	145.67	146.62	180.94

*चौथा अग्रिम आकलन।

[अनुवाद]

प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन

283. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती अधिनियम में ऐसे प्रस्तावित बदलावों पर विचार करने के लिए एक मंत्री-समूह गठित किया गया है जो प्रसारक की स्वतंत्रता में कमी किए बगैर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा राजनैतिक प्राधिकारियों के बीच शक्तियों का अधिक समतापरक विभाजन सुनिश्चित करते हों;

(ख) यदि हां, तो इस मंत्री-समूह के मुख्य सुझाव क्या हैं;

(ग) क्या उक्त मंत्री-समूह की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार ने प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब अमल में लाया जाएगा; और

(ङ) यह प्रसार भारती में जांचोपाय करने में कितना प्रभावी होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ङ) प्रसार भारती के कार्यकरम से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए प्रसार भारती के बारे में गठित मंत्री-समूह ने सरकार ेर प्रसार भारती तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती और प्रसार भारती बोर्ड के बीच संबंधों के मुद्दे की भी जांच की है। उसने मौजूदा अभिशासन संरचना और उसको सुदृढ़ बनाने के तरीके की भी जांच की है। मंत्री-समूह ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की है और इस अधिनियम में कतिपय संशोधनों की अनुशंसा की है। मंत्री-समूह ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड की संरचना, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के पात्रता संबंधी मापदंडों व कार्यकाल, बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, निलंबन एवं निष्कासन की कार्य-विधि, केंद्र सरकार द्वारा प्रसार भारती से सूचना प्राप्त करने और उसे निदेश जारी करने की शक्तियों के संबंध में अनुशंसा की है। आशा है कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सरकार प्रसार भारती के कार्यकरण का कारगर ढंग से पर्यवेक्षण कर सकेगी, प्रसार भारती के भीतर अभिशासन में सुधार होगा और अधिकारियों/पदाधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

मंत्री-समूह की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है। इसके लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार

284. श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल व्यापत भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, कुप्रबंधन तथा जेल-नियमों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त संविधाएं मुहैया कराने की खबर मिली है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कुल कितने मामले सूचित किए गए तथा आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारकारी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि रिपोर्ट किए गए भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के मामलों को विभागीय स्तर पर निपटाया जाता है। विगत तीन वर्षों में चालू और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की संख्या
2008	07
2009	08
2010	06
2011 (आज की तारीख तक)	12

(ग) कारागार में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए प्राधिकारियों ने कई सुधारात्मक उपाय किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सभी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्डों की जांच की गई है। आचरण नियमों के तहत अधीनस्थ कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा एवं सदाचरण सुनिश्चित करने के लिए और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों की सतर्कता संबंधी निगरानी करने के लिए जेल अधीक्षकों पर बल दिया जाता है।

(ii) सभी स्तर के कर्मचारियों को बारी-बारी से विभिन्न जेलों में तैनात किया जाता है ताकि वे किसी कारागार में लम्बी अवधि तक रहते हुए अपने निहित स्वार्थ विकसित न कर सकें।

(iii) सभी स्तर के कर्मचारियों को दिल्ली कारागार अधिनियम और दिल्ली कारागार मैनुअल अधिनियम/मैनुअल के तहत उनको सौंपे गए कार्यों, प्रतिबद्धता के स्तर, ड्यूटी के प्रति समर्पण एवं सत्यनिष्ठा के बारे में सुग्राही बनाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

(iv) कैदियों और स्टाफ के सदस्यों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विस्तृत तंत्र है और प्रत्येक कारागार में शिकायत निवारण समिति भी है।

(v) महानिदेशक (कारागार) की शिकायत-पेटिकाएं प्रत्येक कारागार के वार्डों में रखी गई हैं और याचिकाएं प्राप्त होती हैं और उनकी जांच की जाती है।

(vi) प्रत्येक कारागार में एक नामोदिष्ट विजिटिंग न्यायाधीश होता है जो प्रत्येक दो माह में जेलों का दौरा करता है। प्रत्येक कारागार के प्रत्येक वार्ड में रखी गई विजिटिंग न्यायाधीश की याचिका-पेटिका उसके द्वारा खोली जाती है और याचिकाओं पर उनके आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(vii) जन सम्पर्क के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता शुरू की गई है। एक नागरिक अधिकार - पत्र (सिटीजन चार्टर) प्रकाशित किया गया है और कारागार की वेबसाईट पर कार्यकरण नियम पुस्तिका डाली गई है।

(viii) मुलाकात (रिश्तेदारों और मित्रों का आना) की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाया गया है।

(ix) भ्रष्टाचार - मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को लोक सेवक के रूप में उनके दायित्वों के प्रति सुग्राही बनाया जाता है।

(x) तिहाड़ फेसबुक पर उपलब्ध है जिसमें कारागार में शुरू किए गए विभिन्न सुधारात्मक उपायों के संबंध में लोगों का मत और सुधारात्मक कार्यों कलापों में उनकी सहभागिता ली जाती है। लोग भी कारागार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना प्राधिकारियों को दे सकते हैं।

[हिन्दी]

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां

285. कुमारी सरोज पाण्डेय:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान गुजरात सहित अन्य राज्यों की सरकारों को अनुदत्त, जारी तथा उनके द्वारा उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखण्ड और आन्ध्र प्रदेश जैसे नक्सल-प्रभावित राज्यों को नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी राशि प्रदान की गई तथा किन-किन तारीखों को इसे जारी किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम.पी.एफ. स्कीम) के अंतर्गत राज्यों को कुल 3612.27 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। पिछले तीन वर्षों 2008-2009, 2009-2010 और 2010-11 में राज्य-वार और वर्ष-वार निधियों के

निर्गम और राज्य सरकारों द्वारा सूचित उपयोग को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान जारी की गई निधियों में पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों के निर्माण, विद्यमान पुलिस स्टेशनों/चौकियों के सुदृढ़ीकरण जैसी पुलिस से संबंधित अवसंरचना में सुधार करने के लिए नक्सल प्रभावित जिलों को 2.00 करोड़ रुपए प्रति जिला की दर से 100% केन्द्रीय वित्तीय सहायता का घटक शामिल है। तदनुसार, एफ.पी.एफ. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों को 320.54 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। नक्सल प्रभावित राज्यों को निधियों के वर्ष-वार और राज्य-वार निर्गम और निर्गम की तारीखों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में अब तक कोई निधि जारी नहीं की गई है।

विवरण-I

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	2008-09		2009-10		वर्ष 2010-11 में जारी की गई निधियां
	जारी की गई निधियां	राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई राशि	जारी की गई निधियां	राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई राशि	
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	83.83	65.94	115.54	0.00	89.96
अरुणाचल प्रदेश	14.72	14.72	11.50	0.00	10.75
असम	68.11	47.22	60.79	0.00	48.51
बिहार	41.57	33.71	59.34	0.00	63.67
छत्तीसगढ़	26.54	24.79	17.04	8.28	29.8
गोवा	4.00	3.51	7.08	1.06	2.3
गुजरात	48.02	46.75	52.18	43.74	55.27
हरियाणा	27.51	27.51	46.63	46.63	30.41
हिमाचल प्रदेश	9.99	9.93	7.10	6.32	6.36
जम्मू और कश्मीर	109.65	109.65	111.18	71.13	148.25
झारखंड	69.85	56.80	33.49	0.00	36.9
कर्नाटक	69.61	69.61	63.96	53.20	83.01
केरल	22.90	22.90	32.54	32.54	42.68
मध्य प्रदेश	40.37	40.32	54.87	33.91	72.41

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	75.86	72.08	72.48	70.48	42.26
मणिपुर	39.23	10.77	27.44	0.00	26.63
मेघालय	10.81	9.98	9.73	0.00	8.48
मिजोरम	12.69	10.80	11.48	0.00	19.55
नागालैंड	38.42	38.42	31.50	31.50	33.77
ओडिशा	42.54	42.53	51.87	48.05	54.24
पंजाब	21.56	20.54	33.50	0.00	26.08
राजस्थान	49.10	47.77	51.18	37.96	47.88
सिक्किम	6.12	3.96	4.72	2.62	2.17
तमिलनाडु	50.10	50.10	60.67	44.32	92.52
त्रिपुरा	20.66	20.66	22.92	8.00	23.08
उत्तर प्रदेश	102.31	82.86	125.17	69.55	77.61
उत्तराखंड	19.39	19.39	5.29	4.66	6.35
पश्चिम बंगाल	32.18	29.83	48.81	45.09	43.73
कुल	1157.64	1033.05	1230.00	659.04	1224.63(*)

(*) वर्ष 2010-11 के दौरान जारी की गई निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकारों से दिनांक 01-04-2012 से देय होगा।

विवरण-II

2008-09:

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंजूरी की तारीख	कवर किए गए नक्सली जिलों की संख्या	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	18-03-2009	01	2.00
2.	बिहार	20-02-2009	06	12.00
3.	छत्तीसगढ़	31-03-2009	07	14.00
4.	झारखंड	19-12-2008	10	20.00

1	2	3	4	5
5.	मध्य प्रदेश	22-12-2008	01	2.00
6.	महाराष्ट्र	05-03-2009	02	3.38
7.	महाराष्ट्र	30-03-2009		0.62
8.	ओडिशा	22-12-2008	04	8.00
9.	उत्तर प्रदेश	20-01-2009	01	2.00
	कुल		**32**	**64.00**
2009-10:				
1.	आन्ध्र प्रदेश	16-03-2010	15	8.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	22-02-2010		22.00
3.	बिहार	10-03-2010	09	18.00
4.	छत्तीसगढ़	14-01-2010	02	4.00
5.	झारखंड	17-03-2010	08	16.00
6.	महाराष्ट्र	26-03-2010	01	2.00
7.	ओडिशा	26-03-2010	11	22.00
8.	उत्तर प्रदेश	25-02-2010	02	4.00
9.	पश्चिम बंगाल	05-01-2010	03	6.00
	कुल		**51**	**102.00**

2010-11:

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंजूरी आदेश की संख्या और तारीख	कवर किए गए नक्सली जिलों की संख्या	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10-02-2011	16	32.00
2.	बिहार	06-12-2010	15	30.00
3.	छत्तीसगढ़	06-12-2010	09	18.00
4.	झारखंड**	06-12-2010	18	24.38

1	2	3	4	5
5.	झारखंड**	01-03-2011		0.36
6.	मध्य प्रदेश@	23-12-2010	01	1.80
7.	महाराष्ट्र	23-12-2010	03	6.00
8.	ओडिशा	19-10-2010	15	30.00
9.	उत्तर प्रदेश	06-12-2010	03	6.00
10.	पश्चिम बंगाल	01-12-2010	03	6.00
	कुल		**83**	**154.54**

टिप्पणी: 83 नक्सल प्रभावित जिलों के लिए वर्ष 2010-11 में 166.00 करोड़ रुपए के आबंटन में से, निम्नलिखित कारणों से कुल केवल 154.54 करोड़ रुपए की धनराशि ही जारी की जा सकी:-

(i) @मध्य प्रदेश के मामले में, केवल 1.80 करोड़ रुपए जारी किए जा सके क्योंकि उप-योजना 1.80 करोड़ रुपए के लिए अनुमोदित की गई थी।

(ii)** झारखण्ड के मामले में, 18 नक्सल प्रभावित जिलोंके लिए 36.00 करोड़ रुपए के आबंटन में से, केवल 24.74 करोड़ रुपए की धनराशि ही जारी की जा सकी क्योंकि झारखण्ड राज्य सरकार के पास पिछले वित्तीय वर्षों की खर्च न की गई केन्द्रीय राशि शेष थी।

चारा बैंक

286. **श्री ए.टी. नाना पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय पशुधन की रक्षा करने के उद्देश्य से एक चारा बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी, नहीं। राज्यों को आहार और चारा विकास के लिए सहायता संबंधी पुरानी केन्द्रीय प्रायोजित योजना में चारा बैंक नामक घटक शामिल था, जिसे 1992-93 से 2004-05 तक क्रियान्वित किया गया था।

(ग) चारा बैंक की स्थापना संबंधी घटक को योजना आयोग की सलाह पर 1-4-2005 से हटा दिया गया था।

अत्प्रवासन सेवाओं में अनियमितताएं

287. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर उत्प्रवासन सेवाओं हेतु तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कतिपय अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) इस मामले में त्रुटिकर्ता कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी, हां। जहां तक आप्रवासन ब्यूरो द्वारा प्रबंधित आई.सी.पी. का संबंध है, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुम्बई

(2 मामले) अमृतसर (1 मामला) के एफ.आर.आर.ओ. की ओर से भ्रष्टाचार के केवल 3 मामले दर्ज किये गये हैं। इसके अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आप्रवासन अधिकारियों के विरुद्ध 42 शिकायतें प्राप्त हुई है। ब्यौरे निम्नानुसार है:-

हवाई अड्डा	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	की गई कार्रवाई
दिल्ली	23	चार अधिकारियों को निलंम्बित कर दिया गया है और अनुशासनिक जांच अन्तिम चरण में है। दो अधिकारियों को एहतियाती उपाय के रूप में आप्रवासन ब्यूरो, दिल्ली से स्थानान्तरित कर दिया गया है। शेष 17 शिकायतों को साबित नहीं किया जा सका।
मुम्बई	18	10 अधिकारियों को उनके मूल विभाग में वापिस भेज दिया गया। 5 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच शुरू की गई है। दो अधिकारियों को सेवा समाप्त कर दी गयी है और 1 अधिकारी को चेतावनी जारी की गई है।
अमृतसर	1	1 अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

आदिवासी युवाओं की एस.पी.ओ. के रूप में तैनाती

288. श्री बिभू प्रसाद तराई:

श्री प्रहलाद जोशी:

श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने विशेष पुलिस अधिकारियों (एस.पी.ओ.) के रूप में आदिवासी युवाओं की नियुक्ति को अवैध तथा असंवैधानिक करार दिया है तथा छत्तीसगढ़ सरकार व केन्द्र सरकार को ऐसे बलों से तत्काल शस्त्र वापस लेने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2007 की रिट याचिका (सिविल) सं. 250-सुश्री नंदिनी सुंदर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ सरकार में दिनांक 5 जुलाई, 2011 के आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, छत्तीसगढ़ सरकार को निदेश दिया है कि राज्य में नक्सली गतिविधियों के खिलाफ एस.पी.ओ. के प्रयोग को तत्काल रोकें और इसे बंद कर दें तथा एस.पी.ओ. को दिए गए शस्त्रों को तुरंत वापस लेने का हर संभव प्रयास करें। साथ ही, केन्द्र सरकार को भी निदेश दिया गया है कि वह नक्सलियों के खिलाफ राज्य सरकारों द्वारा एस.पी.ओ. की भर्ती में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने में अपनी किसी भी निधि के प्रयोग को तत्काल प्रभाव से रोक दें और इसे बंद कर दें।

भारत सरकार विधि मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच कर रही है।

आबंटन में वृद्धि

289. श्री पी. करुणाकरन:

श्री सी. शिवासामी:

श्री पी.टी. थॉमस:

श्री नारनभाई कछाड़िया:

श्री प्रबोध पांडा:

श्री पी. कुमार:

श्रीमती ज्योति धुर्वे:

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:

डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को केरल और तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों की सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से ऊपर तथा नीचे के वर्गों हेतु उन्हें आबंटित कोटे में बढ़ोतरी करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) हाल में केरल और तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के आबंटनों में वृद्धि के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मानदंडों के अनुसार प्रति माह प्रति परिवार 35 किलो ग्राम की दर पर खाद्यान्नों का आबंटन कर रही है। प्राप्त हुए अनुरोधों और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मई 2011 में गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 50 लाख टन चावल और गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को आबंटन खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए पिछले उठानों के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, मई 2011 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर का आबंटन प्रति माह प्रति परिवार 10 कि.ग्रा. से 35 कि.ग्रा. था। जून 2011 से, गरीबी रेखा से ऊपर का आबंटन 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बढ़ाकर प्रति माह प्रति परिवार न्यूनतम 15 कि.ग्रा. और 4 पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम एवं दो पहाड़ी राज्यों - हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड जहां आबंटन उक्त मात्रा से कम था में प्रति माह प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. कर दिया गया है।

जैविक कृषिगत उत्पाद

290. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जैविक रूप से उत्पादित फलों तथा सब्जियों की खपत बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक उत्पाद पर राज्यवार तथा वर्षवार प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जैविक कृषि के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) हालांकि जैविक रूप से उत्पादित फलों और सब्जियों की खपत के साथ-साथ इससे सृजित राजस्व का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, फिर भी देश में पिछले वर्षों में फलों और सब्जियों सहित जैविक खेती के अधीन क्षेत्र वृद्धि हुई है और यह 31-03-2010 की स्थिति के अनुसार 10.86 लाख हैक्टेयर रहा (पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है) तथा जैविक कृषि उत्पाद का निर्यात भी वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है। (विवरण-II)

(ग) और (घ) सरकार की एक राष्ट्रीय जैविक खेती नीति है जिसमें जैविक कृषि के पक्ष में प्राकृतिक संसाधनों के तकनीकी रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरणीय रूप से नान-डीग्रेडिंग और सामाजिक रूप से स्वीकार्य उपयोग को बढ़ावा देना निहित है। देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और इसे सुकर बनाने के लिए, सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान एक राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू की है।

विवरण-I

वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए जैविक खेती के तहत क्षेत्र का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
1.	आन्ध्र प्रदेश	21472.98	32450.524	30967.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	1038.8	311.06	1897.5
3.	असम	4747.32	4629.37	5108.92
4.	बिहार	125	0	1096.3
5.	छत्तीसगढ़	177.98	503.84	444.301
6.	दिल्ली	0	33289.11	267.7
7.	गोवा	14612.96	10979.78	7390.77
8.	गुजरात	165885.49	50927.5448	70538.86
9.	हरियाणा	2090.95	12220.3	8972.75
10.	हिमाचल प्रदेश	10605.92	15435.57	576.1
11.	जम्मू और कश्मीर	33047.1	419.47	613.07
12.	झारखंड	0	0	0
13.	कर्नाटक	65207.65	22230.142	51468.458
14.	केरल	11934.71	10507.797	14869.34
15.	मणिपुर	10869.592	10818.07	3171.31
16.	महाराष्ट्र	125095.85	277780.61	150467.74
17.	मध्य प्रदेश	214087.96	463553.02	440525
18.	मिजोरम	16121.69	34906.13	27859.82
19.	मेघालय	273.4	1813.38	3043.11
20.	नागालैंड	14490.4	24042.65	9645.69
21.	ओडिशा	75678.5	81560.31	95740.91
22.	पंजाब	3320.2	4192.52	5263.61
23.	राजस्थान	23780.59	29267.57	41127.92
24.	सिक्किम	172.08	1476.61	7394.22

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
25.	त्रिपुरा	0	0	281.06
26.	तमिलनाडु	7667.254	8431.1	6742.88
27.	उत्तर प्रदेश	20444.78	22246.16	53545.23
28.	उत्तराखंड	12493.85	30501.59	31065.61
29.	पश्चिम बंगाल	9880.08	13737.06	15563.05
30.	अन्य	0	8823.84	0
	कुल	865323.08	1207055.12	1085648.45

स्रोत: एन.सी.ओ.एफ. वार्षिक रिपोर्ट 2009-10

विवरण-II

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए जैविक कृषि उत्पादों की निर्यातित मात्रा और उनके मूल्य का ब्यौरा

क्र.सं.	विषय-वस्तु	2008-09	2009-10	2010-11
1.	निर्यातित मात्रा (एमटी)	44476.23	58408.33	69836.86
2.	निर्यातित मूल्य (करोड़ रु. में)	536.90	525.50	698.61
3.	निर्यातित मूल्य (मिलियन यू.एस.डी.)	116.10	111.81	157.22

स्रोत: ए.पी.ई.डी.ए.

सी.पी.डब्ल्यू.डी. कॉल सेंटर

291. डॉ. महेश जोशी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) ने एक कॉल सेंटर शुरू किया है जो एक नि:शुल्क फोन नंबर के माध्यम से मरम्मत तथा रख-रखाव संबंधी शिकायतें दर्ज करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कॉल सेंटर के जरिये दर्ज जल-रिसाव, अवरुद्ध निकासी तथा कूड़ा-करकट हटाने इत्यादि से संबंधित शिकायतों पर कुछ सी.पी.डब्ल्यू.डी. सेवा केंद्रों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है और इसपर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) विगत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी शिकायतों को 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें हैं जिन पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. के विभिन्न सेवा केंद्रों द्वारा 4-5 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई; और

(च) भविष्य में ऐसी शिकायतों से बचने के लिहाज

से सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने क्या सुधारक उपाय किए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं, अधिकतर सामान्य शिकायतें यथा समय निपटायी जाती है; तथापि, आज तक अवरुद्ध जन निकासी अथवा सीलन की 1723 शिकायतें लंबित हैं।

बड़ी प्रकृति की शिकायतों को निपटाने में समय लगता है क्योंकि उसमें बड़ी कार्य शामिल होता है जिसे ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित करवाना होता है। इसमें कार्य की स्वीकृति प्राप्त करना, निविदाएं आमंत्रित करना और ठेकेदारों को कार्य सौंपना आदि प्रक्रियाएं पूरी करनी अपेक्षित होती हैं।

(घ) ब्यौरे इस प्रकार है:

वर्ष	सिविल	विद्युत
2010	193073	6352
2011-12 (आज की तिथि के अनुसार)	22581	4555

(ङ) विभिन्न के.लो.नि.वि. सेवा केन्द्रों द्वारा 4-5 दिनों से भी अधिक समय से निपटायी न गयी शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

(i)	सिविल	-	10,852
(ii)	विद्युत	-	1,385
(iii)	बागवानी	-	1,282

(च) रख-रखाव को सेवाओं की आउट सोर्सिंग करते हुए विभागीय श्रमिकों की कमी को पूरा करके, प्रणाली में पारदर्शिता लाकर, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक आधार पर के.लो.नि.वि. सेवा की निगरानी द्वारा, क्षेत्र की रेजिडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बातचीत आदि द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है।

दलितों तथा अ.जा./अ.ज.जा. के विरुद्ध अपराध

292. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री प्रहलाद जोशी:

श्री हेमानन्द बिसवाल:

श्री हरि मांझी:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दलितों तथा अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के विरुद्ध अत्याचार/अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए तथा इनमें से सुलझाए गए/अनसुलझे मामलों का अपराधवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्तावधि के दौरान पीड़ितों को अलग से प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011 के दौरान कोई परामर्श-पत्र जारी करके राज्य सरकारों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को दलितों व अ.जा./अ.ज.जा. अपराधों पर अंकुश लगने को कहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या ऐसे मामलों में त्वरित अभियोजन करके न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का अपराध-कानूनों तथा अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसे माम्लों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य और क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2007-2009 के दौरान देश में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल 29825, 33367 तथा 33426 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी जो बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। वर्ष 2007-2009 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल 5532, 5582 तथा 5425 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी जो मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाती है। वर्ष 2007-2009

के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों के राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार ब्यौरे विवरण-I में संलग्न हैं। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में इसी तरह के ब्यौरे विवरण-II में संलग्न हैं।

(ग) अत्याचारों के अपराधों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पीड़ितों को राहत के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 की अनुसूची में 'राहत की न्यूनतम धनराशि' का प्रावधान किया गया है। राहत की धनराशि अपराध की प्रकृति के आधार पर 20,000 रु. से 2,00,000 रु. के बीच अलग-अलग होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

सामाजित न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की अपनी केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों तथा संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को मुख्यतः न्याय तंत्र एवं प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण, जागरूकता सृजन, अन्तर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहन तथा प्रभावित व्यक्तियों के राहत एवं पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2008-09 से 2010-11 तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण-III में दी गई है।

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान जिन राज्य सरकारों ने उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त की है उनके द्वारा दी गई राहत के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध सहित अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच-पड़ताल करने तथा अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, भारत सरकार दलितों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियां सहित समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम करने और निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दांडिक कानूनों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए कदम उठा रही है।

गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 01-04-2010 को समस्त राज्य सरकारों एवं संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत सलाह जारी की गयी थी। इस सलाह में विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है, यथा संवैधानिक प्रावधानों एवं विद्यमान विधानों का प्रभावशाली एवं विवेकपूर्ण प्रवर्तन; सु-व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं सेमिनारों इत्यादि के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कानून प्रवर्तन तंत्र को सुग्राही बनाना; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित विधानों के बारे में सामान्य जागरुकता को बढ़ाना; हिंसा, दुरुपयोग एवं शोषण के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक निगरानी प्रणाली विकसित करना; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के मामले में प्राथमिकी के पंजीकरण में कोई विलम्ब न करना; रोकथाम के उपाय करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक अत्याचार-बहुल क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना; अत्याचारों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय करना इत्यादि।

(च) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण-I

वर्ष 2007-2009 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध कुल अत्याचारों के अन्तर्गत पंजीकृत मामले (सी.आर.), आरोपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोपपत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3261	1803	289	4098	3887	433
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	125	101	33	155	155	40
4.	बिहार	2786	1810	173	4573	3734	264
5.	छत्तीसगढ़	511	461	128	1203	1183	374
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	1038	945	47	2776	2797	120
8.	हरियाणा	227	168	44	354	346	88
9.	हिमाचल प्रदेश	87	33	2	64	55	2
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	538	240	53	580	487	42
12.	कर्नाटक	1827	1403	48	4474	4460	127
13.	केरल	477	273	19	506	483	34
14.	मध्य प्रदेश	4106	3976	1693	8867	8846	3203
15.	महाराष्ट्र	1146	959	34	3339	3355	55
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	2	0	0
20.	ओडिशा	1355	997	82	2317	2207	161

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	177	0	10	313	193	28
22.	राजस्थान	4174	2028	821	3626	3642	1275
23.	सिक्किम	10	11	5	10	10	5
24.	तमिलनाडु	1737	930	122	2535	2047	308
25.	त्रिपुरा	8	8	10	7	6	13
26.	उत्तर प्रदेश	6136	4872	2854	15917	13307	6994
27.	उत्तराखंड	71	46	33	122	116	64
28.	पश्चिम बंगाल	3	6	0	12	8	0
	कुल राज्य	**29800**	**21160**	**6502**	**55848**	**51284**	**13632**
29.	अंडमान और निकोबार समूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	1	0
32.	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	24	13	3	16	13	5
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	1	1	0	1	1	0
	कुल संघ शासित राज्य	**25**	**15**	**3**	**17**	**15**	**5**
	कुल अखिल भारत	29825	21175	6505	55865	51299	13637

क्र.सं.	राज्य	2008					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	3875	1697	192	4492	3949	373
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	104	37	71	40	76	18

1	2	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	3617	1937	229	5231	3991	368
5.	छत्तीसगढ़	600	590	122	1293	1274	280
6.	गोवा	4	3	0	4	3	0
7.	गुजरात	1228	1116	38	3058	3047	86
8.	हरियाणा	339	277	16	649	657	36
9.	हिमाचल प्रदेश	68	31	3	67	51	4
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	598	272	30	516	602	77
12.	कर्नाटक	2343	1788	47	5243	4905	143
13.	केरल	519	275	9	585	695	12
14.	मध्य प्रदेश	2965	3003	1665	6531	6547	3051
15.	महाराष्ट्र	1172	1019	59	3503	3230	126
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	1836	1367	89	1696	1642	140
21.	पंजाब	101	86	9	219	228	31
22.	राजस्थान	4302	1952	711	3817	3792	1263
23.	सिक्किम	17	12	12	24	13	11
24.	तमिलनाडु	1615	962	126	2125	2018	294
25.	त्रिपुरा	4	3	0	3	4	0
26.	उत्तर प्रदेश	7960	5941	3283	21344	16349	9631
27.	उत्तराखंड	42	35	37	60	58	112
28.	पश्चिम बंगाल	19	8	1	15	6	1
	कुल राज्य	**33328**	**22411**	**6685**	**60615**	**53137**	**16057**

1	2	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	2	2	0	3	3	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	5	5	0
32.	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	34	19	3	14	29	2
34.	लक्षद्वीप	0	6	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	2	0	0	3	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	**39**	**22**	**3**	**25**	**37**	**2**
	कुल अखिल भारत	33367	22433	6688	60640	53174	16059

क्र.सं.	राज्य	2009					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	4465	1864	232	4025	3391	398
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	20	1	0	33	1
4.	बिहार	3836	1902	216	5177	4281	425
5.	छत्तीसगढ़	466	501	94	755	791	180
6.	गोवा	3	2	0	6	4	0
7.	गुजरात	1180	1075	43	2828	2813	135
8.	हरियाणा	303	209	50	456	434	77
9.	हिमाचल प्रदेश	87	54	12	161	153	3
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1	0	0	4
11.	झारखंड	631	425	95	809	905	134
12.	कर्नाटक	2164	1600	32	4406	4254	103

1	2	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	467	289	28	499	465	38
14.	मध्य प्रदेश	3040	2909	1014	6440	6456	2033
15.	महाराष्ट्र	1072	1007	51	3345	3379	134
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	1709	1125	52	2094	2078	109
21.	पंजाब	108	80	8	251	276	15
22.	राजस्थान	4985	2230	638	4427	4462	1262
23.	सिक्किम	16	11	10	20	19	14
24.	तमिलनाडु	1310	816	94	2345	2219	302
25.	त्रिपुरा	7	3	4	4	5	4
26.	उत्तर प्रदेश	7461	5577	3186	20645	15452	9204
27.	उत्तराखंड	58	44	26	78	74	48
28.	पश्चिम बंगाल	21	4	0	28	7	0
	कुल राज्य	**33389**	**21747**	**5887**	**58799**	**51951**	**14623**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	2	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	3	3	0
32.	दमन और द्वीप	2	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	31	16	0	17	16	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	3	1	0	7	2	0
	कुल संघ शासित राज्य	**37**	**18**	**0**	**29**	**21**	**0**
	कुल अखिल भारत	33426	21765	5887	58828	51972	14623

विवरण-II

वर्ष 2007-2009 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध कुल अत्याचारों के अन्तर्गत पंजीकृत मामले (सी.आर.), आरोपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोपपत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	753	521	53	909	867	77
2.	अरुणाचल प्रदेश	32	19	0	21	17	0
3.	असम	49	91	31	63	110	48
4.	बिहार	65	46	2	134	110	4
5.	छत्तीसगढ़	615	584	137	801	823	285
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	156	139	6	389	389	12
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	2	2	0	25	16	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	268	191	56	206	218	35
12.	कर्नाटक	205	140	4	337	333	5
13.	केरल	88	59	12	96	81	28
14.	मध्य प्रदेश	1501	1455	714	2868	2863	1205
15.	महाराष्ट्र	239	203	7	797	708	13
16.	मणिपुर	1	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	17	0	0	26
20.	ओडिशा	394	264	37	733	716	41
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	1110	470	195	921	934	355
23.	सिक्किम	13	17	10	24	28	10
24.	तमिलनाडु	17	11	1	28	15	3
25.	त्रिपुरा	6	8	2	6	8	2
26.	उत्तर प्रदेश	4	4	15	6	6	31
27.	उत्तराखंड	1	1	3	8	8	3
28.	पश्चिम बंगाल	5	0	0	2	0	0
	कुल राज्य	**5524**	**4225**	**1302**	**8374**	**8220**	**2183**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	3	2	0	5	5	0
32.	दमन और द्वीप	3	1	0	2	2	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	1	1	0	1	1	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	**8**	**4**	**0**	**9**	**8**	**0**
	कुल अखिल भारत	5532	4229	1302	8383	8228	2183

क्र.सं.	राज्य	2008					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	750	410	40	953	932	69
2.	अरुणाचल प्रदेश	63	50	0	52	52	0
3.	असम	130	35	4	133	52	12

1	2	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	99	53	2	155	89	2
5.	छत्तीसगढ़	614	587	159	917	913	181
6.	गोवा	1	0	0	8	0	0
7.	गुजरात	223	215	8	586	588	21
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	0	9	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	231	159	16	335	232	31
12.	कर्नाटक	400	246	5	945	856	11
13.	केरल	106	72	4	142	210	6
14.	मध्य प्रदेश	1071	1106	504	2079	2086	960
15.	महाराष्ट्र	268	230	26	785	767	42
16.	मणिपुर	1	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	508	422	37	770	748	43
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1038	462	192	970	969	401
23.	सिक्किम	12	6	5	11	6	5
24.	तमिलनाडु	14	14	0	27	47	0
25.	त्रिपुरा	14	10	3	11	9	3
26.	उत्तर प्रदेश	9	7	9	18	18	30
27.	उत्तराखंड	0	0	3	0	0	9
28.	पश्चिम बंगाल	17	10	0	25	15	0
	कुल राज्य	**5569**	**4095**	**1018**	**8922**	**8598**	**1827**

1	2	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	2	0	9	2	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	10	7	0	23	21	0
32.	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	**13**	**9**	**0**	**32**	**23**	**0**
	कुल अखिल भारत	5582	4104	1018	8954	8621	1827

क्र.सं.	राज्य	2009					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	830	463	59	781	698	109
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	13	0	15	13	0
3.	असम	9	25	3	22	43	9
4.	बिहार	67	43	9	123	114	17
5.	छत्तीसगढ़	551	535	103	800	788	145
6.	गोवा	0	1	0	0	8	0
7.	गुजरात	195	181	11	431	442	36
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	2	2	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	182	202	70	435	413	108

1	2	15	16	17	18	19	20
12.	कर्नाटक	272	215	5	777	717	17
13.	केरल	102	79	4	148	122	4
14.	मध्य प्रदेश	1135	1112	409	2091	2107	721
15.	महाराष्ट्र	224	230	10	528	543	15
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	552	402	23	899	898	77
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1183	506	217	1012	1011	308
23.	सिक्किम	14	10	8	21	21	9
24.	तमिलनाडु	22	21	10	76	84	26
25.	त्रिपुरा	27	21	9	27	21	9
26.	उत्तर प्रदेश	4	2	7	10	6	13
27.	उत्तराखंड	0	0	4	0	0	11
28.	पश्चिम बंगाल	16	6	0	16	6	0
	कुल राज्य	**5407**	**4068**	**961**	**8214**	**8057**	**1634**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	0	0	7	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	16	8	1	17	19	2
32.	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0

1	2	15	16	17	18	19	20
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित राज्य	**18**	**9**	**1**	**17**	**26**	**2**
	कुल अखिल भारत	5425	4077	962	8231	8083	1636

टिपपणी: अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ कुल अपराधों में ये अपराध शीर्ष शामिल हैं:- हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं व्यहपरण, डकैती, लूटपाट, आगजनी, चोट पहुंचाना, अनुसूचित जातियों के खिलाफ अन्य अपराध, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।

(स्रोत: भारत में अपराध)

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान से संबंधित सूचना में पिछले वर्षो से लंबित मामले भी शामिल हैं।

#कर्नाटक ने वर्ष 2008 के आंकड़े कोवर्ष 2011 में परिवर्तित कर दिया है।

विवरण-III

वर्ष 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा वर्षवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	787.56	878.79	642.99	-
2.	असम	-	-	0	-
3.	बिहार	27.28	55.00	90.00	-
4.	छत्तीसगढ़	40.748	40.644	108.59	-
5.	गोवा	1.00	1.50	3.25	2.50
6.	गुजरात	217.46	186.085	303.32	261.70
7.	हरियाणा	59.925	19.59	136.18	240.25
8.	हिमाचल प्रदेश	10.45	54.80	29.00	-
9.	झारखंड	-	39.538	0	-
10.	कर्नाटक	670.38	967.18	674.36	-
11.	केरल	135.155	361.807	0	-

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	574.745	1107.11	1869.09	-
13.	महाराष्ट्र	274.978	1197.426	869.79	-
14.	ओडिशा	60.00	69.578	645.58	254.22
15.	पंजाब	50.00	76.35	114.70	-
16.	राजस्थान	157.895	175.665	175.40	-
17.	सिक्किम	5.950	8.175	6.40	-
18.	तमिलनाडु	235.14	612.15	176.77	-
19.	त्रिपुरा	00.50	0.6	0	-
20.	उत्तर प्रदेश	931.285	904.355	960.98	-
21.	उत्तराखंड	5.769	-	0	-
22.	पश्चिम बंगाल	-	-	0	-
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	5.49	-
24.	दादरा और नगर हवेली	2.655	59.229	60.00	-
25.	पुडुचेरी	50.00	50.00	87.08	80.50
26.	दमन और द्वीप	4.571	-	8.942	-
27.	चंडीगढ़	3.00	-	15.00	-
28.	दिल्ली	-	-	0	-
	कुल	4306.45	6865.57	6982.91	839.17

विवरण-IV

वर्ष 2008-2009 से 2010-2011 के दौरान जिन राज्य सरकारों ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केन्द्र-प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त की है, उनके द्वारा राहत प्रदान किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार पीड़ितों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं	राज्य	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें राहत दी गई		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2371	995	2119

1	2	3	4	5s
2.	बिहार	121	180	804
3.	छत्तीसगढ़	756	975.	572
4.	गुजरात	1825	1258	58
5.	हरियाणा	95	128	171
6.	हिमाचल प्रदेश	34	41	एन.ए.
7.	झारखंड	25	एन.ए.	एन.ए.
8.	कर्नाटक	1426	1722	*3000
9.	केरल	84	31	एन.ए.
10.	मध्य प्रदेश	4053	5378	*4400
11.	महाराष्ट्र	1340	2050	*775
12.	ओडिशा	301	242	1948
13.	पंजाब	0	28	एन.ए.
14.	राजस्थान	1409	1465	1661
15.	त्रिपुरा	2	1	एन.ए.
16.	तमिलनाडु	1301	1268	*1500
17.	उत्तराखंड	0	56	*100
18.	उत्तर प्रदेश	11339	11862	*9375
	कुल	26482	27680	26483

टिप्पणी: एन.ए. - उपलब्ध नहीं है।

*अनुमानित आंकड़े

बी.पी.एल. वर्गों को अधिक खाद्यान्न का आबंटन

293. श्री एल. राजगोपाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बी.पी.एल.) परिवारों को चावल सहित अन्य खाद्यान्न अधिक मात्रा में आवंटित करने और इसका निर्यात न करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस दर पर बी.पी.एल. परिवारों को प्रदान किया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और खाद्यान्नों के अतिरिक्त आबंटन के लिए

राज्यों के अनुरोध पर विचार करते हुए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियों को वितरण करने के लिए खाद्यान्नों का समय-समय पर अतिरिक्त आबंटन करती रही है। सरकार ने 2010-11 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों यथा गेहूं 4.15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर तथा चावल 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 50 लाख टन सहित 105.66 लाख टन चावल और गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया है। इसी प्रकार वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के निर्गम मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में वितरण करने के लिए 50 लाख टन चावल और गेहूं का तदर्थ अतिरिक्त आबंटन किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के 150 निर्धनतम जिलों अथवा हमारे समाज के अत्यंत गरीब और कमजोर वर्गों में वितरण करने के लिए 5 मिलियन टन खाद्यान्नों की मात्रा आरक्षित करने हेतु आदेशों और इस संबंध में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी केन्द्रीय सतर्कता समिति से प्राप्त सिफारिशों के अनुसरम में सरकार ने 21 जुलाई, 2011 को 8 राज्यों में 45 जिलों के लिए तीन माह हेतु गरीबी रेखा से नीचे के मूल्य पर 2,57,126.67 टन चावल और गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी केन्द्रीय सतर्कता समिति की सिफारिश के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के 2 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्यों पर 210 टन गेहूं का भी आबंटन किया गया है।

सरकार ने 10 फरवरी, 2011 की अधिसूचना द्वारा 1 लाख टन "सोना मसूरी" और 25-25 हजार टन "पोनी साम्बा" तथा "मट्टा" किस्म के गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। इसके अलवा, दिनांक 19 जुलाई, 2011 की अधिसूचना द्वारा प्राइवेट खाते पर 10 लाख टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

क्लोज-सर्किट कैमरे

294. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कुल कितने क्लोज-सर्किट कैमरे लगाए गए हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश कैमरे काम नहीं करते;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कैमरों की हालत तथा कार्य की निगरानी करने का काम किसी एजेंसी के सुपुर्द किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सड़कों पर ऐसे और अधिक कैमरे लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कैमरों को कब तक लगाया जाएगा तथा इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

छाऊ नृत्य को प्रोत्साहन

295. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छाऊ नृत्य के प्रोत्साहन हेतु ओडिशा के मयूरभंज छाऊ नृत्य प्रतिष्ठान और अनुसंधान केंद्र को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान विदेश में छाऊ नृत्य की कोई प्रस्तुति हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) और (घ) जी हां।

केंद्र सरकार की सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष 2009 में प्रदर्शन

(i) रांची (झारखंड) के पुरूलिया छाऊ नृत्य समूह (उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद के नेतृत्व में) ने कुवैत में प्रदर्शन किया।

(ii) संगीत नाटक अकादमी (एस.एन.ए.), नई दिल्ली ने दक्षिण अफ्रीका में छाऊ नृत्य का प्रदर्शन आयोजित किया।

वर्ष 2010 में प्रदर्शन

श्री प्रणय सिंह के नेतृत्व में 12 सदस्यीय छाऊ समूह [भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) द्वारा प्रयोजित] ने चीन में प्रदर्शन किया।

वर्ष 2011 में प्रदर्शन

(i) श्री कार्तिकेश्वर राणा, ओडिशा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मयूर भंज छाऊ नृत्य समूह "दक्षिण साही छाऊ नृत्य मंदिर" (आई.सी.सी.आर. द्वारा प्रायोजित) ने त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रदर्शन किया।

(ii) सुश्री रंजना गौहर के नेतृत्व में आई.सी.सी.आर. ने संयुक्त समूह में छाऊ नृत्य प्रदर्शन को प्रायोजित किया, जिसने दक्षिण कोरिया में प्रदर्शन किया।

(iii) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली ने कजाखिस्तान में छाऊ नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र की स्थापना

296. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में शीतागार शृंखला के विकास हेतु एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय शीतागार विकास केन्द्र (एन.सी.सी.डी.) स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय कार्यरत, बंद पड़े तथा पूर्व प्रस्तावित शीतागारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में शीतागार प्रणाली की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए वर्ष 2004 से अब तक किए गए बजटीय आबंटन तथा व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र की स्थापना की है। इसे सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत वर्ष 2011 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

एन.सी.सी.डी. के अध्यादेश में शीत श्रृंखला क्षेत्र में दक्ष मानवश्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के अलावा ताजा फलों एवं सब्जियों सहित शीघ्र खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं हेतु शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए तकनीकी मानक निर्धारित करना एवं उनका आवधिक संशोधन करना निहित है। एन.सी.सी.डी. में निम्नलिखित समितियां गठित की हैं:

(i) तकनीकी विनिर्देशन एवं मानक समिति

(ii) परियोजना तैयारी, मूल्यांकन एवं परियोजना प्रमाणीकरण समिति

(iii) प्रशिक्षण एवं एच.आर.डी. समिति

(iv) अनु. एवं विकास समिति

(v) परीक्षण प्रयोगशाला एवं उत्पाद प्रमाणीकरण समिति

(vi) शीत श्रृंखला अवसंरचना में गैर परम्परागत उर्जा स्रोतों का अनुप्रयोग

(ख) शीर श्रृंखला की स्थापना का एन.एच.एम., एन.एच.बी., ए.पी.ई.डी.ए. और एम.ओ.एफ.पी.आई. के कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन किया जा रहा है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने एन.सी.सी.डी. की स्थापना के साथ-साथ शीत श्रृंखला अवसंरचना के सृजन हेतु ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए बजटीय प्रावधान के रूप में 25.00 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की है।

विवरण

भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत शीतागार (शीत श्रृंखला) की स्थापना के लिए सहायता

कृषि एवं सहकारिता विभाग

क. राज्यों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) - पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

घटक का ब्यौरा	अधिकतम अनुमत लागत	सहायता का प्रतिमान
1. पैक हाउस/आन फार्म संग्रहण एवं भण्डारण इकाई	9 एम x 6 एम के आकार के साथ 3.00 लाख रु./इकाई	पूंजी लागत का 50%
2. पूर्व शीतन इकाई	6 एमटी क्षमता के लिए 15.00 लाख रु.	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 40% की दर पर एवं व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 55% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त राजसहायता
3. सचल पूर्व शीतन इकाई	5 एमटी क्षमता के लिए 24.00 लाख रु./इकाई	-तदैव-
4. शीतागार इकाईयां (निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण)	50.00 एम.टी. क्षमता के लिए 6000 रु./एम.टी.	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 40% की दर पर एवं पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 55% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त राजसहायता केवल उन इकाईयों के लिए जो ऐसी नई प्रौद्योगिकियां अपनाते हैं जो इन्सुलेशन, आर्द्रता नियंत्रण एवं बहु चैम्बर प्रावधान के साथ अग्रिम शीतन प्रणाली के प्रावधान सहित ऊर्जा संरक्षी हों। विभाग द्वारा जारी तकनीकी मानक, पैमाने और नयाचार अपनाये जाने हैं।
5. सीए/एमए भण्डारण इकाईयां	5000 एमटी क्षमता के लिए 32,000 रु./एमटी	-तदैव-
6. प्रशीतित वैन/कन्टेनर	6 एमटी क्षमता के लिए 24.00 लाख रु./इकाई	-तदैव-
7. प्राथमिक/सचल/मिनिमल प्रसंस्कर इकाई	24.00 लाख रु./इकाई	-तदैव-
8. राइपनिंग चैम्बर	5000 एमटी क्षमता के लिए 60.00 रु./एमटी	-तदैव-

घटक का ब्यौरा	अधिकतम अनुमत लागत	सहायता का प्रतिमान
9. प्रचालन अवसंरचना: संग्रहण, छंटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग इकाईयों आदि के लिए	15.00 लाख रु./इकाई	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 40% की दर पर एवं व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 55% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त राजसहायता

ख. हिमाचल राज्यों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.) - केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

1. पैक हाउस/आन फार्म संग्रहण एवं भंडारण इकाई	9एम x 6एम के आकार के साथ 3.00 लाख रु./इकाई	पूंजी लागत का 50%
2. पूर्व शीतन इकाई	6 एमटी क्षमता के लिए 15.00 लाख रु.	परियोजना लागत के 55% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त राजसहायता
3. सचल पूर्व शीतन इकाई	5 एमटी क्षमता के लिए 24.00 लाख रु./इकाई	-तदैव-
4. शीत श्रृंखला इकाई (निर्माण/ विस्तार/आधुनिकीकरण)	5000 एमटी क्षमता के लिए 60.00 रु./एमटी	परियोजना की पूंजी लागत के 55% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त राजसहायता केवल उन इकाईयों के लिए जो ऐसी नई प्रौद्योगिकियां अपनाते हैं जो इन्सुलेशन, आर्द्रता नियंत्रण एवं बहु चैम्बर प्रावधान के साथ अग्रिम शीतन प्रणाली के प्रावधान सहित ऊर्जा संरक्षी हों। विभाग द्वारा जारी तकनीकी मानक, पैमाने और नयाचार अपनाये जाने हैं।
5. सीए/एमए भण्डारण इकाईयां	5000 एमटी क्षमता के लिए 32,000 रु./एमटी	-तदैव-
6. प्रशीतित वैन/कन्टेनर	6 एमटी क्षमता के लिए 24.00 लाख रु./इकाई	-तदैव-
7. प्राथमिक/सचल/मिनिमल प्रसंस्करण इकाई	24.00 लाख रु./इकाई	-तदैव-
8. राइपनिंग चैम्बर	5000 एमटी 7मता के लिए 6000 रु./एमटी	-तदैव-
9. प्रचालन अवसंरचना: संग्रहण, छंटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग इकाईयों आदि के लिए	15.00 लाख रु./इकाई	परियोजना लागत के 55% की दर पर ऋण सेजुड़ पार्श्वान्त राजसहायता

घटक का ब्यौरा	अधिकतम अनुमत लागत	सहायता का प्रतिमान
ग. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) - सभी राज्यों के लिए, केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम		
1. शीत शृंखला इकाई (निर्माण/ आधुनिकीकरण)	5000 एमटी क्षमता के लिए लिए 6000 रु./एम.टी.	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 40% की दर पर एवं पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 55% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त राजसहायता केवल उन इकाईयों के लिए जो ऐसी नई प्रौद्योगिकियां अपनाते हैं जो इन्सुलेशन, आर्द्रता नियंत्रण एवं बहु चैम्बर प्रावधान के साथ अग्रिम शीतन प्रणाली के प्रावधान सहित ऊर्जा संरक्षी हों। विभाग द्वारा जारी तकनीकी मानक, पैमाने और नयाचार अपनाये जाने हैं।
2. सीए/एमए भण्डारण इकाईयां	5000 एमटी क्षमता के लिए 32,000 रु./एमटी	-तदैव-
3. प्रशीतीत वैन/कन्टेनर	6 एमटी क्षमता के लिए 24.00 लाख रु./इकाई	-तदैव-
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई.)		
समेकित शीत शृंखला, मूल्य वर्द्धित केन्द्र पैकेजिंग एवं इराडिएशन सुविधाएं। स्कीम में निम्नलिखित घटक हैं: -फार्म स्तर पर मिनिमल प्रसंस्करण केन्द्र में वेइंग, सोर्टिंग, ग्रेडिंग, वैक्सिग, पैकिंग, पूर्व शीतन, नियंत्रित मौसम (सी.ए.)/ संशोधित मौसम (एम.ए.) शीत भंडार, सामान्य भंडार और आई.क्यू.एफ.। -सचल पूर्व शीतन वैन एवं ट्रक। -बहु उत्पाद एवं बहु सीए/एमए चैम्बर शीतागार वेरिएबल आद्रता चैम्बर, पैकिंग सुविधा, सी.आई.पी. फोग उपचार, आई. क्यू.एफ. और ब्लास्ट फ्रीजिंग सहित वितरण हब्स।	10.00 करोड़ रुपये अधिकतम	सामान्य क्षेत्रों में प्लांट एवं मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत का 50% की वित्तीय सहायता (अनुदान) और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा कठिनाई वाले क्षेत्रों (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड) के लिए 75%
वाणिज्य मंत्रालय - अपेडा		
पेरिशेबल कार्गो की स्थापना के लिए सामान्य अवसंरचना विकास सहायता		पात्रता लागत का 100%
पेरिशेबल वस्तुओं के लिए पैक हाउस एवं निर्यातोन्मुखी इकाईयां	25.00 लाख/लाभार्थी	पात्रता लागत का 25%

कृषि पर जलवायु का प्रभाव

297. श्री सी. शिवासामी:
श्री पी. कुमार:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि तापमान में वृद्धि तथा वर्षा में कमी से आगामी वर्षों में निवल कृषि राजस्व में गिरावट आएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि पर होने वाले ऐसे प्रभाव को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि फसलों, बागवानी, वानिकी, पशुधन, मात्स्यिकी आदि पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 2004 में "जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अनुकूलन और भारतीय कृषि की अतिसंवेदनशीलता" पर एक नेटवर्क परियोजना शुरू की थी। सीमित अध्ययनों से यह संकेत मिले हैं कि गेहूं को उगाने की सम्पूर्ण अवधि में प्रत्येक 1 डिग्री से. तापमान में वृद्धि से देश में गेहूं उत्पादन में लगभग 4-5 मिलियन टन के नुकसान का आकलन किया गया। तापमान में 2 डिग्री से. अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि से संकर नस्ल की गायों का दूध उत्पादन भी प्रभावित होने की संभावना है।

(ग) और (घ) जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 350 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2010-2012 अवधि के लिए एक नई स्कीम "राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल" (एन.आई.सी.आर.ए.) की शुरुआत की गई है। स्कीम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति लागत प्रभावी अनुकूलन और न्यूनीकरण नीतियों को (i) प्राकृतिक संसाधनों, प्रमुख खाद्य फसलों, पशुधन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए समुद्री और ताजाजल मात्स्यिकी पर नीतिपरक अनुसंधान, (ii) देश के 100 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में किसानों के खेतों पर उपलब्ध जलवायु अनुकूल क्रियाओं का प्रदर्शन करना, (iii) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर दीर्घावधि अनुसंधान शुरू करने के लिए वैज्ञानिकों के क्षमता निर्माण और अनुसंधान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, और (iv) प्रायोजित अनुसंधानों, के माध्यम से विकसित करना है। स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में (i) बहुविषयी अजैविक दबाव सहिष्णुता के लिए विशिष्ट जननद्रव्य का बड़ी संख्या में तेजी से स्क्रिनिंग हेतु फेनोमिक्स सिस्टम का उत्कृष्ट उपयोग, (ii) जलवायु अनुकूल क्रियाओं का भागीदारी जांच, और (iii) फसलों, प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक संघटकों सहित विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों का अतिसंवेदनशीलता का मूल्यांकन शामिल है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस की अवैध निर्माणों में संलिप्तता

298. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की अवैध निर्माणों में संलिप्तता की खबरें/शिकायतें आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कुल कितने मामले दर्ज/सूचित हुए तथा रैंक-वार कितने आरोपित कर्मियों की गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाए किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली पुलिस कार्मिकों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवैध निर्माणों में लिप्त होने की रिपोर्टें/शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 (दिनांक 30-06-2011 तक) के दौरान अवैध निर्माणों में निष्क्रियता/लिप्त होने के दोषी पाए गए पुलिस

कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई
2008	26	14
2009	75	81
2010	140	104
2011 (दिनांक 30-06-2011 तक)	121	40

(ग) से (ङ) जब कभी भी अवैध निर्माण में पुलिस कार्मिकों की निष्क्रियता अथवा उनके लिप्त होने के संबंध में कोई सूचना/मामला प्राप्त होती है/ध्यान में आता है, तब तदनुसार आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाती है।

महिलाओं और बच्चों पर हमले

299. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं और बच्चों पर ब्लेड से हमला किए जाने तथा सामूहिक बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कुल कितने मामले सूचित/दर्ज हुए तथा आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए विभिन्न निवारात्मक उपायों की वजह से ऐसे मामलों की संख्या में कमी आई है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) में महिलाओं एवं बच्चों पर हमला करने की रिपोर्टें हैं। विगत तीन वर्षों अर्थात 2008, 2009, 2010 और 2011 (30-6-2011 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए महिलाओं एवं बच्चों पर ब्लेड से हमला करने और सामूहिक बलात्कार के ऐसे मामलों तथा अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

महिलाओं एवं बच्चों पर ब्लेड से हमला करने के मामलों के ब्यौरे-

वर्ष	सूचित मामले	गिरफ्तार व्यक्ति
2008	05	05
2009	01	02
2010	07	08
2011 (30-6-2011 तक)	05	07
सामूहिक बलात्कार के मामलों के ब्यौरे:-		
2008	38	98
2009	44	113
2010	49	115
2011 (30-6-2011 तक)	18	48

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) महिला पुलिस की मौजूदगी के लिए अपेक्षित असुरक्षित स्थानों यथा विश्वविद्यालय क्षेत्र, बस स्टाप इत्यादि की पहचान करना। महिलाओं के प्रति अपराध संभावित ऐसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए महिला पुलिस की तैनाती बीट और पी.सी.आर. वैनों में की गई है। नॉर्थ और साऊथ कैम्पस में महिलाओं के सर्वाधिक स्टाफ वाले दो पुलिस स्टेशन खोले गये हैं।

(ii) सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डैस्क गठित किए गए हैं और महिला कर्मचारियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए बी.पी.ओ. कारपोरेट और मीडिया हाऊस को सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निदेश जारी करके उनकी सुरक्षा के विशेष उपाय किए गए हैं।

(iii) पी.सी.आर. वैनों को असहाय महिलाओं की सहायता करने के निदेश दिए गए हैं।

(iv) महिला हेल्पलाईन-1091 और एन्टी-ऑबसीन कॉल/एन्टी-स्टॉकिंग हैल्पलाईन-1096 जैसी हैल्पलाइनें आरम्भ की गई हैं।

(v) दिल्ली पुलिस ने मानव दुर्व्यापार इकाइयों (ए.एच.टी.यू.) की स्थापना सभी जिलों में की है और गुमशुदा बच्चों के संबंध में एस.ओ.पी. तैयार किया है जिसमें गुमशुदा बच्चों के संबंध में तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करने और ऐसे मामलों में समुचित जांच संबंधी कार्रवाई करना अनिवार्य बनाया गया है।

[अनुवाद]

इदुक्की पैकेज का कार्यान्वयन

300. श्री पी.टी. थॉमसः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इदुक्की पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सरकार ने केरल के इदुक्की जिले में कृषि विपदा के शमन हेतु पैकेज के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग तंत्र अनुमोदित किया है। कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग तंत्र में नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने, दिशानिर्देश देने एवं काम के कार्यान्वयन की मानिटरिंग के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में इदुक्की एश्वर्या समिति का गठन शामिल है। दूसरी पंक्ति की व्यवस्था में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इदुक्की कर्मा समिति आती है जो काम के कार्यान्वयन के लिए सभी जिन्स बार्डो एवं सरकारी संस्थानों को एकल कमान के तहत लाने में मदद करती है। मासिक कार्यकलापों का समेकन करने, मानीटर करने एवं पैकेज के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में परियोजना मानीटरिंग समिति है। इसके अलावा, इदुक्की पैकेज के कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने के लिए अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में एक समन्वयन समिति गठित की गई है। ये समितियां इदुक्की पैकेज के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित आधार पर बैठक करती हैं।

(ग) इदुक्की पैकेज के तहत विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 764.45 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में राज्य सरकार एवं जिन्स बोर्ड ने 396 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं जिसमें से विभिन्न कार्यों के लिए 234 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

शृंखलाबद्ध बम-विस्फोट

301. श्री तथागत सत्पथीः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में मुम्बई में हुए शृंखलाबद्ध बम-विस्फोटों से सरकार के खुफिया तंत्र की तैयारी न होना जाहिर हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन विस्फोटों में आई.एस.आई. का हाथ होने का अंदेशा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में बम-विस्फोट की घटनाएं रोकने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जांच का कार्य प्रगति पर है।

(ङ) आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की ताकत को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों में सी.आई.एस.एफ. की तैनाती करने के लिए सी.आई.एस.एफ. अधिनियम में संशोधन; चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन.एस.जी. हबों की स्थापना; आपात स्थिति में एन.एस.जी. के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एन.एस.जी. को शक्तियां प्रदान करना; बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य

कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबीसों घण्टे निगरानी और गश्त लगा करके प्रभावकारी सीमा प्रबंधन; प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना, आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार, सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दों और इसके सभी पहलुओं, जिसमें इसका वित्तपोषण शामिल है, को बहु-पक्षीय एवं द्वि-पक्षीय मंचों पर और बहु-स्तरीय द्वि-पक्षीय परिसंवादों में भी लगातार उठाती रही है।

खेलों के संवर्धन के लिए नए मार्गनिर्देश

302. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेलों के संवर्धन तथा विकास हेतु राज्य सरकारों को कोई नए मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सरकार ने खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण और विकास, कोचिंग और अवसंरचना जैसे मुद्दों के समाधान के लिए शहरी खेल अवसंरचना के सृजन को समर्थन प्रदान करने हेतु 2010 में एक प्रायोगिक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों, स्थानीय, नागरिक निकायों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तथा खेल नियंत्रण बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत सिंथेटिक खेल सतह तथा बहुउद्देशीय इंडोर हैल जैसी खेल अवसंरचना के सृजन के लिए 4.5 करोड़ रु. से 6.00 करोड़ रु. तक का अनुदान अनुमत है। स्कीम के अंतर्गत जारी दिशानिर्देश संलग्न विवरण में हैं। इस योजना के प्रति राज्यों का प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक है।

विवरण

शहरी खेल अवसंरचना स्कीम की मुख्य बातें

- स्कीम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सामुदायिक खेल मैदानों को प्रोत्साहन, सहायता और संरक्षण के लिए एक तंत्र को समर्थन देती है।

- स्कीम कमियों को दूर करके राज्यों में पहले से उपलब्ध खेल अवसंरचना के उपयोग को समर्थन देती है।

- स्कीम वित्तीय व्यवहार्यता के अधीन आवश्यकता आधारित खेल अवसंरचना के सृजन को समर्थन देती है।

- स्कीम सामुदायिक कोचों सहित कोचों के बीच क्षमता निर्धारण का संवर्धन करती है।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जारी करने के मामले में निम्नलिखित तरह की खेल अवसंरचना को अन्य पर प्राथमिकता दी जाएगी।

  1. सिंथेटिक खेल सतह (हाकी, फुटबाल और एथलेटिक हेतु)

  2. बहुउद्देशीय इंडोर हॉल

- उपर्युक्त खेल अवसंरचना परियोजनाओं के सृजन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्राह्य सहायता अनुदान की राशि 4.50 करोड़ रु. से 6 करोड़ रु. तक है।

- स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय नागरिक निकाय केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, खेल नियंत्रक बोर्ड सहायता के पात्र होंगे।

- स्कीम के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन स्कीम में दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही किया जा सकता है।
- किसी भी राज्य को एक वर्ष में एक से अधिक परियोजना नहीं मिलेगी।

पी.एस.एफ. में महिला बटालियन

303. श्री के.पी. धनपालन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) में महिलाओं की बटालियनें/यूनिटें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मद-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसी यूनिटें/बटालियनें स्थापित करने के लिए केरल सहित अन्य राज्यों में किन-किन स्थलों की पहचान की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने बी.एस.एफ. ने महिला कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी है। बी.एस.एफ. में महिला कांस्टेबलों की वर्तमान संख्या 754 है। बी.एस.एफ. में दो महिला बटालियनों को गठित करने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इन बटालियनों के लिए स्थानों का निर्णय सभी लिया जायेगा जब महिला बटालियनों के गठन का निर्णय ले लिया जायेगा।

[हिन्दी]

दूध के मूल्य में वृद्धि

304. श्रीमती मीनासिंह:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री संजय सिंह चौहान:
श्री विजय बहादुर सिंह:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दूध के उत्पादन तथा खपत का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दूध का मूल्य कई बार बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दूध के दाम कम करने तथा देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) 2009-10 के दौरान देश में अनुमानित दुग्ध उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 2004-05 के दौरान दूध की अनुमानित खपत संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 2009-10 के दौरान दूध का थोक मूल्य (बेस 2004-05=100) 04-04-2009 को 133.1 और 27-03-2010 को 170.5 था। 2010-11 के दौरान दूध का थोक मूल्य 03-04-2010 को 170.5 और 26-03-2011 को 177,1 था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 02-04-2011 को दूध का थोक मूल्य 177.4 और 09-07-2011 को 193.5 था। मूल्य में वृद्धि मुख्यत: उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी के कारण हुई।

(घ) दूध का मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता। सरकार ने घरेलू बाजार में तरल दूध की उपलब्धता में वृद्धि करने और दूध तथा दूध के उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं-

1. मेट्रो डेयरियों और राज्य दुग्ध संघों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए टैरिफ दर कोटा के अन्तर्गत 0% रियायत शुल्क पर राष्ट्रीय डेयरी विकास को लगभग 30,000 मीट्रिक टन स्किम्ड दूध पाउडर, सम्पूर्ण दूध पाउडर, तथा 15,000 मीट्रिक टन मक्खन बटर ऑयल और अन्हाइड्रास दुग्ध वसा का आयात करने की अनुमति दी गई थी।
2. 18-02-2011 से दूध के पाउडर (जिसमें स्किम्ड दूध पाउडर, सम्पूर्ण दूध पाउडर, डेयरी वाइटनर और शिशु दुग्ध आहार भी शामिल है) केसिन और

केसिन उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

3. दूध और दूध के उत्पादों के लिए विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना के अन्तर्गत निर्यात प्रोत्साहनों को वापस ले लिया गया है।

4. राज्य दुग्ध संघों को निर्देश दिये गये हैं कि वे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर पर्याप्त तरल दूध उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें।

भारत सरकार दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:-

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
2. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम
3. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

विवरण-I

दुग्ध उत्पादन का राज्यवार अनुमान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2009-10
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10429
2.	अरुणाचल प्रदेश	26
3.	असम	756
4.	बिहार	6124
5.	छत्तीसगढ़	956
6.	गोवा	59
7.	गुजरात	8844
8.	हरियाणा	6006
9.	हिमाचल प्रदेश	836
10.	जम्मू और कश्मीर	1604
11.	झारखंड	1463
12.	कर्नाटक	4822
13.	केरल	2537
14.	मध्य प्रदेश	7167
15.	महाराष्ट्र	7679
16.	मणिपुर	78
17.	मेघालय	78
18.	मिजोरम	11
19.	नागालैंड	78
20.	ओडिशा	1651
21.	पंजाब	9389
22.	राजस्थान	9548
23.	सिक्किम	46
24.	तमिलनाडु	5778
25.	त्रिपुरा	100
26.	उत्तर प्रदेश	20203
27.	उत्तराखंड	1377
28.	पश्चिम बंगाल	4300
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24
30.	चंडीगढ़	46
31.	दादरा और नगर हवेली	10
32.	दमन और द्वीप	1
33.	दिल्ली	466
34.	लक्षद्वीप	2
35.	पुडुचेरी	46
	अखिल भारत	112540

स्रोत: राज्य/संघ शासित प्रदेश पशुपालन विभाग।

विवरण-II

राज्यवार प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दुग्ध की अनुमानित खपत

(लीटर में)

क्र. सं.	राज्य	(जुलाई 2004 से जून, 2005)	
		ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.051	4.375
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.634	1.471
3.	असम	1.310	1.998
4.	बिहार	2.978	3.814
5.	छत्तीसगढ़	0.667	2.989
6.	गोवा	3.193	3.920
7.	गुजरात	4.975	6.702
8.	हरियाणा	13.126	9.585
9.	हिमाचल प्रदेश	8.720	8.166
10.	जम्मू और कश्मीर	8.017	8.313
11.	झारखंड	1.442	3.935
12.	कर्नाटक	3.299	4.866
13.	केरल	2.822	3.656
14.	मध्य प्रदेश	3.413	4.326
15.	महाराष्ट्र	2.727	4.393
16.	मणिपुर	0.172	0.333
17.	मेघालय	0.769	1.914
18.	मिजोरम	0.395	1.815
19.	नागालैंड	0.291	0.867
20.	ओडिशा	0.779	2.246
21.	पंजाब	11.545	10.574

1	2	3	4
22.	राजस्थान	9.498	7.379
23.	सिक्किम	5.568	4.918
24.	तमिलनाडु	2.480	4.823
25.	त्रिपुरा	1.069	2.113
26.	उत्तर प्रदेश	4.637	5.100
27.	उत्तराखंड	6.599	6.398
28.	पश्चिम बंगाल	1.453	2.590
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.447	1.578
30.	चंडीगढ़	8.182	10.459
31.	दादरा और नगर हवेली	0.866	5.691
32.	दमन और द्वीप	3.549	4.827
33.	दिल्ली	6.539	8.204
34.	लक्षद्वीप	0.216	0.269
35.	पुडुचेरी	2.917	4.883
	अखिल भारत	3.866	5.107

स्रोतः राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

[अनुवाद]

शहद उत्पादन

305. श्री जगदानंद सिंह:

श्री मंगनी लाल मंडल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहद का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता दे रही है ताकि वे मधुमक्खी पालन विकास हेतु किसानों की मदद कर सकें;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों को प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के तहत शहद उत्पादन के साथ-साथ फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए परागन सहायता के लिए किसानों/मधुमक्खी प्रजनकों को सहायता प्रदान कर रही है।

(ख) पिछले चार वर्षों के लिए राज्यवार सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण पर हैं।

(ग) सरकार ने शहद के विकास एवं उत्पादन हेतु वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एन.बी.बी.) को प्रोत्साहित किया है।

विवरण

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन घटक के लिए प्रदान की गई सहायता

भौतिक: सं. में

वित्तीय: लाख रु. में

राज्य	शीर्ष	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		कुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	भौतिक										0
	वित्तीय									0	0
बिहार	भौतिक		1380	1000	947	800	345		389	1800	3061
	वित्तीय	0	10.37	6.8	7.57	5.44	3.78	0	6.69	12.24	28.41
छत्तीसगढ़	भौतिक	8000						3284	0	11284	0
	वित्तीय	54.4	0			0	0	30.71	0	85.11	0
दिल्ली	भौतिक		70		30					0	100
	वित्तीय	0	0.56	0	2.4	0	0	0	0	0	2.96
गोवा	भौतिक								27	0	27
	वित्तीय							0	0.34	0	0.34
गुजरात	भौतिक	750	500		20			1003	551	1753	1071
	वित्तीय	5.1	4	0	1.46			13.72	5.32	18.82	10.78
हरियाणा	भौतिक	55fi3	6000	5	12000	47000	15140	16108	32813	68676	65953
	वित्तीय	37.83	44.5	10.63	48	319.6	124.14	128.35	222.04	496.41	438.68
झारखण्ड	भौतिक				1437	1500	900	1400	2800	2900	5137
	वित्तीय			0	11.24	10.2	13.6	8.93	21	19.13	45.84
कर्नाटक	भौतिक	7250	2170	14000	9546	9644	8554	12120	12577	43014	32847
	वित्तीय	49.3	24.52	95.2	76.37	65.58	67.73	83.64	100.02	293.72	268.64
केरल	भौतिक	5000	20000	15000			20216	0	7400	20000	47616
	वित्तीय	34	85.12	102	43.52	0	129.5	0	104.47	136	362.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्य प्रदेश	भौतिक									0	0
	वित्तीय	0	0.02	0	0	0	0			0	0.02
महाराष्ट्र	भौतिक	1303			175	245	40	0	1519	1548	1734
	वित्तीय	8.86	0	0	2.95	2.94	0.09	0	12.47	11.8	15.51
ओडिशा	भौतिक	92			813					92	813
	वित्तीय	0.63	0	0	6.5			0	0	0.63	6.5
पुडुचेरी	भौतिक							2		2	0
	वित्तीय							0.12	0	0.12	0
पंजाब	भौतिक	2365	6024	500	2675	4089	6916	5900	89	12854	15704
	वित्तीय	16.08	48.19	3.4	21.4	27.81	57.08	37.41	0.75	84.7	127.42
राजस्थान	भौतिक	10000	10520	2000	7080	2500	5060	8000	8545	22500	31205
	वित्तीय	68	80.29	13.6	54.99	17	37.97	51	51.48	149.6	224.73
तमिलनाडु	भौतिक	899	4900	2680	6655	2722	2760	1000	545	7301	14860
	वित्तीय	6.11	35.68	18.22	53.22	18.51	21.2	6.38	4.14	49.22	114.24
उत्तर प्रदेश	भौतिक	12165	6380		10760	13515	12045	7046	8176	32726	37361
	वित्तीय	82.72	110.27	0	82.33	91.9	97.25	55.71	64.05	230.33	353.9
पश्चिम बंगाल	भौतिक		397		24626		631	6868		6868	25654
	वित्तीय	0	3.18	0	197	0	5.05	52.71	0	52.71	205.23
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	भौतिक				70	700	580	600	684	1300	1334
	वित्तीय			0	0.56	4.76	4.32	5.3	8.21	10.06	13.09
कुल	भौतिक	53387	58341	35185	76834	82715	73187	63331	76115	234618	284477
	वित्तीय	363.03	446.7	249.85	609.51	563.74	561.71	473.98	600.98	1650.6	2218.9

[हिन्दी]

आंतरिक सुरक्षा को खतरा

306. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवाद और आतंकवाद से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रव्यापी वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद का परिदृश्य गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नक्सली हिंसा और मारे गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है। इसी प्रकार पिछले तीन वर्षों के दौरान आतंकवादी घटनाएं और उसमें मारे गए व्यक्तियों की संख्या विवरण-II में संलग्न है।

(ग) सरकार आतंकवाद, उग्रवाद और पृथकतावाद से, इसके सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों में, निपटने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि कोई भी मामला, चाहे वह वास्तविक अथवा काल्पनिक हो, आतंकवाद अथवा हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है। आतंकवाद और उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की ताकत को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों में सी.आई.एस.एफ. की तैनाती करने के लिए सी.आई.एस.एफ. अधिनियम में संशोधन; चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन.एस.जी. हबों की स्थापना; आपात स्थिति में एन.एस.जी. के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एन.एस.जी. को शक्तियां प्रदान करना; बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबीसों घण्टे निगरानी और गश्त लगा करके प्रभावकारी सीमा प्रबंधन; प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना, आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अकिरिक्त, सरकार, सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दों और इसके सभी पहलुओं, जिसमें इसका वित्तपोषण शामिल है, को बहु-पक्षीय एवं द्वि-पक्षीय मंचों पर और बंहु-स्तरीय द्वि-पक्षीय परिसंवादों में भी लागतार उठाती रही है।

विवरण-I

देश में नक्सलवाद की हिंसा प्रोफाइल

वर्ष	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति
2008	1591	721
2009	2258	908
2010	2212	1003
2011 (15 जुलाई 2011 तक)	977	319

विवरण-II

दिनांक 2008-2011 के बीच आतंकवादी हिंसा

तारीख	घटनाएं	हताहत	
		मारे गए	घायल हुए
13-7-2011	मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम धमाका	25	130
7-12-2010	वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में बम विस्फोट	02	42
19-09-2010	जामा मस्जिद (दिल्ली) में गोलीबारी और विस्फोट	-	02
17-04-2010	चिन्नास्वामी स्टेडिरूम विस्फोट	-	14
13-2-2010	पुणे में बम विस्फोट	17	55
16-10-2009	मरगावों विस्फोट	02	-
26-11-2008-28-11-2008	मुम्बई में आतंकवादी हमले	174	292
29-9-2008	मालेगांव महाराष्ट्र में बम विस्फोट	06	29
29-9-2008	साबरकांठा, गुजरात में बम विस्फोट	01	10
27-9-2008	महरौली, दिल्ली में बम विस्फोट	01	23
13-9-2008	दिल्ली में पांच बम विस्फोटों की श्रृंखला	22	131
26-7-2008	अहमदाबाद में 18 बम विस्फोटों की श्रृंखला	57	157
25-7-2008	बंगलौर में 8 बम विस्फोटों की श्रृंखला	01	08
13-5-2008	जयपुर में बम विस्फोटों की श्रृंखला	68	150
1-1-2008	रामपुर में सी.आर.पी.एफ. ग्रुप सेंटर पर हमला	08	03

अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

307. श्री भूदेव चौधरी:

श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में सरकार द्वारा कितनी अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत किया गया है;

(ख) कितनी कालोनियों के नियमितीकरण के लिए विभिन्न विभागों के साथ परामर्श किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार नियमितीकरण के लिए जिन कालोनियों पर विचार किया जा रहा है, के विकास के प्रभारों के भुगतान करने में छूट प्रदान करने का है जो वर्ष 2002 से पूर्व बसी थीं लेकिन वर्ष 2008 में 50 प्रतिशत घरों का निर्माण हुआ था और उनमें बड़ी संख्या में आबादी रहती है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे संबंधित अधिसूचना में

आवश्यक संशोधन किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षो के दौरान कोई कालोनी नियमित नहीं की गई है।

(ख) 1639 कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नारियल पाम बीमा योजना

308. श्री एंटो एंटोनी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में नारियल पाम बीमा योजना (सी.पी.आई.एस.) लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इससे वर्ष-वार और राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं तथा इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल उत्पादकों के लाभ के लिए वर्ष 2009-10 में एक पाईलेट नारियल पाम बीमा स्कीम (सी.पी.आई.एम.) शुरू की गई थी। 4 वर्ष से 60 वर्ष तक के नारियल पौधों को शामिल किया जाता है। पौधे के कुल क्षतिमर जाने/बेकार हो जाने पर बीमा कवरेज की सुविधा दी जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रीमियम में पचास प्रतिशत और संबंधित राज्य सरकार द्वारा पच्चीस प्रतिशत की राजसहायता दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पाईलेट को जारी रखा गया है।

(ग) लाभार्थियों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य	2009-10	2010-11
गोवा	12	228
आन्ध्र प्रदेश	09	
पश्चिम बंगाल	415	
केरल		30844
महाराष्ट्र		1108
कर्नाटक		345
तमिलनाडु		1489

यह स्कीम मांग आधारित है अतः राज्यवार राशि निर्धारित नहीं की जाती है। केन्द्र सरकार की राजसहायता की प्रतिबद्ध देयताओं की तुलना में 2009-10 और 2010-11 के दौरान क्रमशः 10 लाख रुपये और 85 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011-12 में 100 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद के लिए भुगतान

309. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में खरीदे गए गेहूं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों को गेहूं खरीद के मूल्य के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम और राज्यों के बीच खरीद के भुगतान तथा खाद्यान्न भंडार के अनुरक्षण के संबंध में कोई समन्वय है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों की सुरक्षा तथा समुचित भंडारण एवं किसानों को खरीद मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में खरीदे गए गेहूं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) गेहूं की खरीदारी के खाते पर किसानों को विलंब से भुगतान करने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रत्येक रबी विपणन मौसम की शुरुआत से पहले गेहूं खरीद वाले राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की एक बैठक विभाग में आयोजित की जाती है ताकि गेहूं की खरीदारी की व्यवस्थाओं का समन्वय किया जा सके। प्रत्याशित उत्पादन के आधार पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए मंडियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर अपेक्षित संख्या में क्रय केन्द्र स्थापित करती हैं। खरीदे गए स्टाक का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित समय के अंदर राज्य एजेंसियों को कर दिया जाता है। खाद्यान्नों के सुरक्षित और उचित भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

रबी विपणन मौसम 2008-09 से 2011-12 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	पंजाब	99.41	107.25	102.09	109.57
2.	हरियाणा	52.37	69.24	63.47	68.91
3.	उत्तर प्रदेश	31.38	38.82	16.45	34.60
4.	मध्य प्रदेश	24.10	19.68	35.38	48.94
5.	बिहार	5.00	4.97	1.83	4.37
6.	राजस्थान	9.35	11.52	4.76	13.02
7.	उत्तराखंड	0.85	1.45	0.86	0.42
8.	चंडीगढ़	0.10	0.12	0.09	0.07
9.	दिल्ली	0.06	-	0.1	0.08
10.	गुजरात	4.14	0.75	0.01	1.05
11.	झारखंड	0.02	-	नगण्य	-
12.	महाराष्ट्र	0.10	-	-	-
13.	हिमाचल प्रदेश	-	0.01	नगण्य	नगण्य
14.	जम्मू और कश्मीर	0.01	0.01	-	-
15.	पश्चिम बंगाल	-	-	0.09	-
	जोड़	226.89	253.82	225.14	281.04

विवरण-II

खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाना होता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाना होता है।

(iii) लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथिन की चद्दरों जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का उपयोग फर्श से नमी आने को रोकने के लिए किया जाना होता है।

(iv) सभी गोदामों में प्रधूमक कवर, नॉइलान की रस्सियां, जाल और भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए कीटनाशक प्रदान किए जाने होते हैं।

(v) भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर (प्रधूमन) उपचार नियमित रूप से और समय से किए जाने होते हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में मूषक नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाने होते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिंथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाने होते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाना चाहिए और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाना चाहिए।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाने होते हैं।

(ix) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' सिद्धांत का यथा संभव सीमा तक पालन किया जाना होता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल की जानी होती है ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

किसानों को प्रोत्साहन

310. श्री रामकिशुन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य के किसानों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ अन्य राज्य के किसानों को भी खाद्यान्न का अधिक उत्पादनकरने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का उत्पादन 472.44 लाख टन आंकलित है जो सभी राज्यों में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन है।

(ग) और (घ) भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), समेकित तिलहन, दलहन, मक्का और आयलपाम स्कीम (आइसोपाम), बृहत् कृषि प्रबंधन के अंतर्गत चावल/गेहूं/मोटे अनाज (मक्के को छोड़कर) के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन गांवों का समेकित विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) और सामान्य आर.के.वी.वाई. स्कीम की उप स्कीम गहन बाजरा संवर्धन के माध्यम से पोषक तत्व सुरक्षा हेतु पहल के विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के किसानों को सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों के अंतर्गत गुणवत्ताप्रद बीजों की खरीद, लघु पोषक तत्व, जिप्सम, फार्म उपकरण आदि के

लिए किसानों को सहायता प्रदान करती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से खेतों में किसानों हेतु प्रौद्योगिकी का अंतरण और किसानों की क्षमता निर्माण भी भी ध्यान दिया जाता है।

[अनुवाद]

फोन टैपिंग के मामले

311. श्री यशवीर सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यक्तियों के फोन टैपिंग करने संबंधी मानदंड और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कानून के अंतर्गत वैयक्तिक क्षमता में फोन टैपिंग की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में अधिरोपित शास्तियों/दंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) निजी क्षमता में वैयक्तिक फोन टैपिंग के लिए संस्थापित की जा रही फोन टैपिंग मशीनों तथा उपयोग की गई मशीनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ व्यक्तियों ने निजी रूप से दिल्ली विशेषत: मंडी हाउस के समीप वैयक्तिक फोन टैपिंग के लिए मशीनें लगाई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अवैध रूप से फोन टैप करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;

(छ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई चांज कराई है तथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) भारतीय तार अधिनमियम, 1885 की धारा 5(2) में वे शर्तें दी गई हैं जिनके तहत संदेश/वार्ता में हस्तक्षेप करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय तार (संशोधन) नियम 2007 में भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के उपबंधों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया और उस पर निगरानी रखने के तंत्र का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय बेतार अधिनियम, 1933 और भारतीय तार अधिनियम, 1885 में अवैध रूप से फोन टैपिंग करने/हस्तक्षेप करने या ऐसे उपकरण रखने के लिए दंड देने का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) से (ज) तार अधिनियम के तहत ऐसा कोई मामला/शिकायत दर्ज नहीं की गई है जिसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा फोन टैपिंग किये जाने का आरोप लगाया गया हो। तथापि, केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों ने यह तथ्य प्रकट किया है कि ऑफ-दि-इयर जी एस.एम. मानीटरिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण, एक डुएल यूज आइटम था जिसकी जरूरत/प्रयोग टेलिकॉम सेवा प्रदानकर्ताओं और अन्यों द्वारा भी सामान्य टेलीकॉम परिचालनों में किया जाता है। उचित सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 15 जुलाई, 2010 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना संख्या 53/2009-14 के तहत ऐसे उपकरण को ओ.जी.एल. सूची से हटा दिया गया है। इसके अलावा, दूर संचार विभाग ने दिनांक 31-12-2010 की प्रेस विज्ञप्ति के तहत उन व्यक्तियों और कम्पनियों को निर्देश दिया है, जिन्होंने मॉनीटरिंग/हस्तक्षेप और संचार उपकरणों पर निगरानी रखने में सक्षम उपकरणों/उप-प्रणालियों का आयात, प्रापण किया है/किया था या जिनके पास यह उपकरण है/था, संबंधित ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्म में अपने-अपने टेलीकॉम इन्फोंसमेंट, रिसोर्स और मॉनीटरिंग (टी.ई.आर.एम.) सेल, दूरसंचार विभाग को प्रदान करें।

[हिन्दी]

हिंसा की घटनाएं

312. श्री जितेन्द्र सिंह बंदेला: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों से पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो मुआवजे के संवितरण की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की कथित घटनाओं के बारे में 10 शिकायतों की जांच की थी। इनमें राजस्थान, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश प्रत्येक राज्य से 2 मामले और छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा तथा कर्नाटक प्रत्येक राज्य से एक मामला शामिल है।

(ग) और (घ) एन.एच.आर.सी. के अनुरोध पर, उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से हिंसा के 14 पीड़ितों के नजदीकी रिश्तेदारों को 28 लाख रुपए की मौद्रिक राहत प्रदान की है और इनमें से 6 को 'केन्द्रीय आतंकवाद एवं साम्प्रदायिक हिंसा सहायता योजना' में से 3 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत भी प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ से संबंधित एक मामले में, राज्य सरकार ने 2 मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को प्रति मृतक 3 लाख रुपए और 3 घायलों को प्रति घायल 50,000 रुपए का भुगतान किया।

राजस्थान सरकार ने एक मामले में मृतकों के नजदीकी रिश्तेदार के लिए प्रति मृतक 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक पीड़ित के लिए 50,000 रुपए की मौद्रिक राहत की घोषणा की है। अन्य मामले में, राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के पीड़ितों को स्वीकार्य वित्तीय राहत भी प्रदान की है।

उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता

313. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की खराब गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने तथा इनकी मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी हां। भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन (एन.सी.एच.) और कंज्यूमर ऑनलाइन रिसॉर्स एंड एम्पावरमैंट सैन्टर (कोर) नई दिल्ली को भी कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की खराब गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) लाइसेंस विनिर्माताओं को, आई.एस.आई. चिन्हित उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उन्हें बाजार में भेजने से पहले संगत उत्पाद के परीक्षण और निरीक्षण स्कीम का अनुपालन करने की आवश्यकता है। संगत भारतीय मानक के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नमूने भी निकाले जाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अनुसार, यदि केंद्रीय सरकार की, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा-

क. किसी अनुसूचित उद्योग की ऐसी किसी वस्तु अथवा प्रसंस्करण को अधिसूचित कर सकेगी जो भारतीय मानक के अनुरूप होगा; और

ख. ऐसी किसी वस्तु या प्रसंस्करण पर किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिन्ह के अनिवार्य रूप से प्रयोग का निदेश दे सकेगी।

वस्तु मूल्य बाजार ताकतों द्वारा निर्धारित होते हैं।

विवरण

भारतीय मानक ब्यूरो

क्र. सं.	वर्ष	शिकायतों की संख्या	उत्पाद
1	2	3	4
1.	2008-09	51	अनप्लास्टीसाइज्ड पी.वी.सी. पाइप, जूट बैग, सीमेंट पेंट, इलेक्ट्रिक केबल्स,

1	2	3	4
			रॉट अल्यूमिनियम यूटेंसिल, स्टील ट्यूब्ज, प्रेशर कुकर, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिक फूड मिक्सचर, आयोडाइज्ड साल्ट, स्प्रिंकलर पाइप, सिंचाई के लिए पॉलीइथाइलीन पाइप, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, इलेक्ट्रिक वॉट-आवर मीटर, हीटिंग एलिमेंट, पैकेज्ड नेचूरल मिनरल वाटर, आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, प्रोटेक्टिव हेलमेट, सबमर्सिबल पम्प, इलेक्ट्रिक स्विच एंड सॉकेट, ड्राई बैटरी, सीमलैस गैस सिलेंडर, गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक आयरन।
2.	2009-10	27	पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, एल्यूमिनियम कंडक्टर, इलैक्ट्रिक वॉट-आवर मीटर, सीलिंग फेन, इलेक्ट्रिक केबल, स्टील ट्यूब, अमोनिया प्रीजर्वड कंसेंट्रेटड नेचूरल रबर लेटेक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, प्रैशर कुकर, डीजल इंजिन, इलेक्ट्रिक आयरन, पैराफिन वैक्स, सीमेंट पेंट, प्रीकॉस्ट कंक्रीट पाइप, इलैक्ट्रिक फूड मिक्सचर।
3.	2010-11	22	फायर रजिस्टैंट क्लॉथ, प्रैशरकुकर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, एच.एस.डी. बार, पावर थर्शस, इलैक्ट्रिक स्विच, अनप्लास्टीसाइज्ड पी.वी.सी. पाइप, हैंडलूम कॉटन गेज, मिलक पावडर, इलैक्ट्रिक वाट-आवर मीटर, मोल्डीड सालिड रबड़ सोल्स एंड हील्स, गैस स्टोव, सॉयल डीस्चार्ज के लिए यू.पी.वी.सी. पाइप, सेफ, न्यूमेटिक पैसेन्जर कार टायर।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन

ब्यौरे	2008-09	2009-10	2010-11
खराब उपभोक्ता उत्पादों की शिकायतें	2964	2442	3048
खाद्य उत्पादों की खराब गुणवत्ता की शिकायतें	319	106	182

कंज्यूमर ऑनलाइन रिसोर्स एंड एम्पावरमैंट सैंटर (कोर)

नोकिया, ब्रिटानिया बिस्किट, लिज्जत पापड़, मैगी और इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

[अनुवाद]

बहुफसलीय प्रौद्योगिकी

314. श्री वैजयंत पांडा:

श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने ओडिशा सहित तटीय राज्यों में बहुफसलीय प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई साध्यता अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के अन्य भागों में भी उक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग/विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में जल प्रबन्ध निदेशालय, भुवनेश्वर

ने ओडिशा के गहरे तटीय जलाक्रान्त क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि एवं इसे स्थिर एवं बढ़ाने के लिए "तालाब आधारित कृषि प्रणाली" के रूप में बहुफसलीय तकनीक विकसित की है। इस तकनीक में खरीफ में गहरे पानी में बोया जाने वाला चावल तथा बांधों पर सब्जियों के रूप में लवण सहिष्णु सब्जियां जैसे तरबूज, भिण्डी, पालक, मिर्च तथा तालाब में जलजंतु पालन शामिल है।

(ग) और (घ) ओडिशा के पुरी जिले के सत्यावादी ब्लॉक के अलीशा तथा चौराली गांवों तथा सदन ब्लॉक के तलजंगा गांव में व्यवहार्यता अध्ययन किये गये हैं। ये अध्ययन 200 प्रतिशत तक की फसल गहनता में बढ़ोतरी तथा रु. 35,000 हैक्टर शुद्ध लाभ दर्शाते हैं।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय समन्वित जल प्रबन्ध परियोजना के सहयोगी केन्द्रों के जरिए इसी प्रकार की दशाओं के तहत इस तकनीक को अपनाया जा रहा है। इस समय चिपलिमा (ओडिशा), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) चलाईकुडी (केरल) में स्थित केन्द्र अनुकूली अनुसंधान कर रहे हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न होना

315. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पुलिसकर्मियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें/रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ऐसी कितनी शिकायतें/मामलों का पता चला है; और

(ग) पुलिसकर्मियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के लिए वर्ष 2011 में केन्द्र सरकार द्वारा जरी सलाह/दिश-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और 'लोक व्यवस्था' राज्यों के विषय होने के कारण अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण तथा जांच करने और इसमें संलिप्त अभियुक्तों/अपराधियों को अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अभियोजित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि, जब कभी किसी आपराधिक मामले में राज्य पुलिस द्वारा मामले का पंजीकरण न करने अथवा अनुचित जांच-पड़ताल करने के संबंध में प्रभावित पक्षों अथवा संसद सदस्यों/अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उन्हें यथोचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.), जो देश में अपराध संबंधी आंकड़ों का संकलन करता है, देश के विभिन्न भागों में पुलिस कार्मिकों द्वारा एफ.आई.आर.दर्ज न करने की शिकायतों से संबंधित जानकारी नहीं रखता है। तथापि, केन्द्र सरकार, अपराध की रोकथाम करने के मामले को उच्च प्राथमिकता देती है और अपराध को रीकथाम, पंजीकरण, जांच और अभियोजन के संबंध में दिनांक 16 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह जारी की गई है।

गन्ना विकास

316. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात की जानकारी मिली है कि गन्ना किसानों ने अन्य फसल उगाना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) जी, नहीं। राज्यों से ऐसी कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई। तथापि गन्ने के अच्छे मूल्य भुगतानों के कारण प्रमुख राज्यों में गन्ना फसल के अंतर्गत क्षेत्र वर्ष 2009-10 में 41.75 लाख हैक्टे. से बढ़कर 2010-11 में 49.44 लाख हैक्टे. हो गया है (चतुर्थ अग्रिम अनुमान)। वर्ष 2011-12 के दौरान गन्ने के अंतर्गत अब तक लगभग 52.00 लाख हैक्टे. क्षेत्र कवर किए गए हैं।

[हिन्दी]

बीजों का मूल्य निर्धारित करना

317. श्री मकनसिंह सोलंकी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित बीजों का मूल्य निर्धारित करने के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित बीजों का मूल्य निर्धारित नहीं किए जाने के कारण गरीब जनजातीय किसान बेहतर गुणवत्ता वाले बीज खरीदने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित बीजों का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि गरीब तथा जनजातीय किसान बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उचित मूल्य पर खरीद सकें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित बीजों के मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई कार्यबल गठित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। गरीब तथा जनजातीय किसानों सहित किसान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय स्तर बीज उत्पादन एजेंसियों और निजी फर्मों से उचित मूल्य पर उन्नत किस्मों के गुणवत्ता बीज प्राप्त कर रहे हैं।

(ङ) मूल्य विनियमन के लिए बीज अधिनियम, 1966 में कोई प्रावधान नहीं है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उपलब्ध शक्तियों के प्रयोग में बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अनुसार बीज एक अनिवार्य वस्तु है। परन्तु वह केवल गुणवत्ता नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए है। इसके लिए मूल्य विनियमन का प्रावधान नहीं है। यह मुख्यतः बीज विकास और उत्पादन विशेषकर कम मूल्य की अधिक मात्रा के फसलों के कारण व्यापक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रहा है। हाल में, निजी क्षेत्र बीज उद्योग बढ़ा है और कम मात्रा के अधिक मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में बहुत सक्रिय है। ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था के अधिकातर क्षेत्र खुल रहे हैं तो यह गुणवत्ता के मामले को छोड़कर बीज उद्योग पर नियंत्रण करने के लिए लोक उद्देश्यों के हित में नहीं होगा। साथ ही यह सार्वजनिक निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करने और बीज उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने की सरकार की नीति है। कम मात्रा के अधिक मूल्य वाले बीजों के रूप में स्वयं को स्थापित करने के पश्चात निजी क्षेत्र बीज उद्योग अब अनाजों की तरह कम मूल्य के अधिक मात्रा वाले बीजों में रूपान्तरित हो रहे हैं। यह बीज निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मूल्य नियंत्रण करना अनुकूल वातावरण जो अब प्रतिस्पर्द्धात्मक और गतिशील बीज उद्योग जो उचित मूल्य के गुणवत्ता बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करके किसानों के हित की रक्षा करने में समर्थ है, को विकसित करने के लिए मौजूद है। एक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्द्धत्मक मण्डी वातावरण बीज उद्योग के और आगे के विकास को बढ़ावा देगा।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान

318. श्री हरिन पाठक: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत ऐसे कितने संगठन लाभान्वित हुए हैं;

(घ) इन संगठनों को संगठन-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) इनके क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां। स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1.	गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विषयों पर सेमिनार, उत्सव और प्रदर्शनियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

क्र.सं.	स्कीम का नाम
	संक्षिप्त नामः सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम (सी.एफ.जी.एस.)
2.	रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती समारोह के लिए गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम संक्षिप्त नामः टैगोर स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम (टी.सी.जी.एस.)
3.	टैगोर सांस्कृतिक परिसरों की स्कीम
4.	स्टूडियो, थिएटर सहित भवन अनुदान की स्कीम
5.	स्वैच्छिक संगटनों को शताब्दी/वर्षगांठ के लिए वित्तीय सहायता
6.	राष्ट्रीय स्मारकों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता-अनुदान
7.	बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम
8.	हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम
9.	'क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण' के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम
10.	पुस्तक मेलों, पुस्तक प्रदर्शिनियों और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रकाशन संबंधी आयोजनों आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता की प्रायोगिक स्कीम

भ्रामक विज्ञापन

319. डॉ. मन्दा जगन्नाथः

कुमारी सरोज पाण्डेयः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टेलीविजन के साथ-साथ प्रिंट मीडिया में सौन्दर्य प्रसाधनों तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पादों के संबंध में अनेक विज्ञापनों का प्रसारण किया जा रहा है जोकि उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया-वार ऐसे टेलीविजन चैनलों एवं समाचार पत्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विज्ञापनों से निपटने के लिए कोई प्रभावी नीति तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के कुछ ऐसे मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं जिनसे जनता के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना हो कि विज्ञापित उत्पाद अथवा उसके किसी घटक में कुछ विशेष या चमत्कारिक गुण हैं। इस संबंध में टीवी चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) से (ङ) जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संबंध है, निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा अभिशासित होते हैं। यद्यपि, इस अधिनियम में निजी टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित विज्ञापनों की पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है, तथापि इसमें उपबंधित है कि इन चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापन-संहिता का अनुसरण किया जाना होता है। विज्ञापन-संहिता के नियम 7(5) में यह पहले से ही प्रावधान है कि किसी भी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ/उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं होंगे जिनसे जनता के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना हो कि विज्ञापित उत्पाद अथवा उसके किसी घटक में कुछ विशेष या चमत्कारिक अथवा अति नैसर्गिक गुण हैं जिन्हें सिद्ध करना कठिन हो।

प्रिंट मीडिया के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे अलग से सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

विगत हाल ही में विज्ञापन-संहिता नियम 7(5) के उल्लंघन में विज्ञापन दिखाने के लिए निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र. सं.	चैनल का नाम	की गई कार्रवाई
1.	आई.बी.एन. 7	इस चैनल को दिनांक 13-1-2010 को एक ऐसा विज्ञापन दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें गंभीर स्वरूप की बीमारियों के लिए विशेष/चमत्कारिक इलाज का दावा किया गया था। इस चैनल को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित विज्ञापन-संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए दिनांक 16-4-2010 को एक चेतावनी जारी की गई।
2.	सभी चैनल	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ टीवी चैनल विशेष या चमत्कारिक या अति नैसर्गिक गुणों का दावा करने वाले उत्पादों का विज्ञापन दिखा रहे थे जिनसे अक्सर जन-सामान्य के बीच भ्रांति पैदा होती है, सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(5) का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन करने के लिए दिनांक 13-5-2010 को एक सलाह-पत्र जारी किया गया।

वृद्ध किसानों को पेंशन

320. श्री पी. लिंगम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 60 वर्ष के ऊपर की आयु के किसानों को पेंशन तथा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसान संगठनों से विभिन्न अभ्यावेदन मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) किसानों हेतु पेंशन और बीमा के लिए कृषक संघों सहित विभिन्न पणधारियों (स्टेक होल्डरों) द्वारा समय-समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है।

सरकार पहले से ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.),आम आदमी बीमा योजना, स्वावलंबन स्कीम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं। एन.एस.ए.पी. में निम्नलिखित पांच स्कीमें शामिल हैं:-

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आशक्तता पेंशन स्कीम
4. राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम
5. अन्नपूर्णा

भूमिहीन तथा कृषि कामगारों सहित किसान स्कीमों में से प्रत्येक की शर्तों को पूरा करने के बाद उपर्युक्त स्कीमों का लाभ ले सकते हैं।

कम वर्षा

321. श्री के. सुगुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू मानसून सत्र के दौरान कम वर्षा होने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या खरीफ की फसल सहित देश में फसलों की बुआई पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) चालू दक्षिण-पश्चिम मानसून (27-07-2011 के अनुसार) के दौरान देश में समग्र वर्षा 399.1 मि.मी. है जो कि सामान्य है। किसी भी राज्य सरकार ने कम वर्षा के कारण फसलों की बुआई/खरीफ फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

खेल संबंधी कानून

322. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्वस्थ खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास संबंधी विधेयक लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में संबंधित पक्षकारों, अन्य खेल संस्थाओं तथा आम जनता से सुझाव/विचार मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राष्ट्रीय खेल संघों (एन.एस.एफ.) ने सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित उक्त विधेयक का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो एन.एस.एफ. द्वारा जिन मुख्य मुद्दों का विरोध किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त विधेयक के कब तक पारित होकर कानून बनने की संभावना है तथा इससे खेलों के विकास के साथ देश में डोप की घटनाओं को रोकने में कितनी मदद मिलेगी?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां। राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को प्रशासित करने में उत्तम संचालन और पारदर्शिता के सिद्धांतों के प्रवर्तन की दृष्टि से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने संसद के चालू सत्र में राष्ट्रीय खेल (विकास) विधेयक का प्रारूप पेश करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) 22-2-2011 को टिप्पणियां और सुझाव मांगते हुए प्रस्तावित विधेयक का प्रारंभिक प्रदर्शन प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया था। इस विधेयक के इस प्रारूप पर बड़ी संख्या में उत्तर प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ) यद्यपि बड़ी संख्या में प्रतिवादियों ने प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल (विकास) विधेयक का स्वागत किया है, किंतु भारतीय ओलंपिक संघ और कुछ राष्ट्रीय खेल परिसंघों ने अन्य बातों के अलावा यह बताते हुए इसका विरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार खेलों के संबंध में कानून अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि यह राज्य का विषय है और सरकार द्वारा लागू आयु और कार्यकाल परिसीमन से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति चार्टर में सन्निहित खेल निकायों की स्वायत्तता का उल्लंघन होता है।

(ङ) और (च) संसद के चालू सत्र में विधेयक प्रस्तुत करना प्रस्तावित है। जहां तक डोप संबंधी घटनाओं को रोकने का संबंध है, सरकार द्वारा राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) गठित की गई है जिसने डोप रोधी नियमावली प्रकाशित की है और ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए अनुशासनिक पैनल और अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया है। नाडा डोपिंग के दुष्प्रभावों के बारे में खिलाड़ियों, कोचों आदि को शिक्षित भी करता है।

खेल तथा युवा नीतियों में परिवर्तन

323. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में युवाओं तथा खेल के विकास के लिए वर्तमान राष्ट्रीय युवा नीतियों तथा खेल नीति में परिवर्तन/समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न खेल संगठनों से सुझाव मांगे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त नीतियों में परिवर्तन/इनकी समीक्षा कब तक होने के संभावना है तथा यह युवाओं तथा खिलाड़ियों के लिए कितनी मददगार साबित होगी?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जहां तक राष्ट्रीय युवा नीति का संबंध है, इसकी पनरीक्षा का कार्य राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आर.जी.एन.आई.वाई.डी.), श्री पेरम्बुदूर (तमिलनाडु) को सौंपा गया है। टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति के प्रारूप को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। इस नीति की पुनरीक्षा में विभिन्न पणधारी और राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया है।

जहां तक राष्ट्रीय खेल नीति का संबंध है, वर्तमान खेल नीति, 2001 की अभी समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, खेल निकायों के बीच उत्तम संचालन सहित राष्ट्रीय खेल विकास के लिए एक उपयुक्त कानूनी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से मंत्रालय मानसून सत्र, 2011 में राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2011 नामक एक राष्ट्रीय खेल विधान पेश करना चाहता है।

(ग) और (घ) हां, सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघों, खिलाड़ियों और अन्यों सहित सभी स्टेकधारकों से परामर्श किया है।

(ङ) विभिन्न स्टेकधारकों और राज्य सरकारों से सुझाव/टिप्पणी प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही युवा नीति की पुनरीक्षा किए जाने की संभावना है। इस नीति से 35 वर्ष से कम आयु के सभी युवाओं को लाभ मिलने की आशा है।

राष्ट्रीय खेल विधान का प्रारूप संसद के चालू मानसून सत्र में पेश किया जाना प्रस्तावित है।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया गया भू अर्जन

324. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पंजाब राज्य सरकार से सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा पर 11 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए अर्जित की गई भूमि के लिए मुआवजा के संबंध में कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है और इस अर्जन से कितने लोग प्रभावित हुए हैं;

(ग) पंजाब राज्य सरकार ने कुल कितनी मुआवजा धनराशि मांगी है; और

(घ) उक्त मुआवजा राशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) पंजाब में पाकिस्तान के साथ शून्य रेखा (जीरो लाइन) पर 11 फुट चौड़ा रास्ता सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) द्वारा सामान्यतः गश्त के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान के लिए पंजाब राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस संबंध में, मुआवजे की धनराशि पर विचार करने के लिए पंजाब सरकार से वास्तविक ब्यौरे मांगे गए हैं। तथापि, ये ब्यौरे राज्य सरकार से अभी आने प्रतीक्षित हैं।

[हिन्दी]

ललित कला अकादमी में अनियमितताएं

325. **डॉ. बलीराम:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ललित कला अकादमी द्वारा अध्येतावृत्ति तथा 'अवार्ड' देने में किसी प्रकार की अनियमितता बरते जाने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है एवं इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) इस संबंध में अनियमितता के किसी विशिष्ट मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिसकर्मियों की कमी

326. श्री संजय सिंह चौहान:
श्री विजय बहादुर सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य पुलिसकर्मियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में राज्य पुलिस के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रैंक-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने सभी रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकारों को निदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है तथा रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है एवं इस संबंध में कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में आंतरिक सुरक्षा में सुधार करने के लिए राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एण्ड डी) द्वारा संकलित और उनके प्रकाशन "भारत में पुलिस संगठनों पर आंकड़े" में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 01-01-2009 की स्थिति के अनुसार राज्य पुलिस (सिविल एवं सशस्त्र) की स्वीकृत और वास्तविक संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। पूर्वोक्त बी.पी.आर. एण्ड डी प्रकाशन के अनुसार दिनांक 1-1-2009 को पुलिस बलों की राज्यवार और रैंक वार स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) हालांकि, भारत के संविधान की अनुसूची VII के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है, तथापि गृह मंत्रालय ने दिनांक 6-1-2009, 17-8-2009, 7-2-2010 और 1-2-2011 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राज्य पुलिस बलों में भारी संख्या में रिक्तियों पर अपनी चिन्ता जताई है। राज्य पुलिस बलों में भर्ती का कार्य राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही किया जाता है और मंत्रालय द्वारा राज्यों को इस प्रयोजनार्थ किसी तरह की निधियां नहीं स्वीकृत की जाती है।

(च) वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजनेतर योजना के तहत राज्य सरकारों को कानून एवं व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

चालू वित्त वर्ष में अभी तक इस योजना के तहत राज्यों को किसी तरह की निधियां जारी नहीं की गई है।

विवरण-I

दिनांक 1-1-2009 की स्थिति के अनुसार कुल (सिविल+सशस्त्र पुलिस बलों) की स्वीकृत एवं वास्तविक संख्या तथा रिक्तियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य पुलिस (सिविल एवं सशस्त्र) की कुल संख्या		रिक्तियां
		स्वीकृत	वास्तविक	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	121,721	101,381	20,340

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	7,194	6,877	317
3.	असम	84,468	62,771	21,697
4.	बिहार	85,531	59,999	25,540
5.	छत्तीसगढ़	46,403	32,979	13,502
6.	गोवा	5,951	4,623	1,332
7.	गुजरात	76,038	56,811	19,227
8.	हरियाणा	59,481	46,451	14,507
9.	हिमाचल प्रदेश	16,181	13,075	3,106
10.	जम्मू और कश्मीर	94,764	82,721	12.099
11.	झारखण्ड	54,958	42,360	12,620
12.	कर्नाटक	97,958	77,344	20,826
13.	केरल	44,061	39,159	4,908
14.	मध्य प्रदेश	77,626	70,593	7,070
15.	महाराष्ट्र	202,554	173,401	29,156
16.	मणिपुर	22,104	15,273	6,832
17.	मेघालय	11,335	10,238	1,097
18.	मिजोरम	10,145	10,698	429
19.	नागालैण्ड	22,870	22,794	76
20.	ओडिशा	51,577	40,010	11,582
21.	पंजाब	71,869	66,498	5,371
22.	राजस्थान	78,226	73,288	4,938
23.	सिक्किम	3,885	3,604	301
24.	तमिलनाडु	103,098	89,732	38,724
25.	त्रिपुरा	41,069	33,112	8,057
26.	उत्तर प्रदेश	368,010	144,200	223,810
27.	उत्तराखण्ड	21,626	16,394	5,248

1	2	3	4	5
28.	पश्चिम बंगाल	88,749	79,032	9,717
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,902	2,630	289
30.	चंडीगढ़	4,628	4,452	178
31.	दादरा और नगर हवेली	212	207	27
32.	दमन और द्वीप	246	212	34
33.	दिल्ली	74,963	67,881	7,102
34.	लक्षद्वीप	349	295	54
35.	पुडुचेरी	3,289	2,823	467
	अखिल भारत	2,056,041	1553,918	530,580

विवरण-II

दिनांक 1-1-2009 की स्थिति के अनुसार कुल (सिविल+सशस्त्र पुलिस बलों) की स्वीकृत एवं वास्तविक संख्या तथा रिक्तियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डी.जी.पी./अपर डी.जी.पी.			आई.जी.पी.			डी.आई.जी.		
		स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	33	24	9	29	24	5	40	25	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	1	1	0	4	4	0
3.	असम	10	10	0	15	15	0	16	16	0
4.	बिहार	10	18	0	18	16	2	28	20	8
5.	छत्तीसगढ़	4	6	0	6	15	0	14	15	0
6.	गोवा	1	1	0	1	1	0	1	0	1
7.	गुजरात	22	13	9	35	29	6	20	18	2
8.	हरियाणा	12	23	0	18	21	0	13	18	0
9.	हिमाचल प्रदेश	14	13	1	16	16	0	15	13	2
10.	जम्मू और कश्मीर	8	2	6	14	14	0	23	23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	झारखण्ड	5	7	0	11	16	0	15	15	0
12.	कर्नाटक	19	18	1	46	41	5	28	21	8
13.	केरल	7	10	0	13	16	0	14	6	8
14.	मध्य प्रदेश	10	14	0	20	53	0	30	24	6
15.	महाराष्ट्र	29	27	2	29	32	0	35	45	0
16.	मणिपुर	3	2	1	8	7	1	8	4	4
17.	मेघालय	6	6	0	7	7	0	6	2	4
18.	मिज़ोरम	1	1	0	1	1	0	3	3	0
19.	नागालैण्ड	3	3	0	8	6	2	12	9	3
20.	ओडिशा	9	8	1	14	15	0	21	9	12
21.	पंजाब	13	10	3	17	17	0	25	24	1
22.	राजस्थान	9	9	0	16	16	0	28	18	10
23.	सिक्किम	2	3	0	3	11	0	4	5	0
24.	तमिलनाडु	24	21	3	42	40	2	29	21	8
25.	त्रिपुरा	3	3	0	7	7	0	9	9	0
26.	उत्तर प्रदेश	43	39	4	60	48	12	69	50	19
27.	उत्तराखण्ड	3	5	0	5	7	0	9	4	5
28.	पश्चिम बंगाल	24	20	4	40	39	1	44	38	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	1	0	1	2	2	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0	1	1	0	0	1	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	1	1	0
32.	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0	0	1	1	0
33.	दिल्ली	4	8	0	15	16	0	10	13	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	पुडुचेरी	0	1	0	1	0	1	1	1	0
	अखिल भारत	333	327	44	518	548	38	588	478	125

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ए.आई.जी.पी./एस.एस.पी./एस.पी.			अपर ए.एस.पी./उप कमां.			ए.एस.पी./उप एस.पी.		
		स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	133	120	13	0	0	0	825	538	287
2.	अरुणाचल प्रदेश	40	27	13	19	19	0	50	38	12
3.	असम	93	83	10	91	70	21	399	212	187
4.	बिहार	92	75	17	3	0	3	417	241	176
5.	छत्तीसगढ़	56	47	9	74	72	22	265	242	69
6.	गोवा	12	14	2	0	0	0	45	25	20
7.	गुजरात	99	58	41	0	0	0	276	181	95
8.	हरियाणा	53	59	0	23	5	18	202	234	0
9.	हिमाचल प्रदेश	51	48	3	42	33	9	119	115	4
10.	जम्मू और कश्मीर	276	211	65	0	54	0	668	448	220
11.	झारखण्ड	46	55	6	0	0	0	382	309	73
12.	कर्नाटक	204	185	19	0	0	0	488	483	5
13.	केरल	75	73	2	16	16	0	309	296	13
14.	मध्य प्रदेश	194	87	107	119	103	16	705	553	152
15.	महाराष्ट्र	286	199	87	48	37	11	885	466	419
16.	मणिपुर	33	29	5	53	18	35	161	106	55
17.	मेघालय	25	25	0	0	0	0	85	65	20
18.	मिजोरम	29	29	0	42	38	4	98	83	15
19.	नागालैण्ड	38	36	2	60	57	3	150	115	35
20.	ओडिशा	122	54	68	77	23	18	528	200	328

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21.	पंजाब	195	188	7	22	0	22	394	221	173
22.	राजस्थान	140	116	24	0	0	0	780	647	133
23.	सिक्किम	42	33	9	4	3	1	56	38	18
24.	तमिलनाडु	249	209	40	0	0	0	740	632	108
25.	त्रिपुरा	50	40	10	54	77	0	322	176	146
26.	उत्तर प्रदेश	170	147	23	241	224	17	1068	766	302
27.	उत्तराखण्ड	22	24	1	40	20	20	121	55	66
28.	पश्चिम बंगाल	131	125	6	68	50	18	440	349	91
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	4	0	0	0	0	13	17	1
30.	चंडीगढ़	4	3	1	0	0	0	13	14	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	1	1	0	1	1	0
32.	दमन और द्वीप	2	1	1	0	0	0	2	2	0
33.	दिल्ली	70	42	28	31	33	3	339	259	80
34.	लक्षद्वीप	1	1	0	0	0	0	1	1	0
35.	पुडुचेरी	2	2	0	0	0	0	22	21	1
	अखिल भारत	3,038	2,450	619	1,128	1,003	241	11,369	8,149	3,304

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षक			उप निरीक्षक			सहायक उप निरीक्षक		
		स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	आन्ध्र प्रदेश	2543	1571	927	6799	4459	2340	6721	3927	2794
2.	अरुणाचल प्रदेश	101	89	12	370	291	79	217	196	21
3.	असम	813	628	185	3785	3371	414	2152	1965	187
4.	बिहार	879	702	177	9571	5604	3967	4920	4186	734

1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5.	छत्तीसगढ़	675	578	97	1980	961	1019	2440	1531	909
6.	गोवा	73	51	22	218	187	31	210	178	32
7.	गुजरात	882	734	148	3083	1988	1095	8884	7639	1245
8.	हरियाणा	785	573	212	1904	1359	585	4603	3218	1421
9.	हिमाचल प्रदेश	258	232	26	647	537	110	1095	992	103
10.	जम्मू और कश्मीर	964	936	28	3232	2327	905	3958	3491	467
11.	झारखण्ड	399	316	83	2890	2443	447	2731	2162	569
12.	कर्नाटक	1270	958	312	3582	2295	1287	3696	3904	3
13.	केरल	486	440	46	2026	1557	469	1562	1312	250
14.	मध्य प्रदेश	1357	1200	157	3480	2494	986	4365	3682	683
15.	महाराष्ट्र	7060	3086	3974	8956	4866	4090	17869	14850	3019
16.	मणिपुर	303	289	14	1075	733	342	878	538	340
17.	मेघालय	173	156	17	808	723	85	232	167	65
18.	मिजोरम	220	219	1	680	679	1	499	499	0
19.	नागालैण्ड	176	146	30	706	705	1	398	398	0
20.	ओडिशा	1095	708	387	3255	2213	1042	4894	2308	2586
21.	पंजाब	791	619	172	2177	2007	170	4367	3981	386
22.	राजस्थान	1019	929	90	3706	2669	1037	5312	4292	1020
23.	सिक्किम	75	64	11	211	173	38	195	199	1
24.	तमिलनाडु	2582	2416	166	8130	7135	95	0	0	0
25.	त्रिपुरा	357	389	45	1594	1061	533	566	478	88
26.	उत्तर प्रदेश	3002	1442	1560	20448	9726	10722	0	0	0
27.	उत्तराखण्ड	157	156	10	1275	983	292	36	0	36
28.	पश्चिम बंगाल	1427	1323	104	7570	5510	2060	13680	10598	3082
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	39	39	1	159	142	17	230	212	26

1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30.	चंडीगढ़	54	54	0	258	254	4	189	186	3
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	8	7	1	3	2	1
32.	दमन और द्वीप	4	2	2	10	9	1	9	6	3
33.	दिल्ली	1227	1188	46	4749	4183	566	6577	6031	546
34.	लक्षद्वीप	5	5	0	20	12	8	28	12	16
35.	पुडुचेरी	60	52	8	191	163	28	92	50	42
	अखिल भारत	31,312	22,291	9,115	109,553	73,826	35,767	103,608	83,190	20,678

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हैड कांस्टेबल			कांस्टेबल			कुल		
		स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति	स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.	आन्ध्र प्रदेश	20943	17712	3231	83,655	72981	10674	121721	101381	20340
2.	अरुणाचल प्रदेश	978	953	25	5413	5258	155	7194	6877	317
3.	असम	13894	10322	3572	63200	46079	17121	84468	62771	21697
4.	बिहार	12101	7198	4903	57492	41939	15553	85531	59999	25540
5.	छत्तीसगढ़	7398	5053	2345	33491	24451	9032	46403	32979	13502
6.	गोवा	1086	757	329	4304	3409	895	5951	4623	1332
7.	गुजरात	11519	10867	652	51218	35284	15934	76038	56811	19227
8.	हरियाणा	9350	5670	3680	42518	35271	8591	59481	46451	14507
9.	हिमाचल प्रदेश	2699	2206	493	11225	8870	2355	16181	13075	3106
10.	जम्मू और कश्मीर	16153	4591	1562	69468	60624	8844	94764	82721	12099
11.	झारखण्ड	8813	5512	3301	39666	13525	8141	54958	42360	12620
12.	कर्नाटक	20294	17500	2794	68331	51939	16392	97958	77344	20862
13.	केरल	8399	7654	745	31154	27779	3375	44061	39159	4908

1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38
14.	मध्य प्रदेश	14201	12952	1249	53145	49431	3714	77626	70593	7070
15.	महाराष्ट्र	40916	34870	6046	126431	114923	111508	202554	173401	29156
16.	मणिपुर	3385	2151	1234	16197	11396	4801	22104	15273	6832
17.	मेघालय	1274	970	304	8719	8117	602	11335	10238	1097
18.	मिजोरम	1889	1889	0	6683	7257	408	10145	10698	429
19.	नागालैण्ड	2722	2722	0	18597	18597	0	22870	22794	76
20.	ओडिशा	5726	3423	2303	35836	30999	4837	51577	40010	11582
21.	पंजाब	11773	11399	374	52095	4802	4063	71869	66498	5371
22.	राजस्थान	9111	8309	802	58105	56283	1822	78226	73288	4938
23.	सिक्किम	441	446	0	2852	2629	223	3885	3604	301
24.	तमिलनाडु	11404	36762	0	79898	42496	37402	103098	89732	38724
25.	त्रिपुरा	10254	6829	3425	27853	24043	3810	41069	33112	8057
26.	उत्तर प्रदेश	65109	20033	45076	277800	111725	166075	368010	144200	223810
27.	उत्तराखण्ड	3137	2583	554	16821	12557	4264	21626	16394	5248
28.	पश्चिम बंगाल	7	7	0	65318	60973	4345	88749	79032	9717
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	508	456	52	1947	1757	190	2902	2630	289
30.	चंडीगढ़	906	855	51	3203	3084	119	4628	4452	178
31.	दादरा और नगर हवेली	50	38	12	146	155	13	212	207	27
32.	दमन और द्वीप	40	32	8	178	159	19	246	212	34
33.	दिल्ली	88946	17684	1262	42995	38424	4571	74963	67881	7102
34.	लक्षद्वीप	64	64	0	230	200	30	349	295	54
35.	पुडुचेरी	552	381	171	2368	2152	216	3289	2823	467
	अखिल भारत	336,042	270,850	90,555	1,458,552	1,090,806	370,094	2,056,041	1,553,918	530,580

टिप्पणी: रिक्ति के कॉलम में वे राज्य जहां रैंक-वार पुलिस कार्मिकों की संख्या अधिक है उसे "0" दर्शाया गया है।

विवरण-III

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	एम.पी.एफ. योजना के तहत जारी निधियां		
	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	83.83	115.54	89.96
अरुणाचल प्रदेश	14.72	11.50	10.75
असम	68.11	60.79	48.51
बिहार	41.57	59.34	63.67
छत्तीसगढ	26.54	17.04	29.8
गोवा	4.00	7.08	2.3
गुजरात	48.02	52.18	55.27
हरियाणा	27.51	46.63	30.41
हिमाचल प्रदेश	9.99	7.10	6.36
जम्मू और कश्मीर	109.65	111.18	148.25
झारखण्ड	69.85	33.49	36.9
कर्नाटक	69.61	63.96	83.01
केरल	22.90	32.54	42.68
मध्य प्रदेश	40.37	54.87	72.41
महाराष्ट्र	75.86	72.48	42.26
मणिपुर	39.23	27.44	26.63
मेघालय	10.81	9.73	8.48
मिजोरम	12.69	11.48	19.55
नागालैण्ड	38.42	31.50	33.77
उड़ीसा	42.54	51.87	54.24
पंजाब	21.56	33.50	26.08
राजस्थान	49.10	51.18	47.88

1	2	3	4
सिक्किम	6.12	4.72	2.17
तमिलनाडु	50.10	60.67	92.52
त्रिपुरा	20.66	22.92	23.08
उत्तर प्रदेश	102.31	125.17	77.61
उत्तराखण्ड	19.39	5.29	6.35
पश्चिम बंगाल	32.18	48.81	43.73
कुल	1157.64	1230.00	1224.63

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की वेबसाइट

327. श्री मधु गौड यास्खी:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की वेबसाइट हैक की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) राष्ट्रीय सुरक्षा गारत (एन.एस.जी.) की वेबसाइट हैक नहीं की गई है। एन.एस.जी. के किसी भी अधिकारी का ई-मेल एकाउंट भी हैक नहीं किया गया था।

(ख) से (घ) लागू नहीं।

अतिरिक्त कोटा उठाना

328. श्री आनन्द प्रकाश परांजपे:

श्री संजय भोई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों ने उन्हें आवंटित किए गए कुल अतिरिक्त तदर्थ खाद्यान्न में से अधिकतर खाद्यान्न नहीं उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप भंडारण संकट उत्पन्न हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने खाद्यान्नों को जिला-वार उठाने की समीक्षा करने के साथ-साथ भंडारण प्रबंधन की समीक्षा करने हेतु किसी कार्यबल का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मई और सितम्बर, 2010 तथा जनवरी, 2011 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 105.66 लाख टन खाद्यान्नों का विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन किया है। इन अतिरिक्त आबंटनों के प्रति 50% उठान हुआ है। कम उठान का मुख्य कारण अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त आबंटनों को खपाने में समस्या, कुछ राज्यों द्वारा वहन की जा रही अतिरिक्त राजसहायता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चावल और गेहूं की रिकार्ड खरीदारी और इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का अधिशेष स्टाक

होने के कारण भंडारण अंतर पैदा हुआ है। सरकार ने भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए निजी उद्यमियों, केन्द्र और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडार गोदामों के निर्माण की स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन लगभग 152.97 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है।

(ङ) और (च) समूचे उठान में सुधार करने की दृष्टि से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को खाद्यान्नों के जिलावार उठान की राज्य सरकारों के साथ समीक्षा करने के लिए कहा गया है। इन समीक्षाओं के दौरान जो मुद्दे सामने आए हैं उनमें अन्य बातों के अलावा कुछ स्थानों में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक रखना, दूसरे स्थानों में पर्याप्त बंडारण क्षमता में वृद्धि करना, सुपुर्दगी तंत्र की खपत क्षमता आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केन्द्र

329. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मुम्बई में आतंकी हमले के बाद देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के और अधिक केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थान-वार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कुल कितने क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि गुजरात में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एक भी क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना नहीं की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा गुजरात में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) सरकार ने चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.) के चार क्षेत्रीय हबों की स्थापना की है। इन हबों ने 30 जून/1 जुलाई, 2009 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। किसी नये हब की स्थापना नहीं की जा रही है।

(ग) से (ङ) गुजरात सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर, भारत सरकार ने गुजरात में एक एन.एस.जी. क्षेत्रीय हब स्थापित करने की 'सैद्धान्तिक' मंजूरी प्रदान कर दी है, बशर्ते गुजरात सरकार एन.एस.जी. द्वारा उपयुक्त पाये गए स्थान पर मुफ्त जमीन मुहैया कराए।

अमरीकी बाजार में भारतीय ब्रॉडकॉस्टर

330. श्री सोमेन मित्रा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारतीय ब्रॉडकॉस्टरों को अमरीकी बाजार में प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत और अमरीका के विभिन्न द्विपक्षीय मंचों पर इन मुद्दों को उठाकर अमरीकी बाजारों में भारतीय ब्रॉडकॉस्टरों के प्रवेश को सुगम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (घ) भारतीय प्रसारक मौजूदा अमरीकी विनियमों के कारण अमरीका में प्रसारण संबंधी कार्यकलाप शुरू करने में उनके सामने आ रही व्यापार संबंधी कई अड़चनों के बारे में इस मंत्रालय को अभ्यावेदन देते रहे हैं। अभ्यावेदनों में यह उल्लेख किया गया है कि निर्धारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्तर कम है, अनुमति/अनुमोदन देते समय विभिन्न प्रावधानों के निर्वचन में आत्मपरकता का पुट होता है, विदेशी प्रसारकों के विषय-वस्तु के प्रसारण हेतु प्रबल प्रचालकों द्वारा अधिरोपित निबंधन एवं शर्तें असमान व अनुचित होती हैं जिसके कारण व्यवसाय संबंधी कार्यकलापों को संचालित करना अव्यवहार्य हो जाता है।

यह मंत्रालय प्रत्येक छह माह में आयोजित की जाने वाली भारत-अमरीकी आई.सी.टी. कार्य-समूह की बैठकों में चर्चा के लिए इन मुद्दों को शामिल करता रहा है। प्रसारकों के प्रतिनिधियों को भी इन बैठकों के दौरान अपनी प्रस्तुति करने की अनुमति दी जाती है जिनमें, अन्य के साथ-साथ, पेडरल कॅम्युनिकेशन्स कमीशन के प्रतिनिधि और युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रजेन्टेटिव के अधिकारी भी भाग लेते हैं। दोनों पक्षकारों के बीच दस्तावेजों का भी आदान-प्रदान किया गया है ताकि अमरीकी कानून को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिल सके। संगत अमरीकी

कानूनों/विनियमों/नीतियों की समीक्षा करने के लिए इन बैठकों में उक्त मुद्दे पर बराबर चर्चा की जाती है ताकि प्रसारकों की शिकायतों का निदान हो सके।

[हिन्दी]

आवासों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक पद्धति

331. **श्री दत्ता मेघे:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे देशभर में कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस पद्धति से निर्मित आवास भूकंपरोधी होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) देश के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए विभिन्न प्ररूप विज्ञान, सामग्री और निर्माण की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। कुछ पद्तियां परम्परा से स्थापित हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने भवन निर्माण की विभिन्न सामग्रियों, नियोजन, डिजायन और निर्माण की पद्धतियों पर भारतीय मानक और राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एन.बी.सी.) बनाया है। राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड भवनों की ढांचागत पर्याप्तता, आग लगने के खतरों और स्वास्थ्य के पहलुओं के संबंध में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम प्रावधानों के सेट का डिजायन निर्धारित करता है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एन.बी.सी.) में प्रशासनिक विनियम, नियंत्रण नियम बनाना और सामान्य भवन निर्माण की आवस्यकताएं, आग से सुरक्षा उपायों की आवश्यकताएं, सामग्रियों और ढांचागत डिजायन संबंधी निर्धारण, विद्युत संस्थापना, प्रकाश, वातानुकूलन और लिफ्ट के डिजायन के नियम, वातायान, ध्वनिकता और नालसाजी सेवाओं जैसे कि जल आपूर्ति, निकासी, साफ-सफाई और गैस-सप्लाई के विनियम, निर्माण के दौरान कामगारों और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय तथा साइनों और आउटडोर प्रदर्शन के ढांचे लगाने के नियम भी शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड के उपबंधों का उद्देश्य लोक निर्माण विभागों और अन्य सरकारी निर्माण विभागों स्थानीय निकायों और अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने के लिए मॉडल के रूप में कार्य करना है।

राज्य सरकारें विकास नियंत्रण नियमों और भवन निर्माण के उप-नियमों के पर्याप्त उपबंधों के द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड के उपबंधों को अनिवार्य बना सकती हैं।

चूंकि आवास के क्रियाकलाप राज्य का विषय है। राज्य सरकारों को इन निर्माण पद्धतियों को अनिवार्य रूप से अपनाना लागू करना है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड में अन्य बातों के साथ-साथ मिट्टी से और कम कारीगरी वाले भवनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भूकंप रोधी भवनों के डिजायन और निर्माण भी शामिल हैं।

केरल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

332. **योगी आदित्यनाथ:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कुछेक कुट्टरपंथी संगटन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने केरल में पृथकतावादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) ने केरल से 07 मामले दर्ज किए हैं और उनकी जांच की है, जिसमें सीमी (एस.आई.एम.आई.), लश्कर-ए-तैयबा आदि जैसे कट्टर उग्रवादी गुट कथित रूप से संलिप्त थे और आतंककारी गतिविधियों में लगे हुए थे। 06 मामलों में सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दायर कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

बायोमास उत्पादन

333. **श्री रायापति सांबासिवा रावः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मृदा में मिलाने के लिए किसी मैदान में पर्याप्त बायोमास के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कदम उठा रही है जो कि मृदापोषण का एक पारिस्थितिकीय अनुकूल माध्यम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) जी, हां। सरकार कृषि पद्धतियों जैसे मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए हरी खाद और फसल अवशेषों के पुनः चक्रण के माध्यम से मृदा में बायोमास के सुधार के लिए बढ़ावा दे रही है।

विभिन्न स्कीमों जैसे राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (एन.पी.ओ.एफ.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत वर्मी-कम्पोस्टिंग, फल और सब्जी अवसेष/कृषि अवशेष कम्पोस्टिंग के उत्पादन के माध्यम से बायोमास/पोषक तत्वों के जैविक स्रोत के सृजन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

एन.एस.एफ.एस. को नोटिस

334. **श्री एस. अलागिरीः**

डॉ. संजय सिंहः

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन.एस. एफ.एस.) को कार्यावधि और आयु सीमा से संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान का राष्ट्रीय खेल परिसंघ-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघ-वार इसकी क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा उन प्रत्येक राष्ट्रीय खेल परिसंघों के खिलाफ की गई कार्रवाई का राष्ट्रीय खेल परिसंघ-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया; और

(ङ) इस संबंध में क्या सफलता मिली है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) जी हां। 1-5-2010 को आयु और कार्यकाल संबंधी सरकारी दिशा निर्देशों जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया था का पालन नहीं करने के लिए (1) भारतीय तैराकी परिसंघ (2) भारतीय बैडमिंटन संघ और (3) हाकी इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे। इस बीच भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय तैराकी परिसंघ ने दिशा-निर्देश स्वीकार कर लिये हैं और दिशानिर्देशों के अनुसार फिर से चुनाव करवायें। हाकी इंडिया के मामले में जब उन्होंने प्राइवेट निकाय होने का दावा किया, तब उनकी मान्यता समाप्त कर दी गई। अब हाकी इंडिया ने भी दिशा-निर्देश स्वीकार कर लिये हैं और सरकार से मान्यता बहाल करने की अपील की है।

[हिन्दी]

नकली कीटनाशकों का उत्पादन

335. **श्री कौशलेन्द्र कुमारः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले अनेक कारखानों से नकली कीटनाशक जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) विशेष सूचना के आधार पर पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद के केन्द्रीय कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा हाल ही में दो कम्पनियों के अहातों में छापामारी की गई। 31 कीटनाशकों के नमूने जमा किए गए, इन कंपनियों में से एक के चार नमूने कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अनुसार

गलत ब्रांड के पाए गए। तदनुसार, कम्पनी के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

एफ.एम. रेडियो की नीलामी

336. श्री मनीष तिवारी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर के शहरों और कस्बों में एफ.एम. रेडियो स्टेशन की नीलामी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार देशभर में राज्य-वार ऐसे कितने रेडियो स्टेशनों की नीलामी करने का है;

(ग) सरकार की मंशा किस प्रकार की नीलामी प्रक्रिया अपनाने की है;

(घ) क्या नीलामी की प्रक्रिया पिछली प्रक्रिया से भिन्न है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा रेडियो स्टेशनों की नीलामी से जुटाए जाने वाले संभावित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार इन रेडियो स्टेशनों की नीलामी को राजस्व अर्जन की एक प्रक्रिया के रूप में देखती है जिसके तहत यह अधोरेखांकित होता है कि सरकारी राजस्व जनहित के समरूप है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा नीति के अंतर्गत 294 शहरों में कुल 839 चैनल नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने एफ.एम. चरण-III के लिए लाइसेंसिंग विधि-प्रणाली पर मंत्री-समूह द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार एफ.एम. चैनलों के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा 3जी एवं बी.डब्ल्यू.ए. स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में यथा अनुसरित आरोही ई-नीलामी का यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ संचालन करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमति दे दी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) चरण-II में अनुमति बंद निविदा की दो-स्तरीय बोली प्रक्रिया के आधार पर दी गई थी। तथापि, चरण-III में मंत्री-समूह की सिफारिशों के अनुसार लाइसेंसिंग विधि-प्रणाली दूरसंचार विभाग द्वारा 3जी और बी.डब्ल्यू.ए. स्पेक्ट्रम की नीलामी में अपनाई गई आरोपी ई-नीलामी प्रक्रिया, जोकि बंद निविदा की बोली प्रक्रिया की तुलना में बहुत सफल थी और समान रूप से पारदर्शी थी, पर आधारित होगी।

(च) सरकार को नए चैनलों की नीलामी से लगभग 1531.92 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

(छ) और (ज) निजी एफ.एम. प्रसारण की शुरूआत होने के फलस्वरूप एफ.एम. रेडियो उद्योग की काफी अधिक विकास हुआ है और देश में रेडियो सनने के परिदृश्य का कायाकल्प हो गया है। निजी एफ.एम. प्रसारण से रोजगार सृजन के नए क्षेत्र उभर कर आए हैं और इसमें एफ.एम. रेडियो सेवाओं के लिए उद्दिष्ट आवृत्ति रेडियो स्पेक्ट्रम का दक्षतापूर्वक उपयोग करके सरकार के लिए राजस्व अर्जन की संभावित क्षमता है।

विशेषकर जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप समूहों के सीमावर्ती क्षेत्र अधिकांशतः एफ.एम. के मानचित्र से बाहर हैं। भारतीय रेडियो चैनलों को सुनने के लिए लोगों को आकृष्ट करने और सीमा-पार से दुष्प्रचार को रोकने के लिए कुछ प्रोत्साहनों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में स्तरीय मनोरंजन मुहैया कराने हेतु निजी एफ.एम. रेडियो का संवर्धन करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	चरण-III हेतु उपलब्ध चैनलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	104

1	2	3
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	21
5.	बिहार	50
6.	चंडीगढ़/संघ राज्य क्षेत्र	2
7.	छत्तीसगढ़	15
8.	दमन और द्वीप	3
9.	दिल्ली	1
10.	गुजरात	51
11.	हरियाणा	32
12.	जम्मू और कश्मीर	21
13.	झारखंड	17
14.	कर्नाटक	59
15.	केरल	13
16.	लक्षद्वीप	3
17.	मध्य प्रदेश	59
18.	महाराष्ट्र	54
19.	मणिपुर	3
20.	मोघालय	4
21.	मिजोरम	5
22.	नागालैंड	9
23.	ओडिशा	18
24.	पुडुचेरी	1
25.	पंजाब	22
26.	राजस्थान	45
27.	तमिलनाडु	53
28.	त्रिपुरा	5
29.	उत्तर प्रदेश	116
30.	उत्तराखंड	10
31.	पश्चिम बंगाल	38
	कुल	839

प्रसारण अनुबंध में अनियमितताएं

337. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जांच पैनल की रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर सरकार ने अभी तक उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के प्रसारण से संबंधित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में संलिप्त चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रसारण अनुबंध के संबंध में सरकार को कुल कितना घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली 2010 के आयोजन व संचालन से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए श्री वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) ने मेजबान प्रसारण के संबंध में सरकार को प्रस्तुत अपनी प्रथम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया है कि "कार्रवाई/निष्क्रियता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती और महानिदेशक, दूरदर्शन तथा सेवा-प्रदाता, सिस लाइव/ जूम कॅम्युनिकेशन के बीच साठ-गांठ की ओर सशक्त संकेत देती है।"

मंत्रालय ने एच.एल.सी. की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट टिप्पणियों की जांच की थी और उक्त रिपोर्ट में कई तथ्यपरक

असंगतियों को इंगित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय को विस्तृत टिप्पणियां अग्रेषित की थीं। तदनंतर, मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से प्रधानमंत्री के निदेश प्राप्त होने के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं और कार्रवाई शुरू की गई है:-

(i) तत्कालीन महानिदेशक, दूरदर्शन, श्रीमती अरुणा शर्मा को दिनांक 19-02-2011 को उनका कार्यकाल समाप्त होने पर कार्यमुक्त कर दिया गया।

(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एच.एल.सी. के रिपोर्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, श्री बी.एस. लाली (निलंबनाधीन) और तत्कालिक महानिदेशक, दूरदर्शन, श्रीमती अरूणा शर्मा के विरुद्ध लगाए गए प्रत्येक अभियोग के संबंध में उक्त दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच कर ली गई है। आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

(iii) इसके अतिरिक्त, एच.एल.सी. की रिपोर्ट की प्रति आगे की यथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जरिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को भेजी गई थी। मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात सी.बी.आई. ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित 13(2) के साथ पठित 420 आई.पी.सी. के साथ पठित धारा 120/ख के अंतर्गत श्री बी.एस. लाली, मैसर्स जूम कॅम्युनिकेशन के श्री वशीम दलहवी और अन्य के विरुद्ध एक नियमित मुकदमा दर्ज कर लिया है और आपराधिक जांच शुरू कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मेजबान प्रसारण के संबंध में उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में मैसर्स सिस लाइव को कार्यक्रम निर्माण एवं कवरेज के लिए 246 करोड़ रु. की लागत पर दी गई संविदा की वास्तविक लागत 100 करोड़ रु. से कम आंकी है। यह आकलन कतिपय पूर्व-कल्पनाओं के आधार पर किया गया है जिसमें इस बात का पाया जाना शामिल है कि समस्त संविदा को 177 करोड़ रु. की कीमत पर मैसर्स जूम कॅम्युनिकेशन को उप-संविदा के रूप में सौंपा गया था और उसके द्वारा ही कार्य निष्पादित किया गया। इस रिपोर्ट में मैसर्स सिस लाइव द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कई खामियों को भी उजागर किया गया है। समिति ने अपनी सिफारिशों में इस बात का भी उल्लेख किया है कि मैसर्स सिस लाइव को चुकता की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की जाए।

मंत्रालय ने एच.एल.सी. की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट टिप्पणियों की जांच की थी और उक्त रिपोर्ट की कई तथ्यपरक असंगतियों को इंगित करते हुए विस्तृत टिप्पणियां मंत्रिमंडल को अग्रेषित की थीं। तदनंतर, मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से प्रधानमंत्री के निदेश प्राप्त होने के उपरान्त मैसर्स सिस लाइव को किए गए भुगतान की मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती के परामर्श से समीक्षा की गई है। प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि अभी तक कुल संविदा मूल्य (246 करोड़ रुपए) के 60% (147.60 करोड़ रु.) भाग का मैसर्स सिस लाइव को भुगतान कर दिया गया है और 40% (98.4 करोड़ रु.) भुगतान किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त, उक्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत संविदाबद्ध राशि (अर्थात 24.6 करोड़ रु.) के 10% भाग के समकक्ष निष्पादन बैंक प्रत्याभूति, जिसकी वैधता दिनांक 31-03-2011 को समाप्त होने वाली थी, को भी प्रसार भारती द्वारा भुना लिया गया है क्योंकि संविदा के अंतर्गत मैसर्स सिस लाइव अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा है और मैसर्स सिस लाइव को संविदा के अंतर्गत चूककर्ता पाया गया। यह भी उल्लेख किया गया है कि संविदा मूल्य के लगभग 37.3% भाग की वसूली प्रदत्त सेवाओं में पाई गई विभिन्न खामियों के लिए बकाया भुगतान से किया जाना होगा, इसका उपयोग सीमा-शुल्क और परिशोधित क्षतियों के भुगतान हेतु किया जाना होगा। शेष 2.7% का बकाया भुगतान सी.बी.आई. द्वारा मंत्रालय को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के बाद किया जाएगा।

निशक्तोनुकूल सरकारी भवन

338. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/सी.पी.डब्ल्यू.डी. का विचार लिफ्टों, रैंपों आदि के संस्थापन के जरिए दिल्ली में समस्त सरकारी भवनों को निशक्तोनुकूल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए स्थानीय निकायों से अपेक्षित स्वीकृति और अनुमोदन तक सक्षम प्राधिकारियों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने में कोई विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, हां। संलग्न विवरण के अनुसार 46 सरकारी भवनों की पहचान की गई है।

(ख) पुष्पा भवन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और आवश्यक अनुमोदन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

(ग) जी, हां। कुछ मामलों में विलम्ब हुआ है।

(घ) कुछ मामलों विलम्ब स्थानीय निकायों से अनुमोदन, कार्यार्थियों द्वारा अनुमोदन इत्यादि जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगे समय के कारण विलम्ब हुआ है।

(ङ) तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

अशक्तोनुकूल विशेषताओं वाले कार्य आरम्भ करने के लिए निर्धारित भवनों की सूची

क्र.सं.	भवन का नाम
1.	साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय
2.	नईदिल्ली में हैदराबादा हाऊस
3.	इन्दिरा गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली
4.	गांदी स्मृति और दर्शन स्मृति 5, तीस जनवरी मार्ग
5.	लाल बहादुर शास्त्री स्मारक, 1 मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली
6.	वायु भवन
7.	निर्माण भवन
8.	कृषि भवन
9.	उद्योग भवन
10.	शास्त्री भवन
11.	नेशनल म्यूजियम
12.	भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन
13.	भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, सौंध
14.	विज्ञान भवन
15.	विज्ञान भवन, सौंध
16.	सेवा भवन
17.	एस.पी. भवन
18.	योजना भवन
19.	निर्वाचन सदन
20.	श्रम शक्ति भवन
21.	परिवहन भवन
22.	जनपथ भवन
23.	जैसलमेर हाऊस
24.	एन.जी.एम.ए. जयपुर हाऊस
25.	पटियाला हाऊस
26.	रविन्द्र भवन
27.	यू.पी.एस.सी. भवन
28.	उच्चतम न्यायालय
29.	आई.पी. भवन
30.	ड्रम शेप भवन
31.	ए.जी.सी.आर. भवन

क्र.सं.	भवन का नाम
32.	सी.ए.जी. भवन
33.	सी.आर. बिल्डिंग
34.	प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय
35.	मंत्रिमण्डल सचिवालय भवन, 5ए लोधी रोड
36.	सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
37.	एन.आई.सी.
38.	ब्लॉक 1 से 4 सी.जी.ओ. काम्पलैक्स
39.	ब्लॉक 9 से 14 सी.जी.ओ. काम्पलैक्स
40.	सर्विस सेन्टर, पी.वी. हॉस्टल, लोधी रोड
41.	वैस्ट ब्लॉक 1 से 8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
42.	सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
43.	ईस्ट ब्लॉक 1 से 10 त्रिकूट भवन
44.	सी.वी.सी. बिल्डिंग
45.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लिए कार्यालय भवन, गुड़गांव
46.	जी.पी.ओ.ए., पुष्पा भवन

बेघरों के लिए आश्रय स्थल

339. श्री वरुण गांधी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में तमिलनाडु में शहरी बेघरों की संख्या सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरों में बेघरों के लिए सरकार द्वारा संचालित कोई आश्रयस्थल मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जनगणना 2001 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में तमिलनाडु में शहरी बेघरों की संख्या सबसे अधिक नहीं है। वहां शहरी बेघरों की संख्या 57,128 है।

(ख) जनगणना 2001 के अनुसार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) से (ङ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, विभिन्न राज्यों और शहरों में रैन बसेरों संबंधी आंकड़े नहीं रखा है।

'आवास' और 'शहरीकरण' राज्य के विषय हैं इसलिए आश्रय स्थल उपलब्ध कराना मूलतः राज्य सरकारों का दायित्व है। वैसे केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्कीमों के जरिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। वर्तमान में केन्द्रीय सरकार जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत स्लमवासियों को आश्रय, पट्टे की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं, 'साझेदारी में किफायती आवास' के जरिए किफायती आवासों के निर्माण तथा शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम (आई.एस.एच.यू.पी.) के तहत 5% ब्याज सब्सिडी समेत आवास ऋणों की घटी लागत हेतु राज्यों को सहायता उपलब्ध करा रही है।

विगत में वर्ष 1988-89 से इस मंत्रालय ने 'शहरी बेघरों के लिए रेन बसेरे' संबंधी स्कीम के तहत आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। संचयी रूप से पूर्ववर्ती शहरी फुटपाथ वासियों के लिए रेन बसेरे संबंधी स्कीम के तहत 97 स्कीमें जिनके तहत 15 राज्यों/संघशासित प्रदेशों को कवर करते हुए अन्यों के साथ-साथ 17341 बिस्तरों, 15603 शौचालय सीटों, 2015 स्नानघरों और 2102 पेशाबघरों की मांग की गई थी, मंजूर की गई। यह स्कीम वर्ष 2005-06 में राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित कर दी गई और केन्द्र से दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी गई।

विवरण

जनगणना 2001 के अनुसार भारत में बेघरों की संख्या

राज्य/संघशासित प्रदेश	बेघरों की संख्या				
	कुल	ग्रामीण		शहरी	
		आबादी	कुल का प्रतिशत	आबादी	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	163,938	97,101	59	66,837	41
अरुणाचल प्रदेश	442	360	81	82	19
असम	13,355	10,989	82	2,366	18
बिहार	42,498	29,768	70	12,730	390
छत्तीसगढ़	28,772	22,558	78	6,214	22
गोवा	5,280	2,991	57	2,289	43
गुजरात	220,786	148,691	67	72,095	33
हरियाणा	59,360	35,384	60	23,976	40
हिमाचल प्रदेश	8,364	7,047	84	1,317	16
जम्मू और कश्मीर	12,751	10,129	79	2,622	21
झारखंड	10,887	6,998	64	3,889	36
कर्नाटक	102,226	61,898	61	40,328	39
केरल	16,533	9,096	55	7,437	45
मध्य प्रदेश	231,246	169,376	73	61,870	27
महाराष्ट्र	340,924	236,412	69	104,512	31
मणिपुर	2,897	2,525	87	372	13
मेघालय	1,827	1,644	90	183	10
मिजोरम	336	73	22	263	78
नागालैंड	2,002	1,254	63	748	37
ओडिशा	42,871	31,039	72	11,832	28

1	2	3	4	5	6
पंजाब	46,958	23,549	50	23,409	50
राजस्थान	143,497	87,866	61	55,631	39
सिक्किम	286	228	80	58	20
तमिलनाडु	86,472	29,344	34	57,128	66
त्रिपुरा	857	670	78	187	22
उत्तर प्रदेश	201,029	104,387	52	96,642	48
उत्तराखंड	14,703	10,768	73	3, 935	27
पश्चिम बंगाल	110,535	19,726	18	90,809	82
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	242	78	32	164	68
चंडीगढ़	2,722	41	2	2,681	98
दादरा और नगर हवेली	1,471	1,261	86	210	14
दमण और द्वीप	1,071	659	62	412	38
दिल्ली	24,966	1,063	4	23,903	96
लक्षद्वीप	0	0	-	0	-
पुडुचेरी	1,662	194	12	1,468	88
भारत	1,943,766	1,165,167	60	778,599	40

[हिन्दी]

कुश्ती को बढ़ावा देना

340. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुश्ती को बढ़ावा/प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों के राज्य-वार किन-किन शहरों में पहलवानों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करी जा रही हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पहलवानों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) विभिन्न खेल विधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय खेल परिसंघ में निहित है जो कुश्ती के मामले में भारतीय कुश्ती परिसंघ है। सरकार सहमत दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल.डी.पी.एस.) के अनुसार, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल विधाओं के आयोजन, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय खेल विधाओं में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी, बारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/टीमों को

प्रशिक्षण/कोचिंग, उपस्कर और उपभोज्य आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से उनके प्रयासों की संपूर्ति करती है। 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में भारतीय कुश्ती टीम की भागीदारी की तैयारी के लिए सरकार ने 1572.16 लाख रु. के अनुमानित व्यय के साथ एक योजना तैयार की है जिसमें खेल क्षेत्र का अनुरक्षण प्रभार (40.00 लाख रु.), भोजन और सामग्री (546.00 लाख रु.), आवासीय शुल्क (420.00 लाख रु.), वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता (50.40 लाख रु.), उपभोज्य खेल उपस्कर (10.50 लाख रु.), गैर उपभोज्य खेल उपस्कर (15.00 लाख रु.), भारतीय कोच (38.40 लाख रु.), सहायक कर्मी (33.60 लाख रु.), विदेशी प्रदर्शन और प्रशिक्षण (239.76 लाख रु.), भारत में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यात्रा (147.00 लाख रु.) और खेल किट (31.50 लाख रु.) शामिल हैं।

राज्य स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं के विकास की जिम्मेदारी राज्य स्तरीय परिसंघों और संबंधित राज्य सरकार की होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण निम्नलिखित संवर्धनात्मक योजनाएं चला रहा है। जिसमें कुश्ती एक विधा है और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले अनुभवी कोचों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है:-

क. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना (एन.एस.टी.सी.)

ख. सेना बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.)

ग. भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केंद्र (एस.टी.सी.)

घ. विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)

ङ. उत्कृष्टता केंद्र (सी.ओ.ई.)

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पहलवानों को दी जा रही कोचिंग सुविधा दर्शाने वाली नगरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त भा.खे.प्रा. ने विभिन्न राज्यों में 38 अखाड़ों को अपनाया है जहां पहलवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन अखाड़ों की सूची संलग्न विवरण-II पर है।

भा.खे.प्रा. ने पहलवानों को प्रशिक्षित करने की अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कुश्ती के 56 कोचों को भी तैयार किया है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में 3 विदेशी कोचः- एक-एक फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन शैली के लिए राष्ट्रीय कोचिंग कैंपों में भाग ले रहे शीर्ष पहलवानों को प्रशिक्षितखित करने में लगे हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	स्कूल का नाम
		एन.एस.टी.सी. स्कीम
1.	केंद्रीय क्षेत्र	रा. मल्टीपरपजं हाई स्कूल, इंदौर, मध्य प्रदेश
2.	पश्चिमी क्षेत्र	भूपाल नूल्स हाई स्कूल, उदयपुर, राजस्थान
		देशज खेल और मार्शल आर्ट स्कूल (आई.जी.एम.ए.)
1.	पूर्वी क्षेत्र	पूज्य तपस्वी जगजीवनजी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर, नालंदा, बिहार
2.		डी.ए.वी. प्राइमरी स्कूल, एम.सी.एफ. लिमि., पो. डफेरा, तलचर, अंगुल, उड़ीसा
3.	उत्तरी क्षेत्र	शारदा सर्वहितकारी माडल स्कूल, सेक्टर-40 डी, चंडीगढ़
		नवोदय विद्यालय
1.		पाबरा, जि. हिसार, हरियाणा

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	स्कूल का नाम
2.		नवोदय विद्यालय, तीतराम, कैथल, हरियाणा
		सेना बाल खेल कंपनी
1.	पश्चिम क्षेत्र	बाल खेल कंपनी, बी.ई.जी. एंड सेंटर, खिड़की, महाराष्ट्र
2.		बाल खेल कंपनी, आर्मी खेल संस्थान, पुणे
		भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केंद्र (एस.टी.सी.)
1.	दक्षिणी क्षेत्र	धारवाड़, कर्नाटक
2.	केंद्रीय क्षेत्र	इंदौर, मध्य प्रदेश
3.		जबलपुर, मध्य प्रदेश
4.	उपकेंद्र, लखनऊ	लखनऊ, उत्तर प्रदेश
5.		सैफई, इटावा उत्तर प्रदेश
6.		काशीपुर, उत्तरांचल
7.	एन.ई.आर., सोनीपत	भिवानी, हरियाणा
8.		हिसार, हरियाणा
9.		सोनीपत, हरियाणा
10.		दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र
11.	पश्चिमी क्षेत्र	गांधी नगर, गुजरात
12.		विस्तार केंद्र, जयपुर वि.वि., राजस्थान
13.		कांदिवली, महाराष्ट्र
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	धेनकनाल, ओडिशा
		विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)
1.	उत्तर पूर्व क्षेत्र	इंफाल, मणिपुर
2.		आइजवाल, मिजोरम
3.	केंद्रीय क्षेत्र	धार, मध्य प्रदेश
		एस.टी.सी./एस.ए.जी. केंद्रों का विस्तार क्षेत्र
1.	उप केंद्र, लखनऊ	मगबारन सिंह कॉलेज, कर्मपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
		उत्कृष्टता केंद्र (सी.ओ.ई.)
1.	पश्चिमी क्षेत्र	कांदिवली महाराष्ट्र

विवरण-II

अपनाया गया अखाड़ा

क्र.सं.	अखाड़े का नाम
	महाराष्ट्र
1.	क्रीड़ा विकास व्यायाममंडल, सांगली
2.	गोकुल उस्ताद तालिम, पुणे
3.	मामासाहेब मोहल कुश्ती अखाड़ा, कटराज, पुणे-411046
4.	मोतीबाग तालिक केंद्र, कोल्हापुर
5.	राजकीय कु. केंद्र, कोल्हापुर
6.	रंगनाथ मरकाड क्रीड़ा एवं युवक मंडल इंदापुर, जिला पुणे
7.	गुलशची तालिक अखारा, पुणे
8.	विश्वात्मक जांगली महाराज कुश्ती कें. कोथामटम, अहमदनगर
9.	भारतीय विद्यापीठ, पुणे काडेगांव, तहसील काडेगांव, जिला सांगली
10.	संग्राम सिंह मोहित पाटील व्यायामशाला एवं कुश्ती कें, बेलापुर, जिला शोलापुर
11.	फ्रीडम फाइटर एन.एल. वाकवड़े व्यायामशाला अखाड़ा 1002, तिलक पथ, पो. भागुर, तहसिल एवं जिला नासिक
12.	वीर हनुमान कलाक्रीड़ा समाजसेवी संस्कृति एवं व्यायाममंडल तालिक सांगली,
13.	जय शिवराज एजुकेशन सोसाइटी मुरगड, जिला कोल्हपुर
14.	गांधी एजुकेशन सोसा. कुडंल, जिला सांगली
15.	सत्य निकेतन एडवांस एम.एन. देशमुख आर्ट साइंस कॉलेज, अहमदनगर
	राजस्थान
16.	लवकुश अखारा भीलवाड़ा
	उत्तरी सोनीपत हरियाणा
17.	चौ. प्रताप सिंह मोमोरियल स. खरकोड़ा, सोनीपत
18.	चौ. भरत सिंह मेमोरियल स्पो. स्कूल, निदानी, जिला जिंद
19.	लाला दीवानचंद मार्डन कुश्ती केंद्र चारा, झज्जर
	दिल्ली
20.	मास्टर चंदगीराम व्यायामशाला, श्री महाकाली आश्रम, सिविल लाइन, दिल्ली-54
21.	महर्षि दयानंद अखाड़ा, नजफगढ़, नई दिल्ली-43
22.	गुरू हनुमान अखाड़ा, दिल्ली
23.	गुरू जसराम बाल व्यायामशाला नई दिल्ली
24.	कैप्टन चांदरूप अखाड़ा, आजादपुर, नई सब्जी मंडी ट्रांसपोर्ट दिल्ली
25.	लाला राम व्यायामशाला प्रबंधक समिति, रोशनआरा बाग, सब्जी मंडी दिल्ली
26.	सोनकर व्यायामशाला ए 31 डबल स्टोरी, गुरमंडी, नई दिल्ली
27.	सर छोटू राम व्यायामशाला बस्ती विकास केंद्र, साइड नं. 11बी ब्लॉक, शाहाबाद डेरी
	पंजाब भा.खे.प्रा. केंद्र (चंडीगढ़)
28.	बाबा शेख फरीद कुश्ती अखाड़ा, फरीदकोट
29.	पद्मश्री करतार सिंह अखाड़ा, अमृतसर
30.	गुलजार सिंह, कुश्ती अखाड़ा, जिरकपुर
31.	अखाड़ा पकहोक 3, कनाल कैम्पस तरनतारण, अमृतसर
32.	कुश्ती केंद्र माता गंगा कॉलेज एवं श्री गुरू अर्जन देव सीनियर सेंकेंडरी बालिका स्कूल तरनतारण, अमृतसर

क्र.सं.	अखाड़ा का नाम
33.	प्रीतम कुश्ती क्लब, गांव रख कोहली, तहसिल अंजला, जिला अमृतसर
34.	रूस्तम हिंद केसर सिंह अखाड़ा, पटियाला
	केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र
	मध्य प्रदेश
35.	श्री अच्युतानंद गुरू व्यायामशाला, उज्जैन
36.	बिंदु गुरू व्यायामशाला, इंदौर
37.	देशवली समाज व्यायामशाला, उज्जैन
	उपकेंद्र लखनऊ
38.	गुरू गया सेठ, वाराणसी
39.	ढक्कू बाबा अखाड़ा जमालपुर, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
	उप केंद्र गुहाटी (असम)
40.	लंघिन तिनौली खोल संघ, लंघिन, जिला कर्बी, अंगलांग
	पूर्वी
	ओडिशा
41.	गुरूकुल आश्रम, अमसेना, नौपाड़ा

[अनुवाद]

चीनी मिलों के लिए ऋण

341. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उन चीनी मिलों का चीनी विकास कोष से रियायती ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है जिनकी इथनॉल के उत्पादन के लिए सुविधाएं विकसित करने हेतु अपनी स्वयं की मद्यनिर्माण शालाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) सरकार शीरे से एनहाइड्रस एल्कोहल अथा इथानाल का उत्पादन करने के लिए चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से पहले ही रियायती ऋण प्रदान कर रही है।

(ख) कोी भी चीनी कारखाना जिसकी प्रतिदिन पेराई की स्थापित क्षमता 2500 टन अथवा उससे अधिक हो और किसी वित्तीय संस्थान अथवा अनुसूचित बैंक से वित्तीय सहायता के लिए मूल्यांकित और अनुमोदित परियोजना क्रियान्वित कर रहा हो, वह इस शर्त के अध्यधीन चीनी विकास निधि से ऋण लेने का पात्र होता है कि वह वित्तीय संस्था अथवा अनुसूचित बैंक की अपेक्षा के अनुसार परियोजना की लागत का 10% व्यय प्रवर्तक के अंशदान के एक भाग के रूप में अपने संसाधनों से वहन करे। यह ऋण परियोजना लागत के 40% तक का दिया जा सकता है और इस पर बैंक दर से 2% कम साधारण ब्याज की रियायती लागू होती है।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मंदिरों का पुनर्स्थापन

342. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1960 के आरंभिक दशक में भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर कस्बे का कोई प्राचीन मंदिर गोविंद सागर झील में डूब गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन मंदिरों का पुनर्स्थापन करने और उन्हें उनकी प्राचीन कीर्ति लौटाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश के उदयपुर

कस्बे में जर्जर स्थिति में पड़े 12वीं सदी के मृकुला देवी मंदिर की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। 1960 के दशक के प्रारंभ में भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में सतलेज नदी में गोविंद सागर झील में 28 मंदिर जलमग्न हो गये हैं।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जलमग्न मंदिरों को पुनर्स्थापन के लिए वैकल्पिक स्थिति की पहचान कराने में राज्य सरकार की सहायता की है।

(ङ) और (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले ही संरक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया है। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को लकड़ी के मंदिरों के विश्लेषणात्मक अध्ययन का काम सौंपा गया है।

[अनुवाद]

समझौता ट्रेन बम धमाका

343. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समझौता एक्सप्रेस बम धमाके मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान को समझौता एक्सप्रेस धमाके के संबंध में डोजियर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों की धमाके के अंजामकर्ताओं के रूप में पहचान की गई है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) हरियाणा राज्य सरकार के अनुरोध पर और अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए, दिनांक 18/19-02-2007 के समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के प्रासंगिक प्रावधान के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) को सौंपी/अंतरित की गई है।

(ख) मामले की जांच के पश्चात, एन.आई.ए. ने 05 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 05 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया है। इनमें से, 02 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं।

बी.सी.सी.सी. की स्थापना

344. श्री संजय भोई: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेटेलाइट टी.वी. चैनलों द्वारा अपने कार्यक्रमों की विषयवस्तु के संबंध में विनियमन के लिए इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन (आई.बी.एफ.) के परामर्श से एक प्रसारणगत विषयवस्तु शिकायत परिषद (बी.सी.सी.सी.) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) जी, हां। प्रमुख सैटेलाइट टीवी चैनलों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आई.बी.एफ.) नामक औद्योगिक निकाय ने मंत्रालय के साथ परामर्श करके मनोरंजन चैनलों की विषय-वस्तु के संबंध में एक द्वि-स्तरीय स्व-विनियामक तंत्र की स्थापना की है जिसमें प्रथम स्तर पर प्रसारक को और द्वितीय स्तर पर विषय-वस्तु शिकायत परिषद (बी.सी.सी.सी.) को रखा गया है। बी.सी.सी.सी. एक 13 सदस्यीय निकाय है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में और अन्य 12 सदस्य शामिल हैं। बी.सी.सी.सी. के अन्य सदस्यों की संरचना निम्नानुसार है:-

(i) चार सुविख्यात व्यक्ति।

(ii) चार प्रसारक सदस्य।

(iii) राष्ट्रीय स्तर के सांविधिक आयोगों से चार सदस्य।

अंतिम श्रेणी में राष्ट्रीय आयोगों का राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.), राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग (एन.सी.एस.सी.) द्वारा अनिवार्यतः प्रतिनिधित्व किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसे अन्य राष्ट्रीय आयोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकायत के स्वरूप पर निर्भर करते हुए बी.सी.सी.सी. की बैठक के लिए चौथे सदस्य का चयन किया जाएगा। परिकल्पना है कि आयोग का अध्यक्ष या आयोग के एक सदस्य का बी.सी.सी.सी. में प्रतिनिधित्व होगा।

बी.सी.सी.सी. को मनोरंजन चैनलों द्वारा कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन से संबंधित सबी शिकायतों की जांच करने तथा संबंधित चैनलों को किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक विषय-वस्तु को आशोधित करने या वापस लेने के लिए उपयुक्त निदेश देने का अधिदेश प्राप्त होगा। यदि बी.सी.सी.सी. को यह रिपोर्ट प्राप्त होती है या यह उसकी जानकारी में लाया जाता है कि कोई प्रसारक/टेलीविजन चैनल उसके निदेशों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो उसे निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक कार्रवाई शुरू करने का अधिदेश प्राप्त है:-

(i) अगले अड़तालीस घंटों के भीतर निदेश को कार्यान्वित करने के लिए चेतावनी जारी करना।

(ii) यथा निर्णीत किए जा सकने वाले तरीके से क्षमायाचना का प्रसारण करना।

(iii) विवादित मामले का हल न निकलने तक चैनल की बकाया राशि के संबंध में कार्रवाई करने पर विचार न करने हेतु आई.बी.एफ. को निदेश जारी करना।

(iv) संबंधित सदस्य को बाहर निकालने की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आई.बी.एफ. को निदेश जारी करना।

(v) बी.सी.सी.सी. के निदेशों को कार्यान्वित न करने वाले टेलीविजन चैनल के आपवादिक मामलों में बी.सी.सी.सी. चैनल के विरुद्ध नियमानुसार उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सिफारिश कर सकता है।

बी.सी.सी.सी. द्वारा आई.बी.एफ. को जारी कोई भी निदेश बाध्यकारी होगा और उसका तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन अवश्य किया जाना होगा। बी.सी.सी.सी. ने जून, 2011 में कार्य करना शुरू कर दिया है और उसकी पहली बैठक दिनांक 30-06-2011 को आयोजित की गई।

ग्रामीण गोदाम योजना

345. श्री एस. सेम्मलई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत स्थापित किए गए गोदामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे गोदामों की राज्यवार क्षमता कितनी है;

(ग) वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक इस योजना के अन्तर्गत कितना बजटीय आबंटन किया गया और कितनी वास्तविक धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रगति में तेजी लाने के लिए सब्सिडी पद्धति में कोई बदलाव लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रामीण गोदाम स्कीम के अन्तर्गत स्थापित उनकी क्षमता सहित गोदामों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए ब्यौरा अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है।

(ग) स्कीम के अन्तर्गत बजटीय आबंटन और वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक खर्च की गई वास्तविक राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस स्कीम की समय-समय पर आवश्यकता अनुसार समीक्षा की जाती है। राजसहायता पैटर्न का अन्तिम बार संशोधन 26-06-2008 को किया गया था।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण गोदाम स्कीम के अन्तर्गत स्थापित ग्रामीण गोदामों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11	
		संख्या	क्षमता मीट्रिक टन में	संख्या	क्षमता मीट्रिक टन में	संख्या	क्षमता मीट्रिक टन में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	78	177850	18	77431	91	349394
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	18	14640	17	40305	12	44804
4.	बिहार	260	28696	105	9024	0	0
5.	छत्तीसगढ़	35	84802	19	27535	25	59458
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	990	242828	909	264519	813	180864
8.	हरियाणा	313	133953	28	174472	46	1453394
9.	हिमाचल प्रदेश	01	100	5	1769	01	116
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	4	3698	0	0
12.	कर्नाटक	296	167546	233	150176	447	364523
13.	केरल	14	15227	3	850	01	1004
14.	मध्य प्रदेश	284	690000	225	540000	86	257000
15.	महाराष्ट्र	273	315793	235	280859	175	228938
16.	मेघालय	0	0	1	731	2	1060
17.	मिजोरम	0	0	0	0	1	302
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	14	22502	24	38456	17	25743
20.	पंजाब	0	0	2	233	4	011160

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	राजस्थान	212	132951	122	60833	75	83129
22.	तमिलनाडु	198	155639	24	82829	16	65906
23.	उत्तर प्रदेश	75	203226	17	51465	20	32052
24.	उत्तराखंड	31	48507	14	40559	15	24042
25.	पश्चिम बंगाल	158	71180	60	44838	95	70484
26.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
28.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
29.	संघ क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	3245	2505440	2065	1890582	1942	3253343

विवरण-II

ग्रामीण गोदाम स्कीम के अन्तर्गत 2006-07 से 2010-11 के दौरान बजटीय आवंटन और खर्च की गई वास्तविक राशि का ब्यौरा

वर्ष	वित्तीय (करोड़ रुपए में)	
	परिव्यय	व्यय
2006-07	70.00	69.93
2007-08	70.00	69.96
2008-09	80.00	80.00
2009-10	68.00	61.00
2010-11	120.00	109.74

तम्बाकू की खेती

346. डॉ. ज्योति मिर्धा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/आई.सी.ए.आर. किसानों के लिए जीविका का एक उपयुक्त वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने और तम्बाकू की खेती का क्रमिक रूप से प्रचलन बंद करने के उद्देश्य से तम्बाकू को प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से एक वैकल्पिक फसल की खोज करने/उसकी पहचान करने/इसकी अनुमति देने के लिए अनुसंधान पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अभिप्रेत/चल रहे अनुसंधान की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या आई.सी.ए.आर. संस्थान अथवा बाहरी संस्थानों को यह कार्य सौंपा गया है; और

(घ) इस अनुसंधान को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां।

(ख) "विभिन्न कृषि-पारिस्थिकीय उप-क्षेत्रों में बीड़ी और चबाने वाले तम्बाकू की वैकल्पिक फसलें" नामक पायलट परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा अर्थात (i) वैकल्पिक फसल/फसलीय प्रणाली की पहचान (ii) प्रदर्शन और (iii) विभिन्न राज्यों में व्यावहारिक फसलों/फसलीय प्रणाली को लोकप्रिय बनाना। पायलट परियोजना को अक्तूबर 2008 में तीन वर्ष की अवधि के लिए आरंभ

किया गया था। तथापि अध्ययन की अवधि को वर्ष 2015 तक बढ़ाए जाने की संभावना है।

(ग) देश के तम्बाकू उगाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्दी, इसके अनुसंधान केन्द्रों तथा अखिल भारतीय तम्बाकू नेटवर्क अनुसंधान परियोजना (ए.आई.एन.आर.पी.टी.) केन्द्रों को यह दायित्व सौंपा गया है।

(घ) यह अनुसंधान परियोजना वर्ष 2015 तक पूरा कर ली जाएगी।

[हिन्दी]

दूसरी हरित क्रांति

347. डॉ. भोला सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूसरी हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के नए प्रयास के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), समेकित तिलहन, दलहन, मक्का और ऑयलपाम स्कीम (आईसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन के अन्तर्गत चावल/गेहूं/मोटे अनाज (मक्का को छोड़कर) के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का समेकित विकास, गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषाहार सुरक्षा हेतु पहल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) आदि जैसी विभिन्न फसल विकास स्कीमों का कार्यान्वयन किया है।

"पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने" के कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न कृषि जलवायुवीय उप क्षेत्रों में आने वाली बाधाओं का समाधान करके संसाधन सम्पन्न, क्षमतावान पूर्वी भारत में उपज अन्तराल को पाटना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य संस्तुत कृषि प्रौद्योगिकी और पद्धतियों के पैकेज का संवर्धन करके चावल आधारित फसलन प्रणाली की उत्पादकता की वृद्धि करना है। हरित क्रांति कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे कोई अलग खाद्यान्न लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। "सस्य कृषि, कृषि आदानों, मांग और आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि सांख्यिकी" पर योजना आयोग के कार्यदल ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 234.26 मिलियन टन होने वाले खाद्यान्न की मांग का आकलन किया है। 2010-11 (चौथा अग्रिम अनुमान) 234.26 मिलियन टन की परिकल्पित मांग की तुलना में 241.56 मिलियन टन खाद्यान्न के रिकार्ड उत्पादन का अनुमान है।

[अनुवाद]

अवैध निर्माणों के संबंध में रिपोर्ट

348. श्री पूर्णमासी राम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई. डी.एम.) और दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र में भवनों की सुमेद्यता से संबंधित कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यमुनापार क्षेत्र में अक्षुण्ण रूप से अभी भी अवैध निर्माण चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) वर्ष 2010 और 2011 के दौरान अवैध निर्माण के संबंध में एम.सी.डी. इंजीनियरों के खिलाफ कुल कितनी शिकायतें मिलीं और प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई; और

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिनांक 15 नवम्बर, 2010 को ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में भवन के ढह जाने की एक घटना की जांच करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित किए गए जांच आयोग ने यमुना-पार क्षेत्र में भवनों की दोषपूर्णता के सर्वेक्षण का कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आी.डी.एम.) को

सौंपा है। इस संस्थान ने इस संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट जांच आयोग को नहीं सौंपी है।

(ग) और (घ) जब कभी किसी अनधिकृत निर्माण की जानकारी मिलती है, तब इसके विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। पिछले एक वर्ष के दौरान, दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में 1062 सम्पत्तियों को ढहाए जाने के लिए बुक किया गया था, 200 सम्पत्तियों को सील किया गया था और 1294 सम्पत्तियों को ढहा दिया गया था, जिनमें बिना बुकिंग के चालू अनधिकृत निर्माणों का ढहाया जाना शामिल था।

(ङ) वर्ष 2010 एवं 2011 के दौरान (जून, 2011) दिल्ली नगर निगम को अनधिकृत निर्माणों से संबंधित 4686 शिकायतें प्राप्त हुईं। आरोपों की गंभीरता के आधार पर, 79 शिकायतों को दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग द्वारा जांच के लिए हाथ में लिया गया था। शेष शिकयातों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित उपायुक्त/विभागाध्यक्ष को अग्रसारित कर दिया गया था। ऊपरवर्णित अवधि के दौरान, दिल्ली नगर निगम के 188 इंजीनियरों के विरुद्ध अनधिकृत निर्माणों को अनुमति प्रदान करने के लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही की गई थी।

(च) जब कभी किसी अधिकृत निर्माण कार्य के बारे में सूचना मिलती है तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबंध के अनुसार संबंधित अंचलों के निर्माण विभाग द्वारा अवैध/अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। एम.सी.डी. ने दिल्ली में अनधिकृत/अवैध निर्माण कार्यों का पता लगाने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी अवसंरचना को पुनर्गठित किया है। इस संदर्भ में, कई उपाय किए गए हैं जिनमें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, आंचलिक नियंत्रण कक्ष, अवैध निर्माण को गिराने वाले दस्ते आदि का पुनर्गठन करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना शामिल है। इसके अलावा अनधिकृत/अवैध निर्माण कार्यों के विरुद्ध निगरानी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक नोडल कार्य संचालन समिति का गठन किया गया है।

पेड न्यूज

349. श्री इन्दर सिंह नामधारी:

श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रेस परिषद से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत पेड न्यूज के खतरे को रोकने के लिए भारतीय प्रेस परिषद (पी.सी.आई.) को आवश्यक शक्तियों से लैस करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त मामले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित एक मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो मंत्रियों के समूह द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (च) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न भागों में पेड न्यूज के संबंध में समय-समय पर रिपोर्टें व शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय प्रेस परिषद ने इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया और 'पेड न्यूज पर अपनी रिपोर्ट' को जारी किया। रिपोर्ट में परिषद द्वारा की गई सिफारिशों में 'पेड न्यूज' के खतरे को कारगर ढंग से रोकने के लिए भारतीय प्रेस परिषद को और अधिक शक्तियां प्रदान किए जाने की बात शामिल है।

सरकार ने भारतीय प्रेस परिषद द्वारा 'पेड न्यूज' पर तैयार की गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच करने और इस समस्या का हल निकालने के लिए व्यापक नीति एवं संस्थागत तंत्र पर अपने विचार देने हेतु एक मंत्री-समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया है। यह मामला विचाराधीन है और मंत्री-समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

[हिन्दी]

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

350. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.)

की सिफारिशों के बावजूद धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मात्र 80 रुपये की वृद्धि की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दलहनों की तुलना में धान के समर्थन मूल्य में नाममात्र की वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के अनुसार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 80 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) ने यह सिफारिश की थी कि यदि निर्यात पर प्रतिबंध को बरकरार रखा जाता है और लेवी (कर) को कम नहीं किया जाता हैं तो सरकार को सिफारिश किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य के शीर्ष पर 80 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए।

राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकताओं के अनुसार चावल पर लेवी (कर) की घोषणा की जाती है। सरकार ने हाल ही में एक मिलियन टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है।

मांग-आपूर्ति के अन्तर को ध्यान में रखते हुए दलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि धान की तुलना में अधिक है।

[अनुवाद]

मलिन बस्ती में रहने वालों के लिए आवासीय इकाइयां

351. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में उन मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार की गई है अथवा किए जाने की संभावना है जिनको मलिन बस्तियों को देश में विभिन्न शहरों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से हटाया गया है/स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मलिन बस्ती निवासियों को सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार मलिन बस्ती निवासियों को ऐसे आवासों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुसरण में, दिनांक 02-06-2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। राजीव आवास योजना के चरण-I की अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की है जिसके लिए 5000 करोड़ रु. के बजट की व्यवस्था की गई है और व्यय को वास्तविक योजना परिव्यय तक सीमित किया गया है। इस स्कीम में उन राज्यों को सहायता दी जाएगी जो स्लम विकास और किफायती आवासों के निर्माण हेतु उत्तम आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान हेतु स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक हैं।

(ख) से (ङ) इस स्कीम का अनुमोदन 2 चरणों मे किया गया है। पहले चरण की अवधि वर्ष 2011-13 है और द्वितीय चरण की अवधि 2013 से 12वीं योजना के अंत तक है। इस स्कीम में 12वीं योजना (2017) के अंत तक देश भर में लगभग 250 शहरों को शामिल किए जाने का अनुमान है। शहरों का चयन केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। राज्यों द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. के सभी मिशन शहरों विशेषत: 2001 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों; शहरों, स्लमों, अल्पसंख्यक बहुल्य आबादी वाले शहरों के विकास की गति पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए अन्य छोटे शहरों और उन क्षेत्रों जहां संपत्ति का अधिकार दिया गया है, को शामिल किया जाना अपेक्षित है। स्कीम की प्रगति राज्यों द्वारा निर्धारित गति पर चलेगी। स्लम मुक्त शहरी आयोजना स्कीम के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यकलाप करने के लिए संलग्न विवरण की सूची के अनुसार 157 शहरों को 99.98 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। चूंकि यह स्कीम 2 जून, 2011 को अनुमोदित की गई है इसलिए आवासीय इकाइयों का निर्माण अभी शुरू किया जाना है।

विवरण

157 शहरों की सूची

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु. में)/शहरों की संख्या		शहर एस.एफ.सी.पी. द्वारा जारी की गई राशि
1	2	3		4
1.	आन्ध्र प्रदेश	472.72 (10 शहर)	1.	ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम (जी.एच.एम.सी.)
		969.40 लाख की दूसरी किश्त मार्च 2011 में निर्मुक्त की गई।	2.	ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर-निगम (जी.वी.एम.सी.)
			3.	विजयवाड़ा
			4.	तिरुपति
			5.	गुंटूर
			6.	नैल्लोर
			7.	करनूल
			8.	राजामुन्दरी
			9.	वारंगल
			10.	काकीनाड़ा
2.	अरुणाचल प्रदेश	111.29 (दो शहर)	11.	नाहरलागुन
			12.	ईटा नगर
3.	असम	76.43 (एक शहर)	13.	गुवाहाटी
4.	बिहार	191.59 (चार शहर)	14.	पटना
			15.	गया
			16.	भागलपुर
			17.	मुजफ्फरपुर
5.	छत्तीसगढ़	182.88 (चार शहर)	18.	भिलाई नगर
			19.	रायपुर
			20.	बिलासपुर

1	2	3	4
			21. कोरबा
6.	दिल्ली	981.96 (डी.एम.सी.)	22. दिल्ली क्षेत्र का नगर-निगम
7.	गोवा	111.70 (तीन शहर)	23. मारमागोवा
			24. पणजी
			25. मारगोवा
8.	गुजरात	431.64 (आठ शहर)	26. अहमदाबाद
			27. सूरत
			28. वदोदरा
			29. राजकोट
			30. जामनगर
			31. भावनगर
			32. भड़ूच
			33. पोरबन्दर
9.	हरियाणा	151.3 (तीन शहर)	34. फरीदाबाद
			35. पानीपत
			36. यमुना नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	63.84 (एक शहर)	37. शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	236.80 (छह शहर)	38. जम्मू
			39. श्रीनगर
			40. अनंतनाग
			41. उधमपुर
			42. बारामूला
			43. कठुआ
12.	झारखंड	206.11 (चार शहर)	44. जमशेदपुर
			45. धनबाद
			46. रांची

1	2	3	4
			47. बोकारो स्टील सिटी
13.	कर्नाटक	400.4 (आठ शहर)	48. बंगलोर
			49. मैसूर
			50. हुबली-धारवाड़
			51. मैंगलोर
			52. बेलगांव
			53. गुलबर्ग
			54. देवनगरी
			55. बिल्लारी
14.	केरल	263.31 (छह शहर)	56. कोच्ची
			57. तिरुअनंतपुरम
			58. कोझीकोड़े
			59. कन्नूर
			60. कोल्लम
			61. थ्रिसूर
15.	मध्य प्रदेश	282.25 (छह शहर)	62. इंदौर
			63. भोपाल
			64. जबलपुर
			65. ग्वालियर
			66. उज्जैन
			67. सागर
16.	महाराष्ट्र	944.67 (सौलह शहर)	68. ग्रेटर मुम्बई
			69. पूना
			70. नागपुर
			71. नासिक
			72. औरंगाबाद

1	2	3	4
			73. सोलापुर
			74. भिवांडी
			75. अमरावती
			76. कोल्हापुर
			77. संगली-मिराज कुपवाड़
			78. नांदेड़- वागला
			79. मालेगांव
			80. अकोला
			81. जलगांव
			82. अहमद नगर
			83. धुले
17.	मणिपुर	55.79 (एक शहर)	84. इम्फाल
18.	मेघालय	95.63 (एक शहर)	85. शिलोंग
19.	मिजोरम	467.07 (आठ शहर)	86. आइजवाल
			87. चमफई
			88. कोलासिब
			89. लोंगतई
			90. तुंगलई
			91. मामित
			92. साईहा
			93. सरचिप
20.	नागालैण्ड	108.03 (दो शहर)	94. कोहिमा
			95. दिमापुर
21.	ओडिशा	184.12 (पांच शहर)	96. भुवनेश्वर
			97. पुरी
			98. कटक

1	2	3		4
			99.	राउरकेला
			100.	ब्रह्मपुर
22.	पुडुचेरी	79.01 (दो शहर)	101.	पुडुचेरी
			102.	ओझूकरी
23.	पंजाब	583.34 (पांच शहर)	103.	लुधियाना
			104.	अमृतसर
			105.	जालंधर
			106.	पटियाला
			107.	भटिंडा
24.	राजस्थान	281.15 (छह शहर)	108.	जयपुर
			109.	जौधपुर
			110.	कोटा
			111.	बीकानेर
			112.	अजमेर
			113.	उदयपुर
25.	सिक्किम	62.39 (एक शहर)	114.	गंगटोक
26.	तमिलनाडु	480.14 (नौ शहर)	115.	चैन्नई नगर-निगम
			116.	कोयम्बटूर
			117.	मदुरई
			118.	तिरुचुरापल्ली
			119.	सालेम
			120.	तिरुपुर
			121.	तिरुनावेली
			122.	एरोडे
			123.	वेल्लौर
27.	त्रिपुरा	54.68 (एक शहर)	124.	अगरतला

1	2	3	4
28.	उत्तर प्रदेश	733.17 (अठ्ठरह शहर)	125. कानपुर
			126. लखनऊ
			127. आगरा नगर-निगम
			128. वाराणसी
			129. मेरठ
			130. इलाहाबाद
			131. गाजियाबाद
			132. बरेली
			133. अलीगढ़
			134. मुरादाबाद
			135. गोरखपुर
			136. झासी नगर-निगम
			137. सहारनपुर
			138. फिरोजाबाद
			139. मुजफ्फर नगर
			140. मथुरा
			141. शाहाजहानपुर
			142. नोएडा
29.	उत्तरांचल	114.63 (तीन शहर)	143. देहरादून
			144. नैनीताल
			145. हरिद्वार
30.	पश्चिम बंगाल	423.27 (चार शहर)	146. कोलकाता
			147. आसनसोल
			148. दुर्गापुर
			149. सिलीगुड़ी (भाग)
31.	दमन और द्वीव	58.06 (दो शहर)	150. दमन

1	2	3	4
			151. द्वीव
32.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	43.45 (दो शहर)	152. सिलवासा
			153. अमली
33.	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	76.18 (एक शहर)	154. पोर्ट ब्लेयर
34.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	38.94 (तीन शहर)	155. आमीनी
			156. कवरत्ती
			157. मिनीकोए

[हिन्दी]

डेयरी विकास संबंधी व्यय

352. श्री देवराज सिंह पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार मध्य प्रदेश सहित देश में डेयरी विकास के क्रियाकलाप हेतु कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं; और

(ख) देश में कृषि विकास संबंधी क्रियाकलापों पर होने वाले कुल व्यय के अनुपात में इस व्यय की प्रतिशतता क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) मध्य प्रदेश सहित डेयरी विकास के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 580.00 करोड़ रुपए है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की डेयरी विकास योजनाओं के तहत राज्यवार वित्तीय आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) कृषि विकास संबंधी क्रियाकलापों से जुड़े व्यय के अनुपात के रूप में डेयरी विकास पर होने वाले व्यय की प्रतिशत हिस्सेदारी इस प्रकार है:-

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना व्यय (31-3-2011 को)

(करोड़ रुपए)

कृषि	डेयरी विकास	प्रतिशत
44477.18	380.60	0.86%

[अनुवाद]

ऐतिहासिक भवनों को खतरा

353. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में मेट्रो रेल के निर्माण के कारण इस शहर में ऐतिहासिक भवनों को कोई खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) हैदराबाद में केवल दो केन्द्रीय संरक्षित स्मारक अर्थात् गोलकोंडा किला और चारमीनार स्थित हैं। लारसेन और टोब्रो लिमिटेड द्वारा

उपलब्ध कराए गये प्रारंभिक मानचित्र के अनुसार गोलकोंडा किले को हैदराबाद मेट्रो रेल लाइन परियोजना से दूर दर्शाया गया है। चारमीनार से रेल लाइन की वास्तविक दूरी स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना भूमिगत निर्मित की जाएगी अथवा भूमि के ऊपर, इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस स्थिति में, स्मारक अर्थात् चारमीनार पर मेट्रो लाइन के प्रभाव पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

शहरी सुधार कार्यक्रम

354. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में खामी के कारण केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त जारी नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों के समक्ष शहरी सुधार कार्यक्रम में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर उपरोक्त कार्यक्रम की समीक्षा के पश्चात् व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर राज्य सरकारों के परामर्श से शहरी सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) शहरी क्षेत्रों में शहरी अवसंरचना एवं सेवाओं के प्रावधान हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) सुधार आधारित स्कीम है। इस स्कीम में परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की द्वितीय एवं परवर्ती किस्तें अनुदानों का 70 प्रतिशत उपयोग और राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा सहमत समय सीमा के अनुसार सुधार करने की शर्त पर जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) शहरी सुधारों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। इसकी उपलब्धियों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और राज्यों द्वारा व्यक्त कठिनाइयों के आधार पर सरकार, राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण और हैंड होल्डिंग के जरिए उनकी सहायता कर रही है।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक अध्येतावृत्ति

355. श्री ए. गणेशमूर्तिः क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार की संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को वार्षिक रूप से अध्येतावृत्ति प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने ऐसी अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए क्या मापदंड अपनाया है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्ति पाने वाले व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत और उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी हां। प्रत्येक वर्ष अध्येतावृत्तियां, संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को दी जाती है। संक्षेप में अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के मानदण्ड निम्नानुसार प्रत्येक संबंधित स्कीम के नीचे दिए गए हैं:

(1) संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम:-

इस स्कीम का उद्देश्य सृजनात्मक कलाओं के क्षेत्र में व्यक्तियों को अवसर प्रदान करना या हमारे पारम्परिक कला रूपों को पुनः जीवित करना है। अध्येतावृत्तियां निम्न-लिखित क्षेत्रों में शोधोन्मुख परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रदान की जाती हैं:

(क) मंच, साहित्यिक व रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां:

(ख) भारत विद्या शास्त्र, पुरालेख शास्त्र, संस्कृति का समाज शास्त्र, सांस्कृतिक अर्थशास्त्र, स्मारकों के संरचनात्मक व इंजीनियरी पहलू, मुद्राशास्त्र, संरक्षण के वैज्ञानिक व तकनीकी पहलू, कला व विरासत के प्रबंधन पहलू तथा

संस्कृति व सृजनात्मकता से सम्बद्ध क्षेत्रों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित अध्ययनों जैसे संस्कृति से सम्बद्ध नए क्षेत्रों में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां।

इसका उद्देश्य शोध की नई तकनीकों, प्रौद्योगिकीय व प्रबंधन सिद्धान्तों के कला व संस्कृति से सम्बद्ध क्षेत्रों में समकालीन मुद्दों के लिए विश्लेषणात्मक प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। 40 वर्ष से अधिक आयु समूह के कलाकारों के लिए प्रतिमाह 20,000 रु. की दर से अध्येतावृत्तियों की संख्या 200 होगी। 25-40 वर्ष के आयु समूह के कलाकारों के लिए प्रतिमाह 10,000 रु. की दर से कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या 200 होगी। इसके अलावा, चुनिंदा परियोजना दस्तावेजों के प्रकाशन के लिए अधिकतम 20,000 रु. या प्रकाशन लागत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का एकबारगी अनुदान दिया जा सकता है। यह 20 प्रतिशत अनुदानग्राहियों तक सीमित होगा।

वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के आवेदक को दीनहीन परिस्थितियों में कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम के तहत संस्कृति मंत्रालय से पेंशनग्राही नहीं होना चाहिए। आवेदक को अध्येतावृत्ति का लाभ पहले नहीं लिया हुआ होना चाहिए। तथापि, जिस आवेदक को कनिष्ठ अध्येतावृत्ति दी गई है वह वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि पहली परियोजना को समाप्त हुए 5 वर्ष हो गए हों। उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्रों में आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक है।

2. सांस्कृतिक शोध हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (टी.एन.एफ. सी.आर.):-

इस स्कीम का उद्देश्य, अध्येताओं/शिक्षाविदों को ऐसी परियोजनाओं व शोध कार्य, जो सांस्कृतिक संस्थानों के मुख्य उद्देश्यों से संबंधित हैं, पर कार्य करने व उन्हें नई सृजनात्मक विशिष्टता व शैक्षिक उत्कृष्टता से समृद्ध बनाने के लिए इन संस्थानों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करके संस्कृति मंत्रालय के तहत विभिन्न संस्थानों व देश में अन्य चिन्हित संस्थानों को सशक्त व सुदृढ़ करना है।

अध्येतावृत्ति प्रदान करने के मामलों पर ऐसे अध्येताओं, जिनके पास ठोस शैक्षिक या व्यावसायिक आधार है और जिन्होंने, अपने द्वारा रचित प्रतिष्ठित व संस्तुत पत्रिकाओं व पुस्तकों में प्रकाशनों में यथा प्रदर्शित अपने-अपने क्षेत्रों में ज्ञान में उल्लेखनीय योगदान किया है, या कला व संस्कृति के किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सृजनात्मक कृति वाले व्यक्ति पात्र होंगे।

प्रारंभ में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अध्येतावृत्तियों का आवेदन करने वाली संस्थाओं को प्रतिवर्ष 15 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 'टैगोर राष्ट्रीय अध्येता' जो विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान अथवा सरकारी तंत्र से संबंधित हो, ग्रेड वेतन आदि सहित वह उसी वेतन का हकदार होगा जो उसे अपने मूल संगठन में कार्य करते हुए मिलता। अन्य अध्येता 80,000/ प्रतिमाह के नियत मानदेय के हकदार होंगे। ऐसे सभी अध्येताओं, जो इस स्कीम के अंतर्गत अध्येतावृत्ति प्राप्त करेंगे, को अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान, अधिकतम 2.5 लाख रु. तक 'वास्तविक' आधार पर, शैक्षणिक दौरों शोध सहायकों की नियुक्ति आदि के लिए आकस्मिक व्यय, का भुगतान किया जाएगा। अध्येतावृत्ति की अवधि आमतौर पर अधिकतम दो वर्ष की होगी।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत शिक्षावृत्तियों और अध्येतावृत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(लाख रु.)

2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (वास्तविक)	2010-11 (वास्तविक)
580.98	449.01	709.02

जहां तक सांस्कृतिक शोध हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का संबंध है, मंजूर की गई निधियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह स्कीम हाल ही में कार्यान्वित की गई है।

जेल तोड़ने की घटना

356. राजकुमारी रत्ना सिंह:

श्री हरीश चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जेल-तोड़ने और जेलों से भागने की रिपोर्ट सामने आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले सामने आए/दर्ज हुए तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को ऐसे मामले रोकने हेतु कोई निदेश/परामर्श जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (च) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा समेकित आंकड़े के अनुसार, वर्ष 2007 से 2009 के दौरान जेल तोड़ने और जेल से भागने वालों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

'पुलिस', 'कारागार' और 'लोक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत राज्य के विषय हैं, इसलिए इसका उत्तरदायित्व प्राथमिकतः संबंधित राज्य सरकारों का होता है। दोषी जेल अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

तथापि, भारत सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जेलों में सुरक्षा प्रबंधों के सुदृढ़ीकरण (21-9-1998), जेलों में सुरक्षा उपायों को सख्त बनाने (14-08-2006), एक जेल से दूसरे जेल में कैदियों के स्थानान्तरण (16-07-2009), कारागार प्रशासन के समस्त पहलुओं पर व्यापक सलाह (17-07-2009) और जेल तोड़ने की घटना को रोकने के लिए जेलों में सुरक्षा उपायों को सुधारने (16-10-2009) के संबंध में राज्य सरकारों को सलाह जारी की है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2003 में समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जेलों के पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन के लिए आदर्श कारागार नियमावली भी अपनाए जाने हेतु परिचालित की है।

विवरण-I

वर्ष 2007-2009 के दौरान सूचित जेल तोड़ने की घटनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1	0	0
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखण्ड	1	0	0
12.	कर्नाटक	1	0	0
13.	केरल	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	1	1
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0
21.	पंजाब	1	2	0
22.	राजस्थान	1	8	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	0	0
27.	उत्तराखण्ड	1	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	1
	कुल (राज्य)	**6**	**11**	**3**
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और द्वीप	0	0	0

1	2	3	4	5
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल (केन्द्र शासित)	**0**	**0**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	6	11	3

*वर्ष 2008 तक जेल मौजूद नहीं थे।

विवरण-II

वर्ष 2007-2009 के दौरान सूचित जेल से भागने वालों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	67	63	55
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0
3.	असम	17	10	9
4.	बिहार	40	60	56
5.	छत्तीसगढ़	348	18	25
6.	गोवा	14	1	0
7.	गुजरात	23	52	37
8.	हरियाणा	9	5	17
9.	हिमाचल प्रदेश	3	2	3
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखण्ड	3	24	10
12.	कर्नाटक	39	19	30
13.	केरल	14	19	8
14.	मध्य प्रदेश	48	68	93

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	24	6	21
16.	मणिपुर	0	1	0
17.	मेघालय	4	7	6
18.	मिजोरम	3	4	3
19.	नागालैण्ड	3	2	0
20.	उड़ीसा	27	12	17
21.	पंजाब	36	27	21
22.	राजस्थान	66	43	45
23.	सिक्किम	0	1	0
24.	तमिलनाडु	38	40	21
25.	त्रिपुरा	0	0	2
26.	उत्तर प्रदेश	68	108	91
27.	उत्तराखण्ड	2	5	4
28.	पश्चिम बंगाल	12	18	18
	कुल (राज्य)	**908**	**615**	**592**
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और द्वीप	0	0	0
33.	दिल्ली	5	1	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल (केन्द्र शासित)	**5**	**1**	**1**
	कुल (अखिल भारत)	913	616	593

*वर्ष 2008 तक जेल मौजूद नहीं थे।

स्रोत: प्रीजन स्टेटिस्टिक्स इण्डिया

[हिन्दी]

समाचार एजेंसियों द्वारा भूमि का दुरुपयोग

357. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 17-08-2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3744 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऊपर संदर्भित उत्तर के संबंध में क्रम संख्या 1 से 9 में बताए गए समाचार एजेंसियों/प्रेस के माध्यम से प्रकाशित समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के नाम सहित उनके मालिकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन समाचार एजेंसियों/प्रेस को आवंटित भूमि/भवनों के दुरुपयोग के मद्देनजर आवंटन रद्द करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रैस/मीडिया के प्लॉटों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए दिनांक 25-05-2009 को एक समिति का गठन किया गया था ताकि वह अनुपालन को प्रोत्साहित कर सकने वाले यथार्थपरक नीतिगत ढांचे के बारे में सुझाव दे सके। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है ताकि शहरी विकास मंत्रालय इन सिफारिशों/रिपोर्ट के परिधि-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रैस/मीडिया के प्लॉटों से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों का निदान करने हेतु आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू करने में सक्षम हो सके।

[अनुवाद]

अमेरिका के साथ आतंकी डाटाबेस को बांटना

358. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आतंकी डाटाबेस को बांटने हेतु कोई वार्ता हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के संबंध में होमलैण्ड सिक्यूरिटी डायलॉग से संबंधित प्रारम्भिक वार्ता दिनांक 12 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में हुई थी। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय गृह सचिव ने किया था। यू.एस.ए. के शिष्ट मण्डल का नेतृत्व डिप्टी सेक्रेटरी, होमलैण्ड सिक्यूरिटी विभाग द्वारा किया गया था।

'काउण्टर टेररिज्म' के संबंध में भारत-यू.एस. संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक दिनांक 25 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें विभिन्न द्विपक्षीय सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी।

भारत-यू.एस. होमलैण्ड सिक्यूरिटी डॉयलॉग के संदर्भ में पहली बैठक दिनांक 27 मई, 2011 को नई दिल्ली में हुई थी। भारत सरकार के शिष्ट मण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय गृह मंत्री ने किया था और यू.एस.ए. की सरकार के शिष्टमण्डल का नेतृत्व सेक्रेटरी, होमलैण्ड सिक्यूरिटी विभाग द्वारा किया गया। इस बैठक में आपसी हित के विभिन्न द्विपक्षीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

हाल ही में दिनांक 19 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में हुए भारत-यू.एस. स्ट्रेटजिक डायलॉग के संदर्भ में केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमण्डल और डिप्टी सेक्रेटरी, होमलैण्ड सिक्यूरिटी विभाग के नेतृत्व में यू.एस.ए. के शिष्टमण्डल के बीच वार्ता हुई थी। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा मामलों से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी।

इन आवधिक वार्ताओं/विचार-विमर्शों से आतंकवाद का मुकाबला करने सहित विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के सुकर होने की आशा है।

खाद्यान्नों का भंडारण

359. श्री अब्दुल रहमान: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार खाद्यान्नों के भंडारण की

क्षमता वर्तमान में कितनी है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उनके राज्यों में गोदामों में क्षमता से अधिक भंडारण होने के मद्देनजर खाद्यान्नों को उनके राज्य से बाहर ले जाया जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण हेतु नए गोदामों के निर्माण का है अथवा नए गोदामों का निर्माण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों से राज्य-वार क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इन प्रस्तावों की स्थिति क्या है; और

(च) देश में विभिन्न भागों में गोदामों के निर्माण को तेज करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) 15-7-2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास वर्तमान राज्यवार खाद्यान्न भंडारण क्षमता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने राज्यों से खाद्यान्नों का बाहर संचलन करने के लिए अनुरोध किया है।

2008-09 से 2011-12 तक (जून, 2011 तक) संचलन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) से (च) खाद्यान्नों की खरीदारी बढ़ने के कारण और कवर तथा प्लिंथ में भंडारण में कमी लाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन आवश्यक अतिरिक्त भंडारण का आकलन समूची खरीद/खपत और पहले से ही उपलब्ध भंडारण स्थान पर निर्भर करता है। उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए भंडारण क्षमता का सृजन किसी राज्य विशेष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की चार माह की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाना है। खरीद क्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों में अधिकतम स्टाक स्तर को अपेक्षित भंडारण क्षमता का निर्णय करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

इस विश्लेषण और स्कीम में विहित मापदंडों के आधार पर राज्यवार अपेक्षित क्षमता और स्थानों की पहचान की गई थी। इस स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम अब निजी उद्यमियों को सुनिश्चित किराया देने के लिए 10 वर्ष की गारंटी देगा। निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में लगभग 152.97 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। इसमें से निजी उद्यमियों द्वारा सृजित करने हेतु 52.32 लाख टन भंडारण क्षमता के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगम इस स्कीम के अधीन क्रमशः 5.31 और 15.49 लाख टन का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगमों द्वारा लगभग 3.5 लाख टन क्षमता पहले ही पूरी कर ली गई है। राज्यवार प्रस्ताव और स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण-III लमें दिए गए हैं।

भंडारण स्थान की कमी की समस्या को हल करने के लिए भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य एजेंसियों और निजी पार्टियों आदि से भंडारण स्थान किराए पर लेता है। खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध क्षमता पर्याप्त न होने तथा खरीदे हुए खाद्यान्नों के भंडारण के लिए अपनी आवश्यकतानुसार अल्पकालिक उपयोग हेतु प्राइवेट गोदाम किराए पर लेने हेतु भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी निदेशक (अंचल) और महाप्रबंधक (क्षेत्र) को पूर्ण शक्तियां भी दी गई हैं।

विवरण-I

15-07-2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी						
			भा.खा.नि. के अपने	किराए की					कुल ढकी
				राज्य सरकार	के.भ.नि.	रा.भं.नि.	निजी पार्टियां	कुल किराए की	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.84	1.02	0.47	2.36	6.02
	2.	झारखंड	0.66	0.03	0.24	0.22	0.20	0.69	1.35
	3.	उड़ीसा	3.02	0.00	0.82	2.16	0.15	3.13	6.15
	4.	पश्चिम बंगाल	8.59	0.19	1.00	0.00	0.90	2.09	10.68
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11
		कुल (पूर्व जोन)	**16.03**	**0.26**	**2.90**	**3.40**	**1.72**	**8.28**	**24.31**
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.07	0.00	0.23	0.11	0.37	0.71	2.78
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.23
	8.	मेघालय	0.14	0.00	0.07	0.05	0.00	0.12	0.26
	9.	मिजोरम	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23
	10.	त्रिपुरा	0.29	0.05	0.14	0.00	0.00	0.19	0.48
	11.	मणिपुर	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21
	12.	नागालैण्ड	0.20	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.33
		कुल (पूर्वोत्तर जोन)	**3.30**	**0.12**	**0.57**	**0.16**	**0.37**	**1.22**	**4.52**
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
	14.	हरियाणा	7.68	4.19	3.19	6.03	2.80	16.21	23.89
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.06	0.00	0.00	0.12	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.15	0.00	0.00	0.03	0.18	1.21
	17.	पंजाब	21.17	0.49	4.93	40.11	4.22	49.75	70.92
	18.	चण्डीगढ़	1.07	0.18	0.83	1.12	0.00	2.13	3.20
	19.	राजस्थान	7.06	0.00	2.16	4.26	1.88	8.30	15.36
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	0.17	6.12	18.65	0.17	25.11	40.06
	21.	उत्तराखंड	0.66	0.25	0.44	0.60	0.05	1.34	2.00
		जोड़ (उत्तर जोन)	**57.12**	**5.49**	**17.73**	**70.77**	**9.15**	**103.14**	**160.26**
दक्षिण	22.	आन्ध्र प्रदेश	12.66	0.09	7.45	21.16	2.39	31.09	43.75
	23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
	24.	केरल	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
	25.	कर्नाटक	3.78	0.00	1.58	1.49	0.25	3.32	7.10
	26.	तमिलनाडु	5.80	0.00	2.49	0.54	0.56	3.59	9.39
	27.	पुडुचेरी	0.44	0.00	0.03	0.11	0.00	0.14	0.58
		जोड़ (दक्षिण जोन)	**27.92**	**0.09**	**11.55**	**23.30**	**3.20**	**38.14**	**66.06**
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	0.14	1.62	0.01	0.11	1.88	6.88
	29.	महाराष्ट्र	11.90	0.00	2.67	3.26	2.49	8.42	20.32
	30.	गोवा	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	0.03	1.09	0.35	1.80	3.27	6.64
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	0.11	0.97	2.69	0.27	4.04	9.16
		जोड़ (पश्चिम जोन)	**25.54**	**0.28**	**6.35**	**6.31**	**4.67**	**17.61**	**43.15**
		सकल जोड़	129.91	6.24	39.10	103.94	19.11	168.39	298.30

(आंकड़े लाख टन)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य श्रेत्र	कैप अपनी	कैप किराए की	कैप जोड़	सकल जोड़	रखा स्टाक	उपयोग (%)	क्षेत्र के अनुसार कुल प्रभावी भंडारण क्षमता	प्रभावी क्षमता पर उपयोग (%)
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18
पूर्व	1.	बिहार	1.00	0.00	1.00	7.02	4.36	62.00	6.66	65
	2.	झारखंड	0.05	0.00	0.05	1.40	1.05	75.00	1.40	75
	3.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	6.15	5.13	83.00	6.15	83
	4.	पश्चिम बंगाल	0.51	0.00	0.51	11.19	7.20	64.00	10.59	68
	5.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.11	0.01	9.00		
		कुल (पूर्व जोन)	**1.56**	**0.00**	**1.56**	**25.87**	**17.75**	**69.00**	**24.80**	**72**
पूर्वोत्तर	6.	असम	0.00	0.00	0.00	2.78	2.21	79.00	2.78	79
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.23	0.08	35.00	0.23	35
	8.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.26	0.20	77.00	0.26	77
	9.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.23	0.22	96.00	0.23	96
	10.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.48	0.27	56.00	0.48	56
	11.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.21	0.11	52.00	0.21	52
	12.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.33	0.25	76.00	0.33	76
		कुल (पूर्वोत्तर जोन)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.52**	**3.34**	**74.00**	**4.52**	**74**
उत्तर	13.	दिल्ली	0.31	0.00	0.31	3.67	2.54	69.00	2.86	89
	14.	हरियाणा	3.33	0.27	3.60	27.49	27.60	100.00	27.49	100
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.26	0.14	54.00	0.26	54
	16.	जम्मू और कश्मीर	0.10	0.00	0.10	1.31	0.90	69.00	1.12	80
	17.	पंजाब	7.14	3.53	10.67	81.59	76.39	94.00	85.07	93
	18.	चण्डीगढ़	0.17	0.11	0.28	3.48	3.11	89.00		

1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18
	19.	राजस्थान	1.85	3.47	5.32	20.68	22.91	111.00	20.68	111
	20.	उत्तर प्रदेश	5.19	1.45	6.64	46.70	39.99	86.00	42.80	93
	21.	उत्तराखंड	0.21	0.02	0.23	2.23	1.95	87.00	2.14	91
		जोड़ (उत्तर जोन)	**18.30**	**8.85**	**27.15**	**187.41**	**175.53**	**94.00**	**182.42**	**96**
दक्षिण	22.	आन्ध्र प्रदेश	2.62	0.00	2.62	46.37	46.65	101.00	45.74	102
	23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	71.00		
	24.	केरल	0.20	0.00	0.20	5.37	4.51	84.00	5.33	85
	25.	कर्नाटक	1.36	0.00	1.36	8.46	7.31	86.00	8.46	86
	26.	तमिलनाडु	0.61	0.00	0.61	10.00	8.90	89.00	10.06	93
	27.	पुडुचेरी	0.06	0.00	0.06	0.64	0.42	66.00		
		जोड़ (दक्षिण जोन)	**4.85**	**0.00**	**4.85**	**70.91**	**67.84**	**96.00**	**69.59**	**97**
पश्चिम	28.	गुजरात	0.27	0.02	0.29	7.17	6.71	94.00	7.10	95
	29.	महाराष्ट्र	1.02	0.10	1.12	21.44	14.73	69.00	18.03	82
	30.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.15	0.12	80.00		
	31.	मध्य प्रदेश	0.36	0.00	0.36	7.00	5.28	75.00	6.88	77
	32.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	9.16	8.20	90.00	9.16	90
		जोड़ (पश्चिम जोन)	**1.65**	**0.12**	**1.77**	**44.92**	**35.04**	**78.00**	**41.17**	**85**
		सकल जोड़	26.36	8.97	35.33	333.63	299.50	90.00	322.50	93

प्रभावी क्षमताः क्षेत्रों द्वारा यथासूचित खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध क्षमता।

नोटः पश्चिम बंगाल क्षेत्र ने सूचित किया है कि कुछ प्रतिबंधों के कारण कोलकाता पीडी 88,170 टन और आद्रा 28,856 टन क्षमता प्रभावी नहीं है।

विवरण-II

राज्यों से भेजी गई कुल मात्रा

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जून, 11 तक)
पंजाब	11928	15306	16342	4039
हरियाणा	4357	6010	8059	1188
आन्ध्र प्रदेश	4024	2965	3253	1318
छत्तीसगढ़	1334	1934	1895	630
मध्य प्रदेश	17	3	293	516
महाराष्ट्र	72	49	10	5
उत्तर प्रदेश	468	63	111	0
उड़ीसा	214	662	346	0
बिहार	92	27	0	0
पश्चिम बंगाल	10	424	45	0
उत्तराखंड	0	140	175	36
जोड़	22516	27583	30529	7732

विवरण-III

गोदामों के निर्माण के लिए गारंटी योजना की राज्यवार स्थिति

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	राज्य	भंडारण अंतर के आधार पर कुल अनुमोदित क्षमता	निजी निवेशकों को अनुमोदित क्षमता	केन्द्रीय भण्डारण निगम को आवंटित क्षमता (उनकी अपनी भूमि पर)	राज्य भांडागारण निगम को आवंटित क्षमता (उनकी अपनी भूमि पर)	निजी निवेशकों के लिए स्वीकृत निविदाएं		
						स्वीकृत निविदाएं	निर्सत	निवल क्षमता (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.560	4.150	0.300	1.110	4.150	1.150	3.000
2.	बिहार	3.000	2.700		0.300	0.300		0.300

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	छत्तीसगढ़	2.220	0.000	0.300	1.920			0.000
4.	गुजरात	3.520	3.470	0.050				0.000
5.	हरियाणा	38.800	37.915	0.050	0.835	17.570		17.570
6.	हिमाचल प्रदेश	1.420	1.395	0.025		0.021		0.021
7.	जम्मू और कश्मीर	3.620	3.620			1.890	0.550	1.340
8.	झारखंड	1.750	1.750					0.000
9.	कर्नाटक	6.360	3.925	0.550	1.885			0.000
10.	केरल	0.150	0.150					0.000
11.	मध्य प्रदेश	4.350	3.236	0.264	0.850	2.436		2.436
12.	महाराष्ट्र	8.290	4.471	0.474	3.345			0.000
13.	उड़ीसा	3.000	0.000	1.875	1.125			0.000
14.	पंजाब	51.250	47.574	0.782	2.895	13.087		13.087
15.	राजस्थान	2.600	2.300		0.300	2.200		2.200
16.	तमिलनाडु	3.450	2.650	0.350	0.450	2.200	1.700	0.500
17.	उत्तराखंड	0.250	0.250					0.000
18.	उत्तर प्रदेश	26.810	26.340		0.470	11.865		11.865
19.	पश्चिम बंगाल	1.570	1.274	0.296				0.000
								0.000
	जोड़	167.970	147.170	5.316	15.485	55.719	3.400	52.319

कुल स्वीकृत क्षमता=76.52-3.40=73.12 लाख टन

टिप्पणी: 1. उच्च स्तरीय समिति ने पंजाब के लिए 71.25 लाख टन की स्वीकृति दी थी। भारत सरकार ने 27-07-2010 के पत्र के तहत अन्य राज्यों को 20 लाख टन मात्रा अंतरित की है किन्तु 35 लाख टन क्षमता अंतरित क्षमता के रूप में स्वीकृत की गई है।

2. 35 लाख टन क्षमता में से केवल 20 लाख टन क्षमता को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू की जाएगी और शेष 15 लाख टन क्षमता शुरू नहीं की जाएगी। इस प्रकार 152.97 लाख टन क्षमता पी.ई.जी. के तहत अनुमोदित है।

आकाशवाणी (ए.आई.आर.) द्वारा सेवाकर का भुगतान

360. श्री मानिक टैगोरः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आकाशवाणी (ए.आई.आर.) सरकार को सेवाकर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान ए.आई.आर. ने सेवाकर का भुगतान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार को गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अदा किए गए सेवा कर का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	रुपयों में अदा किया गया सेवा कर
2008-09	24,42,10,561
2009-10	23,06,57,108
2010-11	24,35,73,602
2011-12 जून, 2011 तक	9,33,47,792

(घ) लागू नहीं होता।

कमजोर तबकों हेतु आवासीय इकाइयों का निर्माण

361. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समाज के कमजोर तबकों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत गुजरात में किन शहरों की पहचान की गयी है;

(ख) प्रत्येक शहरों में कितनी इकाइयों के निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है; और

(ग) इनमें से कितनी इकाइयों का निर्माण कर लिया गया है और उनमें से कितनी इकाइयों को आबंटित कर दिया गया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के संघटकों, शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच. एस.डी.पी.) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान समाज के शहरी गरीबों/कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत रिहायशी यूनिटों के शहर/नगर-वार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) पूरे हुए और आबंटित किए गए यूनिटों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

जे.एन.एन.यू.आर.एम. - शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (उप-मिशन II)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2008-2009)

12-07-2011 तक की स्थिति (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	कुल अनुमोदित केन्द्रीय अंशदान
1	2	3	4	5	6	7
		2008-09				
1.	गुजरात	सूरत	2	53.24	1916	23.03

1	2	3	4	5	6	7
2.	गुजरात	वड़ोदरा	1	114.78	5664	55.72
	उप-योग	**2**	**3**	**168.02**	**7580**	**78.75**
			2009-10			
1.	गुजरात	राजकोट	1	56.87	2624	27.54
2.	गुजरात	सूरत	1	60.95	2240	28.39
3.	गुजरात	वड़ोदरा	1	155.24	6096	74.83
	उप-योग	**3**	**3**	**273.06**	**10960**	**130.72**
			2010-11			
1.	गुजरात	सूरत	2	27.61	544	12.49
	उप-योग	**1**	**2**	**27.61**	**544**	**12.49**

विवरण-II

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2008-2009)

12-07-2011 तक की स्थिति
(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कस्बों/शहरी स्थानीय निकायों के नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	कुल केन्द्रीय सहायता
1.	2	3	4	5	6	7
1.	गुजरात	अंकलाप	1	12.22	804	7.73
2.	गुजरात	दाहोद	1	12.32	480	8.01
3.	गुजरात	हलवाड	1	14.86	828	9.82
4.	गुजरात	कालोल	1	5.97	400	4.03
5.	गुजरात	कादी	1	14.06	664	8.62
6.	गुजरात	मोदासा	1	14.95	576	9.75
7.	गुजरात	नवसारी	1	14.46	992	9.92
8.	गुजरात	पेटलाड	1	14.20	836	8.19

1	2	3	4	5	6	7
9.	गुजरात	सोनगढ़	1	11.54	784	7.16
	कुल	9	9	114.58	6364	73.22

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)

कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2009-2010)

12-07-2011 तक की स्थिति

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कस्बों/शहरी स्थानीय निकायों के नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+ उन्नयन)	कुल केन्द्रीय अंश
1.	गुजरात	भावनगर	1	15.88	1000	10.81
2.	गुजरात	वी.ए.एम.बी.ए.वाई. के अंतर्गत जामनगर एम.सी. स्कीम संख्या 18631)	1	3.31	254	0.51
3.	गुजरात	वी.ए.एम.बी.ए.वाई. के अंतर्गत नवसारी एन.पी. स्कीम संख्या 18784)	1	2.27	387	0.77
4.	गुजरात	वी.ए.एम.बी.ए.वाई. के अंतर्गत राजकोट एम.सी. स्कीम संख्या 18881)	1	11.60	1160	2.90
5.	गुजरात	वी.ए.एम.बी.ए.वाई. के अंतर्गत वडोदरा एम.सी. स्कीम संख्या 18020)	1	0.88	86	0.22
6.	गुजरात	वी.ए.एम.बी.ए.वाई. के अंतर्गत वडोदरा एम.सी. स्कीम संख्या 18021)	1	5.76	768	1.92
	कुल	5	6	39.71	3655	17.13

विवरण-III

शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.)

क्र. सं.	राज्य	शहर	रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या	पूरे हुए रिहायशी यूनिट	प्रगति पर रिहयाशी यूनिट	आबंटित रिलायशी युनिट
			2008-2009			
1.	गुजरात	सूरत	740	0	0	0
2.	गुजरात	सूरत	1176	0	0	0
3.	गुजरात	वड़ोदरा	5664	2624	3040	280
		कुल	**7580**	**2624**	**3040**	**280**
			2009-2010			
4.	गुजरात	राजकोट	2624	0	0	0
5.	गुजरात	वडोदरा	6096	0	0	0
6.	गुजरात	सूरत	2240	0	0	0
		कुल	**10960**	**0**	**0**	**0**
			2010-2010			
7.	गुजरात	सूरत	0	उ.नहीं	उ.नहीं	उ.नहीं
8.	गुजरात	सूरत	544	0	0	0
		कुल	**544**	**0**	**0**	**0**
		कुल योग	19084	2624	3040	280

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)

क्र. सं.	राज्य	शहर	रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या	पूरे हुए रिहायशी यूनिट	प्रगति पर रिहयाशी यूनिट	आबंटित रिलायशी युनिट
1	2	3	4	5	6	7
			2008-2009			
1.	गुजरात	अंकलाव	804	0	0	0
2.	गुजरात	दोहाड	480	0	0	0
3.	गुजरात	हलवाड	828	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
4.	गुजरात	काडी	664	0	0	0
5.	गुजरात	कलोल	400	0	0	0
6.	गुजरात	मोडासा	576	0	0	0
7.	गुजरात	नवसारी	992	0	0	0
8.	गुजरात	पेटलाड	836	0	0	0
9.	गुजरात	सोनगढ़	784	0	0	0
		कुल	**6364**	**0**	**0**	**0**
			2009-2010			
10.	गुजरात	भावनगर	1000	0	0	0
11.	गुजरात	नवसारी (वी.ए.एम.बी.ए.वाई.)	387	0	0	0
12.	गुजरात	जामनगर (वी.ए.एम.बी.ए.वाई.)	254	0	0	0
13.	गुजरात	वडोदरा (वी.ए.एम.बी.ए.वाई.)	86	0	0	0
14.	गुजरात	वडोदरा (वी.ए.एम.बी.ए.वाई.)	768	0	0	0
15.	गुजरात	राजकोट (वी.ए.एम.बी.ए.वाई.)	1160	0	0	0
		कुल	3655	0	0	0
			2010-2-11			
			शून्य			
		कुल योग	10019	0	0	0

[हिन्दी]

शहरीकरण हेतु नीति

362. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:

श्री नारनभाई कछाड़िया:

श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1951 और 2001 के बीच देश में

शहरी जनसंख्या में 4.6 गुणा वृद्धि दर्ज की गयी है तथा 5161 शहरों के सभी शहरी योजना और विकास की आवश्यकता के बावजूद इस संबंध में किसी राष्ट्रीय नीति के अभाव में अनियमित विकास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में व्यापक और नियमित विकास हेतु राष्ट्रीय शहरी नीति तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो शहरीकरण नीति में निर्माण और क्रियान्वयन हेतु अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) शहरी आबादी जो कि वर्ष 1991 में 62.4 मिलियन थी वर्ष 2001 तक बढ़कर 286.11 मिलियन हो गई है जो 4.6 गुना की वृद्धि दर्शाता है। शहरी विकास राज्य का विषय है और राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम शहरी योजना एवं शहरों के विकास को विनियमित करने का आधार है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विकास संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति एवं राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति बनाई है। दिसंबर, 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में भी, देश में सतत शहरी विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत कार्य-ढांच प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत सहायता

363. श्री सज्जन वर्मा:

श्रीमती जे. शांता:

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात सहित सूखा प्रवण राज्यों हेतु आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आबंटित, निर्मुक्त तथा प्रयुक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2008-09			2009-10		
		आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	316.57	297.17	297.17	410.00	410.00	410.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.88	0.00	0.00	16.10	15.98	15.98
3.	असम	142.62	144.12	142.62	79.86	79.86	79.86

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	148.54	148.54	148.54	110.79	110.79	108.29
5.	छत्तीसगढ़	116.48	117.45	117.45	131.78	136.64	136.14
6.	गोवा	6.91	0.00	0.00	11.87	0.00	
7.	गुजरात	243.39	243.39	243.39	386.19	386.19	386.19
8.	हरियाणा	74.00	39.50	39.49	112.77	112.77	109.25
9.	हिमाचल प्रदेश	15.11	15.11	14.86	33.02	33.03	32.82
10.	जम्मू और कश्मीर	16.17	1.20	1.18	42.05	42.85	33.60
11.	झारखण्ड	58.62	29.31	29.28	70.13	70.13	70.13
12.	कर्नाटक	316.57	314.14	314.14	410.00	410.00	410.00
13.	केरल	60.11	30.06	30.06	110.92	110.92	106.20
14.	मध्य प्रदेश	146.05	146.05	139.22	247.44	247.44	190.05
15.	महाराष्ट्र	269.63	261.77	239.77	407.24	404.39	214.46
16.	मणिपुर	4.14	0.90	0.90	5.86	5.86	4.39
17.	मेघालय	13.53	6.77	6.77	24.68	24.68	24.68
18.	मिजोरम	4.29	0.80	0.00	4.15	0.00	
19.	नागालैंड	13.89	6.95	6.95	20.38	20.38	20.38
20.	उड़ीसा	115.44	115.44	114.85	121.49	121.49	120.32
21.	पंजाब	87.52	87.52	87.52	43.23	43.23	40.23
22.	राजस्थान	233.75	233.76	233.76	186.12	186.12	186.12
23.	सिक्किम	11.37	5.68	5.68	15.29	15.29	15.29
24.	तमिलनाडु	140.38	140.38	140.38	127.90	127.90	116.88
25.	त्रिपुरा	34.02	16.08	16.08	31.28	31.28	29.19
26.	उत्तर प्रदेश	316.57	316.57	316.57	390.97	390.97	390.97
27.	उत्तराखण्ड	20.60	10.30	10.29	71.36	71.46	26.16
28.	पश्चिम बंगाल	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	142.82
	कुल राज्य	3080.53	2876.34	2844.30	3770.25	3757.03	3420.40

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2010-11			2011-12	
		आबंटन	निर्मुक्ति^	व्यय	आबंटन**	निर्मुक्ति**
1	2	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	311.19	432.29	388.20	727.74	362.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.08	28.95	11.72	8.26	0.52
3.	असम	221.87	216.87	85.16	227.77	22.43
4.	बिहार	380.94	415.10	177.63	506.82	241.28
5.	छत्तीसगढ़	461.00	503.44	398.42	230.57	93.75
6.	गोवा	11.31	7.07	4.71	49.55	5.76
7.	गुजरात	353.45	388.63	371.43	515.48	250.45
8.	हरियाणा	204.74	226.80	193.24	168.92	84.46
9.	हिमाचल प्रदेश	94.85	94.85	39.31	99.93	46.63
10.	जम्मू और कश्मीर	122.72	96.42	51.46	103.03	5.13
11.	झारखण्ड	160.96	96.90	96.08	168.56	84.29
12.	कर्नाटक	284.03	284.03	271.83	595.90	288.70
13.	केरल	192.35	149.65	.69.28	173.93	77.56
14.	मध्य प्रदेश	589.09	559.18	318.08	398.37	135.71
15.	महाराष्ट्र	653.00	653.00	306.01	727.67	351.43
16.	मणिपुर	24.81	15.50	15.50	22.25	11.13
17.	मेघालय	46.12	46.12	27.38	14.66	0.00
18.	मिजोरम	7.49	3.75		34.61	14.80
19.	नागालैंड	13.24	13.25	3.31	37.54	3.63
20.	उड़ीसा	274.40	274.40	184.18	356.96	169.62
21.	पंजाब	179.12	179.12	105.17	138.87	69.44
22.	राजस्थान	572.47	628.01	573.88	685.04	333.62

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	6.56	6.56	2.30		20.08	10.04
24.	तमिलनाडु	225.71	250.03	145.39		333.06	0.00
25.	त्रिपुरा	116.86	116.48	54.05		17.99	9.00
26.	उत्तर प्रदेश	635.92	695.36	569.01		757.26	364.87
27.	उत्तराखण्ड	2.61	131			131.77	14.24
28.	पश्चिम बंगाल	476.15	335.98	178.05		476.65	91.16
	कुल राज्य	6662.00	6719.05	4640.78		7729.24	3141.77

^निर्मुक्तियों में शामिल हैं (i) वर्ष के दौरान संशोधन के कारण आन्ध्र प्रदेश के मामले में 82.26 करोड़ रुपये का संशोधित आबंटित (ii) बाद में हरित क्रान्ति स्कीम में शामिल असम के लिये 35.00 करोड़ रुपये सहित पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति तथा तिलहन एवं दलहन क्रियाकलाप संबंधी दो विशेष उप-स्कीमों के लिए निर्मुक्त (iii) जम्मू और कश्मीर के केसर क्षेत्र के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये 39.44 करोड़ रुपये तथा (iv) राज्यों की आबंटन की राशि जो कोष का उपयोग नहीं कर सके, से बचत से बेहतर निष्पादन देने वाले राज्यों को अतिरिक्त कोष दिये गये।

**इसमें आर.के.वी.वाई. की उप-स्कीमें शामिल हैं, यथा (i) पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना, (ii) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का समेकित विकास कार्यक्रम, (iii) आयल पाम क्षेत्र विस्तार संबंधी विशेष कार्यक्रम, (iv) शहरी समूहों के लिये सब्जी कार्यक्रम (v) गहन कट्न्न संवर्द्धन के जरिये पोषकीय सुरक्षा क्रियाकलाप (vi) राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरण मिशन (vii) त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (viii) वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा (ix) जम्मू और कश्मीर में केसर क्षेत्र का आर्थिक पुनरुद्धार।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना

364. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री प्रदीप माझी:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री यशवीर सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री उदय सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संभावित ग्रामीण/शहरी लाभान्वितों के आंकड़ों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने प्रतिशत जनसंख्या को इसमें शामिल किए जाने का प्रस्ताव है तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अलग-अलग पहचान के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत शामिल करने पर अंतिम निर्णय लेने के दौरान विभिन्न निकायों, राज्यों, विशेषज्ञों और अन्य पक्षों के सुझाव पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त प्रस्तावित अधिनियम को लागू करने के ऊपर कोई आपत्ति दर्ज की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक नया कानून बनाने संबंधी की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार ने एक अवधारणा नोट तैयार किया था और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया था। उनकी टिप्पणियों/सुझावों और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। विधायी विभाग द्वारा इस विधेयक कानूनी विधीक्षा करने और विधेयक के प्रारूप पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श करने के बाद उचित स्तर पर सरकार का अनुमोदन लिया जाएगा।

किसानों द्वारा आत्महत्या

365. श्री नीरज शेखर:
श्री विजय बहादुर सिंह:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री यशवीर सिंह:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती जयप्रदा:
श्री शिवकुमार उदासी:
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण ग्रस्तता और फसलों का नष्ट होना देश में विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र और कर्नाटक में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त कारणों से राज्य-वार कितने किसानों ने आत्महत्या की; और

(ग) देश में ऐसे मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए अनुसार, किसानों द्वारा आत्महत्या के कारण बहुत हैं जिनमें अन्य बातों के साथ, ऋणग्रस्तता, फसल विफलता, सूखा, सामाजिक-आर्थिक एवं व्यक्तिगत कारण शामिल हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों की प्रत्येक की और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि संबंधी कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या, जैसाकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई हैं, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारत सरकार पुनर्वास पैकेज कार्यान्वित कर रही है, जोकि 2006 में प्रारंभिक रूप से 3 वर्षों के लिए घोषित की गई थी, जिसमें कृषि संबंधी विपत्ति की समस्या पहचानने के लिए आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में 31 जिले शामिल किए गए। 31 मार्च, 2011 तक इस पैकेज के अंतर्गत 19880.11 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं। पैकेज के गैर-ऋण घटकों के कार्यान्वयन की अवधि और अधिक 2 वर्षों तक अर्थात 30 सितंबर, 2011 तक बढ़ाई गई थी।

बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत, 313.28 करोड़ रु. कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 2010-11 के दौरान इसके विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त किए गए थे।

सरकार ने कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना, 2008 भी कार्यान्वित की, अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 65,318.33 करोड़ रु. की अनुमानित राशि शामिल करते हुए देश में लगभग 3.69 करोड़ किसानों को लाभ हुआ।

कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए और सतत् आधार पर किसानों की अवस्था सुधारने के लिए, सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि शामिल है जैसेकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पनधारा प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता इत्यादि। प्रमुख अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लाभ के लिए विगत

5 वर्षों के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़े हैं।

बजट 2011-12 में कृषि क्षेत्र के लए घोषित किए गए अतिरिक्त उपायों में, अन्य बातों के साथ, जिसमें 60,000 हैक्टेयर को तेल पाम रोपण, सब्जी समूहों पर पहल, पोषक अनाजों के उच्चतर उत्पादन को बढ़ावा और प्रोटीन अनुपूरकों के लिए राष्ट्रीय मिशन को प्रारंभ करना शामिल है।

3 लाख रु. तक फसल ऋणों की समय से अदायगी के लि ब्याज संसहायिकी संघ बजट 2011-12 में बढ़ाई गई थी, जिसकी प्रणिति ऐसे किसानों के लिए ब्याज प्रभावी करने में हुई जिन्होंने अपने फसल ऋण को समय पर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक अदा किया।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कृषि संबंधी कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या दर्शाने वाली सारणी

क्र. सं.	राज्य का नाम	अवधि रिपोर्ट की तारीख	राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कृषि संबंधी कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2008	455
		2009	276
		2010	94
		2011	0
		2007-08	182
2.	कर्नाटक	2008-09	156
		2009-10	138
		2010-11	77
3.	महाराष्ट्र	2007	590
		2008	627
		2009	503
		2010	234
4.	केरल	2007	68
		2008	22
		2009	03

1	2	3	4
		2010	शून्य
5.	तमिलनाडु	2007	01
		2008	शून्य
		2009	शून्य
		2010	शून्य
6.	पंजाब	2007	24
		2008	12
		2009	15
		2010	04
7.	गुजरात	29-6-2011	शून्य
8.	असम	23-5-2011	शून्य
9.	अरुणाचल प्रदेश	23-02-2011	शून्य
10.	बिहार	06-06-2011	शून्य
11.	छत्तीसगढ़	06-01-2011	शून्य
12.	गोवा	27-04-2011	शून्य
13.	हरियाणा	16-05-2011	शून्य
14.	हिमाचल प्रदेश	25-11-2010	शून्य
15.	जम्मू और कश्मीर	24-12-2010	शून्य
16.	झारखंड	18-06-2010	शून्य
17.	मणिपुर	02-12-2010	शून्य
18.	मेघालय	03-03-2011	शून्य
19.	मध्य प्रदेश	18-01-2011	शून्य
20.	मिजोरम	07-10-2010	शून्य
21.	नागालैण्ड	24-06-2011	शून्य
22.	उड़ीसा	26-3-2011	शून्य
23.	राजस्थान	23-11-2010	शून्य

1	2	3	4
24.	सिक्किम	16-10-2010	शून्य
25.	त्रिपुरा	01-03-2011	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	24-01-2011	शून्य
27.	उत्तराखंड	19-07-2011	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	13-12-2010	शून्य
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20-05-2011	शून्य
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	25-02-2011	शून्य
31.	दमन और द्वीप	02-05-2011	शून्य
32.	दादरा और नगर हवेली	05-05-2011	शून्य
33.	लक्षद्वीप	17-03-2011	शून्य
34.	पुडुचेरी	30-03-2011	शून्य
35.	चंडीगढ़	12-07-2011	शून्य

[हिन्दी]

जाति-वार जनगणना

366. श्री रमेश बैस:

श्री गोपीनाथ मुंडे:

श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जाति आधारित जनगणना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जाति के अतिरिक्त अन्य किन घटकों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त जनगणना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा भारत सरकार के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से फील्ड कार्य किया जा रहा है। इस संयुक्त कार्य में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के संबंध में भारत सरकार के क्रमश: ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नोडल मंत्रालय हैं। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय इसमें सम्पूर्ण संभार तंत्रीय और तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।

सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 में सभी व्यक्तियों की जाति के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जाति/जनजाति संबंधी आंकड़े, व्यवसाय/कार्यकलाप, पूर्ण किया गया उच्चतम शैक्षिक स्तर, नि:शक्तता, धर्म, आवास/निवास, रोजगार और आय संबंधी विशेषताएं, परिसम्पत्तियां, स्वामित्व वाली भूमि इत्यादि जैसे मानकों की जानकारी भी एकत्र की जा रही है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में आय/अर्जन के मुख्य स्रोत, दीर्घकालिक बीमारी और सुविधाओं संबंधी विशिष्ट ब्यौरे भी एकत्र किए जा रहे हैं। इस प्रकार, सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 से प्रत्येक जाति के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल के साथ उनकी संख्या का पता चल सकेगा।

(ग) सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 को भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जून से दिसम्बर, 2011 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। यह कार्य त्रिपुरा, पुडुचेरी, चण्डीगढ़, दमन और द्वीप तथा दादरा और नगर हवेली में प्रारंभ हो चुका है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श से शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा चुका है जिसे दिसम्बर, 2011 तक पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

किशोर अपराधी द्वारा अपराध

367. शेख सैदुल हक:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री ए. सम्पत:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किशोर अपराध अथवा किशोर अपराध प्रवृत्ति के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले हल किए गए/हल नहीं हुए हैं तथा इन सभी मामलों का हल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या हाल के किशोर अपराधों में वृद्धि के संबंध में तथा इसका देश में पर्याप्त किशोर अपराध संरक्षण कानून नहीं होने के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में ऐसे मामले रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, (एन.सी.आर.बी.), जो देश में अपराधों से संबंधित आंकड़ों का संकलन करता है, के अनुसार, वर्ष 2007 से 2009 तक की अवधि के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के तहत देश में किशोर अपराध प्रवृत्ति के कुल क्रमश: 22,865, 24,535 और 23,926 मामले दर्ज किए गए थे और विशेष एवं स्थानीय कानून (एस.एल.एल.) के तहत देश में किशोर अपराध प्रवृत्ति के कुल 4163, 3156 और 4321 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2007 से 2009 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता अपराधों और विशेष एवं स्थानीय कानून (एस.एल.एल.) के तहत दर्ज किए गए किशोर अपराध प्रवृत्ति के मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे एन.सी.आर.बी. के वार्षिक प्रकाशन "क्राइम इन इण्डिया" की क्रमश: सारिणी 120.4 और 10.5 में दिए गए हैं और ये एन.सी.आर.बी. की वेबसाइट (http;://ncrb.govb.in) पर प्रत्येक वर्ष के लिंक प्रकाशन में उपलब्ध है।

(ग) एन.सी.आर.बी. द्वारा ऐसे सुलझाए गए/अनसुलझे मामलों की संख्या की जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 2007 से 2009 के दौरान आई.पी.सी. और एस.एल.एल. के तहत गिरफ्तार किए गए किशोरों के मामलों के निपटान के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे एन.सी.आर.बी. के प्रत्येक वर्ष के वार्षिक प्रकाशन "क्राइम इन इण्डिया" की सारिणी 10.13 में उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए प्राथमिक तौर पर अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, दर्ज करने तथा छानबीन करने और विद्यमान एवं लागू कानूनों के तहत अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के साथ-साथ बच्चों सहित नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा करने के लिए भी राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं।

अपराध और अपराधी का पता लगाने वाले नेटवर्क और तंत्र परियोजना

368. श्री राम सुन्दर दास:
श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**
श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अपराध और अपराधी का पता लगाने वाले नेटवर्क और तंत्र (सी.सी.टी.एन.एस.) परियोजना की शुरुआत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में पुलिस

स्टेशनों को इंटरनेट, कंप्यूटर और फैक्स सुविधाओं सहित वॉयस डाटा और दृश्य दूरसंचार के माध्यम से जोड़ दिया है/जोड़ने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार उक्त योजना के अंतर्गत कितने पुलिस स्टेशनों को शामिल किया गया है तथा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी और कुल कितनी खर्च की गई है; और

(ङ) ऐसी सुविधाओं का उपयोग करने हेतु पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजना के तहत पूरे देश में लगभग 15015 पुलिस स्टेशनों और सर्किलों, जिलों, उप-संभागों, राज्य मुख्यालयों इत्यादि सहित 7000 बड़े कार्यालयों का स्वचलन (आटोमेटेड) करने का प्रस्ताव किया गया है। सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के उद्देश्यों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) जी, हां। सरकार का प्रस्ताव, व्यवहार्यतानुसार स्टेट एरिया वाइड नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ब्रॉडबैण्ड (वी.पी.एन.ओ.बी.बी.), मल्टी प्रोटाकॉल लेबल स्विचिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (एम.पी.एल.एस.वी.पी.एन.), वर्ल्डवाइड इन्टरआपरेबिलिटी फार माइक्रोवेव एक्सेस (विमैक्स)/वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी-सैट) जैसे विभिन्न मोडों का उपयोग करके एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पुलिस स्टेशनों को जोड़ने का है।

(घ) नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी सॉलुशन से सभी 15000+पुलिस स्टेशनों और लगभग 6000+बड़े कार्यालयों को जोड़ा जाएगा। पुलिस स्टेशनों और बड़े कार्यालयों की राज्यवार संख्या और कुल आबंटित एवं प्रयुक्त निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ङ) सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के तहत अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 2.5 लाख पुलिस कार्मिकों को आधारभूत आई.टी. जागरुकता में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है। सी.सी.टी.एन.एस. साफ्टवेयर संबंधी प्रशिक्षण, दिसम्बर, 2011 के अन्तिम सप्ताह में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसके चालू हो जाने के पश्चात् आरम्भ किया जाएगा। परियोजना के तहत, पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्षमता निर्माण (अवसंरचना) का कार्य, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेजों, क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों, जिला प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना करके/सुदृढ़ करके किया जा रहा है।

विवरण-I

सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का उद्देश्य:

सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना को मिशन मोड के रूप में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

(i) पुलिस स्टेशनों के स्तर पर और विभिन्न स्तरों पर अन्य पुलिस कार्यालयों में प्रक्रियाओं एवं कार्य प्रणाली का स्वचलन करके पुलिस की कार्य प्रणाली को नागरिक हितैषी, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावकारी और सक्षम बनाना।

(ii) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का प्रभावकारी इस्तेमाल करके नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने में सुधार लाना।

(iii) अपराध की त्वरित एवं अधिक सटीक जांच तथा अपराधियों का पता लगाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए जांच अधिकारियों को उपकरण, प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रदान करना।

(iv) कानून एवं व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संगठित अपराधों को रोकने, संसाधन प्रबंधन इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार करना।

(v) पुलिस स्टेशनों, जिलों, राज्य मुख्यालयों और अन्य संगठनों/एजेंसियों के साथ-साथ भारत सरकार के स्तर पर आंकड़ों एवं जानकारी को एकत्र करने. स्टोरेज करने, पुनः प्राप्त करने, विश्लेषण, अन्तरण तथा आदान-प्रदान करने के कार्य के सुकर बनाना।

(vi) पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सक्षम बनाना एवं सहायता प्रदान करना।

(vii) अपराध एवं अपराधी की जांच एवं अभियोजन के मामलों के साथ-साथ न्यायालयों में इन मामलों की प्रगति की जानकारी रखना।

(viii) मैनुअल एवं अनावश्यक रिकार्ड के रख-रखाव को कम करना।

विवरण-II

पुलिस स्टेशनों एवं बड़े कार्यालयों की राज्यवार संख्या और उन्हें आवंटित तथा उनके द्वारा प्रयुक्त निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल पुलिस स्टेशन	बड़े कार्यालय	आबंटित निधियां (लाख रुपए में)	खर्च की गई कुल निधि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	17	726.76	14.47
2.	आन्ध्र प्रदेश	1687	697	10983.76	524.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	75	65	1297.70	52.24
4.	असम	312	187	3165.02	146.77
5.	बिहार	892	377	5966.46	498.30
6.	चंडीगढ़	11	6	749.79	30.82
7.	छत्तीसगढ़	399	257	3942.00	149.57
8.	दादरा और नगर हवेली	2	6	714.77	15.42
9.	दमन और द्वीप	3	7		
10.	दिल्ली	313	239	3099.14	3.54
11.	गोवा	27	15	704.34	27.10
12.	गुजरात	620	308	5512.39	237.35
13.	हरियाणा	270	158	3139.64	82.54
14.	हिमाचल प्रदेश	114	60	1325.34	228.524
15.	जम्मू और कश्मीर	189	140	2802.97	97.86
16.	झारखंड	478	202	4280.12	0.00
17.	कर्नाटक	906	443	6003.69	0.00
18.	केरल	482	316	4299.78	331.26
19.	लक्षद्वीप	13	2	531.43	47.55
20.	मध्य प्रदेश	948	382	7030.54	350.80
21.	महाराष्ट्र	1033	492	8565.16	569.76

1	2	3	4	5	6
22.	मणिपुर	101	116	1069.39	121.13
23.	मेघालय	39	46	889.74	33.12
24.	मिजोरम	40	40	893.76	141.42
25.	नागालैंड	51	48	1330.64	112.72
26.	ओडिशा	579	204	4976.15	0.00
27.	पुडुचेरी	48	36	993.63	12.10
28.	पंजाब	351	156	3459.82	221.96
29.	राजस्थान	759	282	5736.56	432.95
30.	सिक्किम	28	20	841.55	25.48
31.	तमिलनाडु	1996	356	10333.88	510.62
32.	त्रिपुरा	67	69	1249.22	35.40
33.	उत्तर प्रदेश	1550	634	11378.10	227.88
34.	उत्तराखंड	125	74	1690.59	54.10
35.	पश्चिम बंगाल	486	237	5138.64	43.00
	कुल	15015	6694	124822.48	5379.84

[हिन्दी]

नक्सल प्रभावी राज्यों के विकास हेतु योजनाएं

369. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री मधुसूदन यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नक्सल प्रभावित घोषित जिलों का ब्यौरा क्या है तथा नक्सल प्रभावित जिलों के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित जिलों का बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों के विकास हेतु कोई विशेष योजना/कार्यवाही योजना लागू कर रही है;

(ग) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय पैकेज का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) हिंसा प्रोफाइल के आधार पर, इस समय 9 राज्यों में 83 जिले सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) योजना के अन्तर्गत शामिल हैं, जो नक्सल-रोधी कार्रवाइयों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। जिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

सरकार को वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, शिवहर, बांका, मुजफ्फरपुर और खगड़िया नामक बिहार के सात जिलों सहित एस.आर.ई. योजना के अन्तर्गत 33 अतिरिक्त जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 तथा 2011-

2012 के लिए प्रति जिला क्रमशः 25 करोड़ रुपए तथा 30 करोड़ रुपए के सामान्य अनुदान के साथ अन्य जिलों के साथ-साथ 48 नक्सल-प्रभावित जिलों सहित 60 चुने गए आदिवासी एवं पिछड़े जिलों हेतु एकीकृत कार्य योजना (आई.ए.पी.) अनुमोदित की गयी है। आई.ए.पी. के अन्तर्गत शामिल जिलों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए 83 जिलों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. अनन्तपुर
2. आदिलाबाद
3. ईस्ट गोदावरी
4. गुन्टूर
5. करीम नगर
6. खम्माम
7. कुरुनूल
8. मेडक
9. महबूबनगर
10. नालगोंडा
11. प्रकासम
12. श्रीकाकलुम
13. विशाखापट्टनम
14. विजयनगरम
15. वारंगल
16. निजामाबाद

बिहार

17. अरवल
18. औरंगाबाद
19. भोजपुर
20. पूर्वी चम्पारन
21. गया
22. जमुई
23. जहानाबाद
24. कैमूर
25. मुंगेर
26. नालंदा
27. नवादा
28. पटना
29. रोहतास
30. सीतामढ़ी
31. पश्चिमी चम्पारन

छत्तीसगढ़

32. बस्तर
33. बीजापुर
34. दंतेवाडा
35. जशपुर
36. कांकेर
37. कोरिया (बैकुण्ठपुर)
38. नरायनपुर
39. राजनंदगांव
40. सरगुजा

झारखण्ड

41. बोकारो
42. चतरा
43. धनबाद
44. पूर्वी सिंहभूम
45. गढ़वा

46. गिरिडीह

47. गुमला

48. हजारीबाग

49. कोडरमा

50. लातेहार

51. लोहारदगा

52. पलामू

53. रांची

54. सिमदेगा

55. सरायकेला-खरासवन

56. पश्चिमी सिंहभूम

57. खूंटी

58. रामगढ़

मध्य प्रदेश

59. बालाघाट

महाराष्ट्र

60. चन्द्रपुर

61. गढ़चिरोली

62. गोंदिया

उड़ीसा

63. गजपति

64. गंजाम

65. कोरापुट

66. कोशपुरा

67. मलकानगिरी

68. मयूरभंज

69. नवरंगपुर

70. रायगढ़

71. सम्भलपुर

72. सुन्दरगढ़

73. नयागढ़

74. कोन्धामाल

75. देवगढ़

76. जयपुर

77. धेनकनाल

उत्तर प्रदेश

78. चंदौली

79. मिर्जापुर

80. सोनभद्र

पश्चिम बंगाल

81. बांकुरा

82. मिदनापुर

83. पुरुलिया

विवरण-II

आई.ए.पी. के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिले का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद
2.	आन्ध्र प्रदेश	खम्माम
3.	बिहार	अरवल
4.	बिहार	औरंगाबाद
5.	बिहार	गया
6.	बिहार	जमुई
7.	बिहार	जहानाबाद
8.	बिहार	नवादा
9.	बिहार	रोहतास

क्र.सं.	राज्य	जिले का नाम
10.	छत्तीसगढ़	बस्तर
11.	छत्तीसगढ़	बीजापुर
12.	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा
13.	छत्तीसगढ़	जशपुर
14.	छत्तीसगढ़	कांकेर
15.	छत्तीसगढ़	क्वारधा
16.	छत्तीसगढ़	कोरिया
17.	छत्तीसगढ़	नरायणपुर
18.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव
19.	छत्तीसगढ़	सरगुजा
20.	झारखंड	बोकारो
22.	झारखंड	गढ़वा
23.	झारखंड	गुमला
24.	झारखंड	हजारीबाग
25.	झारखंड	कोडरमा
26.	झारखंड	लातेहार
27.	झारखंड	लोहरदगा
28.	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम
29.	झारखंड	पलामू
30.	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम
31.	झारखंड	रामगढ़
32.	झारखंड	सरायकेला
33.	झारखंड	सिमदेगा
34.	मध्य प्रदेश	अनुपपुर
35.	मध्य प्रदेश	बालाघाट
36.	मध्य प्रदेश	डिंडोरी
37.	मध्य प्रदेश	मंडला
38.	मध्य प्रदेश	सिनोई
39.	मध्य प्रदेश	सहडोल
40.	मध्य प्रदेश	सिद्धि
41.	मध्य प्रदेश	उमरिया
42.	महाराष्ट्र	गढचिरौली
43.	महाराष्ट्र	गोंदिया
44.	ओडिशा	बलंगिर
45.	ओडिशा	देवगढ़/दियोगढ़
46.	ओडिशा	गजपति
47.	ओडिशा	कालाहंडी
48.	ओडिशा	कन्धमाल/फुलबनी
49.	ओडिशा	केंदूझर/क्योंझार
50.	ओडिशा	कोरापुट
51.	ओडिशा	मलकानगिरी
52.	ओडिशा	मयूरभंज
53.	ओडिशा	नवरंगपुर
54.	ओडिशा	न्यूपाड़ा
55.	ओडिशा	रायगढ़
56.	ओडिशा	सम्भलपुर
57.	ओडिशा	सोनापुर
58.	ओडिशा	सुंदरगढ़
59.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
60.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मदिनापुर

नक्सली हिंसा

370. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्रीमती मीना सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री यशवीर सिंह:
श्री बंस गोपाल चौधरी:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री के. सुगुमार:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री ए. सम्पत:
श्री नीरज शेखर:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री कमल किशोर 'कमांडो':
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल के दिनों में देश के विभिन्न भागों में सामने आए नक्सली हमलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान नक्सली हमलों में राज्य-वार मारे गए/घायल अर्द्ध-सैनिक बलों सहित नागरिकों और पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है तथा मारे गए/घायल लोगों के आश्रितों को घोषित और भुगतान की गयी सहायता/अनुग्रह राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्व में इन हमलों का पता लगाने में असमर्थता के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/कदम उठो गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) चालू वर्ष (26 जुलाई, 2011 तक) में नक्सली हिंसा की 999 घटनाएं हुईं जिनके परिणामस्वरूप 333 व्यक्तियों (241 नागरिकों और 92 सुरक्षा बल कार्मिकों) की जानें गईं। नक्सली हिंसा के राज्य वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

राज्य	घटनाएं	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक
आन्ध्र प्रदेश	15	03	00
बिहार	202	26	03
झारखंड	281	71	17
छत्तीसगढ़	261	61	51
मध्य प्रदेश	04	00	00
महाराष्ट्र	61	29	06
उड़ीसा	104	19	14
उत्तरप्रदेश	01	00	00
पश्चिम बंगाल	70	32	01
कुल	999	241	92

केन्द्र सरकार नक्सली हमले में मारे गए नागरिकों के परिवार को सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अन्तर्गत 1 लाख रुपए और सुरक्षा कार्मिक के परिवार को 3 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान का भुगतान करती है। इसके अतिरिक्त, नक्सली हमले में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकारों की अपनी नीति है। इसके राज्यवार और जिलावार ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने एक एकीकृत-दोहरा दृष्टिकोण अपनाया है। पहला दृष्टिकोण विकास करना है। वर्ष 2010-2011 में 1500 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 में 1800 करोड़ रुपए की एकीकृत कार्य योजना अनेक विकास योजनाओं का एक उदाहरण है जिसे प्रभावित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका दूसरा दृष्टिकोण कानून एवं व्यवस्था का रख-रखाव है, राज्य सरकारों ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए संतुलित पुलिस कार्रवाई की है।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध

371. श्री प्रबोध पांडा:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री अधीर चौधरी:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्रीमती जे. शांता:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार/अपराध संबंधी मामले दर्ज किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और अपराध-वार अलग-अलग ऐसे कुल कितने मामलों की जानकारी मिली/कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ग) ऐसे कुल मामलों की संख्या क्या है जो हल किये जा सके/हल नहीं किये जा सके तथा इन सभी लंबित मामलों को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार महिलाओं/बच्चों के विरुद्ध अपराध बढ़े/कम हुए;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों की रक्षा हेतु राज्य सरकारों को परामर्श/निदेश जारी किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा भविष्य में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध को रोकने हेतु अन्य क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 01-04-2007 से 31-01-2011 तक की अवधि के दौरान दुर्व्यापार सहित महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन/उनके प्रति अपराध के संबंध में 23608 शिकायतें दर्ज की हैं। इन मामलों में से, 23254 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 354 मामले विचारार्थ लंबित हैं। इसी अवधि के दौरान, आयोग ने बच्चों के मानवाधिकारों के उल्लंघन/उनके प्रति अपराध से संबंधित 1917 शिकायतें भी दर्ज की हैं। इन मामलों में से, 1779 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 138 मामले विचारार्थ लंबित हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार के संबंध में एक कार्रवाई अनुसंधान किया था। कार्रवाई अनुसंधान के आधार पर, एन.एच.आर.सी. ने एक कार्य-योजना तैयार की थी और उसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था। इसके पश्चात, इसने गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मानव दुर्व्यापार को रोकने एवं इसका दमन करने के संबंध में एक एकीकृत कार्य योजना तैयार की थी।

(घ) वर्ष 2007-2009 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों

के प्रति अपराध के तहत दर्ज किए गए मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों के संबंध में एन.सी.आर.बी. द्वारा रखे गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और अपराध शीर्षवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण-II पर संलग्न है। वर्ष 2007-2009 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध के मामलों के संबंध में संबंधित पिछले वर्षों का प्रतिशत अंतर भी विवरण-III पर दिया गया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के अनुसार, वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान देश में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल क्रमशः 185312, 195856 और 203804 मामले सूचित किए गए थे। इसी तरह, वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल क्रमशः 20410, 22500 और 24201 मामले सूचित किए गए थे। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 2009 और 14 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत सलाहें भेजी हैं जिनमें उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं निवारक दण्ड देने हेतु समुचित उपाय करने, जांच-पड़ताल की गुणवत्ता को सुधारने, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों की जांच में होने वाली देरी को कम करने, जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करने और काल सेन्टरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कदम उठो जाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'महिला प्रकोष्ठ' स्थापित कर लिए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तरों पर "समस्त महिला पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन स्तर पर महिला/बाल सहायता डेस्क" स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय ने भी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से व्यक्तियों के दुर्व्यापार के विरुद्ध भारत में विधि प्रवर्तन कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक योजना की स्वीकृत की है जिसमें सम्पूर्ण देश में 335 मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों (ए.एच.टी.यू.) की स्थापना करने और तीन वर्षों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) से 10,000 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को 115 मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों की स्थापना करने के लिए पहली किस्त के रूप में 8.72 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। सभी राज्यों को निधियां प्राप्त हो गई हैं।

विवरण-I

वर्ष 2007-2009 के दौरान महिलाओं के प्रति कुल अपराध के तहत दर्ज किए मामले (सी.आर.), आरोपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप पत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	24738	20967	3911	35121	34088	6093
2.	अरुणाचल प्रदेश	185	128	16	203	155	2
3.	असम	6844	4148	821	8797	5755	851
4.	बिहार	7548	5941	764	14955	11842	1425

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	3775	3637	580	5855	5764	1038
6.	गोवा	80	48	10	145	88	14
7.	गुजरात	8260	7763	298	21665	21625	581
8.	हरियाणा	4645	3368	636	7071	6876	1111
9.	हिमाचल प्रदेश	1018	727	53	1476	1302	76
10.	जम्मू और कश्मीर	2521	2192	123	4411	4398	183
11.	झारखंड	3317	2383	829	4528	4047	854
12.	कर्नाटक	6569	5576	685	11302	11049	1412
13.	केरल	7837	7267	470	11210	11440	805
14.	मध्य प्रदेश	15370	15030	3737	25990	25989	6932
15.	महाराष्ट्र	14924	13516	597	36040	34625	1073
16.	मणिपुर	188	3	1	133	3	1
17.	मेघालय	172	67	16	130	71	30
18.	मिजोरम	151	142	84	152	163	95
19.	नागालैंड	32	25	38	58	40	49
20.	ओडिशा	7304	6098	547	10424	9902	1391
21.	पंजाब	2694	1672	274	4211	3358	708
22.	राजस्थान	14270	8693	2446	14548	14528	4138
23.	सिक्किम	55	33	2	63	44	2
24.	तमिलनाडु	7811	5963	2116	11601	10449	3338
25.	त्रिपुरा	1067	1078	133	1107	1175	222
26.	उत्तर प्रदेश	20993	15626	6918	48291	39978	17392
27.	उत्तराखंड	1097	810	329	2711	2059	804
28.	पश्चिम बंगाल	16544	14424	467	22175	22423	667
	कुल राज्य	**180009**	**147325**	**26901**	**304373**	**283236**	**51305**

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	56	36	3	80	50	6
30.	चंडीगढ़	230	128	28	290	232	40
31.	दादरा और नगर हवेली	18	14	1	21	17	1
32.	दमन और द्वीप	11	7	1	57	30	1
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	4804	2587	646	5648	4739	1022
34.	लक्षद्वीप	5	2	0	2	2	0
35.	पुडुचेरी	179	178	32	337	351	69
कुल संघ शासित राज्य		**5303**	**2952**	**711**	**6435**	**5421**	**1139**
कुल अखिल भारत		185312	150277	27612	310808	288657	52444

क्र.सं.	राज्य	2008					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	24111	20107	2948	35831	35377	4507
2.	अरुणाचल प्रदेश	175	122	18	180	139	25
3.	असम	8122	4776	436	8531	5814	1007
4.	बिहार	8662	5654	881	14223	12348	1603
5.	छत्तीसगढ़	3962	3796	682	6026	5896	1097
6.	गोवा	130	89	22	176	144	49
7.	गुजरात	8616	8165	289	22194	22258	631
8.	हरियाणा	5142	3690	869	7421	7397	1407
9.	हिमाचल प्रदेश	979	796	86	1494	1462	143
10.	जम्मू और कश्मीर	2295	1619	92	3233	3233	176

1	2	9	10	11	12	13	14
11.	झारखंड	3183	2584	579	4932	4503	947
12.	कर्नाटक	6890	5904	486	12780	11972	1081
13.	केरल	8117	7203	553	11353	11410	851
14.	मध्य प्रदेश	14908	4447	4941	26163	26100	10908
15.	महाराष्ट्र	15862	14748	698	38390	37015	1224
16.	मणिपुर	211	6	0	147	6	0
17.	मेघालय	208	75	25	161	90	24
18.	मिजोरम	162	147	125	177	159	134
19.	नागालैंड	47	36	24	68	40	26
20.	ओडिशा	8303	6618	633	10910	10760	1185
21.	पंजाब	2627	1852	378	4233	3943	779
22.	राजस्थान	14491	8925	2619	14097	14080	4099
23.	सिक्किम	48	49	9	55	56	9
24.	तमिलनाडु	7220	5834	2104	11345	10304	3185
25.	त्रिपुरा	1416	1292	97	1774	1517	90
26.	उत्तर प्रदेश	23569	17802	8900	57874	46420	22787
27.	उत्तराखंड	1151	918	354	1690	1694	1227
28.	पश्चिम बंगाल	20912	15120	540	24328	22167	650
	कुल राज्य	**191519**	**152374**	**29388**	**319786**	**296304**	**59851**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	80	55	0	85	87	0
30.	चंडीगढ़	143	92	22	216	38	39
31.	दादरा और नगर हवेली	28	26	0	64	54	0
32.	दमन और द्वीप	15	11	0	51	69	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	3938	2784	482	3115	4237	856

1	2	9	10	11	12	13	14
34.	लक्षद्वीप	4	1	1	2	1	1
35.	पुडुचेरी	129	113	17	191	194	27
कुल संघ शासित राज्य		**4337**	**3082**	**522**	**3724**	**4780**	**923**
कुल अखिल भारत		195856	155456	29910	323510	301084	60774

क्र.सं.	राज्य	2011					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	25569	20907	2668	36465	34101	4118
2.	अरुणाचल प्रदेश	164	147	25	182	158	25
3.	असम	9721	5324	622	11810	6435	892
4.	बिहार	8803	5423	788	14457	12000	1822
5.	छत्तीसगढ़	4002	3928	669	6337	6259	866
6.	गोवा	164	97	20	235	158	27
7.	गुजरात	8009	7449	236	21170	21336	825
8.	हरियाणा	5312	3726	851	7350	7371	1403
9.	हिमाचल प्रदेश	954	899	65	1428	1527	122
10.	जम्मू और कश्मीर	2624	2125	207	4095	4086	362
11.	झारखंड	3021	2797	1076	4309	4205	1645
12.	कर्नाटक	7852	6387	368	13941	13432	833
13.	केरल	8049	7759	664	11132	11694	1068
14.	मध्य प्रदेश	15827	15887	3657	28262	28193	6430
15.	महाराष्ट्र	15048	14393	636	41095	39858	1116
16.	मणिपुर	194	8	0	183	10	0
17.	मेघालय	237	130	12	178	190	12
18.	मिजोरम	150	160	117	165	235	123

1	2	15	16	17	18	19	20
19.	नागालैंड	46	49	26	72	62	54
20.	ओडिशा	8120	6576	486	11346	11142	742
21.	पंजाब	2631	1849	565	4100	3428	1034
22.	राजस्थान	17316	10092	2408	15455	15460	4006
23.	सिक्किम	41	63	19	76	66	25
24.	तमिलनाडु	6051	4858	1596	9450	9499	2977
25.	त्रिपुरा	1517	1406	87	2727	1910	121
26.	उत्तर प्रदेश	23254	17364	8555	63332	47745	23471
27.	उत्तराखंड	1188	999	397	2064	1963	974
28.	पश्चिम बंगाल	23307	18648	467	20671	19766	651
	कुल राज्य	**199171**	**159450**	**27287**	**332087**	**302289**	**55744**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	92	64	2	126	108	2
30.	चंडीगढ़	150	64	43	158	148	69
31.	दादरा और नगर हवेली	20	18	3	20	34	4
32.	दमन और द्वीप	13	7	1	38	22	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	4251	2569	623	2753	3339	800
34.	लक्षद्वीप	1	3	0	0	0	1
35.	पुडुचेरी	106	119	19	152	176	47
कुल संघ शासित राज्य		**4633**	**2844**	**691**	**3247**	**3827**	**923**
कुल अखिल भारत		203804	162294	27978	335334	306116	56667

स्रोतः भारत में अपराध

टिप्पणीः पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान से संबंधित सूचना में पिछले वर्षो से लंबित मामले भी शामिल हैं।

*महिलाओं के प्रति कुल अपराध में निम्नलिखित शीर्ष शामिल हैं:-महिलाओं एवं लड़कियों का बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, दहेज, हत्या, छेड़छाड़, यौन-उत्पीड़न, पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता, लड़कियों की खरीद, अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण अधिनियम,), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन अधिनियम और सती निवारण अधिनियम।

विवरण-II

वर्ष 2007-2009 के दौरान बच्चों के प्रति कुल अपराध के तहत दर्ज किए मामले (सी.आर.), आरोपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप पत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1499	1225	136	1729	1695	178
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	10	0	4	6	0
3.	असम	167	96	54	170	102	56
4.	बिहार	675	227	13	975	391	22
5.	छत्तीसगढ़	1024	970	219	1081	1079	296
6.	गोवा	70	30	6	71	49	7
7.	गुजरात	1110	803	73	1241	1199	108
8.	हरियाणा	325	135	34	394	401	85
9.	हिमाचल प्रदेश	151	95	6	114	113	3
10.	जम्मू और कश्मीर	26	34	0	24	24	1
11.	झारखंड	74	72	17	75	77	56
12.	कर्नाटक	266	174	12	225	204	9
13.	केरल	487	431	49	512	525	66
14.	मध्य प्रदेश	4290	3929	1036	5305	5492	1735
15.	महाराष्ट्र	2707	2005	82	3157	2841	102
16.	मणिपुर	49	0	0	21	0	0
17.	मेघालय	71	28	0	43	16	0
18.	मिजोरम	64	63	63	64	63	63
19.	नागालैंड	7	9	5	6	9	5
20.	ओडिशा	201	182	6	208	212	11

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	527	289	52	373	327	82
22.	राजस्थान	1252	704	46	745	747	51
23.	सिक्किम	31	7	0	26	9	0
24.	तमिलनाडु	441	250	47	460	309	77
25.	त्रिपुरा	63	63	5	70	67	7
26.	उत्तर प्रदेश	2248	1684	1118	3553	2916	1841
27.	उत्तराखंड	101	72	19	101	80	23
28.	पश्चिम बंगाल	361	170	16	343	196	13
	कुल राज्य	**18291**	**13757**	**3114**	**21090**	**19149**	**4897**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	5	1	9	6	1
30.	चंडीगढ़	53	21	32	52	32	39
31.	दादरा और नगर हवेली	11	7	0	6	7	0
32.	दमन और द्वीप	3	1	0	6	2	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	2019	859	166	1247	1215	192
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	23	28	0	22	39	0
	कुल संघ शासित राज्य	**2119**	**921**	**199**	**1342**	**1301**	**232**
	कुल अखिल भारत	20410	14678	3313	22432	20450	5129

क्र.सं.	राज्य	2008					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1321	1137	127	1661	1726	178
2.	अरुणाचल प्रदेश	24	18	0	20	18	0

1	2	9	10	11	12	13	14
3.	असम	183	93	18	112	109	15
4.	बिहार	766	561	26	1363	1086	36
5.	छत्तीसगढ़	1167	1099	278	1271	1266	305
6.	गोवा	80	53	11	104	61	18
7.	गुजरात	1074	788	60	1197	1210	141
8.	हरियाणा	269	227	58	325	334	81
9.	हिमाचल प्रदेश	205	130	23	189	165	29
10.	जम्मू और कश्मीर	10	10	5	10	10	5
11.	झारखंड	71	57	5	141	98	5
12.	कर्नाटक	388	235	18	324	285	13
13.	केरल	549	441	29	666	725	33
14.	मध्य प्रदेश	4259	4035	1073	5620	5574	1866
15.	महाराष्ट्र	2709	2033	89	3082	2937	110
16.	मणिपुर	89	0	0	6	0	0
17.	मेघालय	62	40	0	53	48	0
18.	मिजोरम	22	23	1	21	22	1
19.	नागालैंड	3	1	0	6	1	0
20.	ओडिशा	141	134	0	199	200	20
21.	पंजाब	389	243	67	385	328	88
22.	राजस्थान	1223	643	91	732	723	98
23.	सिक्किम	24	19	5	14	26	6
24.	तमिलनाडु	666	439	115	566	537	136
25.	त्रिपुरा	163	117	21	160	116	11
26.	उत्तर प्रदेश	4078	2585	1325	5760	4113	2339
27.	उत्तराखंड	38	39	32	58	76	62
28.	पश्चिम बंगाल	513	322	13	453	389	22

1	2	9	10	11	12	13	14
	कुल राज्य	**20486**	**15522**	**3510**	**24498**	**221**	**5618**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	47	30	0	52	40	0
30.	चंडीगढ़	66	20	13	59	29	17
31.	दादरा और नगर हवेली	17	13	1	25	17	1
32.	दमन और द्वीप	4	2	0	10	5	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	1854	899	206	1097	1012	320
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	26	12	2	25	13	2
	कुल संघ शासित राज्य	**2014**	**976**	**222**	**1268**	**1116**	**340**
	कुल अखिल भारत	22500	16498	3732	25766	23299	5958

क्र.सं.	राज्य	2009					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	1719	1267	121	2065	1789	195
2.	अरुणाचल प्रदेश	33	29	0	27	29	0
3.	असम	44	77	12	48	70	7
4.	बिहार	1016	598	18	1468	1170	45
5.	छत्तीसगढ़	1319	1273	251	1497	1498	283
6.	गोवा	92	63	15	123	111	15
7.	गुजरात	968	677	42	980	995	138
8.	हरियाणा	353	235	70	317	318	122
9.	हिमाचल प्रदेश	221	182	31	232	202	37
10.	जम्मू और कश्मीर	18	8	2	8	8	2

1	2	15	16	17	18	19	20
11.	झारखंड	60	51	20	149	108	47
12.	कर्नाटक	308	260	10	315	315	6
13.	केरल	587	513	44	698	658	51
14.	मध्य प्रदेश	4646	4315	1100	5838	5813	1477
15.	महाराष्ट्र	2894	2280	119	3086	2950	162
16.	मणिपुर	72	1	0	40	0	0
17.	मेघालय	83	40	0	66	42	0
18.	मिजोरम	14	12	2	15	13	1
19.	नागालैंड	0	1	0	0	1	0
20.	ओडिशा	194	164	4	200	197	4
21.	पंजाब	729	368	102	891	547	132
22.	राजस्थान	1407	719	125	899	901	122
23.	सिक्किम	40	29	8	33	31	8
24.	तमिलनाडु	634	501	58	659	595	64
25.	त्रिपुरा	163	106	18	100	68	8
26.	उत्तर प्रदेश	3085	2224	1278	4736	3876	2216
27.	उत्तराखंड	33	25	21	36	43	57
28.	पश्चिम बंगाल	484	225	10	375	277	14
	कुल राज्य	**21216**	**16243**	**3481**	**24901**	**22625**	**5213**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41	29	6	63	49	7
30.	चंडीगढ़	71	36	19	64	44	27
31.	दादरा और नगर हवेली	11	11	3	15	21	4
32.	दमन और द्वीप	2	1	0	1	1	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	2839	905	203	985	1178	212

1	2	15	16	17	18	19	20
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	21	26	3	20	29	6
	कुल संघ शासित राज्य	**2985**	**1008**	**234**	**1148**	**1322**	**256**
	कुल अखिल भारत	24201	17251	3715	26049	23947	5469

*बच्चों के प्रति कुल अपराध में निम्नलिखित शीर्ष शामिल हैं:- बाल हत्या, हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, बच्चों का परित्याग एवं छोड़ना- अवयस्क लड़कियों की खरीद, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को बेचना और बच्चों के प्रति कारित अन्य अपराध।

विवरण-III

वर्ष 2007-2009 के दौरान बच्चों के प्रति कुल अपराध के तहत दर्ज किए मामले (सी.आर.), आरोपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप पत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य	महिलाओं के प्रति अपराध					बच्चों के प्रति अपराध				
		2007	2008	2009	2007के मुकाबले 2008 में अपराध में % अंतर	2008 के मुकाबले 2009 में अपराध में % अंतर	2007	2008	2009	2007के मुकाबले 2008 में अपराध में % अंतर	2008 के मुकाबले 2009 में अपराध में % अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	24738	24111	25569	-2.5	6.0	1499	1321	1719	-11.9	30.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	185	175	164	-5.4	-6.3	4	24	33	500.0	37.5
3.	असम	6844	8122	9721	18.7	19.7	167	183	44	9.6	-76.0
4.	बिहार	7548	8662	8803	14.8	1.6	675	766	1016	13.5	32.6
5.	छत्तीसगढ़	3775	3962	4002	5.0	1.0	1024	1167	1312	14.0	13.0
6.	गोवा	80	130	164	62.5	26.2	70	80	92	14.3	15.0
7.	गुजरात	8260	8616	8009	4.3	-7.0	1110	1074	968	-3.2	-9.9
8.	हरियाणा	4645	5142	5312	10.7	3.3	325	269	353	-17.2	31.2
9.	हिमाचल प्रदेश	1018	979	954	-3.8	-2.6	151	205	221	35.8	7.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	जम्मू और कश्मीर	2521	2295	2624	-9.0	14.3	26	10	18	-61.5	50.0
11.	झारखंड	3317	3183	3021	-4.0	-5.1	74	71	60	-4.1	-15.5
12.	कर्नाटक	6569	6891	7852	4.9	13.9	266	388	308	45.9	-20.6
13.	केरल	7837	8117	8049	3.6	-0.8	487	549	587	12.7	6.9
14.	मध्य प्रदेश	15370	14908	15827	-3.0	6.2	4290	4259	4646	-0.7	9.1
15.	महाराष्ट्र	14924	15862	15048	6.3	-5.1	2707	2709	2894	0.1	6.8
16.	मणिपुर	188	211	194	12.2	-8.1	49	89	72	81.6	-19.1
17.	मेघालय	172	208	237	20.9	13.9	71	62	83	-12.7	33.9
18.	मिजोरम	151	162	150	7.3	-7.4	64	22	14	-65.6	-36.4
19.	नागालैण्ड	32	47	46	46.9	-2.1	7	3	0	-57.1	-100.00
20.	ओडिशा	7304	8303	8120	13.7	-2.2	201	141	194	-29.9	37.6
21.	पंजाब	2694	2627	2631	-2.5	0.2	527	389	729	-26.2	87.4
22.	राजस्थान	14270	14491	17316	1.5	19.5	1252	1223	1407	-2.3	15.0
23.	सिक्किम	55	48	41	-12.7	14.6	31	24	40	-22.6	66.7
24.	तमिलनाडु	7811	7220	6051	-7.6	-16.2	441	666	634	51.0	-4.8
25.	त्रिपुरा	1067	1416	1517	32.7	7.1	63	163	163	158.7	0.0
26.	उत्तर प्रदेश	20993	23569	23254	12.3	-1.3	2248	4078	3085	81.4	-24.4
27.	उत्तराखंड	1097	1151	1188	4.9	3.2	101	38	33	-62.4	-13.2
28.	पश्चिम बंगाल	16544	20912	23307	26.4	11.5	361	513	484	42.1	-5.7
	कुल राज्य	**180009**	**191520**	**199171**	**6.4**	**4.0**	**18291**	**20486**	**21216**	**12.0**	**3.6**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56	80	92	42.9	15.0	10	47	41	370.0	-1.2.8
30.	चण्डीगढ़	230	143	150	-37.8	4.9	53	66	71	24.5	7.6
31.	दादरा और नगर हवेली	18	28	20	55.6	-28.6	11	17	11	54.5	-35.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	दमन और द्वीप	11	15	13	36.4	-13.3	3	4	2	33.3	-50.0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	4804	3938	4251	-18.0	7.9	2019	1854	2839	-8.2	53.1
34.	लक्षद्वीप	5	4	1	-20.0	-75.0	0	0	0		
35.	पुडुचेरी	179	129	106	-27.9	-17.8	23	26	21	13.0	-19.2
	कुल संघ शासित राज्य	**5303**	**4337**	**4633**	**-18.2**	**6.8**	**2119**	**2014**	**2985**	**-5.0**	**48.2**
कुल अखिल भारत		185312	1959.57	203804	5.7	4.1	20410	22500	24201	10.12	7.6

स्रोतः भारत में अपराध।

कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

372. **श्री गुरुदास दासगुप्तः**
श्री सी. शिवासामीः
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः
श्री मनोहर तिरकीः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष/मौसम के दौरान चावल, गेहूं, दाल आदि सहित कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में वृद्धि की है/किए जाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक फसल हेतु क्या एम.एस.पी. निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह वृद्धि कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों से काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) धान व दलहन सहित 2011-12 मौसम की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जिनकी घोषणा जून, 2011 में हुई, सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गयी है। इसी प्रकार 2010-11 मौसम की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जिनकी घोषणा अक्तूबर, 2010 में हुई, गेहूं सहित सभी रबी फसलों के मूल्यों में वृद्धि की गयी थी।

(ख) 2010-11 की अपेक्षा 2011-12 मौसम की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि तथा 2009-10 की अपेक्षा 2010-11 मौसम की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अरहर (तूर) तथा मूंग जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य की अपेक्षा 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, को छोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिश के अनुसार है। मांग-आपूर्ति के अन्तर को ध्यान में रखते हुए दलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दलहनों के लिए एक उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है।

विवरण

2010-11 की अपेक्षा 2011-12 में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

(प्रति क्विंटल रुपए)

जिन्स	किस्म	2010-11	2011-12	2010-11 की अपेक्षा 2011-12 में वृद्धि	
				पूर्ण	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
धान	सामान्य	1000	1080	80	8.0
	ग्रेड ए	1030	1110	80	7.8
ज्वार	हाइब्रिड	880	980	100	11.4
	मलदांडी	900	1000	100	11.1
बाजरा		880	980	100	11.4
मक्का		880	980	100	11.4
रागी		965	1050	85	8.8
अरहर (तूर)		3000*	3200*	200	6.7
मूंग		3170*	3500*	330	10.4
उड़द		2900*	3300*	400	13.8
कपास	24.5-25.5 की स्टेपल लंबाई (मि.मी.) तथा 4.3-5.1 के माइक्रोनेयर मूल्य	2500	2800	300	12.0
	29.5-30.5 की स्टेपल लंबाई (मि.मी.) तथा 3.5- 4.3 के माइक्रोनेयर मूल्य	3000	3300	300	10.0
मूंगफली छिलके सहित		2300	2700	400	17.4
सूरजमुखी बीज		2350	2800	450	19.1
सोयाबीन	काला	1400	1650	250	17.8
	पीला	1440	1690	250	17.4

1	2	3	4	5	6
तिल		2900	3400	500	17.2
रामतिल		2450	2900	450	18.4

*दो महीनों की फसल कटाई/आगमन अवधि के दौरान प्रापण एजेंसियों को बेचे गए तूर, उड़द और मूंग के 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि।

2009-10 की अपेक्षा 2010-11 में रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि

(प्रति क्विंटल रुपए)

जिन्स	2009-10	2010-11	2009-10 की अपेक्षा 2010-11 में वृद्धि	
			पूर्ण	प्रतिशतता
गेहूं	1100	1120$	20	1.8
जौ	750	780	30	4.0
ग्राम	1760	2100	340	19.3
मसूर (लेन्टिल)	1870	2250	380	20.3
रेपसीड/सरसों	1830	1850	20	1.1
कुसुम्भ	1680	1800	120	7.1

$न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय है।

लापता बच्चे

373. **श्री हरि मांझी:**

श्री पी.टी. थॉमस:

श्री अब्दुल रहमान:

श्री रमेश बैस:

श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लिंग-वार और राज्य-वार कितने बच्चे लापता हुए;

(ख) देश में राज्य-वार कितनी मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां कार्यरत हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने बच्चे बचाए गए;

(घ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव कानून और न्याय मंत्रालय के परामर्श से मानव दुर्व्यापार में शामिल लोगों को सख्त सजा देने हेतु संबंधित कानून में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विभिन्न गैर-सरकारी संगठन देश में मानव दुर्व्यापार और लापता/अपहृत बच्चों के मामले को रोकने में राज्य पुलिस को मदद कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क)

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा समेकित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008, 2009 और 2010 की अवधि के दौरान लापता बच्चों की कुल संख्या क्रमशः 60927, 61541 और 62167 है। लापता बच्चों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 के दौरान 115 मानव तस्करी-रोधी इकाइयों (ए.एच.टी.यू.) की स्थापना के लिए समस्त राज्यों को 8.72 करोड़ रुपए की निधि जारी की है। (विवरण-II) और राज्यों ने इन इकाइयों की स्थापना करने के लिए जिलों का अभिनिर्धारण कर लिया है। बच्चों के बचाए जाने के संबंध में जानकारी केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जी, हां। ए.एच.टी.यू. और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) के संबंध में गृह मंत्रालय की व्यापक योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन प्रतिष्ठित एवं प्रख्यात गैर सरकारी संगठनों की सहायता लें जो मानव तस्करी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

वर्ष 2008-2010 के दौरान लापता बच्चों की लिंगवार संख्या*

27-07-2011 के अनुसार

क्र. सं.	वर्ष	2008			2009			2010		
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	35	56	16	30	46	15	16	31
2.	आन्ध्र प्रदेश	1231	1583	2814	1335	1749	3084	1501	2199	3700
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	6	12	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
4.	असम	355	392	747	406	493	899	403	592	995
5.	बिहार	232	328	560	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
6.	चंडीगढ़	51	67	118	51	68	119	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
7.	छत्तीसगढ़	1089	1617	2706	997	1826	2823	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
8.	दादरा और नगर हवेली	8	15	23	8	9	17	9	8	17
9.	दमन और द्वीप	6	8	14	2	5	7	9	11	20
10.	दिल्ली	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
11.	गोवा	107	150	257	90	146	236	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	गुजरात	1158	1486	2644	1071	1647	2718	1045	1823	2868
13.	हरियाणा	580	265	845	598	317	915	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
14.	हिमाचल प्रदेश	192	170	362	131	139	270	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
15.	जम्मू और कश्मीर	155	121	276	209	157	366	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
16.	झारखंड	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
17.	कर्नाटक	1818	2374	4192	1697	2299	3996	2279	2566	4845
18.	केरल	496	710	1206	401	595	996	411	626	1037
19.	लक्षद्वीप	0	1	1	0	0	0	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
20.	मध्य प्रदेश	3857	4798	8655	4121	5377	9498	4254	6466	10720
21.	महाराष्ट्र	6206	7009	13215	5927	7172	13099	6573	8250	14823
22.	मणिपुर	29	16	45	28	17	45	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
23.	मेघालय	28	43	71	65	103	168	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
24.	मिजोरम	0	0	0	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
25.	नागालैंड	64	64	128	50	67	117	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
26.	ओडिशा	620	1113	1733	633	1249	1882	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
27.	पुडुचेरी	31	45	76	25	32	57	29	43	72
28.	पंजाब	188	80	268	198	79	277	170	112	282
29.	राजस्थान	1385	1092	2477	1248	1483	2731	1541	1951	3492
30.	सिक्किम	82	136	218	93	133	226	145	197	342
31.	तमिलनाडु	683	1130	1813	763	1092	1855	994	1510	2504
32.	त्रिपुरा	67	225	292	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
33.	उत्तर प्रदेश	2624	973	3597	2236	900	3136	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
34.	उत्तराखंड	295	119	414	260	171	431	342	212	554
35.	पश्चिम बंगाल	4220	6872	11092	3926	7601	11527	5016	10819	15835
	कुल योग	27884	33043	60927	26585	34956	61541	24736	37401	6217

टिप्पणी: राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त आंकड़े के आधार पर विवरण तैयार किया गया है। राज्यों से अब तक प्राप्त नहीं हुए आंकड़े को 'एन.आर.' के रूप में दिखाया गया है।

*आंकड़े अनंतिम है।

विवरण-II

राज्य	मानव तस्करी-रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए व्यापक योजना-पुलिस जिलों की संख्या जिसमें वित्तीय वर्ष 2010-11 में एएचटीयू की स्थापना की जानी है	प्रति ए.एच.टी.यू. धनराशि	वर्ष 2010-11 के दौरान जारी की गई कुल धनराशि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	5	7,58,000	37,90,000
अरुणाचल प्रदेश	3	-तदैव-	22,74,000
असम	5	-तदैव-	37,90,000
बिहार	7	-तदैव-	53,06,000
छत्तीसगढ़	4	-तदैव-	30,32,000
गोवा	1	-तदैव-	7,58,000
गुजरात	5	-तदैव-	37,90,000
हरियाणा	3	-तदैव-	22,74,000
हिमाचल प्रदेश	2	-तदैव-	15,16,000
जम्मू और कश्मीर	4	-तदैव-	30,32,000
झारखंड	4	-तदैव-	30,32,000
कर्नाटक	5	-तदैव-	37,90,000
केरल	3	-तदैव-	22,74,000
मध्य प्रदेश	8	-तदैव-	60,64,000
महाराष्ट्र	6	-तदैव-	45,48,000
मणिपुर	2	-तदैव-	15,16,000
मेघालय	2	-तदैव-	15,16,000
मिजोरम	2	-तदैव-	15,16,000
नागालैंड	2	-तदैव-	15,16,000
ओडिशा	6	-तदैव-	45,48,000
पंजाब	4	-तदैव-	30,32,000
राजस्थान	6	-तदैव-	45,48,000

1	2	3	4
सिक्किम	1	-तदैव-	7,58,000
तमिलनाडु	6	-तदैव-	45,48,000
त्रिपुरा	1	-तदैव-	7,58,000
उत्तर प्रदेश	12	-तदैव-	90,96,000
उत्तरांचल	2	-तदैव-	15,16,000
पश्चिम बंगाल	4	-तदैव-	30,32,000
कुल	115		8,71,70,000

[हिन्दी]

आतंकवादियों/भगोड़ों की सूची

374. **श्री सुखदेव सिंह:**
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री हरि मांझी:
श्री यशवीर सिंह:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री नीरज शेखर:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री रमेश बैस:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मुंबई आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान को अति वांछित आतंकवादियों/भगोड़ों की अन्य सूची सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले की सूची में कोई विसंगति पाई गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच 28-29 मार्च, 2011 को हुई गृह सचिव स्तर की वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अति वांछित भगोड़ों की सूची पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को सौंपी थी। तथापि, बाद में, यह पता चला कि सूची में उल्लिखित दो अतिवांछित मुंबई पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, किन्तु उनके नाम पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को सौंपी गई अति वांछित भगोड़ों की सूचियों में भी थे। ऐसी चूक के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी को निम्नलिखित कर दिया गया है और उसके दो पर्यवेक्षण अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

भुखमरी के कारण मौतें

375. **श्री मंगनी लाल मंडल:**
श्री जगदानंद सिंह:
डॉ. संजय जायसवाल:
डॉ. पन्ना लाल पुनिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार, ओडिशा और झारखंड सहित विशेषकर

देश के गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में भुखमरी के कारण हुई अनेक मौतों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों को खाद्यान्नों की समुचित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) इन राज्यों में लोगों को बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी करने और इन राशन कार्डों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) बिहार, ओडिशा और झारखंड सहित किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान भुखमरी से मौत होने की कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) और (घ) देश में भुखमरी की समस्या को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न मिले, सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, किशोरियों के लिए राजीव गांधी सशक्तिकरण स्कीम-सबला, अन्नपूर्णा, इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम और ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए लक्षित आबादी को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्रदान कर रही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 2011-12 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 488.77 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर 50 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन भी किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्धनतम जिलों में वितरण हेतु 8 राज्यों को 2.57 लाख टन अतिरिक्त आबंटन किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य कल्याण योजनाओं के लिए 32.44 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं।

(ङ) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 13 सामाजिक-आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे की 2002 की जनगणना के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे जिनमें भूमि जोत, मकान का प्रकार, खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता उपयोग की वस्तुओं का स्वामित्व और जीविका के साधन आदि शामिल हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 की शर्तों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्येक वर्ष अपात्र परिवारों के नाम काटने और पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की समीक्षा करनी होती है। जाली राशन कार्ड रखने वालों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर जाली राशन कार्ड वापस करने के लिए चेतावनी जारी करने हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 209.55 लाख जाली राशन कार्ड समाप्त किए गए हैं।

[हिन्दी]

शहरों के विकास हेतु धनराशि

376. श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री रामकिशुन:
डॉ. कृपारानी किल्ली:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही शहरी विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में शहरों/कस्बों के विकास हेतु स्वीकृत और जारी की गयी धनराशि शहर/कस्बा-वार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में शहरों के बुनियादी अवसंरचना और छोटे शहरों को विकास हेतु प्रत्यक्ष धनराशि प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के

दौरान ऐसी योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में शहरों और कस्बों के विकास हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(च) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(छ) क्या विश्व बैंक उक्त योजनाओं में कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ज) यदि हां, तो परियोजना-वार और शहर/कस्बा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अवैध टी.वी. चैनल

377. **श्री नित्यानंद प्रधान:**
श्री बैजयंत पांडा:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती राज्यों सहित देश के विभिन्न भागों में अवैध टी.वी. चैनलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ केबल टी.वी. संचालक विदेशी चैनलों सहित प्रतिबंधित टी.वी. चैनलों का भी राज्यों में प्रसारण कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे चैनलों तथा केबल टी.वी. संचालकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही/की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठो गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) सुरक्षा एजेंसियों ने 25 गैर-कानूनी चैनलों की सूची अभिनिर्धारित की है और इन चैनलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) केबल ऑपरेटरों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (इसमें इसके बाद अधिनियम के रूप में उल्लिखित) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। चूंकि, केबल सेवाएं स्थानीय स्वरूप की होती हैं, इसलिए अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत परिकल्पित प्रवर्तन प्राधिकृत अधिकारियों, जो राज्य सरकारों में जिलाधिकारी, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट व पुलिस आयुक्त हैं, के जरिए किया जाता है। मंत्रालय प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा केबल ऑपरेटरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता है। मंत्रालय ने केबल पर प्रसारित विषय-वस्तु की निगरानी करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियां गठित करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जोकि मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.gov.in) पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय इन समितियों के गठन हेतु राज्य सरकारों के साथ पत्राचार करता रहा है। साथ ही, मंत्रालय विदेशी चैनलों के गैर-कानूनी प्रसारण की समस्या का निदान करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया में है। इन संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-कानूनी चैनलों के प्रसारण को संज्ञेय अपराध बनाने और अधिनियम में मौजूदा वित्तीय शास्तियों में वृद्धि करने के प्रावधान शामिल हैं ताकि केबल ऑपरेटरों को गैर-कानूनी चैनलों का प्रसारण करने के लिए हतोत्साहित किया जा सके।

विवरण

राज्यवार अवैध चैनलों की सूची

क्र.सं.	चैनल	राज्य
1.	क्यू टीवी (पाकिस्तान)	केरल, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश,

क्र.सं.	चैनल	राज्य
		हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली
2.	पीस टीवी (दुबई)	केरल, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली
3.	मदनी टीवी (पाकिस्तान)	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक
4.	सउदी टीवी	केरल
5.	टीवी मालदीव्स	केरल
6.	ए.आर.वाई. टीवी	आन्ध्र प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, झारखंड, बिहार
7.	पी.टी.वी.	महाराष्ट्र
8.	पी.टी.वी. होम	जम्मू और कश्मीर
9.	पी.टी.वी. वर्ल्ड	जम्मू और कश्मीर
10.	जिओ टी.वी. (पाकिस्तान)	जम्मू और कश्मीर
11.	डॉन (पाकिस्तान)	जम्मू और कश्मीर
12.	एक्सप्रेस (पाकिस्तानः	जम्मू और कश्मीर
13.	वक्त (पाकिस्तान)	जम्मू और कश्मीर
14.	नूर टी.वी. (पाकिस्तान)	जम्मू और कश्मीर
15.	हादी टी.वी. (पाकिस्तान)	जम्मू और कश्मीर
16.	आज (पिकास्तान)	जम्मू और कश्मीर
17.	एन टी.वी. (बांग्लादेश)	पश्चिम बंगाल
18.	एक्स.वाई.जैड. टी.वी.	पश्चिम बंगाल
19.	नेपाल	पश्चिम बंगाल
20.	फिल्मैक्स (पाकिस्तान)	पश्चिम बंगाल
21.	एस टी.वी. (पाकिस्तान)	पश्चिम बंगाल
22.	कांतिपुर (नेपाल)	पश्चिम बंगाल, सिक्किम
23.	अल-जजीरा समाचार	अरुणाचल प्रदेश
24.	अहमदिया चैनल (यू.के. आधारित)	सिक्किम
25.	भूटान प्रसारण सेवा	सिक्किम

[हिन्दी]

ग्रामों के पुराने नामों में परिवर्तन

378. श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्ट है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ग्रामों और शहरों के पुराने नामों में तिब्बितयों द्वारा परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि तिब्बती नाम मील के पत्थरों पर भी उकेरे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिमान निकले; और

(छ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) ये प्रश्न ही नहीं उठता।

एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना

379. श्री दारा सिंह चौहान:
श्री दत्ता मेघे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार तथा स्थान-वार कितने एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना की गयी/कार्यरत है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में नए एफएम रेडियो स्टेशनों/सेवाओं की शुरुआत करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन नए एफएम रेडियो स्टेशनों/सेवाओं की स्थापना पर होने वाले संभावित व्यय का स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए एफएम रेडियो स्टेशनों/सेवाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय देश में आकाशवाणी के 184 स्टेशन कार्यशील हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 27 से अधिक स्थानों पर 100 वाट के एफएम ट्रांसमीटर (रिले) पहले ही अधिष्ठापित कर दिए गए हैं और उन्हें दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आवृत्ति संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत नियमित सेवा में शामिल कर लिया जाएगा। ब्यौरा विवरण-I(क) में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, देश में 245 निजी एफएम रेडियो स्टेशन (चरण-I के अंतर्गत प्रचालित 21 स्टेशन सहित) कार्यशील हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 11वीं योजना के दौरान आकाशवाणी द्वारा देशभर के 278 से अधिक स्थानों पर विभिन्न क्षमताओं के एफएम ट्रांसमीटर अधिष्ठापित किए जा रहे हैं। इन स्थानों की राज्य-वार सूची और प्रत्येक स्थान पर इनके अधिष्ठापन पर होने वाले संभावित व्यय का ब्यौरा विवरण-II, II(क) और II(ख) में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा 86 शहरों में कुल 839 नए एफएम रेडियो चैनलों की स्थापना करने के अतिरिक्त सरकार द्वारा दिनांक 07-07-2011 को निजी एजेंसियों के जरिए एफएम प्रसारण के विस्तार (चरण-III) का भी अनुमोदन किया गया है जिसके तहत एफएम रेडियो सेवाओं का लगभग 227 नए शहरों में विस्तार किया गया है।

निजी एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना पर होने वाले समस्त व्यय को निजी कंपनी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इनका राज्य-वार स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III(क) में दिया गया है।

(ङ) आकाशवाणी के अधिकतर एफएम स्टेशनों की

स्थापना करने के कार्य को दिसंबर, 2012 तक पूरा कर लेने की संभावना है। जहां तक निजी एफएम रेडियों स्टेशनों का संबंध है, सरकार द्वारा कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है।

विवरण-I

वर्तमान आकाशवाणी एफ.एम. स्टेशनों की सूची (राज्यवार)

क्र. सं.	स्थान	राज्य	पावर (कि.वाट.)
1.	पोर्टब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र	10
2.	अनन्तपुर	आन्ध्र प्रदेश	6
3.	हैदराबाद		5 और 6
4.	करीमनगर		1
5.	कोठागुदम		6
6.	कुरनूल		6
7.	मारकापुरम		6
8.	नेलौर		0.1
9.	निजामाबाद		6
10.	ओनगोले		0.1
11.	तिरूपती		3 और 10
12.	विजयवाड़ा		1
13.	विशाखापटनम		10
14.	वारंगल		10
15.	मचरैला		3
16.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	10
17.	धुबरी	असम	6
18.	गुवाहाटी		10
19.	हाफलांग		6
20.	जोरहट		10
21.	नाउगोंग		6
22.	औरंगाबाद	बिहार	0.1

क्र. सं.	स्थान	राज्य	पावर (कि.वाट.)
23.	गया		0.1
24.	पटना		6
25.	पुर्णिया		6
26.	सासाराम		6
27.	सीतामढ़ी		01
28.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	6
29.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	6
30.	रायगढ़		6
31.	रायपुर		1
32.	सरायपल्ली		1
33.	दमन	दमन (संघ शासित क्षेत्र)	3
34.	दिल्ली	दिल्ली	20 और 20
35.	पणजी	गोवा	6
36.	अहमदाबाद	गुजरात	10
37.	गोधरा		6
38.	सूरत		6
39.	वडोदरा		10
40.	राजकोट		10
41.	हिसार	हरियाणा	6
42.	कुरुक्षेत्र		6
43.	रोहतक		1
44.	बारमौर	हिमाचल प्रदेश	0.1
45.	धर्मशाला		10
46.	हमीरपुर		6
47.	कसौली		10
48.	केलौंग		0.1

क्र. सं.	स्थान	राज्य	पावर (कि.वाट.)
49.	कुल्लू		6
50.	रामपुर		0.1
51.	शिमला		1
52.	भदरवा	जम्मू-कश्मीर	6
53.	गुरेज		0.1
54.	जम्मू		3 और 10
55.	कठुआ		10
56.	लेह		0.1
57.	पुंछ		6
58.	राजौरी		10
59.	श्रीनगर		10
60.	टिठवाल		0.1
61.	उधमपुर		0.1
62.	चाईबासा	झारखण्ड	6
63.	डालटनगंज		10
64.	हजारीबाग		6
65.	जमशेदपुर		6
66.	रांची		6
67.	बंगलुरु	कर्नाटक	10 और 10
68.	बेल्लारी		1
69.	बीजापुर		6
70.	चित्रदुर्गा		6
71.	धारवाड		10
72.	गुलबर्गा		1
73.	हासन		6
74.	हासपेट		10

क्र. सं.	स्थान	राज्य	पावर (कि.वाट.)
75.	कारवार		3
76.	मंगलौर		10
77.	मरकारा		6
78.	मैसूर		10
79.	रायचूर		6
80.	श्रीनगेरी		0.1
81.	कोजीकोट (कालीकट)	केरल	10
82.	केनानोर		6
83.	कोचीन		6 और 10
84.	इडुकी		6
85.	मंजेरी		3
86.	तिरूवनन्तपुरम		10
87.	बालाघाट	मध्य प्रदेश	6
88.	बेतुल		6
89.	भोपाल		6
90.	छिंदवाड़ा		6
91.	गुना		6
92.	इंदौर		6
93.	जबलपुर		10
94.	खंडवा		6
95.	मंडला		1
96.	नीमच		0.1
97.	पंचमढ़ी		0.1
98.	राजगढ़		3
99.	सागर		6
100.	शहडोल		6

क्र. सं.	स्थान	राज्य	पावर (कि.वाट.)
101.	शिवपुरी		6
102.	अहमदनगर	महाराष्ट्र	6
103.	अकोला		6
104.	औरंगाबाद		1
105.	बीड		6
106.	चंद्रपुर		6
107.	धूले		6
108.	गाधचिरौली		0.1
109.	कोल्हापुर		6
110.	मुम्बई		10 और 10
111.	नागपुर		6
112.	नांदेंद		6
113.	नासिक		6
114.	ओसमानाबाद		6
115.	ओरस		5
116.	पूणे		6
117.	सतारा		6
118.	यवतमाल		6
119.	इम्फाल	मणीपुर	10
120.	चुराचांदपुर		6
121.	जोवाई	मेघालय	6
122.	शिलांग		10
123.	आइजवल	मिजोरम	6
124.	लुंगलह		6
125.	कोहिमा	नागालैंड	1
126.	मोकाकचुंग		6

क्र. सं.	स्थान	राज्य	पावर (कि.वाट.)
127.	बारीपाड़ा	ओडिशा	5
128.	बरहामपुर		6
129.	बोलानगीर		6
130.	कटक		6
131.	देवगढ़		0.1
132.	पुरी		3
133.	राउरकेला		6
134.	कराइकल	पुड्डुचेरी (संघ शासित ?त्र)	6
135.	पुड्डुचेरी		5
136.	भटिंडा	पंजाब	6
137.	जालंधर		10
138.	पटियाला		6
139.	अलवर	राजस्थान	6
140.	बांसवारा		6
141.	चित्तौड़गढ़		6
142.	चुरू		6
143.	जयपुर		6
144.	जैसलमेर		10
145.	झारवाड़		6
146.	जोधपुर		6
147.	माउंट आबू		6
148.	नागौर		6
149.	सवाई माधोपुर		6
150.	उदयपुर		1
151.	चेन्नई	तमिलनाडु	20 और 20
152.	कोयंबटूर		10

क्र. सं.	स्थान	राज्य	पावर (कि.वाट.)
153.	धर्मापुरी		0.1
154.	कोडाईकनाल		10
155.	मदुरई		1
156.	नागरकोईल		10
157.	उटी		0.1
158.	तंजावर		0.1
159.	तिरूचिरापल्ली		10
160.	यारकुड (सेलम)		10
161.	अगरतला	त्रिपुरा	10
162.	बोलोनिया		6
163.	कैलाशहर		6
164.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	6
165.	इलाहाबाद		10
166.	बरेली		6
167.	फैजाबाद		6
168.	जांसी		6
169.	कानपुर		1
170.	लखनऊ		10
171.	ओबरा		6
172.	गोरखपुर		1
173.	वाराणसी		1
174.	भटवारी	उत्तराखंड	0.1
175.	गोपेश्वर (चमोली)		0.1
176.	मसूरी		10
177.	नैनीताल		0.1
178.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	6

क्र. सं.	स्थान	राज्य	पावर (कि.वाट.)
179.	दार्जिलिंग		0.1
180.	कोलकाता		20 और 10
181.	करसियांग		5
182.	मुरशीदाबाद		6
183.	शांतिनिकेतन		3
184.	सिलीगुड़ी		10
	कुल ट्रांसमीटर		193

विवरण-I(क)

पहले से संस्थापित 100 वाट लघु क्षमता एफ.एम. ट्रांसमीटर की सूची जो आरंभ की प्रतीक्षा में हैं

क्र. सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	असम	सिलचर
2.	बिहार	किशनगंज
3.	छत्तीसगढ़	मानंन्द्रगढ़
4.	दमन और द्वीप	दीव
5.	हिमाचल प्रदेश	बरथिन
6.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर शहर
7.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा
8.	हिमाचल प्रदेश	चोरीखास
9.	हिमाचल प्रदेश	मनाली
10.	हिमाचल प्रदेश	मण्डी
11.	हिमाचल प्रदेश	रामपुर
12.	हिमाचल प्रदेश	सुन्दर नगर
13.	जम्मू-कश्मीर	बिम्बरगली
14.	जम्मू-कश्मीर	मंगलादेवी किला
15.	जम्मू-कश्मीर	पहलगांव
16.	जम्मू-कश्मीर	तराल
17.	जम्मू-कश्मीर	उरी
18.	झारखंड	धनबाद
19.	मेघालय	चैरापुंजी
20.	सिक्किम	यांगयांग
21.	उत्तराखंड	बचैर
22.	उत्तराखंड	उखीमठ
23.	उत्तराखंड	प्रताप नगर
24.	उत्तराखंड	राजगढ़ी
25.	उत्तराखंड	रानीखेत
26.	उत्तराखंड	टनकपुर
27.	पश्चिम बंगाल	बालुरघाट

विवरण-II

स्थापित नए आकाशवाणी एफ.एम. ट्रांसमीटरों की सूची

क्र. सं.	स्थान	राज्य	प्रस्तावित ट्रांसमीटर की क्षमता	कास्ट रु. लाख में
1	2	3	4	5
1.	अडिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.	313.00
2.	कडप्पा	आन्ध्र प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.	79.00
3.	महबूब नगर	आन्ध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.	430.00
4.	श्रीकाकुलम	आन्ध्र प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.	215.00
5.	सूर्यापेट	आन्ध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.	430.00
6.	अनीनी	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.	304.74
7.	बोमडीला	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.	304.74
8.	चांगलैंग	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.	304.74
9.	डापोरिजो	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.	304.74
10.	खोन्सा	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.	304.74
11.	डिब्रूगढ़	असम	1 किलोवाट एफ.एम.	79.00
12.	गोलपारा	असम	1 किलोवाट एफ.एम.	304.74
13.	करीमगंज	असम	1 किलोवाट एफ.एम.	304.74
14.	लुमडिंग	असम	1 किलोवाट एफ.एम.	304.74
15.	तेजपुर	असम	1 किलोवाट एफ.एम.	79.00
16.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	5 किलोवाट एफ.एम.	266.00
17.	भुज	गुजरात	5 किलोमवाट एफ.एम.	266.00
18.	जूनागढ़	गुजरात	10 किलोवाट एफ.एम.	440.00
19.	द्रास (लद्दाख)	जम्मू और कश्मीर	100 वाट एफ.एम.	137.00
20.	ग्रीनरिज उरी तेहसिल	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.	1225.00
21.	हिमबोतिंगला (कारगिल)	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.	1225.00
22.	कारगिल	जम्मू और कश्मीर	100 वाट एफ.एम.	137.00

1	2	3	4	5
75.	हल्द्वानी	उत्तराखंड	10 किलोवाट एफ.एम.	465.00
76.	न्यू टीहरी	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.	250.00
77.	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	5 किलोवाट एफ.एम.	266.00
78.	वर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.	348.00
79.	कूचविहार	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.	455.00
80-178.	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर	पूरे देश भर में	(99 जगहों पर) सूची संलग्नक II-ए	2000.00
179-278.	100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में	(100 जगहों पर) सूची संलग्नक II-बी	800.00

विवरण-II(क)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित	स्थान	जिला
1.	आन्ध्र प्रदेश	नांडयाल	कुरनूल
2.		अदोनी	कुरनूल
3.		खमाम	खमाम
4.		बांसवाडा	निजामाबाद
5.		कमरेडी	निजामाबाद
6.		काकीनाडा	काकीनाडा
7.	असम	नजीरा	सिबसागर
8.		उत्तरी लखीमपुर	लखीमपुर
9.	बिहार	बैतिया	पश्चिम चंपारन
10.		मोतिहारी	मोतिहारी
11.		मुजफ्फरपुर	मुजफरपुर
12.		मधुबनी	मधुबनी
13.		सुपोल	सुपोल
14.		फोरसिबगंज	अरारिया

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित	स्थान	जिला
15.		भागलपुर	भागलपुर
16.	छत्तीसगढ़	कनकेर	कनकेर
17.		कोरबा	कोरबा
18.		कोंटा	दंतेवाडा
19.		डोंगरगढ़	राजनंदगांव
20.		पनदारिया	बिलासपुर
21.		खरोड	जांजगिर चंपा
22.		जगदलपुर	जगदलपुर
23.	गुजरात	भरूच	भरूच
24.		द्वारिका	द्वारिका
25.		मेहसाना	मेहसाना
26.		भावनगर	भावनगर
27.		पोरबंदर	पोरबंदर
28.		जामनगर	जामनगर
29.		अहवा	अहवा
30.	हरियाणा	सिरसा	सिरसा
31.		अम्बाला	अम्बाला
32.	झारखंड	गिरीडीह	गिरीडीह
33.		देवघर	देवघर
34.		दुमका	दुमका
35.		गुमला	गुमला
36.		घाटशिला	पूर्वी सिंहभूम
37.		छत्तरा	छत्तरा
38.		बोकारो	बोकारो
39.	कर्नाटक	तुमकुर	तुमकुर
40.		सागर	सिमोगा

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित	स्थान	जिला
93.		मेदनीपुर	मेदनीपुर
94.		बलरामपुर	बलरामपुर
95.		बसंती	चौबीस परगना
96.		फरक्का	फरक्का
97.		कृष्णा नगर	कृष्णा नगर
98.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	सिलवासा
99.	लक्षद्वीप	कावारती	लक्षद्वीप

विवरण-II(ख)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित	स्थान	जिला
1.	अरुणाचल प्रदेश	जिमिथैंग	तवांग
2.		तवांग	तवांग
3.		कलकटैंग	पश्चमी केमंग
4.		भालूकपोंग	पश्चमी केमंग
5.		बोमडिला	पश्चमी केमंग
6.		सीपा	पश्चमी केमंग
7.		छयंगताजो	पश्चमी केमंग
8.		रागा	लोअर सुबानसिरी
9.		याचूली	लोअर सुबानसिरी
10.		जीरो	लोअर सुबानसिरी
11.		संग्राम	कुरूंग करमे
12.		सरली	कुरूंग कुरमे
13.		तालिहा	अपर सुबानसिरी
14.		नाचो	अपर सुबानिरी
15.		योमचा	पश्चिमी सियांग

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित	स्थान	जिला
16.		मेचूका	पश्चिमी सियांग
17.		रूमगोग	पश्चिमी सियांग
18.		बासर	पश्चिमी सियांग
19.		गेनसी	पश्चिमी सियांग
20.		एलौंग	पश्चिमी सियांग
21.		बोलेंग	पूर्वी सियांग
22.		कोयू	पूर्वी सियांग
23.		पासीघाट	पूर्वी सियांग
24.		तुटींग	अपर सियांग
25.		यिंगकियोंग	अपर सियांग
26.		मारीयांग	अपर सियांग
27.		हुनली	लोअर दिवांग
28.		रोंग	लोअर दिवांग
29.		नामसाई	लोहीत
30.		वालौंग	लोहीत
31.		हवाई	लोहीत
32.		हेयूलियांग	लोहीत
33.		तेलू	लोहीत
34.		मेओ	चैंगलैंग
35.		नमपोंग	चैंगलैंग
36.		कनुबेरी	तिराप
37.		तेंगचो	तिराप
38.	असम	बारपेटा	बारपेटा
39.		डुडनोई	गोलपारा
40.		उडलगुरी	डरांग
41.		बकुलीघाट	कारबी अंगलौंग

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित	स्थान	जिला
94.		चोवमानु	धलाई
95.		गंदचारा	धलाई
96.		खोवाई	पश्चिमी त्रिपुरा
97.		तेलीमूरा	पश्चिमी त्रिपुरा
98.		अमरपुर	दक्षिणी त्रिपुरा
99.		सिलाचेरी	दक्षिणी त्रिपुरा
100.		सबरूम	दक्षिणी त्रिपुरा

विवरण-III

क्र. सं.	राज्य	शहर	चैनलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	4
2.		राजामुंदरी	1
3.		तिरुपति	2
4.		विजयवाड़ा	2
5.		विशाखापटनम	4
6.		वारांगल	1
		कुल	**14**
7.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	1
		कुल	**1**
8.	असम	गुवाहाटी	4
		कुल	**4**
9.	बिहार	मुजफ्फरपुर	1
10.		पटना	1
		कुल	**2**
11.	चंडीगढ़ (संघ-राज्य क्षेत्र)	चंडीगढ़	2
		कुल	**2**

क्र. सं.	राज्य	शहर	चैनलों की संख्या
12.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	1
13.		रायपुर	4
		कुल	**5**
14.	दिल्ली (संघ-राज्य क्षेत्र)	दिल्ली	8
		कुल	**8**
15.	गोवा	पणजी	3
		कुल	**3**
16.	गुजरात	अहमदाबाद	5
17.		राजकोट	3
18.		सूरत	4
19.		वड़ोदरा	4
		कुल	**16**
20.	हरियाणा	हिसार*	3
21.		करनाल	2
		कुल	**5**
22.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	3
		कुल	**3**
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	1
24.		श्रीनगर	1
		कुल	**2**
25.	झारखंड	जमशेदपुर	3
26.		रांची	4
		कुल	**7**
27.	कर्नाटक	बंगलोर	7
28.		गुलबर्गा	1
29.		मंगलोर	3

क्र. सं.	राज्य	शहर	चैनलों की संख्या
73.	त्रिपुरा	अगरतला	1
		कुल	**1**
74.	उत्तर प्रदेश	आगरा	2
75.		अलीगढ़	1
76.		इलाहाबाद	2
77.		बरेली	2
78.		गोरखपुर	1
79.		झांसी	1
80.		कानपुर	3
81.		लखनऊ	3
82.		वाराणसी	3
		कुल	**18**
83.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	2
84.		कोलकाला	9
85.		सिलिगुडी	4
		कुल	**15**
		कुल योग	245

विवरण-III (क)

क्र. सं.	राज्य	शहर का नाम	चरण III हेतु उपलब्ध चैनलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	4
2.		विजयवाड़ा	2
3.		विशाखापट्नम	0
4.		काकीनाड़ा	4

1	2	3	4
5.		कुरनूल	4
6.		नेल्लूर	4
7.		राजामुंद्री	3
8.		तिरुपति	2
9.		वारंगल	3
10.		आदिलाबाद	3
11.		अदोनी	3
12.		अलवल	3
13.		अनंतपुर	3
14.		भीमावरम	3
15.		चिराला	3
16.		चित्तूर	3
17.		कुड्डप्पा	3
18.		धर्मावरम	3
19.		इलुरू	3
20.		गुंटकल	3
21.		हिंदुपुर	3
22.		करीमनगर	3
23.		खम्माम	3
24.		कोठागुडेम	3
25.		मछलीपटनम	3
26.		मदनपल्ली	3
27.		महबूबनगर	3
28.		मंचेरियल	3
29.		नालगोंडा	3
30.		नंदियाल	3

1	2	3	4
31.		निजामाबाद	3
32.		औंगोले	3
33.		प्रोद्दातूर	3
34.		रामगुंडम	3
35.		विजियानगरम	3
36.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्टब्लेयर	3
37.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	2
38.	असम	गुवाहाटी	0
39.		डिब्रुगढ़	3
40.		जोरहाट	3
41.		नोगांव (नोगांग)	3
42.		सिल्चर	3
43.		तिनसुकिया	3
44.		दुभरी	3
45.		हाफलांग	3
46.	बिहार	पटना	3
47.		भागलपुर	4
48.		गया	4
49.		मुजफ्फरपुर	3
50.		आरा	3
51.		बेगुसराय	3
52.		बेतिया	3
53.		बिहार शरीफ	3
54.		छपरा	3
55.		दरभंगा	3
56.		मोतीहारी	3

1	2	3	4
57.		मुंगेर	3
58.		पुर्णिया	3
59.		सहरसा	3
60.		सासाराम	3
61.		सिवान	3
62.	चंडीगढ़/संघ राज्य क्षेत्र	चंडीगढ़	2
63.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	3
64.		रायपुर	0
65.		दुर्ग-भिलाईनगर	3
66.		जगदलपुर	3
67.		कोरबा	3
68.		राजगढ़	3
69.	दमन और द्वीप	दमन	3
70.	दिल्ली	दिल्ली	1
71.	गोवा	पणजी	0
72.	गुजरात	अहमदाबाद	1
73.		सूरत	2
74.		राजकोट	1
75.		वड़ोदरा	0
76.		भावनगर	4
77.		जामनगर	4
78.		भरूच	3
79.		बोतड	3
80.		दोहद	3
81.		गोधरा	3
82.		जैतपुर नवागढ़	3

1	2	3	4
83.		जूनागढ़	3
84.		मेहसाना	3
85.		पालनपुर	3
86.		पाटन	3
87.		पोरबंदर	3
88.		सुरेन्द्रनगर दुधरेज	3
89.		वीरावल	3
90.		वधवान (सुरेन्द्रनगर)	3
91.	हरियाणा	अंबाला	3
92.		बहादुरगढ़	3
93.		भिवानी	3
94.		हिसार	1
95.		जिंद	3
96.		कैथल	3
97.		करनाल	1
98.		पानीपत	3
99.		रेवाड़ी	3
100.		रोहतक	3
101.		सिरसा	3
102.		थानेसर	3
103.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0
104.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	3
105.		श्रीनगर	3
106.		करगिल	3
107.		लेह	3
108.		कटुआ	3

1	2	3	4
109.		पुंछ	3
110.		भद्रवाह	3
111.	झारखंड	धनबाद	4
112.		जमशेदपुर	1
113.		रांची	0
114.		बोकारो स्टील सिटी	3
115.		देवघर	3
116.		गिरीडीह	3
117.		हजारीबाग	3
118.	कर्नाटक	बंगलौर	1
119.		बेलगाम	4
120.		बेल्लारी	4
121.		देवानगिरी	4
122.		गुलबर्ग	3
123.		दुबली-धारवाड़	4
124.		मंगलौर	1
125.		मैसूर	2
126.		बिदर	3
127.		बीजापुर	3
128.		चिकमगलुर	3
129.		चित्रदुर्ग	3
130.		गदग बेतीगेरी	3
131.		हासन	3
132.		हॉस्पेट	3
133.		कोलार	3
134.		रायचुर	3

1	2	3	4
135.		सिमोगा	3
136.		टुमकुर	3
137.		उडुपी	3
138.	केरल	कोच्चीन	1
139.		अलपुजा (अलेपी)	4
140.		कान्नुर	0
141.		कोझिकोड़	2
142.		तिरुअनंतपुरम	0
143.		त्रिशुर	0
144.		कानहानगढ़ (कासरगोड)	3
145.		पलक्कड	3
146.	लक्षद्वीप	कावारती	3
147.	मध्य प्रदेश	भोपाल	0
148.		इंदौर	0
149.		जबलपुर	0
150.		ग्वालियर	0
151.		सागर	4
152.		उज्जैन	4
153.		बुरहानपुर	3
154.		छतरपुर	3
155.		छिंदवाड़ा	3
156.		दमोह	3
157.		गुना	3
158.		ईटारसी	3
159.		खंडवा	3
160.		खरगौन	3
161.		मंदसौर	3

1	2	3	4
162.		मुरवारा (कटनी)	3
163.		निमच	3
164.		रतलाम	3
165.		रीवा	3
166.		सतना	3
167.		शिवपुरी	3
168.		सिंगरौली	3
169.		विदिशा	3
170.	महाराष्ट्र	मुंबई	2
171.		नागपुर	1
172.		पुणे	2
173.		अहमदनगर	2
174.		अकोला	3
175.		अमरावती	4
176.		औरंगाबाद	2
177.		धूले	3
178.		जलगांव	2
179.		कोल्हापुर	2
180.		मालेगांव	4
181.		नांदेड	3
182.		नासिक	2
183.		संगली	2
184.		सोलापुर	2
185.		अचलपुर	3
186.		बरसी	3
187.		गोंडिया	3

1	2	3	4
188.		लातुर	3
189.		वर्धा	3
190.		यवतमाल	3
191.	मणिपुर	इंफाल	3
192.	मेघालय	शिलोंग	1
193.		जोवाई	3
194.	मिजोरम	आइजोल	2
195.		लुंगलेई	3
196.	नागालैंड	डिमापुर	3
197.		कोहिमा	3
198.	ओडिशा	मोकुकचुंग	3
199.		भुवनेश्वर	1
200.		राउरकेला	2
201.		बालेश्वर	3
202.		बरीपदा	3
203.		ब्रहपुर	3
204.		पुरी	3
205.		संबलपुर	3
206.	पुडुचेरी	पांडिचेरी	1
207.	पंजाब	अमृतसर	2
208.		लुधियाना	4
209.		जालंधर	0
210.		पटियाला	1
211.		अबोहर	3
212.		भटिंडा	3
213.		होशियारपुर	3

1	2	3	4
214.		मोगा	3
215.		पठानकोट	3
216.	राजस्थान	जयपुर	1
217.		अजमेर	2
218.		बीकानेर	3
219.		जोधपुर	1
220.		कोटा	1
221.		उदयपुर	1
222.		अलवर	3
223.		भिवाड़	3
224.		भरतपुर	3
225.		भीलवाड़ा	3
226.		चुरू	3
227.		गंगानगर	3
228.		हनुमानगढ़	3
229.		झुंझुनू	3
230.		पाली	3
231.		सवाई माधोपुर	3
232.		सिकर	3
233.		टोंक	3
234.	सिक्किम	गंगटोक	0
235.		चैन्ने	1
236.		कोयम्बटूर	0
237.		मदुरई	1
238.	तमिलनाडु	इरोड	4
239.		सेलम	4

1	2	3	4
240.		तिरुची	2
241.		तिरूनेलवेली	2
242.		तुतीकोरीन	2
243.		वेल्लौर	4
244.		कोन्नूर	3
245.		डिंडिगुल	3
246.		कराईकुड्डी	3
247.		करूर	3
248.		नागरकोइल/कन्याकुमारी	3
249.		नेवेली	3
250.		पुडूकोट्टी	3
251.		राजापलायम	3
252.		थनजावर	3
253.		तिरुवन्नामलाई	3
254.		वनियामबदी	3
255.	त्रिपुरा	अगरतला	2
256.		बेलोनिया	3
257.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	3
258.		लखनऊ	3
259.		आगरा	2
260.		इलाहाबाद	2
261.		मुरादाबाद	4
262.		वाराणसी	1
263.		अलीगढ़	3
264.		बरेली	2
265.		गोरखपुर	3

1	2	3	4
266.		झांसी	3
267.		मुजफ्फरनगर	4
268.		सहारनपुर	4
269.		शाहजहांपुर	4
270.		आजमगढ़	3
271.		बहराइच	3
272.		बलिया	3
273.		बांदा	3
274.		बस्ती	3
275.		बतायूं	3
276.		देवरिया	3
277.		ईटा	3
278.		इटावा	3
279.		फैजाबाद/अयोध्या	3
280.		फरूर्खाबाद सह फतेहगढ़	3
281.		फतैहपुर	3
282.		गाजीपुर	3
283.		गोंडा	3
284.		हरदोई	3
285.		जौनपुर	3
286.		लखीमपुर	3
287.		ललितपुर	3
288.		मैनपुरी	3
289.		मथुरा	3
290.		मऊनाथ भंजन (जिला मऊ)	3
291.		मिर्जापुर सह विंध्याचल	3

1	2	3	4
292.		ओरई	3
293.		रायबरेली	3
294.		सीतापुर	3
295.		सुल्तानपुर	3
296.	उत्तराखंड	देहरादून	4
297.		हलद्वानी सह काठगोदाम	3
298.		हरिद्वार	3
299.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	0
300.		आसनसोल	2
301.		सिलीगुढ़ी	0
302.		अलीपुरद्वार	3
303.		वेहरामपुर	3
304.		बालुरघाट	3
305.		बनगांव	3
306.		बांकुरा	3
307.		वर्धमान	3
308.		दार्जिलिंग	3
309.		अंग्रेजी बाजार (मालदा)	3
310.		खडगपुर	3
311.		कृष्णानगर	3
312.		पुरुलिया	3
313.		रावगंज	3
		कुल	839

पुलिस थानों में अपराध

380. श्री भूदेव चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में और देश के अन्य भागों में पुलिस थानों में पुलिस प्राधिकारियों द्वारा, पत्राकरों की हत्या, महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या तथा रात्रि में पुलिस और महिला प्रदर्शनकारियों पर

लाठी-चार्ज की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई घटनाओं पर संज्ञान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो पुलिस प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गुणवत्ता बीजों का उत्पादन

381. श्री आधि शंकर:

श्री एस. अलागिरी:

श्री यशवंत लागुरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीज ग्राम कार्यक्रम और बीज अवसंरचना के सृजन के अंतर्गत गुणवत्ताबीजों की उत्पादन और वितरण हेतु अवसंरचना के विकास और इसे सुदृढ़ करने के लिए तमिलनाडु और ओडिशा को अनुदान सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु और ओडिशा में ऐसे चिन्हित किए गए गांवों की संख्या कितनी है जहां बीज ग्राम कार्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं; और

(घ) तमिलनाडु और ओडिशा में उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे किसानों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

विवरण

गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण नामक स्कीम के तहत विगत 3 वर्षों के लिए बीज अवसंरचना सृजन एवं बीज गांव कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु तथा ओडिशा को दिए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा

बीज ग्राम कार्यक्रम

निर्मुक्ति का वर्ष	कार्यान्वयनकारी एजेंसी	निर्मुक्त राशि (लाख रु.)	गांवों की	लाभान्वित किसानों की सं.
1	2	3	4	5
2008-09	निदेशक कृषि एवं खाद्य उत्पादन, ओडिशा	418.62	1251	148852
2009-10	निदेशक कृषि एवं खाद्य उत्पादन, ओडिशा	146.62	253	24239
2010-11	निदेशक कृषि एवं खाद्य उत्पादन, ओडिशा	517.92	696	96100
	कुल	**1083.16**	**2200**	**269191**
2008-09	ओडिशा राज्य बीज निगम लि.	103.92	181	39059
2009-10	ओडिशा राज्य बीज निगम लि.	1046.80	817	413315
2010-11	ओडिशा राज्य बीज निगम लि.	232.389	385	48278
	कुल	**1383.109**	**1383**	**500562**

1	2	3	4	5
2008-09	कृषि आयुक्त, तमिलनाडु	200.00	2000	18540
2009-10	कृषि आयुक्त, तमिलनाडु	2265.246	2260	199800
2010-11	कृषि आयुक्त, तमिलनाडु	2639.000	3500	200000
	कुल	**5104.246**	**7760**	**418250**

बीज अवसंरचना सुविधाओं का सृजन

निर्मुक्ति का वर्ष	कार्यान्वयनकारी एजेंसी	लाभान्वित किसानों की सं.
2008-09	निदेशक कृषि एवं खाद्य उत्पादन, उड़ीसा	75.00
2009-10	निदेशक कृषि एवं खाद्य उत्पादन, उड़ीसा	205.00
2010-11	ओडिशा राज्य बीज निगम लि.	212.24
	कुल	**492.24**
2009-10	कृषि आयुक्त, तमिलनाडु	1962.00

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों में अनियमितताएं

382. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीडिया में इस प्रकार की खबरें हैं कि केंद्रीय युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को राष्ट्रमंडल खेल, 2010 आयोजित करने में आसन्न विफलता के लिए चेयाता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त चेतावनी के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने मामले की कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पीचर फिल्म और टी.वी. धारावाहिकों को स्वीकृति

383. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की टेलीविजन और दूरदर्शन चैनलों में विभिन्न भाषाओं की फीचर फिल्म, टेलीविजन धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों के चयन और प्रदर्शन हेतु कोई नीति/विहित दिशा-निर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु सरकार/प्रसार भारती द्वारा कोई अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान उक्त समूह द्वारा स्वीकृत फिल्मों और टी.वी. धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है; और

(च) स्वीकृति हेतु सरकार के समक्ष कितनी फिल्में और धारावाहिक अभी तक लंबित पड़े हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) निजी चैनलों पर प्रसारित की जाने वाली विषय-वस्तु के चयन हेतु सरकार द्वारा ऐसे कोई नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं और इसलिए विषय-वस्तु का चयन करने का कार्य निजी चैनलों के प्रबंधन के विवेक पर छोड़ा गया है। तथापि, सभी निजी टीवी चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना आवश्यक होता है।

जहां तक दूरदर्शन चैनलों का संबंध है, प्रसार भारती के विभिन्न भाषाओं में फीचर फिल्मों व टीवी धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों के चयन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) नए फिल्म दिशानिर्देश, 2007।

(ii) स्व-वित्तपोषित कमीशंड स्कीम।

(iii) कमीशंड कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश।

(iv) अधिग्रहण कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश।

(v) प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने फीचर फिल्मों और टीवी धारावाहिकों का चयन करने के प्रयोजनार्थ अलग से अधिकार-प्राप्त समितियों का गठन किया है जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) फिल्म लघु-सूचीयन समिति जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं:-

(i) महानिदेशक, दूरदर्शन - अध्यक्ष।

(ii) उप महानिदेशक (फिल्म) - सदस्य।

(iii) एक अन्य उप महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य (बारी-बारी से)।

(iv) निदेशक, कार्यक्रम, दूरदर्शन - सदस्य (बारी-बारी से)।

(v) निदेशक (विपणन)/निदेशक (सी एंड एस) - सदस्य।

(vi) एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य [दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा अनुशंसित और प्रसार भारती की कार्यक्रम निर्माण एवं विषय-वस्तु समिति द्वारा अनुमोदित पैनल से]।

(2) कमीशंड धारावाहिकों/कार्यक्रमों के चयन हेतु अधिकार-प्राप्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:-

(i) महानिदेशक, दूरदर्शन।

(ii) उप महानिदेशक, कार्यक्रम।

(iii) कार्यक्रम-निर्माण एवं विषय-वस्तु समिति द्वारा नामित एक बाह्य सदस्य।

प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 03-02-2011 को प्रसार भारती सचिवालय में आयोजित प्रसार भारती बोर्ड की 100वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशकों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बाह्य कंपनियों से सॉफ्टवेयर अधिप्राप्त करने सहित कार्यक्रम के सभी मामलों में पूर्ण कार्यात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तथापि, जहां तक चयन प्रक्रिया में बाह्य विशेषज्ञों को शामिल करने का संबंध है, उपबंधित संगत दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों के नाम को शामि करने के संबंध में अनुमोदन प्रसार भारती बोर्ड की कार्यक्रम-निर्माण एवं विषय-वस्तु समिति द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ङ) और (च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अंतिम तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान चयनित फिल्मों एवं धारावाहिकों का ब्यौरा

फिल्में

वर्ष 2008	वर्ष 2009	वर्ष 2010	मौजूदा वर्ष	लंबित फिल्में
148	237	239	116	शून्य

धारावाहिक

कोटि	वर्ष 2008	वर्ष 2009	वर्ष 2010	मौजूदा वर्ष	लंबित धारावाहिक
प्रायोजित	7	-	4	-	-
कमीशंड	38	20	1	4	21
एस.एफ.सी.	8	5	3	20	-
कुल	53	25	8	24	21

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

384. श्रीमती रमा देवी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो संगठन-वार गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अनियमितताओं में लिप्त गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या है; और

(घ) सरकार के द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां।

(ख) केवल जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत, गैर सरकारी संगठनों को सीधे निम्नलिखित निधियां जारी की गई:-

वर्ष	जारी निधियां
2008-09	गैर सरकारी संगठनों को कोई निधियां जारी नहीं की गई।
2009-10	गैर सरकारी संगठनों को कोई निधियां जारी नहीं की गई।
2010-11	गैर सरकारी संगठनों को कोई निधियां जारी नहीं की गई।
2011-12	जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के 1% में से 2 लाख रुपए नई दिल्ली में 9-11 दिसम्बर, 2011 के दौरान "बैम्बो, ए ग्रीन इंजीनियरिंग मैटिरियल-फोर मॉस हाऊसिंग एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए "काउंसिल फार सस्टेनेबल डवलपमेंट" को जारी किए गए। "काउंसिल फार सस्टेनेबल डवलपमेंट" सोसाइटी विनियम अधिनियम 1960 के तहत नई दिल्ली में गैर लाभकारी सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।

(ग) और (घ) किसी गैर सरकारी संगठन को अनियमितताओं में लिप्त नहीं पाया गया है।

खिलाड़ियों को पारिश्रमिक

385. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हॉकी इंडिया के खिलाड़ियों ने अर्जेनटीना में आयोजित चैम्पियंस चैलेंज टूर्नामेंट से संबंधित भुगतान/पारिश्रमिक के चलते पुणे में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कैंप का बहिष्कार किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें समय पर और पर्याप्त पारिश्रमिक/भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भारतीय खेलों के प्रदर्शन को देखते हुए खेल की सभी विधाओं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को समान पारिश्रमिक/अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का क्रिकेट जैसे अन्य खेलों के माध्यम से अर्जित कतिपय धन दूसरे खेलों के लिए आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का सरकारी/अर्ध-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम पांच प्रतिशत का कोटा आरक्षित करने का भी प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में उठाए गए अन्य सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) खिलाड़ियों का अनुबंध, परिसंघ, प्रायोजक और खिलाड़ियों के बीच अनुबंध संबंधी करार होता है और सरकार इसमें शामिल नहीं होती है। जहां तक राष्ट्रीय टीम का संबंध है सरकार द्वारा खिलाड़ियों को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई पारितोषिक नहीं दिया जाता है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्वायत्तशासी निकाय है और सरकार को खेल विधाओं से उनकी आय का कोई अंश प्राप्त नहीं होता है। तथापि, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय खेल विकास निधि में 50 करोड़ रु. का अंशदान दिया है।

(छ) और (ज) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में सीधी भर्ती में समूह 'ग' और पूर्व समूह 'घ' पदों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 5% पद आरक्षित रखने का प्रावधान पहले से ही है।

किसानों का सर्वेक्षण

386. **श्री गोपीनाथ मुंडे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण/जनगणना करवाई है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े श्रमिको की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसानों की संख्या में गिरावट आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में किसानों को कृषि व्यवसाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जनगणना, 2001 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा हरियाणा सहित भारत के विभिन्न राज्यों में कृषकों तथा कृषि मजदूरों की संख्या संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) विगत तीन जनगणनाओं से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में कृषकों की संख्या में 1981 में 92.5 मि. से 1991 में 110.7 मि. और 2001 में 127.3 मि. की वृद्धि हुई है।

(ङ) सरकार द्वारा देश में कृषि को अपनाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए (i) बहुफसलन,

अन्त:फसलन तथा समेकित कृषि व्यवस्था जैसी आधुनिक तकनीकों तथा पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ावा देना (ii) देश के विभिन्न भागों में संशोधित कृषि तकनीकों से संबंधित जागरूकता निर्माण हेतु एक नियमित आधार पर, कृषि विज्ञान केन्द्र, (के.वी.के.) किसान मेला, प्रदर्शनियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी का प्रचार करना, (iii) कृषि क्षेत्र में संसाधन साधनों के समर्थन हेतु ब्याज की वहन योग्य दर पर ऋण प्रदान करने के लिए कृषि ऋण वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, (iv) कृषि को एक लाभप्रद क्रियाकलाप बनाने के लिए सतत आधार पर कृषकों को समर्थन सेवा प्रदान करना आदि नीतियों को तैयार किया गया है।

विवरण

जनगणना, 2001 के अनुसार भारत में कृषकों तथा कृषि मजदूरों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषक	कृषि मजदूर
1.	जम्मू और कश्मीर	1591514	246421
2.	हिमाचल प्रदेश	1954870	94171
3.	पंजाब	2065067	1489861
4.	चंडीगढ़	2141	563
5.	उत्तराखंड	1570116	259683
6.	हरियाणा	3018014	1278821
7.	दिल्ली	37431	15773
8.	राजस्थान	13140066	2523719
9.	उत्तर प्रदेश	22167562	13400911
10.	बिहार	8193621	13417744
11.	सिक्किम	131258	17000
12.	अरुणाचल प्रदेश	279300	18840
13.	नागालैण्ड	548845	30907
14.	मणिपुर	379705	113630
15.	मिजोरम	256332	26783
16.	त्रिपुरा	313300	276132
17.	मेघालय	467010	171694
18.	असम	3730773	1263532
19.	पश्चिम बंगाल	5653922	7362957
20.	झारखंड	3889506	2851297

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषक	कृषि मजदूर
21.	ओडिशा	4247661	4999104
22.	छत्तीसगढ़	4311131	3091358
23.	मध्य प्रदेश	11037906	7400670
24.	गुजरात	5802681	5161658
25.	दमन और द्वीप	4034	1323
26.	दादरा और नगर हवेली	39470	14715
27.	महाराष्ट्र	11813275	10815262
28.	आन्ध्र प्रदेश	7859534	13832152
29.	कर्नाटक	6883856	6226942
30.	गोवा	50395	3,5806
31.	लक्षद्वीप	-	-
32.	केरल	724155	1620851
33.	तमिलनाडु	5116039	8637630
34.	पुडुचेरी	10900	72251
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21461	5169
	अखिल भारत	127312851	106775330

टिप्पणी - प्रशासनिक तथा तकनीकी कारणों की वजह से जनगणना के परिणाम निरस्त कर दिए जाने के कारण अखिल भारत तथा मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर राज्य में सेनापति जिले के माओमारम, पाओमाता तथा पारूल उप प्रभाग शामिल नहीं हैं।

पुस्तकों का प्रकाशन

387. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पुस्तकों के शीर्षक, प्रकाशन का मानक आकार और प्रत्येक पुस्तक पर व्यय की गई राशि सहित भाषा-वार अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंग्रेजी भाषा के बदले भारतीय भाषाओं में अधिक पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

(ग) प्रकाशन विभाग न केवल अंग्रेजी में बल्कि हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं में भी पुस्तकों/पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। प्रकाशन विभाग भारतीय भाषाओं में नियमित रूप से पुस्तकें प्रकाशित करता है। भारतीय

भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर यथोचित रूप से विचार किया जाता है। इस विभाग की कई मौजूदा पुस्तकों का भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों पर लेखन-कार्य करने के लिए लेखकों से संपर्क करने हेतु हमारे क्षेत्रीय केंद्रों को समय-रमय पर निर्देश दिए जाते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (जुलाई, 2011 तक) के दौरान प्रकाशित पुस्तकों का ब्यौरा संलग्न है:-

(i) वर्ष 2008-09 का ब्यौरा:

उक्त वर्ष के दौरान प्रकाशित हिन्दी पुस्तकों की कुल संख्या		-	69
क्षेत्रीय भाषाओं की प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या		-	17
	कुल	**-**	**86**

(ii) वर्ष 2009-10 का ब्यौरा:

उक्त वर्ष के दौरान प्रकाशित हिन्दी पुस्तकों की कुल संख्या		-	54
क्षेत्रीय भाषाओं की प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या		-	11
	कुल	**-**	**65**

(iii) वर्ष 2010-11 का ब्यौरा:

उक्त वर्ष के दौरान प्रकाशित हिन्दी पुस्तकों की कुल संख्या		-	49
क्षेत्रीय भाषाओं की प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या		-	14
	कुल	**-**	**63**

(iv) वर्ष 2011-12 की मौजूदा स्थिति (जुलाई, 2011 तक):

उक्त वर्ष के दौरान प्रकाशित हिन्दी पुस्तकों की कुल संख्या		-	09
क्षेत्रीय भाषाओं की प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या		-	02
	कुल	**-**	**11**

(कृपया ध्यान दें कि पुस्तकों के आकार अंतर्राष्ट्रीय आकारों में उल्लिखित किए गए हैं जिनका वर्णन निम्नानुसार हैं):

(i) ए-5 = 5.5 इंज x 8.5 इंच

(ii) ए-4 = 8.5 इंच x 11 इंच

(iii) बी-5 = 7.25 इंच x 9.5 इंच

(iv) रॉयल 8 खंड = 6.25 इंच x 9.5 इंच

अप्रैल-2008 से मार्च 2009 तक प्रकाशित और जारी पुस्तकें

ए-हिन्दी

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	व्यय (रुपये में)
1.	भारतीय लोकनृत्य	1000	बी-5	60,000
2.	नाना साहेब पेश्वा	2000	बी-5	33,330
3.	महापुरुषों का मनोविनोद	1000	ए-5	21,660
4.	बहादुरशाह जफर	2000	बी-5	33,330
5.	सफेद बाघ	2000	बी-5	36,660
6.	पर्वतारोहण का रोमांच	1000	बी-5	36,660
7.	ईसा की लघु कथाएं	2000	बी-5	26,660
8.	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (भाग-3) (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	1,06,660
9.	किस्सा चार दरवेश का	1000	बी-5	16,660
10.	देश विदेश के त्यौहार	1000	बी-5	26,660
11.	बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष	1000	ए-5	42,660
12.	प्रधानमंत्री के भाषण (भाग-3)	500	रॉयल 8	1,09,000
13.	प्रकाश भारती	500	ए-4	52,446
14.	सूचना भारती	3500	ए-4	87,840
15.	कथा कालीदास की	2000	बी-5	33,330
16.	जातक कथाएं	1000	बी-5	60,000
17.	अमर शहीद भगत सिंह	1000	बी-5	28,660
18.	दयाल सिंह मजीठिया	1000	ए-5	36,660
19.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सचित्र जीवनी (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	33,330
20.	उपभोक्ता संरक्षण	1000	ए-5	51,660
21.	भारतीय डाक टिकटों का इतिहास	1000	ए-5	28,330
22.	राजगुरु	1000	बी-5	45,000
23.	कहानियां बलिदान कीं	1000	बी-5	16,660

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	व्यय (रुपये में)
24.	लोरिक चंदा (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	26,660
25.	भारत की सांस्कृतिक एकता (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	24,660
26.	अनोखी दुनिया अनोखे लोग (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	26,660
27.	अपनी हिंदी सुधारे (पुर्नमुद्रित)	2000	ए-5	62,000
28.	विज्ञान बारामासा	2000	बी-5	66,669
29.	रामधारी सिंह दिनकर	1000	ए-5	41,660
30.	भारत छोड़ो आंदोलन (पुर्नमुद्रित)	1000	रॉयल-8	21,660
31.	छत्तीसगढ़ की लोककथाएं (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	17,330
32.	छाउ नृत्य कला	1000	ए-5	62,660
33.	सिंह (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	35,000
34.	मन जिसका मजबूत	1000	बी-5	21,660
35.	अष्ट छाप कवि परमानंद दास	1000	ए-5	26,660
36.	कहावतों की कहानियां	1000	बी-5	32,660
37.	अष्ट छाप कवि कुंभनदास	1000	बी-5	30,000
38.	ग्रामीण जीवन में विज्ञान	1000	ए-5	26,660
39.	बुंदेलखंड के मूर्तिशिल्प	1000	बी-5	23,330
40.	अपनी हिंदी संवारें	1000	ए-5	36,660
41.	अल्बर्ट आइंस्टाइन (डीलक्स)	1000	ए-5	96,000
42.	संस्कृत लोकोक्तिकोष (पुर्नमुद्रित)	6000	बी-5	1,40,000
43.	बेगम हजरत महल	1000	बी-5	30,000
44.	खेल, नियम और प्रशिक्षण (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	25,330
45.	झारखंड	1000	बी-5	31,660
46.	एक पाती	2000	बी-5	53,330
47.	भारत के राष्ट्रीय उद्यान	1000	रॉयल-8	71,660
48.	भारत 2009	16000	रॉयल-8	18,40,00
49.	ग्रामीण जीवन में विज्ञान (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	53,330

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	व्यय (रुपये में)
50.	छत्तीसगढ़ की लोककथाएं (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	26,660
51.	विज्ञान हमारे आसपास (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	66,660
52.	नीति कथाएं (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	36,660
53.	सरस कथाएं (पुर्नमुद्रित)	1500	बी-5	25,000
54.	बाल महाभारत (भाग-1) (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	40,000
55.	अवल दान (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	30,000
56.	आदिवासी गढ़ छत्तीसगढ़ (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	66,660
57.	नेताजी संपूर्ण वांड.मय (खंड 11)	1000	रॉयल-8	48,330
58.	पर्यावरण	1000	बी-5	35,000
59.	तिलक का मुकदमा	1000	रॉयल-8	1,11,660
60.	जमना लाल बजाज (बी.एम.आई.) (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	55,000
61.	संत कबीर (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	43,330
62.	राष्ट्रमंडल खेल	1000	बी-5	28,330
63.	भूमंडलीकरण	1000	ए-5	28,330
64.	एम.ए. अंसारी (बी.एम.आई.)	1000	ए-5	38,330
65.	शहीदों का परिचय (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	1,05,000
66.	विधानचंद्र राय (बी.एम.आई.)	1000	ए-5	48,330
67.	भारत के समाचार पत्र 2006-2007	150	ए-5	*
68.	पुलिस जांच में विज्ञान	1000	बी-5	15,000
69.	सेक्शनल पुस्तक सूची (द्विभाषी)	10000	ए-5	78,850
बी - क्षेत्रीय भाषाएं				
1.	विश्व की श्रेष्ठ लोककथाएं-3 (मराठी)	1000	बी-5	33,330
2.	रोचक ऐतिहासिक कहानियां (मराठी)	1000	बी-5	26,660
3.	बापू के साथ (पुनमुद्रित) (तेलुगु)	2000	बी-5	51330
4.	बहादुर बच्चे (पुनमुद्रित) तेलुगु)	2000	बी-5	25,330
5.	विदेशी यात्रियों की नजर में भारत (तमिल)	2000	बी-5	34,660

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	व्यय (रुपये में)
6.	सी.एन. अन्नादुरई (पुनमुद्रित) (तमिल)	500	बी-5	35,830
7.	श्रीनिवास अयंगर (पुनमुद्रित) (तमिल)	500	ए-5	20,830
8.	रोचक ऐतिहासिक कहानियां (तमिल)	1000	ए-5	21,660
9.	इंडियन फोक डांसेस (पंजाबी)	500	बी-5	52,500
10.	पंजाब के लोक नाच (पंजाबी)	500	बी-5	30,000
11.	क्रांतिदूत अजीमुल्ला खां (पंजाबी)	1000	बी-5	13,330
12.	विश्व की श्रेष्ठ लोककथाएं भाग-2 (उड़िया)	500	बी-5	18,330
13.	विश्व की श्रेष्ठ लोककथाएं भाग-4 (उड़िया)	500	बी-5	15,000
14.	बुद्ध गाथा (उड़िया)	500	बी-5	33,330
15.	खजीरा-ए-गालिब (उर्दू)	·500	बी-5	43,330
16.	गांधी ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (गुजराती)	1000	बी-5	41,660
17.	देश विदेश की कहानियां (बांग्ला)	1000	बी-5	25,000

*यह शीर्षक भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक की ओर से प्रकाशित कराया गया है।

अप्रैल-2009 से मार्च 2010 तक प्रकाशित और जारी पुस्तकें

ए-हिन्दी

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	खर्च (रुपये में)
1.	पुस्तक सूची - 2009 (द्विभाषी)	10000	ए-5	79,000
2.	नेताजी संपूर्ण वांड.मय (खंड 10)	1000	रॉयल-8	58,300
3.	दलित देवो भवा (भाग-2) (डीलक्स)	1000	बी-5	1.00.000
4.	अष्ठ छाप के कवि चतुर्भुज दास	1000	ए-5	23,300
5.	दाश कुमार चरित	1000	बी-5	30,000
6.	तिरुकुरल	1000	बी-5	23,300
7.	पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानी	1000	ए-5	20,000
8.	लालू का मोबाइल	2000	बी-5	36,600
9.	आउटकम बजट 2009-10	1450	ए-4	1,31,160

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	व्यय (रुपये में)
10.	वार्षिक रिपोर्ट 2008-09	3500	ए-4	5,65,340
11.	हाथी दादा की चौपाल	1000	बी-5	26,600
12.	प्रेरणा दीप (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	41,600
13.	1857 की जनक्रांतिः विविध आयाम	1000	रॉयल-8	73,600
14.	भारतीय रेल	1000	बी-5	1,06,660
15.	गुरु नानक (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	45,000
16.	रोजगार की नई दिशाएं	1000	ए-5	86,600
17.	गुरु नानक से गुरुग्रंथ साहिब तक (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	58,300
18.	डॉ. के.बी. हेडगेवार (बी.एम.आई.)	1000	ए-5	41,600
19.	वैज्ञानिकों की जीवन कथाएं	1000	बी-5	28,300
20.	नेताजी वांड.मय खंड-1 (पुर्नमुद्रित)	1000	रॉयल-8	63,300
21.	थार की ढांढी	1000	बी-5	23,300
22.	छोटी छोटी चुभन	1000	बी-5	30,000
23.	सेलेकटेड स्पीचेज ऑफ पी.एम.-4	1000	रॉयल-8	1,30,000
24.	भारत-2010 - 04 - 20	14000	रॉयल-8	16,09,95
25.	अहिल्याबाई होलकर (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	15,000
26.	कला और साहित्य	1000	ए-5	53,300
27.	टिन्नू मियां का कुर्ता	2000	बी-5	25,300
28.	वार्षिक रिपोर्ट (सू. एवं प्रसारण) 2009-10	3500	ए-4	7,53,600
29.	अनुवाद और तत्काल भाषांतरण	1000	ए-5	53,300
30.	भारत के गुरुद्वारे	1000	बी-5	53,300
31.	निर्भय निर्गुण	1000	ए-5	25,000
32.	खेल है गणित	1000	बी-5	25,000
33.	आउटकम बजट 2010-11 (सू. एवं प्र.)	2850	ए-4	2,39,540
34.	और पेड़ गूंगे हो गए (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	20,000
35.	तराजू का करिश्मा (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	20,000

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	व्यय (रुपये में)
36.	रानी लक्ष्मीबाई (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	13,300
37.	19वीं शताब्दी के अन्वेक्षक	1000	रॉयल 8 खंड	66600
38.	काशी नगरी एक, रूप अनेक (पापुलर)	500	ए-4	56600
39.	काशी नगरी एक, रूप अनेक (डीलक्स)	500	ए-4	60000
40.	भारत (पुर्नमुद्रित) 2010	3000	रॉयल 8 खंड	332100
41.	विश्व कवि विद्यापति (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	28300
42.	भारदेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार 2007-08	300	ए-5	12555
43.	अनकही शौर्य कथाएं (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	23300
44.	दो सिर वाला दैत्य	1000	बी-5	21660
45.	भारतीय पुष्प	1000	बी-5	86600
46.	1857 का इतिहास और संस्कृति	1000	बी-5	83500
47.	संन् 57 के भूले-बिसरे शहीद भाग-I	1000	बी-5	37660
48.	मस्ती की पाठशाला	1000	ए-5	31660
49.	मेरे अधिकारों की पहली किताब	1000	ए-4	55000
50.	आयुर्वेद का ज्वलंत प्रश्न	1000	ए-4	30000
51.	संयुक्त राष्ट्र बच्चों के लिए	2000	बी-5	36600
52.	प्रैस इन इंडिया	200	ए-4	*
53.	वैदिक काल की कहानियां	1000	बी-5	21,660
54.	संत ज्ञानेश्वर	1000	ए-5	18,330
बी - क्षेत्रीय भाषाएं				
1.	जवाहरलाल नेहरू (बी.एम.आी.) (तमिल)	500	ए-5	90,000
2.	इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक (तमिल)	500	बी-5	51,600
3.	इंडियन कॉस्ट्यूम्स (बांग्ला)	500	बी-5	35,800
4.	सरदार वल्लभभाई पटेल (बी.एम.आई.) (बांग्ला)	500	ए-5	20,000
5.	जहाने रूसी (उर्दू)	1000	ए-5	33,300
6.	अकबर (उर्दू)	1000	ए-5	26,600

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	व्यय (रुपये में)
7.	वार्ता नाम्नू नगर (गुजराती)	1000	बी-5	15,000
8.	जे.एल. नेहरू ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (मलयालम)	1000	बी-5	45,800
9.	बेताल कथाएं (उडीया)	500	बी-5	18,330
10.	सहस्त्रवनिथा दुर्गाबाई देशमुख (तेलुगु)	1000	बी-5	23,300
11.	भगतसिंह-अमर विद्रोही (पंजाबी)	1000	बी-5	66,600

अप्रैल-2010 से मार्च 2011 तक प्रकाशित और जारी पुस्तकें

ए-हिन्दी

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	खर्च (रुपये में)
1.	लोक जीवन के सदाबहार पत्र	1000	बी-5	25,000
2.	पहेलियां	2000	बी-5	36,660
3.	हमारा भारत	1000	ए-5	12,330
4.	संयुक्त राष्ट्र बच्चों के लिए	1000	बी-5	18,330
5.	मेरे अधिकारों की पहली किताब	1000	ए-4	55,000
6.	सूचना भारती	4000	ए-4	1,00830
7.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता के अधिकार (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	56,660
8.	क्रिस डारविन	1000	ए-5	30,660
9.	भारतीय हॉकी तथा राष्ट्रमंडल खेल	1000	ए-5	36,660
10.	सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ पी.एम. मनमोहन सिंह खंड-5 2008-09 (डीलक्स)	1000	रॉयल-8	1,33,300
11.	भारतीय भोजन की परंपरा और विविधता	1000	ए-5	40,000
12.	एक महात्मा का अभ्युदय	1000	रॉयल-8	14,330
13.	ठक्कर बप्पा बी.एम.आई. (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	36,755
14.	प्रकाश भारती खंड-13	500	ए-4	18,210
15.	भारत-2011	12850	रॉयल-8	1564400
16.	कैटलाग-2011 द्विभाषी	10000	ए-5	96,480

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	व्यय (रुपये में)
17.	हमारा राष्ट्रीय चिन्ह (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	10,000
18.	ए थॉट फार द डे (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	56,660
19.	ग्राम विकास और स्वदेशी संसाधन	1000	ए-5	28,330
20.	सरदार पटेल की अनमोल वाणी (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	23,330
21.	सुब्रहमणियम भारती (पुर्नमुद्रित)	2000	ए-5	53,330
22.	खुदी राम बोस	1000	ए-5	31,660
23.	भारतीयों की समुद्री यात्राएं	2000	बी-5	26,660
24.	आधुनिक हिंदी साहित्य के कीर्तिस्तंभ	1000	रॉयल-8	63,330
25.	मूर्ति का रहस्य (पुर्नमुद्रित)	1000	ब्बी-5	28,330
26.	जंतु व्यवहार	1000	बी-5	61,660
27.	जब्तशुदा गीत (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	23,330
28.	बिहार की लोक कथाएं (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	33,330
29.	लौह पुरुष सरदार पटेल (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	20,000
30.	भीगा चन्द्रमा	2000	बी-5	909,000
31.	कार्बन कापियों की करामात (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	18,330
32.	देशभक्ति के नाटक (पुर्नमुद्रित)	1000	ए-5	26,660
33.	बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष (पुर्नमुद्रित)	2000	ए-5	85,330
34.	स्वराज के मंत्रदाता तिलक (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	50,000
35.	भारत के महान शिक्षा शास्त्री (पुर्नमुद्रित)	2000	बी-5	33,330
36.	विज्ञान में महानता की ओर (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	35,000
37.	रहमत चाचा का घोड़ा	2000	बी-5	43,330
38.	रवीन्द्र नाथ ठाकुर (पुर्नमुद्रित) बी.एम.आई.	1000	ए-5	46,660
39.	हम भारत के लोग	1000	रॉयल-8	51,660
40.	रेडियो समाचार	1000	ए-5	28,330
41.	पंपू और पुनपुन	1000	बी-5	33,330

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रिंट आर्डर	साइज	व्यय (रुपये में)
42.	हिमालय स्मृति, स्वप्न और सच	1000	ए-5	31,660
43.	पंजाब के प्रागण में	1000	बी-5	33,330
44.	राष्ट्रीय एकता में कवियों का योगदान (पापुलर)	1000	ए-5	23,330
45.	वाणी - आकाशवाणी	1000	ए-5	40,000
46.	वार्षिक रिपोर्ट - 2010-11 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) हिंदी-अंग्रेजी	4200	ए-5	7,88,946
47.	भारत-2011 (पुर्नमुद्रित)	5000	रॉयल-8	5,88,255
48.	आउटकम बजट 2011-12 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) हिन्दी-अंग्रेजी	1450	ए-4	18,88,24
49.	राष्ट्रीय एकता में कवियों का योगदान (डीलक्स)	300	ए-5	13,500
बी-क्षेत्रीय भाषाएं				
1.	जातक कथाएं (तमिल)	10168	बी-5	320640
2.	सी राजगोपालाचारी बी.एम.आई. पुर्नमुद्रित (तमिल)	5062	ए-5	267020
3.	नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पुर्नमुद्रित (तमिल)	10168	ए-5	245320
4.	डॉ. एस. राधाकृष्णन पुर्नमुद्रित (तमिल)	10168	ए-5	234200
5.	अवर नेशनल फ्लैग पुर्नमुद्रित (तमिल)	10168	ए-5	273280
6.	सी राजगोपालाचारी बी.एम.आई. पुर्नमुद्रित (तमिल)	2600	ए-5	132465
7.	जातक कथाएं (तमिल)	2600	बी-5	79780
8.	अवर नेशनल फ्लैग पुर्नमुद्रित (तमिल)	2600	ए-5	68520
9.	नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पुर्नमुद्रित (तमिल)	2600	ए-5	61380
10.	डॉ. एस. राधाकृष्णन पुर्नमुद्रित (तमिल)	2600	ए-5	58352
11.	ऑल आर पीपल्स इन द आइस ऑफ गॉड (उर्दू)	500	ए-5	20,000
12.	विष्णु पुरेर टैराकोटा मंदिर (बांग्ला)	1000	ए-4	72,000
13.	साइंस, नेचर्स कॉपीकैट (तेलुगु)	500	बी-5	30,700
14.	गुरु नानक से गुरुग्रंथ साहिब तक (गुजराती)	1000	बी-5	52,770

अप्रैल-11 जुलाई, 2011 तक प्रकाशित और जारी पुस्तकें

क - हिन्दी:

क्र. सं.	शीर्षक का नाम	प्रिंट ऑर्डर	साइज	व्यय (रुपए में)
1.	भारत, 2011 (पुर्नमुद्रित)	1800	रॉयल 8 खंड	211772
2.	बाल नाटक	1000	बी-5	55000
3.	नेताजी संपूर्म वाडमय	1000	रॉयल 8 खंड	13330
4.	लोक कलाएं और सामाजिक संविदा	1000	ए-5	46660
5.	छत्रपति शिवाजी (पुर्नमुद्रित)	1000	बी-5	31660
6.	भारत के बोधी तीर्थ स्थान	1000	ए-5	35000
7.	बारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार	200	ए-5	7000
8.	खेल है विज्ञान	1000	बी-5	50000
9.	मनके: भाव, सुर लई	1000	रॉयल 8 खंड	70000
ख-क्षेत्रीय भाषाएं				
1.	आधी चुंज वाली चिरी (पंजाबी)	1000	बी-5	25000
2.	युग पुरुष सरदार स्वर्ण सिंह (पंजाबी)	1000	ए-5	51660

आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत निधियां

388. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष समेकित आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत महाराष्ट्र को निधियां जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) पिछले प्रत्येक 3 वर्षों के दौरान एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र को जारी धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (रु. करोड़)
2008-09	386.79
2009-10	92.29
2010-11	84.06
कुल	563.14

(ग) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में शहरी गरीबों/स्लम वासियों के लिए 53166 आवासों एवं संबंधित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए 59 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

गहन डेयरी विकास कार्यक्रम

389. श्री मधुसूदन यादवः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य के 11 जिलों में गहन डेयरी विकास कार्यक्रम हेतु छत्तीसगढ़ की रायपुर दुग्ध संघ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) रायपुर दुग्ध संघ ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के माध्यम से 33.10 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से जगदलपुर, कंकेड, दंतेवाड़ा, जंजगीर, चम्पा, कोरवा, रायपुर, महासमुंद, धमंत्री, राजनंदगांव, नारायणपुर तथा बिजापुर जिलों में डेयरी विकास के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने इस प्रस्ताव की जांच-पड़ताल की है और राज्य सरकार तथा राज्य क्रियान्वयन एजेंसी से अनुरोध किया है कि वे योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्ताव को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करें।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का भण्डारण

390. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उपलब्ध भण्डारण स्थान के अनुपात में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों के खुले/असुरक्षित भंडारण और सड़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। खाद्यान्नों की खुली खरीदारी की जाती है। किसानों द्वारा लाए गए उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूं, चावल और मोटे अनाजों की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है।

(ग) खाद्यान्नों की बरबादी को रोकने के लिए उठाए गए पग संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के स्टाक को क्षतिग्रस्त/बर्बाद होने से रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाना होता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाना होता है।

(iii) लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथिन की चद्दरों जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का उपयोग फर्श से नमी आने को रोकने के लिए किया जाना होता है।

(iv) सभी गोदामों में प्रधूमक कवर, नॉइलान की रस्सियां, जाल और भंडारित अनाज कीट जन्तु-बाधाओं के नियंत्रण के लिए कीटनाशक प्रदान किए जाने होते हैं

(v) भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर (प्रधूमन) उपचार नियमित रूप से और समय से किए जाने होते हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में मूषक नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाने होते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिंथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाने होते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाना चाहिए और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाना चाहिए।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाने होते हैं।

(ix) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' सिद्धांत का यथा संभव सीमा तक पालन किया जाना होता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुी वैगन इस्तेमाल की जानी होती है ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

[हिन्दी]

फर्जी मुठभेड़

391. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए/पंजीकृत फर्जी मुठभेड़ की संख्या और अभिमुक्त कार्मिकों के विरुद्ध की-गई कार्रवाई तथा पीड़ितों के परिवारों को भुगतान किए गए मुआवजे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) फर्जी मुठभेड़ के सुलझाए गए/अनसुलझे मामलों की संख्या कितनी है और सभी मामलों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का फर्जी मुठभेड़ की रोकथाम के लिए ठोस नीति बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) वर्ष 2008-09 से 2011-12 (25-07-2011 के अनुसार) की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) द्वारा पंजीकृत किए गए कथित फर्जी मुठभेड़ों के 369 मामलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

90 मामलों में, जहां पुलिस कार्रवाई को संदिग्ध पाया गया था, एन.एच.आर.सी. ने मृतकों के नजदीकी रिश्तेदार केलिए 4.54 करोड़ रुपए के मौद्रिक राहत की सिफारिश की है।

(ख) उपर्युक्त 369 मामलों में से, 98 मामलों को सुलझा लिया गया है और 271 मामले अभी भी अनसुलझे हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3(i) के अनुसरण में, सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) का गठन उसे सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करने तथा अधिनियम के अन्तर्गत उसे दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए किया है। अधिनियम के अनुसार, एन.एच.आर.सी. के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को एक सिविल कोर्ट के अन्तर्गत 'न्यायिक' कार्यवाही के रूप में माना जाएगा।

(ग) और (घ) मुठभेड़ में मृत्यु के मामलों में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के लिए सभी राज्य सरकारों को एन.एच.आर.सी. द्वारा दिशानिर्देश जारी किे गए हैं। इन दिशानिर्देशों में मजिस्ट्रेटी जांच करना; दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र अभयोजन चलाना तथा अनुशासनिक कार्रवाई करना; पुलिस कार्रवाई में मृत्यु की, ऐसी घटना के 24 घंटों के अंदर, एन.एच.आर.सी. को सूचना देना आदि शामिल है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (25-7-2011 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	0	3	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	1	5	7	1

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	2	1	3	1
5.	छत्तीसगढ़	1	3	5	2
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	2	1
8.	हरियाणा	3	0	2	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	2	11	0
11.	झारखंड	0	1	6	6
12.	कर्नाटक	0	1	0	0
13.	केरल	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	4	1	8	2
15.	महाराष्ट्र	2	4	1	0
16.	मणिपुर	16	32	12	1
17.	मेघालय	0	1	3	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0
20.	ओडिशा	1	3	7	1
21.	पंजाब	16	1	1	0
22.	राजस्थान	0	0	3	1
23.	सिक्किम	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	7	6	2	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	1
26.	उत्तर प्रदेश	41	30	40	6
27.	उत्तराखंड	1	7	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	6	4	11	2
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और द्वीप	0	0	0	0
33.	दिल्ली	3	1	2	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0
	कुल	110	103	129	27

[अनुवाद]

चित्रकृतियों का संरक्षण

392. श्री रामसिंह राठवा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ललित कला अकादमी में किन्हीं बहुमूल्य चित्रकृतियों के स्थान पर नकली कृतियां लगाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में कलाकृतियों के डिजिटलीकरण और सूचीकरण और उन्हें भाण्डागारों में उचित सुरक्षा और नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इन कार्यों के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ट्रांसमीटरों और स्टूडियो का डिजिटलीकरण

393. श्रीमती जे. शांता: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों और स्टूडियो के डिजिटलीकरण हेतु योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना पर कितनी राशि व्यय होने की आशा है;

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आकाशवाणी नटवर्क के डिजिटलीकरण की स्कीम का 11वीं योजना के अंतर्गत अनुमोदन किया गया था। स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) 70 मीडियम वेव ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन/डिजिटलीकरण।

(ii) पुराने 34 एफएम ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन।

(iii) 130 नए डिजिटल सक्षम एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना।

(iv) 9 शॉ.वे. ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।

(v) 98 स्टूडियो केंद्रों का डिजिटलीकरण।

(vi) 44 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों का डिजिटलीकरण और 7 स्थानों पर नई समाचार क्षेत्रीय इकाइयां शुरू करना।

(vii) 29 स्थानों पर फोन-पर-समाचार सेवाओं का डिजिटलीकरण।

(viii) स्टूडियो केंद्र और ट्रांसमीटरों के बीच समस्त अनुसंयोजकता (एस.टी.एल., आर.एन.टी., सी.ई.एस.) का डिजिटलीकरण।

मौजूदा पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी के ढांचों के डिजिटलीकरण हेतु 934.2 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है जिसके संबंध में 908.12 करोड़ रुपए की राशि के साथ कई स्कीमों को मंजूरी दी गई है।

"डीडी नेटवर्क में ट्रांसमीटरों व स्टूडियोंका डिजिटलीकरण" नामक दूरदर्शन की ग्यारहवीं योजनागत स्कीम का सरकार द्वारा 620 करोड़ रुपए की लागत के साथ अप्रैल, 2010 में अनुमोदन किया गया था, जिसमें 40 डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना करने और 39 स्टूडियों का डिजिटलीकरण करने संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं।

उपर्युक्त स्कीम के लिए वार्षिक योजना 2010-11 और 2011-12 के अंतर्गत क्रमशः 35 करोड़ रुपए और 93.36 करोड़ रुपए की निधियां आबंटित की गई हैं।

(ङ) मौजूदा स्कीम के अंतर्गत आकाशवाणी की यथा अनुमोदित डिजिटलीकरण परियोजनाओं के मार्च, 2013 तक पूरे हो जाने की आशा है।

मौजूदा संकेतों के अनुसार, दूरदर्शन की डिजिटलीकरण स्कीम को लगभग तीन वर्ष के समय में, चरणों में, पूरा कर लिए जाने की आशा है।

बंजर भूमि

394. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बंजर भूमि के क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी बंजर भूमि का भूमिहीन किसानों और कृषि मजदूरों को वितरित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) पूरे देश में प्राप्त अनुमानों (दिसंबर, 2010) के अनुसार कुल बंजर भूमि लगभग 17.2 मिलियन हैक्टे. है। बंजर भूमि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है तथा इस प्रकार, बंजर भूमि को भूमिहीन कृषकों तथा कृषि मजदूरों में बांटना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(ङ) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय देश में खाद्य सुरक्षा को सतत् रखने तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, बृहद कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.एम.), सूक्ष्म सिंचाई योजना (एम.आई.एस.) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण स्कीमों को क्रियान्वित कर रहा है।

विवरण

(क्षेत्र हजार है. में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2008-09 तक बंजर भूमि का राज्यवार विस्तार
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2056
2.	अरुणाचल प्रदेश	39
3.	असम	1408
4.	बिहार	432
5.	छत्तीसगढ़	308
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	2595
8.	हरियाणा	103

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	656
10.	जम्मू और कश्मीर	288
11.	झारखंड	569
12.	कर्नाटक	788
13.	केरल	25
14.	मध्य प्रदेश	1351
15.	महाराष्ट्र	1718
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	134
18.	मिजोरम	9
19.	नागालैण्ड	3
20.	ओडिशा	840
21.	पंजाब	24
22.	राजस्थान	2295
23.	सिक्किम	107
24.	तमिलनाडु	492
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तराखंड	224
27.	उत्तर प्रदेश	507
28.	पश्चिम बंगाल	21
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
30.	चंडीगढ़	0
31.	दिल्ली	16
32.	दादरा और नगर हवेली	0
33.	दमन और द्वीप	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुडुचेरी	0
	कुल	17015

स्रोत-भूमि प्रयोग आंकड़े - एक झलक में, (दिसंबर, 2010), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

विदर्भ पैकेज

395. श्री ए. सम्पत: क्या **कृषि मंत्री**, यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विदर्भ क्षेत्र के लिए कोई पैकेज जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो विदर्भ पैकेज के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और महिला किसानों सहित इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) महाराष्ट्र के विदर्भ के छह पहचान किए गए जिलों नामत: अकोला, वर्धाह, अमरावती, बुदलाना, वासीम और यवतमाल में किसानों द्वारा सामना की गई विपत्ति को कम करने के लिए 3873.26 करोड़ रु. के अनुमोदित परिव्यय के साथ एक पुनर्वास पैकेज जुलाई, 2006 से कार्यान्वयन अधीन है। 31 मार्च, 2011 को, 4388.88 करोड़ रु. विदर्भ पैकेज के विभिन्न अनुमोदित घटकों के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर विदर्भ पैकेज के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन से लाभान्वित हुए काफी किसान जिनमें महिला किसान भी शामिल हैं नीचे दिए गए हैं।

क्र. सं.	घटक	किसानों की संख्या (लाख में)
1.	ब्याज छूट	9.37
2.	सूक्ष्म सिंचाई	0.92
3.	सम्बद्ध गतिविधियां	0.15

बीज वितरण योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या

मौसम	किसानों की संख्या (लाख में)
रबी, 2006	3.59
खरीफ, 2007	8.59
रबी, 2007	3.76
खरीफ, 2008	8.59
रबी, 2008	3.31
खरीफ, 2009	11.02
रबी, 2009	3.01

राष्ट्रीय पुस्तकालय में चोरी

396. **श्री उदय सिंह:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता से दुर्लभ पुस्तकें गुम हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त पुस्तकालय में पुस्तकों के डिजिटलीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो डिजिटलीकरण परियोजना हेतु की गई प्रगति, बजट और समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय के निष्पादन आडिट के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) पुस्तकालय ने पहले दो चरणों में 32 लाख पृष्ठ डिजिटीकृत कर दिए हैं। वर्तमान चरण में 20 लाख पृष्ठों के डिजिटीकरण की योजना बनाई गई है। तदनुसार, योग्य विक्रेताओं की तकनीकी बोलियों, मूल्य बोलियों को खोला गया। विक्रेता का चयन कर लिया गया है। वर्तमान चरण का बजट 34,38,800 रु. है। चूंकि यह अनवरत परियोजना है, अतः कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) और (च) जी हां। सरकार का ध्यान निष्पादन लेखा परीक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की सिफारिशों की ओर आकर्षित किया गया है। पुस्तकालय के बेहतर कार्यकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

पर्वतीय राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

397. **श्री वीरेन्द्र कश्यप:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गा देश के पर्वतीय राज्यों में उपजाई जाने वाली जल्द ही नष्ट होने वाले उत्पादों को बर्बाद होने से बचाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) सरकार पर्वतीय राज्यों समेत देश के सभी राज्यों को जल्दी ही नष्ट होने वाले उत्पादों को बर्बाद होने से बचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देती है।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के अंतर्गत उद्यमियों को पर्वतीय राज्यों समेत दुर्गम क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 33.33% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपए है, सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता

दी जाती है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत, संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों के लागत के 50% की दर पर वित्तीय सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपए है, दी जाती है। वर्तमान इकाइयों के उन्नयन के लिए 1.00 करोड़ रुपए तक सहायता दी जाती है।

दाय स्थलों का विकास

398. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्र द्वारा संरक्षित दाय स्थानों/स्थलों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे दाय स्थानों/स्थलों के अनुरक्षण हेतु सरकार द्वारा आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दाय स्थानों/स्थलों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) देश में 3676 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया है। गत तीन वर्षों में ऐसे स्थानों/स्थलों के रख-रखाव के लिए आबंटित निधियों के मुकाबले प्रत्येक वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण, रख-रखाव, परिसर का विकास और पर्यटन संबंधी सुविधाएं (जैसे पीने का पानी, प्रसाधन, विकलांगों के लिए सुविधाएं, रास्ते, सांस्कृतिक सूचना बोर्ड/संकेतक, वाहन पार्किंग, अमानती सामान घर आदि) प्रदान करना नियमित गतिविधियां हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन स्मारकों के रखरखाव के लिए किए गए आबंटन के मुकाबले वर्षवार व्यय

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	(व्यय) 2008-2009	(व्यय) 2009-2010	(व्यय) 2010-2011
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	774.00	738.00	828.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1201.39	1371.00	1820.99
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	285.00	590.00	374.47
4.	महाराष्ट्र	मुबंई मंडल	465.15	500.00	431.18
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	1088.94	1200.00	1380.56
6.	कर्नाटक	धाड़वाड़ मंडल	423.64	619.46	1076.86
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	997.96	674.33	700.99
8.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	234.16	276.49	300.06
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	419.34	435.23	544.00

1	2	3	4	5	6
10.	तमिलनाडु, पुडुचेरी	चेन्नै मंडल	505.00	460.50	580.00
11.	पंजाब हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	512.48	694.46	753.25
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	118.00	70.87	87.08
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	728.64	1747.00	1220.94
14.	गोवा	गोवा मंडल	118.00	120.61	131.00
15.	पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम को छोड़कर	गुवाहाटी मंडल	175.25	135.08	189.94
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	280.00	275.55	400.93
17.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	865.00	610.00	695.77
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	377.72	314.99	414.99
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	405.30	338.44	315.12
20.	केरल	त्रिशूर मंडल	286.17	300.01	367.05
21.	गुजरात	वडोदरा मंडल	405.62	459.98	549.93
22.	उत्तरांचल	देहरादून मंडल	169.40	130.52	172.03
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	285.00	332.00	383.55
24.	झारखंड	रांची मंडल	78.45	64.75	73.84
25.	लघु मंडल लेह				56.63
		रसायनिक परिरक्षण (अखिल भारतीय)	555.36	655.45	507.46
		उद्यान संबंधी गतिविधि (अखिल भारतीय)	1743.63	2185.71	1796.07
		महानिदेशक का कार्यालय	00	00	
		जोड़	13498.60	15300.43	16152.69

[अनुवाद]

भारतीय संस्कृति का प्रसार

399. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय संस्कृति के परिरक्षण, संरक्षण और प्रचार-प्रसार हेतु सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नीति के कार्यान्वयन में किसी समस्या की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक विकास हेतु विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारों ने राज्य संस्कृति कोष का सृजन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) अभी तक कोई राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं की गई है। राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार करने के लिए दिनांक 11-11-2006 को एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया। सदस्यों ने विभिन्न विचार रखे हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आकाशवाणी पर कार्यक्रमों की गुणवत्ता

400. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों सहित आकाशवाणी केंद्र पर बनाए जाने वाले और प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सहित कुछ आकाशवाणी केन्द्रों पर कतिपय कलाकारों/व्यक्तियों के कार्यक्रम अधिकतम संख्या में प्रसारित किए जाने के पक्षपात के संबंध में कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी का यह सतत प्रयास रहा है कि आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। कार्यक्रमों को अधिक रुचिकर, श्रोताओं के अनुकूल और प्रभावी बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाते हैं। आकाशवाणी के पास देश भर में श्रोता अनुसंधान इकाइयों का एक व्यापक नेटवर्क है जोकि कार्यक्रम निर्माताओं को आकाशवाणी केंद्रों पर प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में नियमित रूप से फीडबैक उपलब्ध कराता है ताकि कार्यक्रमों को देशभर के लक्षित श्रोताओं की जरूरतों, रुचियों व आशाओं के अनुसार नियोजित, अभिकल्पित व आशोधित किया जा सके। आकाशवाणी केंद्रों की क्षेत्रीय कार्यक्रम समन्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकों तथा विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से संबद्ध कार्यक्रम सलाहकार समितियों की बैठकों में भी कार्यक्रमों की विषय-वस्तु व प्रस्तुतिकरण की गुमवत्ता में सुधार लाने के तरीकों पर भी नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

(घ) और (ङ) जब कभी आकाशवाणी महानिदेशालय और/अथवा आकाशवाणी केंद्रों में इस प्रकार के अनुरोध/शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनका मुस्तैदी के साथ संज्ञान लिया जाता है और उन पर तत्काल उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

आठवीं अनुसूची में भाषाएं

401. श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में भोतिया और लेप्चा सहित 37 भाषाओं को शामिल करने के सीताकान्त महापात्र समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संविधान की आठवीं अनुसूची में इन भाषाओं को कब तक सम्मिलित किए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से

(ग) सीताकान्त महापात्र द्वारा की गई सिफारिशें केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों के परामर्श से विचाराधीन हैं। इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी मांगों पर विचार करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों में रहने वालों को ऋण

402. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में झुग्गी-झोपड़ी/मलिन बस्तियों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2008 में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अपना घर बनाने के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए किसी योजना का कार्यान्वयन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अपने घर के निर्माण के लिए रियायती दरों पर कुल कितने शहरी गरीबों को ऋण उपलब्ध कराया गया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) ने देश में स्लमों की स्थितियों पर अपने प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 65वें चक्र के आधार पर "शहरी स्लमों की कुछ विशिष्टताएं 2008-09" नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्लमों, जिनका सर्वेक्षण किया गया है (24781 अधिसूचित और 24213 गैर-अधिसूचित) की कुल संख्या 48,994 है।

(ख) शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम भारत सरकार द्वारा 26 दिसम्बर, 2008 को आरंभ की गयी थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. के लिए 5% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी देते हुए, जिसमें ऋण की पूर्म अवधि तक एक लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण धनराशि अनुमेय है, मकान की खरीद/नये मकान के निर्माण हेतु किफायती आवास ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. परिवारों को समर्थ बनाना है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के माध्यम से 7526 शहरी गरीब लाभान्वित हुए हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो रेल में तकनीकी खराबी

403. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में दिल्ली मेट्रो में बार-बार तकनीकी खराबी आई है जिसके परिणामस्वरूप धीमी गति, भीड़-भाड़, विलंब और भगदड़ तथा अन्य प्रचालनात्मक समस्याएं आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.एम.आर.सी. ने मेट्रो रेल सेवाओं के सुचारू और निर्बाध प्रचालन हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ङ) जी नहीं। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने सूचित किया है कि पिछले तीन महीनों के दौरान कोई बड़ी तकनीकी खराबी नहीं आई है। निर्धारित ट्रिप किलोमीटर की तुलना में केवल 0.1% ट्रिप किलोमीटर रद्द हुआ है। सभी यात्रियों को समय पर, विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करना डी.एम.आर.सी. का सतत् प्रयास रहता है। विगत महीनों के दौरान डी.एम.आर.सी. 99.5% से अधिक की समय की पाबंदी बनाए हुए है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी असफलताओं का विश्लेषण किया जाता है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। साथ ही 4 डिब्बे वाली ट्रेनों को 6 डिब्बे वाली ट्रेनों में बदला जा रहा है।

टीवी चैनलों का प्रचालन

404. श्री पी.के. बिजू: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रचालित समाचार और मनोरंजन टी.वी. चैनलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के साथ स्थापित समाचार और मनोरंजन टी.वी. चैनलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नए समाचार चैनलों के प्रचालन को अनुमति दिए जाने वाली सिफारिशों को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सिफारिशों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) दिनांक 31 मार्च, 2011 तक की स्थिति के अनुसार, देश में निम्नलिखित श्रेणी में 480 सैटेलाइट टेलीविजन चैनल कार्यशील थे:

	डीडी चैनल	निजी सैटेलाइट चैनल
समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनमल	35	230
गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनल	-	215
कुल	35	445

(ख) वित्त वर्ष 2010-11 में 18 निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों (4 समाचार एवं समसामयिक विषयक तथा 14 गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी गई थी।

(ग) से (ङ) सरकार ने निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों से संबंधित अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गाय है जोकि अंतर-मंत्रालयीय परामर्श के अधीन है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

वर्षा के कारण फसलों को क्षति

405. **श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बे मौसम वर्षा के कारण महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के बड़े भाग में खड़ी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने 2011-12 के दौरान असमय वर्षा के कारण खड़ी फसलों का नुकसान सूचित नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश

406. **श्री शिवकुमार उदासी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग सहित विभिन्न वर्गों से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) भारत के विधि आयोग ने "बलात्कार कानूनों की समीक्षा" के बारे में अपनी 172वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार, महिलाओं के शीलभंग आदि से संबंधित भारतीय दंड संहिता के उपबंधों में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी महिलाओं के प्रति अपराधों में, अन्य अपराधों के साथ-साथ, दहेज

के कारण उनकी मृत्यु हो जाने, महिलाओं के शील-भंग कर दिए जाने, सार्वजनिक स्थलों पर उन्हें निर्वस्त्र कर दिए जाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता के उपबंधों में परिवर्तन करने और उन पर तेजाब फेंक कर हमला किए जाने के मामले से एक विशेष अपराध के रूप में निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में परिवर्तन करने की सिफारिश की है।

चूंकि बलात्कार और महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित उपबंध, संवेदनशील स्वरूप के हैं, इसलिए बलात्कार से संबंधित कानूनों की समीक्षा के मुद्दे की जांच करने और इस मामले पर विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई थी। इस समिति ने दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 के प्रारूप के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसके अधिनियम के लिए सरकार से सिफारिश की है।

इस समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 के प्रारूप की गृह मंत्रालय में जांच की जा रही है।

अपने पिता के माध्यम से लक्ष्मी (नाबालिग) बनाम भारत-संघ और अन्य से संबंधित वर्ष 2006 की एक रिट याचिका (क्रिमिनल) सं. 129, भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तेजाब फेंक कर हमला किए जाने के मामले में एक विशेष अपराध के रूप में निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

बी.पी.ओ. में महिला कर्मचारी

407. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महिलाओं की सुबह के प्रथम प्रहर के दौरान सुरक्षा के बारे में बी.पी.ओ. को कोई अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.पी.ओ. उक्त अधिसूचना का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे बी.पी.ओ. का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अधिसूचना का अनुपालन न करने पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(च) सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए कौन-कौन से अन्य उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) श्रम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बी.पी.ओ. में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में बी.पी.ओ. को ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बी.पी.ओ., कॉर्पोरेट और मीडिया घरानों को महिला कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए विशिष्ट कदम उठाने के लिए आदेश जारी किए हैं, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि वे कैब में अकेले यात्रा न करें और उन्हें सुरक्षा गार्डों के साथ उनके घर के ठीक सामने उतारा जाए।

(च) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, अतः महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, दर्ज करने, जांच करने और अभियोजन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, संघ सरकार महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत सलाह भेजी है जिसमें उनसे, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए व्यक्तियों को शीघ्र और निवारक दण्ड दिए जाने की उचित उपाय करने और जांच की गुणवत्ता में सुधार करने, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में होने वाले विलम्ब को कम करने, जिलों में "महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ" की स्थापना करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने के लिए उपाय करने, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करने और कॉल सेंटरों में रात्रिकालीन पाली में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

चीनी का विशेष कोटा

408. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से खुले बाजार में चीनी की बढ़ती कीमत को रोकने के लिए चीनी के विशेष कोटे हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं। चालू चीनी मौसम (अकूतबर-सितम्बर) में गुजरात सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पद्म पुरस्कार

409. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को पद्म पुरस्कारों से अलग रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी विशेष सेवाओं के लिए सम्मानित करने हेतु कोई मानदण्ड बनाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सेवारत सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किए गए असाधारण एवं अभिनव कार्य को स्वीकृति प्रदान करने, मान्यता देने तथा पुरस्कृत करने के लिए प्रधान मंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार (प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) शुरू किया है। इस तरह के पहले पुरस्कार वर्ष 2007 में दिए गए थे। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सभी सेवारत अधिकारी, या तो व्यक्तिगत रूप से या एक टीम के रूप में अथवा संगठन के रूप में पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। इन पुरस्कारों में एक पदक, प्रशस्ति पत्र (स्क्राल) और नकद राशि प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अर्थात प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय को अनुदान

410. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय को अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में विशेष लेखापरीक्षा की गयी थी जिनमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय (एन.एम.एम.एल.) संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है। गत चार वर्षों के दौरान, एन.एम.एम.एल. को निम्नलिखित योजनागत व योजनेतर अनुदान जारी किए गए:

(लाख रु.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
योजनागत	244.95	919.99	1429.55	860.37
योजनेतर	669.98	792.31	1033.16	929.62

उपर्युक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2007-08 में एनएमएमएल के आधुनिकीकरण के लिए उसे 20 करोड़ रु. का अलग अनुदान जारी किया गया था।

(ग) और (घ) मुख्य लेखा नियन्त्रक, संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिए एनएमएमएल का निष्पादन मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में की गई मुख्य टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

1. वर्ष 2006-2009 की अवधि के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ प्रकाशनों, पुस्तकालय विकास रेप्रोग्राफी, परिरक्षण सेवा व संग्रहालय विकास के लिए निधियों का बहुत कम उपयोग।
2. आधुनिकीकरण परियोजना के लिए निर्धारित निधियों का सही उपयोग न करना।
3. योजनेतर कार्यकलापों के लिए योजनागत निधि का अनियमित उपयोग।
4. परामर्शदाताओं की अनियमित नियुक्तियां।
5. बाल मेले के आयोजन व संचालन के दौरान अनियमितताएं।
6. माल व सेवाओं के प्रापण में अनियमित व्यय व वित्तीय नियमों का उल्लंघन।

(ङ) रिपोर्ट के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में इस स्वायत्त संगठन के साथ बात की गई है।

[हिन्दी]

सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

411. श्री राकेश सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सी.आर.पी.एफ.) के लिए राज्य-वार कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) के लिए और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जबलपुर सहित देश में कब तक ऐसे केन्द्रों को स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव नक्सलियों/आतंकवादियों से लड़ने के लिए सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 4 रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्रों, 1 केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, 1 उग्रवाद-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी विद्यालय तथा जंगल युद्धकला एवं रणनीति के 1 कोबरा (सी.ओ.बी.आर.ए.) विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है। अभी तक, सरकार ने इन केन्द्रों की स्थापना करने के स्थानों और समयसीमा के बारे में कोई निर्मय नहीं लिया है।

(घ) और (ङ) नक्सलियों/आतंकवादियों से निपटने के लिए सिलचर (असम) और शिवपुरी (मध्य प्रदेश) स्थित विद्यमान दो उग्रवाद-रोधी तथा आतंकवाद-रोधी विद्यालयों में सी.आर.पी.एफ. के कार्मिकों को विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल (सी.पी.एम.एफ.) कार्मिकों के प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम		प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.	राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी, सी.आई.एस.एफ., हैदराबाद
		2.	अग्निशमन सेवा प्रशिक्षम संस्थान, सी.आई.एस.एफ., हैदराबाद
2.	असम	1.	उग्रवाद-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी (सी.आई.ए.टी.) विद्यालय-I, सी.आर.पी.एफ., सिलचर

क्र. सं.	राज्य का नाम		प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
		2.	केन्द्रीकृत प्रशिक्षण केन्द्र-I एस.एस.बी., सलोनीबारी
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.	रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.बी.पी., किमिम
4.	बिहार	1.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र-V, सी.आर.पी.एफ., राजगीर
		2.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र, एस.एस.बी., पूर्णिया
5.	छत्तीसगढ़	1.	रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, सी.आई.एस.एफ., भिलाई
6.	दिल्ली	1.	सामान्य प्रशिक्षण विद्यालय बी.एस.एफ., टिगरी कैम्प
		2.	सिग्नल प्रशिक्षण विद्यालय-I, बी.एस.एफ., टिगरी कैम्प
		3.	आसूचना प्रशिक्षण विद्यालय एस.एस.बी., घिटोरनी
7.	हरियाणा	1.	सी.आर.पी.एफ. अकादमी, कादरपुर
		2.	आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.बी.पी., भानू
		3.	श्वान और पशु राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.बी.पी. भानू
		4.	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद प्रशिक्षण केन्द्र, माणेसर
8.	हिमाचल प्रदेश	1.	केन्द्रीकृत प्रशिक्षण केन्द्र-II, एस.एस.बी., सापरी
		2.	बेतार दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, एस.एस.बी., शिमला
		3.	मेडिक्स प्रशिक्षण केन्द्र, एस.एस.बी., शिमला
		4.	श्वान ब्रीडिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, एस.एस.बी., पालमपुर
9.	जम्मू और कश्मीर	1.	रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र-iv, सी.आर.पी.एफ., श्रीनगर
		2.	एस.एस.बी. अकादमी, श्रीनगर
		3.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., हुमहुमा
		4.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., उदमपुर
10.	झारखण्ड	1.	केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय (दूरसंचार एवं सूचना तकनीकी), सी.आर.पी.एफ., रांची
		2.	प्रशिक्षण केन्द्र एवं विद्यालय, बी.एस.एफ., हजारीबाग
		3.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., हजारीबाग
11.	कर्नाटक	1.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., बंगलुरू
		2.	सिग्नल प्रसिक्षण केन्द्र-II बी.एस.एफ., बंगलूरू

क्र. सं.	राज्य का नाम		प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
12.	केरल	1.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र-III, सी.आर.पी.एफ., पेरिनागोम
13	महाराष्ट्र	1.	केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय-III, सी.आर.पी.एफ., नांदेड
		2.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., लाटूर
14.	मध्य प्रदेश	1.	केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय-I सी.आर.पी.एफ., नीमच
		2.	केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय-IV, सी.आर.पी.एफ., ग्वालियर
		3.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र-I, सी.आर.पी.एफ., नीमच
		4.	उग्रवाद-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी (सी.आई.ए.टी.) विद्यालय-II सी.आर. पी.एफ., शिवपुरी
		5.	बी.एस.एफ. अकादमी, बी.एस.एफ., टेकनपुर
		6.	केन्द्रीय मोटर एवं परिवहन विद्यालय, बी.एस.एफ., टेकनपुर
		7.	राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., टेकनपुर
		8.	केन्द्रीय हथियार एवं रणनीति विद्यालय, बी.एस.एफ., इन्दौर
		9.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., टेकनपुर
		10.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., इन्दौर
		11.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र, सी.आई.एस.एफ., बरवाहा
		12.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.बी.पी., कटेरा
		13.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र, एस.एस.बी., भोपाल
15.	मणिपुर	1.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., चूराचांदपुर
16.	नागालैंड	1.	असम राइफल्स प्रशिक्षण केन्द्र एवं विद्यालय दीमापुर
17.	ओडिशा	1.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र, सी.आई.एस.एफ., मुंडाली
18.	पंजाब	1.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., होशियारपुर
19.	राजस्थान	1.	आंतरिक सुरक्षा अकादमी (आई.एस.ए.), माउंट आबू, सी.आर.पी.एफ.
		2.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र, सी.आई.एस.एफ., देवली
		3.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र, सी.आई.एस.एफ., बेहरोड़
		4.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., जोधपुर
20.	तमिलनाडु	1.	केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय-II, सी.आर.पी.एफ., कोयम्बटूर

क्र. सं.	राज्य का नाम		प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
		2.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र-II, सी.आर.पी.एफ., अबादी
		3.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र, सी.आई.एस.एफ., अराक्कोणम
		4.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.बी.पी., शिवपुरी
21.	उत्तराखण्ड	1.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी, मसूरी
		2.	पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान, आई.टी.बी.पी., अऊली
		3.	उग्रवाद-रोधी एवं जंगल युद्धकला विद्यालय, आई.टी.बी.पी., महीडंडा
		4.	उग्रवाद-रोधी एवं जंगल युद्धकला प्रशिक्षण केन्द्र, एस.एस.बी., ग्वालडाम
22.	उत्तर प्रदेश	1.	रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र, एस.एस.बी., गोरखपुर
23.	पश्चिम बंगाल	1.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बी.एस.एफ., कदमताल

[अनुवाद]

बी.एस.एफ. कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

412. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल 2009 में ही सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के कार्मिकों ने बड़ी संख्या में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के नियंत्रण के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों को रोकने तथा बी.एस.एफ. कार्मिकों के कार्य की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2009 के दौरान 6319 बी.एस.एफ. कार्मिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

- छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् 20 वर्ष की अर्हक (क्वालीफाइंग) सेवा के बाद पूरी पेंशन की स्वीकार्यता।
- दूर-दराज क्षेत्रों में तैनाती और तनावपूर्म कार्य सेवा शर्तें।
- सीमा सुरक्षा बल में "पीस टाइम पोस्टिंग" का न होना।
- पदोन्नति अवसरों का अभाव।
- परिवार से लम्बे समय तक अलग रहना।
- व्यक्तिगत और घरेलू बाध्यताएं।
- अपर्याप्त क्षतिपूर्ति का आभास होना।
- निजी क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार अवसरों का उपलब्ध होना।

(ग) से (ङ) जी, हां। ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- सीमा चौकियों और अन्य स्थापनाओं में बेहतर रहन-सहन की स्थितियों और सुविधाओं का प्रावधान।
- बढ़ा हुआ जोखिम और कठिनाई भत्ता प्रदान करना।

- सीमा सुरक्षा बल का विस्तार करके पदोन्नति अवसरों में सधार करना।
- टुकड़ी के आराम, राहत और प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने हेतु रिजर्व बटालियन का प्रावधान।
- फेमली स्टेशनों में परिवार को रखने के लिए टुकड़ियों को प्रोत्साहन देना।
- टुकड़ियों को एक कैलेण्डर वर्ष में दो से अधिक बार छुट्टी लेने की अनुमति है।
- सीमा चौकियों में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी और प्रतिदिन छह घण्टे की निर्बाध नींद का प्रावधान करके जवानों को पर्याप्त आराम और राहत दी जाती है।
- टुकड़ियों को अपने गृह-राज्य में तैनाती की सुविधा प्रदान करने के लिए भीतरी प्रदेशों में लोकेशन प्लान की मंजूरी।
- देश के विभिन्न प्रमुख स्थानों में बल के कार्मिकों को पृथक पारिवारिक आवास का प्रावधान।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की चोरी

413. श्री पी.सी. मोहन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के मायापुरी गोदाम से हुई लगभग 18 ट्रक गेहूं और चावल की चोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी कीमत का खाद्यान्न चोरी हुआ है; और

(ग) उक्त मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार/एफ.सी.आई. द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के मायापुरी गोदाम से गेहूं और चावल के 18 ट्रकों की चारी की ऐसी कोई सूचना नहीं है। तथापि, अक्तूबर, 2010 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के एक दस्ते द्वारा निरीक्षण के दौरान मायापुरी गोदाम में गेहूं और चावल की कमी पाई गई। 1062.78 क्विंटल गेहूं और 623.73 क्विंटल चावल की कमी पाई गई थी। भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत पर, कुल कमी 30,17,086 रुपए (गेहूं के लिए 16,21802 रुपए और चावल के लिए 13,95,284 रुपए) की थी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई। भारतीय खाद्य निगम के 18 कर्मचारियों से दण्ड के रूप में 15 लाख रुपए वसूल किए गए हैं।

[अनुवाद]

चीनी पर आयात शुल्क

414. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान चीनी पर आयात शुल्क हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त निर्णय से उपभोक्ताओं को कितना लाभ मिलेगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने इस चीनी मौसम में कच्ची चीनी और व्हाइट/रिफाइंड चीनी के शुल्क मुक्त आयात तंत्र को इस हस्तक्षेप की निरंतरता के रूप में जारी रखा है जो आरम्भ में 2008-09 चीनी मौसम में शुरूकिया गया था। वर्तमान में कच्ची और व्हाइट/रिफाइंड चीनी का शुल्क मुक्त आयात 31-8-2011 तक अनुमत है।

(ग) शुल्क मुक्त आयात तंत्र आरम्भ करने का मुख्य कारण देश में चीनी के स्टॉक की उपलब्धता बढ़ाना और इसके मूल्यों को संतुलित रखना था। वर्तमान वर्ष में

चीनी के घरेलू मूल्यों को स्थिर रखने के लिए छूट जारी रखी गई है।

(घ) अन्य हस्तक्षेपों के साथ-साथ इस कदम से चीनी के मूल्यों को संतुलित रखने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए चीनी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है।

सुरक्षित अन्न भण्डार में कमी

415. श्री जोस के. मणि:
श्री के. सुगुमार:
श्री उदय सिंह:
डॉ. भोला सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य भण्डार के हाल के मूल्यांकन से पता चला है कि वर्ष 2014 तक खाद्यान्नों के भण्डार में सुरक्षित भण्डारण के मानदंडों से अधिक कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भण्डार की आसन्न कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पर्याप्त भण्डार को बनाए रखने और प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भण्डार के सृजन एवं अधिप्राप्ति में वृद्धि के लिए समुचित कदम उठाए हैं/कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खाद्यान्नों से पर्याप्त भण्डार को बनाए रखने के लिए कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) इस विभाग द्वारा स्टाक की वर्ष 2011 तक संभावित स्थिति के संबंध में ऐसा किसी प्रकार का आकलन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार में निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भण्डार गोदामों का निर्माण करने की एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के तहत 19 राज्यों में 152.97 लाख टन की क्षमता सृजित की जानी है। इसमें से, निजी उद्यमियों द्वारा 52.32 लाख टन की भण्डारण क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। स्कीम के तहत केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगम क्रमशः 5.31 लाख टन और 15.49 लाख टन क्षमता का निर्माण कर रहे हैं जिसमें 3.5 लाख टन की क्षमता का निर्माण केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगमों द्वारा पहले ही किया जा चुका है।

(ङ) खरीद को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1120 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक और ऊपर प्रति क्विंटल 50 रुपए के बोनस की भी घोषणा की है।

(ii) खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाकर सामान्य धान के लिए 1080 रुपए और ग्रेड 'ए' धान के लिए 1110 रुपए कर दिया है।

[हिन्दी]

दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग और पूर्ति

416. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग और पूर्ति में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा कमी को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्तर पर दूध का उत्पादन दूध और दुग्ध उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर पर्याप्त है। तथापि, कमी के मौसम में तरल दूध की कमी की पूर्ति दुग्ध पाउडर/दूध वसा के पुनर्निर्माण के माध्यम से की जाती है।

(ग) और (घ) विभाग देश में दूध की स्थिति पर नियमित निगरानी रखता है और उसने घरेलू बाजार में तरल दूध की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अल्पकालिक उपाय किए है:

1. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 14-1-2011 की अधिसूचना द्वारा राज्य दूध परिसंघों तथा मैट्रो डेयरियों द्वारा दूध के पुनर्निर्माण के लिए वर्ष 2011-12 के लिए शुल्क दर कोटा के तहत 0% रियायती शुल्क पर 30,000 मीट्रिक टन स्किम्ड दुग्ध पाउडर और संपूर्म दूध पाउडर तथा 15,000 मीट्रिक टन बटर, बटर ऑयल और एनिहाइड्रस दूध वसा के आयात की अनुमति दी गई है।

2. दूध पाउडरों (स्किम्ड दूग्ध पाउडर, संपूर्ण दुग्ध पाउडर, डेयरी वाइटनर तथा शिशु दुग्ध आहार सहित), केसिन तथा केसिन उत्पादों के निर्यात पर 18-2-2011 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके अलावा भारत सरकार दीर्घकालिक उपायों के रूप में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है:

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
2. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम
3. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना
4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
5. चार और आहार विकास योजना

[अनुवाद]

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत सहायता

417. श्री प्रदीप माझी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे और मझोले कस्बों के लिए नगरीय अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के तहत राज्यों को निधि आबंटन हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(ख) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी सहायता दी गई;

(ग) क्या वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा आवंटित निधि का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिसम्बर, 2005 से शुरू की गई छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत आबंटित 6400 करोड़ रुपए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को (जे.एन.एन.यू.आर.एम. के घटक यू.आई.जी. के तहत शामिल शहरों को छोड़कर) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी शहरी आबादी के आधार पर संवितरित किए गए। दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के भाग स्वरूप वर्ष 2008-09 में 5000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन भी मुहैया कराया गया था।

(ख) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए मुहैया अतिरिक्त सहायता के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ग) और (घ) परियोजना खाते में निधियां जुटाने और उनके उपयोग से संबंधित सूचना राज्यों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है। निधियां जुटाने और उनके उपयोग के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आई.डी.एस.एस.एम.टी.: विगत दो वर्षों और चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य/वर्षवार अनुमोदित परियोजना एवं जारी ए.सी.ए.

क्र.सं.	राज्य	शामिल वर्षवार परियोजनाएं							
		09-10		10-11		11-12		कुल	
		पहली	द्वितीय	पहली	द्वितीय	पहली	द्वितीय	पहली	द्वितीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश				35				35
2.	असम								0
3.	अरुणाचल प्रदेश								0
4.	बिहार								0
5.	छत्तीसगढ़				3				3
6.	दादरा और नगर हवेली								0
7.	दमन और द्वीप								0
8.	गुजरात				15		10		25
9.	गोवा			1		1		2	0
10.	हरियाणा								0
11.	हिमाचल प्रदेश			1	4			1	4
12.	झारखंड								0
13.	जम्मू और कश्मीर			10				10	0
14.	केरल								0
15.	कर्नाटक				20				20
16.	मध्य प्रदेश				6				6
17.	महाराष्ट्र		17		20		15		52
18.	मणिपुर								0
19.	मेघालय								0
20.	मिजोरम								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	नागालैंड	1							1
22.	ओडिशा			1				1	0
23.	पंजाब				1				1
24.	पुडुचेरी	1	0					1	0
25.	राजस्थान								0
26.	सिक्किम								0
27.	त्रिपुरा								0
28.	तमिलनाडु		15		7				22
29.	उत्तर प्रदेश	4	9		19			4	28
30.	उत्तराखंड								0
31.	पश्चिम बंगाल				4				4
	कुल	6	41	13	134	1	25	20	200

क्र.सं.	राज्य	2009-10, 2010-11 और 2011-12 (306-2011 तक) के दौरान मुहैया राज्यवार केन्द्रीय सहायता									
		2009-10			2010-11			2011-12			विगत दो वर्षो एवं चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी कुल ए.सी.ए.
		पहली किस्त	डीपीआर तैयारी लागत का 1.5	दूसरी किस्त	पहली किस्त	डीपीआर तैयारी लागत का 1.5	दूसरी किस्त	पहली किस्त	डीपीआर तैयारी लागत का 1.5	दूसरी किस्त	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	476.88				43079.00				43555.88
2.	असम	0									0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0									0.00
4.	बिहार	0									0.00
5.	छत्तीसगढ़	0					2447.46				4747.46

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	दादरा और नगर हवेली	719.89									719.89
7.	दमन और द्वीप	0									0.00
8.	गुजरात						4651.09				4651.09
9.	गोवा	0			337.20					2460.81	2798.01
10.	हरियाणा	0						578.80			578.80
11.	हिमाचल प्रदेश	0			50.51		295.31				345.82
12.	झारखंड	0									0.00
13.	जम्मू और कश्मीर	0			4020.85						4020.85
14.	केरल	0									0.00
15.	कर्नाटक	0					17662.95				17662.95
16.	मध्य प्रदेश	0					3871.53				3871.53
17.	महाराष्ट्र	0		14072.30		43.08	22738.13				36853.51
18.	मणिपुर	0									0.00
19.	मेघालय	0									0.00
20.	मिजोरम	0									0.00
21.	नागालैंड	190.75									190.75
22.	ओडिशा	0			90.37						90.37
23.	पंजाब	0					1982.00				1982.00
24.	पुडुचेरी	1567.20									1567.20
25.	राजस्थान	0									0.00
26.	सिक्किम	0									0.00
27.	त्रिपुरा	0									0.00
28.	तमिलनाडु	0		1935.35			2135.61				4070.96
29.	उत्तर प्रदेश	1950.12		8935.35			16933.84			75.20	27927.84

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30.	उत्तराखंड	0									0.00
31.	पश्चिम बंगाल	0					2005.51				2005.51
	कुल	4427.46	476.88	24976.33	4498.93	43.08	117802.43	578.80	0.00	19627.29	172431.70

विवरण-II

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत जारी केन्द्रीय सहायता, परियोजना खातों में जुटायी गयी निधियां और उनके उपयोग के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अब तक जारी केन्द्रीय अंश	राज्य और यू.एल.बी. अंश सहित परियोजना खाते में जुटायी गयी निधियां	मार्च, 2011 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार अब तक उपयोग में लायी गयी निधियां
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	173176.01	228896.78	188916.92
2.	असम	1771.19	1965.19	1965.19
3.	अरुणाचल प्रदेश	9955.94	11028.25	3566.55
4.	बिहार	10674.39	12200.16	612.18
5.	छत्तीसगढ़	9183.92	9403.28	3244.66
6.	दादरा और नगर हवेली	745.89	0.00	0.00
7.	दमन और द्वीप	31.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	30407.37	33745.42	32094.64
9.	गोवा	916.00	0.00	0.00
10.	हरियाणा	6714.58	10409.31	8393.38
11.	हिमाचल प्रदेश	1180.86	1597.03	1583.28
12.	झारखंड	4003.32	5494.97	5064.60
13.	जम्मू और कश्मीर	18354.04	13789.51	9087.79
14.	केरल	17340.73	5208.85	2802.00

1	2	3	4	5
15.	कर्नाटक	46861.99	48313.51	37453.19
16.	मध्य प्रदेश	35264.28	44445.22	23227.68
17.	महाराष्ट्र	164156.28	144300.76	106300.00
18.	मणिपुर	2845.44	3161.65	3075.32
19.	मेघालय	644.97	565.00	151.63
20.	मिजोरम	699.77	777.52	854.77
21.	नागालैंड	190.75	211.95	211.95
22.	ओडिशा	9170.22	11536.55	3911.30
23.	पंजाब	17936.24	21441.50	13515.02
24.	पुडुचेरी	1567.20	1953.62	1649.31
25.	राजस्थान	28421.97	30598.40	25197.32
26.	सिक्किम	1820.48	2126.19	2126.19
27.	त्रिपुरा	3582.38	3787.38	1816.00
28.	तमिलनाडु	56039.83	69878.68	51571.00
29.	उत्तर प्रदेश	75592.62	80302.39	60606.08
30.	उत्तराखंड	2469.30	3086.63	276.00
31.	पश्चिम बंगाल	22783.29	28596.54	23215.00
	कुल	754502.24	828822.24	612488.95

[हिन्दी]

ऐतिहासिक भवनों पर चिन्ह

418. **श्री लालचन्द कटारिया:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दर्शकों/पर्यटकों को सटीक जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संरक्षित और गैर-संरक्षित ऐतिहासिक भवनों पर लगे चिन्ह किसी समीक्षा के अधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चिन्हों के रख-रखाव के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने प्रस्तावित हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) देश भर में भारतीय सर्वेक्षण के सभी विश्व विरासत, टिकटेड और अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों पर स्मारक के संक्षिप्त इतिहास और महत्व को दर्शाने वाले सांस्कृतिक सूचना बोर्डों सहित संकेत चिन्ह उपलब्ध कराए गए हैं। स्मारकों पर संकेत चिन्हों का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों के मूल्य

419. श्री नरहरि महतो: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2010-11 के दौरान कृषि उत्पादों की कीमतों में पिछले तीन वर्ष की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कृषि आदान लागत में बढ़ोतरी तथा उपज में कमी ने देश के किसानों पर बुरा प्रभाव डाला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वर्ष 2010-11 तथा 2009-10, 2008-09 और 2007-08 के विगत वर्षों के दौरान मुख्य कृषि जिन्स समूहों का थोक मूल्य सूचकांक एक मिश्रित प्रवृत्ति दर्शा रहा है।

2007-08 से 2010-11 की अवधि के लिए वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) 2010-11 में जबकि अनाजों, दलहनों तथा चीनी के वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक ने गिरावट दर्शायी है, 2009-10 की अपेक्षा फल एवं सब्जी समूह तथा तिलहनों के सूचकांक ने वृद्धि दर्शायी है। 2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान सभी कृषि जिन्स समूहों के लिए वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक ने वृद्धि दर्शायी है। तथापि 2007-08 की तुलना में 2008-09 में (डब्ल्यू.पी.आई.) मूल्यों ने वृद्धि दर्शाते हुए अनाजों, दलहनों तथा चीनी के साथ एक मिश्रित प्रवृत्ति भी दर्शायी है जबकि फलों, सब्जियों तथा तिलहनों के मूल्यों ने गिरावट दर्शायी है।

मिश्रित प्रवृत्ति का कारण इन जिन्सों की मांग एवं आपूर्ति में उतार-चढ़ाव है।

(ग) और (घ) 2007-11 के दौरान कृषि आदान लागतों में पर्याप्त रूप से वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, विद्युत एवं उर्वरक की मजदूरी एवं मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है। वृद्धि को दर्शाने वाले फार्म आदानों के थोक बिक्री मूल्यों के सूचकांक संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। यह आंकड़ा 2010-11 में 8.2% बढ़ी हुई उर्वरक लागत दर्शाता है। इसी प्रकार 2010-11 के दौरान बिजली की लागत में 7.6% तथा डीजल तेल में 21.0% ल्युब्रीकेंट में 12.6% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार कीटनाशकों एवं फार्म मशीनरी के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है यद्यपि यह वृद्धि अन्य आदानों के मूल्यों की तुलना में बहुत कम है। हाल के वर्षों के दौरान कृषि मजदूरी में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। 2007-10 की अवधि के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर औसत मजदूरी दर में 59% की वृद्धि हुई। सभी मुख्य कृषि उत्पादक राज्यों में भी इसी प्रकार की वृद्धि रिकार्ड की गयी है।

(ङ) सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना क्रियान्वित कर रही है जिसमें किसानों के उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य पाने में उनकी सहायता करने के लिए 25 मुख्य फसलों को शामिल किया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) जो विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की सिफारिश करता है किसानों के लिए उचित लाभ के साथ-साथ कृषि लागत में वृद्धि पर विचार करता है।

कृषि और सहकारिता विभाग उन कृषि एवं बागवानी जिन्सों के प्रापण के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकार के अनुरोध पर बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) का भी क्रियान्वयन कर रहा है जो आमतौर पर नष्ट होने योग्य है तथा मूल्य समर्थन योजना के तहत शामिल नहीं है। बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन किया जाता है ताकि बंपर फसल की स्थिति में उस समय कम बिक्री होने से इन जिन्सों के उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके जब बाजार में भरमार हो जाती है तथा मूल्य आर्थिक स्तरों/उत्पादन लागत से कम हो जाता है। बाजार हस्तक्षेप योजना के प्रापण केन्द्रीय एजेंसी के रूप में नैफेड द्वारा तथा राज्य नामित एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

विवरण-I

महत्वपूर्ण कृषि जिन्सों का वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.)
(आधार वर्ष 2004-05=100)

मास/वर्ष	अनाज	दलहन	फल तथा सब्जियां	चीनी	तिलहन
2006-07	116.74	149.18	111.8	109.57	94.49
2007-08	127.86	144.93	124.6	93.4	113.22
2008-09	143.09	155.84	134.9	108.54	131.17
2009-10	161.18	190.76	147.8	166.79	134.97
2010-11	169.67	196.86	172.1	165.02	141.33
विगत वर्ष की समरूप अवधि की अपेक्षा % परिवर्तन					
2007-08	9.5	-2.8	11.4	-14.8	19.8
2008-09	11.9	7.5	8.3	16.2	15.9
2009-10	12.6	22.4	9.6	53.7	2.9
2010-11	5.3	3.2	16.4	-1.1	4.7

विवरण-II

फार्म आदान: थोक मूल्यों के सूचकांक संख्या (आधार 2004-05=100)

मास/वर्ष	उर्वरक	विद्युत (सिंचाई)	कीटनाशक	गैर विद्युतीय मशीनरी	ट्रैक्टर	ल्युब्रीकेंट	डीजल तेल (एचएसडीओ)	डीजल तेल (एलडीओ)	चारा	पशुचारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2005-06	102.6	110.8	103.8	105.9	104.1	106.6	124.3	131.2	111.1	103.6
2006-07	105.1	111.3	107.8	107.7	108.0	138.2	129.6	145.1	117.4	116.0
2007-08	106.6	116.0	107.5	110.0	111.1	148.1	127.7	178.5	123.0	128.2
2008-09	106.9	114.6	110.8	111.9	117.6	176.0	133.8	159.3	111.1	148.8
2009-10	110.0	118.1	111.4	116.5	123.3	177.8	138.1	172.5	156.9	170.8
2010-11	119.0	127.2	113.5	119.0	127.9	200.3	153.9	208.7	189.6	179.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विगत वर्ष की समरूप अवधि की अपेक्षा % परिवर्तन										
2006-07	2.4	.0.4	3.9	1.7	3.8	29.6	4.3	10.6	5.7	12.0
2007-08	1.5	4.2	-0.3	2.2	2.8	7.2	-1.5	23.0	4.8	10.5
2008-09	0.3	-1.2	3.1	1.7	5.9	18.8	4.8	-10.7	-9.7	16.1
2009-10	2.9	3.1	0.6	4.1	4.9	1.0	3.2	8.3	41.3	14.8
2010-11	8.2	7.6	1.9	2.2	3.7	12.6	11.4	21.0	20.8	5.1

मुंबई में बम विस्फोट

420. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री आनंदराव अडुसल:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री आर. थामराईसेलवन:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री संजय धोत्रे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री राकेश सिंह:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री नीरज शेखर:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्रीमती जे. शांता:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री मधु गौड यारखी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री एस पक्कीरप्पा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों ने पुनः मुंबई पर हमला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस हमले के बारे में कोई आसूचना थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें कितने व्यक्ति मारे गये/घायल हुए और पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुंबई में हुए हाल के बम विस्फोट के मद्देनजर लागू तंत्र/सख्त आतंकवाद निरोधी नीति और देश में आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादी घुसपैठ को रोकने हेतु राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र, बहु-अभिकरण केन्द्र का ब्यौरा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां। मुम्बई में दिनांक 13-7-2011 को तीन बम धमाके हुए।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 25 व्यक्ति मारे गए और 130 घायल हुए थे। बम धमाकों/आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को मुआवजे राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रदान किए जा रहे हैं। दिनांक

13-07-2011 को मुम्बई में बम धमाके के बाद, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस धमाके के पीड़ितों के लिए अनुग्रह-अनुदान सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार ने अनुग्रह-अनुदान के भुगतान के लिए पीड़ितों को चार विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया है:

(i) जो धमाके में मारे गए;

(ii) जो गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थायी रूप से विकलांग हो सकते हैं;

(iii) जो घायल हो गए हैं और अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में भर्ती किे गए हैं;

(iv) जिनका इलाज बाह्य रोगी के रूप मेंकिया गया और छुट्टी दे दी गई।

जो लोग मारे गए हैं, उनके नजदीकी रिश्तेदार को प्रति मृतक 5.00 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति 3.00 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिनका अंतरंग रोगियों के रूप में उपचार किया गया, उन्हें प्रति व्यक्ति 1.00 लाख रुपए दिए जाएंगे।

पहली श्रेणी में, अर्थात जो मारे गए, उनमें से 15 व्यक्तियों को अब तक प्रति मृतक 5.00 लाख रुपए की दर से 75,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। दूसरी श्रेणी में, अर्थात स्थायी रूप से विकलांग के बारे में चूंकि किसी अस्पताल से स्थायी विकलांगता की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कोई अनुग्रह-अनुदान नहीं दिया गया है। तीसरी श्रेणी में, अर्थात जो घायल हुए हैं और अन्तरंग रोगी के रूप में अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए का भुगतान किया गया था। 93 व्यक्तियों को इस दर से भुगतान किया गया था। उन्हें जल्द ही प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए और दिए जाएंगे। 8 व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए का भुगतान किया गया क्योंकि वे इलाज के लिए अस्पताल की ओ.पी.डी. में आए थे और उपचार के बाद उन्हें वापिस भेज दिया गया था।

कुछेक मृतक के रिश्तेदार दूसरे राज्यों में हैं। रिश्तेदारों को सत्यापन के बाद अनुग्रह-राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ङ) आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की ताकत को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों में सी.आई.एस.एफ. की तैनाती करने के लिए सी.आई.एस.एफ. अधिनियम में संशोधन; चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन.एस.जी. हबों की स्थापना; आपात स्थिति में एन.एस.जी. के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एन.एस.जी. को शक्तियां प्रदान करना; बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबीसों घण्टे निगरानी और गश्त लगा करके प्रभावकारी सीमा प्रबंधन; प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना, आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार, सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दों और इसके सभी पहलुओं, जिसमें इसका वित्तपोषण शामिल है, को बहु-पक्षीय एवं द्वि-पक्षीय मंचों पर और बहु-स्तरीय द्वि-पक्षीय परिसंवादों में भी लगातार उठाती रही है।

[हिन्दी]

शहरीकरण में सुधार

421. श्री विजय बहादुर सिंह:

श्री संजय सिंह चौहान:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के चुने हुए शहरों और कस्बों में नगरीकरण में सुधार लाने के लिए कोई विकास योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो नगर और कस्बेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे शहरों की संख्या कितनी है जहां मकान बनाये जाने प्रस्तावित हैं तथा कब तक इनके बनने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिनांक 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का उद्देश्य देश भर में शहरों का सुधार आधारित और त्वरित विकास करना है जिसमें शहरी अवस्थापना, सर्विस सुपुर्दगी तन्त्रों, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) और पैरा स्टेटल एजेन्सियों की जवाबदेही में कुशलता लाने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 65 शहरों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) घटक के अंतर्गत शामिल किया गया है। शेष शहर छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के लिए पात्र है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. घटक के अंतर्गत शहरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिय गया है।

(ग) और (घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का उद्देश्य सार्वजनिक - निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) व्यवस्थाओं, जहां कहीं उपयुक्त हों, के माध्यम से परियोजनाओं के विकास, प्रबंधन, कार्यान्वयन और वित्त पोषण में निजी क्षेत्र की दक्षता जुटाना तथा शामिल करना है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) घटक के अंतर्गत कुछ पी.पी.पी. घटकों के साथ 67 (सड़सठ) परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण-I

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी./बी.एस.यू.पी. घटक के अंतर्गत शामिल शहरों की सूची

क्र. सं.	शहर/शहरी समूह	राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी (लाख में)
1	2	3	4
क.	**मेगा शहर**		
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	वेस्ट बंगाल	132.06

1	2	3	4
7.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	57.42
ख.	**मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर**		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरई	तमिलनाडु	12.03
8.	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापट्टनम	आन्ध्र प्रदेश	13.45
15.	वडोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	14.61
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखंड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42

1	2	3	4
25.	विजयवाडा	आन्ध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखंड	10.65
28.	इन्दौर	मध्यप्रदेश	16.40
ग.	**एक मिलियन से कम आबादी वाले चुनिंदा शहर/शहरी समूह (यू.ए.)**		
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखंड	8.63
8.	तिरुवनन्तपुरम	केरल	8.90
9.	इंफाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलांग	मेघालय	2.68
11.	एजवाल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13.	भुवनेश्वर	ओडिशा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17.	बोध गया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पूरी	ओडिशा	1.57
20.	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20

1	2	3	4
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
27.	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
28.	नान्देड	महाराष्ट्र	4.31
29.	पोरबन्दर	गुजरात	1.58
30.	तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश	2.28

विवरण-II

क्र.सं.	शहर का नाम	परियोजना का नाम	क्षेत्र
1.	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा शहर की ठोस कचरा प्रबंधन सुधार स्कीम	ठोस कचरा प्रबंधन
2.	ईटानेगर	ईटानगर शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
3.	गुवाहाटी	गुवाहाटी शहर का ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
4.	पटना शहरी समूह	पटना शहरीय बस्तियों में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	ठोस कचरा प्रबंधन
5.	पटना	पटना नगर निगम का म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
6.	अहमदाबाद	अहमदाबाद में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन
7.	राजकोट	राजकोट में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन
8.	सूरत	सूरत में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन
9.	बडौदरा	वडोदरा में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	ठोस कचरा प्रबंधन
10.	फरीदाबाद	फरीदाबाद शहर की ठोस कचरा प्रबंधन सुधार स्कीम	ठोस कचरा प्रबंधन
11.	शिमला	शिमला शहर का ठोस कचरा प्रबंधन सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
12.	रांची	रांची में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन
13.	धनबाद	धनबाद ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन

क्र.सं.	शहर का नाम	परियोजनाका नाम	क्षेत्र
14.	मैसूर	मैसूर नगर निगम के लिए एकीकृत म्यूनिसिपल ठोस कचरा कार्य नीति	ठोस कचरा प्रबंधन
15.	कोच्ची	कोची शहर का ठोस कचरा प्रबंधन सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
16.	तिरूवनंतपुरम	तिरूवंतपुरम निगम का ठोस कचरा प्रबंधन सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
17.	मुम्बई	मुम्बई मैं म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	ठोस कचरा प्रबंधन
18.	पिंपरी-चिंचवाड	पिंपरी-चिंचवाड नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन का उन्नयन	ठोस कचरा प्रबंधन
19.	इम्फाल	इम्फाल शहर के लिए म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना	ठोस कचरा प्रबंधन
20.	पुडुचेरी	पुडुचेरी के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना	ठोस कचरा प्रबंधन
21.	अमृतसर	अमृतसर के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना	ठोस कचरा प्रबंधन
22.	जयपुर	जयपुर शहर की ठोस कचरा प्रबंधन का सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
23.	चेन्नई	चेन्नई शहर का ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
24.	चेन्नई	एलनदूर, पल्लावरम और ताम्बरम नगर पालिकाओं के लिए एकीकृत ठोक कचरा प्रबंधन परियोजना	ठोस कचरा प्रबंधन
25.	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर शहर का ठोस कचरा प्रबंधन सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
26.	मदुरई	मदुरई निगम में ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
27.	आगरा शहर	आगरा शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
28.	इलाहाबाद	इलाहाबाद शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
29.	लखनऊ	लखनऊ शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
30.	मथुरा	मथुरा शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
31.	मेरठ	मेरठ शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
32.	कानपुर	कानपुर शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
33.	वाराणसी	वाराणसी शहर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन
34.	देहरादून	देहरादून में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	ठोस कचरा प्रबंधन

क्र.सं.	शहर का नाम	परियोजनाका नाम	क्षेत्र
35.	हरिद्वार	हरिद्वार में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	ठोस कचरा प्रबंधन
36.	आसनसोल	आसनसोल शहरी क्षेत्र में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
37.	कोलकाता	कोलकाता के लिए मंयूनिसिपल कस्बों का म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	
38.	कोलकाता	कोलकाता के लिए 13 म्यूनिसिपल कस्बों का म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
39.	इंदौर	इंदौर सिटी का ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
40.	नासिक	नासिक के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
41.	नागपुर	सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से नागपुर शहर के लिए 24 घंटे जलापूर्ति परियोजना कार्यान्वित करने हेतु पुनर्वास योजना के लिए डी.पी.आर.	जलापूर्ति
42.	नागपुर	पेंच जलाशय से जल उठाना तथा नहर के बजाय मोर्टर लाइन एम.एस. पाइप लाइन द्वारा महादुल्ला तक ले जाना	जलापूर्ति
43.	कोलकाता	साल्ट लेक, कोलकाता भाग 1-जलापूर्ति में नाबा निगंता औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5 में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	जलापूर्ति
44.	भोपाल	गैस प्रवाहित क्षेत्रों को जलआपूर्ति	जलापूर्ति
45.	चेन्नई	पैरूनगुडी में अतिरिक्त सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण	सीवरेज
46.	कोलकाता	साल्ट लेक ने नाबा निगंता औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5 (पार्ट-2 सीवरेज सिस्टम) में जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम का विकास और प्रबंधन	सीवरेज
47.	कोहिमा	कोहिमा में एकीकृत सड़क और बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना पार्किंग स्थान	पी.पी.पी. आधार पर पार्किंग स्थान
48.	इंदौर	इंदौर शहर में 20 विभिन्न स्थानों पर बहुस्तरीय पार्किंग का निर्माण	अन्य (पार्किंग)
49.	विजयवाडा	विजयवाड़ा (i) एम.जी. रोड (ii) नूजी वेदू रोड (iii) एल्लुरू रोड (iv) मार्ग सं. 5 (v) एस.एन. पूरम रोड (vi) लूप रोड के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
50.	विशाखापतनम	विशाखापतनम (i) टर्नल सहित सिम्हाचलम परिवहन कोरिडोर (ii) पन्दुरथी परिवहन कोरिडोर के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली	द्रुतजन परिवहन प्रणाली

क्र.सं.	शहर का नाम	परियोजनाका नाम	क्षेत्र
51.	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-12 कि.मी. लम्बे मार्ग (पहले फेज का मार्ग 1) बी.आर.टी. रोडवेज का निर्माण तथा शेष मार्गों का विस्तृत अध्ययन और इंजीनियरिंग करना	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
52.	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
53.	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम के लिए द्रुत जन परिवहन प्रणाली फेज-II	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
54.	राजकोट	द्रुत बस परिवहन प्रणाली फेज-I (ब्लू कोरिडोर भाग 1 का विकास)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
55.	सूरत	सूरत के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली का विकास	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
56.	भोपाल	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (21.715 किमी लम्बे) के लिए प्रयोगिक कोरिडोर (न्यू मार्केट से विश्वविद्यालय)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
57.	इंदौर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-प्रायोगिक परियोजना	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
58.	पुणे	पुणे शहर (कटराज स्वरगेट हदपसर मार्ग 13.6 किमी.) के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली प्रायोगिक परियोजना	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
59.	पुणे	पुणे शहर के लि द्रुत बस परिवहन प्रणाली (फेज-I)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
60.	पुणे	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (राष्ट्रमण्डल युवा खेल, 2008 के लिए अवस्थापना का विकास)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
61.	पुणे	मुंबई-पुणे राजमार्ग (8.5 किमी.) और औध रावेत सड़क (14.5 किमी.) हेतु सी.आर.टीस बस कोरिडोर कुल (23 किमी.)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
62.	पुणे	पुणे (विकांतवाडी से डिघी-आक्ट्रोई नाका तक 13.9 किमी. हेतु बी.आर.टी. कोरिडोर के रूप में नए अलंडी सड़क सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
63.	पुणे	पी.सी.एम.सी. - बी.आर.टी.एस. कोरिडोर-कालेवाडी - के.एस.बी. चौक से देहू-अलंडी रोड (ट्रंक मार्ग-7)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
64.	पुणे	द्रुत बस परिवहन प्रणाली कोरिडोर-नासिक फाटा से वकार्ड (ट्रंक मार्ग-9) - पी.सी.एम.सी.	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
65.	जयपुर	सी जॉन बाई पास क्रासिंग से पानीपेच वाया सीकर रोड तक द्रुत बस परिवहन प्रणाली परियोजना प्रस्ताव (पैकेज-1बी)	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
66.	जयपुर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (पैकेज-2) का निर्माण	द्रुतजन परिवहन प्रणाली
67.	जयपुर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (पैकेज-3 ए एण्ड 3 बी), जयपुर	द्रुतजन परिवहन प्रणाली

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियों में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग

422. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में विस्फोटो में अमोनियम नाइट्रेट, जिसका उपयोग आमतौर पर उर्वरक के रूप में किया जाता है, का उपयोग होने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली में 2008 में तथा मुंबई में 2011 में हुए विस्फोट सहित विभिन्न विस्फोटों/आतंकवादी हमलों में इसके उपयोग की रिपोर्ट को देखते हुए संगत संविधि में संशोधन का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट सहित विस्फोटों के विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन तथा बिक्री को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों से विस्तृत नियम बनाने का भी आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (च) जी, हां। पुणे के ज़र्मन बेकरी बम विस्फोट और दिल्ली में जामा मस्जिद के निकट बम विस्फोट जैसे आतंकवादी/बम विस्फोट के विभिन्न मामलों में "अमोनियम नाइट्रेट" को कामचलाऊ विस्फोटक (इम्प्रोवाइजर एक्सप्लोसिव) चार्ज के एक घटक के रूप में प्रयोग करते हुए पाया गया था। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल दिनांक 13-7-2011 को मुम्बई में हाल ही में हुए शृंखलाबद्ध बम विस्फोट में भी किया गया था।

भारत में, अमोनियम नाइट्रेट को भारत के उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ.सी.ओ.), 1985 के तहत एक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, इसलिए इसे देश में उर्वरक के रूप में बेचने की अनुमति नहीं है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यह अधिसूचित किया है कि अमोनियम नाइट्रेट अथवा अमोनियम नाइट्रेट की 45% से अधिक मात्रा युक्त कोई भी संमिश्रण जिसमें इमल्सन्स, सस्पेंशन्स, मेल्ट्स अथवा जेल (इनआर्गनिक नाइट्रेट युक्त या रहित) शामिल है को विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का IV) के आशय के भीतर एक विस्फोटक माना जाएगा ताकि अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन और विक्रय को विनियमित करने के लिए पृथक नियमों का सेट बनाया जा सके। भारत सरकार ने दिनांक 21-7-2011 को इस आशय की एक अधिसूचना सं. एस.ओ. 1678 (ई) जारी की है।

[हिन्दी]

चरमपंथियों द्वारा अवैध वसूली

423. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चरमपंथी संगठनों/दस्तों के मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में अवैध वसूली में शामिल होने की रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार तथा चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम कौन-कौन से हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में विभिन्न उग्रवादी संगठनों/समूहों के अवैध वसूली में लिप्त होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सूचित किए गए अवैध वसूली के मामलों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) इस क्षेत्र में अवैध वसूली की गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। जब कभी ऐसी गतिविधियों के संबंध में विशिष्ट मामलों की सूचना प्राप्त होती है, तब, मामले दर्ज किए जाते हैं और राज्य एजेंसियों द्वारा यथा आवश्यक

लकार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार केन्द्रीय कानूनों के तहत आवश्यकतानुसार कार्रवाई करके राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त आसूचना जानकारियों का नियमित रूप से आदान-प्रदान किया जाता है और राज्य एजेंसियों को अपनी क्षमता सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

संकट प्रबंधन केन्द्र

424. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस ने भारत में मास्को की तर्ज पर एक आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का निर्णय लेने तथा उन्हें संबंधित एजेन्सियों को भेजने के लिए संकट प्रबंधन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस केन्द्र की कब तक स्थापित होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) रूसी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन केन्द्र आपातिक स्थितियों में ड्यूटी पर तैनात बलों का प्रचालनात्मक प्रबंधन करता है और बड़ी दुर्घटनाओं तथा आपदाओं के मामले में लोगों को चेतावनी देना सुनिश्चित करता है इसके अतिरिक्त यह आपातिक रोकथाम पूर्वानुमान और अनुक्रिया में शामिल सभी ढांचों के एकीकृत सूचना तंत्र को भी समेकित करता है। रुसी आपात एवं आपदा प्रबंधन कमान केन्द्र (ई.एम.ई.आर.सी.ओ.एम.) ग्लोनास (जी.एल.ओ.एन.ए. एस.एस.) सिग्नल भी लगाता है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान रुस ने दिसम्बर, 2010 में हस्ताक्षरित आपदा प्रबंधन पर अन्तर-सरकारी करार के तहत सहयोग को शीघ्रता से मूर्त रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया और इसके तहत परिकल्पित संयुक्त आयोग की शीघ्र स्थापना करने का आग्रह किया। रुस ने भारत में राष्ट्रीय आपदा एवं संकट प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करने में भारत की सहायता करने का प्रस्ताव भी किया।

(ग) से (ङ) देश में संकट प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करने के प्रस्ताव के ब्यौरे की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

425. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) आज की तारीख तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोग शामिल किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में लंबन को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) केन्द्रीय "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980" के अन्तर्गत पात्रता-शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम छह माह का कारावास/भूमिगत रहकर झेली गई यातना (महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में तीन माह), न्यूनतम छह माह के लिए घर में नजरबंदी/जिले से निष्कासन, सम्पत्तियों की कुर्की, स्थायी तौर पर अक्षमता अथवा नौकरी छूट जाना तो दावाकर्ता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में झेली हैं, शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1972 में स्वतंत्रता संग्राम पेंशन के आरम्भ

किए जाने से लेकर दिनांक 30-6-2011 तक लगभग 1.71 लाख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई है। इनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ग) से (ङ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की मंजूरी संबंधी दावों की प्राप्ति और उनका निपटान एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन से संबंधित 35 मामलों के सिवाय, हर तरह से पूर्ण और राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित कोई भी अन्य मामला लंबित नहीं है।

विवरण

उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों के राज्यवार ब्यौरे जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के प्रारम्भ होने के पश्चात पेंशन मंजूर की गई है।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या जिन्हें पेंशन की गई है (30-06-2011 की स्थिति)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15,308
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,441
4.	बिहार	24,879
5.	झारखंड	
6.	गोवा	1,503
7.	गुजरात	3,599
8.	हरियाणा	1,688
9.	हिमाचल प्रदेश	626
10.	जम्मू और कश्मीर	1807
11.	कर्नाटक	10,100
12.	केरल	3,371
13.	मध्य प्रदेश	3,478
14.	छत्तीसगढ़	
15.	महाराष्ट्र	17,957
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03
20.	ओडिशा	4,195
21.	पंजाब	7,026
22.	राजस्थान	814
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4,119
25.	त्रिपुरा	888
26.	उत्तर प्रदेश	17,999
27.	उत्तराखंड	
28.	पश्चिम बंगाल	22,510
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
30.	चंडीगढ़	91
31.	दादरा और नगर हवेली	83
32.	दमन और द्वीप	33
33.	लक्षद्वीप	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,046
35.	पुडुचेरी	318
	आजाद हिंद फौज (आई.एन.ए.)	22,468
	कुल	1,71,305

राजीव आवास योजना

426. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री संजय भोईः

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजीव आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से विस्तृत योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान प्रदान करने के लिए प्रस्तावित निधि का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार कितनी हाउसिंग इकाइयों के निर्माण का क्या प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने योजना के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित वित्तीय तरीके का निर्धारण कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुसरण में, दिनांक 02-06-2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। राजीव आवास योजना के चरण-I की अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की है जिसके लिए 5000 करोड़ रु. के बजट की व्यवस्था की गई है और व्यय को वास्तविक योजना परिव्यय तक सीमित किया गया है। इस स्कीम में 12वीं योजना (2017) के अंत तक देश भर में लगभग 250 शहरों को शामिल किए जाने की आशा है। शहरों का चयन राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। राज्यों द्वारा जे.एन.एन. यू.आर.एम. के सभी मिशन शहरों विशेषतः 2001 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों; शहरों, स्लमों, अल्पसंख्यक बहुल्य आबादी वाले शहरों के विकास की गति पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए अन्य छोटे शहरों और उन क्षेत्रों जहां संपत्ति का अधिकार दिया गया है, को शामिल किया जाना अपेक्षित है। स्कीम की प्रगति राज्यों द्वारा निर्धारित गति पर चलेगी। स्लम मुक्त शहरी आयोजना स्कीम अर्थात रे के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यकलाप करने के लिए जिन 157 शहरों को धनराशि जारी की गई है उसकी सूची संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं और किराया आवास तथा स्लमों में स्व-स्थानीय पुनर्विकास हेतु पारगमन आवासों के प्रावधान की लागत का 50 प्रतिशत इस स्कीम के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के परिचालन एवं अनुरक्षण सहित केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केन्द्र सरकार का हिस्सा भूमि अधिग्रहण, यदि अपेक्षित हो, की लागत समेत 90 प्रतिशत होगा।

साझेदारी में किफायती आवास स्कीम जिसका उद्देश्य किफायती आवासों के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, को रे में मिलाया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 50,000 रु. प्रति किफायती आवास की दर पर अथवा नागरिक अवसंरचना (आंतरिक और बाह्य) की लागत के 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

विवरण

157 शहरों की सूची

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु. में)/शहरों की संख्या	शहर एस.एफ.सी.पी. द्वारा जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	472.72 (10 शहर)	1. ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम (जी.एच.एम.सी.)

1	2	3	4
		969.40 लाख की दूसरी किश्त मार्च 2011 में निर्मुक्त की गई।	2. ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर-निगम (जी.वी.एम.सी.)
			3. विजयवाड़ा
			4. तिरुपति
			5. गुंटूर
			6. नैल्लोर
			7. करनूल
			8. राजामुन्दरी
			9. वारंगल
			10. काकीनाड़ा
2.	अरुणाचल प्रदेश	111.29 (दो शहर)	11. नाहरलागुन
			12. ईटा नगर
3.	असम	76.43 (एक शहर)	13. गुवाहाटी
4.	बिहार	191.59 (चार शहर)	14. पटना
			15. गया
			16. भागलपुर
			17. मुजफ्फरपुर
5.	छत्तीसगढ़	182.88 (चार शहर)	18. भिलाई नगर
			19. रायपुर
			20. बिलासपुर
			21. कोरबा
6.	दिल्ली	981.96 (डी.एम.सी.)	22. दिल्ली क्षेत्र का नगर-निगम
7.	गोवा	111.70 (तीन शहर)	23. मारमागोवा
			24. पणजी
			25. मारगोवा
8.	गुजरात	431.64 (आठ शहर)	26. अहमदाबाद

1	2	3	4
			27. सूरत
			28. वदोदरा
			29. राजकोट
			30. जामनगर
			31. भावनगर
			32. भड़ूच
			33. पोरबन्दर
9.	हरियाणा	151.3 (तीन शहर)	34. फरीदाबाद
			35. पानीपत
			36. यमुना नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	63.84 (एक शहर)	37. शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	236.80 (छह शहर)	38. जम्मू
			39. श्रीनगर
			40. अनंतनाग
			41. उधमपुर
			42. बारामूला
			43. कठुआ
12.	झारखंड	206.11 (चार शहर)	44. जमशेदपुर
			45. धनबाद
			46. रांची
			47. बोकारो स्टील सिटी
13.	कर्नाटक	400.4 (आठ शहर)	48. बंगलोर
			49. मैसूर
			50. हुबली-धारवाड़
			51. मैंगलोर
			52. बेलगांव

1	2	3	4
			53. गुलबर्ग
			54. देवनगरी
			55. बिल्लारी
14.	केरल	263.31 (छह शहर)	56. कोच्ची
			57. तिरुअनंतपुरम
			58. कोझीकोड़े
			59. कन्नूर
			60. कोल्लम
			61. थ्रिसूर
15.	मध्य प्रदेश	282.25 (छह शहर)	62. इंदौर
			63. भोपाल
			64. जबलपुर
			65. ग्वालियर
			66. उज्जैन
			67. सागर
16.	महाराष्ट्र	944.67 (सौलह शहर)	68. ग्रेटर मुम्बई
			69. पूना
			70. नागपुर
			71. नासिक
			72. औरंगाबाद
			73. सोलापुर
			74. भिवांडी
			75. अमरावती
			76. कोल्हापुर
			77. संगली-मिराज कुपवाड़
			78. नांदेड़- वागला

1	2	3	4
			79. मालेगांव
			80. अकोला
			81. जलगांव
			82. अहमद नगर
			83. धुले
17.	मणिपुर	55.79 (एक शहर)	84. इम्फाल
18.	मेघालय	95.63 (एक शहर)	85. शिलोंग
19.	मिजोरम	467.07 (आठ शहर)	86. आइजवाल
			87. चमफई
			88. कोलासिब
			89. लोंगतई
			90. लुंगलई
			91. मामित
			92. साईहा
			93. सरचिप
20.	नागालैण्ड	108.03 (दो शहर)	94. कोहिमा
			95. दिमापुर
21.	ओडिशा	184.12 (पांच शहर)	96. भुवनेश्वर
			97. पुरी
			98. कटक
			99. राउरकेला
			100. ब्रह्मपुर
22.	पुडुचेरी	79.01 (दो शहर)	101. पुडुचेरी
			102. ओझूकरी
23.	पंजाब	583.34 (पांच शहर)	103. लुधियाना
			104. अमृतसर

1	2	3	4
			105. जालंधर
			106. पटियाला
			107. भटिंडा
24.	राजस्थान	281.15 (छह शहर)	108. जयपुर
			109. जौधपुर
			110. कोटा
			111. बीकानेर
			112. अजमेर
			113. उदयपुर
25.	सिक्किम	62.39 (एक शहर)	114. गंगटोक
26.	तमिलनाडु	480.14 (नौ शहर)	115. चैन्नई नगर निगम
			116. कोयम्बटूर
			117. मदुरई
			118. तिरुचुरापल्ली
			119. सालेम
			120. तिरुपुर
			121. तिरुनावेली
			122. एरोडे
			123. वेल्लौर
27.	त्रिपुरा	54.68 (एक शहर)	124. अगरतला
28.	उत्तर प्रदेश	733.17 (अठ्ठारह शहर)	125. कानपुर
			126. लखनऊ
			127. आगरा नगर-निगम
			128. वाराणसी
			129. मेरठ
			130. इलाहाबाद
			131. गाजियाबाद

1	2	3	4
			132. बरेली
			133. अलीगढ़
			134. मुरादाबाद
			135. गोरखपुर
			136. झासी नगर-निगम
			137. सहारनपुर
			138. फिरोजाबाद
			139. मुजफ्फर नगर
			140. मथुरा
			141. शाहाजहानपुर
			142. नोएडा
29.	उत्तरांचल	114.63 (तीन शहर)	143. देहरादून
			144. नैनीताल
			145. हरिद्वार
30.	पश्चिम बंगाल	423.27 (चार शहर)	146. कोलकाता
			147. आसनसोल
			148. दुर्गापुर
			149. सिलीगुड़ी (भाग)
31.	दमन और द्वीव	58.06 (दो शहर)	150. दमन
			151. द्वीव
32.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	43.45 (दो शहर)	152. सिलवासा
			153. अमली
33.	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	76.18 (एक शहर)	154. पोर्ट ब्लेयर
34.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	38.94 (तीन शहर)	155. आमीनी
			156. कवरत्ती
			157. मिनीकोए

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

427. श्री सी.आर. पाटिल:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामान्य निवासियं का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) तैयार करने तथा उसके आधार पर बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एन.आई.सी.) जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्राम सभाओं द्वारा वार्ड समितियों द्वारा 'सोशल वेटिंग' की प्रक्रिया के लिए एम.एन.आई.सी. के प्रयोग की संभावना है तथा इस प्रक्रिया के लिए कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य आवश्यक नहीं होगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एम.एन.आई.सी. जारी करने की प्रक्रिया त्रुटि रहित है तथा कार्ड का दुरुपयोग भारतीय नागरिकता की पहचान के लिए नहीं किया गया है, सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी हां। सरकार ने देश में सभी सामान्य निवासियों की विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित जानकारी को एकत्र करके देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) तैयार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में ऐसे सभी निवासी जो कि 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं के फोटोग्राफ, 10 अंगुलियों की छाप तथा आईरिस भी होगी। योजना के अंतर्गत देश के ऐसे सभी सामान्य निवासियों जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं उन्हें निवासी पहचान (स्मार्ट) पत्र दिया जाना प्रस्तावित है।

(ख) सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की सहमति के पश्चात ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में घोषित सामान्य निवासी की स्थिति के संबंध में ग्राम सभा और वार्ड समिति द्वारा सामाजिक समीक्षा की प्रक्रिया तैयार की गई है। इसके अलावा 'सामान्य निवासियों' की सूची स्थानीय क्षेत्रों में प्रकाशित की जाएगी तथा इसे दावे/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ग्राम सभा/वार्ड समिति में रखा जाएगा। दावे तथा आपत्तियों को राजस्व कार्मिकों जैसे पटवारी या तलाती जो स्थानीय रजिस्ट्रारों के रूप में कार्य करते हैं, तहसीलदारों जो उप जिला रजिस्ट्रारों के रूप में पदनामित हैं और कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेटों जो जिला रजिस्ट्रारों के रूप में पदनामित हैं द्वारा विचार किया जाएगा। तथापि यह कानूनी प्रवर्तक अभिकरणों या रजिस्ट्रारों द्वारा स्वतः उठाए गए दावों/आपत्तियों को बाधित नहीं करेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें जांच के लिए अतिरिक्त उपाए कर सकती हैं तथा वे सत्यापन की प्रक्रिया में स्थानीय पुलिस थानों या ग्राम चौकीदारों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसमें नागरिक तथा साथ ही साथ गैर नागरिक शामिल होंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने का उद्देश्य दिए गए समय पर देश के सभी सामान्य निवासियों की जानकारी एकत्र करना है। प्रस्तावित निवासी पहचान (स्मार्ट) पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा और उल्लिखित होगा कि यह पत्र इसके धारक को नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्य के एक भाग के रूप में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करते समय प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता का अलग से निर्धारण किया जाएगा।

अंत्योदय अन्न योजना

428. श्री एम.बी. राजेश: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अंतर्गत वर्तमान में कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने आदिम जनजातीय परिवार शामिल हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उक्त योजना के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) फिलहाल, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 6.52 करोड़ की

स्वीकृत संख्या, जिनमें लगभग 2.44 अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं, के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आबंटन किया जाता है। इन परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर आबंटन किया जाता है।

2.50 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सीमा के अंदर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आदिम आदिवासी परिवार अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के रूप में पहचाने जाने के लिए पात्र हैं। चूंकि अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की वास्तविक पहचान करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होती है इसलिए स्कीम के अधीन कवर किए गए आदिम आदिवासी परिवारों की संख्या के ब्यौरे इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल, अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अधीन आबंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन

429. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मानवाधिकार के उल्लंघन की कई घटनाओं की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कुल कितने मामले दर्ज किए गए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) राज्य पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं तथा उक्त अवधि के दौरान राज्यवार तथा बलवार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) वीडियो ग्राफी करने सहित हिरासत में पूछताछ में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार और बलवार कुल कितने ऐसे मामले सुलझाए गए/नहीं सुलझे तथा सभी मामलों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2008-09 से 2011-12 (दिनांक 27-07-2011 की स्थिति के अनुसार) की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) द्वारा दर्ज किए गए मामलों की राज्यवार कुल संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस अवधि के दौरान, एन.एच.आर.सी. ने 19 मामलों में चूक करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा 2 अन्य मामलों में लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की सिफारिश की है।

(ग) वर्ष 2008-09 से 2011-12 (दिनांक 27-07-2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान पुलिस, रक्षा बलों और अर्ध सैनिक बलों के विरुद्ध एन.एच.आर.सी. द्वारा दर्ज किए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। आयोग ने एक मामले में लोक सेवक पर अभियोजन चलाने के अतिरिक्त आठ पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

(घ) एन.एच.आर.सी. ने हिरासत में जांच के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सभी राज्य सरकारों को सलाह जारी की है, जिसमें ऐसी घटनाओं के 48 घण्टों के भीतर एन.एच.आर.सी. को पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों की वीडियोग्राफी और सूचना देना शामिल है।

(ङ) अपेक्षित ब्यौरा उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

(च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय है और हिरासत में जांच के मामले में पारदर्शिता लाने हेतु विधान, नियम तथा विनियम इत्यादि बनाने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, एन.एच.आर.सी. ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं जैसा कि उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर में पहले ही बताया गया है।

विवरण-I

राज्य/संघ	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	निपटाए गए	लंबित	कुल	निपटाए गए	लंबित	कुल	निपटाए गए	लंबित	कुल	निपटाए गए	लंबित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	958	38	996	929	50	979	1179	93	1272	454	70	524
अरुणाचल प्रदेश	23	6	29	17	3	20	20	9	29	4	5	9
असम	187	23	210	170	42	212	202	122	324	44	50	94
बिहार	3453	37	3490	2832	61	2893	2761	101	2862	659	155	814
गोवा	65	2	67	47	3	50	54	7	.61	21	11	32
गुजरात	2827	65	2892	1189	99	1288	1362	71	1433	367	74	441
हरियाणा	3347	35	3382	2831	90	2921	3129	193	3322	974	269	1243
हिमाचल प्रदेश	172	0	172	132	7	139	150	14	164	46	10	56
जम्मू और कश्मीर	195	7	202	178	11	189	189	35	224	51	15	66
कर्नाटक	725	13	738	513	18	531	601	34	635	166	42	208
केरल	316	10	326	280	15	295	621	38	659	109	31	140
मध्य प्रदेश	2285	32	2317	2161	67	2228	2254	67	23.21	713	108	821
महाराष्ट्र	4232	89	4321	2532	77	2609	2181	116	2297	524	124	648
मणिपुर	24	24	48	33	30	63	36	30	66	16	24	40
मेघालय	23	0	23	33	11	44	17	16	33	10	5	15
मिजोरम	23	0	23	11	2	13	12	11	23	4	4	8
नागालैंड	12	0	12	8	1	9	15	4	19	2	1	3
ओडिशा	788	12	800	677	449	1126	1730	187	1911	554	163	717
पंजाब	989	10	999	959	27	986	1068	43	1111	326	51	377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान	2515	20	2535	2216	33	2249	2626	98	2724	759	115	874
सिक्किम	13	1	14	8	0	8	4	1	5	5	0	5
तमिलनाडु	2578	39	2617	1417	49	1466	1371	83	1454	481	81	562
त्रिपुरा	40	4	44	35	2	37	38	12	50	8	10	18
उत्तर प्रदेश	53264	228	53492	50548	722	51270	48778	1062	49840	15036	3443	18479
पश्चिम बंगाल	1149	19	1168	884	43	927	1163	93	1256	297	74	371
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	0	22	18	1	19	19	1	20	5	3	8
चंडीगढ़	107	2	109	93	1	94	124	8	132	40	18	58
दादरा और नगर हवेली	9	0	9	5	0	5	24	1	2S	6	0	6
दमन और द्वीप	9	0	9	13	0	13	8	0	8	6	0	6
दिल्ली	5406	27	5433	5174	54	5228	5697	232	5929	1991	534	2525
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	7	1	8	1	0	1
पुडुचेरी	78	0	78	47	5	52	49	0	49	10	3	13
छत्तीसगढ़	572	5	577	434	21	455	422	59	481	147	57	204
झारखंड	1522	30	1552	1264	42	1306	1496	100	1596	435	108	543
उत्तराखंड	1785	21	1806	1838	32	1870	1928	82	2010	469	195	664
कुल	89713	799	90512	79526	2068	81594	81335	3024	84359	24740	5853	30593

विवरण-II

दिनांक 1-04-2008 से 25-07-2011 तक के आंकड़े

राज्य/संघ	पुलिस			रक्षा बल			अर्ध-सैनिक बल		
	निपटाए गए	लंबित	कुल	निपटाए गए	लंबित	कुल	निपटाए गए	लंबित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	738	99	837	8	1	9	7	0	7
अरुणाचल प्रदेश	16	9	25	1	0	1	2	4	6
असम	131	152	283	26	22	48	17	6	23
बिहार	3386	116	3502	6	0	6	9	6	15
गोवा	60	7	67	2	0	2	0	0	0
गुजरात	1342	73	1415	7	0	7	6	0	6
हरियाणा	4004	216	4220	8	0	8	6	0	6
हिमाचल प्रदेश	120	5	125	2	1	3	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	141	20	161	31	17	48	27	11	38
कर्नाटक	502	37	539	1	0	I	3	0	3
केरल	221	31	252	1	0	1	2	0	2
मध्य प्रदेश	2126	89	2215	11	0	11	12	1	13
महाराष्ट्र	2087	178	2265	16	2	18	5	0	5
मणिपुर	37	73	110	8	9	17	IS	14	29
मेघालय	22	19	41	2	1	3	5	4	9
मिजोरम	3	7	10	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	2	3	5	1	0	1	1	2	3
ओडिशा	674	97	771	5	0	5	18	5	23
पंजाब	1095	33	1128	8	0	8	5	0	5
राजस्थान	2773	82	2855	10	0	10	8	0	8
सिक्किम	9	0	9	1	0	1	0	0	0
तमिलनाडु	1668	128	1796	3	3	6	7	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त्रिपुरा	23	9	32	0	0	0	5	7	12
उत्तर प्रदेश	66910	2281	69191	68	2	70	32	5	37
पश्चिम बंगाल	686	59	745	10	5	15	80	73	153
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	1	16	3	0	3	0	0	0
चंडीगढ़	132	8	140	1	0	1	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	9	0	9	0	0	0	0	0	0
दमन और द्वीप	17	0	17	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	5978	433	6411	17	0	17	21	1	22
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	57	3	60	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	376	59	435	4	0	4	19	8	27
झारखंड	1424	120	1544	4	0	4	13	3	16
उत्तराखंड	1848	143	1991	4	0	4	4	0	4
कुल	98632	4590	103222	269	63	332	329	151	480

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों को धनराशि

430. श्री हर्षवर्धन: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दशक में पूर्वोत्तर राज्यों हेतु राज्य-वार और वर्ष-वार क्या बजटीय प्रावधान किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, हां।

(ख) पिछले दशक के दौरान योजना आयोग द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अनुमोदित परिव्यय का ब्यौरा (राज्य-वार और वर्ष-वार) संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले दशक के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) उपलब्ध तुलनात्मक प्राक्कलनों के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की अनुमानित राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए वार्षिक योजनागत आबंटन

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	अनुनोदित परिव्यय-2002-2003	अनुमोदित परिव्यय-2003-2004	अनुमोदित परिव्यय-2004-2005	अनुमोदित परिव्यय-2005-2006	अनुमोदित परिव्यय-2006-2007	कुल 10वीं योजना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	676.00	708.00	760.35	950.00	1056.00	4.150.35
2.	असम	1750.00	1780.00	2175.00	3,000.00	3798.00	12.503.00
3.	मणिपुर	550.00	590.00	787.72	985.37	1160.00	4.073.09
4.	मेघालय	545.00	555.00	716.34	800.00	900.00	3.516.34
5.	मिजोरम	430.00	480.00	616.52	685.00	758.00	2.969.52
6.	नागालैंड	424.00	500.00	538.79	620.00	760.00	2,842.79
7.	सिक्किम	350.00	405.00	491.07	500.00	550.00	2.296.07
8.	त्रिपुरा	625.00	650.00	700.27	804.00	950.00	3,729.27
	कुल (राज्य)	5.350.00	5.667.99	6.786.06	8.344.37	9.932.00	36,080.42

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित परिव्यय-2007-2008	अनुमोदित परिव्यय-2008-2009	अनुमोदित परिव्यय-2009-2010	अनुमोदित परिव्यय-2010-2011	अनुमोदित परिव्यय-2011-2012	कुल 11वीं योजना
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	1320.00	2065.00	2.100.00	2.500.00	3.200.00	11.185.00
2.	असम	3800.00	5011.51	6,000.00	7.645.00	9.000.00	31,456.51
3.	मणिपुर	1374.31	1660.00	2.000.00	2.600.00	3,210.00	10.844.31
4.	मेघालय	1120.00	1500.00	2.100.00	2.230.00	2.727.00	9.677.00
5.	मिजोरम	850.00	1000.00	1,250.00	1.500.00	1,700.00	6,300.00
6.	नागालैंड	900.00	1200.00	1.526.27	1.500.00	1,810.00	6.936.27

1	2	9	10	11	12	13	14
7.	सिक्किम	691.14	852.00	1.045.00	1,175.00	1,400.00	5.163.14
8.	त्रिपुरा	1220.00	1450.00	1,680.00	1.860.00	1,950.00	8.160.00
	कुल (राज्य)	11275.45	14738.51	17.701.27	21,010.00	24.997.00	89.722.23

स्रोत: योजना आयोग

विवरण-II

विवरण: प्रति व्यक्ति आय

(रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	अरुणाचल प्रदेश	27271	27651	28667	31780	33624	39679
2.	असम	16782	17050	17579	18089	19063	20279
3.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	मेघालय	23793	25182	26787	27154	27956	29656
5.	मिजोरम	24662	25826	26308	28467	31706	35323
6.	नागालैंड	20234	20659	20821	20971	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7.	सिक्किम	26693	29011	30296	31725	33424	36075
8.	त्रिपुरा	24394	25688	27558	29022	31156	33503
समस्त भारत प्रति व्यक्ति		24143	26025	28083	30354	31801	33731

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और समस्त भारत के लिए-केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

विवरण-III

यू.आर.पी. उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	2004-05
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.73	2.03

1	2	3	4
2.	असम	96.36	55.77
3.	मणिपुर	6.80	3.95
4.	मेघालय	7.38	4.52
5.	मिजोरम	1.94	1.18
6.	नागालैंड	5.05	3.99
7.	सिक्किम	1.84	1.14
8.	त्रिपुरा	11.79	6.38
	समस्त भारत	3203.68	3017.20

टिप्पणी: यू.आर.पी. उपभोग, एकसमान रिकॉल अवधि उपभोग है जिसमें 30 दिन की रिकॉल अवधि से सभी मदों के लिए व्यय के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सुरक्षाबल की तैनाती

431. **श्री आर. थामराईसेलवन:**
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सल प्रभावित राज्यों में अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती के अनुरूप स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत चार वर्षों के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गोलियों से घायल होकर बचने वाले कर्मियों की दर लगभग 25 प्रतिशत बनी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) नक्सल प्रभावित राज्यों में अतिरिक्त बलों की तैनाती के अनुरूप चिकित्सा अवसंरचना में सुधार हुआ है। नक्सल प्रभावित राज्यों में बलों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं में सुधारों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

(ग) इस आंकड़े की प्रार्वट निरस्त करने अथवा नकारने से संबंधित कोई ब्यौरा नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नक्सल प्रभावित राज्यों में बलों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं में सुधारों के ब्यौरे

(i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिक, चाहे वे किसी भी बल के हों, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), नागपुर, पुणे, (महाराष्ट्र), हजारीबाग, सिन्दरी (झारखण्ड), कोलकाता, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), मुजफ्फरपुर, बरौनी (बिहार), टेकनपुर, भोपाल (मध्य प्रदेश) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में स्थित कम्पोजिट अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) चिकित्सा अधिकारियों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने संविदा के आधार पर चिकित्सा अधिकारियों को काम पर लगाने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

(iii) आपातकाल के मामले में निःशुल्क उपचार के लिए विभिन्न टरटियरी केयर अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(iv) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में यूनिट एम्बुलेंसों को जीवनरक्षक दवाइयों, उपकरणों के साथ सज्जित किया गया है और रोगियों के परिवहन के लिए एयरकंडीशनर भी लगाये गये हैं।

(v) आपातकाल के मामले में हताहतों की निकासी के लिए एक योजना बनाई गई है और प्रत्येक यूनिट में रखी गयी है।

बीज और बागवानी क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

432. श्री एम.बी. राजेशः
डॉ. रामचन्द्र डोमः
श्री बसुदेव आचार्यः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम.एन.सी.) को रियायतों के संबंध में एक हाल ही की अधिसूचना पर ध्यान दिया है जिसमें बिना किसी प्रतिबंध के बीज बागवानी तथा पौधरोपण सामग्रियों में शतप्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) को अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि यह भारतीय बीज उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है और किसान बीज की आपूर्ति के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में नीचे दी गई शर्तों के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए समेकित एफ.डी.आई. नीति 2011 के परिपत्र सं. 1 द्वारा स्वतः मार्ग के अंतर्गत 100% तक विदेशी सीधे निवेश अनुमत किया।

(i) विनियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत पुष्पकृषि, बागवानी और सब्जियों एवं मसरूम की खेती।

(ii) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन।

(iii) विनियंत्रित अवस्थाओं में पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन सहित), मत्स्य पालन, जलचर पालन और

(iv) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं।

(ग) से (ङ) बीज विकास में 100% एफ.डी.आई. भारतीय बीज उद्योग को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि यह क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी एवं जीवंत बनाते हुए बीज क्षेत्र में और अधिक निवेश को आकर्षित करेगा जिससे समुचित मूल्यों पर गुणवत्ता बीजों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा होगी।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन

433. श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ाः
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
श्री इज्यराज सिंहः
श्री अब्दुल रहमानः
श्री दत्ता मेघेः
श्री पन्ना लाल पुनियाः
श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कृषि उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों, अनाज की फसलों और तिलहनों की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र और उत्पादन का राज्य-वार, फसल-वार और मौसम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकसित और एशियाई देशों की तुलना में फसलों का उत्पादन पिछड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, नहीं महोदया। 19 जुलाई, 2011 को जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2010-11 के दौरान देश में मुख्य फसलों का अनुमानित उत्पादन 2009-10 के दौरान उनके उत्पादन की तुलना में अधिक है। विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान खाद्यान्नों, अनाज फसलों एवं तिलहनों के क्षेत्र-व्याप्ति तथा उत्पादन के राज्य-वार, फसल-वार तथा मौसम-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 2009 के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) की अद्यतन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अन्य मुख्य विकसित एवं विश्व के एशियाई देशों के साथ-साथ भारत में महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता की तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

देश में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से, कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से अनेकों फसल विकास योजनाएं तथा कार्यक्रम, नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम ऑयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), मेक्रो कृषि प्रबंधन के तहत चावल/गेहूं/मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) आदि क्रियान्वित की जा रही है। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन तथा तिलहन गांवों के एकीकृत विकास के लिए दो नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी है। दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के तलहन घटक को मिलाकर तथा दो नए संभावित राज्यों नामतः असम तथा झारखंड को शामिल करने के साथ 1-4-2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों में से प्रत्येक को 1000 हैक्टेयर के 1000 यूनिटों को शामिल करने के लिए ब्लाक प्रदर्शनों के रूप में "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (एउपी)" नामक एक नए कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी है। इसके अलावा, देश में उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, विस्तार, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन तथा बागवानी फसलों के विपणन के लिए "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

विवरण-I

2007-08 से 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहनों के क्षेत्र एवं उत्पादन के राज्यवार अनुबंध

वर्ष 2007-08 - क्षेत्रफल ('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	2578.0	1406.0	3984.0	9.0	826.0	455.0	1281.0	863.0	1250.0	2113.0
अरुणाचल प्रदेश	124.0		124.0	3.6	61.1	3.9	65.0	3.7	4.0	7.7
असम	2001.0	323.0	2324.0	56.0	25.0	0.0	25.0	6.0	107.0	113.0
बिहार	3462.2	110.4	3572.6	2162.5	295.1	390.8	685.9	84.0	523.6	607.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
छत्तीसगढ़	3752.4		3752.4	93.3	319.4	3.3	322.7	223.0	692.6	915.6
गोवा	34.3	17.9	52.2		0.3	0.0	0.3	0.5	10.9	11.4
गुजरात	726.0	33.0	759.0	1274.0	1520.0	47.0	1567.0	656.0	225.0	881.0
हरियाणा	1075.0		1075,0	2462.0	730.0	40.0	770.0	56.0	113.0	169.0
हिमाचल प्रदेश	78.6		78.6	366.6	309.8	23.5	333.3	21.9	12.0	33.9
जम्मू और कश्मीर	263.2		263.2	278.3	332.4	14.4	346.8	27.5	2.8	30.3
झारखंड	1643.7	10.0	1653.7	86.3	266.7	19.7	286.4	271.0	133.0	410.0
कर्नाटक	1051.0	365.0	1416.0	276.0	2619.0	1177.0	3796.0	1598.0	785.0	2383.0
केरल	183.4	45.4	228.8		4.4	0,0	4.4	3.0	6.8	9..8
मध्य प्रदेश	1558.9		1558.9	3742.3	1910.1	51.4	1961.5	896.9	3129.3	4026.2
महाराष्ट्र	1535.0	39.0	1574.0	1253.0	.3345.0	2979.0	6324.0	2577.0	1479.0	4056.0
मणिपुर	166.1		166.1		3.0	0.0	3.0	9.4	5.1	14.5
मेघालय	94.8	11.6	106.4	0.6	19.7	0.0	19.7	1.3	2.7	4.0
मिजोरम	54.4	0.2	54.6		7.2	0.2	7.4	4,1	1.0	5,1
नागालैंड	172.5		172.5	1.5	93.0	0.0	93.0	20.0	15.0	35.0
ओडिशा	4118.1	333.7	4451.8	5.6	169.7	2.9	172.6	542.8	316.2	859.0
पंजाब	2610.0		2610.0	3488.0	160.1	16.0	176.1	21.2	7.4	28.6
राजस्थान	127.8		127.8	2591.8	6768.1	249.8	7017.9	2604.4	1265.5	3869.9
सिक्किम	14.0		14,0	4.5	49.3	0.7	50.0	6.1	6.4	12.5
तमिलनाडु	1636.5	152.7	1789.2		557.6	140.9	698.5	148.6	461.2	609.8
त्रिपुरा	173.3	63.9	237.2	1.0	2.1	0.0	2.1	3.8	3.0	6.8
उत्तर प्रदेश	5690.0	19.0	5709.0	9115.0	1922.7	181.3	2104.0	741.0	1415.0	2156.0
उत्तराखंड	276,0	13.0	289.0	397.0	233.0	24.0	257.0	41.0	22.0	63.0
पश्चिम बंगाल	4208.1	1511.6	5719.7	352.6	52.7	44.7	97:4	48.1	138.0	186.1
निकोबार द्वीप	7.3		7.3		0.2	0,0	0,2	0.1	2.1	2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दादरा और नगर हवेली	13.6		13.6	0.6	2.2	0.0	2.2	3.1	3.4	6.5
दिल्ली	7.4		7.4	17.5	10.5	0.1	10.6	0.4	0.0	0.4
दमन और द्वीप	2.0		2.0		0.3	0.0	0.3	0,0	1.3	1.3
पुडुचेरी	15.8	4.6	20.4		0.2	0,0	0.2	0.6	4.2	4.8
अखिल भारत	39454.4	4460.0	43914.4	28038.6	22615.9	5865.6	28481.5	11489.5	12143.5	23633.0

वर्ष 2007-08 - क्षेत्रफल (/000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खाद्यान्न			तिलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	4267.0	3120.0	7387.0	2029.0	628.0	2657.0
अरुणाचल प्रदेश	188.8	11.5	200.3	4.8	21.8	26.6
असम	2032.0	486.0	2518.0	23.0	243.0	266.0
बिहार	3841.3	3187.3	7028.6	8.8	132.0	140.8
छत्तीसगढ़	4294.8	789.2	5084.0	249.1	112.7	361.8
गोवा	35.1	28.8	63.9	0.5	3.2	3.7
गुजरात	2902.0	1579.0	4481.0	2438.0	482.0	2920.0
हरियाणा	1861.0	2615.0	4476.0	6.3	523.0	529.3
हिमाचल प्रदेश	410.3	402.1	812.4	4.3	10.4	14.7
जम्मू और कश्मीर	623.1	295.5	918.6	6.2	56.8	63.0
झारखंड	2187.4	249.0	2436.4	31.0	93.4	124.4
कर्नाटक	5268.0	2603.0	7871.0	1499.0	777.0	2276.0
केरल	190.8	52.2	243.0	3.4	0.0	3.4
मध्य प्रदेश	4365.9	6923.0	11288.9	5573.7	684.4	6258.1
महाराष्ट्र	7457.0	5750.0	13207.0	3257.0	568.0	3825.0

1	12	13	14	15	16	17
मणिपुर	178.5	5.1	183.6	0.9	1.2	2.1
मेघालय	115.8	14.9	130.7	2.7	7.3	10,0
मिजोरम	65.7	1.4	67.1	3.4	0.1	3.5
नागालैंड	285.5	16.5	302.0	36.8	39.2	76.0
ओडिशा	4830.6	658.4	5489.0	210.1	113.1	323.2
पंजाब	2791.3	3511.4	6302.7	11.3	48.1	59.4
राजस्थान	9500.3	4107.1	13607.4	1498.5	2496.9	3995.4
सिक्किम	69.4	11.6	81.0	3.6	5.0	8.6
तमिलनाडु	2342.7	754.8	3097.5	459.6	199.7	659.3
त्रिपुरा	179.2	67.9	247.1	2.2	1.8	4.0
उत्तर प्रदेश	8353.7	10730.3	19084.0	357.3	982.8	1340.1
उत्तराखंड	550.0	456.0	1006.0	16.0	14.0	30.0
पश्चिम बंगाल	4308.9	2046.9	6355.8	211.8	495.3	707.1
निकोबार द्वीप	7.6	2.1	9.7	0.0	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	18.9	4.0	22.9	0.1	0.0	0.1
दिल्ली	18.3	17.6	35.9	0.0	31	3,1
दमन और द्वीप	2.3	1.3	3.6	.0.0	0.0	0.0
पुडुचेरी	16.6	8.8	25.4	0.9	0.0	0.9
अखिल भारत	73559.8	50507.7	124067.5	17949.3	8743.3	26692.6

2007-08 से 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहनों के क्षेत्र एवं उत्पादन के राज्यवार अनुबंध

वर्ष 2007-08 - उत्पादन ('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	8191.0	5133.0	13324.0	8.0	2530.0	1744.0	4274.0	500.0	1197.0	1697.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अरुणाचल	158.1		158.1	5.3	71.3	5.5	76.8	3.6	4.7	8.3
असम	2587.0	732.0	3319.0	71.0	17.0	0.0	17.0	4.0	59.0	63.0
बिहार	4245.8	172.3	4418.1	4450.4	277.8	1220.7	1498.5	73.7	423.4	497.1
छत्तीसगढ़	5428.8		5426.6	98.8	225.9	3.8	229.7	80.4	458.4	536.8
गोवा	78.1	43.5	121.6		0.7	0.0	0.7	0.3	11.0	11.3
गुजरात	1376.0	98.0	1474.0	3838.0	2105.0	46.0	2151.0	525.0	218.0	743.0
हरियाणा	3613.0		3613.0	10236.0	1237.0	120.0	1357.0	43.0	58.8	101.8
हिमाचल प्रदेश	121.5		121.5	504.4	870.8	25.4	896.2	12.1	23.9	36.0
जम्मू और कश्मीर	561.3		581.3	495.9	491.1	8.4	499.5	13.4	2.0	15.4
झारखंड	3326.4	10,0	3338.4	139.9	359.7	26.7	386.4	189.1	112.7	301.8
कर्नाटक	2875.0	1042.0	3717.0	261.0	5308.0	1635.0	8943.0	816.0	449.0	1265.0
केरल	419.2	109.3	528.5		2.8	0.0	2.8	3.0	5.4	8.4
मध्य प्रदेश	1461.9		1461.9	6032.5	2062.8	59.7	2122.5	416.9	2036.7	2453.6
महाराष्ट्र	2913.0	83.0	2996.0	2078.7	4728.0	2365.0	7093.0	1845.0	1179.0	3024.0
मणिपुर	408.2		406.2		8.4	0.0	8.4	4.6	2.6	7.2
मेघालय	151.9	48.1	200.0	1.1	27.4	0.0	27.4	0.9	2.4	3.3
मिजोरम	15.5	0.2	15.7		0.5	0.2	0.7	1.3	1.4	2.7
नागालैंड	290.8		290.6	1.6	139.4	0.0	139.4	23.6	18.0	41.6
ओडिशा	8724.0	816.7	7540.7	8.7	203.9	6.5	210.4	249.6	133.9	383.5
पंजाब	10489.0		10489.0	15720.0	526.1	57.0	583.1	15.4	7.6	23.0
राजस्थान	259.6		259.6	7124.9	6581.4	540.0	7121.4	950.4	602.4	1552.8
सिक्किम	22.9		22.9	4.5	71.9	0.7	72.6	5.9	5.7	11.6
तमिलनाडु	4496.7	543.5	5040.2		936.6	420.5	1357.1	64.6	120.4	185.0
त्रिपुरा	452.2	172.4	624.6	1.9	2.1	0.0	2.1	2.5	2.2	4.7
उत्तर प्रदेश	11732.0	48.0	11780.0	25679.0	2689.0	369.9	3058.9	483.9	1093.0	1576.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तराखंड	550.0	43.0	593.0	814,0	313.0	26.0	339.0	35.0	15.0	50.0
पश्चिम बंगाल	9793.4	4926.1	14719.5	917.3	91.2	174.6	265.8	36.5	111.1	147.6
निकोबार द्वीप	21.9		21.9		0.9	0.0	0.9	0.1	1.2	1.3
दादरा और नगर हवेली	23.7		23.7	1.1	2.7	0.0	2.7	2.8	2.8	5.6
दिल्ली	31.4		31.4	76.2	11.4	0.2	11.6	0.6	0.1	0.7
दमन और द्वीप	3.5		3.5		0,5	0.0	0.5	0.0	1.1	1.1
पुडुचेरी	41.0	12,4	53.4		0.3	0.0	0.3	0.0	0.4	0.4
अखिल भारत	82659.4	14033.5	96692.9	78570.2	31894.6	8855.8	40750.4	6403.2	8358.3	14761.5

वर्ष 2007-08 - क्षेत्रफल ('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खाद्यान्न			तिलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	11221.0	8082.0	19303.0	2443.0	947.0	3390.0
अरुणाचल प्रदेश	233.0	15.5	248.5	5.0	20.6	25.6
असम	2608.0	862.0	3470.0	12.0	127.0	139.0
बिहार	4597.3	6266.8	10864.1	8.3	129.6	137.9
छत्तीसगढ़	5732.9	559.0	6291.9	153.1	39.5	192.6
गोवा	79.1	54.5	133.6	1.0	6.0	7.0
गुजरात	4006.0	4200.0	8206.0	3924.0	801.0	4725.0
हरियाणा	4893.0	10414.8	15307.8	6.8	636.0	642.8
हिमाचल प्रदेश	1004.4	553.7	1558.1	2.5	4.0	6.5
जम्मू और कश्मीर	1065.8	506.3	1572.1	2.6	50.7	53.3
झारखंड	3875.2	289.3	4164.5	18.5	50.3	68.8

1	12	13	14	15	16	17
कर्नाटक	8799.0	3387.0	12186.0	1023.0	526.0	1549.0
केरल	425.0	114.7	539.7	2.4	0.0	2.4
मध्य प्रदेश	3941.6	8128.9	12070.5	5782.1	569.9	6352.0
महाराष्ट्र	9486.0	5705.7	15191.7	4454.0	420.0	4874.0
मणिपुर	419.2	2.6	421.8	0.4	0.5	0.9
मेघालय	180.2	51.6	231.8	1.9	4.8	6.7
मिजोरम	17.3	1.8	19.1	0.7	0.1	0.8
नागालैंड	453.6	19.6	473.2	38.3	29.8	68.1
ओडिशा	7177.5	965.8	8143.3	93.1	103.5	196.6
पंजाब	11030.5	15784.6	26815.1	5.4	71.1	76.5
राजस्थान	7791.4	8287.3	16058.7	1834.7	2362.9	4197.6
सिक्किम	100.7	10.9	111.6	3.2	4.3	7.5
तमिलनाडु	5497.9	1084.4	6582.3	580.6	566.1	1146.7
त्रिपुरा	456.8	176,5	633.3	1.3	1.4	2.7
उत्तर प्रदेश	14904.9	27189.9	42094.8	101.4	1045.4	1146.8
उत्तराखंड	898.0	898,0	1796.0	20.0	9.0	29.0
पश्चिम बंगाल	9921.1	6129.1	16050.2	192.4	512.7	705.1
निकोबार द्वीप	22.9	1.2	24.1	0,0	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	29.2	3.9	33.1	0.1	0.0	0.1
दिल्ली	43.4	76.5	119.9	0.0	2.7	2.7
दमन और द्वीप	4.0	1.1	5.1	0.0	0.0	0.0
पुडुचेरी	41.3	12.8.	54.1	1.6	0.0	1.6
अखिल भारत	120957.2	109817.8	230775.0	20713.4	9041.9	29755.3

2007-08 से 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहनों के क्षेत्र एवं उत्पादन के राज्यवार अनुबंध

वर्ष 2008-09 - क्षेत्रफल ('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	2803.0	1584.0	4387.0	14.0	755.0	515.0	1270.0	733.0	1038.0	1771.0
अरुणाचल प्रदेश	126.8		126.8	3.3	58.7	6.5	65.2	3.9	4.6	8.5
असम	2123.9	360.3	2484.2	50.1	22.8	0.0	22.8	5.4	108.3	113.7
बिहार	3390.5	105.5	3496.0	2158.3	269.6	410.1	679.7	72.8	512.9	585.7
छत्तीसगढ़	3734.0		3734.0	88.9	277.2	3.4	280.6	221.4	638.4	859.8
गोवा	34.3	15.7	50.0		0.3	0.0	0.3	0.4	9.5	9.9
गुजरात	722.0	25.0	747.0	1091.0	1311.0	130.0	1441.0	597.0	187.0	784.0
हरियाणा	1210.0		1210.0	2462.0	702.3	53.0	755.3	53.9	127.9	181.8
हिमाचल प्रदेश	77.7		77.7	360.0	306.1	22.6	328.7	21.2	9.8	31.0
जम्मू और कश्मीर	257.6		257.6	278.7	349.5	13.5	363.0	27.3	3.3	30.6
झारखंड	1670.3	13.3	1683.6	99.9	236.6	27.1	263.7	237.0	150.6	387.6
कर्नाटक	1130.0	384.0	1514.0	269.0	2315.0	1276.0	3591.0	1190.0	897.0	2087.0
केरल	184.5	49.8	234.3		3.2	0.0	3.2	1.9	5.8	7.7
मध्य प्रदेश	1682.3		1682.3	3785.2	1803.5	82.5	1886.0	902.9	3656.9	4559.6
महाराष्ट्र	1500.0	22.0	1522.0	1022.0	2461.0	3330.0	5791.0	1448.0	1234.0	3082.0
मणिपुर	166.4		168.4		4.3	0.0	4.3	7.6	5.1	12.9
मेघालय	95.3	12.8	108.1	0.4	19.5	0.0	19.5	1.8	2.7	4.5
मिजोरम	51.9	0.1	52.0		9.2	0.4	9.6	2.6	1.4	4.0
नागालैंड	173.1		173.1	1.4	76.4	0.0	76.4	16.0	17.0	33.0
ओडिशा	4123.7	331.0	4454.7	5.3	160.2	2.3	162.5	507.0	297.9	804.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पंजाब	2735.0		2735.0	3526.0	159.1	16.0	175.1	17.9	6.0	23.9
राजस्थान	133.4		133.4	2294.8	6817.1	287.7	7104.8	2384.2	1288.3	3672.5
सिक्किम	14.7		14.7	5.8	45.4	1.1	46.5	6.1	6.5	12.6
तमिलनाडु	1766.9	164.9	1931.8		. 563.9	160.1	724.0	140.3	395.8	536.1
त्रिपुरा	166.5	76.0	242.5	0.6	2.1	0.0	2.1	3.3	2.8	6.1
उत्तर प्रदेश	6012.0	22.0	6034.0	9513.0	1786.2	201.0	1987.2	709.3	1514.0	2223.3
उत्तराखंड	281.0	15.0	296.0	396.0	243.0	28.0	271.0	40.0	24.0	64.0
पश्चिम बंगाल	4379.0	1556.7	5935.7	307.0	53.3	56.8	110.1	52.3	130.3	182.6
निकोबार द्वीप	7.9		7.9		0.2	0.0	0.2	0.0	2.1	2.1
दादरा और नगर हवेली	13.6		13.6	0.6	2.2	0.0	2.2	3.1	3.3	6.4
दिल्ली	7.4		7.4	17.1	10.4	0.1	10.5	0.3	0.0	0.3
दमन और द्वीप	1.8		1.8		1.9	0.0	1.9	0.0	1.3	1.3
पुडुचेरी	15.8	5.0	20.8		0.1	0.0	0.1	0.0	2.5	2.5
अखिल भारत	40794.3	4743.1	45537.4	27752.4	20826.3	6623.2	27449.5	9808.1	12285.0	22093.1

वर्ष 2008-09 - क्षेत्रफल ('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खाद्यान्न			तिलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	4291.0	3151.0	7442.0	1983.0	616.0	2599.0
अरुणाचल प्रदेश	189.4	14.4	203.8	5.8	25.9	31.7
असम	2152.1	518.7	2670.8	20.9	233.8	254.7
बिहार	3732.9	3186.8	6919.7	8.2	129.9	138.1
छत्तीसगढ़	4232.6	730.7	4963.3	280.4	101.1	381.5
गोवा	35.0	25.2	60.2	0.6	3.2	3.8

1	12	13	14	15	16	17
गुजरात	2630.0	1433.0	4063.0	2560.8	424.0	2984.8
हरियाणा	1966.2	2642.9	4609.1	6.3	535.0	541.3
हिमाचल प्रदेश	405.0	392.4	797.4	4.1	9.6	13.7
जम्मू और कश्मीर	634.4	295.5	929.9	5.4	59.9	65.3
झारखंड	2143.9	290.9	2434.8	29.9	100.7	130.6
कर्नाटक	4635.0	2826.0	7461.0	1371.0	807.0	2178.0
केरल	189.6	55.6	245.2	2.3	0.0	2.3
मध्य प्रदेश	4388.7	7524.6	11913.3	5650.9	838.7	6489.6
महाराष्ट्र	5809.0	5608.0	11417.0	3533.0	447.0	3980.0
मणिपुर	180.5	5.1	185.6	0.5	0.4	0.9
मेघालय	116.6	15.9	132.5	3.2	7.3	10.5
मिजोरम	63.7	1.9	65.6	2.7	0.5	3.2
नागालैंड	265.5	18.4	283.9	30.3	32.3	62.6
ओडिशा	4790.9	636.5	5427.4	194.6	103.7	298.3
पंजाब	2912.0	3548.0	6460.0	11.0	48.7	59.7
राजस्थान	9334.7	3870.6	13205.5	1808.7	2840.3	4649.0
सिक्किम	66.2	13.4	79.6	3.9	5.8	9.7
तमिलनाडु	2471.1	720.8	3191.9	408.6	176.8	585.4
त्रिपुरा	171.9	79.4	251.3	1.7	1.8	3.5
उत्तर प्रदेश	8507.5	11250.0	19757.5	375.4	970.8	1346.2
उत्तराखंड	564.0	465.0	1029.0	12.0	14.0	26.0
पश्चिम बंगाल	4484.6	2050.8	6535.4	210.7	493.0	703.7
निकोबार द्वीप	6.1	2.1	10.2	0.0	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	18.9	3.9	22.8	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	18.1	17.2	35.3	0.0	3.9	3.9
दमन और द्वीप	3.7	1.3	5.0	0.0	0.0	0.0

1	12	13	14	15	16	17
पुडुचेरी	15.9	7.5	23.4	0.9	0.0	0.9
अखिल भारत	71428.7	51403.7	122832.4	18526.7	9031.0	27557.8

2007-08 से 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहनों के क्षेत्र एवं उत्पादन के राज्यवार अनुबंध

वर्ष 2008-09 - उत्पादन ('000 टन)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	8380.0	5861.0	14241.0	16.0	1862.0	2854.0	4716.0	340.0	1108.0	1448.0
अरुणाचल प्रदेश	163.9		163.9	5.2	68.6	9.1	77.7	4.0	5.0	9.0
असम	3239.9	768.6	4008.5	54.6	15.4	0.0	15.4	3.8	60.7	64.5
बिहार	5412.1	178.2	5590.3	4410.0	393.2	1358.1	1751.3	69.2	399.9	469.1
छत्तीसगढ़	4391.8		4391.8	92.6	181.3	3.1	184.4	81.3	417.3	498.6
गोवा	80.1	43.2	123.3		0.8	0.0	0.8	0.3.	9.9	10,2
गुजरात	1226.0	77.0	1303.0	2593.0	1797.0	179.0	1976.0	424.0	185.0	609.0
हरियाणा	3298.0		3298.0	10808.2	1144.4	185.0	1329.4	46.1	132.0	178.1
हिमाचल प्रदेश	118.3		118.3	547.3	683.4	28,7	712:1	11.5	12.0	23.5
जम्मू और कश्मीर	583.1		563.1	483.8	652.6	7.8	660.4	11.9	2.3	14.2
झारखंड	3400.2	20.0	3420.2	153.9	288.6	45.3	333.9	137.4	143.3	280.7
कर्नाटक	2725.0	1077.0	3802.0	247.0	4561.0	1693.0	6264.0	510.0	462.0	972.0
केरल	441.9	148.4	590.3		1.7	0.0	1.7	1.6	4.7	6.3.
मध्य प्रदेश	1559.7		1559.7	6521.9	2046.2	103.7	2149.9	477.9	3205.2	3683.1
महाराष्ट्र	2234.0	50.0	2284.0	1516.0	3223.0	2748.6	5971.6	839.0	817.0	1656.0
मणिपुर	397.0		397.0		11.5	0.0	11.5	3.9	2.6	6.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मेघालय	157.3	46.6	203.9	0.7	27.8	0.0	27.8	1.3	2.6	3.9
मिजोरम	45.8	0.2	46.0		8.9	0.4	9.3	1.8	1.8	3.6
नागालैंड	345.1		345.1	2.1.	127.3	0.0	127.3	17.8	21.9	39.7
ओडिशा	6001.5	811.2	6812.7	7.4	185.7	6.0	191.7	244.3	143.0	387.3
पंजाब	11000.0		11000.0	15733.0	520.1	55.0	575.1	15.2	6.5	21.7
राजस्थान	241.1		241.1	7287.0	6446.3	879.4	7325.7	817.4	1009.0	1826.4
सिक्किम	21.7		21.7	7.8	64.9	1.3	66.2	5.9	5,9	11.8
तमिलनाडु	4823.9	558.8	6182.7		1114.0	641.1	1755.1	54.9	109.6	164.5
त्रिपुरा	457.3	169.8	527.1	1.2	2.0	0.0	2.0	2.1	2.3	4.4
उत्तर प्रदेश	13051.0	46.0	13097.0	28554.0	2657.2	423.0	3080.2	494.1	1504.0	1998.1
उत्तराखंड	538.0	46.0	682.0	797.0	325.0	22.0	347.0	30.0	9.0	39.0
पश्चिम बंगाल	0679.2	4358.0	15037.2	764.6	115.6	249.9	365.4	36.4	92.1	128.5
निकोबार द्वीप	22.1		22.1		0.8	0.0	0.6	0.0	1.2	1.2
दादरा और नगर हवेली	23.4		23.4	1.1	2.7	0.0	2.7	2.8	2.7	5.5
दिल्ली	31.4		31.4	74.4	11.5	0.2	11.7	0.6	0.1	0.7
दमन और द्वीप	3.8		3.8		3.8	0.0	3.8	0.0	1.1	1.1
पुडुचेरी	38.5	14.3	50.8		0.2	0,0	0.2	0.0	0.5	0.5
अखिल भारत	84908.1	14274.3	99182.4	80679.4	28544.2	11493.7	40037.9	4686.5	9880.2	14566.7

वर्ष 2008-09 - उत्पादन ('000 टन)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खाद्यान्न			तिलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	10582.0	9839.0	20421.0	1397.2	791.9	2189.1
अरुणाचल प्रदेश	236.5	19.3	255.8	6.7	23.8	30.5

1	12	13	14	15	16	17
असम	3259.1	883.9	4143.0	11.2	126.7	137.9
बिहार	5874.5	6346.2	12220.7	7.7	130.3	138.0
छत्तीसगढ़	4654.4	512.9	5167.3	160.5	33.0	193.5
गोवा	81.2	53.1	134.3	0.9	7.3	8.2
गुजरात	3447.0	3034.0	6481.0	3458.9	557.0	4015.9
हरियाणा	4488.5	11125.2	15613.7	4.8	928.0	932.8
हिमाचल प्रदेश	813.2	588.0	1401.2	2.5	2.5	5.0
जम्मू और कश्मीर	1227.6	493.7	1721.3	2.3	47.3	49.6
झारखंड	3826.2	362.5	4188.7	21.2	52.0	73.2
कर्नाटक	7796.0	3479.0	11275.0	751.0	461.0	1212.0
केरल	445.2	153.1	598.3	1.6	0.0	1.6
मध्य प्रदेश	4083.8	9830.8	13914.6	6192.1	784.8	6976.9
महाराष्ट्र	6296.0	5131.6	11427.6	3100.7	309.0	3409.7
मणिपुर	412.4	2.6	415.0	0.5	0.2	0.7
मेघालय	186.4	49.9	236.3	2.1	4.9	7.1
मिजोरम	56,5	2.4	58.9	2.2	0.3	2.5
नागालैंड	490.2	24.0	514.2	40.5	31.0	71.5
ओडिशा	6431.5	967.6	7399.1	89.7	90.5	180.3
पंजाब	11535.3	15794.5	27329.8	5.3	70.9	76.2
राजस्थान	7504.8	9175.4	16680.2	1672.3	3506.1	5176.4
सिक्किम	92.5	15.0	107.5	3.3	4.1	7.4
तमिलनाडु	5792.8	1309.5	7102.3	594.1	448.9	1043.0
त्रिपुरा	461.4	173.3	634.7	1.1	1.4	2.5
उत्तर प्रदेश	16202.3	30527.0	46729.3	120.4	1044.1	1164.5
उत्तराखंड	891.0	874.0	1765.0	16.0	10.0	26.0
पश्चिम बंगाल	10831.1	5464.5	16295.8	139.2	443.4	582.6

1	12	13	14	15	16	17
निकोबार द्वीप	22.7	1.2	23.9	0.0	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	28.9	3.8	32.7	0.1	0.0	0.1
दिल्ली	43.5	74.7	118.2	0.0	0.6	0.6
दमन और द्वीप	7,6	1.1	8.7	0.0	0.0	0.0
पुडुचेरी	36.7	14.8	51.5	1.8	0.0	1.8
अखिल भारत	118138.7	116327.6	234466.4	17808.0	9911.0	27719.0

2007-08 से 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहनों के क्षेत्र एवं उत्पादन के राज्यवार अनुबंध

वर्ष 2009-10 - क्षेत्रफल ('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	2063.0	1378.0	3441.0	10.0	802.0	481.0	1283.0	780.0	1152.0	1932.0
अरुणाचल प्रदेश	121.5		121.5	3.2	58.9	6.1	58.9	4.2	4.7	8.9
असम	2135.5	360.3	2495.8	58.4	26.1	0.0	28.1	6.2	109.1	115.3
बिहार	3117.9	95.8	3213.7	2193.3	246.1	416.2	662.3	69.0	495.9	564.9
छत्तीसगढ़	3670.7		3670.7	112.2	268.8	3.1	271.9	227.4	581.5	808.9
गोवा	31.2	15.9	47.1		0.3	0.0	0.3	0.4	7.5	7.9
गुजरात	658.0	21.0	679.0	878.0	1266.0	138.0	1404.0	580.0	.153.0	733.0
हरियाणा	1205.0		1205.0	2492.0	669.0	42.0	711.0	42.0	90.0	132.0
हिमाचल प्रदेश	76.7		76.7	352.5	303.3	21.2	324.5	20.6	9.8	30.4.
जम्मू और कश्मीर	259.9		259.9	288.9	342.8	14.2	357.0	27.3	2.4	29.7
झारखंड	981.7	13.3	995.0	99.7	184.0	24.0	208.0	187.0	128.7	315.7
कर्नाटक	1102.0	385.0	1487.0	283.0	2451.0	1255.0	3706.0	1341.0	1138.0	2479.0
केरल	184.7	49.3	234.0		2.9	0.0	2.9	4.5	5.8	10.3
मध्य प्रदेश	1446.7		1445.7	4275.9	1710.0	87.3	1797.3	970.2	3970.3	4940.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र	1450.0	20.0	1470.0	1081.0	2950.0	3235.7	6185.7	1985.0	1391.0	3376.0
मणिपुर	169.4		169.4		4.8	0.0	4.8	9.4	5.1	14.5
मेघालय	95.4	12.8	108.2	0.4	19.6	0.0	19.6	1.3	2.8	4.0
मिजोरम	47.1	0.1	47.2		8.3	0.2	8.5	2.4	1.5	3.9
नागालैंड	168.8		168.6	2.0	78.0	0.0	78.0	15.3	18.2	33.5
ओडिशा	4100.3	264.8	4365.1	4.0	167.5	2.3	169.8	550.4	316.8	867.2
पंजाब	2802.0		2802.0	3522.0	145.0	14.0	159.0	14.4	5.7	20.1
राजस्थान	150.7		150.7	2394.2	7001.9	224.1	7226.0	2581.0	920.0	3501.0
सिक्किम	13.0		13.0	5.2	46.0	1.0	47.0	6.7	8.5	13.2
तमिलनाडु	1688.0	157.5	1845.5		510.9	141.7	652.6	134.4	400.3	534.7
त्रिपुरा	167.8	77.8	245.5	0.7	2.0	0.0	2.0	3.4	3.1	6.4
उत्तर प्रदेश	5173.0	13.7	5188.7	9668.0	1750.6	176.0	1926.6	930.3	1610.4	2540.7
उत्तराखंड	278.0	16.0	294.0	395.0	232.0	24.0	256.0	38.0	26.0	64.0
पश्चिम बंगाल	4200.4	1429.7	5630.1	315.9	51.3	63.1	114.4	47.3	134.6	181.9
निकोबार द्वीप	8.1		8.1		0.2	0.0	0.2	0.3	2.6	2.9
दादरा और नगर हवेली	12.5		12.5	0.7	2.0	0.0	2.0	2.5	3.4	5.9
दिल्ली	6.8		6.8	21.3	3.3	0.0	3.3	0.4	0.0	0.4
दमन और. द्वीप	2.0		2.0.		0.3	0.0	0.3	0.0	1.3	1.3
पुडुचेरी	15.8	5.1	20.9		0.1	0.0	0.1	0.0	2.0	2.0
अखिल भारत	37602.3	4316.0	41918.3	28457.4	21305.1	8370.2	27675.3	10582.4	12700.0	23282.3

वर्ष 2008-09 - क्षेत्रफल ('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खाद्यान्न			तिलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	3645.0	3021.0	6666.0	1505.0	567.0	2072.0

1	12	13	14	15	16	17
अरुणाचल प्रदेश	184.6	14.0	198.6	4.6	25.9	30.5
असम	2167.8	527.8	2695.8	22.7	252.6	275.3
बिहार	3433.0	3201.2	6634.2	7.0	131.8	138.8
छत्तीसगढ़	4166.9	696.8	4863.7	229.6	100.5	330.1
गोवा	31.9	23.4	55.3	0.6	2.3	2.9
गुजरात	2504.0	1190.0	3694.0	2498.0	295.0	2793.0
हरियाणा	1916.0	2624.0	4540.0	5.4	528.0	533.4
हिमाचल प्रदेश	400.6	383.5	784.1	3.7	10.3	14.0
जम्मू और कश्मीर	630.0	305.6	935.6	4.6	60.5	65.1
झारखंड	1352.7	265.7	1618.3	23.9	117.6	141.5
कर्नाटक	4894.0	3061.0	7955.0	1302.0	699.0	2001.0
केरल	192.2	55.1	247.3	1.9	0.0	1.9
मध्य प्रदेश	4125.9	8333.5	12459.4	5855.8	909.3	6765.1
महाराष्ट्र	6385.0	5727.7	12112.7	3446.0	438.0	3884.0
मणिपुर	183.6	5.1	188.7	0.5	0.4	09
मेघालय	116.2	15.9	132.2	2.7	7.2	9.9
मिजोरम	57.8	1.8	59.6	2.4	0.4	2.8
नागालैंड	261.9	20.2	282.1	28.1	73.2	101.3
ओडिशा	4818.2	587.9	5406.1	193.2	99.0	292.2
पंजाब	2961.4	3541.7	6503.1	9.8	51.8	61.6
राजस्थान	9733.6	3538.3	13271.9	1819.9	2313.2	4133.1
सिक्किम	65.7	12.7	78.4	4.0	5.8	9.8
तमिलनाडु	2333.3	699.5	3032.8	358.6	136.4	495.0
त्रिपुरा	173.2	81.5	254.7	1.8	1.7	3.5
उत्तर प्रदेश	7853.9	11468.1	19322.0	430.0	654.0	1084.0
उत्तराखंड	548.0	461.0	1009.0	14.0	15.0	29.0

1	12	13	14	15	16	17
पश्चिम बंगाल	4299.0	1943.3	6242.3	192.3	490.3	682.6
निकोबार द्वीप	8.6	2.6	11.2	0.0	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	17.1	4.0	21.2	0.2	0.0	02
दिल्ली	10.5	21.3	31.8	0.0	3.9	3.9
दमन और द्वीप	2.3	1.3	3.6	0.0	0.0	0.0
पुडुचेरी	15.9	7.1	23.0	0.6	0.0	0.6
अखिल भारत	69489.8	51843.6	121333.4	17970.9	7988.1	25958.9

2007-08 से 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहनों के क्षेत्र एवं उत्पादन के राज्यवार अनुबंध

वर्ष 2009-10 - उत्पादन ('000 टन)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	5856.0	4882.0	10538.0	10.0	1300.0	2018.0	3318.0	253.0	1176.0	1429.0
अरुणाचल प्रदेश	215.8		215.8	4.8	69.5	9.1	69.5.	4.2	5.5	9.7
असम	3548.8	787.2	4335.8	63.5	17.2	0.0	17.2	4.4	60.2	64.6
बिहार	3432.9	166.4	3599.3	4570.8	418.9	1089.2	1508.1	77.6	394.8	472.4
छत्तीसगढ़	4110.4		4110.4	121.9	179.4	2.4	181.8	76.8	411.9	488.7
गोवा	59.3	41.3	100.6		0.8	0.0	0.8	0.3	8.2	8.5
गुजरात	1228.0	84.0	1292.0	2352.0	1410.0	190.0	1600.0	377.0	140.0	517.0
हरियाणा	3625.0		3625.0	10500.0	995.0	137.0	1132.0	33.0	67.0	100.0
हिमाचल प्रदेश	105.9		105.9	327.1	547.3	16.2	563.5	7.7	13.0	20.7
जम्मू और कश्मीर	497.4		497.4	289.9	505.5	7.9	513.3	11.8	1.8	13.6
झारखंड	1518.4	20.0	1538.4	173.2	180.9	36.0	216.9	118.8	104.9	223.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कर्नाटक	2584.0	1107.0	3691.0	251.0	4414.0	1481.0	5895.0	472.0	646.0	1118.0
केरल	484.3	134.0	598.3		2.2	0.0	2.2	5.6	4.7	10.3
मध्य प्रदेश	1260.6		1260.6	8410.0	1928.0	113.2	2041.2	533.9	3770.7	4304.6
महाराष्ट्र	2138.0	45.0	2183.0	1740.0	3581.0	2712,3	6293.3	1210.0	1160.0	2370.0
मणिपुर	319.9		319.9		11.7	0.0	11.7	4.6	2.6	7.2
मेघालय	159.8	47.1	206.7	0,7	28.2	0.0	28.2	0.9	2.6	3.5
मिजोरम	44.2	0.2	44.4		11.1	0.4	11.5	3.3	3.2	6.5
नागालैंड	240.3		240.3	2.4	76.8	0.0	76.8	14.0	20.7	34.7
ओडिशा	6199.0	718.5	6917.5	5.8	225.3	5.1	230.4	241.3	150.1	399.4
पंजाब	11236.0		11236.0	15169.0	480.1	47.0	527.1	12.1	5.9	18.0
राजस्थान	228.3		228.3	7500.9	3286.4	620.8	3907.2	144.7	569.0	713,7
सिक्किम	24.3		24.3	5.9	73.0	1.2	74.2	7.0	5.9	12.9
तमिलनाडु	5054.4	610.8	5665.2		1123.3	518.7	1842.0	55.6	148.6	204.2
त्रिपुरा	452.7	187.4	640.0	1.3	2.0	0.0	2.0	2.3	2.3	4,5
उत्तर प्रदेश	10776.0	31.1	10807.1	27518.0	2592.8	376.0	2968.8	458.1	1443.3	1901.4
उत्तराखंड	563.0	45.0	608.0	845.0	271.0	26.0	297.0	30.0	16.0	46.0
पश्चिम बंगाल	10064.8	4275.9	14340.7	846.7	95.7	306.3	404.0	33.4	116.8	150.3
निकोबार द्वीप	24.9		24.9		0.4	0.0	0.4	0.2	1.6	1.8
दादरा और नगर हवेली	13.5		13.5	1.0	1.9	0.0	1.9	2.0	2.9	4.9
दिल्ली	29.0		29.0	92.7	3.2	0.1	3.3	0.7	0.1	0.8
दमन और द्वीप	3.3		3.3		0.5	0.0	0.5	0.0	1.1	1.1
पुडुचेरी	38.9	13.5	52.4		0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.3
अखिल भारत	75916.7	13176.4	89093.0	80803.6	23833.3	9715.9	33549.2	4204.3	10457.7	14661.9

वर्ष 2009-10 - उत्पादन ('000 टन)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खाद्यान्न			तिलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	7209.0	8086.0	15295.0	640.0	860.0	1500.0
अरुणाचल प्रदेश	289.5	19.4	308.9	4.5	23.8	28.3
असम	3570.2	910.9	4481.1	12.1	132.6	144.7
बिहार	3929.4	8221.2	10150.6	7.9	136.7	144.6
छत्तीसगढ़	4366.6	536.2	4902.8	163.1	37.3	200.4
गोवा	60.4	49.5	109.9	1.2	6.9	8.1
गुजरात	3015.0	2746.0	5761.0	2620.0	477.0	3097.0
हरियाणा	4653.0	10704.0	15357.0	3.5	874.0	877.5
हिमाचल प्रदेश	660.9	356.3	1017.2	0.9	2.9	3.8
जम्मू और कश्मीर	1014.6	299.5	1314.2	2.0	47.6	49.7
झारखंड	1818.1	334.1	2152.2	14.6	65.0	79.6
कर्नाटक	7470.0	3485.0	10955.0	610.0	395.0	1005.0
केरल	472.1	138.7	610.8	1.2	0.0	12
मध्य प्रदेश	3722.5	12293.9	16016.4	6735.6	900.6	7636.2
महाराष्ट्र	6929.0	5657.3	12586.3	2516.0	298.0	2814.0
मणिपुर	336.3	2.8	338.9	0.5	0.2	0.7
मेघालय	188.7	50.4	239.1	2.1	4.9	70
मिजोरम	58.6	3.8	62.4	2.7	0.3	3.0
नागालैंड	331.1	23.1	354.2	27.2	57.4	84.6
ओडिशा	6673.6	879.5	7553.1	85.6	86.5	172.1
पंजाब	11728.2	15221.9	26950.1	5.7	77.7	83.4
राजस्थान	3659.4	8690.7	12350.1	1452.5	2954.7	4407.2
सिक्किम	104.3	13.0	117.3	4.1	5.3	9.4

1	12	13	14	15	16	17
तमिलनाडु	6233.3	1278.1	7511.4	531.3	408.3	939.6
त्रिपुरा	456.9	191.0	647.9	1.1	1.4	2.5
उत्तर प्रदेश	13826.9	29368.4	43195.3	103.0	713.0	816.0
उत्तराखंड	864.0	932.0	1796.0	21.0	12.0	33.0
पश्चिम बंगाल	10193.8	5547.7	15741.8	157.8	569.2	727.1
निकोबार द्वीप	25.5	1.6	27.1	0.0	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	17.5	3.9	21.3	0.1	0.0	0.1
दिल्ली	32.9	92.9	125.8	0.0	4.9	4.9
दमन और द्वीप	3.8	1.1	4.9	0.0	0.0	0.0
पुडुचेरी	39.1	13.8	52.9	1.1	0.0	1.1
अखिल भारत	103954.2	114153.5	218107.7	15728.5	9153.2	24881.7

2007-08 से 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहनों के क्षेत्र एवं उत्पादन के राज्यवार अनुबंध

वर्ष 2010-11 (चौथा अग्रिम अनुमान) - क्षेत्रफल ('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	2922.0	1829.0	4751.0	10.0	692.0	444.0	1136.0	996.0	1134.0	2130.0
असम	1899.0	414.0	2313.0	55.0	25.0	0.0	25.0	6.0	110.0	116.0
बिहार	2935.5	110.2	3045.7	2240.9	272.7	353.5	626.1	85.1	520.2	605.3
छत्तीसगढ़	3702.5		3702.5	110.6	149.6	3.0	152.6	214.0	641.5	855.5
गुजरात	728.0	33.0	761.0	1289.0	1215.0	138.0	1353.0	600.0	252.0	852.0
हरियाणा	1245.0		1245.0	2515.0	743.0	37.0	780.0	60.0	117.0	177.0
हिमाचल प्रदेश	77.1		77.1	357.0	304.4	22.3	326.7	20.2	9.7	29.9
जम्मू और कश्मीर	261.4		261.4	288.9	335.2	14.2	349.4	42.8	2.4	45.2
झारखंड	717.4	13.3	730.7	101.1	217.3	9.0	226.3	271.7	135.3	407.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कर्नाटक	1130.0	360.0	1490.0	254.0	2477.0	1159.0	3636.0	1639.0	1060.0	2699.0
केरल	162.1	51.1	213.2		0.9	0.0	0.9	2.5	1.3	3.8
मध्य प्रदेश	1602.9		1602.9	4341.0	1676.0	80.2	1756.2	1190.3	3987.7	5178.0
महाराष्ट्र	1487.0	32.0	1519.0	1325.0	2973.0	2783.0	5756.0	2514,0	1556.0	4070.0
ओडिशा	3932.7	298.3	4231.1	3.2	206.9	4.5	211.4	513.1	339.1	652.2
पंजाब	2831.0		2831.0	3512.0	136.0	13.0	149.0	14.8	5.6	20.4
राजस्थान	131.1		131.1	2479.2	7374.8	328.0	7702.8	2916.2	1793.9	4710.0
तमिलनाडु	1824.6	170.3		1994.9	543.3	250.8	794.1	225.7	501.7	727.4
उत्तर प्रदेश	5657.0	13.7	5670.7	9637.0	1892.0	167.0	2059.0	968.0	1459.0	2427.0
उत्तराखंड	274.0	16.0	290.0	379.0	232.0	24.0	256.0	39.0	24.0	63.0
पश्चिम बंगाल	3579.3	1150.0	4729.3	316.8	47.6	62.0	109.6	50.2	142.0	192.2
अन्य	859.2	111.6	970.8	33.4	223.8	7.3	231.1	52.5	65.2	117.7
अखिल भारत	37958.7	4602.5	42561.2	29248.3	21737.6	5899.8	27637.4	12420.9	13857.6	26278.5

वर्ष 2010-11 (चौथा अग्रिम अनुमान) - क्षेत्रफल ('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खाद्यान्न			तिलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	4610.0	3417.0	8027.0	1837.0	479.0	2316.0
असम	1930.0	579.0	2509.0	21.0	272.0	293.0
बिहार	32933	3224.7	6518.1	9.1	135.7	144.8
छत्तीसगढ़	4066.1	755.3	4821.4	225.5	91.1	316.6
गुजरात	2543.0	1712.0	4255.0	2521.0	332.0	2853.0
हरियाणा	2048.0	2669.0	4717.0	5.5	514.0	519.5
हिमाचल प्रदेश	401.7	369.0	790.7	3.8	10.1	13.9
जम्मू और कश्मीर	639.3	305.5	944.8	4.8	60.5	65.3

1	12	13	14	15	16	17
झारखंड	1206.4	258.7	1465.1	56.6	124.6	181.4
कर्नाटक	5246.0	2633.0	8079.0	1150.0	510.0	1660.0
केरल	165.4	52.4	217.9	2.0	0.0	2.0
मध्य प्रदेश	4469.2	8408.9	12876.1	6159.6	870.1	7029.9
महाराष्ट्र	6974.0	5696.0	12670.0	3134.0	393.0	3527.0
ओडिशा	4652.7	645.1	5297.8	195.3	97.8	293.1
पंजाब	2961.8	3530.6	6512.4	7.9	46.0	53.9
राजस्थान	10422.1	4601.1	15023.2	1808.1	3246.7	5054.9
तमिलनाडु	2593.5	922.8	3516.3	356.7	180.1	536.8
उत्तर प्रदेश	6517.0	11276.7	19793.7	439.0	634.0	1073.0
उत्तराखंड	545.0	443.0	988.0	13.0	14.0	27.0
पश्चिम बंगाल	3677.1	1670.6	5347.9	199.2	497.5	696.7
अन्य	1135.5	217.5	1353.1	45.4	120.8	166.3
अखिल भारत	72117.2	53608.2	125725.4	18194.8	8629.2	26824.1

2007-08 से 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहनों के क्षेत्र एवं उत्पादन के राज्यवार अनुबंध

वर्ष 2010-11 (चौथा अग्रिम अनुमान) - उत्पादन ('000 टन)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	7510.0	6875.0	14385.0	10.0	1933.0	2415.8	4348.8	439.0	1000.0	1439.0
असम	3858.0	894.0	4752.0	64.0	17.0	0.0	17.0	4.0	59.0	63.0
बिहार	3090.6	229.5	3320.2	4670.0	481.8	856.4	1338.2	94.5	461.1	555.6
छत्तीसगढ़	6159.0		6159.0	126.8	203.8	1.6	205.4	69.6	466.0	535.6
गुजरात	1424.0	99.0	1523.0	3854.1	1560.2	195.0	1755.2	455.0	265.0	720.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हरियाणा	3472.0		3472.0	11040.9	1240.0	129.0	1369.0	44.0	115.0	159.0
हिमाचल प्रदेश	131.2		131.2	670.0	679.3	34.1	713.5	12.9	3.6	16.5
जम्मू और	507.7		507.7	289.9	542.8	7.9	550.7	21.4	1.8	23.2
झारखंड	1116.9	20.0	1136.9	151.4	253.8	14.4	268.2	165.9	101.2	267.1
कर्नाटक	3057.0	990.0	4047.0	245.0	6128.0	1373.0	7501.0	812.0	685.0	1497.0
केरल	402.2	140.8	542.9		0.7	0.0	0.7	3.4	1.7	5.1
मध्य प्रदेश	1772.1		1772.1	7627.1	2061.0	105.3	2166.3	434.1	2957.3	3391.4
महाराष्ट्र	2601.0	68.0	2669.0	2292.0	4778.0	2181.0	6959.0	1765.0	1381.0	3146.0
ओडिशा	5960.8	897.4	6858.2	4.7	349.8	14.2	364.0	4151.0	163.0	414.1
पंजाब	10837.0		10837.0	15828.6	494.0	46.0	540.0	11.8	6.6	18.4
राजस्थान	265.6		265.6	7214.5	7137.8	857.7	7995.5	1603.1	1613.3	3216.4
तमिलनाडु	5477.4	661.9	6139.4		1022.2	856.0	1878.2	105.1	190.9	296.0
उत्तर प्रदेश	12001.0	13.1	12014.1	30001.0	2867.0	349.6	32166	718.0	1294.0	2-12.0
उत्तराखंड	499.0	46.0	545.0	887.0	304.0	30.0	334.0	32.0	20.0	52.0
पश्चिम बंगाल	8882.7	3450.0	12332.7	842.0	100.2	307.7	407.9	32.4	128.8	161.2
अन्य	1625.7	289.5	1915.2	108.8	279.3	10.8	290.1	44.6	60.4	105.0
अखिल भारत	80650.9	14674.2	95325.1	85927.8	32433.7	9785.5	42219.2	7118.7	10974.8	18093.5

वर्ष 2010-11 (चौथा अग्रिम अनुमान) - उत्पादन ('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मोटे अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	9882.0	10300.8	20182.8	1283.0	703.0	1986.0
असम	3879.0	1017.0	4896.0	12.0	140.0	152.0
बिहार	3666.9	6217.0	9884.0	9.2	146.0	155.2
छत्तीसगढ़	6432.4	594.4	7026.8	185.8	31.4	217.2

1	12	13	14	15	16	17
गुजरात	3439.2	4413.1	7852.3	3362.9	549.0	3911.9
हरियाणा	4756.0	11284.9	16040.9	4.0	960.0	964.0
हिमाचल प्रदेश	823.4	707.8	1531.1	2.0	64	8.4
जम्मू और कश्मीर	1071.9.	299.6	1371.5	2.1	47.6	49.8
झारखंड	1536.6	287.0	1823.6	25.6	62.9	88.5
कर्नाटक	9997.0	3293.0	13290.0	839.0	373.0	1212.0
केरल	406.3	142.4	548.7	2.0	0.0	2.0
मध्य प्रदेश	4267.2	10689.8	14957.0	7138.0	897.4	8035.4
महाराष्ट्र	9144.0	5922.0	15066.0	4687.0	310.0	4997.0
ओडिशा	6561.6	1079.4	7641.0	96.1	87.4	183.4
पंजाब	11342.8	15881.2	27224.0	6.2	65.0	71.2
राजस्थान	9006.4	9685.5	18691.9	2233.0	3857.2	6090.2
तमिलनाडु	6604.7	1708.9	8313.6	552.3	579.6	1131.9
उत्तर प्रदेश	15586.0	31657.7	47243.7	180.0	731.0	911.0
उत्तराखंड	835.0	983,0	1818.0	16.4	7.0	23.4
पश्चिम बंगाल	9015.3	4728.5	13743.8	166.7	593.9	760.6
अन्य	1949.7	469.5	2419.1	44.6	105.1	149.7
अखिल भारत	120203.3	121362.3	241565.7	20847.8	10252.9	31100.8

विवरण-II

विश्व के प्रमुख विकसित एवं एशियाई देशों में 2009-10 के दौरान महत्वपूर्ण फसलों के अनुमानित उत्पादन एवं उत्पादकता

देश	उत्पादन (मिलियन टन)				उत्पादकता (कि.ग्राम/हैक्टेयर)			
	चावल	गेहूं	अनाज	तेल फसलें	चावल	गेहूं	अनाज	तेल फसलें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारत	89.1	80.8	203.4	24.9	2125	2839	2075	959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अमेरिका	10.0	60.3		419.8	18.5	7941	2989		7238	2973
ऑस्ट्रेलिया	0.3	21.7		34.9	0.9	9000	1603		1764	1509
कनाडा	-	26.8		49.4	5.6	-	2186		3301	1927
रूस	0.9	61.7		95.6	3.1	5143	2318		2281	1154
चीन	196.7	115.1		483.3	16.7	6582	4739		5450	2481
ब्राजील	12.7	5.1		71.4	11.5	4405	2080		3533	2785
यू.के.	-	14.4		22.0	0.8	0	7927		7072	3295
फ्रांस	0.1	38.3		70.0	2.9	5709	7447		7456	3192
इंडोनेशिया	64.4	0.0		82.0	26.2	4999	-		4813	33464
थाईलैंड	31.5	0.0		36.3	1.8	2870	1019		2951	14507

[हिन्दी]

टी.वी. पर अंधविश्वास फैलाने वाले विज्ञापन

434. **कुमारी सरोज पाण्डेय:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न टेलीविजन चैनल रूद्राक्ष, लॉकेटों आदि जैसे धार्मिक प्रयोजनों हेतु विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो चैनल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित करने हेतु सरकार से पूर्व स्वीकृति ली जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अंधविश्वास फैलाने और झूठे दावे करने वाले विज्ञापनों के प्रसारण को रोकने हेतु कोई कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) धार्मिक वस्तुओं के विज्ञापनों से संबंधित कुछ मामले मंत्रालय की जानकारी में लाए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रसारित ऐसे विज्ञापनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) निजी टीवी चैनलों द्वारा विज्ञापनों के प्रसारण हेतु सरकार का कोई पूर्वानुमान लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि इस समय निजी टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों व विज्ञापनों की कोई पूर्व-सेंसरशिप नहीं है।

(ङ) और (च) इस मामले में कोई विधान बनाने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, इन चैनलों पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उपबंधित विज्ञापन संहिता का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) में प्रावधान है कि किसी भी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ/उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं होंगे जिनसे जनता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विज्ञापित उत्पाद या उसके किसी घटक में कुछ ऐसे विशेष या चमत्कारी या अति-नैसर्गिक गुण हैं जिनको सिद्ध करना कठिन हो। मंत्रालय ने दिनांक 13-05-2010 को सभी चैनलों को एक सलाह-पत्र भी जारी किया जिसमें उक्त नियम 7(5) के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए कहा गया।

विवरण

1. 9x. चैनल

क्र. सं.	दिनांक	प्रसारित विज्ञापन
1.	04-05-2011	श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम्स शनि शुभयात्रा
2.	04-05-2011	दिव्यऋषि श्री लक्ष्मी - कुबेर धन वर्षा यंत्र
3.	04-05-2011	दिव्यऋषि बाधा मुक्ति यंत्र
4.	04-05-2011	दिव्यऋषि नजर सुरक्षा यंत्र
5.	02-06-2011	श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम्स शनि शुभयात्रा
6.	02-06-2011	दिव्यऋषि श्री लक्ष्मी - कुबेर धन वर्षा यंत्र
7.	02-06-2011	दिव्यऋषि बाधा मुक्ति यंत्र
8.	02-06-2011	दिव्यऋषि नजर सुरक्षा यंत्र
2. आजाद न्यूज		
1.	04-05-2011	दिव्यऋषि महाधन लक्ष्मी यंत्र
2.	13-06-2011	लाल किताब-अमृत
3.	02-07-2011	लाल किताब-अमृत
3. बंसल न्यूज		
1.	05-05-2011	दिव्यऋषि बाधा मुक्ति यंत्र
2.	05-05-2011	दिव्यऋषि नजर सुरक्षा तंत्र
3.	14-06-2011	दिव्यऋषि बाधा मुक्ति यंत्र
4.	14-06-2011	नजर रक्षा कवच
5.	06-07-2011	दिव्यऋषि बाधा मुक्ति यंत्र
6.	06-07-2011	नजर सुरक्षा कवच
4. चैनल वन		
1.	02-05-2011	श्री सिद्ध धन लक्ष्मी यंत्र
2.	02-05-2011	नजर रक्षा कवच

क्र. सं.	दिनांक	प्रसारित विज्ञापन
3.	04-06-2011	श्री सिद्ध धन लक्ष्मी यंत्र
4.	04-06-2011	नजर रक्षा कवच
5. चडदीकला टाइम टीव		
1.	03-05-2011	प्रिसियस जैम्स बाई नवग्रह सेवा संस्थान
2.	13-06-2011	लाल किताब - अमृत
3.	04-07-2011	लाल किताब - अमृत
6. इंटर 10		
1.	01-05-2011	फार्च्यून शॉपी शनि रक्षा कवच
2.	06-06-2011	फार्च्यून शॉपी शनि रक्षा कवच
3.	09-07-2011	फार्च्यून शॉपी शनि रक्षा कवच
7. ई.टी.सी. पंजाबी		
1.	07-05-2011	फार्च्यून शॉपी शनि रक्षा कवच
2.	15-06-2011	फार्च्यून शॉपी शनि रक्षा कवच
8. फिल्मी		
1.	02-05-2011	दिव्यऋषि बाधा मुक्ति यंत्र
2.	08-05-2011	हिमालय रूद्राक्ष संस्थान शुभ धन लक्ष्मी तंत्र
3.	01-06-2011	हिमालय रूद्राक्ष संस्थान शुभ धन लक्ष्मी तंत्र
4.	03-07-2011	हिमालय रूद्राक्ष संस्थान शुभ धन लक्ष्मी तंत्र
9. हेडलाइंस टुडे		
1.	11-06-2011	महामंत्र 2012
10. इंडिया न्यूज		
1.	12-05-2011	लाल किताब - अमृत
11. इंडिया टीव		
1.	05-06-2011	एकता ज्योतिष परामर्श श्री शक्ति नवग्रह महा कवच

क्र. सं.	दिनांक	प्रसारित विज्ञापन
12. लेमन न्यूज		
1.	14-05-2011	श्री सिद्ध धन लक्ष्मी यंत्र
2.	14-05-2011	नजर रक्षा कवच
3.	05-06-2011	नजर रक्षा कवच
4.	05-06-2011	श्री सिद्ध धन लक्ष्मी यंत्र
5.	18-06-2011	लाल किताब - अमृत
13. मनोरंजन टीवी		
1.	03-05-2011	दिव्यऋषि बाधा मुक्ति यंत्र
2.	09-05-2011	दिव्यऋषि श्री लक्ष्मी - कुबेर धन वर्षा यंत्र
3.	09-06-2011	दिव्यऋषि श्री लक्ष्मी - कुबेर धन वर्षा यंत्र
14. न्यूज 24		
1.	07-05-2011	लाल किताब - अमृत
2.	04-07-2011	लाल किताब - अमृत
15. समय		
1.	04-07-2011	लाल किताब - अमृत
16. संगीत बांग्ला		
1.	02-07-2011	दिव्यऋषि श्री महाधन लक्ष्मी यंत्र
17. स्टार माझा		
1.	02-07-2011	स्काई माल साई दर्शन नवरत्न पेंडेंट
18. टोटल टीवी		
1.	02-07-2011	लाल किताब - अमृत
19. टीवी 100		
1.	02-05-2011	वाल क्लॉक
2.	10-05-2011	दिव्यऋषि नजर सुरक्षा कवच

क्र. सं.	दिनांक	प्रसारित विज्ञापन
3.	23-05-2011	सिद्ध धन लक्ष्मी यंत्र
4.	04-06-2011	दिव्यऋषि नजर सुरक्षा कवच
5.	06-06-2011	नजर सुरक्षा कवच सिद्ध श्री धन लक्ष्मी कृपा
6.	06-06-2011	सिद्ध धन लक्ष्मी यंत्र
7.	01-07-2011	नजर सुरक्षा कवच सिद्ध श्री धन लक्ष्मी कृपा
8.	02-07-2011	नजर सुरक्षा कवच
9.	02-07-2011	सिद्ध श्री धन लक्ष्मी कृपा
10.	11-07-2011	लाल किताब - अमृत
20. जी सिनेमा		
1.	06-05-2011	दिव्यऋषि श्री लक्ष्मी - कुबेर धन वर्षा यंत्र
2.	09-05-2011	दिव्यऋषि नजर सुरक्षा कवच
21. जी क्लासिक		
1.	04-05-2011	दिव्यऋषि महाधन लक्ष्मी यंत्र
2.	02-06-2011	दिव्यऋषि महाधन लक्ष्मी यंत्र
3.	10-07-2011	दिव्यऋण श्री धन लक्ष्मी कृपा
22. जी ई.टी.सी. पंजाबी		
1.	21-06-2011	लाल किताब - अमृत
2.	22-06-2011	फार्च्यून शॉपी शनि रक्षा कवच
23. जी पंजाबी		
1.	07-05-2011	श्री लक्ष्मी कुबेर संपूर्ण यंत्र
24. जी स्माइल		
1.	01-05-2011	श्री धन लक्ष्मी यंत्र
2.	02-05-2011	फार्च्यून शॉपी शनि रक्षा कवच
3.	01-06-2011	श्री धन लक्ष्मी यंत्र

[अनुवाद]

खेल क्षेत्र में निवेश

435. डॉ. रामचन्द्र डोम:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में खेल अवसंरचना में सुधार करने हेतु खेल क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय खेलों के गौरव को पुनः प्राप्त करने और प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने सहित विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से खिलाड़ियों को नैतिक आचरण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी खेल सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से सरकार पहले से ही पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) को क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना का लक्ष्य ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने में पहुंच प्रदान करने के अलावा, 10 वर्ष की अवधि के दौरान देश में चरणबद्ध ढंग से सभी ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों में बुनियादी खेल सुविधाएं प्रदान करना है।

शहरी क्षेत्रों के लिए सरकार ने 2010-11 से 'शहरी खेल अवसंरचना के सृजन के लिए सहायक योजना' नामक एक प्रायोगिक योजना शुरू की है जिसमें प्रतिभावना युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खेल अकादमियों के रूप में प्रयुक्त होने वाली खेल सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ग) और (घ) हाल के वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों के कार्य प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है जैसा कि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 जिसमें इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा एशियाई खेल, 2010 में इसने पांचवा स्थान प्राप्त कर देश के प्रदर्शन से प्रत्यक्ष है, ऐसा सुधरा हुआ प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारी संबंधी योजना के अंतर्गत विगत ढाई वर्षों के दौरान उन्हें प्रदान किए गए गहन प्रशिक्षण के परिणाम हैं। भारतीय ओलंपिक के लिए इन प्रयासों को बनाए रखने की दृष्टि से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 'लंदन ओलंपिक, 2012 के लिए उत्कृष्टता अभियान' (ओपेक्स, 2012) नामक परियोजना शुरू की है जिसके अंतर्गत बुनियादी संभावितों की पहचान कर ली है। जिन्हें देश और विदेश दोनों में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतियोगिता प्रदर्शन प्रदान किया जा रहा है। अनुमोदित विधियन मानक जो राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के पैमाने के अनुरूप है, उनके आधार पर आवास, पोषाहार, वैज्ञानिक सहायता और दैनिक भत्ता जैसे कतिपय क्षेत्रों में और वृद्धि के साथ ओपेक्स, 2012 के लिए अप्रैल, 2011 से अगस्त 2012 की अवधि के लिए 258.39 करोड़ रुपये के बजट का अनुमान लगाया गया है जिसमें खेल मैदान (7.60 करोड़ रुपये), भोजन और भोजन सामग्री (36.95 करोड़ रु.), आवास (49.74 करोड़ रु.) वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता (5.06 करोड़ रुपये), प्रतियोगिता किट सहित उपभोज्य खेल उपस्कर (18.58 करोड़ रुपये), गैर उपभोज्य खेल उपस्कर (4.37 करोड़ रुपये), भारतीय कोच (2.91 करोड़ रुपये), विदेशी कोच (20.00 करोड़ रुपये), सहायक कर्मी (7.84 करोड़ रुपये), विदेशी प्रतियोगिता और प्रशिक्षण प्रदर्शन (75.45 करोड़ रुपये), भारत में प्रतियोगिता प्रदर्शन (19.18 करोड़ रुपये) और खेल किट (3.80 करोड़ रुपये) से रख-रखाव प्रभार के रूप में व्यय शामिल है। अनुमानित व्यय के विधावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सरकार देश में डोप मुक्त खेल वातावरण को समर्थित करने के लिए पूर्ण रूप से कृत संकल्प है। देश में खेलों में डोप नियंत्रण कार्यक्रम के संवर्धन, समन्वय और निगरानी के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) का गठन किया गया है। नाडा डोपिंग रोधी नियमावली जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की अनुपालक है, सभी खेलों पर लागू है और सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को इन अपेक्षाओं का पालन करना है। नाडा एथलीटों और कोचों को डोपिंग के दुष्प्रभावों तथा प्रतिबाधित पदार्थों के स्वरूप और डोपिंग-रोधी नियमावली के उल्लंघन के परिणाम के बारे में जागरूक बनाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

विवरण

लंदन ओलंपिक, 2012 (अप्रैल, 2011 से जुलाई 2012-16 माह/490 दिन) के लिए उत्कृष्टता अभियान के अनुमानित बजट को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विधा	शिविरवासियों की सं. पु. सं. कोच सहायक कार्मिक	कोचिंग कैंपों में दिनों की औसत सं.	कुल रुपये में
1.	तीरंदाजी	16+16+9+7	400	92224000
2.	एथलेटिक्स	21+27+24+9	400	159478000
3.	बैडमिंटन	24+14+15+7	400	130880000
4.	मुक्केबाजी	40+40+22+10	400	271996000
5.	जिम्नास्टिक	40+8+1+7-	400	135768000
6.	हाकी	45+45+10+14	400	205038000
7.	जूडो	28+28+06+04	400	120628000
8.	रोइंग	16+12+9&	400	87412471
9.	निशालनेबाजी	62+30+16+7	400	437990000
10.	तैराकी	21+22+10+7	400	127320000
11.	टेबल टेनिस	20+18+8+7	400	146224000
12.	ताइक्वांडो	28+28+05+03	400	94138000
13.	टेनिस	5 खिलाड़ी एन.एस.डी.एफ. के अधीन		21600000
14.	भारोत्तोलन	24+26+12+7	400	111962000
15.	कुश्ती	56+28+15+06	400	157216000
16.	याटिंग	10+2+5+7	400	83992000
	कुल			2383866471

तैयारी पर 238.39 करोड़ रु. + विदेशी प्रशिक्षकों पर 20 करोड़ रुपए= कुल 258.39 करोड़ रुपए।

[हिन्दी]

ग्लोबल वार्मिंग का कृषि पर प्रभाव

436. श्री ए.टी. नाना पाटील:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने हाल में विकसित देशों में कृषि उत्पादन पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आई.सी.ए.आर. ने भी देश के कुछ क्षेत्र पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) ब्रिटिश सरकार की स्टर्न समीक्षा समिति ने वर्ष 2006 में "जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र" पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में वैश्विक तापमान के कारण विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में काफी नुकसान दर्शाया गया था। इस प्रकार यह रिपोर्ट विशेषरूप से भारतीय कृषि के लिए नहीं है।

(घ) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2004 में "जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अनुकूलन और भारतीय कृषि की अतिसंवेदनशीलता" नामक एक नेटवर्क परियोजना 15 स्थानों में शुरू की थी जिसे 11वीं योजना में बढ़ाकर 23 स्थानों में कर दिया गया था। सीमित अध्ययनों से यह संकेत मिले हैं कि गेहूं को उगाने की सम्पूर्ण अवधि में प्रत्येक 1 डिग्री से. तापमान में वृद्धि से देश में गेहूं उत्पादन में लगभग 4-5 मिलियन टन के नुकसान का आकलन किया गया। से तापमान में 2 डिग्री से. अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि से संकर नस्ल की गायों का दूध उत्पादन भी प्रभावित होने की संभावना है।

(च) जनवरी 2011 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2010-12 की अवधि में 350.0 करोड़ रुपये के परिव्यय से "राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल" (एन.आई.सी.आर.ए.) नामक एक योजना शुरू की थी। स्कीम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति लागत प्रभावी अनुकूलन और न्यूनीकरण नीतियों को (i) प्राकृतिक संसाधनों, प्रमुख खाद्य फसलों, पशुधन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए समुद्री और ताजाजल मात्स्यिकी पर नीतिपरक अनुसंधान, (ii) देश के 100 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में किसानों के खेतों पर उपलब्ध जलवायु अनुकूल क्रियाओं का प्रदर्शन करना, (iii) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर दीर्घावधि अनुसंधान शुरू करने के लिए वैज्ञानिकों के क्षमता निर्माण और अनुसंधान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, और (iv) प्रायोजित अनुसंधानों, के माध्यम से विकसित करना है। स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में (i) बहुविषयी अजैविक दबाव सहिष्णुता के लिए विशिष्ट जननद्रव्य का बड़ी संख्या में तेजी से स्क्रिनिंग हेतु फेनोमिक्स सिस्टम का उत्कृष्ट उपयोग, (ii) जलवायु अनुकूल क्रियाओं का भागीदारी जांच, और (iii) फसलों, प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक संघटकों सहित विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों का अतिसंवेदनशीलता का मूल्यांकन शामिल है।

[अनुवाद]

गेहूं का निर्यात

437. श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री उदय सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भरपूर फसल और उपलब्ध पर्याप्त स्टॉक के मद्देनजर चालू वर्ष के दौरान गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात हेतु कितनी मात्रा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने गेहूं के निर्यात की अनुमति देते समय प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार अन्य खाद्यान्नों के निर्यात पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी नहीं, सरकार ने चालू वर्ष में गेहूं के निर्यात की अनुमति नहीं दी है। तथापि, मित्र देशों के लिए राजनैतिक आधार पर गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने हाल में डी.जी.एफ.टी. की दिनांक 19-07-2011 की अधिसूचना सं. 60 (आर.ई.-2010)/2009-2014 द्वारा निजी खाते पर 10 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति दी है। सरकार ने दिनांक 20-07-2011 की डी.जी.एफ.टी. की अधिसूचना सं. 61(आर.ई.-2010)/2009-2014 द्वारा दिनांक 31-3-2012 तक 6.5 लाख टन मैदा, समोलिना (गेहूं के आटे/रवा/सूची) होलमील आटे और परिणामी आटे के निर्यात करने की समय सीमा को भी बढ़ाया है।

सरकारी क्वार्टरों में किए गए कार्य

438. श्री महेश जोशी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली स्थित विभिन्न केन्द्र सरकार कर्मचारी कॉलोनियों में ठेकेदारों के माध्यम से सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा विभिन्न टाइपों के क्वार्टर में कॉलोनी-वार कितने प्रमुख कार्य कराए गए;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सी.वी.ओ., सी.पी. डब्ल्यू.डी. द्वारा ठेकेदारों अथवा उप-ठेकेदारों द्वारा उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने हेतु कोई छानबीन की गई है;

(ग) यदि हां, तो कॉलोनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा विशेषकर ठेकेदारों के द्वारा सरकारी कॉलोनियों में कराए जा रहे प्रमुख कार्य की गुणवत्ता की जांच करने हेतु क्या तंत्र विद्यमान है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सी.वी.ओ., सी.पी.डब्ल्यू.पी.डी. कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए जिम्मेदारी नहीं है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. की गुणवत्ता आश्वासन ईकाइयों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जाती है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रमुख कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने की अपनाई जा रही प्रक्रिया के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली 2010 में निर्धारित है। इस संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, भावी निष्पादन और संरचनात्मक, कार्यात्मक और सौन्दर्यपरक मानकों तथा भवन/प्रतिष्ठापन/ढांचे की अपेक्षित आयु के लक्ष्य को पूरा करने के अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार कार्य की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी कार्यपालक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर और कनिष्ठ इंजीनियर के निर्माण दल की बनती है। अधीक्षण इंजीनियर की अपने प्रभाराधीन कार्य के लिए गुअवत्ता के प्रबन्धन, प्रणाली और प्रक्रिया की समग्र जिम्मेदारी है। मुख्य इंजीनियर, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की आवधिक समीक्षा और मॉनीटरिंग करेंगे।

इसके अलावा, सी.पी.डब्ल्यू.डी. का कार्य स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता/पर्याप्तता पर निगरानी रखने और फील्ड इंजीनियरों को दिशानिर्देश मुहैया करने के लिए भी निम्नलिखित स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन तंत्र है:-

(i) इस क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक के अधीन प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता आश्वासन विंग

(ii) मुख्य इंजीनियर के अधीन निदेशालय में कोर विंग।

(संविदा, नियमावली और विनिर्देशन और गणवत्ता आश्वासन)

विवरण

विगत दो वर्षों के दौरान सरकारी कालोनियों में किये गये बड़े कार्यों की संख्या

क्र. सं.	कालोनियों के नाम	कार्यों की सं.
1	2	3
एन.डी.जैड.- II		
1.	पांडारा पार्क	7
2.	लोधी एस्टेट	3
3.	हुमायू रोड	2
4.	शाहजहां रोड	5
5.	रबिन्द्र नगर	1
6.	पंडारा रोड	3
7.	काका नगर	4

1	2	3
8.	भारती नगर	4
9.	बापा नगर	3
10.	तिलक लेन	3
11.	तिमारपुर	4
12.	एशिया हाऊस होस्टल	2
13.	आराम बाग	2
14.	मिन्टो रोड	3
15.	काली बाड़ी मार्च एच-ब्लॉक	1
16.	बी.के.एस. मार्ग	1
17.	महादेव रोड	1
18.	हैवल्क एक्वेयर	1
19.	जे ब्लॉक, के.बी. मार्ग	1
20.	राजा बाजार	1
21.	सै. डी, मंदिर मार्ग	1
22.	एल्बर्ट स्ववेयर	1
23.	पी.के. रोड	1
24.	आर.के. आश्रम मार्ग	1
25.	पेशवा रोड	1
26.	जाफरी स्क्वेयर	1
27.	हुमायूं रोड	1
	एन.डी.जैड.-IV	
28.	हडको प्लेस	9
29.	ए.जी.वी. काम्पलेक्स	1
30.	डी.डी.ए. फ्लैट कामकाजी	2
31.	एंड्रयूजगंज	5
32.	सादिक नगर	10
33.	नेहरू नगर	1
	एन.डी.जैड.-III	
34.	चाणक्यपुरी	6
35.	नेताजी नगर	9
36.	सै. 1 से 4 आर.के. पुरम	9
37.	सै. 5 से 9 आर.के. पुरम	9
38.	सै. 12 एवं13 आर.के. पुरम	9
39.	मोतीबाग, एस.पी. मार्ग, बापूधाम	9
40.	वसंत विहार	4
41.	नानकपुरा	8
42.	सरोजिनी नगर, नैरोजी नगर	22
43.	लक्ष्मीबाई नगर	6
44.	किदवई नगर	5
45.	प्रगति विहार हॉस्टल	2
46.	लोधी रोड काम्पलेक्स	12
47.	लोधी कालोनी	18
48.	प्रैस कालोनी एवं एम.आई.जी. फ्लैट मायापुरी	3
49.	जे.एम.सी. क्वार्टर्स, देव नगर	4
	एन.डी.जैड.-I	
50.	पी.एम. हाऊस	3

मीडिया कर्मियों पर हमले

439. श्री एल. राजगोपाल:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देशभर में मीडिया कर्मियों पर हमले और उनकी हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मीडिया कर्मियों की ऐसे हमलों से सुरक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

माओवादियों के ठिकाने

440. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माओवादी अपनी गतिविधियां चलाने हेतु बंगाल से छत्तीसगढ़ तक सुरक्षित मार्ग/छिपने के ठिकाने बनाने के प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माओवादी स्वयं को सुरक्षा बलों से बचाने हेतु भारत-बांग्लादेश सीमा का भी उपयोग कर रहे हैं जहां बाड़ लगाने का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन, डायमंड हार्बर और काकद्वीप द्वीपसमूह में माओवादियों के कई गुप्त शिविर हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे ठिकानों को ध्वस्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है जिससे यह पता चले कि सी.पी.आई. (माओवादी) अपने छिपने के ठिकाने पश्चिम बंगाल के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और सुरक्षा बलों से अपने बचाव के लिए बांग्लादेश सीमा का प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु राज्य सीमाओं के पार गतिविधियां चलाना सी.पी.आई. (माओवादी) संवर्गों की सामान्य रणनीति है।

(घ) और (ङ) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन, डायमंड हार्बर और काकद्वीप द्वीपसमूह में माओवादियों के ऐसे शिविरों के विद्यमान होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

बेघर व्यक्ति

441. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और शहरी भारत दोनों स्थानों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बेघर व्यक्तियों का व्यापक सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) भारत सरकार ने जून, 2011 में संयुक्त ग्रामीण-शहरी सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना का कार्य आरंभ किया है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना भारत सरकार के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से की जाएगी। संयुक्त सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना करने के लिए तैयार की गई प्रश्नावली में, नागरिकों को उपलब्ध आवास सुविधा और अन्य सुविधाओं संबंधी सूचना देना शामिल है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को राजसहायता

442. श्री सी. शिवासामी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अन्य देशों को फलों और सब्जियों, डेयरी उत्पादों, कुक्कुट और मांस उत्पादों के निर्यात का देश-वार और उपज-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सरकार द्वारा प्रदान की गई राजसहायता की दरों का उद्योग-वार और उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) ब्यौरा

संलग्न विवरण में है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की, सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप एवं आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करता है।

विवरण

वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान भारत के मद वार निर्यात आंकड़े

(मात्रा मी. टन में और मूल्य लाख रुपए में)

उत्पाद	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ताजा प्याज	1008606.48	103577.89	1670186.29	182752.21	8664922.39	231942.98	1010169.28	141799.17
अन्य ताजी सब्जियां	350235.47	48949.01	505285.47	68020.32	419241.35	73185.9	386742.16	69458.00
अखरोट	6716.48	16207.8	5696.34	14123.63	9073.38	19789.51	3941.78	10737.92
ताजे आम	54350.8	12741.76	83703.18	17071.25	74460.61	20053.98	57580.02	15409.3
ताजे अंगूर	96963.57	31782.51	124627.97	40861.28	131153.61	54533.89	49170.86	17169.28
अन्य ताजे फल	207700.78	30452.6	256768.53	43086.84	260675.43	52283.32	197327.84	36012.15
भैंस का मांस	483478.29	354978.47	462749.62	483970.99	495019.71	548060.08	504009.22	601918.03
भेड़/बकरी का मांस	8908.72	13409.96	37790.65	49336.94	52868.01	74720.07	9484.56	19723.93
पशुओं की खाल	619.68	6845.14	1823.72	884.32	2020.56	3152.74	1472.86	2857.39
प्रसंस्कृत मांस	1245.47	1296.13	857.63	1014.4	716.19	958.51	883.11	1373.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूअर का मांस	1710.89	2463.69	8175.82	917.23	1117.96	10345.9	838.64	801.81
पॉल्ट्री उत्पाद	1355246.31	44108.55	1057016.47	42205.8	1016783.1	37211.85	470407.41	23257.56
डेरी उत्पाद	69415.44	86656.36	70146.77	98086.06	34379.97	40268.39	27214.61	38641.15

[हिन्दी]

फर्जी वीजा

443. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फर्जी वीजा के मामले में गिरफ्तार/दोषसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित रिकार्डो का रख-रखाव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में फर्जी वीजा जारी/उपयोग किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। देश में 77 आप्रवासन जांच चौकियां (आई.सी.पी.) हैं। 16 आई.सी.पी. का प्रबंधन आप्रवासन ब्यूरो (बी.ओ.आई.) द्वारा किया जाता है। शेष आई.सी.पी. का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। जहां तक आप्रवासन ब्यूरो द्वारा प्रबंधित आई.सी.पी. का सवाल है, जाली वीजाओं पर देश में गिरफ्तार/दोषसिद्ध व्यक्ति से संबंधित रिकॉर्ड का रखरखाव आप्रवासन ब्यूरो द्वारा किया जाता है। अन्य आई.सी.पी. के लिए, रिकॉर्ड का रखरखाव संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। आई.सी.पी. में जाली विदेश वीजा पर यात्रा करने से रोके गए भारतीयों को अगली कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया जाता है। आगमन के समय जाली वीजा के साथ रोके गए विदेशियों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है और आप्रवासन जांच चौकी से आरोहण पत्तन के लिए वापिस भेज दिया जाता है।

(ग) जाली वीजा पर व्यक्तियों द्वारा यात्रा करने की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में निम्न शामिल हैं:

(i) नए भारतीय वीजा स्टीकर में मशीन रीडेबल जोन (एम.आर.जैड.) को शामिल किया गया है।

(ii) भारतीय मिशनों द्वारा जारी किए जाने वाले नए वीजा स्टीकर में वीजाधारक के फोटोग्राफों को लगाना शुरू किया गया है।

(iii) जालसाजी का पता लगाने के लिए आप्रवासन अधिकारियों को तकनीकी गजट अर्थात अल्ट्रावायलेट लैम्प और मैगनीफाईंग ग्लास, क्यू.डी.एक्स. मशीन, पासपोर्ट रीडिंग मशीन इत्यादि प्रदान किए गए हैं।

(iv) वीजा के ब्यौरे की पुनर्जांच करने के लिए आप्रवासन प्राधिकारियों के वीजा पीजन सिस्टम में कुछ देशों से भारत आने वाले विदेशियों के वीजा के ब्यौरे उपलब्ध हैं।

(v) शंकास्पद वीजाओं की प्रामाणिकता का अभिनिर्धारण करने के लिए आप्रवासन काउंटर अधिकारियों को विभिन्न देशों के वीजा स्टीकरों की नमूना प्रतियां दी गई हैं।

(vi) आप्रवासन काऊंटर अधिकारियों के लिए यात्रा दस्तावेजों में जालसाजियों का पता लगाने के संबंध में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

भ्रष्टाचार संबंधी पैनल

444. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार के मामलों और नेता-नौकर-अपराधी सांठगांठ की छानबीन करने हेतु उच्च स्तरीय पैनल गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) अपराधियों की राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के साथ संबंधों पर सरकार ने वोहरा समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने वर्ष 1995 में एक नोडल समूह का गठन किया था जो अपराधी-राजनीतिज्ञ - नौकरशाहों के बीच सांठगांठ के मामलों को देखता है।

[अनुवाद]

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वयन

445. श्री पी.टी. थॉमस:
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोच्ची मेट्रो रेल की प्रस्तावित वित्तपोषण पद्धति के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(ङ) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ङ) केरल सरकार ने 2991.5 करोड़ रु. (राज्य करों को छोड़कर) की अनुमानित लागत से, अलवाए से पेट्टा तक 25.3 किमी. (पूर्णतः भूमोपरि) की कुल दूरी को शामिल करते हुए कोच्ची में कोच्ची मेट्रो रेल की स्थापना हेतु शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस परियोजना हेतु अंतिम अनुमोदन में अंतरमंत्रालय परामर्श को शामिल करते हुए विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन, वित्तपोषण प्रबंधन के लिए टाइ-अप इत्यादि अपेक्षित है। वर्तमान में कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह उल्लेख करना समय से पूर्व होगा कि इस परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने की संभावना है अथवा नहीं। इसलिए इस परियोजना को पूरा करने में लगने वाले संभावित समय का उल्लेख करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार

446. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दिल्ली पुलिस के यातायात कर्मियों के अपराध/भ्रष्टाचार में लिप्त होने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रैंक-वार और अपराध-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या दिल्ली यातायात पुलिस के किसी कर्मी के पास उसके आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रैंक-वार ऐसे प्रत्येक कार्मिक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रसार भारती और पी.टी.आई. के बीच समझौता

447. श्री महाबल मिश्रा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू.एन.आई.), प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पी.टी.आई.) के बीच समझौते का नवीकरण और दरों में संशोधन कई वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्य में तेजी लाने हेतु प्रसार भारती द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) प्रसार भारती, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी ने सूचित किया है कि दिनांक 01-04-2006 से पी.टी.आई. और यू.एन.आई. के साथ कोई करार नहीं हुआ है। शुल्क प्रभारों के संबंध में इन एजेन्सियों के साथ वार्ताएं होती रही हैं लेकिन करार को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। पी.टी.आई./यू.एन.आई. के साथ करार को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मार्च, 2011 में एक समिति का गठन किया गया था जिसने प्रसार भारती को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस मामले को प्रसार भारती बोर्ड के समक्ष 7 जून, 2011 को हुई उसकी 103वीं बैठक में रखा गया था। बोर्ड ने समिति की सिफारिशों को अपना सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करते समय यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि प्रसार भारती बोर्ड द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय को प्रभारों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। दूरदर्शन महानिदेशालय और आकाशवाणी महानिदेशालय से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रसार भारती के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

[अनुवाद]

चावल की खेती

448. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में गेहूं और चावल की खेती का अनुपात क्या है;

(ख) क्या देश में चावल की खेती में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान चावल के किसानों को सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता दी गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) 2008-09 के लिए उपलब्ध अनंतिम भू-उपयोग सांख्यिकी के अनुसार, इस वर्ष के दौरान देश में कुल/सकल फसलयुक्त क्षेत्र में से गेहूं एवं चावल के लिए खेती के तहत क्षेत्र क्रमशः लगभग 14.22% एवं 23.34% हैं।

(ख) और (ग) जैसाकि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, 2008-09 से 2010-11 के दौरान चावल के तहत क्षेत्र-व्याप्ति ने एक उतार चढ़ावा की प्रवृत्ति दर्शायी है-

(मिलियन हैक्टेयर)

वर्ष	चावल के तहत	विगत वर्ष की (अपेक्षा क्षेत्र व्याप्ति में वृद्धि (+)/कमी (-)
2008-09	45.54	1.63
2009-10	41.92	-3.62
2010-11	42.56*	0.64

*चौथा अग्रिम अनुमान

(घ) देश में चावल के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्यों को भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यक्रम जिसके तहत सहायता प्रदान की जाती है, वे हैं मेक्रो कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल (एन.एफ.एस.एम.-चावल) तथा एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम-चावल (आई.सी.डी.पी.-चावल)। इसके अलावा, चावल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्यों ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के तहत आबंटित निधियों का भी उपयोग किया। 2011-12 के दौरान उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आबंटन/सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

2011-12 के लिए मुख्य फसल विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत आबंटन/सहायता के राज्यवार ब्यौरे

(रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	एन.एफ.एस.एम.-चावल	आई.सी.पी.-चावल	आर.के.वी.वाई.
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	39.27	3.23	727.74
अरुणाचल प्रदेश	-	-	8.26
असम	25.24	1.50	227.77
बिहार	19.26	3.75	506.82
छत्तीसगढ़	34.48	3.37	230.57
गोवा	-	-	49.55
गुजरात	1.90	0.55	515.48
हरियाणा	-	0.35	168.92
हिमाचल प्रदेश	-	0.56	99.93
जम्मू और कश्मीर	3.59	2.27	103.03
झारखंड	8.29	-	168.56
कर्नाटक	17.38	-	595.90
केरल	3.04	5.50	173.93
मध्य प्रदेश	10.61	11.08	398.37
महाराष्ट्र	20.45	8.52	727.67
मणिपुर	-	1.61	22.25
मेघालय	-	1.50	14.66
मिजोरम	-	0.50	34.61
नागालैंड	-	0.83	37.54
ओडिशा	35.97	4.84	356.96
पंजाब	0.00	0.00	138.87

1	2	3	4
राजस्थान	0.00	0.80	685.04
सिक्किम	-	4.20	20.08
तमिलनाडु	21.44	-	333.06
त्रिपुरा	-	2.85	17.99
उत्तर प्रदेश	66.55	3.55	757.26
उत्तराखंड	-	1.73	131.77
पश्चिम बंगाल	40.84	4.31	476.65
दिल्ली	-	0.03	0.00
पुडुचेरी	-	-	0.00
निकोबार द्वीप	-	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	-	-	0.00
लक्षद्वीप	-	-	0.00
कुल (सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों)	348.31	67.42	7729.24
डी.ए.पी. + एन.आई.आर.डी.			81.63
सकल योग			7810.87

खेल विद्यालयों हेतु सहायता

449. **श्री के.पी. धनपालनः** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में पी.टी. ऊषा खेल विद्यालय सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल विद्यालयों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आबंटित और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी हां। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) से विद्यालय में सहायक सुविधाओं के साथ आठ लेन वाले सिन्थेटिक दौड़ ट्रैक बिछाने के लिए ऊषा स्कूल ऑफ स्पोर्टस को 4.92 करोड़ रु. स्वीकृत किये हैं।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में खेल संबंधी अवसंरचना के सृजन के लिए 2010-11 में 'शहरी खेल अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता योजना' नामक एक प्रायोगिक योजना शुरू की है। यह योजना खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास कोचिंग और अवसंरचना जैसे प्रमुख मुद्दों का समाधान करते हुए खेल अकादमियों के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए खेल सुविधाएं स्थापित करने को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों, स्थानीय नागरिक निकायों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और खेल नियंत्रण बोर्ड सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

2010-11 में सरकार ने योजना के अंतर्गत सहायता के लिए प्राप्त 11 प्रस्तावों में से निम्नलिखित चार प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है:-

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	2010-11 में जारी की गई राशि
1.	इंदिरा स्टेडियम, ऊना (हिमाचल प्रदेश) में सिन्थेटिक हाकी मैदान	5.00	3.50
2.	तरनतारन (पंजाब) में बहुउद्देशीय इंडोर हाल	3.98	2.00
3.	इडेन गार्डेन्स, कोलकता (पश्चिम बंगाल) इंडोर खेल परिसर का नवीकरण/सुधार और आधुनीकरण	6.00	3.00
4.	मिजोरम में हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ	5.00	3.00
	कुल	19.98	12.50

[हिन्दी]

अमरीकी न्यायालय द्वारा बरी किए गए आतंकवादी

450. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी न्यायालय ने 26/11 के मुंबई हमले में अभियुक्त आतंकवादियों को बरी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यू.एस. जिला न्यायालय द्वारा तहव्वुर हुसैन राणा मामले में दिनांक 9 जून, 2011 को दिए गए निर्णय में उसे दिनांक 26/11 को हुए मुम्बई हमले के लिए सहायता मुहैया कराने के षड्यंत्र के आरोप से बरी कर दिया गया था। जूरी द्वारा घोषित निर्णय में राणा को एक दृष्टि से डेनमार्क में आतंकवादी षड्यंत्र में महत्वपूर्ण सहायता (मैटेरियल सपोर्ट) मुहैया करने के षड्चंत्र के लिए और एक दृष्टि से 'लश्कर-ए-तैय्यबा को मैटेरियल सपोर्ट' मुहैया कराने के लिए दोषी पाया गया जबकि उसे 'भारत में आतंकवाद को मैटेरियल सपोर्ट मुहैया करने के षडयंत्र' की दृष्टि से दोषी नहीं पाया गया।

(ग) भारत सरकार ने यह नोट किया है कि यू.एस. न्यायालय ने तहव्वुर राणा का लश्यक-ए-तैयबा के साथ लिंक होने की पुष्टि की है। तथापि, सरकार ने मुम्बई आतंकवादी हमले में सहायता देने के षड्यंत्र की दृष्टि से राणा को बरी किए जाने पर निराशा व्यक्त की है।

[अनुवाद]

पारंपरिक लोक संस्कृति

451. श्री जगदानंद सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश पारंपरिक लोक संस्कृतियां सरकार के उदासीन रबैये के कारण विलुप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न राज्यों में कुछ लोक कलाकार दयनीय स्थिति में रह रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में लोक कलाकारों का पुनरूद्धार करने हेतु कोई ठोस नीति तैयार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (च) केंद्र सरकार, भारतीय पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति के परिरक्षण, संवर्धन एवं पुनरूज्जीवित करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की स्कीमें पहले से ही कार्यान्वित कर रही है। केंद्र सरकार ने देश की लोक और पारंपरिक कलाओं एवं कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए, सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्र के जरिए केंद्र सरकार, निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:

1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
2. गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम।
3. युवा प्रतिभा कलाकार स्कीम।
4. लुप्त प्राय कला रूपों का प्रलेखन।
5. रंगमंच पुनरूद्धार स्कीम।
6. शिल्पग्राम कार्यकलाप।
7. लोक तरंग-राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव और आक्टेव-पूर्वोत्तर का महोत्सव।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) स्कीम के अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता ने सतत् जीविका के साधन के रूप में लोक कलाओं को पुनरूज्जीवित एवं अनुप्राणित करने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के लिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 जिलों से 13 कला रूपों का चयन किया गया था।

लोक कलाओं सहित भारत की विविध कलाओं को सहायता पहुंचाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के पास निम्न-लिखित स्कीमें भी हैं:-

1. विशिष्ट मंच कला परियोजना के लिए कार्यरत व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की स्कीम।
2. सांस्कृतिक कार्य अनुदान योजना।
3. विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति की स्कीम।
4. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम।

वृद्धावस्था में दयनीय स्थिति में रहने वाले लोक और अन्य कलाकारों को सहायता करने के लिए संस्कृति मंत्रालय, "साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों, जो दयनीय अवस्था में रह रहे हैं, और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता की स्कीम" नाम से एक स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे कलाकारों (विशेषज्ञ समिति द्वारा चयनित) को 4000 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाती है, जिन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्म योगदान किया है और उनकी आयु 58 वर्ष से कम न हो और आमदनी 4000 रु. प्रतिमाह से अधिक न हो। विभिन्न राज्यों में इस स्कीम के अंतर्गत लाभ पाने वाले दयनीय स्थिति में रहने वाले कलाकारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

इसके अलावा, संगीत नाटक अकादेमी भी पारंपरिक, लोक और जनजातीय मंच कला के प्रशिक्षण और परिरक्षण, अकादमी पुरस्कारों और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की अपनी स्कीमों के जरिए लोक कला रूपों को सहायता प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक अन्य स्वायत्त संगठन है, ने अनेक कार्यक्रमों, जिनमें प्रदर्शनियां, दृश्य-श्रव्य प्रलेखन, सेमिनार, प्रदर्शन और प्रकाशन शामिल हैं, के जरिए इन कला रूपों के बारे में प्रलेखन और ज्ञान का प्रसार किया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी लोक और जनजातीय कलाओं के संवर्धन की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न लोक और जनजातीय मंच कला परंपराओं को इसके राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव और बाल संगम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

भारती मानव-विज्ञान सर्वेक्षण ने विगत वर्षों में वार्ली पेंटिंग, गोंड की वाल पेंटिंग, विभिन्न जनजातीय और अन्य समुदायों के वाद्य यंत्रों आदि जैसे कतिपय लोक कला और शिल्प रूपों का अपने कार्य के अंग के रूप में संग्रह और प्रलेखन किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, सृजनात्मक और मंच कलाओं तथा इस देश के लोगों की संस्कृति के परिरक्षण के लिए प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं तथा विचार-गोष्ठियां आयोजित करता है और पारंपरिक लोक कला उसका एक महत्वपूर्ण अंग होती है।

विवरण

"साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों, जो दयनीय अवस्था में रह रहे हैं, और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता की स्कीम" के अंतर्गत लाभ पाने वाले कलाकारों की राज्यवार संख्या

वर्ष 2010-11

क्र. सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	300
2.	असम और मणिपुर	176
3.	बिहार	46
4.	दिल्ली	50
5.	गोवा और गुजरात	26
6.	हरियाणा	29
7.	हिमाचल प्रदेश	07
8.	जम्मू और कश्मीर	01
9.	झारखंड	09
10.	कर्नाटक	492
11.	केरल	210
12.	मध्य प्रदेश	34
13.	महाराष्ट्र	694
14.	मेघालय	02
15.	मिजोरम	08
16.	नागालैण्ड	01
17.	उड़ीसा	263
18.	पुडुचेरी	12
19.	पंजाब	05
20.	राजस्थान	09
21.	तमिलनाडु	142
22.	त्रिपुरा	01
23.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	284
24.	पश्चिम बंगाल	75
	कुल	2876

[हिन्दी]

गो-हत्या पर प्रतिबंध

452. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गो-हत्या और गोमांस के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई केन्द्रीय कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी आवश्यक परामर्श किए जा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के अनुसार गोपशु संरक्षण का मामला एक ऐसा मामला है जिसके लिए कानून बनाने की शक्ति अनन्य रूप से राज्य विधान मंडलों को पास है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 15)। अत: यह राज्य सरकारों पर है कि वे इस विषय पर कानून बनाएं। जिन राज्यों ने गोवध पर प्रतिबंध लगाया है उनकी सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के गो और इसकी संतति के वध पर प्रतिषेध अथवा वध को सीमित करने संबंधी कानून हैं

क्र.सं.	राज्य
1097.	आन्ध्र प्रदेश

क्र.सं.	राज्य
1098.	असम
1099.	बिहार
1100.	गोवा
1101.	गुजरात
1102.	हरियाणा
1103.	हिमाचल प्रदेश
1104.	जम्मू और कश्मीर
1105.	कर्नाटक
1106.	मध्य प्रदेश
1107.	महाराष्ट्र
1108.	उड़ीसा
1109.	पंजाब
1110.	राजस्थान
1111.	सिक्किम
1112.	तमिलनाडु
1113.	त्रिपुरा
1114.	उत्तर प्रदेश
1115.	पश्चिम बंगाल
1116.	मणिपुर
1117.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
1118.	उत्तराखंड
1119.	झारखंड
1120.	छत्तीसगढ़
	संघ शासित प्रदेश
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2.	चंडीगढ़
3.	दादरा और नगर हवेली
4.	दमन और द्वीप
5.	पुडुचेरी

[अनुवाद]

डेयरी उद्यम पूंजी कोष

453. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु डेयरी उद्यम पूंजी कोष के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में उपर्युक्त योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को दिए गए ऋणों का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) उपर्युक्त योजना को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष (डी.वी.सी.एफ.) का मूल्यांकन करने के पश्चात् उसमें संशोधन किया गया और 1 सितम्बर, 2010 से उसे डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.) का नाम दिया गया। डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष का उद्देश्य कृषकों, भिन्न-भिन्न उद्यमियों और स्व-सहायता समूहों सहित असंगठित और संगठित क्षेत्र के समूहों, डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध संघों और दुग्ध परिसंघों आदि को क्रेडिट सहायता प्रदान करके ग्रामीण इलाकों में उद्यमशीलता और स्व-रोजगार को बढ़ावा देना था। योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना।
2. असंगठित क्षेत्र प्रसंस्करण और ग्रामीण स्तर पर पाश्चुरीकृत दूध के विपणन में संरचनात्मक परिवर्तन करना।

3. दूध की वाणिज्यिक स्तर पर व्यवस्था करने के लिए उत्तम तथा परम्परागत प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना।

(ख) कर्नाटक में विगत तीन वर्षों के दौरान डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष के तहत मंजूर की गई ब्याजमुक्त ऋण सहायता का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	वर्ष	जिला	डेयरी इकाइयों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	2008-09	शून्य	शून्य	शून्य
2.	2009-10	दक्षिण कन्नड़	03	4.9
3.	2010-11*	शून्य	शून्य	शून्य

*31-08-2010 तक

(ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष योजना के कार्यान्वयन और संवर्द्धन की एजेंसी थी।

(घ) नाबार्ड योजना के निर्देश जारी करने और वित्तीय प्रबंध करने वाले बैंकों को इनकी जानकारी देने, पणधारियों के लिए राज्य स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करने, योजना पर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर चर्चा करने के लिए बैंकरों की बैठकें आयोजित करने, इस योजना सहित सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के संवर्द्धन के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित करने, पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं वितरण करने और नाबार्ड को संभाव्य सहबद्ध योजनाओं में इनको शामिल करने के लिए योजनाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है।

कृषक फसल बीमा योजना

454. श्री एंटो एंटोनी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषिक फसल बीमा योजना (एफ.सी. आई.एस.) के अंतर्गत सम्मिलित फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में एफ.सी.आई.एस. के अंतर्गत केरल में खर्च की गई धनराशि का क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितने किसान लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वर्तमान में, चार फसल बीमा योजनाएं नामत: राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.), प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी. आई.एस.), प्रायोगिक आशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) और प्रायोगिक नारियल पाम बीमा योजना (सी.पी.आई.एस.) देश में कार्यान्वयन अधीन हैं। सभी खाद्य और तिलहन फसलें, वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें एवं कुछ नकदी फसलें इन योजनाओं के अधीन शामिल की गई हैं।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केरल में व्यय की गई राशि, शामिल क्षेत्र और लाभान्वित हुए किसानों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं:

वर्ष	राशि (केन्द्रीय भाग)	बिमित क्षेत्र (है. में)	लाभान्वित हुए किसानों की संख्या
2008-09	49	25612	2589
2009-10	118	37575	7558
2010-11	172	52506	12726

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा

455. डॉ. रत्ना डे:

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन/समीक्षा से बड़े पैमाने पर जाली कार्डों के प्रचलन में होने का पता चला है जबकि बड़ी संख्या में वास्तविक लाभार्थी इस सुविधा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन/समीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने जाली कार्डों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने जाली कार्डों को रद्द करके कार्डधारकों की सूची की समीक्षा करने और पात्र व्यक्तियों को कार्ड उपलब्ध कराने हेतु अभियान चलाने के लिए राज्यों को निदेश/सुझाव जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितने जाली कार्डों का पता लगाया गया तथा रद्द किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) विभाग द्वारा कराए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के मूल्यांकन अध्ययनों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में शामिल करने और शामिल न करने की त्रुटियों, खाद्यान्नों के लीकेज और विपथन आदि जैसी कुछ कमियां/त्रुटियां पाई गई हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करते हुए 2006 में एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों और उन्हें जारी किए गए राशन कार्डों की समीक्षा करना और जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त करना शामिल है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की मौजूदा सूचियों और उन्हें जारी किए गए राशन कार्डों की समीक्षा करने और ऐसे प्रत्येक परिवार तथा राशन कार्ड में यूनिट के ब्यौरों का सत्यापन/क्रास जांच करने के अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि अपात्र/जारी राशन कार्ड समाप्त किए जा सकें। जाली राशन कार्ड रखने वालों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर जाली राशन कार्ड वापस करने के लि चेतावनी जारी करने हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निम्न ब्यौरे के अनुसार जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त करने की सूचना दी है:-

वर्ष	समाप्त किए गए जाली/ अपात्र राशन कार्डों की संख्या
2008	3780229
2009	1630837
2010	3055134
2011 (30-6-11 तक)	97628

[हिन्दी]

खेल अवसंरचना का निर्माण

456. श्री रामकिशुन:

श्री संजय निरूपम:

श्री ए. सम्पत:

श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में खेल अवसंरचना, उपकरणों, वैज्ञानिक आधार तथा अन्य सुविधाओं की भारी कमी का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अपने-अपने राज्यों में खेलों के संवर्धन तथा विकास हेतु स्टेडियमों के निर्माण/खेल अवसंरचना के विकास में आर्थिक सहायता देने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य-

वार कितने प्रस्ताव/आकलन केंद्र सरकार को प्राप्त हुए हैं तथा इनमें प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत/जारी/खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित राज्य स्तर पर खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां। सरकार को देश में उपलब्ध सीमित खेल सुविधाओं की जानकारी है। इस कमी को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण खेल अवसंरचना स्कीम नामतः 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका)' 2008-09 में आरंभ की गई है। यह कार्यक्रम पंचायत स्तर पर बुनियादी खेल सुविधाएं तथा उपस्कर प्रदान करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद सुविधाओं को प्रोत्साहित करता है।

सरकार ने प्रायोगिक आधार पर दो वर्षों (2010-11 तथा 2011-12) के लिए एक नई स्कीम नामतः 'शहरी खेल अवसंरचना स्कीम' भी आरंभ की है। स्कीम के अंतर्गत राज्यों को खेल सुविधाओं के उन्नयन/नवीकरण, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण एवं विकास, कोचिंग, खेल मैदानों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव तथा जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III एवं IV पर दिया गया है।

शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त किए गए प्रस्तावों की सं.	अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की सं.	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	2010-11	11	04	19.98	12.50

2010-11 के दौरान शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-V पर दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं। खेल राज्य का विषय है इसलिए केंद्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश सहित राज्य स्तर पर खेल निकाय प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

पायका योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान राज्यवार अनुमोदन तथा जारी किया गया अवसंरचना अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल अनुमोदित राशि	जारी की गई निधि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.98	12.99
2.	असम	4.81	-

1	2	3	4
3.	बिहार	10.44	5.22
4.	छत्तीसगढ़	10.11	-
5.	गोवा	0.35	-
6.	गुजरात	9.65	-
7.	हरियाणा	6.51	3.26
8.	हिमाचल प्रदेश	4.02	2.01
9.	जम्मू और कश्मीर	5.32	2.66
10.	केरल	1.60	0.80
11.	मध्य प्रदेश	23.65	11.82
12.	महाराष्ट्र	27.55	8.91
13.	मणिपुर	1.08	0.87
14.	मिजोरम	1.07	0.85
15.	नागालैंड	1.48	1.18
16.	ओडिशा	7.34	3.67
17.	पंजाब	12.55	6.27
18.	राजस्थान	9.43	3.71
19.	सिक्किम	0.67	0.54
20.	तमिलनाडु	13.82	5.00
21.	त्रिपुरा	1.36	1.09
22.	उत्तर प्रदेश	53.91	10.00
23.	उत्तराखंड	8.89	3.00
24.	पश्चिम बंगाल	4.63	-
	कुल	246.22	83.85

विवरण-II

वर्ष 2009-10 के दौरान पायका के अंतर्गत राज्यवार अनुमोदन तथा जारी किया गया अवसंरचना अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित की गई कुल राशि	जारी की गई निधि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश		12.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.56	4.44
3.	असम	-	3.85
4.	बिहार	-	5.02
5.	छत्तीसगढ़	-	5.06
6.	गोवा	-	0.18
7.	गुजरात	-	7.10
8.	हरियाणा	-	3.25
9.	हिमाचल प्रदेश	-	2.01
10.	जम्मू और कश्मीर	-	2.10
11.	झारखंड	4.79	2.39
12.	कर्नाटक	6.22	3.12
13.	केरल	-	0.80
14.	महाराष्ट्र	-	4.86
15.	मेघालय	1.32	1.06
16.	मिजोरम	2.08	0.21
17.	नागालैण्ड		0.30
18.	ओडिशा	7.34	8.05
19.	पंजाब		6.27
20.	राजस्थान		4.72
21.	सिक्किम	1.35	0.13

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	-	1.91
23.	उत्तर प्रदेश	-	16.96
24.	उत्तराखण्ड	-	5.90
	कुल	28.67	105.00

विवरण-III

वर्ष 2010-11 हेतु पायका योजना के अंतर्गत राज्यवार अनुमोदन तथा जारी किया गया अवसंरचना अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित कुल राशि	जारी की गई निधि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	51.96	25.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.11	10.51
3.	गुजरात	11.35	2.55
4.	हरियाणा	14.43	14.43
5.	हिमाचल प्रदेश	8.79	8.80
6.	कर्नाटक	12.47	14.86
7.	केरल	11.17	11.17
8.	महाराष्ट्र	28.16	41.94
9.	मेघालय	1.32	1.19
10.	मिजोरम	2.25	2.27
11.	नागालैण्ड	5.92	2.96
12.	ओडिशा	10.35	5.98
13.	पंजाब	27.87	26.66
14.	सिक्किम	0.67	0.02
15.	त्रिपुरा	7.06	3.24
16.	उत्तर प्रदेश	58.83	62.27

1	2	3	4
17.	उत्तराखंड	19.43	19.43
18.	पश्चिम बंगाल	4.63	2.32
	संघ शासित क्षेत्र		
19.	अंडमान और निकोबारद्वीपसमूह		
20.	लक्षद्वीप	0.51	0.51
21.	पुडुचेरी	0.69	0.69
	कुल	285.40	260.84

विवरण-IV

पायका के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए राज्यवार अनुमोदन तथा जारी किया गया अवसंरचना अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल अनुमोदित राशि	30-06-2011 के अनुसार जारी की गई निधि
1.	आन्ध्र प्रदेश		25.98
2.	मिजोरम		2.07
3.	ओडिशा		7.34
4.	उत्तर प्रदेश		18.39
	कुल		53.78

विवरण-V

वर्ष 2010-11 के दौरान शहरी खेल अवसंरचना परियोजना के अंतर्गत मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य और मंजूर की गई खेल अवसंरचना	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपयों में)	जारी की गई राशि (करोड़ रुपयों में पहली किश्त)
1	2	3	4
1.	पंजाब (बहुद्देशीय हाल)	3.98	2.00

1	2	3	4
2.	हिमाचल प्रदेश (सिंथेटिक हाकी फील्ड)	5.00	3.50
3.	मिजोरम (एसरो-टर्फ हाकी फील्ड)	5.00	4.00
4.	पश्चिम बंगाल (इन्डूर स्पोर्टस काम्पलेक्स, ईडन गार्डन कलकत्ता के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु)	6.00	3.00
	कुल	19.98	12.50

गेहूं तथा चने का समर्थन मूल्य

457. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गेहूं, चने अथवा अन्य कृषि उत्पादों के उचित तथा लाभकारी मूल्य का मूल्यांकन करते/निर्धारित करते समय राज्यों में वभिन्न मौसमी, भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के लिए गेहूं तथा चने का समर्थन तथा उचित लाभकारी मूल्य को अंतिम रूप देने तथा उसके निर्धारण में शामिल संस्थानों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) का निर्धारण करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग एक विशेष फसल को उगाने वाले राज्यों के भिन्न-भिन्न भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखता हैं तथा उनके उत्पादन लागत संबंधित स्तरों का मूल्यांकन करता है।

(ग) सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचार को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्णय करती है। अपनी सिफारिशें तैयार करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग किसानों के विचारों को भी ध्यान में रखती है।

खाद्यान्नों की क्षति

458. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भंडारण के दौरान खाराब हुए खाद्यान्नों की अनुज्ञेय सीमाओं के कोई मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय खाद्य निगम के ऐसे गोदामों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्न निर्धारित सीमा से ज्यादा खराब हुए हैं; और

(ग) इस क्षति को कम से कम करने के लिए सरकार द्वारा किन विशेष उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। भंडारण के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाले खाद्यान्नों की अनुमेय सीमा के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को समय-समय पर अनुदेश दिए गए हैं कि वे ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण में खाद्यान्नों के उचित और सुरक्षित भंडारण के लिए अपेक्षित उपाय करें। हाल ही में 6-7-2011 को ऐसे अनुदेश सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के स्टाक का उचित परिरक्षण और सुरक्षित

भंडारण करने के लिए पग उठाने हेतु फिर भेजे गए हैं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल के स्टाक में क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानी/उपचारात्मक उपाय किए जाने होते हैं:-

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार कराया जाना होता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण उचित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए किया जाना होता है।

(iii) जमीन से नमी को आने से रोकने के लिए लकड़ी के क्रेट, बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की शीटों जैसे पर्याप्त डनेज सामग्री का इस्तेमाल किया जाना होता है।

(iv) सभी गोदामों में भंडारित अनाज को कीट जन्तुबाधा से बचाने के लिए प्रधूमन कवर, नाइलॉन की रस्सियां, जाल तथा कीटनाशक उपलब्ध कराए जाने होते हैं।

(v) भंडारित अनाज को कीट जन्तुबाधा से बचाने के लिए गोदामों में नियमित रूप से तथा समय पर रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोग-हर (प्रधूमन) उपचार किए जाने होते हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में प्रभावी मूसक नियंत्रक उपाय किए जाने होते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिंथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाता है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाता है।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा स्टॉक/गोदामों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाना होता है।

(ix) जहां तक संभव हो, प्रथम आमद-प्रथम निर्गम के सिद्धांत को अपनाया जाना होता है, ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के लंबे समय तक भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल किया जाए ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

पुलिस सुधार

459. श्री इज्यराज सिंह:

श्री हरीश चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में पुलिस सुधारों तथा राज्य पुलिस की कार्य-प्रणाली के संबंध में संघ तथा राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में संघ तथा राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित कर दिया है; और

(च) सभी राज्यों में इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) पुलिस के कार्यकरण और आचरण के विभिन्न पहलुओं पर निदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ 1993 की रिट याचिका (सिविल) 340-343, विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (निर्णय की तारीख: 18-12-1997) 1986 की रिट याचिका (सी.आर.एल.) संख्या 539, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (निर्णय की तारीख: 18-12-1996), रिट याचिका (सिविल) संख्या 310/1996-प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (निर्णय की तारीख: 22-09-2006) में जारी किए गए थे।

विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जांच पड़ताल एजेन्सियों को बाहरी

प्रभावों से अलग रखे जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। माननीय न्यायालय ने इस बात की जरूरत को भी रेखांकित किया कि राज्य सरकारें, राज्य पुलिस के प्रमुख के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक और इससे उच्च रैंक के सभी पुलिस अधिकारियों के चयन, नियुक्ति, कार्यकाल, स्थानान्तरण और तैनाती के लिए विश्वसनीय तंत्र स्थापित करें। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में रखे जाने के लिए अपनाये जाने वाले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के संबंध में निदेश जारी किए। चूंकि 'पुलिस' राज्य का विषय है इसलिए उक्त मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश, कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं।

रिट याचिका (सिविल)संख्या 210/1996-प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में माननीय न्यायालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुलिस सुधारों के संबंध में निर्देश जारी किए। राज्य सरकारों को दिए गए इन निर्देशों में मुख्यतया निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) राज्य सुरक्षा आयोग का गठन।

(ii) राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उस रैंक में पदोन्नति के लिए पैनल में रखे गए विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाए और एक बार चयन होने पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिए बगैर उन्हें न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया जाए।

(iii) प्रचालनात्मक ड्यूटी के दायित्वों वाले पुलिस अधिकारियों को न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना।

(iv) कानून एवं व्यवस्था पुलिस से पृथक जांच पुलिस का होना और इसे प्रारम्भ में दस लाख या अधिक की आबादी वाले कस्बों/नगरों से शुरू करके धीरे-धीरे इसका विस्तार कस्बों/शहरी क्षेत्रों तक करना।

(v) अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारियों और उप पुलिस अधीक्षक रैंक तक और इससे नीचे के अधिकारियों के सभी स्थानान्तरणों, तैनातियों, पदोन्नतियों के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना करना।

(vi) पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करना।

(vii) केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सी.पी.ओ.) के प्रमुख जिसका न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष होना चाहिए के चयन और तैनाती के लि समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखे जाने के लिए पैनल तैयार करने के लिए केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना करना, इत्यादि।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारों को इसके अनुपालन के लिए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के निदेश भी दिया। इस मामले की न्यायालय द्वारा विभिन्न अगली-तारीखों पर सुनवाई की गई। दिनांक 16-5-2008 को माननीय न्यायालय ने दिनांक 22-9-2006 के अपने निर्णय में पहले दिए गए विभिन्न निदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के.टी. थामस की अध्यक्षता में दो अन्य लोगों के साथ एक आयोग गठित किए जाने का निदेश दिया। आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है और यह मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है। इसकी अन्तिम सुनवाई दिनांक 11-4-2011 को हुई थी और अगली सुनवाई के लिए कोई अगली तारीख निश्चित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

मानव दुर्व्यापार रैकिट

460. श्री वैजयंत पांडा:

श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के रैकिटों सहित मानव दुर्व्यापार के रैकिटों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों में इस संबंध में पंजीकृत मामले कितने हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मानव दुर्व्यापार के कार्यों में शामिल होने के कारण निरुद्ध किये गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा मानव दुर्व्यापार रैकटों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, एन.सी.आर.बी. द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2007, 2008 और 2009 की अवधि के दौरान मानव दुर्व्यापार के तहत कारित कुल अपराधों के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों और उनमें गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	दर्ज मामले	गिरफ्तार व्यक्ति
2007	3991	10378
2008	3029	8774
2009	2848	8264

इनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं। दुर्व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने और उनसे निपटने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है अर्थात मानव दुर्व्यापार के अपराध से व्यापक रूप से निपटने और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने के साथ-साथ, पीड़ितों के बचाव, राहत और पुनर्वास को शामिल करते हुए प्रभावकारी और व्यापक रणनीति तैयार करने हेतु दिनांक 9-9-2009 को राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी करना, गृह मंत्रालय में दुर्व्यापार-रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना करना, विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जागरुकता पैदा करने संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दुर्व्यापार पीड़ितों सहित संकटपूर्ण परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए शार्ट स्टे-होम, स्वाधार होम्स जैसे आश्रय आधारित गृह चलाता है।

विवरण

वर्ष 2007-2009 के दौरान मानव दुर्व्यापार के तहत कारित कुल अपराध के संबंध में पंजीकृत मामले (सी.आर.), आरोपत्रित मामले (सी.एस.), दोषसिद्ध मामले (सी.वी.), गिरफ्तार व्यक्ति (पी.ए.आर.), आरोप पत्रित व्यक्ति (पी.सी.एस.) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पी.सी.वी.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	660	648	143	1807	1691	366
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	21	20	6	52	46	15
4.	बिहार	120	98	9	192	157	17
5.	छत्तीसगढ़	17	17	1	76	76	6
6.	गोवा	10	7	3	27	22	6
7.	गुजरात	69	68	0	248	285	0

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	88	91	15	353	361	27
9.	हिमाचल प्रदेश	2	1	0	3	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	2	0	9	10	0
11.	झारखण्ड	39	32	3	80	73	4
12.	कर्नाटक	620	620	396	1911	1877	877
13.	केरल	223	205	48	544	515	174
14.	मध्य प्रदेश	37	38	4	137	137	39
15.	महाराष्ट्र	366	368	35	1328	1326	59
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	9	1	0	1	1	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	4	3	5	20	3	3
20.	ओडिशा	40	51	3	131	129	24
21.	पंजाब	45	49	11	145	227	35
22.	राजस्थान	92	92	13	321	321	22
23.	सिक्किम	2	1	0	11	4	0
24.	तमिलनाडु	1201	1051	893	1973	1829	1282
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	50	49	26	308	278	140
27.	उत्तराखण्ड	10	7	2	61	45	10
28.	पश्चिम बंगाल	182	147	22	339	294	14
	कुल राज्य	**3908**	**3666**	**1638**	**10077**	**9708**	**3120**
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	2	0	0
30.	चंडीगढ़	5	7	1	21	27	2
31.	दादरा और नगर हवेली	2	0	0	6	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमन और द्वीप	5	0	0	28	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	65	97	76	220	225	112
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36.	पुडुचेरी	5	5	5	24	24	21
कुल संघ और राज्य क्षेत्र		**83**	**109**	**82**	**301**	**276**	**135**
	कुल (अखिल भारत)	3991	3775	1720	10378	9984	3255

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	408	420	77	1257	1340	251
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	27	25	10	62	90	17
4.	बिहार	106	88	14	189	156	21
5.	छत्तीसगढ़	8	8	1	18	18	3
6.	गोवा	14	12	12	42	34	43
7.	गुजरात	59	55	3	214	209	5
8.	हरियाणा	77	81	21	361	360	117
9.	हिमाचल प्रदेश	3	1	1	13	2	1
10.	जम्मू और कश्मीर	4	4	0	10	10	0
11.	झारखण्ड	66	42	5	142	122	13
12.	कर्नाटक	520	517	215	1671	1657	575
13.	केरल	200	208	134	438	518	197
14.	मध्य प्रदेश	30	22	5	78	61	3
15.	महाराष्ट्र	366	346	62	1470	1296	144

1	2	9	10	11	12	13	14
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	3	1	0	14	1	0
18.	मिजोरम	1	1	0	1	1	0
19.	नागालैण्ड	1	1	1	10	1	1
20.	ओडिशा	29	36	3	107	82	15
21.	पंजाब	43	45	12	168	157	28
22.	राजस्थान	72	70	65	253	253	41
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	688	732	809	1280	1207	1032
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	57	47	37	383	375	276
27.	उत्तराखण्ड	5	5	6	22	28	20
28.	पश्चिम बंगाल	163	116	12	303	244	20
	कुल राज्य	**2950**	**2883**	**1505**	**8506**	**8222**	**2823**
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	0	0	2	0
30.	चंडीगढ़	7	2	0	35	3	0
31.	दादरा और नगर हवेली	3	4	0	22	20	0
32.	दमन और द्वीप	6	6	0	30	48	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	60	50	40	162	289	119
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	3	3	1	19	19	7
कुल संघ और राज्य क्षेत्र		**79**	**66**	**41**	**268**	**381**	**126**
	कुल (अखिल भारत)	3029	2949	1546	8774	8603	2949

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	309	321	218	1070	1119	200
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	38	18	0	62	37	0
4.	बिहार	129	65	11	161	133	24
5.	छत्तीसगढ़	14	13	1	49	42	3
6.	गोवा	23	19	10	73	44	17
7.	गुजरात	44	39	1	202	192	10
8.	हरियाणा	90	83	19	391	375	93
9.	हिमाचल प्रदेश	11	11	0	29	41	0
10.	जम्मू और कश्मीर	6	5	0	19	18	0
11.	झारखण्ड	7	20	10	66	46	22
12.	कर्नाटक	336	319	150	1341	1243	322
13.	केरल	328	331	182	666	654	248
14.	मध्य प्रदेश	22	24	7	82	99	9
15.	महाराष्ट्र	344	386	92	1537	1744	200
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	5	4	0	5	5	0
18.	मिजोरम	1	0	1	1	0	1
19.	नागालैण्ड	3	5	5	24	17	18
20.	ओडिशा	15	16	3	57	56	7
21.	पंजाब	62	50	11	234	183	38
22.	राजस्थान	63	60	21	216	213	107
23.	सिक्किम	1	1	0	2	3	0
24.	तमिलनाडु	716	718	463	1269	1403	820

1	2	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	28	15	4	29	8	4
26.	उत्तर प्रदेश	39	37	21	201	186	176
27.	उत्तराखण्ड	6	5	5	29	39	9
28.	पश्चिम बंगाल	160	86	9	295	216	17
	कुल राज्य	**2800**	**2651**	**1244**	**8110**	**8116**	**2345**
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	1	2	0	1
30.	चंडीगढ़	4	6	0	14	33	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	8	0
32.	दमन और द्वीप	4	2	0	27	11	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	30	34	31	79	107	80
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	9	9	3	32	32	12
कुल संघ और राज्य क्षेत्र		**48**	**52**	**35**	**154**	**191**	**93**
	कुल (अखिल भारत)	2848	2703	1279	8264	8307	2438

स्रोतः क्राइम इण्डिया

नोटः पुलिस एवं न्यायालयों की निपटान संबंधी जानकारी में पिछले वर्षों के लम्बित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदयाः लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

...(*व्यवधान*)

मध्याह्न 12.0¼ बजे

इस समय श्री शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.0½ बजे

इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(*व्यवधान*)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4550/15/11)

(2) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4551/15/11)

(3) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 जो 13 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या इ.पी. 1(5)/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4552/15/11)

(दो) खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 2011 जो 6 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 305(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4553/15/11)

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2011 जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 346(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2011 जो 4 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 297(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति तथा सेवा की निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 6 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 364(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4554/15/11)

(5) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2010 जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2011 जो 12 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 385(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4555/15/11)

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: सभा पटल पर रखे जा रहे पत्रों के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 909 (अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मई, 2011 को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4556/15/11)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 10 मई, 2011 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्यांक 1)

(ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4557/15/11)

(दो) 20 जून, 2011 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्यांक 2)।

(ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4558/15/11)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4559/15/11)

(दो) भारतीय बीज निगम लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी/**देखिए** संख्या एल.टी. 4560/15/11)

अपराह्न 12.01½ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

(1) महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मैं 22 फरवरी, 2011 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के सातवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 5 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

1. विनियोग (रेल) विधेयक, 2011;
2. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2011;
3. विनियोग विधेयक, 2011;
4. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2011; और

(5) वित्त विधेयक, 2011

महोदया, मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटर पर रखता हूं:-

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011;

2. बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2011; और

3. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2011।

(ग्रंथालय में रखे गये/**देखिए** संख्या एल.टी. 4561/15/11)

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.02 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

22वें से 38वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्त सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे मैं तैंतीसवां प्रतिवेदन*।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन*।

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन*।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन*।

(5) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सैंतीसवां प्रतिवेदन*।

(6) 'कर निर्धारण/छूट तथा आई.पी.एल./बी.सी.सी.आई. से संबंधित अन्य मामले/विषय पर अड़तीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02¾ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

(एक) 149वें से 151वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): अध्यक्ष महोदया, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ उनचासवां प्रतिवेदन।

(दो) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी एक सौ पचासवां प्रतिवेदन।

(तीन) आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन।

दो साक्ष्य

श्री नवीन जिन्दल: अध्यक्ष महोदया, मैं आयुध (संशोधन विधेयक, 2010 के बारे में विभाग से सम्बद्ध गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य** सभा पटल पर रखता हूं।

---

*तैंतीसवें से लेकर छत्तीसवां तथा अड़तीसवां प्रतिवेदन, माननीय अध्यक्ष को 30 जून, 2011 को प्रस्तुत किए गए थे तथा सैंतीसवां प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को निदेश 71क के अंतर्गत 11जुलाई, 2011 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का सहर्ष आदेश दिया।

*प्रतिवेदन माननीय सभापति, राज्य सभा को 2 जून, 2001 को प्रस्तुत किया गया था तथा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अग्रेषित किया गया था।

**आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में साक्ष्य माननीय सभापति, राज्यसभा के 2 जून, 2011 को प्रस्तुत किया गया था तथा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अग्रेषित किया गया था।

अपराह्न 12.03 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

(एक) 236वां और 237वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): अध्यक्ष महोदया, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010 के बारे में दो सौ छत्तीसवां प्रतिवेदन*।

(2) विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियम) विधेयक, 2010 के बारे में दो सौ सैंतीसवां प्रतिवेदन।

(दो) साक्ष्य

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदया, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के दिए गए साक्ष्यों की प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिधेष विधेयक, 2010; और

(2) विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियम) विधेयक, 2010।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.03½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

223वां और 224वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित उत्तर-पूर्व हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में 223वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में 224वां प्रतिवेदन*।

अपराह्न 12.04 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें - (सामान्य), 2011-12

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, मद संख्या 14 - श्री प्रणब मुखर्जी।

...(*व्यवधान*)

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4562/15/11)

अपराह्न 12.05 बजे

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011**

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

---

*प्रतिवेदन माननीय सभापति, राज्य सभा को 30 मई, 2011 को प्रस्तुत किया गया था तथा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अग्रेषित किया गया था।

*प्रतिवेदन राज्य सभा सभापति द्वारा निदेश के निदेश 3(1) के अंतर्गत माननीय सभापति, राज्य सभा को 27 मई, 2011 को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन की एक प्रति माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को 30 मई, 2011 को अग्रेषित की गई थी।

**सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1563/15/11

(श्री एस. गांधी सेवलन): मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. 'गांधीसेलवन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2011*

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधी सेवलन): मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से भारतीय आयुर्विज्ञान (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2009 का संख्यांक 1) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नियम 377 के अधीन विषयों को पटल पर रखा जाएगा। माननीय सदस्य पारंपरानुसार अपनी पर्चियां सभा पटल पर भेज सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

(एक) उत्तराखंड में चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड राज्य के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड राज्य, भारतवर्ष का सीमांत क्षेत्र है और साथ ही यहां भौगोलिक परिस्थितियां भी काफी विषम है। परंपरागत खेत व नौकरी ही आय व रोजी-रोटी का साधन है। इस राज्य के पहाड़ी जनपद जैसे चमोली, नैनीताल, देहरादून, अलमोड़ा आदि में चाय बागान का कार्य लगभग 50 वर्ष पूर्व से किया जा रहा है। जनपद चमोली के कर्णप्रयाग व गैरसैंण ब्लॉक में चाय बागान की अत्याधिक खेती की जाती है, इनमें स्थानीय लोग श्रमिक के रूप में कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं।

इन चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को यथायोग्य वेतनमान का भुगतान नहीं हो रहा है और न ही उन्हें बीमा, चिकित्सा, बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त है। ऐसे में इन लोगों के सामने आर्थिक तंगी व भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड की राज्य सरकार को निर्देशित करे कि चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को समुचित वेतन व बीमा सुविधा का लाभ प्रदान करे जिससे चाय बागानों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों को दो वक्त का भोजन सुनिश्चित हो सके।

(दो) केरल में का:लीकट रेलवे स्टेशन को एक विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड): तत्कालीन माननीय रेल मंत्री ने वर्ष 2009-10 के अपने बजट में कालीकट रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की सहमति व्यक्त की ओर परंतु दूर-दूर तक ऐसा कुछ

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1563/15/11

**सभा पटल पर रखे माने गये।

[श्री एम.के. राघवन]

दिखाई नहीं देता कि कार्य शुरू किया गया है। ऐसा समझा जाता है कि रेलवे डिजाइनिंग आदि कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को बहुत ऊंची फीस पर लाने पर विचार कर रही है जो कि कार्य शुरू करने में विलंब का मुख्य कारण है।

यह सुझाव है कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तुकारों की सेवाएं लेने के बजाय पारम्परिक विनायन्स में अनुभव प्राप्त स्थानीय वस्तुकारों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय रूपरेखा का रखरखाव किया जाए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं कम लागत पर उपलब्ध हो जाएंगी।

इसलिए, यह अनुरोध है कि माननीय रेल मंत्री कृपया इस कार्य को अपने देश के विशेषज्ञों को सौंपने पर विचार करें जो कि क्षेत्र की स्थानीय वास्तुकला को बनाये रखें और साथ ही कार्य को अपेक्षाकृत कम लागत पर तत्काल शुरू कर सकें।

(तीन) राजसहायता प्राप्त एल.पी.जी. सिलेंडरों की वर्तमान योजना को जारी रखे जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थॉमस (इडुक्की): मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज सहायता प्राप्त एल.पी.जी. सिलेंडरों की संख्या को प्रति वर्ष चार सिलेंडर तक सीमित करने के प्रस्ताव को रद्द कर दें। 800 रुपये प्रति सिंलिडर के प्रस्तावित मूल्य को जनता वहन नहीं कर पायेगी। यह सरकारी अनुमान कि एक एल.पी.जी. सिलेंडर घरेलू रसोई की 40 दिनों की खाना पकाने संबंधी आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त है सही नहीं है। सामान्यतः, यदि गैस का समुचित रूप से उपयोग किया जाता है तो भी एक एल.पी.जी. सिलिंडर 30 दिन से अधिक नहीं चल सकता। प्रति सिलिंडर गैस के कुल भार में कमी की शिकायतें भी आम बात है। अतः, प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 12 सिलिंडरों की आवश्यकता होगी। मेरा अनुरोध है कि सरकार जो इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और इस समय दी जा रही राज-सहायता को जारी रखना चाहिए।

(चार) मदुरई और कन्याकुमारी खंड के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के ठहराव तमिलनाडु के तिरूनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नंगुनेरी, वल्लीयूर और पानागुड़ी रेलवे स्टेशनों पर दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): तिरूनेलवेली जिले में नावगुनेरी एक ऐसा स्थान है जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। नानगुनेरी के निकट मुद्रादइण्पू में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। यह विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।

तिरूनेलवेली जिले में वल्लीपुर पूर्णतः कृषि उन्मुख क्षेत्र है। भारी संख्या में लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं और उनकी मुख्य फसलें धान, गन्ना, केला सब्जियां आदि हैं। इसके अतिरिक्त वे कुक्कुट पालन में भी संलग्न हैं। उनके द्वारा उत्पादित कृषि और कुक्कुटपालन उत्पादों को देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। जिससे सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होता है। मेरे तिरूनेलवेली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित पनांगुडी सबसे बड़ा कस्बा है। यह पवन चक्कियों, टाइल्स फैक्ट्रियों, ईट उद्योगों और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पानागुड़ी के आस-पास 50 से अधिक इंजीनियरिंग, चिकित्सा, भेषज और अन्य महाविद्यालय चल रहे हैं। इसकी जनसंख्या 80,000 से अधिक है और अस्थाई जनसंख्या भी बहुत अधिक है।

उक्त स्थानों पर रह रहे व्यक्ति प्रायः मदुरै, तिरूनेलवेली, कन्याकुमारी और अन्य स्थानों पर आते जाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में लोग साल भर उपर्युक्त तीन स्थानों पर आते जाते रहते हैं। उपर्युक्त स्थानों पर कई ट्रेनों के न रुकने के कारण, यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।

उपर्युक्त को देखते हुये मैं माननीय रेल मंत्री से विनम्र आग्रह करता हूं कि मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड के बीच चलने वाले सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का नामुनेरी वल्लियार और पानागुडी रेलदे स्टेशनों पर ठहराव देने का प्रावधान किया जाए और पर्याप्त वर्थ और सीट कोटा उपलब्ध कराया जाए।

(पांच) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए एक समय-सीमा नियत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): देश में संसद सदस्य स्थानीय विकास निधि के अंतर्गत जारी धनराशि को जन-प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में जन भावना के आधार पर, जन आवश्यकता के आधार पर एवं निधि के अंतर्गत बनाए गए

दिशा निर्देशों के आधार पर प्रस्ताव करते हैं इसमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको जल्द किया जाना अति आवश्यक होता है। परंतु स्थानीय प्रशासन अधिकारी इन कार्यों को करवाने में नाहक देरी करते हैं और कई सांसदों की निधि का तो कार्य किए जाने के बाद उनका कार्यकाल तक उपयोग नहीं होता है। समय सीमा के संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं साथ ही साथ स्थानीय अधिकारियों की वजह से संसद सदस्य विकास निधि के अंतर्गत बनाए कार्यों पर नेम प्लेट लगाने का कार्य नियमानुसार नहीं हो रहा है। काम किसी सांसद निधि से होता है तो नेम प्लेट किसी अन्य जन प्रतिनिधि की लगा दी जाती है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि संसद सदस्य स्थानीय विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को कराने की एक समय सीमा रखी जाए और नेम प्लेट लगाने के कार्य में नियमों के अनुसार किया जाए और इसमें सख्ती बरती जाए।

(छह) केरल के मवेलीकारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल्लूमाला और बुथा जंक्शन के बीच समपार पर रेल ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मवेलीकारा): मवेलीकारा रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन कस्बे से थोड़ी दूर है। इस रेलवे स्टेशन के निकट मवेलीकारा शहर में प्रवेश करते समय कल्लूमल्ला और बुथा जंक्शन के बीच एक रेल संचार है। मवेलीकारा शहर तालुक मुख्यालय और नगर-पालिका है। इस रेल संचार से हजारों वाहन गुजरते हैं। इस रेल संचार के कारण इस मार्ग पर प्रतिदिन यातायात में भारी रुकावट होती है। यातायात अवरूद्ध होने के कारण, आपात उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों को समय पर आवश्यक उपचार नहीं मिल सकता। स्थानीय लोग लंबे समय से इस रेल संचार पर रेल उपरिपुल बनाने की मांग कर रहे हैं।

अब तक, रेलवे ने इस रेल संचार पर आर.ओ.बी. के निर्माण को शुरू नहीं किया है। यदि रेलवे आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य शुरू करती है तो राज्य सरकार संपर्क सड़क का भी निर्माण करेगी। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वह इस रेल समपार पर मवेलीकारा के लोगों को लाभान्वित करने हेतु आर.ओ.बी. का निर्माण शुरू करे।

(सात) यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल के विषाक्त खतरनाक अपशिष्ट का नागपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर संभावित पर्यावरण संबंधी कुप्रभाव को देखते हुए इसका निपटान डी.आर.डी.ओ. संयंत्र, नागपुर में करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): मैं नागपुर की जनता से जुड़ा एक अति गंभीर मामला सरकार के ध्यान में लाता हूं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री (भोपाल) से जहरीले एवं हानिकारक अपशिष्ट का डी.आर.डी.ओ. संयंत्र, नागपुर में फेंकने का सरकार का निर्णय महाराष्ट्र में नागपुर एवं विदर्भ के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। भस्मीकरण एवं उसके परिणामस्वरूप वायु मृदा प्रदूषण का न केवल विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य को प्रभावित करेगा। विदर्भ क्षेत्र नागपुर में तथा इसके आस-पास स्थित कोयला आधारित कई ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित अधिकतम प्रदूषण से पहले से ही प्रभावित है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि इस जहरीली सामग्री को पैक करके फेंकने के लिये भोपाल से नागपुर ले जाना किस प्रकार से न्यायोचित होगा। संभवत: इस अपशिष्ट को भोपाल से नागपुर ले जाने का प्रयोजन भोपाल में इसके हानिकारक प्रभाव को कम करना है। परंतु इससे नागपुर के लोगों के लिए यही समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि अत्यंत जहरीले अपशिष्ट के भस्मीकरण के साथ हानिकारक और विपत्तिजनक स्वास्थ्य समस्याएं जुड़ी हुई हैं।

इसीलिये मैं, सरकार से आग्रह करूंगा कि वह घने बसे स्थानों से दूरस्थ स्थानों पर ऐसे जहरीली पदार्थ के विखराव के बारे में स्पष्ट नीति बनाए और नागपुर तथा विदर्भ के पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने हेतु जहरीली सामग्री को भोपाल से नागपुर ले जाने पर रोक लगाए।

(आठ) उड़ीसा के सम्बलपुर में चावल, सब्जियों और मौसमी फलों की खरीद और भण्डारण के लिए उच्च तकनीकी टर्मिनल मंडी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री अमरनाथ प्रधान (संबलपुर): माननीय कृषि मंत्री ने गत वर्ष लोक सभा में घोषणा की थी कि ओडिशा राज्य में मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संबलपुर चावल, सब्जियों और मौसमी फलों की खरीद और भंडारण हेतु उच्च

[श्री अमरनाथ प्रधान]

तकनीक टर्मिनल मार्केट की स्थापना के लिए देश में एक स्थान होगा। संबलपुर और पूरे पश्चिम ओडिशा क्षेत्र के किसान इस परियोजना के जल्द से जल्द शुरू होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः, मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना को पूरा करने हेतु केंद्रीय निधि आबंटित करे।

(नौ) हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं पर कार्य आरंभ करने और रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): हिमाचल प्रदेश पर्वतीय एवं सीमावर्ती प्रदेश है। आजादी के 62 वर्षों में अब तक केवल 36 किलोमीटर रेल लाइनें प्रदेश में बनी है। भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण की घोषणा वर्ष 2008 के बजट में की गई, किंतु अभी तक कार्य आरंभ नहीं किया गया है। घनौली बद्दी बड़ी रेल लाइन निर्माण की घोषणा वर्ष 2007 के बजट में की गई थी, किंतु केन्द्र प्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध न कराए जाने के कारण पंजाब के जिला रोपड़ के घनौली से उक्त रेल लाइन का लिंक हिमाचल प्रदेश के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र से किए जाने के रेलवे के वैकल्पिक प्रस्ताव पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। तीसरी निर्माणाधीन नंगल-तलवाड़ा बड़ी रेल का कार्य अविलंब पूरा किया जाए और चौथी बिलासपुर-मंडल-मनाली-लेह/लद्दाख बड़ी रेल लाइन का निर्माण सामरिक, पर्यटन क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। अतः उक्त चारों लाइनों के निर्माण को त्वरित गति प्रदान की जाए। कोलकाता-आनंदपुर साहब-नांगलडेम एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को ऊना तक बढ़ाया जाए, क्योंकि नंगलडेम से ऊना केवल 15 किलोमीटर दूर है और इस रेल सेवा के विस्तार से हिमाचल प्रदेश सीधा कोलकाता से जुड़ जाएगा। पठानकोट-जोगेन्द्रनगर नैरोगेज रेल सेवा पर भारी जन प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए बोगियों अथवा रेल सेवा की आवृत्ति की संख्या बढ़ाई जाए।

(दस) गुजरात में कैरोसिन का कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): जानकार सूत्रों से प्राप्त समाचार अनुसार केन्द्र सरकार ने मिट्टी के तेल के आवंटन में कमी की है, जिसका सबसे ज्यादा असर गुजरात राज्य पर हुआ है। विभिन्न राज्यों की तुलना में गुजरात में 32.19 प्रतिशत की कमी आई है। विभिन्न राज्यों की स्थिति का अवलोकन करना अनिवार्य है जैसे कि गुजरात में 32.19 प्रतिशत, केरल में 14.84 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 13.11 प्रतिशत, हरियाणा में 10.64 उत्तर प्रदेश में 00.08 प्रतिशत व राजस्थान में 00.03 प्रतिशत कमी में अंतर का मानदंड समझ के परे है। गुजरात में 1.11 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं उनमें से 84 लाख के पास गैस कनेक्शन नहीं हैं, वे सभी मिट्टी के तेल पर निर्भर हैं। इस कमी का प्रभाव उपभोक्ताओं पर अवश्य पड़ता है जिससे एक कार्ड होल्डर को 3-4 लीटर मिट्टी का तेल हर महीने कम मिलेगा। केन्द्र सरकार द्वारा 2.46 करोड़ लीटर की कमी खासकर बेघर, गरीब, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को खाना पकाने एवं उजाले के लिए बेहाल कर देगी।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपभोक्ता कमी पर पुनर्विचार करे तथा इस कमी को हटा दे जिससे उपभोक्ता कम से कम अपना खाना ठीक से पका सके एवं अंधेरे से "उजाला" ला सके।

(ग्यारह) बिहार के नवादा जिले में रजौली में परमाणु बिजली स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह (नवादा): बिहार शाश्वत अंधकार में है। अंधकार का यहां एकाधिकार है। यहां कोई विद्युत संयंत्र नहीं जो विद्युत पैदा कर सके, सभी मृतपाय हैं। एक आशा की किरण बिहार के भाग्याकाश में कौंध गई। केन्द्र सरकार ने बिहार के रजौली में विद्युत तापघर खोलने के लिए कदम उठाने की घोषणा की है। विशेषज्ञों ने जमीन का चयन किया, पानी की उपलब्धता की जांच पड़ताल की। राष्ट्रीय विकास परिषद् में मुख्यमंत्री बिहार ने भी आवाज उठाई। पानी की उपलब्धता के लिए धनरजय नदी में डैम बनाने का आश्वासन तक दे डाला है।

बिहार विशेष राज्य का हक पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। संपूर्ण आबादी अग्निपथ पर है। केन्द्र सरकार की दृष्टि भी नकारात्मक नहीं है।

मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बिहार में पसरे अंधेरे को समाप्त करने के लिए बिहार के रजौली में आणविक विद्युत तापघर स्थापित करने के संकल्प को कार्यान्वित करें।

(बारह) गुजरात के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): लगभग दो दशकों के संघर्ष और गुजरात की जनता के अनुरोध के बाद भारत सरकार ने हाल में अहमदाबाद विमानपत्तन का नाम सरदार वल्लबभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कर दिया है। मंत्रालय ने सरदार वल्लबभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर 400 करोड़ रु. से अधिक की धनराशि खर्च की है और इसे सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाया है। परंतु मुझे आपका ध्यान आकर्षित करते हुए खेद है कि आज तक काफी धनराशि खर्च करने के बावजूद यह निर्णय लिया गया है कि अहमदाबाद से विदेश के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं होगी। दिल्ली और मुंबई को विदेश जाने का केंद्र बनाने हेतु अहमदाबाद से न्यूयार्क (न्यूजर्सी), अहमदाबाद से लंदन और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। अतः गुजरात के सभी यात्रियों के पास विदेश जाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान लेने के लिये दिल्ली अथवा मुंबई जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अतः मंत्रालय अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से कोई सीधी उड़ान परिचालित नहीं करना चाहता तो अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने पर धनराशि खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए, मैं नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से पहले से परिचालित की जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को यथाशीघ्र बहाल करके पुनः परिचालित किया जाए।

(तेरह) देश में जाति आधारित जनगणना में अन्य पिछड़े वर्गों का पृथक आंकड़ा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूं): मैं नियम 377 के तहत सरकार से जनगणना 2011 में सदन में सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भी अन्य पिछड़े वर्ग की गणना नहीं किए जाने के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा आपसे पूछना चाहता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में क्या कार्रवाई की गई है और जाति आधारित जनगणना का चरण कहां तक पहुंची है। सरकार ने सदन को काफी समय पहले आश्वासन दिया था पर आज तक उस परिप्रेक्ष्य में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जब जनगणना हुई थी तब ही अगर एक कॉलम डाल दिया गया होता तो सरकार पर जनगणना का दोबारा व्यय नहीं पड़ता। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जाति आधारित जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना भी की जाए।

(चौदह) बिहार के नालन्दा में बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाएं देने और बिहार शरीफ से चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 12392/12391 में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा के अंतर्गत जिला हैडक्वार्टर शहर बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का अपरोचिंग रोड़ बहुत ही खराब हालत में हैं जो कि रेलवे की जमीन में बना हुआ है तथा बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का पी.आर.एस. काउंटर केवल एक ही काम करता है वो भी सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक। नालन्दा स्टेशन पर पी.आर.एस. लगा हुआ है लेकिन ई.सी.आर.सी. नहीं रहने से काउंटर काम नहीं कर रहा है। यहां पर ई.सी.आर.सी. की बहाली कर पी.आर.एस. काउंटर को शुरू करने की आवश्यकता है तथा बिहार शरीफ स्टेशन में एक और पी.आर.एस. काउंटर को शुरू करने की आवश्यकता है तथा टाइमिंग सुबह आठ से रात 8 बजे तक किए जाने की आवश्यकता है।

नालंदा स्टेशन में यात्रियों के लिए पेयजल की भारी किल्लत है। एक भी पेयजल साधन नहीं है। यहां पर विदेशी यात्री भी आते रहते हैं फिर भी यहां पर पेयजल का कोई साधन नहीं दिया जा रहा है। बिहार शरीफ स्टेशन से खुलने वाली 12392/12391 में रेलवे एस्कॉर्ट नहीं रहने से रेलवे यात्रियों को असामाजिक तत्व बहुत तंग करते हैं, मार-पीट भी करते हैं, सीट से उठा देते हैं और सामान भी लूट खसोट लेते हैं, इन पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह वाजिब मांग करता हूं।

(पंद्रह) दक्षिण रेलवे में संविदा आधार पर कार्यरत कामगारों को पर्याप्त मजदूरी देने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समुचित विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[श्री एम.बी. राजेश]

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड): मैं सरकार का ध्यान दक्षिण रेलवे में स्टेशन, प्लेटफार्मों इत्यादि सहित रेलवे परिसरों की सफाई करने हेतु ठेके के आधार पर लगाये गये कामगारों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा वहां कामगारों का निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी मामूली सी मजदूरी में से 13% हिस्से की ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. में अंशदान के नाम पर काट लिया जाता है। तथापि इन कामगारों को इस अंशदान का कोई सबूत नहीं दिया जाता है। ये गरीब कामगार अस्पतालों में उपचार सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित हैं। प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी के भुगतान नहीं किए जाने और ई.पी.एफ., ई.एस.आई. अंशदान के लिए कटौती की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते हैं। अत: मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे की जांच करें और यह सुनिश्चित करने कि लिए तत्काल कदम उठाएं कि इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त मेरी मांग है कि उनकी मजदूरी में पर्याप्त वृद्धि की जाए और सभी ठेका कामगारों को विकसित भी किया जाए।

(सोलह) देश में मोबाइल ऑपरेटरों की ग्राहक सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): हमारे देश में दूर-संचार क्षेत्र में आज प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है। इसकी वजह से हो रही परेशानियों को आम नागरिकों को झेलने पर विवश किया जा रहा है। आज समय ऐसा आ गया है कि निजी टेलीकाम कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को अलग-अलग तरह से परेशान किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण अनचाही सेवा जैसे की कॉलर ट्यून, अनचाहे मैसेज, फ्रेंड चैट, क्रिकेट स्कोर, एम.एम.एस., हैलो ट्यून को अपने आप उपभोक्ता के फोन पर एक्टीवेट किया जा रहा है। प्रतिदिन अनचाही चार्ज और शुल्क काट दिया जाता है। लेकिन जब काल सेंटर को फोन किया जाता है तो 10 से 15 मिनट के बाद लाइन जोड़ी जाती है जिसका खामियाजा देश के आम नागरिक जो दैनिक 50 रुपये मजदूरी कमाते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है।

अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको रोकने के लिए एवं उपभोक्ता की तुरंत काल सेंटर में बात कराने के दिशानिर्देश निजी टेलीकाम कंपनियों को दिए जाने और निर्देशों का पालन न करने पर उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए।

(सत्रह) राष्ट्रीय कृषि उत्पादन नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट): मैं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में राष्ट्रीय कृषि उत्पादन नीति बनाने की अंत्यंत आवश्यकता के बारे में इस सामानित सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि किसान स्थानीय आधार पर उपलब्ध सीमित ज्ञान के साथ कृषि उत्पाद उगा रहे हैं। इसके कारण विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में असंतुलन आता है जिसके कारण महंगाई बढ़ती है और यदि किसी उत्पाद का अधिशेष उत्पादन होता है तो किसानों को कम मूल्य मिलता है और उन्हें घाटा होता है। अत: देश में राष्ट्रीय आवश्यकता (अखिल भारतीय) बफर स्टॉक और सुरक्षा भंडार, निर्यात आवश्यकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहायता (विभिन्न आधारों पर), कमी का आयात (शुल्क मुक्त) के आधार पर राष्ट्रीय कृषि उत्पादन नीति होनी चाहिए। भारतीय जलवायु और लोगों की खान-पान की आदतों को ध्यान में रखते हुए अन्य कृषि संगठनों को भागीदार बनाकर खाद्य और कृषि संगठन जैसे विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सूचना और अपेक्षित सहायता लेकर प्रत्येक राज्य को लक्ष्य देकर किसानों और राज्यों को अधिकतम लाभ अर्जित करने हेतु बीजों, पैदावार और सबसे उपयुक्त भूमि और उपजाऊ क्षेत्रों के लिए उत्पादों की सही किस्में उगाने की सलाह दी जानी चाहिए।

इसलिए, मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय कृषि उत्पादन नीति बनाएं ताकि किसानों की मांगें पूरी की जा सकें और उनकी बेहतर आय अर्जित करने और कृषि के व्यवसाय की अपनी भावी पीढ़ी हेतु भी जीवित बनाए रखने में सहायता करे।

(अठारह) देश में प्राकृतिक रबड़ का आयात करने के निर्णय की समीक्षा करने और उसे प्रतिसंहृत किए जाने की आवश्यकता

श्री जी.के. मणि (कोट्टायम): मैं बहुत कम शुल्क

सलैब पर प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति देने के केंद्र के कदम पर घरेलू रबर रोपण क्षेत्र की चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त करता हूं। यह कदम उत्पादन रोधी और घरेलू रबर किसानों की रक्षा करने वाले पक्ष के भी विरुद्ध होगा।

लघु और सीमांत किसानों सहित केरल रबर रोपण क्षेत्र भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन का बड़ा भाग है।

प्राकृतिक रबर को आयात करने की अनुमति देने वाले इस कदम के अलाभकारी मूल्यों की लंबी और निराशाजनक अवधि के बाद घरेलू रबर रोपण क्षेत्र हेतु चालू स्थिरीकरण प्रक्रिया पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। रबर रोपण क्षेत्र अब बाजार में उचित मूल्यों के साथ स्थिर और बाजार पर प्रभावशाली हो रहा है जिसके कारण उनके पहले के घाटे की भरपाई हो रही है और मंदी की अवधि के ऋण चुकाये जा रहे हैं। घटे हुए प्रशुल्क पर आयातों की वर्तमान सीमा से रबर उद्योग लॉबी भी अप्रसन्न है। उनका दावा है कि वे अपनी माल तालिकाओं को केवल एक पखवाड़े तक ही पूरा करेंगे। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तदर्थ आधार पर प्राकृतिक रबर के भविष्य के आयातों के निर्णयों की समीक्षा करके उन्हें रद्द करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। आप लोग जोर से बोलना बंद कीजिए, अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: ऐसा मत कीजिए। इसे रख दीजिए। अपने अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06¼ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(**श्री फ्रांसिस्की कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*)

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी अजय माकन वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 2.0¼ बजे

(इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.0½ बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: केवल मंत्री जी का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अपराह्न 2.01 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य - *जारी*

(दो) राष्ट्रमंडल खेल (सी.डब्ल्यू.जी.), 2010

[अनुवाद]

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रमंडल खेल (सी.डब्ल्यू.जी.), 2010 के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं।

19वां राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था जिसमें काफी पदक हासिल हुए और खेलों के मामले में भारत विश्व में महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर कर आया है। भारतीय एथलीटों ने मैडल जीतने में उत्कृष्ट कार्य किये, यहां तक कि जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स,

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अजय माकन]

तैराकी आदि जैसे खेलों में भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहा। महिला एथलीटों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री वक्तव्य को सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

***...*श्री अजय माकन:** राष्ट्रमंडल खेलों के संविदा (बोली) के दस्तावेज 14 मई, 2003 को पेश किये गये। श्री विक्रम वर्मा, पूर्व युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 24 मई, 2003 को अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ को लिखा और दिल्ली शहर के लिए संविदा (बोली) का समर्थन किया।

पत्र में बताया गया कि:

'अंत: भारत सरकार खेलों की मेजवानी के लिए दिल्ली शहर के लिए संविदा का समर्थन करती है और भाग लेने वाले देशों के सभी मान्यता प्राप्त एथलीट्स और प्रतिनिधि को मुक्त रूप से भारत में प्रवेश की गारंटी देती है और आगे यह भी गारंटी देती है कि खेलों का आयोजन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के संविधान, प्रोटोकॉल और विनियमों के अनुसार किया जायेगा।'

मूल संविदा दस्तावेज में सरकार 'द्वारा नियुक्त व्यक्ति' को आयोजन समिति के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाये जाने का प्रावधान है एवं आई.ओ.ए. अध्यक्ष इसका उपाध्यक्ष होगा। तथापि, संविदा दस्तावेज में अध्यक्ष के लिए 'सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति' को बदलकर हटा दिया गया।

कानूनी रूप से अनिवार्य मेजबान शहर संविदा को अनुमोदित किया गया जिस पर 13-11-2003 को श्री सुरेश कलमाड़ी, अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ, उप-राज्यपाल दिल्ली और सचिव-युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ के साथ हस्ताक्षर किये गये। मेजबान शहर के लिए संविदा में अपने खेल प्रबंध, प्रोटोकोल के माध्यम से यह शर्त लगाई गई कि खेलों के आयोजन, मेजबान देश में राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ को सौंपे जायेंगे जिसके लिये 2003 में भारत सरकार हस्ताक्षरकर्ता बनी, जो हमारे मामले में भारतीय ओलंपिक संघ था।

मेजबान शहर के लिए संविदा में यह भी शर्त थी कि "सी.जी.ए. (हमारे मामले में आई.ओ.ए.) एक आयोजन समिति (ओ.सी.) बनायेगा जिसका दर्जा कानूनी होगा और आयोजन समिति, सी.जी.ऐ. के साथ मिलकर संयोजन करेगी एवं अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से वित्तीय दायित्वों सहित सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होगी।" (प्रोटोकोल-2 पैरा 1.1)

इस प्रकार अधिकार प्राप्त आई.ओ.ए. ने अपनी 1 नवम्बर, 2004 की बैठक में यह संकल्प लिया कि:

"आई.ओ.ए., का सदन, श्री सुरेश कलमाडी को राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए आयोजन समिति का अध्यक्ष चुनती है और उन्हें आई.ओ.ए. के अन्य सदस्यों के परामर्श से आयोजन समिति को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत करती है। श्री सुरेश कलमाडी, अध्यक्ष आई.ओ.ए. को राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में भारत सरकार और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के साथ कार्य करने के लिए भी अधिकृत करती है।"

मेजबान शहर के लिए संविदा को तत्कालीन सचिव (खेल), भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किया था और एन.डी.ए. सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जबकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए था और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रिमंडल द्वारा भी अनुमोदित होना चाहिए था जैसे कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में होता है, जिसमें आगामी लंदन ओलंपिक भी शामिल है।

ऐसा करने से "मेजबान शहर के लिए संविदा" प्रभावी रूप से "मेजबान देश के लिए संविदा" बन गयी वही इस प्रक्रिया में इसने केन्द्रीय सरकार को खेलों के संबंध में सभी वित्तीय और अवसंरचनात्मक दायित्व निभाने का वचन दिया था। इसने एक ही पल में भारत सरकार से अवशिष्ट, संशोधन एवं विवेकाधीन शक्तियां अपने हाथ में ले ली जिसे आपात स्थिति में गलत कार्य को सही करने के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए था।

यदि हम 2003 में सी.डब्ल्यू.जी. के लिए होमिल्टन, कनाडा के संविदा की तुलना करते हैं, तो पता चलता है कि कनाडा सरकार और औटेरियों राज्य, हेमिल्टन नगर, और मैक्कमास्टर यूनिवर्सिटी ने खेलों के आयोजन की लागत में काफी योगदान देने का वचन दिया, किन्तु कनाडा सरकार सिर्फ 35 प्रतिशत घाटे की गारन्टी देने

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

पर सहमत थी। न तो कनाडा सरकार और न ही औटेरियों, कनाडा सी.जी.ए. या मैक्कमास्टर यूनिवर्सिटी आयोजन समिति के किसी नुकसान की जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत थे।

इसके अलावा, कनाडा सरकार या औटेरियों मेजबान शहर के लिए संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं थे। सिर्फ हेमिल्टन नगर एच.सी.सी. पर लिखित में हस्ताक्षर कर घाटे की भरपाई करने वाला था और वह भी अनेक शर्तो पर। फिर बी हेमिल्टन की संविदा को अनुरूप माना गया।

मेजबान शहर के लिए संविदा प्रोटोकॉल और विनियम के साथ बिना कॉट-छांट किए एवं सी.जी.एफ. तथा आई.ओ.ए. को सर्वोपरि मानते हुए, मंत्रिमंडल में 10 सितम्बर, 2003 को परिचालित किया गया और मंत्रिमंडल ने तुरंत अगले दिन 11 सितम्बर, 2003 को अनुमोदित कर दिया।

प्रोटोकॉलों के साथ संविदा जिसमें सी.जी.एफ. को खेलों का स्वामी भी बना दिया, इसकी न तो जांच की गई और न ही सत्यापन किया गया। इसके विकल्प की न तो तलाश की गई, न ही सुझाव दिया गया।

यद्यपि बहुआयामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए संविदा राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की जाती है, इस मामले में आई.ओ.ए. जो खेलों का आयोजक था, उसे सफल संविदा के बाद जवाबदेही सरकारी निकाय को एच.सी.सी. और खेल प्रबन्ध प्रोटोकोल में संशोधनों द्वारा समुचित प्रावधान किए जाने के बाद सौंप दिया जाना चाहिए था।

तत्कालीन केन्द्रीय सरकार को चाहिए था कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अनुबंध हस्ताक्षर करने के लिए कहे। तथापि, भारत सरकार ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए सी.डब्ल्यू.जी. 2010 की दिल्ली में मेजबानी का समर्थन पत्र दे दिया और यह भी वादा किया कि वह बगैर किसी बजटीय बाधा के राजस्व और व्यय के बीच के अन्तर की राशि की भरपाई करेगी। इस प्रकार भारत सरकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग सभी वायदों के लिए जिम्मेदार हो गई जिसमें बिना किसी सीमा के खेलों के आयोजन से संबंधित वित्तीय दायित्व भी शामिल है।

सभापति महोदय, सरकार को इस बात की पूरी जानकारी थी कि सी.डब्ल्यू.जी. 2010 के बारे में अनेक चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इनमें शामिल हैं-

(क) खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार, निधियों के दुष्प्रत्यायोजन, कुप्रबन्ध, खेलों के संबंध में फालतू खर्च और गलत कार्य।

(ख) खेलों और नगर अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा होने में विलम्ब।

(ग) निर्माण की गुणवत्ता में दोष, घटिया स्थल प्रबन्धन और लागत में वृद्धि।

(घ) सी.डब्ल्यू.जी. परियोजनाओं से संबंधित निर्माण के दौरान दुर्घटनायें और

(ङ) सरकार द्वारा दोषियों को दंडित करने के लिए उठाये गये कदम।

संसद के वर्षाकालीन सत्र 2010 के दौरान सरकार ने सदन को आश्वस्त किया कि अनियमितताओं की जांच की जायेगी और दोषियों को सजा दी जायेगी।

संसद में दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए खेलों के समाप्त होने के तुरन्त बाद सरकार ने श्री वी.के. शुंगलु की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई जो सी.डब्ल्यू.जी. 2010 के आयोजन और संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने जिसमें प्रबन्धन में कमजोरी, कथित दुर्विनियोग, अनियमितता, व्यर्थ खर्च और गलत कार्य तथा इस संबंध में सिफारिश करना शामिल था।

उच्चस्तरीय समिति ने अपना कार्य पूरा किया और इसने (i) मेजबान प्रसारण, (ii) राष्ट्रमंडल खेल गांव, (iii) नगर अवसंरचना, (iv) खेल स्थल, (v) आयोजन समिति और (vi) राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन और संचालन पर मुख्य रिपोर्ट से संबंधित 6 रिपोर्टें पेश कीं। इन रिपोर्टो की सिफारिशों के आधार पर पहले ही कतिपय कार्रवाई की गई है।

प्रसार भारती द्वारा प्राइवेट कम्पनी को ठेका देने से संबंधित मामले में प्रसार भारती के सी.ई.ओ. और एक प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। सरकार और प्रसार भारती तथा सी.ई.ओ. और प्रसार भारती बोर्ड के बीच के संबंध के बारे में उच्चस्तरीय समिति द्वारा व्यक्त टिप्पणियों पर मंत्रियों का एक समूह विचार कर रहा है।

कथित जालसाजी, दुर्भावना, अभिलेख सृजन से संबंधित अन्य विषयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) और प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित

[श्री अजय माकन]

कर दिया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 45 अधिकारियों/संस्थाओं के खिलाफ 11 केस दर्ज किए हैं जिसमें 5 केस ओवरलेस, क्वीन बैटन रिले, टाइमिंग, स्कोरिंग, रिज्लट सिस्टम तथा मर्केडाइजिंग और लाइसेसिंग से संबंधित हैं। ओ.सी. के कुल 14 अधिकारियों, भूतपूर्व चेयरमैन एवं 13 अन्य के खिलाफ मामले दर्ज हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के 10 अधिकारियों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दो अधिकारियों और कुछ प्राइवेट लोगों के विरुद्ध शिवाजी और तालकटोरा स्टेडियमों से संबंधित मामलों में तीन मामले में पंजीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लॉन बाउल स्थल से संबंधित एक मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 7 अधिकारियों और एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। दिल्ली सरकार की बारापुला परियोजना के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के 8 अधिकारियों तथा 2 प्राइवेट कंपनियों/व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला पंजीकृत किया गया है और दिल्ली नगर निगम की स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना के मामले में दिल्ली नगर निगम के 6 अधिकारियों और एक प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग भी कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) भी खेलों से संबंधित विभिन्न शिकायतों की जांच कर रहा है। नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत खेल एवं खेल संबंधी व्यय की रिपोर्ट संसद में भी प्रस्तुत की जायेगी।

सभापति महोदय सरकारी एजेंसियों के कथित अनियमितताओं और गलत कार्यों के संबंध में पहले ही कार्रवाई कर ली है और सरकार दोषी पाये गये सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कृतसंकल्प है। साथ ही इस बात को भी नजरअन्दाज नहीं किया जाये कि अन्ततः खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था और इसे अब तक आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वोतम माना गया है।*

(ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4564/15/11)

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कृपया सभा में शालीनता बनाए रखें।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: लोक सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 3 अगस्त, 2011/12 श्रावण 1933 (शक) पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री जोस के. मणि प्रो. रंजन प्रसाद यादव	21
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	22
3.	श्रीमती ऊषा वर्मा श्री आर. थामराईसेलवन	23
4.	श्रीमती जे. शांता श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	24
5.	श्री प्रदीप माझी श्री विश्व मोहन कुमार	25
6.	श्रीमती सुप्रिया सुले डॉ. संजीव गणेश नाईक	26
7.	श्री लालचन्द कटारिया श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ा	27
8.	श्री पी.के. बिजू श्री राधा मोहन सिंह	28
9.	श्री नरहरि महतो श्री नृपेन्द्र नाथ राय	29
10.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री असादूद्दीन ओवेसी	30
11.	श्री रामसिंह राठवा	31
12.	श्री विजय बहादुर सिंह श्री कोडिकुन्नील सुरेश	32
13.	श्री एस.आर. जेयदुरई	33
14.	श्रीमती दीपा दासमुंशी श्री जय प्रकाश अग्रवाल	34
15.	श्री आनंदराव अडसुल श्री अधलराव पाटील शिवाजी	35
16.	श्री गोपीनाथ मुंडे श्री सुरेश कुमार शेटकर	36
17.	श्री एस. पक्कीरप्पा	37
18.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी श्री अशोक कुमार रावत	38
19.	श्री सी.आर. पाटिल श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी	39
20.	श्री एम.के. राघवन श्री पी.सी. मोहन	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री बसुदेव आचार्य	432
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	364, 382, 420, 424
3.	श्री आधि शंकर	381
4.	श्री आनंदराव अडसुल	420, 424, 331
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	307, 398
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	322, 350, 420, 436, 439
7.	श्री घनश्याम अनुरागी	306
8.	श्री गजानन ध. बाबर	240, 382, 420, 424, 431
9.	श्री रमेश बैस	366, 373, 374
10.	डॉ. बलीराम	325
11.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	363
12.	श्री संजय भोई	328, 344, 422, 426

1	2	3
13.	श्री पी.के. बिजू	404
14.	श्री हेमानंद बिसवाल	271, 292
15.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	312, 457
16.	श्री सी. शिवासामी	289, 297, 372, 442
17.	श्री हरीश चौधरी	241, 282, 356, 459
18.	डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	239, 282, 371, 427, 446
19.	श्री संजय सिंह चौहान	304, 326, 421
20.	श्री दारा सिंह चौहान	379
21.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	289, 362, 427
22.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	250, 254, 376, 399
23.	श्री भूदेव चौधरी	304, 307, 370, 380
24.	श्री अधीर चौधरी	371
25.	श्री बंस गोपाल चौधरी	370
26.	श्री राम सुन्दर दास	368, 429
27.	श्री गुरुदास दासगुप्त	288, 372
28.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	272, 423
29.	श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन	351, 433
30.	श्रीमती रमा देवी	235, 384
31.	श्री के.पी. धनपालन	303, 364, 445, 449
32.	श्री संजय धोत्रे	420, 425
33.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	289, 362
34.	डॉ. रामचन्द्र डोम	432, 435

1	2	3
35.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	275, 365, 378
36.	श्रीमती प्रिया दत्त	376
37.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	249, 327, 420
38.	श्री वरुण गांधी	339
39.	श्री ए. गणेशमूर्ति	355, 420
40.	श्री एल. राजगोपाल	293, 371, 439
41.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	284, 420, 433
42.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	324
43.	शेख सैदुल हक	367
44.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	290, 433
45.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	237, 385
46.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	242, 287, 388
47.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	319
48.	डॉ. संजय जायसवाल	277, 375
49.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	235, 298, 433, 443
50.	श्रीमती दर्शना जरदोश	239, 285, 329
51.	श्रीमती जयाप्रदा	364, 365, 370, 374
52.	श्री महेश जोशी	291, 438
53.	श्री प्रहलाद जोशी	288, 292, 296, 420, 441
54.	डॉ. ज्योति मिर्धा	346
55.	श्री पी. करुणाकरन	289, 435
56.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	251, 397, 452, 456
57.	श्री लाल चंद कटारिया	418

1	2	3
58.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	238, 365
59.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	335
60.	श्री चंद्रकांत खैरे	340
61.	डॉ. कृपारानी किल्ली	236, 376
62.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	258, 292
63.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	259, 370, 402
64.	श्री विश्व मोहन कुमार	279
65.	श्री पी. कुमार	289, 297
66.	श्री शैलेन्द्र कुमार	309, 365
67.	श्री यशवंत लागुरी	232, 381, 436
68.	श्री सुखदेव सिंह	374
69.	श्री पी. लिंगम	320
70.	श्री विक्रमभी अर्जनभी मादम	246, 394
71.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	322, 364, 420
72.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	370
73.	श्री नरहरि महतो	274, 419
74.	श्री प्रदीप माझी	364, 417
75.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	341, 372, 401
76.	श्री मंगनी लाल मंडल	305, 375
77.	श्री जोस के. मणि	415
78.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	245, 391, 420, 439
79.	श्री दत्ता मेघे	331, 379, 433
80.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	245, 391, 420, 439
81.	श्री भरत राम मेघवाल	354
82.	श्री महाबल मिश्रा	272, 279, 447

1	2	3
83.	श्री सोमेन मित्रा	330
84,	श्री पी.सी. मोहन	413
85.	श्री गोपीनाथ मुंडे	366, 336
86.	श्री विलास मुत्तेमवार	294, 440
87.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	416
88.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	342, 365, 366, 420
89,	डॉ. संजीव गणेश नाईक	283, 420
90.	श्री इंदर सिंह नामधारी	349
91.	श्री नारनभी कछाड़िया	233, 289, 362, 383, 427
92.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	338, 374
93.	श्री संजय निरुपम	234, 456
94.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	420, 437
95.	श्री वैजयंत पांडा	314, 377, 460
96.	श्री प्रबोध पांडा	289, 370, 371
97.	कुमारी सरोज पाण्डेय	285, 319, 369, 370, 434
98.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	328, 420, 422
99.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	252,
100.	श्री देवराज सिंह पटेल	352
101.	श्री आर.के. सिंह पटेल	357
102.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	299, 444
103.	श्री किसनभाई वी. पटेल	292, 364, 417, 420, 437
104.	श्री हरिन पाठक	318
105.	श्री संजय दिना पाटील	420

1	2	3
106.	श्री ए.टी. नाना पाटील	286, 420, 436
107.	श्रीमती भावना पाटील गवली	365, 378
108.	श्री सी.आर. पाटिल	427
109.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	313, 371, 458
110.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	249, 327, 420
111.	श्रीमती कमला देवी पटले	244
112.	श्री पोन्नम प्रभाकर	353, 371
113.	श्री नित्यानंद प्रधान	314, 377
114.	श्री पन्ना लाल पुनिया	267, 371, 375, 409, 433
115.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	337
116.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	280
117.	श्री अब्दुल रहमान	282, 359, 373, 433
118.	श्री सी. राजेन्द्रन	316
119.	श्री एम.बी. राजेश	367, 428, 432
120.	श्री पूर्णमासी राम	348, 374
121.	श्री रामकिशुन	310, 376, 456
122.	श्री निलेश नारायण राणे	261, 405
123.	श्री रायापति सांबासिवा राव	333
124.	श्री रामसिंह राठवा	392
125.	डॉ. रत्ना डे	278, 455
126.	श्री अशोक कुमार रावत	282, 387
127.	श्री रुद्रमाधवराय	252, 276
128.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	262, 322
129.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	323, 365, 371, 372, 374

1	2	3
130.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	273, 364, 377
131.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	358, 455
132.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	274
133.	श्री एस. अलागिरी	282, 334, 381
134.	श्री एस. सेम्मलई	345
135.	श्री एस. पक्कीरप्पा	349, 364, 410, 420
136.	श्री एस.आर. जेयदुरई	420, 422
137.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	260, 370, 371, 403, 420
138.	श्री ए. संपत	247, 367, 370, 395, 456
139.	श्रीमती सुशीला सरोज	279, 374
140.	श्री तथागत सत्पथी	301
141.	श्री हमदुल्लाह सईद	265, 367, 407, 460
142.	श्रीमती जे. शांता	263, 371, 393, 420
143.	श्री नीरज शेखर	364, 365, 370, 374, 420
144.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	414
145.	श्री एंटो एंटोनी	308, 454
146.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	255, 304, 370, 453
147.	डॉ. भोला सिंह	282, 347, 415
148.	श्री भूपेन्द्र सिंह	256, 365, 400
149.	श्री इज्यराज सिंह	231, 433, 459
150.	श्री जगदानंद सिंह	305, 375, 451
151.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	253

1	2	3
152.	श्रीमती मीना सिंह	304, 370
153.	श्री राधा मोहन सिंह	373, 374, 450
154.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	369
155.	श्री राकेश सिंह	268, 4121, 420
156.	श्री उदय सिंह	248, 364, 396, 415, 437
157.	श्री यशवीर सिंह	311, 364, 365, 370, 374
158.	राजकुमार रत्ना सिंह	250, 356, 436
159.	श्री विजय बहादुर सिंह	304, 326, 365, 421
160.	डॉ. संजय सिंह	250, 334, 443
161.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	315, 371, 460
162.	डॉ. किरीट प्रेमजीभी सोलंकी	285, 361, 455
163.	श्री मकनसिंह सोलंकी	317
164.	श्री कं. सुधाकरण	281
165.	श्री ई.जी. सुगावनम	270, 412
166.	श्री के. सुगुमार	321, 370, 415
167.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	422, 426
168.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	365, 370, 390
169.	श्री मानिक टैगोर	360
170.	श्रीबिभू प्रसाद तराई	288, 370
171.	श्री मनीष तिवारी	336
172.	श्री जगदीश ठाकोर	266, 304, 408
173.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	342
174.	श्री आर. थामराईसेलवन	364, 420, 431
175.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	302, 448
176.	श्री पी.टी. थॉमस	289, 300, 368, 373, 445
177.	श्री मनोहर तिरकी	257, 341, 372, 401
178.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	368, 429
179.	श्री लक्ष्मण टुडप	295
180.	श्री शिवकुमार उदासी	263, 365, 406
181.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	282, 374
182.	श्री हर्ष वर्धन	282, 430
183.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	280, 282, 287
184.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	289, 297
185.	श्री सज्जन वर्मा	363
186.	श्रीमती ऊषा वर्मा	279, 297
187.	श्री वीरेन्द्र कुमार	439
188.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	264, 371, 425 452
189.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	425
190.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	269, 298, 446
191.	श्री धर्मेन्द्र यादव	240, 382, 420, 424, 431
192.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	420
193.	श्री मधुसूदन यादव	243, 369, 389
194.	श्री मधु गौड यास्खी	249, 327, 420
195.	योगी आदित्यनाथ	332

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	24, 29, 37, 40
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	21, 23, 28, 34, 36, 39
संस्कृति	:	
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
गृह	:	25, 26, 27, 31, 33
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	30
सूचना और प्रसारण	:	22
शहरी विकास	:	38
युवक कार्यक्रम और खेल	:	32, 35

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	240, 242, 244, 247, 253, 257, 259, 261, 262, 264, 267, 269, 282, 286, 290, 296, 297, 300, 304, 305, 308, 310, 314, 316, 317, 320, 321, 333, 335, 345, 346, 347, 350, 352, 363, 365, 372, 381, 386, 389, 394, 395, 405, 416, 419, 432, 433, 436, 448, 452, 453, 454, 457
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	243, 246, 258, 263, 265, 268, 272, 273, 274, 289, 293, 309, 313, 328, 341, 359, 364, 375, 390, 408, 413, 414, 415, 428, 437, 455, 458
संस्कृति	:	232, 295, 318, 325, 342, 353, 355, 392, 396, 398, 399, 410, 418, 451
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	430
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	234, 241, 397,442
गृह	:	235, 238, 239, 249, 251, 254, 255, 256, 260, 266, 270, 271, 275, 277, 278, 279, 280,281, 284, 285, 287, 288, 292, 294, 298, 299, 301, 303, 306, 311, 312, 315, 324, 326, 327, 329, 332, 343, 348, 356, 358, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374,378, 380, 391, 401, 406,

		407, 409, 411, 412, 420, 422, 423, 424, 425, 427, 429, 431, 440, 443, 444, 446, 450, 459, 460
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	231, 233, 236, 237, 248, 331, 339, 351, 361, 384, 388, 402, 426, 441
सूचना और प्रसारण	:	283, 319, 330, 336, 337, 344, 349, 357, 360, 377, 379, 383, 387, 393, 400, 404, 434, 439, 447
शहरी विकास	:	245, 252, 291, 307, 338, 354, 362, 376, 403, 417, 421, 438, 445
युवक कार्यक्रम और खेल	:	250, 276, 302, 322, 323, 334, 340, 382, 385, 435, 449, 456.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/17/2/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।